माला, खंड 6, अंक 16

बुधवार, 22 दिसम्बर, 2004
1 पौष, 1926 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तीसरा सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 57
Dated 31/10/05

(खण्ड 6 में अंक 11 से 17 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

आनन्द बी. कुलकर्णी
संयुक्त सचिव

किरण साहनी
प्रधान मुख्य सम्पादक

प्र. ना. भारद्वांज
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

आर. एल. रैना
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।

विषय-सूची

चतुर्दश माला, खंड 6, तीसरा सत्र, 2004/1926 (शक)

अंक 16, बुधवार, 22 दिसम्बर, 2004/ 1 पौष 1926 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 304–308	1-33
प्रश्नों के लिखित उत्तर	33-452
तारांकित प्रश्न संख्या 303, 309–322	33-53
अतारांकित प्रश्न संख्या 3424–3653	53-452
सभा पटल पर रखे गए पत्र	453-475, 516-518
राज्य सभा से संदेश	475-476
संसदीय समितियां	
कार्य का सारांश	476
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	
(एक) दूसरा प्रतिवेदन	476
(दो) तीसरा अध्ययन दौरा प्रतिवेदन	476
सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति	
तीसरा प्रतिवेदन	476-477
वित्त संबंधी स्थायी समिति	
छठे से दसवां प्रतिवेदन	477
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति	
दूसरा और तीसरा प्रतिवेदन	477-478
रेल संबंधी स्थायी समिति	
पांचवा प्रतिवेदन	478
ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति	
की गई कार्यवाही संबंधी विवरण	478-479
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
खान मंत्रालय से संबंधित कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति	
श्री शीश राम ओला	479-480

---

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित+ चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	490-511
(एक) पश्चिम बंगाल के शाहगंज में डनलप इंडिया लिमिटेड में तालाबंदी के परिणामस्वरूप डनलप के हजारों श्रमिकों और कर्मचारियों द्वारा सहे जाने वाले असहनीय कष्ट से उत्पन्न स्थिति	490-498
श्री रूपचन्द पाल	490, 491-493
श्री के. चन्द्रशेखर राव	490-491, 496-498
श्री सांताश्री चटर्जी	493-495
श्री अजय चक्रवर्ती	495-496
(दो) संविधान की आठवीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा शामिल किए जाने की आवश्यकता	498-506
श्री प्रभुनाथ सिंह	498, 500-504
श्री शिवराज वि. पाटील	498-500, 505-506
श्री रघुनाथ झा	504
(तीन) उत्तर प्रदेश में यूआरी बाजार, पडरौना, मरामा तथा काठकुंआ में चार चीनी मिलों के बंद होने के कारण गन्ना उत्पादकों तथा श्रमिकों के सामने आ रही समस्याओं से उत्पन्न स्थिति	507-511
श्री मोहन सिंह	507, 509-510
श्री शंकर सिंह वाघेला	507-509, 510-511
नियम 377 के अधीन मामले	518-526
(एक) आन्ध्र प्रदेश में तम्बाकू के और अधिक नीलामी प्लेटफार्म खोलने तथा जिन क्षेत्रों में फसल की कटाई जल्दी होती है वहां अगले वर्ष जनवरी के प्रारंभ में खरीद का कार्य आरंभ किए जाने की आवश्यकता	
श्री एम. राजा मोहन रेड्डी	519
(दो) जम्मू–कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में दूरदर्शन कार्यक्रमों को पर्याप्त कवरेज दिए जाने के उद्देश्य से जम्मू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में दूरदर्शन के और अधिक स्टुडियो स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्री मदन लाल शर्मा	519-520
(तीन) रामगंज–मंडी–भोपाल रेल लाइन का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री दुष्यंत सिंह	520
(चार) कर्नाटक में छोटी एवं मझोली सिंचाई परियोजनाओं को आरंभ करने हेतु कर्नाटक सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री जी. करुणाकर रेड्डी	520-521

विषय	कॉलम
(पांच) कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ क्षेत्र में बेल्लारी–मंगलोर सड़क की क्षति से रक्षा करने के उद्देश्य से निर्यातोन्मुख औद्योगिक कच्चे माल को ढोने वाले भारी वाहनों के आवागमन का मार्ग बदले जाने की आवश्यकता	
श्रीमती मनोरमा माधवराज	521-522
(छह) उत्तर प्रदेश के बरेली में मीरगंज तथा पश्चिमी फतेहगंज में रेल उपरि पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री संतोष गंगवार	522
(सात) आंध्र प्रदेश में हथकरघा क्षेत्र को पुनरूज्जीवित करने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
डा. बाबू राव मिडियम	522-523
(आठ) हरदोई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नदियों पर पुलों के निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती ऊषा वर्मा	523
(नौ) उड़ीसा के फूलबनी एवं अन्य भागों में मलेरिया उन्मूलन हेतु एक नई केन्द्रीय योजना आरंभ किए जाने की आवश्यकता	
श्री सुग्रीव सिंह	523-524
(दस) केरल के कोल्लम–विरूथनगर मीटर गेज रेल लाइन के दोनों और स्थित रेलवे की परती भूमि पर बसे किसानों एवं कृषि श्रमिकों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता	
श्री चेंगरा सुरेन्द्रन	524
(ग्यारह) पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले (दक्षिण) में बी.एस.एन.एल. की मोबाइल टेलीफोन सेवा आरंभ किए जाने की आवश्यकता	
श्री सनत कुमार मंडल	524-525
(बारह) विदुर कुटी को हस्तिनापुर के साथ जोड़ने के लिए एक पुल का निर्माण करने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री मुन्शी राम	525
(तेरह) जम्मू–कश्मीर राज्य में नए पर्यटन स्थलों के विकास के लिए एक व्यापक योजना बनाए जाने की आवश्यकता	
चौधरी लाल सिंह	525-526

विषय	कॉलम
प्रत्यायोजित विधायन उपबंध (संशोधन) विधेयक के स्थगन के बारे में	526-527
नियम 193 के अधीन चर्चा	527-614
किसानों के समक्ष आ रही समस्याएं	
श्री बसुदेव आचार्य	527-536
श्री शिवराज सिंह चौहान	537-545
श्री नीतीश कुमार	545-551
डा. चिन्ता मोहन	551-556
श्री रामजीलाल सुमन	559-563
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	563-569
श्री महबूब जाहेदी	569-571
श्री अनंत कुमार	571-578
श्री सचिन पायलट	578-582
श्री ब्रजेश पाठक	582-586
श्री ए. के. एस. विजयन	586-591
श्री अनंत गुढ़े	592-596
श्री सी. के. चन्द्रप्पन	596-599
श्रीमती अर्चना नायक	599-601
श्री बृजभूषण शरण सिंह	601-604
श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा	604-608
प्रो. एम. रामदास	608-611
डा. एम. जगन्नाथ	611-614
अनुबंध - I	615-622
तारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका	615
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका	615-622
अनुबंध - II	623-626
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका	623
आतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका	623-626

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री पवन कुमार बंसल

श्री गिरिधर गमांग

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री अजय माकन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

बुधवार, 22 दिसम्बर, 2004/1 पौष 1926 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या – 303

श्री हरिकेवल प्रसाद – अनुपस्थित

श्री सुनिल कुमार महतो – अनुपस्थित

हमारे मंत्री जी उत्तर देने को तैयार हैं परन्तु प्रश्न पूछने के लिए कोई सदस्य यहां नहीं है।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाना

+

*304. **श्री कीर्ति वर्धन सिंह :**

श्रीमती निवेदिता माने :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत तक करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन): (क) और (ख) विवरण सभा–पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) दूरसंचार क्षेत्र के विस्तार के लिए इसमें भारी पूंजी–निवेश की जरूरत है। अतः बजट 2004–05 में दूरसंचार क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74%: तक करने संबंधी प्रस्ताव की घोषणा की गई थी।

श्री कीर्ति वर्धन सिंह : महोदय, मंत्री जी द्वारा दिये गए उत्तर के अनुसार ऐसा लगता है कि सरकार यह महसूस करती है कि इस क्षेत्र के विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की आवश्यकता है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं।

पिछले चार–पांच वर्षों में इस क्षेत्र में बी. एस. एन. एल. ने स्वयं 40,000 करोड़ रुपयों तथा निजी आपरेटरों ने 50,000 करोड़ रुपयों का निवेश किया है आज हमारे देश में पर्याप्त प्रशिक्षित श्रमशक्ति संसाधन हैं; हमार व्यापक घरेलू बाजार है और इस क्षेत्र की वृद्धि दर असाधारण है। इस स्थिति में, घरेलु दूरसंचार उद्योग को प्रोत्साहन देकर उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाया जाए ताकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में वह अपनी स्थिति सुदृढ़ कर सकें, इसके बजाय सरकार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने का विचार क्यों कर रही है?

श्री दयानिधि मारन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य के इस प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ। शेष विश्व की तुलना में हमारी दूरसंचार सेवाओं की सघनता मात्र 8 प्रतिशत है। जब बहुत से देश दो अंकों में दूरसंचार सेवा सघनता का दावा करते हैं, हमारी उपलब्धि काफी कम है। हमने अगले तीन वर्षों में 200 से 250 मिलियन टेलीफोन कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए एक लाख करोड़ रुपये से डेढ़ लाख करोड़ रुपये तक के भारी निवेश की आवश्यकता होगी। इस धनराशि का एक भाग देश में ही सृजित किया जा सकता है। अतः इस क्षेत्र में भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की आवश्यकता है। इस देश में हर व्यक्ति जल्दी से जल्दी टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त करना चाहता है। इसके लिए आवश्यक धनराशि का प्रावधान किया जाना है। यदि हमारे पास इसके लिए देश में ही पर्याप्त धन होता तो हमें इसकी चिन्ता नहीं होती। परन्तु हम देख रहे है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हमारे देश के विकास में सहायक रहा है, अतः विकास को बनाए रखने के लिए निश्चित रूप से हमें प्रत्यक्ष विदेशी नियेश की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया वक्ता और अध्यक्ष के बीच से न आएं जाएं।

श्री कीर्ति वर्धन सिंह : महोदय, माननीय मंत्री जी दूरसंचार सेवा सघनता वृद्धि की बात कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि इसमें समय लगेगा। इसकी दीर्घकालीन कीमत होगी। यदि सरकार इस क्षेत्र में 74 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देती है तो क्या इससे घरेलु उद्योग को दीर्घकालिक अवधि में समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। इससे हमारी उद्यमशीलता और व्यावसायिक नेतृत्व का क्या होगा? यह हो सकता है कि जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा है इससे दूरसंचार सेवा सघनता की प्रगति तालिका में हम अपने लक्ष्यों को पाँच वर्षों के बजाय तीन वर्ष की अवधि में प्राप्त कर लें। परन्तु मेरा ऐसा मानना है कि आखिरकार भारत के लोगों को इस लक्ष्य की प्राप्ति की कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके लिए कुछ और वर्षों का समय लेकर घरेलु उद्योग को प्रोत्साहन देकर और

दूरसंचार क्षेत्र के विकास से लक्ष्य की प्राप्ति क्यों नहीं की जाती ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये उद्योग अपनी स्थिति सुदृढ़ कर सकें।

इसमें सुरक्षा का दृष्टिकोण भी सम्मिलित है। 74 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से भारतीय दूरसंचार नेटवर्क विदेशी संचालकों के हाथ में चला जाएगा। आज मैं यह कल्पना नहीं करता कि यदि मैं बी.एस.एन.एल. के टेलीफोन पर बात करता हूँ तो उसे रिकार्ड करके सिंगापुर और चीन में स्थित कम्पनी के लोगों द्वारा सुना जा सकता है।

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति तथा देश के सामरिक हितों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं।

श्री दयानिधि मारन : हमारे देश में दूरसंचार के उपकरणों का निर्माण घरेलु स्तर पर बहुत अधिक नहीं है। इनमें से अधिकांश को हम देश के बाहर से आयात कर रहे हैं। कुछ विदेशी उद्योग इसमें रूचि दिखा रहे हैं।

अब माननीय सदस्य के मुख्य अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए मैं बताना चाहूंगा कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। यह अंतर–मंत्रालीय विचार विमर्श में रखा गया है। विभिन्न मंत्रालयों ने इस संबंध में अपनी चिन्ता दर्शायी है। हम उनका समाधान कर रहे हैं। हमारे अंतर–मंत्रालीय विचार–विमर्श के पूरा होने के बाद हम इस विषय पर आवश्यक अधिसूचना लायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती निवेदिता माने – अनुपस्थित।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : आज माननीय मंत्रीजी से पूछा जाना वाला मेरा प्रश्न दूरसंचार सघनता से संबंधित है। इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि आज की आवश्यकताओं के अनुरूप देश में दूरसंचार नेटवर्क बिछाने के लिए हमारे पास पर्याप्त पूंजी नहीं है एक तरफ तो हमारे पास सरकारी घरेलु कम्पनियाँ हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ने के अपने सामाजिक दायित्व को पूरा करती है। दूसरी तरफ निजी आपरेटर अपने निर्धारित सामाजिक दायित्व के चार्टर को पूरा नहीं करते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि निजी आपरेटर भी ग्रामीण सम्पर्कता के अपने सामाजिक दायित्व चार्टर को पूरा करें, मंत्रालय द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं क्योंकि भारत मुख्य रुप से गाँवों में बसता है शहरों में नहीं।

श्री दयानिधि मारन : माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में शहरों में यह सघनता लगभग 25 प्रतिशत है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह 1.5 प्रतिशत से 1.8 प्रतिशत तक ही है। हमने यू. एस. ओ. निधि का गठन किया है जिसमें से ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार नेटवर्क बिछाने का प्रस्ताव है।

डा. आर. सेनथिल : महोदय सी. एम. पी. में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अल्पसंख्यकों के लिए प्रावधान किया गया है। अपनी पार्टी की तरफ से हम इसमें 'अन्य पिछड़ा वर्ग' को सम्मिलित किये जाने की माँग करते हैं। इस प्रश्न की प्रासंगिकता यही है। जब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आएगा तो क्या वर्तमान पैट्रन के अनुरूप आरक्षण प्रदान किये जाने को अनिवार्य बनाया जाएगा?

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि इस प्रश्न का जवाब दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री महोदय ने भी आपकी बात सुनी है।

श्री असादुद्दीन ओवेसी : अपने जवाब में माननीय मंत्री जी ने दूरसंचार सघनता के बारे में कहा है। परन्तु हमने वर्ष 2005 के दूरसंचार सघनता के लक्ष्य को पहले ही प्राप्त कर लिया है। वर्ष 2005 के निर्धारित लक्ष्यों को हम एक वर्ष पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। अमरीका, कनाड़ा, फ्रांस, जापान, कोरिया, मैक्सिको, तुर्की, पोलैंड, मलेशिया, फिलीपीन, थाईलैन्ड, सिंगापुर और आस्ट्रेलिया जैसे देशों ने अपने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 49 प्रतिशत से कम पर सीमित रखा है। जब हम निर्धारित लक्ष्यों को पहले ही प्राप्त कर चुके हैं तथा सुरक्षा की जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्रीजी इसका विशिष्ट उत्तर देंगे कि सुरक्षा ऐजेंसियाँ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वृद्धि के पक्ष में हैं या नहीं? क्योंकि वे पहले ही बता चुके हैं कि हमें विदेशों से मशीनरी आयात करनी पड़ती है। यह एक बहुत ही संवेदनशील मामला है। क्या मंत्रीजी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि के मामले में हमारी सुरक्षा एजेंसियों की राय के बारे में विशिष्ट रूप से बता सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय : यह मंत्री जी के विचाराधीन है। उनका निश्चित मत है कि सुरक्षा मामलों की छानबीन की जाएगी। मैंने उनकी तरफ से जवाब दिया है।

[हिन्दी]

श्रीमती किरण माहेश्वरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि टेलीफोन कनेक्शन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने करीब छः – छः साल से पैसे जमा करा रखे हैं। मैं राजस्थान की बात खास तौर से कहना चाहती हूं जहां कनेक्शन नहीं दिए गए, क्या उसके बारे में कोई स्पष्ट नीति भी नहीं बनाई गई। ये कनैक्शंस या तो दिये जायें या इनका पैसा लौटाया जाये, दोनों में से कम से कम एक बात सरकार करे, क्योंकि कनैक्शन नहीं देने के अभाव में टेलीकॉम ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैडम, आप फॉरेन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछिये।

[अनुवाद]

यह प्रश्न नहीं है? महोदया, प्रश्न प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा के बारे में है।

अब श्री पी. मोहन अंग्रेजी में बोलेंगे।

श्री पी. मोहन : महोदय सुरक्षा कारणों से आसूचना ब्यूरो तथा राजस्व आसूचना निदेशालय ने तत्कालीन राजग सरकार को पत्र लिखकर दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 49 प्रतिशत से अधिक करने को मना किया था। क्या अब वे कारण नहीं हैं। यहां तक कि अमरीका में भी दूरसंचार के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 25 प्रतिशत मात्र है। कनाड़ा, फ्रांस, जापान और अन्य विकसित देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 20 प्रतिशत मात्र ही है। यहाँ तक कि चीन में दूरसंचार, रेलवे और बीमा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति ही नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 74 प्रतिशत तक बढ़ाने की क्या आवश्यकता है? अतः मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूँगा कि क्या दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने के लिए कोई अतर्राष्ट्रीय दबाव है।

श्री दयानिधि मारन : मैं बताना चाहूँगा कि कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव नहीं है बल्कि राष्ट्रीय हित के कारण क्योंकि हमारे नागरिक शीघ्रातिशीघ्र टेलीफोन कनेक्शन पाना चाहते हैं। मैं यह भी बताना चाहूँगा कि माननीय सदस्य यह गलत कह रहे हैं कि अमेरिका में इस पर पूर्णतया प्रतिबंध है। मैं यहां दूरसंचार क्षेत्र में 74 प्रतिशत से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने वाले देशों के नामों की सूची पढ़ना चाहूंगा-आस्ट्रेलिया, हांगकांग, जापान, सिंगापुर, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, रूस, स्वीडन और स्विटज़रलैंड। यहाँ तक कि कतिपय शर्तों के साथ पाकिस्तान और श्रीलंका में शतप्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गयी है।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि दूरसंचार क्षेत्र, जो कि अन्य रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा जिसका चतुर्मिक विकास पर काफी प्रभाव है, के प्रसार को बढ़ाने के लिए इसमें निवेश को बढ़ाने की आवश्यकता है तथा दूरसंचार सेवाओं की पूरे देश में विस्तार करने की जरूरत है। मैं श्री सिंधिया के प्रश्न का विस्तार करते हुए कहना चाहूँगा कि चूँकि हमारा यह पिछला अनुभव रहा है कि निजी क्षेत्र ने, जो हाल ही में इस क्षेत्र में लाए गए हैं, वी.पी.टीज. उपलब्ध कराने सम्बंधी अपने वादों को भी वास्तव में पूरा नहीं किया है। जब आप प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को नये भागीदारों को लाकर विस्तार देते हैं तो क्या आप यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे यू.एस.ओ. पर विचार किए बिना ही सेवा दायित्वों को पूरा करेंगे, आप उनके लिए यह आवश्यक बनाएंगे। जैसा कि यू.एस.ओ. में सोचा गया था। लेकिन कुछ मूलभूत दायित्व भी हैं जिन्हें उनके द्वारा पूरा किया जाना चाहिए। क्या वे इसे पूरा करेंगे? हम इसे कैसे सुनिश्चित करेंगे? क्योंकि पिछले सात वर्षों में हम यह सुनिश्चित करने में असफल रहे हैं कि वे लोग अपने वादे पूरे करें।

श्री दयानिधि मारन : महोदय, मैं प्रश्न संख्या 307 का उत्तर देने की प्रतीक्षा में था क्योंकि उनका प्रश्न इससे संबंधित है। लेकिन फिर भी मैं उनके प्रश्न का जवाब दे सकता हूँ। निजी क्षेत्र के प्रचालकों के सेवा दायित्वों में छूट दी गई है लेकिन इसकी पूर्ति करने के लिए हमने कोष का निर्माण किया है, यह यू. एस. ओ. नामक कोष है जिसमें अनुज्ञप्ति शुल्क के 50 से 60 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में टेलिफोन सेवा उपलब्ध करने के लिए निर्धारित किया गया है।

श्री पवन कुमार बंसल : यू. एस. ओ. में अंशदान बी.एस.एन. एल. द्वारा किया जा रहा है जबकि यह निजी क्षेत्र ही है जो अपने दायित्वों को पूरा करने में असफल रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आपको उत्तर देने की जरूरत नहीं। लेकिन आपने इसे सुन लिया है। श्री गुरूदास दास गुप्ता कृपया कोई भी भड़काने वाला प्रश्न मत पूछें।

श्री गुरूदास दासगुप्त : महोदया, भारत में दूर-संचार प्रणाली का व्यापक विस्तार हुआ है और इसके लिए श्री राजीव गाँधी की नीतियों को धन्यवाद देना चाहूँगा। हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना ही चाहिए। उस समय हमें विदेशी धन की आवश्यकता नहीं थी, हम इसे बिना विदेशी धन के पूरा नहीं कर पाते। लेकिन आज आप 74 प्रतिशत तक शेयर खुले बाजार में बेचने जा रहे हैं इस आशा में कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश होगा? इसका मतलब है कि आपको अपने संसाधनों पर भरोसा नहीं है न ही आपको अपने राजस्व पर भरोसा है। इसलिए आपको बाहर से धन आपूर्ति पर भरोसा करना पड़ रहा है। इसलिए मेरा विशिष्ट प्रश्न यह है कि उस शिकायतों को ध्यान में रखते हुए जो कि निजी प्रचालकों के कारण, जिसमें रिलायंस और टाटा भी सम्मिलित हैं, आए दिन दिख रही हैं, आप इस निष्कर्ष पर कैसे पहुँचे कि बाहरी निजी प्रचालक अपने दायित्वों को पूरा करेंगे?

मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है। इस सम्बंध में आर्थिक सोच क्या है? आप इसे कैसे लेते हैं?...*(व्यवधान)* भारत में धन की उपलब्धा पर ध्यान दिए बिना, जबकि यहाँ बैंकों में काफी पैसा है, आप बाहर से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को लाने के सम्बंध में आर्थिक दृष्टि क्या है?

श्री दयानिधि मारन : मुझे माननीय सदस्य के प्रश्न का जवाब देने दीजिए। हमारे यहाँ बहुत से निजी प्रचालक है जिनका भारत में दूर संचार के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वस्तुतः मोबाइल के क्षेत्र में, जो भारत में स्थायी टेलिफोन से आगे निकल चुका है, यहाँ इस समय 45 मिलीयन कनेक्शन हैं जिसमें से 80 प्रतिशत निजी क्षेत्र के हैं। राज्य द्वारा संचालित बी.एस.एन.एल. और एम.टी. एन.एल. की भागीदारी केवल 20 प्रतिशत है। निजी प्रचालकों की ओर से मांग की जा रही है कि उन्हें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की

आवश्यकता है। हम इसे समझ रहे हैं और इसका स्वागत करते हैं। मैं यह आश्वासन दे सकता हूं कि हम जिन सुरक्षा उपायों पर विचार कर रहे हैं उस पर हम पूर्व सावधानी रख रहे हैं। हम उन्हें आँखे बंद करके नहीं अपना रहे हैं।

श्री गुरूदास दासगुप्त : प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की ओर देखने का आर्थिक कारण क्या है? आप भारत में ही पैसे का प्रबंध क्यों नहीं कर सकते?

श्री दयानिधि मारन : यह विकल्प निजी क्षेत्र के लिए खुला है। यह उनको निर्णय करना है कि वे पैसे कहाँ से प्राप्त करेंगे... *(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त : आप प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्यों चाहते हैं? आप मेरे प्रश्न के मूल आशय पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह पूरी तरह व्याख्यात्मक नहीं हो सकता।

श्री गुरूदास दासगुप्त : मंत्री महोदय, आप कृपया मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। आप प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। कृपया बैठ जाइए। मंत्री महोदय, वे यह पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या आप पहले स्थानीय; राष्ट्रीय स्रोतों से संसाधन जुटाने की कोशिश करेंगे।

श्री दयानिधि मारन : यह निजी क्षेत्र के लोगों पर निर्भर करता है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार बीच-बीच में प्रश्न के उत्तर नहीं दिए जा सकते। इसलिए आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ।

श्री बसुदेव आचार्य। यदि यह कोई नया प्रश्न हुआ। इस प्रश्न में यह अंतिम अनुपूरक प्रश्न होगा।

श्री गुरूदास दासगुप्त : मंत्री महोदय, आपने भारत में ही संसाधनों की खोज करने सम्बन्धी प्रश्न की पूरी तरह से उपेक्षा कर दी है ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : तर्क यह है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बिना भारत में पूँजी का अभाव रहेगा और वह आपने यहाँ दूर संचार का विस्तार नहीं कर पायेगा। कई देश हैं। वे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा हटाए बिना ही दूर संचार घनत्व में वृद्धि बनाए रखने की स्थिति में हैं। इसलिए भारत के साथ ऐसा क्यों आवश्यक है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा हटाई जानी चाहिए और इसे 19 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर दिया जाए? बहुत से देश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा हटाए बिना अपने देश में दूर संचार घनत्व बढ़ाने में सक्षम रहे हैं। आप अपने संसाधनों का उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही इसका उल्लेख कर दिया है। इसको दोहराया नहीं जाना चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य : उन्होंने उस प्रश्न का जवाब नहीं दिया।

श्री दयानिधि मारन : इस 74 प्रतिशत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर छाए संशय को मुझे स्पष्ट करने दीजिए। इस समय हम 49 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दे रहे हैं। शेष 51 प्रतिशत में से 49 प्रतिशत अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश से आ रहा है। यदि आप इस सभी का योग करते हैं तो वर्तमान में हमारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 73.99 प्रतिशत बनता है। इसलिए हम अब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 74 प्रतिशत पर स्थायी करने जा रहे हैं। हम यही करने वाले हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह गणना में सरल है। अब हम दूसरा प्रश्न पूछते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह एक महत्वपूर्ण विषय है। मैं इसे समझता हूं और इसकी सराहना करता हूं। प्रत्येक व्यक्ति इस बात को समझ गया है।

अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास

+

*305. **श्री सनत कुमार मंडल :**

श्री प्रबोध पाण्डा :

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है;

(घ) देश में अंतर्देशीय जलमार्गों की कुल लम्बाई कितनी है;

(ङ) दसवीं योजना के दौरान कितनी लम्बाई के अंतर्देशीय जलमार्गों का सृजन किया जाएगा; और

(च) देश में अंतर्देशीय जलमार्ग सुविधाओं को बढ़ावा देने हेतु क्रियान्वित की गई परियोजनाओं/की जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (च) इस बारे में विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश, बिहार झाड़खंड और पश्चिम

बंगाल–राज्यों में हल्दिया से इलाहाबाद तक गंगा नदी, असम में धुबरी से सदिया तक ब्रह्मपुत्र नदी और केरल में कोट्टापुरम से कोल्लम तक पश्चिमी तट–नहर के साथ उद्योगमंडल और चंपाकारा–नहर को तीन राष्ट्रीय जलमार्गों के रूप में घोषित कर दिया गया है। तद्नुसार, इन राष्ट्रीय जलमार्गों पर विकास से संबंधित कार्य शुरू कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, केन्द्र–सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत, वित्तीय वर्ष, 2003–2004 के दौरान छः राज्यों से मिले 15 प्रस्ताव अनुमोदित कर दिए गए हैं। इस बारे में ब्यौरा, अनुबंध में दर्शाया जा रहा है।

(घ) नौवहन के योग्य अंतर्देशीय जलमार्गों की कुल लंबाई 14,500 कि.मी. होने का अनुमान है।

(ङ) कुल 1858 कि.मी. के तीन नए जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्गों के रूप में घोषित किया जाना विचाराधीन है।

(च) विभिन्न जल–खंडों पर नौवहन के लिए उपयुक्त गहराई उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सुजल मार्ग (फ़ेयरवे) के विकास और संरक्षण से संबंधित कार्य शुरू कर दिए गए हैं।

टर्मिनल :

(i) **राष्ट्रीय जलमार्ग सं.-1** :- हल्दिया, कोलकाता, कारागोला, भागलपुर, मुँगेर, पटना, वाराणसी, चुनार और इलाहाबाद में तैरती हुई (फ़्लोटिंग) जेटियाँ उपलब्ध करवा दी गई हैं और कोलकाता, फरक्का और पाकुर में कंक्रीट से बनी स्थिर जेटियाँ उपलब्ध करवा दी गई हैं। पटना में स्थायी टर्मिनल के निर्माण का कार्य चल रहा है और मार्च, 2005 तक इस टर्मिनल पर कार्य करना प्रारंभ कर दिए जाने की संभावना है।

(ii) **राष्ट्रीय जलमार्ग सं.-2** :- धुबरी, जोगीघोपा और पांडु में तैरती हुई (फ़्लोटिंग) जेटियाँ उपलब्ध करवा दी गई है। आवश्यकता के अनुसार, विभिन्न स्थानों पर तैरती हुई (फ़्लोटिंग) जेटियाँ उपलब्ध करवाने के लिए पाँच पंटूनों का निर्माण करवा दिया गया है। पांडु में स्थायी टर्मिनल के निर्माण से संबंधित कार्य चल रहा है और वर्ष, 2005 के अंत तक इस टर्मिनल पर कार्य करना प्रारंभ कर दिए जाने की उम्मीद है।

(iii) **राष्ट्रीय जलमार्ग सं.-3** :- ग्यारह स्थानों पर टर्मिनल स्थापित किए जाने की योजना है, जिनमें से कोट्टापुरम, अलुवा और कायमकुलम टर्मिनलों के निर्माण से संबंधित कार्य पूरा कर लिया गया है और चार अन्य स्थानों पर टर्मिनलों के निर्माण से संबंधित कार्य चल रहा है।

नौचालन से संबंधित सहायता और सुविधाएँ:

राष्ट्रीय जलमार्ग सं.-1 :- त्रिवेनी और फरक्का के बीच दिन के समय प्रयुक्त किए जाने वाले नौचालन की सुविधा से संबंधित चिह्न उपलब्ध करवा दिए गए हैं और रात के समय नौचालन की सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है। फरक्का–पटना– जलखंड पर रात के समय नौचालन की सुविधा, मार्च 2005 तक उपलब्ध करवा दिए जाने की योजना है।

राष्ट्रीय जलमार्ग सं.- 2 :- धुबरी और चन्द्रादिंघा के बीच दिन के समय प्रयुक्त किए जाने वाले नौचालन की सुविधा से संबंधित चिह्न उपलब्ध करवा दिए गए हैं और रात के समय नौचालन की सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है। चन्द्रादिंघा–गुवाहाटी–जलखंड पर रात के समय नौचालन की सुविधा, मार्च, 2005 तक उपलब्ध करवा दिए जाने की योजना है।

राष्ट्रीय जलमार्ग सं.-3 :- उद्योगमंडल और चंपाकारा–नहरों के साथ–साथ कोच्चि–अलपुजा जलखंड पर भी दिन के समय प्रयुक्त किए जाने वाले नौचालन की सुविधा से संबंधित चिह्न उपलब्ध करवा दिए गए हैं।

अनुबंध

वित्तीय वर्ष 2003–04 के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएँ

बजट अनुमान 2003–04 प्रावधान – 2.00 करोड़ रु.

संशोधित अनुमान 2003–04 प्रावधान – 10.00 करोड़ रु.

वास्तविक व्यय – 2003–04 – 9.8539 करोड़ रु.

बजट अनुमान – 2004–05 प्रावधान – 20.00 करोड़ रु.

क्र.सं.	स्कीम का नाम	राज्य	अनुमानित लागत	2003–04 के दौरान दे दी गई धनराशि
1	2	3	4	5
1.	त्रिवेणी तथा फरक्का के बीच राष्ट्रीय जलमार्ग नं. 1 में गैंगवे पन्टून टाइप फ्लोटिंग जेटी (53) तथा एल सी टी (4) के लिए आर सी सी स्लिप वे जेटी टाइप का निर्माण (फा. सं. आई डब्ल्यू – 14013/3/2003–आई डब्ल्यू टी)	पश्चिम बंगाल	2261.50	452.00

1	2	3	4	5
2.	उड़ीसा राज्य में जलमार्ग विकास पर डीपीआर की तैयारी तथा आई डब्ल्यू टी क्षेत्र का भावी विकास (फा. सं. आई डब्ल्यू–14013/6/2003–आई डब्ल्यू टी)	उड़ीसा	10.30	2.06
3.	विद्यमान सुविधाओं के उन्न्यन के लिए उड़ीसा राज्य मे डब्ल्यू टी क्षेत्र का विकास (फा. सं. आई डब्ल्यू – 14013/10/2003–आई डब्ल्यू टी)	उड़ीसा	204.40	40.80
4.	पटना में नदी के सामने विकास के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना जिसका उद्देश्य आई डब्ल्यू टी. आधारित पर्यटन है। (फा. सं. आई. डब्ल्यू–14013/10/2003–आई डब्ल्यू टी)	बिहार	25.00	5.00
5.	हाइड्रोमारफ़ोलोजीकल आंकड़ों का संकलन तथा गन्डक नदी में आई डब्ल्यू टी सुविधाओं के विकास के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना। (फा. सं. आई. डब्ल्यू–14013/11/2003–आई डब्ल्यू टी)	बिहार	30.00	5.00
6.	हाइड्रोमारफोलोजीकल आंकड़ों का संकलन तथा गन्डक नदी में आई डब्ल्यू टी सुविधाओं के विकास के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना। (फा. सं. आई. डब्ल्यू–14013/12/2003–आई डब्ल्यू टी)	बिहार	30.00	6.00
7.	हाइड्रोमारफोलोजीकल आकड़ों का संकलन तथा सोन नदी में आई डब्ल्यू टी सुविधाओं के विकास के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना। (फा. सं. आई. डब्ल्यू–14013/13/2003–आई डब्ल्यू टी)	बिहार	30.00	5.00
8.	कर्नाटक में आई डब्ल्यू टी के विकास के लिए तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन/सर्वेक्षण ((फा. सं. आई. डब्ल्यू–14013/12/2004–आई डब्ल्यू टी)	कर्नाटक	56.70	11.34
9.	गोदावरी नदी, विष्णुपुरी के समीप, महाराष्ट्र में आई डब्ल्यू टी का विकास (फा. सं. आई. डब्ल्यू–14013/09/2002–आई डब्ल्यू टी)	महाराष्ट्र	272.21	48.99
10.	महाराष्ट्र में दक्षिणी मुम्बाई में मान्डा तक (अम्बा नदी/धर्मतर क्रीक) तथा उसके विलोमत आई डब्ल्यू टी का विकास (फा. सं. आई. डब्ल्यू–14013/1/2004–आई डब्ल्यू टी)	महाराष्ट्र	410.95	82.00
11.	महाराष्ट्र में दक्षिणी मुम्बाई में करन्जा तक (अम्बा नदी/धर्मतर क्रीक) तथा उसके विपरीत आई डब्ल्यू टी का विकास (फा. सं. आई. डब्ल्यू–14013/1/2004–आई डब्ल्यू टी)	महाराष्ट्र	481.54	96.00
12.	महाराष्ट्र में राजपुरी पर माशला/मन्डाड नदी (राजपुरी क्रीक) में आई डब्ल्यू टी का विकास (फा. सं. आई. डब्ल्यू–14013/3/2004–आई डब्ल्यू टी)	महाराष्ट्र	469.45	93.00
13.	महाराष्ट्र मे झंजीरा किला के समीप माशला/मन्डाड नदी (राजपुरी क्रीक) में अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास (फा. सं. आई. डब्ल्यू-14013/7/2004–आई डब्ल्यू टी)	महाराष्ट्र	124.60	16.20
14.	ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर टर्मिनल–सुविधा (फा. सं. आई. डब्ल्यू–14013/8/2004–आई डब्ल्यू टी)	असम	260.40	52.00
15.	ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर टर्मिनल–सुविधा (फा. सं. आई. डब्ल्यू-14013/9/2004–आई डब्ल्यू टी)	असम	351.68	70.00
		जोड़	5018.73	985.39

श्री सनत कुमार मंडल : महोदय, मैंने माननीय मंत्री के वक्तव्य को पढ़ा है। उत्तर में इस बात का उल्लेख है कि तीन नए जल मार्गों को जिनकी लम्बाई 1858 किलोमीटर है को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित करने का काम सरकार के विचाराधीन है। मैं तीनो नए जलमार्गों का ब्यौरा सरकार से चाहता हूं। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या सुन्दरवन जलमार्ग इस प्रस्ताव में सम्मिलित हैं अथवा नहीं। यदि हां, तो उसका ब्यौरा दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : इस समय कोई ब्यौरा नहीं दिया जा सकता। कृपया बताएं कि सुन्दर वन इसमें सम्मिलित हैं या नहीं।

श्री टी. आर. बालू : महोदय, सुन्दरवन जल मार्ग को इस प्रस्ताव में लाने की घोषणा करने में कठिनाइयां हैं क्योंकि पर्यावरण मंत्रालय ने इस पर चिंता व्यक्त की है। इसलिए हम एक सर्वेक्षण कराना चाहते हैं और इस कार्य को अलग से करना चाहते हैं। इसलिए हम अध्ययन रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपकी सोच खुली है।

श्री टी. आर. बालू : जी महोदय, मेरी सोच खुली है।

श्री सनत कुमार मंडल : महोदय इस परियोजना के लिए पर्यावरण सम्बंधी अनुमति देने में सरकार के सामने कौन सी बाधा है। यदि यह अभी तक नहीं दी गई है तो मैं जानना चाहूँगा कि सुन्दरवन अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के लिए यह अनुमति कब दी जाएगी।

श्री टी. आर. बालू : महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। वर्तमान में अध्ययन जारी है। जब अध्ययन समाप्त हो जाएगा तो मैं मंत्रिमंडल से अनुमोदन मागूंगा। और इस संबंध में कानून के अधिनियमन के लिए मुझे एक बार फिर संसद के समक्ष आना होगा।

श्री सनत कुमार मंडल : यह कब पूरा होगा?

श्री टी. आर. बालू : जब अध्ययन समाप्त हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : यथाशीघ्र ! कुछ तो कहिए।

श्री टी. आर. बालू : जब अध्ययन समाप्त हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रबोध पाण्डा – अनुपस्थित।

श्री एन. एस. वी. चित्तन : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी द्वारा प्रस्तुत विवरण में तमिलनाडु के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। हमारे राज्य में अंतर्देशीय जलमार्ग के विकास की व्यापक सम्भावनाएं है। अतः राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए क्या संप्रग सरकार विशेषकर हमारे माननीय मंत्रीजी ने अगले वर्ष से तमिलनाडु के लिए और अधिक परियोजनाएं शुरू करने के लिए कदम उठाये हैं?

श्री टी. आर. बालू : महोदय, कुछ परियोजनाएं पूरी होने वाली हैं और मैं तीन नए राष्ट्रीय जलमार्गों का प्रस्ताव स्वीकृति के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष रख रहा हूं। मंत्रिमंडल से उचित स्वीकृति मिलने के बाद इन्हें संसद द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही मैं यह बताना चाहूंगा कि मरक्कणम–काकीनाडा बकिंघम नहर परियोजना, जो कि 1,079 किलोमीटर लम्बी है, का प्रस्ताव भी मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा।

श्री ए. वी. बेल्लारमिन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहूँगा कि क्या सरकार को यह जानकारी है कि कन्याकुमारी और तिरूअनंतपुरम के बीच ए. वी. एम. नहर पूर्व में एक जलमार्ग था और इससे यात्रियों की आवाजाही और व्यापार किया जाता था। हाल ही में इसका अतिक्रमण करके इसे बेकार कर दिया गया। मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या सरकार के पास यातायात के इस प्राचीन जलमार्ग के नवीकरण का कोई प्रस्ताव है जिससे कन्याकुमारी और तिरूवनंतपुरम के बीच यातायात की भीड़ कम हो सके तथा आय–स्रोत का सृजन हो पाए और पर्यटकों को आकृष्ट किया जा सके।

श्री टी. आर. बालू : महोदय, इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। 1980 में राष्ट्रीय यातायात नीति समिति ने देश में कुछ जलमार्गों का निर्धारण किया था और ऐसे लगभग 10 जलमार्गों की पहचान की गई है। हम इन चिन्हित जलमार्गों पर कार्य करने की योजना बना रहे हैं। जब तक कि माननीय सदस्य द्वारा बताया गया जलमार्ग असाधारण रूप से लाभकारी परियोजना न हो हम उसे यथारूप स्वीकार नहीं कर सकते।

श्री खीरेन रिजीजू : अध्यक्ष महोदय, व्यवहार्यता के कारण जलमार्ग यातायात प्रणाली अधिकांशतः मैदानी क्षेत्रों में ही संचालित की जाती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या सरकार के पास पहाड़ी क्षेत्रों में भी इसे शुरू करने का कोई प्रस्ताव है। क्या यह व्यवहार्य है या क्या पूर्वोत्तर राज्यों के विशिष्ट संदर्भ में इसका कोई अध्ययन किया जा रहा है।

माननीय मंत्री जी ने पूर्वोत्तर राज्यों के संसद सदस्यों की दो बार बैठक बुलायी है और उन्होंने भी इस संबंध में आग्रह किया है। मैं जानना चाहूँगा कि क्या कोई ऐसा प्रस्ताव सरकार के पास है। यदि नहीं, तो मैं मंत्री महोदय से इस मामले की छानबीन करने का आग्रह करूंगा।

श्री टी. आर. बालू : महोदय, डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यह सरकार और संप्रग नेता श्रीमती सोनिया गाँधी चाहते हैं कि पूर्वोत्तर के लिए हर संभव उपाय किये जाएं। मेरे मित्र ने पहाड़ी क्षेत्र के बारे में कुछ कहा है, उन्होंने शायद पूर्वोत्तर क्षेत्र के संदर्भ में ही कुछ कहा है। मैंने पूर्वोत्तर के अपने मित्रों के साथ कल ही तीन घंटे की एक बैठक बुलायी थी और हमने गहन रूप से इस मामले

पर विचार–विमर्श किया था। इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि किसी विशेष जलमार्ग के बारे में कोई विशिष्ट परियोजना लेनी हो तो मेरे मित्र उसके बारे में मुझे बता सकते हैं। मैं निश्चित रूप से इस पर विचार करूँगा कि इस मामले में कुछ किया जा सकता है या नहीं।

प्रो. के. एम. कादर मोहिदीन : महोदय, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद।

मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार के पास बकिंघम नहर को फिर से खोलने का कोई प्रस्ताव है जो कि ब्रिटिश सरकार के दिनों से ही वस्तुओं के यातायात के साथ–साथ यात्रियों की आवाजाही के लिए उपयोग में लाई जाती थी। महोदय, बकिंघम नहर के साथ ही तमिलनाडु के चेन्नई शहर में कोउम नदी है। भारत सरकार को बकिंघम नहर के साथ–साथ कोउम नदी की सफाई के लिए आगे आना चाहिये ताकि इसे वस्तुओं के साथ–साथ यात्रियों के यातायात के लिए उपयोग में लायी जा सके। मैं जानना चाहूँगा कि क्या सरकार इसे शीघ्रातिशीघ्र कार्यशील बनायेगी।

श्री टी. आर. बालू : महोदय, जहाँ तक कोउम नदी का संबंध है, पूर्ववर्ती सरकार ने इसके लिए लगभग 500 करोड़ रुपए स्वीकृत किये थे। हमें यह देखना है कि चेन्नई के शहरी जलमार्गों का साफ किया जाए। परन्तु मैं नहीं समझता कि राज्य सरकार, कार्यान्वयन एजेंसी ने इस बारे में यथेष्ट प्रगति नहीं की है।

जहाँ तक बकिंघम नहर का संबंध है, इसे पहले ही दोबारा खोल दिया गया है। मैंने यही कहा था और इसके लिए मंत्रिमंडलीय स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह : इलाहाबाद से बनारस, पटना होते हुए कोलकाता तक वाटर–वे घोषित करना था। क्या सरकार ने इस पर कोई कार्यवाही की है, अगर नहीं, तो कब तक करने का विचार है?

[अनुवाद]

श्री टी. आर. बालू : महोदय, पूर्वी तटीय नहर जो कि हाल ही में महानदी डेल्टा में मिल गया है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम : उन्होंने इलाहाबाद से कोलकाता के बारे में सवाल पूछा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वे इलाहाबाद से कोलकाता के बीच के जलमार्ग के बारे में जानना चाहते हैं।

श्री टी. आर. बालू : इलाहाबाद और हल्दिया के बीच वर्तमान में एक जलमार्ग है।

अध्यक्ष महोदय : वहां वर्तमान में एक जलमार्ग है। बेहतर यही होगा कि आप कुछ माल वहां ले जाएं।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने लिखित जवाब में कहा है कि भिन्न–भिन्न राज्यों से प्रायोजित प्रस्ताव आए हैं, उनमें महाराष्ट्र सरकार द्वारा भी पांच परियोजनाएं यहां भेजी गई हैं। उनकी जो अनुमानित लागत है, उसके परिप्रेक्ष्य में जो धनराशि दी गई है, वह बहुत ही अल्प है। ये पांचों परियोजनाएं निश्चित रूप से सफल होने वाली परियोजनाएं हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इन्हें समय पर आवश्यक धनराशि देने के लिए भारत सरकार की ओर से क्या प्रयास किए जाएंगे?

[अनुवाद]

श्री टी. आर. बालू : महोदय, जहाँ तक इन पाँच परियोजनाओं का संबंध है, माननीय सदस्य यह जानते ही होंगे कि हमने इसके लिए कुछ धनराशि स्वीकृत की है। जैसे ही धनराशि का उपयोग कर लिया जाएगा और उपयोगिता प्रमाणपत्र हमारे पास भेज दिया जाएगा धनराशि दे दी जाएगी।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : महोदय, माननीय सदस्य बकिंघम नहर का जलमार्ग के रूप में संदर्भ दे रहे थे। यह नया प्रस्ताव नहीं है। काकीनाडा और चेन्नई को जोड़ने वाली यह एक प्राचीन नहर है। इसे पुनः शुरू किया जाना है। कागज़ों में वे इस मुद्दे पर विचार कर रहे हैं परन्तु उन्होंने अभी–अभी बताया है कि प्रस्ताव को अभी मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। मैं मंत्री महोदय से इस परियोजना का वास्तविक विवरण जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्रिमंडल की महत्व जानते हैं।

श्री टी. आर. बालू : महोदय, आन्ध्र प्रदेश से सदस्य श्री रेड्डी के संकेत पर संप्रग सरकार ने यह परियोजना बनायी है न कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा। छह महीने की अवधि के भीतर ही इस सरकार ने इसका अध्ययन करके प्रारूप परियोजना रिपोर्ट (डी.पी. आर.) तैयार की है। अब यह स्वीकृति हेतु मंत्रिमंडल के समक्ष है। मंत्रिमंडल से स्वीकृति के बाद यह आपके सामने आ जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : आन्ध्र प्रदेश और विशेषकर मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पश्चिम बंगाल के लिए कृपया एक विशिष्ट पैकेज प्रदान करें।

श्री पी. सी. थामस : महोदय, केरल के तटीय क्षेत्र से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–3 पूरा होने के बाद काफी सुन्दर

होगा हम इसे शीघ्रातिशीघ्र पूरा करेंगे। क्या आप सभा को बतायेंगे कि इसकी कब तक पूरा होने की सम्भावना है? मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इसको केरल के तटीय क्षेत्रों तक विस्तार का कोई प्रस्ताव है?

श्री टी. आर. बालू : राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या–3 की घोषणा 1993 में कर दी गयी थी। इसमें कई आंतरिक समस्याएं हैं। हम वहाँ नौपरियहन नहीं कर सकते। विभिन्न सामाजिक समस्याओं के कारण यह शत प्रतिशत नौपरिवहन जलमार्ग नहीं हो सकता मैं माननीय सदस्यों को उन समस्याओं के बारे में नहीं बता सकता। मैं इस मामले पर केरल के नए मुख्यमंत्री और सम्बद्ध संसद सदस्यों के साथ पहले ही विचार–विमर्श कर चुका हूँ। परन्तु कोई भी मेरे बचाव में नहीं आ रहा है।

अध्यक्ष महोदय : श्री थामस आपकी सहायता करेंगे।

श्री टी. आर. बालू : जहाँ तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है कोट्टापुरम और कोल्लम से आगे इसका विस्तार बिल्कुल सम्भव नहीं है जब तक कि यह विशेष समस्या सुलझायी नहीं जाती सरकार इस मामले को आगे नहीं बढ़ायेगी...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री

\+

*306. **श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :**

श्री तूफानी सरोज :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पेटेंट अधिकार प्राप्त कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां यूरोपीय देशों में प्रतिबंधित दवाओं को बड़े पैमाने पर हमारे देश में बेच रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इस व्यापार में शामिल कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में ऐसी कौन–कौन सी दवाएं बेची जा रही हैं जो यूरोपीय देशों में प्रतिबंधित हैं; और

(घ) सरकार द्वारा देश में ऐसी दवाओं को बेचने की अनुमति देने के क्या कारण हैं?

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

यूरोपीय देशों में प्रतिबंधित ऐसे पेटेंट औषधों का बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत में विपणन करने के बारे में कोई विशेष सूचना नहीं है।

विश्व भर में औषधों को प्रतिबंधित करने की कोई प्रणाली मौजूद नहीं है। कुछ देशों में बाजार से वापस ली गई औषधों का उपयोग अन्य देशों में जारी रह सकता है और किसी भी देश में औषध को प्रतिबंधित करने का निर्णय विभिन्न तथ्यों अर्थात उस देश में रोग का पैटर्न, किसी खास आबादी की कतिपय जातियों पर औषध का अलग–अलग प्रभाव, सुरक्षित विकल्पों की उपलब्धता और रोग के उपचार में होने वाले खर्च पर निर्भर करता है।

अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं या विश्व स्वास्थ्य संगठन न्यूज लेटर आदि में किसी गंभीर प्रतिकूल समाचार छपने के बाद भारत में औषधों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए समुचित तंत्र है। जिन औषध या फार्मूलेशनों का उपयोग कुछ विकसित देशों में बन्द करने की सूचना प्राप्त होती है उनका मूल्यांकन संबंधित विशेषज्ञता के जाने–माने विशेषज्ञों के परामर्श से किया जाता है। उनकी सलाह, तकनीकी सूचना और लाभ – जोखिम अनुपात, स्थानीय आवश्यकताओं आदि जैसे कारकों के आधार पर इस विषय पर औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय–औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड द्वारा विचार किया जाता है। इस बोर्ड नें चिकित्सा पेशा, राज्य औषध प्रवर्तन प्राधिकरण और अन्य विशेषज्ञ संस्थानों एवं एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। यह निकाय औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और नियमावली, 1945 के कार्यान्वयन से संबंधित तकनीकी विषयों पर सरकार को सलाह देता है।

इसके अतिरिक्त, देश में औषध उपयोग के प्रति प्रतिकूल प्रतिक्रिया से संबंधित आंकड़ा प्राप्त करने के लिए वर्ष 2004 में एक राष्ट्रीय फार्माकोविजिलेंस कार्यक्रम शुरू किया गया है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्योंकि इन्होंने जो जानकारी दी है वह बहुत अस्पष्ट दी है। मैंने जानना चाहा था कि ऐसी कौन सी प्रतिबंधित दवाइयां हैं जो भारत में बेची जा रही हैं। माननीय मंत्री जी ने जवाब में कह दिया कि उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं है और विश्व भर में औषधों को प्रतिबंधित करने की कोई प्रणाली मौजूद नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मोटापा घटाने वाली दो सर्वाधिक प्रचलित दवाइयां हैं रिडक्स और पालीमेर, जो अमरीका में प्रतिबंधित हैं।

श्री रघुनाथ झा : हमें कहां मिलती हैं?

श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी : आप लेना भी नहीं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस सभा में हंसी की आवाज सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इसका स्वागत करता हूं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी : हार्ट–अटैक हो जाता है, मानसिक विकृति आ जाती है और आपको तो बिना लिये ही मानसिक विकृति है, दवाई लेंगे तो और भी आ जाएगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने मजाक में ऐसा कहा है। आपका यह कहने का तात्पर्य नहीं है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी : अध्यक्ष जी, ये हमारे पुराने मित्र हैं। अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसी बहुत सी दर्दनाशक दवाइयां हैं जो प्रतिबंधित हैं। क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि जो दवाइयां विदेशों में प्रतिबंधित हो गयी हैं उन दवाइयों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां धड़ल्ले से भारत में बेच रही हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : निःसंदेह उन्होंने पिछले सप्ताह उत्तर दिया है। संक्षिप्त में उत्तर दीजिए।

डा. अंबुमणि रामदास : मैंने पिछले सप्ताह इस प्रश्न का उत्तर दिया है जब मैंने लगभग आधे घंटे से कम समय में मैंने इन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया था। एक बार फिर मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों की जानकारी में यह बात लाना चाहता हूं कि ऐसी कोई औषधि नहीं है जिसे विश्व भर में प्रतिबंधित किया गया हो। ऐसे कोई प्राधिकरण नहीं हैं जो औषधियों को विश्वभर में प्रतिबंधित कर दें। कुछ औषधियां जो किन्हीं देशों में प्रतिबंधित हैं। अन्य देशों में प्रयुक्त हो रही हैं, प्रत्येक देश में प्रत्येक औषधि के गुण–दोष तथा उसकी प्रभावकारिता की जांच के लिए उनकी अपनी प्रणाली, अपने विशेषज्ञ हैं, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : हमेशा अमरीकी मानकों का अनुसरण न करें। आपने यह कहा है।

श्री त्रिपाठी, अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी : अध्यक्ष जी, पूरे विश्व में समान नियम प्रतिबंध का चाहे न भी हो लेकिन जिन दवाइयों से अमरीका और यूरोप में लोग मर रहे हैं, उनके साइड–इफैक्ट्स हो रहे हैं, तो क्या भारत में आपने उन दवाइयों का परीक्षण करवाया है या ऐसा कुछ इंतजाम करवाया है कि वे दवाइयां यहां न बिकें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह एक बहुत प्रासंगिक प्रश्न है।

डा. अंबुमणि रामदास : महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं जिसे देने से आपने मुझे रोका था।

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि वह आवश्यक नहीं था।

डा. अंबुमणि रामदास : अब मैं वह बताऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

डा. अंबुमणि रामदास : महोदय, कतिपय औषधियां ऐसी हैं जिनका अलग–अलग व्यक्तियों पर अलग–अलग असर होता है। जैसे मेरे सहयोगी श्री मारन पर कतिपय औषधियां का कम प्रभाव हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय : आपने उनका चयन क्यों किया है? आप मेरे जैसे वृद्ध व्यक्ति का चयन करें।

डा. अंबुमणि रामदास : कतिपय औषधियों का मेरे जैसे व्यक्ति पर अधिक प्रभाव हो सकता है।

इस तरह व्यक्तियों के बीच अलग–अलग प्रभाव को फार्माकोजेनोमिक्स कहा जाता है। ऐसे कतिपय औषधियां हैं जिनका मानव जातीय उपपाचन होता है। विश्व के पश्चिमी भाग में श्वेत लोगों के लिए कुछ औषधियां प्रभावहीन रही हैं; वह भारतीय लोगों के लिए प्रभावकारी हो सकती है। इस तरह किसी औषधि को स्वतः रोक लगाने अथवा प्रतिबंधित करने का कोई प्रश्न नहीं है। उदाहरण के लिए एनलज़िन को लीजिए। विश्वभर में बहुत अधिक विरोधाभास चल रहा था। भारत में अभी भी इसका प्रयोग हो रहा है क्योंकि यह भारत में अकेले ही न कि किसी मिश्रण में प्रभावी है। ल्यूमिनीसाइड यूरोप, फिनलैंड और स्पेन में भी प्रतिबंधित है। भारत सहित विश्व में भी काफी समस्या थी। उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई थी। हमने इसके गुण–दोष देखे और पुनः हमने इस प्रक्रिया की समीक्षा की। वस्तुतः यूरोप और भारत में अभी भी इसका प्रयोग जारी है।

[हिन्दी]

श्री तूफानी सरोज : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या भारतीय औषधि

उत्पादक संघ ने हिन्दुस्तान में सरकार को विदेशी प्रतिबंधित दवाइयां की बिक्री रोकने के लिए कोई प्रतिवेदन दिया है? यदि हां तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या विदेशी औषधि निर्माता नई मॉलिक्यूल का ह्यूमन ट्रायल हिन्दुस्तान में कर रहे है? क्या सरकार को इसकी खबर है?

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास : महोदय, सरकार अन्य देशों में भी प्रतिबंधित ऐसी औषधियों की गहन निगरानी कर रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी आज की तारीख के अनुसार हमें उन औषधियों की सूची प्रदान करेगा जो अन्य देशों में प्रतिबंधित है और हम पुनरीक्षा करेंगे। हमारे देश में औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड तथा फार्माको सर्तकता समिति है। जो कोई भी जानकारी लेने हेतु प्रत्येक औषधि के गुण–दोष की जांच करती है। वस्तुतः फार्मा उद्योग को एक बड़ी भूमिका निभानी होती हैं। वे सरकार के साथ इन सभी नकली दवाइयों तथा अन्य देशों में प्रतिबंधित औषधियों को नष्ट करने की भूमिका भी निभा रहे हैं। वे यह बात हमारी जानकारी में लाते हैं। वस्तुतः फार्मा उद्योग अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा अन्य एजेंसियों से पहले हमारी जानकारी में यह बात ला रहे हैं।

उनके प्रश्न के दूसरे भाग के संबंध में औषध और सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम में अनुसूची 'म' को संशोधित किया गया है। कुछ समय से हमारे देश में नैदानिक परीक्षण हो रहे हैं। हम इन परीक्षणों पर कड़ी नजर रख रहे हैं। लोग भारत में आते हैं और नैदानिक परीक्षण करवाकर चले जाते हैं। हमारे देश में एक राष्ट्रीय आचार समिति है जो अधिक कड़ाई से इसकी गहराई में जाती है तथा फार्माको सतर्कता समिति देश में चल रहे समस्त कार्यक्रमों की भी निगरानी कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : चौधरी लाल सिंह। क्या आप अनुपूरक प्रश्न पूछने हेतु इच्छुक हैं?

चौधरी लाल सिंह : महोदय, मैं बहुत इच्छुक हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि क्या वह जानते हैं कि जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स हैं, उनमें कुछ हैरिटेज मैडिसिन्स हैं। उनका पेटेंट हमारी कंट्री ने करना था। लेकिन उसे अमेरिका और दूसरे देश कर रहे हैं। यह बात उससे जुड़ी है। क्या सरकार इस पर कोई रोक लगाएगी ताकि हैरिटेज मैडिसिन्स जो यहां बनी हैं उनको दूसरे पेंटेंट करके, हमारा मार्क लगा कर वहां बेचे।

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास : महोदय, माननीय सदस्य कुछ हद तक सही हैं। हमें समस्या थी। हमारी परम्परागत पद्धति को पेटेंट किया जा रहा है। उदाहरण के लिए लगभग सात–आठ वर्ष पूर्व अमरीका ने हल्दी को पेटेंट कर दिया था। वस्तुतः हमें पेटेंट को समाप्त करने हेतु लगभग 600 हजार डॉलर खर्च करने पड़े। इसके अलावा यूरोप में नीम को पेटेंट कर दिया था। इसके लिए हमने पारम्परिक प्रणालियों के लिए एक डिजिटल नॉलेज लाइब्रेरी बनाई जिसके अंतर्गत हम वर्तमान शास्त्रों के सहित 4000 वर्ष अथवा 5000 वर्ष से हमारे देश में मौजूद नुस्खे बना रहे हैं। हमें नुस्खे मिल रहे हैं और आयुर्वेदिक नुस्खों के लिए वस्तुतः हमने विश्व अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट संगठन (डब्ल्यू. आई. पी. ओ.) में 36,000 नुस्खे पंजीकृत किए थे। वस्तुतः हम यूनानी, होम्योपैथी, सिद्ध तथा अन्य प्रणालियों में भी अन्य सभी नुस्खों का पंजीकरण कर रहे हैं। इस तरह हम मामलों की जांच कर रहे हैं तथा देश में इन सभी पारम्परिक प्रणालियों तथा नुस्खों को पेटेंट करके सुरक्षोपाय करने की कोशिश कर रहे हैं।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी के ध्यान में यह बात है कि अमरीका में आयुर्वेदिक दवाओं के खिलाफ एक बहुत बड़ा वक्तव्य दिया गया है? क्या यह केवल इसीलिये है कि वहां आयुर्वेदिक दवायें ज्यादा प्रचलित हो रही हैं और उसके खिलाफ इस प्रकार की साज़िश की गई है। यदि ऐसा किया गया है, तो भारत सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ताकि यहां उन पर प्रतिबंध न लगा दिया जाये?

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास : महोदय, कुछ दिन पहले समाचार–पत्रों में प्रकाशित हुआ था कि कतिपय आयुर्वेदिक दवाइयों में उच्च स्तर में रसायनिक विषाक्तता पाई गई थी। शताब्दियों से आयुर्वेदिक नुस्खों में हम चिकित्सीय महत्व के लिए इन रासायनिक तत्वों का प्रयोग करते रहे हैं। इन आयुर्वेदिक नुस्खों में इनका न्यूनतम प्रयोग होता है। यदि यह स्तर से अधिक हो जाता है तो यह रोगियों को नुकसान पहुंचाता है। हम मामले की जांच कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय में भारतीय चिकित्सा पद्धति विभाग में जांच आरम्भ की गई है। इस मामले में सचिव ने जाँच शुरू कर दी है। माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा कि आयुर्वेदिक चिकित्सा या भारतीय चिकित्सा पद्धति सारे विश्व में फल–फूल रही है; खासकर अमेरिका में जहाँ करीबन 25 प्रतिशत चिकित्सा पौध आधारित चिकित्सा है। अतः, यह हमारी जायज चिन्ता है और हम माननीय सदस्यों की चिन्ता से सहानुभूति रखते हैं। इसे रोकने हेतु उपाय किए जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा !

डा. सुजान चक्रवर्ती : महोदय, यह सर्वविदित है कि संयुक्त

राज्य अमेरिका में लोग सही मायने में दवा विकास पर औषधीय अनुसंधान में लगे हुए लोगों में से 35 प्रतिशत मूलतः भारतीय मूल के हैं। यह भारत की बहुत अच्छी शक्ति है। भारतीय उद्योग के हित में उनकी शक्ति का उपयोग सरकार किस तरह करना चाहती है? दवाओं के नियंत्रण के लिए, चिकित्सा की गुणवत्ता तथा हमारे उत्पादों के सर्वोत्तम और प्रभावी औषधीय महत्व के लिए दवा नियंत्रण में बढ़ोत्तरी कैसे किए जाने की योजना है?

डा. अंबुमणि रामदास : जैसा कि मैंने पहले कहा, भारत में औषध उद्योग बहुत तीव्र गति से फल-फूल रहा है, परन्तु हमारे देश में मॉनीटरिंग और नियामक तंत्र पिछड़ रहा है। अब हम उद्योग के साथ-साथ मॉनीटरिंग तंत्र के बीच की दूरी को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए, हम बहुत ज्यादा क्षमता निर्माण प्रक्रियाविधि अपना रहे हैं। हम नियमों और विनियमों को बदल रहे हैं। हम अनुसूचि-एम में परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे गुणवत्ता के लिए रूथ निर्माण पद्धति प्रणाली में अपनाई गई है। अतः, एक बार यहाँ बहुत ज्यादा गुणवत्ता उत्पाद, हमारे उद्योग में गुणवत्ता औषध तथा गुणवत्ता अनुसंधान भी हो जाए तब वे अनुसंधान वैज्ञानिक जो विदेश चले गए हैं काफी संख्या में वापस आ जाएंगे। वे भारत वापस आ जाएंगे और यहाँ उनके लिए काम करने का अनुकूल वातावरण होगा।

[हिन्दी]

श्री राजनरायन बुधौलिया : अध्यक्ष महोदय, प्रतिबंधित दवाओं के बारे में प्रश्न के भाग 'क' में जानकारी प्राप्त करने के लिये कल हमने रसायन मंत्री जी से कहा था। उन्होंने कोई जवाब न देकर यह कहा कि इसका उत्तर स्वास्थ्य मंत्री देंगे। लेकिन माननीय मंत्री जी का जवाब स्पष्ट रूप से नहीं आया है। मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या अमरीका और यूरोपियन देशों की प्रतिबंधित भारतीय दवाओं का बाजार भारत बन गया है, तथा 35 प्रतिशत नकली दवायें हमारे देश में बन रही हैं? सरकार ने उसे रोकने के लिये क्या उपाय किये हैं? नकली दवा निर्माताओं को बिल के माध्यम से मृत्यु दंड दिये जाने की मांग की गई थी, उसके बारे में अब तक क्या हुआ है और सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह इसका उत्तर पहले ही दे चुके हैं।

डा. अंबुमणि रामदास : महोदय, मैं माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर पहले ही दे चुका हूँ। अमेरिका में किसी दवा पर प्रतिबंध का मतलब यह नहीं होता कि भारत में भी यह प्रतिबंधित है। अमेरकी एफ.डी.आई. सारे विश्व के लिए प्राधिकारी नहीं है। हमारे अपने तकनीशियन हैं। इस पर विचार करने के लिए हमारी अपनी तकनीकी समितियां हैं।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा।

दूरभाष सेवाओं के लिए राशि

+

***307. श्री इकबाल अहमद सरडगी :**

श्री चन्द्रभूषण सिंह :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार की योजना ग्रामीण भारत में दूरभाष सेवाएं उपलब्ध कराने की है जो कि सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष हेतु राशि जारी करने में हुई देरी से प्रभावित हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यह राशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या यह सच है कि सरकार को एस.डब्ल्यू.ए.एन. (स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क) हेतु राज्य सरकारों से प्रस्ताव मिले थे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसओ) निधि के प्रशासक के कार्यालय द्वारा हाल ही में हस्ताक्षरित करारों के अनुसार, शेष 66,822 ग्रामों को यूएसओ निधि की सहायता से ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) प्रदान किए जाएंगे। इसमें आबादीरहित, 100 से कम की जनसंख्या वाले, घने जंगली क्षेत्रों में बसे/नक्सलवाद से प्रभावित आदि गांवों को शामिल नहीं किया जाएगा। यूएसओ निधि के प्रशासक के कार्यालय ने 2000 से अधिक की जनसंख्या वाले गांवों में 46,253 ग्रामीण सामुदायिक फोनों (आरसीपी) के लिए पूंजीगत तथा कार्यचालन व्यय, दोनों के लिए सहायता प्रदान करने हेतु भी करार किया है।

इसके अतिरिक्त, यू एस ओ निधि से लगभग 5,20,000 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों के कार्यचालन व्यय हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करके 1991 की जनगणना के अनुसार पात्र पाए गए 90% राजस्व गांवों को कवर किया जा रहा है। यूएसओ निधि द्वारा 1,84,000 मल्टी एक्सेस रेडियो रिले (एमएआरआर) फोनों को बदलने के लिए भी सहायता प्रदान की जा रही है। जिनमें से 50% से अधिक फोनों को बदला जा चुका है।

(ग) वित्तीय वर्ष 2002-03 और 2003-04 के लिए यूएसओ निधि को आबंटित क्रमशः 300 करोड़ रुपए और 200

करोड़ रुपए के बजटीय प्रावधान का संवितरण कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, चालू वित्त वर्ष के लिए आबंटित 200 करोड़ रुपए भी संवितरित कर दिए गए हैं। इस समय, यूएसओ निधि लगभग 1250 करोड़ रुपए की बकाया देयता के लिए प्रतिबद्ध है और वित्त वर्ष के शेष भाग में इसे लगभग और 1250 करोड़ रुपए के दावे किए जाने का अनुमान है जिसके लिए निधियों का प्रावधान अभी किया जाना है। वित्त वर्ष 2002–03 से 2004–05 (प्राक्कलित) तक संचयी यूएसओ लेवी की उगाही की राशि लगभग 6700 करोड़ रुपए बैठती है। वित्त मंत्रालय से चालू वित्त वर्ष में यूएसओ निधि को 2500 करोड़ रुपए की शेष राशि प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

(घ) और (ङ) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी) को राज्य व्यापी क्षेत्र नेटवर्कों (स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क्स) की स्थापना हेतु 10 राज्य सरकारों से वित्तपोषण के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ये प्रस्ताव आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों से प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों में, प्रत्येक राज्य में ब्लाक स्तर तक 2 मेगाबाइट्स प्रति सेकंड के न्यूनतम बैंडविड्थ से व्यापक क्षेत्र नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त, बीएसएनएल अनेक राज्य सरकारों के साथ उनके व्यापक क्षेत्र नेटवर्कों की स्थापना हेतु समन्वय कार्य कर रहा है।

श्री इकबाल अहमद सरडगी : महोदय, प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बताया कि अभी हाल ही में प्रशासक, यूनिवर्सल सर्विस ऑबलिगेशन के कार्यालय द्वारा एक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अतः यू.एस.ओ. कोष के समर्थन से बाकी बचे 66,822 ग्रामों में ग्रामीण सार्वजनिक दूरभाष प्रदान किए जाएंगें।

अतः, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि क्या इस योजना के लिए धनराशि जारी की गई है; यदि हाँ, धनराशि कब जारी की गई है; और यदि नहीं, तो मंत्री जी इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए धनराशि कब तक उपलब्ध करा सकते हैं। ग्रामों को जोड़ने के लिए यह एक महत्वपूर्ण योजना है।

श्री दयानिधि मारन : ग्रामीण सार्वजनिक दूरभाषों के लिए धनराशियां यू.एस.ओ. कोष से प्रदान की जाती हैं। अब तक, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा 700 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। कल ही, माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में 1,000 करोड़ रुपए जारी करने की बात की। ये सारी धनराशि लोगों के लिए समयबद्ध तरीके से जारी की जाएगी।

श्री इकबाल अहमद सरडगी : भाग (घ) और (ङ) के उत्तर में, माननीय मंत्री जी ने कहा कि दूरसंचार विभाग को कर्नाटक सरकार सहित दस राज्य सरकारों से राज्य विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि इन प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय कब तक हो जाएंगे तथा इस योजना के अंतर्गत कितने ग्रामों को शामिल किया गया है, खासकर कर्नाटक में। ये प्रस्ताव विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क संपर्क को प्रखण्ड स्तर तक फैलाने की परिकल्पना करते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। अतः, मैं जानना चाहूँगा कि सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि यह कर्नाटक में कब होगा।

श्री दयानिधि मारन : राज्य विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क जिसे 'स्वान' भी कहा जाता है, हमारे लिए एक बहुत प्रतिष्ठापूर्ण परियोजना है जहाँ हम राज्य स्तर के ई. गवर्नेंस भाग को प्रत्येक राज्य में प्रखण्ड स्तर तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। हमें दस राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस प्रस्ताव में, बी. एस. एन. एल. बैंडविड्थ लागत पर 90 प्रतिशत रियायत देने की योजना बना रहा है और हमने प्रत्येक प्रखण्ड में 2 एम. बी. पी. एस. लेवल भी स्थापित किया है। हमें प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं।

हम इन प्रस्तावों का सत्यापन करा रहे हैं और हम प्रस्तावों पर जल्द से जल्द निर्णय कर पाएंगे।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रभूषण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि टेलिफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एक सर्वे कंडक्ट किया था। उसके हिसाब से उन्होंने बताया था कि खास तौर से ग्रामीण अंचलों में टेलीफोन्स सर्विस की क्वालिटी ठीक नहीं है, जिसके तहत एम. ए. आर. आर. सर्विस भी आती है। आपने अपने जवाब में लिखा है कि अभी तक पचास परसेन्ट एम. ए. आर. आर. को रिप्लेस कर दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि बाकी पचास परसेन्ट को आप कब तक रिप्लेस करेंगे। यह भी आपके संज्ञान में होगा कि ये वही एम.ए.आर.आर. है जो कांग्रेस पार्टी के श्री सुखराम जी के समय में आये थे। इन सारे के सारे एम.ए.आर.आर. ने काम नहीं किया और एम.ए.आर.आर. लगने के बाद कंज्यूमर्स से लगातार तकाज़े हुए, उनसे पैसा वसूला गया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप शेष पचास परसेन्ट एम.ए.आर.आर. कब तक रिप्लेस करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से एक छोटा सा सवाल और पूछना चाहता हूं। हमारे देश की 65 परसेन्ट पापुलेशन गांवों में रहती है। आपका क्या तरीका है कि शहरों में टेलीफोन की डेन्सिटी बढ़ती जा रही है। क्या आपके पास ऐसा कोई रेश्यो है...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए आपको अलग से सूचना देनी

होगी, हालांकि मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी ग्रामीण दूरसंचार के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखते हैं।

श्री दयानिधि मारन : अवश्य। मेरे से भी ज्यादा, ग्रामीण क्षेत्रों में मांग को ध्यान में रखते हुए निजी ऑपरेटर भी ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं।

उस समय मल्टी एक्सेस रेडियो रिले (मार्र) तकनीक थी परन्तु माननीय सदस्य को यह समझना चाहिए कि तकनीकें बदलती रहती हैं और हमें भी तकनीक के साथ बदलना होता है। स्पष्टतः, मार्र प्रणाली दोषपूर्ण थी जिसकी वजह से हमने पूरी मार्र प्रणाली को ही बदलने का निर्णय लिया। हम बाकी बचे मार्र का प्रतिस्थापन अठारह महीने में पूरा कर लेंगें।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। आपने अच्छा उत्तर दिया है।

[हिन्दी]

श्री सुरेश चन्देल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से विशेषकर हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में जानना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश में जो ग्रामीण और ट्राइबल क्षेत्र हैं, वहां ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन की व्यवस्था का जिस तरीके से विस्तार हो रहा था, वह बी.एस.एन.एल. बनने के बाद रुक गया है। इसके साथ ही जो नये एक्सचेंजेज खोलने की योजनाएं थीं, वे भी रुक गई हैं और जो नया सिस्टम डब्ल्यू.एल.एल. के माध्यम से वहां प्रोवाइड किया जा रहा था, वह प्रभावी सिद्ध नहीं हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय उन क्षेत्रों में टेलीफोन का विस्तार करने के लिये नये एक्सचेंजिज खोलने की मंजूरी देंगे।

मेरा दूसरा सवाल यह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के साथ-साथ अन्य कई क्षेत्रों में भी एम.पी. कोटे के टेलीफोन लगभग तीन-तीन साल से नहीं लग रहे हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह एम.पी. कोटा रिलीज करने के बाद तुरंत टेलीफोन लगवाने की कोई व्यवस्था करेंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हरेक अनुपूरक प्रश्न दो या तीन भागों का नहीं हो सकता।

श्री दयानिधि मारन : पर्वतीय क्षेत्रों में हमें वहां के इलाके के कारण परेशानी हो रही है। संभवतः हम उन क्षेत्रों को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ क्षेत्रों में हमने सेवाएं प्रदान भी कर दी हैं। सेवाएं प्रदान करने में हमारे लिए बिजली की समस्या वास्तविक बाधा है। अधिकतर इन पहाड़ी क्षेत्रों में इस जनरेटर चला रहे हैं। कभी-कभी हमें घोड़ों अथवा गधों से डीजल की ढुलाई करनी पड़ती है। कुछ मामलों में हमें खराब विद्युत अवसंरचना के कारण परेशानी हो रही है। परन्तु हम प्रत्येक गांव को सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रयासरत हैं।

डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य : मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कुछ ग्रामीण बस्तियां, विशेषकर सिरमौर जिले में और शिमला जिले के कुछेक क्षेत्रों में, दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित हैं। और उन्हें ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों और छोटे दूरभाष केंद्रों से जोड़े जाने की जरूरत है।

कुछ वर्ष पूर्व इस क्षेत्र में छह केंद्रों को स्वीकृत किया गया था। मैं अपने माननीय संचार मंत्री को बधाई देता हूं कि दो केंद्रों की ओर उन्होंने पहले ही ध्यान दिया है। परन्तु चार केन्द्रों पर निर्णय अभी भी लम्बित है। वे दूरदराज के क्षेत्रों में हैं। कभी-कभी हमें कल्याणकारी राज्य में पैसा खर्च करना पड़ता है और वह प्रायः लाभकारी भी नहीं होता। भारत संचार निगम लि. की यह टिप्पणी है।

माननीय मंत्री से मेरा प्रश्न यह है कि क्या आप इन केंद्रों को उच्च प्राथमिकता देंगे और यथाशीघ्र उन्हें स्थापित करेंगे?

श्री दयानिधि मारन : यू एस ओ कोष बनाने का भी एक प्रयोजन है। इसे उन क्षेत्रों में पहुंच बनानी है जहां निजी आपरेटरों अथवा भारत संचार निगम लि. के लिए फायदे का सौदा नहीं है। हम ठीक रास्ते पर चल रहे हैं।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : यूनिवर्सल सर्विस आब्लिगेशन में यह अनिवार्य किया गया है कि हमें लगभग हरेक घर और हरेक गांव को टेलीफोन प्रदान करना है। किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि हम इस संबंध में बहुत पिछड़ रहे हैं। क्या सरकार निजी टेलीफोन आपरेटरों पर यू एस ओ लेवी में संशोधन करने और इस संबंध में पर्याप्त बजटीय प्रावधान सुनिश्चित करने पर विचार कर रही है ताकि हम विशेषकर दूरदराज के उन गांवों में, जहां कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है एक उचित समयवधि के भीतर टेलीफोन सुविधा प्रदान कर सकें। क्या इस संबंध में किसी समयबद्ध कार्यक्रम पर विचार किया जा रहा है और लेवी में संशोधन किया जा रहा है?

श्री दयानिधि मारन : इस प्रश्न के उत्तर में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि यू एस ओ कोष में बी एस एन एल, एम टी एन एल तथा अन्य निजी आपरेटर अंशदाता हैं। यह कोष लाइसेंस फीस से एकत्र किया जाता है और 50 प्रतिशत लाइसेंस फीस यू एस ओ कोष में जाती है। उस कोष से हम ग्रामीण टेलीफोनी क्षेत्रों को निधियां प्रदान कर रहे हैं। वस्तुतः हम अगले तीन वर्षों में लगभग 66,822 गांवों को निधियां देने की योजना बना रहे हैं। हम ठीक रास्ते पर अग्रसर हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आशा है कि आप सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति द्वारा दी गई सेवाओं को महत्व देंगे।

[हिन्दी]

श्री अजीत जोगी : अध्यक्ष महोदय, एक और तो हम लोग

देश के सभी गांवों में टेलीफोन सुविधा पहुंचाने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर यह बात भी सच है कि जिन गाँवों में अभी टेलीफोन लगे हैं, उनमें से अधिकांश नहीं चल रहे हैं। जो टेलीफोन गाँवों में लगाए गए हैं, जगह–जगह अलग–अलग तकनीक से लगाए गए हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि जिन गांवों में अभी टेलीफोन लगा दिये गये हैं, वे ठीक से चलें, इसके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? जो टेलीफोन बहुत सालों से, महीनों से बेकार पड़े हैं, उनको सुधारने के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है और कौन सी तकनीक ऐसी है जो सच में भारत के गाँवों के लिए, विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होगी?

[अनुवाद]

श्री दयानिधि मारन : जैसा मैंने पहले कहा कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में तथा दूरदराज के क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। जब समुचित बिजली नहीं होती तो हमारे लिए ऐसे क्षेत्रों में कार्य करना बहुत कठिन होता है। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में हमारे सामने आसमान से बिजली गिरने की भी समस्या होती है जिससे उपस्कर नष्ट हो जाते हैं। हम ऐसे स्थानों को आधुनिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं और हम सुरक्षात्मक कदम उठा रहे हैं। परन्तु इस प्रक्रिया में...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह संतोषजनक उत्तर नहीं है।

[हिन्दी]

श्रीमती किरण माहेश्वरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि स्वर्ण चतुर्भुज सड़क, सी.आर.एफ. और अन्य इसी प्रकार की योजनाओं के तहत जो सड़कें चौड़ी की गईं, उस समय अनेक स्थानों पर केबलें कट गईं जिसके कारण काफी सारे गांवों के टेलीफोन कनैक्शन कट गए। उनके बारे में मंत्री जी क्या कार्रवाई कर रहे हैं और वे कनैक्शन कब तक जोड़ने की कृपा करेंगे?

[अनुवाद]

श्री दयानिधि मारन : महोदय, मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि यदि केबल कटे होते हैं और वे इस तरह पड़े हों तो चाहें भारत संचार निगम लि. के उपभोक्ता हों अथवा महानगर टेलीफोन निगम लि. के उपभोक्ता वे हमें बख्शेंगे नहीं और हमारे ऊपर स्वयं ही यह सुनिश्चित करने का दबाव होगा कि केबल जोड़े दिये जाएं और तुरंत सेवा बहाल की जाए।

अध्यक्ष महोदय : यह कैबिनेट मंत्री हैं; यह जानते हैं कि प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया जाए।

श्री अर्जुन सेठी : महोदय, माननीय मंत्री शायद सहमत न हों परन्तु टेलीफोन प्रणाली का कार्यकरण बहुत खराब है। पहले उन्होंने गांवों में एम ए आर आर प्रणाली प्रदान की और अब ये दूरदराज के गांवों में और विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन की डब्ल्यू एल एल प्रणाली प्रदान कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस बात का कोई मूल्यांकन किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आरम्भ की गई यह प्रणाली वास्तव में कितनी सफल है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपने कोई मूल्यांकन किया है या नहीं और यदि कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है तो क्या आप इससे सहमत हैं कि टेलीफोन की यह प्रणाली ग्रामीण क्षेत्रों में सुचारू ढंग से काम कर रही है यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसा मूल्यांक किया जाना चाहिए।

श्री दयानिधि मारन : महोदय, विभाग और भारत संचार निगम लि. तथा महानगर टेलीफोन निगम लि. समयबद्ध तरीके से बिलिंग पैटर्न की समीक्षा और जांच करते हैं जिससे हमें स्पष्ट पता चलता है कि ये फोन कैसे काम कर रहे हैं। हम समयबद्ध तरीके से इसकी निगरानी करते हैं और जब भी हमें परेशानी का पता चलता है तो हम जाकर इन परेशानियों का विश्लेषण करने का भी प्रयास करते हैं।

चिकित्सा पर्यटन

***308. श्री सुभाष सुरेशचंद देशमुख** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 'इण्डियन हेल्थ केयर फाउन्डेशन' ने एक मांग पत्र प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या हाल ही में मैकेनसे कंपनी के अध्ययन में इस क्षेत्र का विकास वर्ष 2012 तक दोगुणा से भी अधिक बढ़ाकर देश में सकल उत्पाद का 8.50 प्रतिशत होने का अनुमान है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

देश में उपलब्ध स्वास्थ्य विशेषज्ञता और आधारभूत ढांचे का लाभप्रद ढंग से उपयोग करने के लिए स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में भारत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्वास्थ्य – पर्यटन पर एक

कार्यबल गठित किया गया है। इसके विचारार्थ-विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ विशिष्ट प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाओं को सुझाव देना शामिल है जिसमें सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा परिचर्या, चिकित्सा सेवाओं की आउट सोर्सिंग तथा भारत को स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए की जाने वाली कार्रवाई भी शामिल है। इस कार्यबल के सदस्यों में अन्य संबंधित मंत्रालयों, राज्य सरकारों, भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल परिसंघ, भारतीय उद्योग परिसंघ तथा ख्यातिप्राप्त प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों के प्रतिनिधि शामिल हैं। सदस्यों ने कई सुझाव दिए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ अस्पतालों का मानकीकरण, विभिन्न भौगोलिक अंचलों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन पैकेजों को तैयार करना, वीसा शीघ्र जारी करने की प्रक्रिया को आसान बनाना, विभिन्न पर्यटन पैकेजों में पारम्परिक चिकित्सा प्रणाली की सुविधाओं को शामिल करने की आवश्यकता तथा राज्य सरकारों द्वारा भूमि और अन्य सुविधाएं रियायती दरों पर मंजूर करना आदि शामिल है।

भारत में स्वास्थ्य परिचर्याः भावी रूपरेखा (ए रोड अहेड) नामक विषय पर भारतीय उद्योग परिसंघ मेककिन्से एंड कम्पनी द्वारा वैकल्पिक परिदृश्य पर विचार करते हुए अनुमान लगाया है कि स्वास्थ्य परिचर्या बाजार 2012 तक सकल घरेलू उत्पाद का 6.2-8.5 प्रतिशत को छू सकता है।

चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है इसलिए लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए देश में ग्रामीण आधारभूत सुविधा का एक व्यापक नेटवर्क बनाया गया है। केन्द्र सरकार, मलेरिया, क्षयरोग, दृष्टिहीनता, कुष्ठ रोग, एड्स, कैंसर, आयोडीन अल्पताजन्य विकारों, मानसिक रोग के नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों तथा परिवार कल्याण कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यों को भी सहायता प्रदान कर रही है। गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत सुविधा को उन्नत करने हेतु राज्य स्वास्थ्य प्रणाली परियोजनाएं भी विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित की जा रही हैं। स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की दिशा में किए गए प्रयासों का स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली की पहुंच एवं गुणवत्ता तथा लोगों को सेवाएं प्रदान करने के कार्य पर निश्चित रूप से बेहतर प्रभाव पड़ता है। चलाए गए राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की गहन मानीटरिंग की जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर मध्यावधि सुधार किए जाते हैं। बेहतर गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य परिचर्या सुनिश्चित करने के विशेष प्रयास भी किए जाते हैं।

[हिन्दी]

श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख : अध्यक्ष महोदय, मलेरिया, क्षयरोग, दृष्टिहीनता, कुष्ठ रोग, कैंसर, एड्स एवं मानसिक रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों ने कितनी सहायता राशि की मांग की और उन्हें भारत सरकार की ओर से कितनी दी गई तथा उसमें ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में कितना-कितना खर्च हुआ है?

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास : महोदय, इस प्रश्न से संबंधित हम मलेरिया, क्षयरोग तथा कुष्ठ रोग जैसे गंभीर रोगों पर ध्यान दे रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को विस्तृत ब्योरा बाद में दूंगा।

[हिन्दी]

श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख : अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने और स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत सुविधाओं को उन्नत करने के लिए विश्व स्वास्थ्य बैंक से कितनी-कितनी सहायता मिली है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आपके पास आंकड़े हैं?

डा. अंबुमणि रामदास : नहीं, श्रीमान्! मैं ये आंकड़े बाद में दे दूंगा। परन्तु विश्व स्वास्थ्य संगठन बहुत अधिक धनराशि नहीं देता; वे केवल तकनीकी सहायता देते हैं। हमें बहुत से कार्यक्रमों के लिए विश्व बैंक से ऋण मिला है। वस्तुतः बहुत से कार्यक्रमों के लिए हमें ऋण मिलता है।

[हिन्दी]

डा. राम लखन सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में जो मलेरिया बहुत तेजी के साथ फैल रहा है, जिसे डेंगू बोल रहे हैं, वहां जो मलेरिया की दवाएं हैं, वे काम नहीं कर रही हैं। इसलिए हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस पर अपना कोई विभाग तेजी के साथ अध्ययन कर रहा है, इसकी रोकथाम के लिए किसी मेडीसन को इजाद कर रहा है या इस हेतु मैडीसन में इजाफा कर रहा है, जो ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोगों को आसानी से उपलब्ध हो सके?

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास : महोदय, मलेरिया हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे यहां के अधिकतर क्षेत्र जैसे पूर्वोत्तर, पूर्वी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और अन्य तटवर्ती क्षेत्र स्थानिक रोग से ग्रस्त क्षेत्र हैं। मलेरिया के लिए हम निरोधात्मक और उपचारात्मक दोनों कदम उठा रहे हैं। निरोधात्मक कदम के रूप में हम लोगों को मुफ्त में मच्छरदानी दे रहे हैं। ये हमने सभी राज्य सरकारों को प्रदान की हैं। वास्तव में हम रोगाणु वाहकों को रोकने के लिए लेविसाइड, बाफो लेविसाइड तथा अन्य रसायनों का छिड़काव कर

रहे हैं। उपचारात्मक कदमों के लिए राष्ट्रीय मलेरिया कार्यक्रम के माध्यम से क्लोरोक्वीन तथा प्राइमाक्वीन उपलब्ध हैं। वस्तुतः हम इस समस्या से निपटने के लिए मलेरिया का टीका इस्तेमाल करने पर विचार कर रहे हैं। कुछ मलेरिया प्रतिरोधी क्षेत्रों के लिए हम कुछ और नई औषधियों के इस्तेमाल का प्रयास कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया। हम पांच से अधिक प्रश्नों को नहीं ले सके।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

खनन क्षेत्र में विनिवेश का प्रतिकूल प्रभाव

***303. श्री हरिकेवल प्रसाद :**

श्री सुनिल कुमार महतो :

क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनन क्षेत्र में विनिवेश का प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से अनेक व्यक्ति बेरोजगार हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई समीक्षा की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (एच जेड एल) नाम की केवल दो इकाइयों का क्रमशः 2.3.2001 और 28.3.2002 को विनिवेश किया गया है और इन इकाइयों में किसी भी तरह की छंटनी/अस्थायी छंटनी नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) श्रम मंत्रालय ने विनिवेश विभाग और श्रम मंत्रालय के अधिकारियों और ट्रेड यूनियन के लीडरों की एक समिति यह पता लगाने के लिए गठित की थी कि क्या बालको में विनिवेश के बाद किसी तरह की छंटनी/अस्थायी छंटनी की गई है। समिति ने अपनी रिपोर्ट सितम्बर, 2004 में प्रस्तुत की जिसके अनुसार समिति को बालको में विनिवेश के पश्चात छंटनी/अस्थायी छंटनी का कोई मामला नहीं मिला और छंटनी के आरोप सिद्ध नहीं किए जा सके।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कुटीर उद्योग को बढ़ावा

***309. श्री इलियास आजमी :**

श्री सुशील कुमार मोदी :

क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा कौन सी योजनाएं/आर्थिक पैकेज आरंभ किए गए हैं अथवा आरंभ किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) इसके अंतर्गत कुटीर उद्योग को किस तरीके से सहायता दी जा रही है अथवा दी जाएगी; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन योजनाओं हेतु जारी की गई और व्यय की गई धनराशि का राज्य--वार ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) से (ग) सरकार कुटीर उद्योगों सहित ग्रामोद्योगों के संवर्धन और विकास के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से दिनांक 01 अप्रैल, 1995 से ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) कार्यान्वित करती रही है। इस कार्यक्रम के अधीन उद्यमी 25 लाख रुपए की अधिकतम लागत वाली परियोजनाओं के लिए केवीआईसी से मार्जिन मनी सहायता और सरकारी क्षेत्र के किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, चयनित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों, आदि से ऋण प्राप्त करके ग्राम/कुटीर उद्योगों की स्थापना कर सकते हैं। मार्जिन मनी सहायता का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है :–

आरईजीपी के अधीन मार्जिन मनी सहायता

क्र.सं.	लाभार्थी की श्रेणी	परियोजना लागत	मार्जिन मनी सहायता
1	2	3	4
1.	सामान्य	10 लाख रुपए तक	परियोजना लागत का 25 प्रतिशत
2.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ महिला/भूतपूर्व सैनिक/पूर्वोत्तर क्षेत्र/ पर्वतीय क्षेत्र	10 लाख रुपए तक	परियोजना लागत का 30 प्रतिशत

1	2	3	4	5
3.	सामान्य	10 लाख रुपए और 25 लाख रुपए तक	2.5 लाख रुपए + शेष परियोजना लागत का 10 प्रतिशत	
4.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला/भूतपूर्व सैनिक/पूर्वोत्तर क्षेत्र/पर्वतीय क्षेत्र	10 लाख रुपए और 25 लाख रुपए तक	3 लाख रुपए + शेष परियोजना लागत का 10 प्रतिशत	

इसके अतिरिक्त ग्राम/कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार केवीआईसी के माध्यम से निम्नलिखित सहायता प्रदान करती है:

(i) प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डिजाइन इंटरवेंशन एवं पैकेजिंग (प्रोदीप) स्कीम के अंतर्गत वैयक्तिक उद्यमियों/ संस्थाओं को प्रत्येक परियोजना के लिए, प्रतिवर्ष 1 लाख/2 लाख रुपये तक अथवा परियोजना लागत का 75%, जो भी कम हो, की वित्तीय सहायता उत्पाद के डिजाइन सुधार, गुणवत्ता एवं बेहतर पैकेजिंग हेतु उपलब्ध कराई जाती है।

(ii) ग्रामीण उद्योग सेवा केंद्र स्कीम के अधीन ग्रामीण उद्योग कलस्टरों के सुदृढ़ीकरण के लिए बैकवर्ड-फॉरवर्ड लिकेंजेज एवं कच्ची सामग्री सहायता, कौशल उन्नयन, गुणवत्ता नियंत्रण, परीक्षण सुविधाएं, विपणन संवर्धन, डिजाइन और उत्पाद विकास जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करने हेतु साझा (कॉमन) सुविधा केंद्रों की स्थापना के लिए रुपये 5 लाख तक की लागत की परियोजना पर 75% (90% पूर्वोत्तर राज्यों में) तथा रुपये 25 लाख तक की लागत की परियोजना पर 75% (80% पूर्वोत्तर राज्यों में) राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी) और अन्य पात्र संस्थाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

(iii) राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राज्य और जिला स्तरीय प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए पंजीकृत खादी एवं ग्रामोद्योग संस्थाओं और राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के केवीआईबी को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

परम्परागत उद्योगों जैसे कयर, हैण्डलूम, रेशम कीटपालन, हस्तशिल्प, चमड़ा, चीनीपात्र एवं अन्य कुटीर उद्योगों के पुनरूत्थान के लिए वर्ष 2004-05 के बजट भाषण में 100 करोड़ रुपए के प्रारंभिक आबंटन के साथ एक निधि के स्थापना की घोषणा की गई है।

विगत तीन वर्षों के दौरान आरईजीपी के अधीन मार्जिन मनी सहायता के लिए सरकारी अनुदानों के उपयोग का राज्य/संघशासित क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्नक विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2001-02, 2002-03 और 2003-04 में आईईजीपी के अधीन मार्जिन मनी सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार के अनुदानों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार उपयोग

(लाख रुपए)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5
I	**उत्तरी क्षेत्र**			
1.	चंडीगढ़	47.56	0.40	10.24
2.	दिल्ली	19.35	16.16	12.31
3.	हरियाणा	1123.47	884.91	1938.96
4.	हिमाचल प्रदेश	954.73	643.78	757.11
5.	जम्मू-कश्मीर	436.50	179.00	363.45
6.	पंजाब	1438.62	1744.62	819.03
7.	राजस्थान	2211.91	2189.08	2890.28
	योग-I	6232.14	5657.95	6791.38

1	2	3	4	5
II	**पूर्वी क्षेत्र**			
1.	अंडमान और निकोबार	22.90	78.24	28.44
2.	बिहार	37.46	108.13	186.03
3.	झारखंड	49.34	421.01	198.08
4.	उड़ीसा	297.89	156.78	784.11
5.	पश्चिम बगाल	822.20	1202.17	1593.51
	योग–II	1229.79	1966.33	2790.17
III	**पूर्वोत्तर क्षेत्र**			
1	अरुणाचल प्रदेश	11.21	45.36	52.77
2.	असम	143.00	375.68	806.83
3.	मणिपुर	2.98	110.53	41.19
4.	मेघालय	110.50	135.94	121.79
5.	मिजोरम	16.83	224.40	61.10
6.	नागालैंड	168.89	50.15	117.20
7.	त्रिपुरा	49.54	106.23	224.02
8.	सिक्किम	–	6.70	127.67
	योग–III	502.95	1054.99	1552.57
IV	**दक्षिण क्षेत्र**			
1.	आंध्र प्रदेश	1307.02	1775.01	1675.40
2.	कर्नाटक	1067.94	1560.05	1692.17
3.	केरल	1789.10	1196.03	2753.15
4.	लक्षद्वीप	3.00	0.00	7.42
5.	पांडिचेरी	7.06	0.29	11.38
6.	तमिलनाडु	567.34	604.07	1362.17
	योग–IV	4741.46	5135.45	7501.69
V	**पश्चिम क्षेत्र**			
1.	दादरा और नगर हवेली	2.47	9.49	4.13
2.	गोवा	311.95	198.06	82.98
3.	गुजरात	46.85	102.23	130.34
4.	महाराष्ट्र	1538.08	1541.92	873.25
	योग–V	1899.35	1851.70	1090.70

1	2	3	4	5
VI	मध्य क्षेत्र			
1.	छत्तीसगढ़	297.99	427.33	1098.00
2.	मध्य प्रदेश	1096.50	605.97	1355.07
3.	उत्तरांचल	318.00	378.02	979.70
4.	उत्तर प्रदेश	2706.95	2293.52	3415.18
	योग–VI	4419.44	3704.84	6847.95
	कुल योग	19025.13	19371.26	26574.46

प्लेग संबंधी समिति

***310. श्री बीर सिंह महतो :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्लेग फैलने संबंधी अध्ययन हेतु कोई समिति गठित की है जो यह सुनिश्चित करे कि 'परसिंका' विषाणु आनुवांशिक तौर पर फैलता है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (ग) प्लेग येरसिनिया पेस्टिस से होता है। यह एक जीवाणु है। परसिंका जीवाणु से प्लेग नहीं होता है। प्लेग आनुवांशिक तौर पर नहीं फैलता है।

भारत सरकार ने प्लेग के बारे में 1994 में एक तकनीकी सलाहकार समिति गठित की थी। इस समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार थे–

क. प्लेग और इसके फैलने (1994) के लिए उत्तरदायी कारणों पर प्रकाश डालना।

ख. प्लेग के नियंत्रण के लिए अपनायी जाने वाली कार्यनीतियों, नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में सलाह देना।

ग. भविष्य में ऐसे रोगों के प्रकोपों की रोकथाम के लिए उपाय सुझाना।

इस समिति ने बीड और सूरत में 1994 में प्लेग के फैलने जीवीय कारणों, क्लिनिकी और जानपदिक रोग विज्ञान संबंधी पहलुओं पर विस्तृत अध्ययन किया। समिति की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार थी–

i. संक्रमण के निदान में सहायता प्रदान करने के लिए देश भर में प्रयोगशालाओं के नेटवर्क का पता लगाया जाना चाहिए। इस निगरानी में प्लेग और अन्य पेथोजेंस की औषध प्रतिरोधन क्षमता की भी निगरानी की जानी चाहिए।

ii. राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान तथा नेटवर्क को प्लेग के फैलने और रोग के कारणों की जांच करने में पेशेवर व्यक्तियों और तकनीशियनों को प्रशिक्षण और पुर्नप्रशिक्षण प्रदान करने की सतत प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए।

iii. समग्र संक्रामक रोग निगरानी प्रणाली के अन्दर प्लेग के बारे में जानवरों और मनुष्यों की सतत निगरानी क्षमता का विकास और संचालन किया जाना चाहिए। राज्य और जिला स्वास्थ्य सेवाएं इस प्रणाली की केन्द्र बिन्दु होनी चाहिए और उन्हें राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान तथा राष्ट्रीय प्रयोगशाला नेटवर्क से सहायता प्राप्त होनी चाहिए।

iv. जानपदिक, पारिस्थितिकी और प्रयोगशाला जांच क्षमता का विकास करके मनुष्यों और प्लेग एपिजूटिक्स में प्लेग का सामना करने की क्षमता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

v. देश में जानपादिक रोग विज्ञानियों का एक सुप्रशिक्षित संवर्ग बनाए जाने की आवश्यकता है और इसमें मेडिकल कालेजों, जन–स्वास्थ्य स्कूलों तथा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, जैव प्रौद्योगिकी विभाग और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत संक्रामक रोगों के अध्ययन में लगी विशेषज्ञ संस्थाओं को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।

vi. राष्ट्रीय नेटवर्क का विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य संगठनों के अधीन अन्तरराष्ट्रीय नेटवर्क के साथ निरंतर सम्पर्क रखा जाना चाहिए।

तदनुसार, प्लेग के प्रसार को रोकने के लिए पर्यावरणिक स्वच्छता में सुधार लाने कीटनाशकों का प्रयोग करके कृन्तक और रोगाणु नियंत्रण, लोगों में जागरूकता बढ़ाने आदि के लिए एक बहु-स्तरीय नीति अपनाई गई है। प्लेग पर निरंतर निगरानी रखने से इसके नियंत्रण में मदद मिली है। इस संबंध में वाइल्ड और पेरी-डोमेस्टिक रोडेंट्स में प्लेग एंटी-बाडीज की मौजूदगी का पता लगाने के लिए स्थानिकमारी वाले राज्यों, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में गठित राज्य प्लेग नियंत्रण इकाइयों के प्लेग निगरानी कार्यकलापों का समन्वय राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान के बंगलौर स्थित फील्ड यूनिट द्वारा किया जाता है। इन स्थानिकमारी वाले राज्यों के प्रतिनिधि प्लेग निगरानी की स्थिति की समीक्षा करने के लिए नियमित रूप से समन्वय बैठकें करते हैं। हाल ही में प्लेग के किसी भी प्रकार के प्रकोप को मानीटर करने के लिए हिमाचल प्रदेश के रोहरू में एक राज्य प्लेग निगरानी यूनिट भी स्थापित की गई है।

नौवीं योजना के दौरान प्लेग सहित अन्य रोगों के फैलने पर निगरानी रखने के लिए राष्ट्रीय संचारी रोग निगरानी कार्यक्रम आरंभ किया गया है। और इसके अंतर्गत अभी तक 101 जिलों को लाया गया है। इन जिलों को अब दसवीं योजना के दौरान समन्वित रोग निगरानी परियोजना के अंतर्गत लाया गया है जिसका उद्देश्य रोग के फैलने का शुरू में ही पता लगाना और उसका सामना करने के लिए तुरन्त कार्रवाई करना है।

[अनुवाद]

मंत्रालयों/विभागों में कर्मचारियों की संख्या में कटौती

***311. श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्षों से केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के कर्मचारियों की संख्या में कटौती कर रही है;

(ख) यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस कटौती के परिणामस्वरूप गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न श्रेणियों के समाप्त किए गए पद और छंटनी किए गए कर्मचारियों की संख्या कितनी है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार के पदों पर बड़े पैमाने पर भर्ती कब तक किए जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) से (ग) व्यय सुधार आयोग ने करीब 42000 पदों की पहचान, इन पदों को समाप्त किए जाने के लिए की है। इसकी तुलना में संबंधित मंत्रालयों/विभागों ने समाप्त किए जाने हेतु करीब 24000 पदों की पहचान की है। इनमें से करीब 18700 पद पहले ही समाप्त किए जा चुके हैं।

व्यय सुधार आयोग की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 2001-02 हेतु वित्तीय प्रस्तावों में सीधी भर्ती का अधिकतम उपयोग किए जाने का विचार समाविष्ट किया गया। तदनुसार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा सिविलियन पदों पर भर्ती का अधिकतम उपयोग किए जाने के संबंध में 16 मई, 2001 को अनुदेश जारी किए गए। उपर्युक्त अनुदेशों के अनुसार, प्रति वर्ष लगभग 3 प्रतिशत कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवानिवृत्ति होने के कारण, यदि नई भर्ती एक प्रतिशत तक सीमित रखी जाए तो पाँच वर्षों में कर्मचारियों/अधिकारियों की कुल संख्या 10 प्रतिशत तक कम की जा सकती है। अतः सीधी भर्ती किसी एक वर्ष में होने वाली सीधी भर्ती की रिक्तियों के 1/3 तक इस शर्त के अधीन सीमित रखी जाए कि यह भर्ती कर्मचारियों की कुल संस्वीकृत संख्या के 1% से अधिक नहीं हो। समाप्त किए जाने हेतु लगभग 64000 पदों की पहचान/सिफारिश की गई है तथा उपर्युक्त अनुदेशों के परिणामस्वरूप इनमें से वर्ष 2001-2002 तथा 2002-2003 के दौरान लगभग 22400 पद भरे जाने हेतु चुने गए। समाप्त किए गए पदों का श्रेणी-वार ब्योरा केन्द्रीकत रूप से नहीं रखा जाता। क्योंकि उपर्युक्त आदेशों में केवल रिक्त पद समाप्त किए जाने का ही विनिर्देश है इसलिए इसमें किसी प्रकार की छंटनी शामिल नहीं है।

(घ) केन्द्र सरकार में भर्ती के लिए कोई नियम पद्धति नहीं है तथा भर्ती, किसी वर्ष में होने वाली रिक्तियों के आधार पर, वर्ष दर वर्ष तय की जाती है। रिक्तियों का निर्धारण अंतिम रूप से प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा केन्द्र सरकार के उस समय लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है।

भूकम्प निगरानी प्रयोगशालाएं

***312. श्री जसुभाई दानाभाई बारड : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूरे देश में विद्यालयों में भूकम्प निगरानी प्रयोगशालाएं शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नेशनल स्कूल ऑफ सिस्मोलॉजी प्रोजेक्ट (एन ए एस एस पी) ने लोगों और अवसंरचना पर भूकम्पों के प्रभाव से निपटने हेतु रणनीतियां तैयार की हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) पूरे देश के विद्यालयों में भूकम्प निगरानी प्रयोगशालाओं की शुरूआत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि विद्यालय भूकंप निगरानी प्रयोगशालाओं पर एक पायलट परियोजना शुरू की गई है। जिसमें उत्तर पश्चिम हिमालय (उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर) और भारत के पूर्वोत्तर भागों के सभी 7 राज्यों को शामिल करते हुए भूकंपनीय क्षेत्र IV एवं V में स्थित 100 विद्यालयों को शामिल किया गया है। यह परियोजना विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 10वीं योजना अवधि में शुरू की गई भूकंप विज्ञान और मिशन मोड परियोजना का एक महत्वपूर्ण भाग है। इस परियोजना को वर्ष 2004 के दौरान 4.0 करोड़ रु. की कुल लागत पर अनुमोदित किया गया है। राज्यों के शिक्षा विभागों के परामर्श से विद्यालयों को चुनने की प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा चुकी है। आवश्यक यन्त्रों को खरीदने सम्बंधी आदेश पहले ही दे दिए गए हैं। छात्रों/विज्ञान शिक्षकों के लिए विशेषज्ञों की सहायता से एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी तैयार किया गया है।

(ग) राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान विद्यालय (नेशनल स्कूल ऑफ सिस्मोलाजी) पर कोई परियोजना नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रैबीज/विष निरोधक दवाएं/टीके

***313. श्री सूरज सिंह :**

श्री अनिरूद्ध प्रसाद ऊर्फ साधु यादव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सरकारी अस्पतालों को रैबीज निरोधक तथा विष निरोधक दवाओं/टीकों की आपूर्ति करती है;

(ख) यदि हां, तो इन दवाओं/टीकों की मांग, आपूर्ति तथा खपत का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को उक्त दवाओं/टीकों की कमी की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन दवाओं/टीकों की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा निर्मित दवाओं/टीकों पर राज सहायता प्रदान करने तथा उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सरकारी अस्पतालों के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (छ) भारत सरकार, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सरकारी अस्पतालों को रैबीज निरोधक तथा विष-निरोधक दवाइयों/टीकों की आपूर्ति नहीं करती है। इन्हें राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा संबंधित विनिर्माण यूनिटों से भुगतान करके सीधे ही खरीदा जाता है।

इन वक्सीनों/सीरा की मांग, आपूर्ति और उपयोग के ब्यौरे केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते। जहां न्यूरल टिशू एंटी रैबीज वैक्सीन 1.1.2005 तक तैयार करने की योजना है वहीं एंटी स्नेक वेनम सीरम (**एएसवीएस**) और टिशू कल्चर एंटी रैबीज वैक्सीन (**टीसीएआरवी**) (सरकारी एवं प्राइवेट क्षेत्रों में) की स्थापित क्षमता क्रमशः 13,660 लीटर और 169 लाख खुराक है।

टीसीएआरवी को त्वचा के माध्यम से दिए जाने के लिए नैदानिक परीक्षण किए जा रहे हैं। इसके शुरू हो जाने पर **टीसीएआरवी** की कम खुराकों की आवश्यकता होगी जिससे इलाज का खर्च कम होगा और टीसीएआरवी की उपलब्धता अधिक होगी। जहां तक **एएसवीएस** की उपलब्धता का संबंध है, प्रिवेंशन कंट्रोल एण्ड सुपरविजन आफ एक्सपेरिमेंटशन आन एनीमल (**सीपीसीएसईए**) ने वैक्सीन/सीरा के उत्पादन में इक्विन के उपयोग के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं जिसके परिणामस्वरूप दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं को पूरा करने के कारण इक्विन की उपलब्धता में कमी आई है। इस कारण **एएसवीएस** के उत्पादन में कुछ कमी आई है। इन दिशानिर्देशों में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति द्वारा संशोधन किया जा रहा है।

इस समय इन वैक्सीनों/सीरा के लिए आर्थिक सहायता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

मेडिकल कॉलेजों में कथित रैगिंग

***314. श्री रामदास आठवले :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल छात्रों की कथित रैगिंग तथा उनके साथ किए गए अमानवीय व्यवहार के कारण हुई मौतों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में गत तीन वर्षों के दौरान कितनी शिकायतें प्राप्त हुई; और

(ग) इस कथित रैगिंग पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) और (ख) देश के मेडिकल कॉलेजों में छात्रों की रैगिंग के छिट-पुट मामले छात्रों या उनके अभिभावकों द्वारा समय-समय पर केन्द्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के ध्यान में लाए जाते हैं जिनको आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित राज्य सरकार को भेज दिया जाता है। तथापि, सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान रैगिंग एवं अमानवीय व्यवहार के कारण मेडिकल छात्रों की हुई मृत्यु के बारे में जानकारी नहीं है।

(ग) सरकार ने विश्वविद्यालय/कॉलेजों में छात्रों की रैगिंग की समस्या को गंभीरता से लिया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी शैक्षिक प्रणाली से रैगिंग को पूरी तरह समाप्त करने हेतु शैक्षिक संस्थानों द्वारा अपनाए जाने के लिए कुछ उपाय सुझाए हैं। तदनुसार, केन्द्रीय सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों से शिक्षा सचिवों तथा उप कुलपति/निदेशक (मानद विश्वविद्यालय) से अनुरोध किया है कि वे माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों का सख्ती से अनुपालन करें। चूंकि विश्वविद्यालय को दिए गए ये निर्देश मेडिकल कालेजों पर भी लागू होते हैं। इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मेडिकल कॉलेजों को अलग से कोई अनुदेश नहीं दिए गए हैं।

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए अमरीकी सहायता

***315. श्री देविदास पिंगले :**

प्रो. महादेवराव शिवनकर :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए भारत को तकनीकी सहयोग प्रदान कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) और (ख) पृथ्वी और वायुमण्डलीय विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता-ज्ञापन विद्यमान है। अन्तरिक्ष विज्ञान-उपयोग और वाणिज्य के क्षेत्र में हाल ही में आयोजित भारत-अमेरिकी सम्मेलन के दौरान अनुवर्ती कार्रवाई के लिए आगामी सहयोग हेतु क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है। भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा योजित भारतीय चन्द्र मिशन, चन्द्रयान-1, के भाग के रूप में तथा इस पर किये जाने वाले भारतीय परीक्षणों के पूरक के रूप में लघु प्रायोगिक पैकेजों हेतु प्रस्ताव भेजने के लिए इसरो से अनुरोध किये जाने के प्रत्युत्तर में अमरीका से एक नीतभार प्रस्ताव, अर्थात् 'लघु संश्लेषित द्वारक राडार' का चयन किया गया है। भारत अमरीका से अन्तरिक्ष कार्यक्रम के लिए वाणिज्यिक आधार पर कुछ उपकरणों और सामग्रियों को भी प्राप्त करता है।

[अनुवाद]

स्थानीय डाक भेजने की दरों में कमी करना

***316. श्री पवन कुमार बंसल :** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न कुरियर सेवा प्रदानकर्ता स्थानीय पत्र आदि भेजने के लिए काफी कम शुल्क लेते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने स्थानीय डाक भेजने के लिए डाक दरों को कम करने की आवश्यकता पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कुरियर कम्पनियों की तुलना में अधिक व्यवसाय करने के लिए देश की डाक सेवाओं में सुधार लाने के लिए यदि कोई प्रस्ताव है, तो वह क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन) : (क) स्थानीय डाक वितरण के लिए स्पीड पोस्ट सेवा हेतु देय शुल्क इसी सेवा के लिए संगठित क्षेत्र में कुरियरों को देय शुल्कों के समान हैं। इसके अलावा, डाक विभाग पोस्ट कार्ड, अन्तर्देशीय पत्र कार्ड, इम्बोस्ड (ठप्पेदार) लिफाफा आदि जैसे उत्पादों की रेंज भी प्रदान करता है। ये उत्पाद प्रदान की गई सेवा संबंधी विशिष्टताओं की दृष्टि से भिन्न हैं और डाक शुल्क की अनुरूप दर पर उपलब्ध होते हैं। डाक विभाग के सबसे सस्ते उत्पादों से कम लागत पर कोई भी कुरियर सेवा प्रदान नहीं करता।

(ख) और (ग) जी नहीं, क्योंकि स्थानीय स्पीड पोस्ट और अन्य डाक उत्पादों की मौजूदा निचली दरें कम हैं।

(घ) विभाग ने कुरियर कम्पनियों के मुकाबले कारोबार को और अधिक बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। डाक उत्पादों और सेवाओं के प्रबंधन पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए 1996 से एक व्यवसाय विकास निदेशालय की स्थापना की गई है। कारबार पर आधारित मात्रा संबंधी छूट, "बुकिंग अभी भुगतान बाद में" स्कीम, मासिक बिलिंग, पिक अप सेवाएं और ग्राहकपरक परिचालन जैसे व्यवसाय और ग्राहकोनुकूल योजनाएं उपलब्ध हैं। विभिन्न स्तरों पर ग्राहकों के साथ बैठकों के माध्यम से सम्पर्क बनाए रखना और व्यापार एवं वाणिज्यिक संगठनों के साथ परस्पर विचार-विमर्श करना नियमित कार्यकलाप हैं। डाक सेवाओं के संवर्धन के लिए दीर्घकालिक मार्केटिंग और प्रचार संबंधी प्रयास सुनिश्चित किए गए हैं।

सुदूर क्षेत्रों में प्रशीतन की सुविधा

***317. डा. एम. जगन्नाथ :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि जीवन रक्षक टीकों के परिरक्षण के लिए प्रशीतन की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण देश के सुदूर क्षेत्रों में खसरा जैसे टीके से रोके जा सकने वाले रोग से प्रति वर्ष दो मिलियन से अधिक बच्चे मर जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि सुदूर क्षेत्रों में पचास प्रतिशत से अधिक टीके बेकार हो जाते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने टीकों के परिरक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली खर्चीले प्रशीतन प्रणाली की आवश्यकता से छुटकारा पाने के लिए प्रौद्योगिकी का विकास करने हेतु कोई अध्ययन किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (च) केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2001, 2002, 2003 और 2004 (अगस्त तक) में खसरा के कारण जिन बच्चों की मौत हुई, उनकी संख्या क्रमशः 85, 153, 119 और 116 है।

सभी वैक्सीनें (खसरा की वैक्सीन सहित) बहु खुराक शीशी में उपलब्ध कराई जाती हैं और सरकार की नीति इस बात की अनुमति नहीं देती कि मात्र वैक्सीन बेकार हो जाने के भय से किसी भी बच्चे को बहु–खुराक शीशी से वैक्सीन देने से मना किया जाए। इसलिए, नेमी प्रतिरक्षण कार्यक्रम में वैक्सीन अपव्यय (वैक्सीन वेस्टेज) अनुमत है।

भारत सरकार विभिन्न जिलों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक वैक्सीन के भण्डारण के लिए डीप फ्रीजरों और आइस लाइन्ड रेफ्रीजरेटरों की आपूर्ति करती रही है। वैक्सीन भण्डारण के लिए किसी भी कोल्ड चेन उपकरण की कोई कमी नहीं हैं। मंत्रालय को किसी कोल्ड चेन की असफलता के कारण वैक्सीनों के बेकार होने की घटना की कोई सूचना नहीं मिली है।

भारत सरकार ने वैक्सीनों के महंगे रेफ्रीजरेशन की आवश्यकता से छुटकारा दिलाने सम्बन्धी प्रौद्योगिकी का विकास करने के लिए अभी तक कोई अध्ययन नहीं किया है। तथापि, कैम्ब्रिज बायोस्टेबिलिटी नामक एक ब्रिटिश बायोटेक्नालॉजी फर्म वर्तमान में रेफ्रीजरेशन की जरूरत से छुटकारा दिलाने सम्बन्धी तकनीक पर परीक्षण कर रही है। इस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए इस प्रयोग के नैदानिक परीक्षणों को पेंटावैलेंट वैक्सीन से शुरू किए जाने की संभावना है जिसमें पांच वैक्सीनें अर्थात् डिफ्थीरिया, पर्टुसिस, टैटनेस, हिब और हैपेटाइटिस–बी एक ही में समाहित है।

[हिन्दी]

परमाणु ऊर्जा उत्पादन

*318. **श्री सुरेश चन्देल :**

श्री सीताराम सिंह :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा का देश में विद्युत के कुल उत्पादन में बहुत कम योगदान है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और भारत का विश्व के अन्य देशों की तुलना में परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में क्या स्थान है;

(ग) क्या देश में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की उत्पादन क्षमता कम है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार ने देश में परमाणु ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) वर्ष 2003–04 के दौरान, देश में उत्पादित कुल विद्युत में नाभिकिय विद्युत उत्पादन का हिस्सा 3.2% था।

(ख) विश्व में नाभिकीय विद्युत का औसतन हिस्सा लगभग 16% है, नाभिकिय विद्युत के मुख्य उत्पादक फ्रांस (78%), स्वीडन (50%), जर्मनी (25%), जापान (25%) और संयुक्त राज्य अमरीका (20%) जैसे विकसित राष्ट्र हैं, भारत का नाभिकीय हिस्सा ब्राजील (3.6%) और चीन (2.2%) जैसे विकासशील देशों के तुलनीय है, हमारे देश में नाभिकीय विद्युत की धीमी गति से वृद्धि का मुख्य कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगी हुई प्रतिबंधित व्यापारिक रोक की व्यवस्था के दौरान शुरू में इस अग्रणी प्रौद्योगिकी में व्यापक स्वदेशी क्षमता विकसित करने में लगा समय है। नाभिकीय विद्युत का हिस्सा किसी देश में उपलब्ध ऊर्जा के अन्य विकल्पों के आधार पर अलग–अलग होता है।

(ग) नाभिकीय विद्युत की मौजूदा उत्पादन क्षमता 2770 मेगावाट ई है।

(घ) कुल 4460 मेगावाट ई की क्षमता वाले 9 परमाणु विद्युत रिएक्टर इस समय निर्माणाधीन हैं, इन परियोजनाओं के क्रमिक रूप से पूरा होने पर, यह स्थापित क्षमता वर्ष 2008 तक 6780 मेगावाट ई (एम ए पी एस–1 के अपग्रेडेशन के द्वारा 50 मेगावाट ई सहित) और वर्ष 2011 तक 7280 मेगावाट ई तक पहुंच

जाएगी, परमाणु विद्युत की स्थापित क्षमता को क्रमिक रूप से बढ़ाने के लिए और यूनिट लगाने की योजना है।

[अनुवाद]

शिशु मृत्यु दर संबंधी सम्मेलन

***319. श्री गुरुदास दासगुप्त :**

श्री चेंगरा सुरेन्द्रन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार और यूनाइटेड नेशन्स चिल्ड्रन्स फंड (यूनीसेफ) द्वारा संयुक्त रूप से हाल ही में नई दिल्ली में बाल अस्तित्व संबंधी दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए यदि कोई कार्यक्रम बनाया गया है, तो वह क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) जी, हाँ। भारत सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र बाल निधि (यूनीसेफ) द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 29–30 नवम्बर, 2004 को नई दिल्ली में बाल उत्तरजीविता संबंधी एक दो–दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया।

(ख) यह सम्मेलन सरकार के इस सरोकार की अनुक्रिया में था कि विगत दो दशकों के दौरान बाल स्वास्थ्य में हासिल की गई उपलब्धियां स्थिर बनी हुई हैं। अतः यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक, यूएसएड, सीआईडीए, डीएफआईडी तथा गेट्स फाउंडेशन जैसे अनेक संगठन सहभागी देशों, व्यावसायिक, शैक्षिक तथा अनुसंधान संस्थाओं के साथ बाल उत्तरजीविता क्रांति को पुनजीर्वित तथा क्रियाशील बनाने एवं बाल उत्तरजीविता संबंधी कार्यकलापों पर बल देने के लिए एक बार फिर से विश्व का ध्यान आकर्षित करने हेतु एक वैश्विक बाल उत्तरजीविता सहभागिता स्थापित करने के लिए एकजुट हो गए हैं।

यह सम्मेलन बाल स्वास्थ्य के ध्यान दिए जाने वाले प्रमुख क्षेत्रों में ठोस कार्रवाई करने के एक अवसर के रूप में था।

(ग) और (घ) शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए कार्रवाई संबंधी एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया गया है। इसमें निम्नलिखित बातें शामिल हैं:

- नवजात तथा बाल्यकालीन बीमारियों के समेकित उपचार का त्वरित किन्तु उच्च स्तरीय रॉल, आऊट, एचआईवी/ एड्स से ग्रस्त अथवा उनके प्रति संवेदनशील महिलाओं तथा बच्चों के लिए निवारण तथा उपचार सेवाओं के स्तर में सुधार तथा विकास को शामिल करने हेतु बाल स्वास्थ्य कार्यनीति।
- जनन मार्गीय तथा यौन संचारित संक्रमणों के लिए सेवाओं को शामिल करने हेतु मातृ तथा बाल स्वास्थ्य संबंधी कार्रवाईयां।
- सरकारी विभागों के मध्य तथा निजी क्षेत्रों तथा दाता भागीदारों के साथ अधिक अन्तरक्षेत्रीय समन्वय।
- विभिन्न स्तरों पर बाल उत्तरजीविता के लिए संघटन तथा प्रबंधन कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु संबंधित संकेतकों के साथ मुख्य परिणामों के उप समूह (सब सेट) तथा बाल उत्तरजीविता के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने वाले कार्यक्रम संचालनों तथा प्रबंधन घटकों से संबंधित जिला स्तरों की सेवा प्रदानगी पर सहमति दी जाएगी।
- ग्राम स्तर पर विभिन्न स्वास्थ्य और पोषण कार्यकर्त्ताओं के बीच सहक्रियात्मक कार्य संबंध सुनिश्चित करना।
- नीतिगत कार्रवाईयों की सम्मिलित प्रदानगी द्वारा सह–रूग्णता के मामले पर ध्यान देने के लिए, सरकार द्वारा परिचर्या तथा प्रबंधकीय क्षमता की उपयुक्त गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विशिष्टता के मानदण्ड निर्धारित किए जाएंगे।

शीतल पेय में एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग

***320. श्रीमती मेनका गांधी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शीतल पेय उत्पादनकर्ता शीतल पेयों का हिमांक बिन्दु कम करने के लिए जमाव–रोधी यौगिक के रूप में एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग करते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या एथिलीन ग्लाइकॉल एक खाद्य संयोज्य है, जिसका खाद्य अपमिश्रण निवारक (एफपीए) नियमों के अंतर्गत प्रयोग नहीं किया जा सकता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारत में शीतल पेयों का पीएच 2.3 पाया गया है और इसका सेवन बहुत ही हानिकारक है;

(ङ) यदि हां, तो क्या शीतल पेयों में पीएच के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारक (एफपीए) नियमों में कोई मानक नहीं है; और

(च) यदि हां, तो भारत में शीतल पेयों में पीएच के निर्धारण के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (च) कार्बोनेटेड जल में एथीलिन ग्लाईकोल के प्रयोग का कोई भी मामला स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की जानकारी में नहीं आया है।

एथीलिन ग्लाइकोल खाद्य एडिटिव नहीं है। खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 तथा फल उत्पाद आदेश, 1955 के तहत भारत में कार्बोनेटेड जल सहित किसी भी खाद्य–सामग्री में इसके प्रयोग की अनुमति नहीं दी गई है। खाद्य उत्पादों में इसका प्रयोग खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के उपबंधों तथा फल उत्पाद आदेश, 1955 का उल्लंघन है, जो एक दण्डनीय अपराध है।

खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 तथा फल उत्पाद आदेश, 1955 के तहत कार्बोनेटेड जल में पी एच की अपेक्षा निर्धारित नहीं की गई है और इसलिए इन उत्पादों में पी एच की सीमा का विनियमन नहीं किया जा रहा है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए विश्लेषित कार्बोनेटेड जल के विभिन्न ब्रांडों के 6 नमूनों में, पी एच 3.0–3.2 के रेंज में सूचित की गई है।

अत्यधिक पी एच मान के प्रति अरक्षितता से आंखों, त्वचा तथा श्लेषमा झिल्लियों में जलन होती है। आंखों में जलन तथा त्वचा विकारों का प्रकोपन 11 से अधिक के पी एच मान से जुड़े हुए है। इसके अतिरिक्त, पी एच 10–12.5 के विलयन के केश तंतुओं में सृजन होने की सूचना मिली है। संवेदनशील व्यक्तियों में गैस्ट्रो–इंटेस्टिनल जलन भी हो सकती है। निम्न पी एच मानों के प्रति अरक्षितता से भी ऐसे प्रभाव हो सकते हैं। पी एच 4 के नीचे, आंखों में लालीपन तथा जलन होने की सूचना मिली है, जिसकी गंभीरता घटते हुए पी एच के साथ बढ़ती है। पी एच 2.5 के नीचे एपिथीलियम को होने वाली क्षति अनुत्क्रमणीय तथा व्यापक है।

भारतीय मानक ब्यूरो ने कार्बोनेटेड जल के लिए प्रारूप मानकों का प्रस्ताव किया है। जिसके अन्तर्गत पी एच के लिए एक विशेष रेंज का प्रस्ताव किया गया है।

[हिन्दी]

टीकाकरण कार्यक्रम के लिए टीके (वैक्सीन)

***321. श्री अतीक अहमद :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हेपेटाइटिस ए, बी, छोटी–माता तथा 'रेबीज' के टीके राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन टीकों को राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (घ) व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम (यूआईपी) की शुरूआत वर्ष 1985 में हुई थी और उसे चरणबद्ध ढंग से कार्यान्वित किया गया ताकि वर्ष 1990 तक इस कार्यक्रम में पूरे देश को कवर किया जा सके। इस कार्यक्रम के अधीन शिशु मृत्यु दर में कमी लाने की दृष्टि से उन्हीं वैक्सीनों पर विचार किया गया जिनका मृत्यु दर और रूग्णता दर पर अधिकतम प्रभाव था। यूआईपी के अधीन वर्तमान में जो वैक्सीनें दी जा रही हैं, वे हैं – बीसीजी, डीपीटी, पोलियो, खसरा, डीटी और टीटी।

देश में वर्ष 2002–03 में 15 शहरों और 33 जिलों में एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में हेपेटाइटिस–बी वैक्सीन के प्रयोग की शुरूआत की गयी है। छोटी माता (चिकनपॉक्स) और हेपेटाइटिस–ए जैसी नवीनतम वैक्सीन को शुरू करने पर विचार नहीं किया गया है, क्योंकि इन वक्सीनों का मृत्यु–दर पर बहुत कम प्रभाव है तथा ये वैक्सीनें नई होने के साथ–साथ अधिक महंगी भी हैं। बच्चों के नेमी टीकाकरण के लिए एंटी–रैबीज वैक्सीन देने पर विचार नहीं किया गया है, क्योंकि यह घटना आधारित है तथा यह बच्चों सहित जन–साधारण को कुत्ते/पशुओं के काटने पर दी जा रही है।

[अनुवाद]

खाद्य किरणन (इरैडिएशन) प्रौद्योगिकी

***322. मो. मुकीम :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूध जैसे विभिन्न उत्पादों के परिरक्षण के लिए खाद्य किरणन (इरैडिएशन) का प्रयोग कई पश्चिमी देशों में नहीं किया जाता क्योंकि इससे स्वास्थ्य संबंधी अनेक रोग पैदा हो सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो भारत में विभिन्न खाद्य उत्पादों पर इस प्रौद्योगिकी के प्रयोग की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस विषय के बारे में संगत पत्र जन प्रयोक्ताओं तथा उपभोक्ता समूहों के मार्गदर्शन हेतु कब तक निकाले जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (ग) दूध को छोड़कर अधिकांश खाद्य उत्पादों के परिरक्षण के

लिए किरणन प्रौद्योगिकी (इरेडिएशन) की भारत सहित कई पश्चिमी देशों में अनुमति दी गई है।

भारत में प्याज, मसालों, आलू, चावल, सेमोलिना (सूजी या रवा), गेहूं, आटा, मैदा, आम, किशमिश, अंजीर, सूखे खजूर, अदरक, लहसुन, छोटे प्याज, मांस और चिकन सहित मांस से बने उत्पाद, ताजे समुद्री खाद्य, प्रशीतित (फ्रोजन) समुद्री खाद्य, सूखे समुद्री खाद्य और दालों पर किरणन प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल सम्बन्धी विनियम खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 के नियम 73–78 में दिए गए हैं। इन नियमों में निम्नलिखित अपेक्षा का निर्धारण किया गया है–

* किरणन की खुराकें,
* किरण की प्रक्रिया हेतु अपेक्षाएं,
* खाद्य पदार्थों के किरणन पर प्रतिबंध,
* खाद्य पदार्थों के किरणन सम्बन्धी रिकार्ड,
* खाद्य पदार्थों के किरणन सम्बन्धी मानक।

इनके अतिरिक्त, खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 के नियम 42 के अनुसार किरणीकृत खाद्य पदार्थों के मामले में किरणन के लिए एक लोगो प्रदर्शित किया जाना और घोषणा किया जाना भी आवश्यक है। परमाणु ऊर्जा (खाद्य किरणन नियंत्रण) नियमावली, 1991 में भी दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं।

[हिन्दी]

भारत को एक निवेश केन्द्र बनाने हेतु प्रयास

3224. श्री अधीर चौधरी :

श्री के. सी. पलनिसामी :

श्री के. एस. राव :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपने अधिकांश पडोसी देशों के साथ भारत के सड़क, रेल संपर्क और सीमा चौकियों की स्थिति खराब है और वे किसी बड़े पैमाने के व्यापार और लोगों के परस्पर संपर्क को प्रतिबंधित करते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस दिशा में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने सीमापार अवसंरचना के विकास हेतु एक व्यापक योजना पर काम शुरू किया है जैसा कि दिनांक 7 दिसम्बर, 2004 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित किया है;

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रयोजनार्थ क्या रणनीतिया अपनाई जा रही हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा प्रभावी सीमा व्यापार को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह) : (क) और (ख) सीमावर्ती व्यापार एवं लोगों के आपसी संपर्क को प्रोत्साहित करने के लिए पड़ोसी देशों के साथ सीमावर्ती चौकियों एवं सड़क तथा रेल संपर्कों सहित सीमावर्ती क्षेत्रों में अवसरंचना के विकास पर सरकार विशेष ध्यान देती है। सीमावर्ती क्षेत्रों में अवसंरचना की स्थिति की सरकार समय–समय पर समीक्षा करती है और इसमें सुधार के लिए उपयुक्त कदम उठाती है।

(ग) से (ङ) सीमावर्ती क्षेत्रों में अवसंरचना का विकास सरकार के विस्तृत प्रयास का एक हिस्सा है जिसे यह प्रभावी सीमावर्ती प्रबंध के लिए अभिप्रेत अपने विभिन्न मंत्रालयों एवं एजेंसियों को शामिल कर पूरा करती हैं। इसमें अवसंरचनात्मक संपर्कों को सुधारना और सीमावर्ती प्रबंध को सरल एवं कारगर बनाना शामिल है, जो व्यापार एवं आर्थिक सहयोग में वृद्धि के साथ–साथ लोगों के आपसी संपर्क को बढ़ाने में सहयोग प्रदान करेगा।

पेरोक्सिटीन का नैदानिक परीक्षण

3425. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गलैक्सों कंपनी के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है जिसमें उनकी दवा पाक्सिल (पेरोक्सिटीन) हेतु यू.के. और संयुक्त राज्य अमेरिका में एक नैदानिक परीक्षण के नकारात्मक परिणामों को छुपाया गया है;

(ख) यदि हां, तो पाक्सिल के दुष्प्रभावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) डीसीजीआई द्वारा भारत में इस दवा के मूल्यांकन हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई है कि न्यूयार्क स्टेट एटर्नी जनरल ने ब्रिटिश औषध कम्पनी मैसर्स ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन पर नकारात्मक (नेगेटिव) सूचना को रोककर रखने और बच्चों में एंटी–डिप्रेसेन्ट औषध पेक्सिल (पेरोएक्सेटाइन) प्रेसक्राईब करने की प्रभावकारिता और सुरक्षा से संबंधित आंकड़ों को तोड़–मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों में अवसाद का उपचार करने के लिए पेरोक्सेटाइन के उपयोग से आत्महत्या करने की प्रवृत्ति में वृद्धि होने पर चिंता व्यक्त की है।

(ग) विशेषज्ञों और भारतीय मनश्चिकित्सीय सोसाइटी (आई पी एस) से परामर्श लेते हुए इस मामले की जांच की गई है। इस सोसायटी ने सुझाव दिया है कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों और किशोरों में अवसाद के उपचार पेरोक्सेटाइन के उपयोग की अनुमति दी जानी चाहिए लेकिन सावधानी बरती जानी चाहिए और (यदि आत्महत्या की भावना में वृद्धि हो तो), इन रोगियों की अनिवार्यतः नियमित रूप से जांच की जानी चाहिए।

[अनुवाद]

कोयला कंपनियों के साथ मजदूरी करार

3426. श्री महबूब जाहेदी : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड के प्रबंधन ने अपनी सहायक इकाइयों के कामगारों के साथ वर्ष 2001 में एक मजदूरी करार किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस करार की वर्तमान स्थिति क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) जी, नहीं। कोल इंडिया लिमिटेड ने 2001 में कोई वेतन करार सम्पन्न नहीं किया है।

(ख) और (ग) नए वेतन करार पर कोल इंडिया लिमिटेड, इसकी सहायक कंपनियों तथा श्रम यूनियनों के बीच बातचीत चल रही है।

घटिया साइन बोर्ड

3427. डा. आर. सेनथिल : क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत नवनिर्मित चार लेन की सड़कों सहित भारत की सड़कों पर घटिया साइनबोर्ड लगे हुए हैं और रात के समय सड़कों की दृश्यता बहुत कम है;

(ख) सड़क बिछाने में सड़क साइन और सड़क मार्किंग पर किस अनुपात में राशि खर्च की जाती है;

(ग) क्या सड़क साइन डिजाइन बनाते समय विदेशी तकनीकी जानकारी का भी ध्यान रखा जाता है; और

(घ) यदि हां, तो रात के समय सड़क की दृश्यता को बढ़ाने हेतु क्या उपाय करने की योजना बनाई गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) स्थान की अपेक्षा और धनराशि की उपलब्धता के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों पर दृश्यता में सुधार के लिए संकेत बोर्ड और सड़क चिह्नांकन की व्यवस्था की जाती है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में रात्रि के दौरान बेहतर सड़क दृश्यता के लिए सड़क संकेतों और सड़क चिह्नांकन की पर्याप्त व्यवस्था है।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क संकेतों का प्रावधान, सड़क विकास परियोजनाओं का अभिन्न हिस्सा है और यह आवश्यकता अलग-अलग खंडों में अलग-अलग होती है।

(ग) सड़क संकेत, इंडियन रोड कांग्रेस के मानकों और दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार किए जाते हैं।

(घ) रात्रि के समय बेहतर दृश्यता के लिए पश्च परावर्तक सड़क संकेतों के प्रयोग का निर्णय लिया गया है जिसमें माइक्रो-प्रिज्मैटिक किस्म के सड़क संकेत शामिल हैं।

आंध्र प्रदेश में परिवार कल्याण कार्यक्रम

3428. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से भारत सरकार के परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत बकाया राशि की प्रतिपूर्ति करने तथा वार्षिक आबंटन को 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 180 करोड़ रुपए करने का अनुरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने वर्ष 2002-03 के लिए 141. 54 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की थी और आंध्र प्रदेश राज्य को चार किश्तों में केवल 13,678.54 लाख रुपए प्राप्त हुए थे;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या 46.98 करोड़ रुपए की राशि बकाया रह गई है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी, हां। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में वर्ष 2002-03 का बकाया दावा भेजा है जिसके अनुसार कोई बकाया देय नहीं है। इसके विपरीत, इस राज्य के पास 790. 57 लाख रुपए की फालतू धनराशि पड़ी हुई है। जिसे भविष्य में जारी की जाने वाली धनराशियों में समायोजित करना होगा।

इस विभाग को राज्य सरकार से आबंटन को 100 करोड़

रुपए से बढाकर 180 करोड़ रुपए करने के लिए कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। पिछले वर्षों से यह आबंटन लगातार बढ़ रहा है। जिसका ब्यौरा इस प्रकार है:–

(लाख रुपए में)

वर्ष	आबंटन	जारी धनराशि	बकाया
2001–02	10792.98	10751.15	6510.81
2002–03	14154.00	13678.54	6868.48
2003–04	14485.04	15603.57	8552.22
2004–05	16097.84	12073.38 (3 किस्तें)	

वर्ष 2003–04 के दौरान आबंटित धनराशि के अतिरिक्त 1136.53 लाख रुपए की अतिरिक्त किस्त भी जारी की गई है।

(ग) और (घ) यह सही है कि 14,154 लाख रुपए के आबंटन के मुकाबले चार किस्तों में जारी की गई धनराशि 13678.54 लाख रुपए थी। वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान की अवस्था पर 4930 करोड़ रुपए के बजट अनुमान के मुकाबले इस विभाग के आबंटन में 780 करोड़ रुपए तक की भारी कमी करने के कारण जारी की गई धनराशि में चौथी किस्त में कटौती करना आवश्यक हो गया था। तदनुसार सभी राज्यों की चौथी किस्त में जारी की गई धनराशि कम कर दी गई। तथापि, वर्ष के दौरान आन्ध्र प्रदेश को बकाया के रूप में 6868.48 लाख रुपए की धनराशि भी जारी की गई थी। इस प्रकार, 14154 लाख रुपए के आबंटन के मुकाबले कुल 20,547.02 लाख रूपए की धनराशि जारी की गई जो इस आबंटन से 6393.02 लाख रुपए अधिक थे।

(ङ) और (च) इस विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदानों से इस राज्य द्वारा किए गए अधिक व्यय का राज्य के महालेखाकार द्वारा अंकेक्षित विवरण के आधार पर भुगतान किया जाता है। प्राप्त किए गए सभी बकाया दावों को जारी किया जा चुका है। बकाया के रूप में 46.98 करोड़ रुपए का कोई ऐसा दावा प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

एन आर आई और पी आई ओ हेतु कल्याण अधिकारी नियुक्त करना

3429. श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी :

श्री ए. साई प्रताप :

श्री एम. राजा मोहन रेड्डी :

क्या अप्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन देशों में जहां पर पर्याप्त संख्या में एन आर आई और पी आई ओ हैं, की सहायता हेतु कल्याण अधिकारी नियुक्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे अधिकारियों को किन देशों में नियुक्त किए जाने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त नियुक्तियों हेतु अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

अप्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली हार्ट एंड लंग्स इंस्टीच्यूट

3430. श्री एस. पी. वाई रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली हार्ट एंड लंग्स इंस्टीच्यूट, पंचकुइंया रोड, नई दिल्ली एक सरकारी अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इसे मान्यता दिए जाने का प्रस्ताव है ताकि सीजीएचएस लाभार्थियों को यहां उपचार का लाभ मिल सके; और

(घ) यदि हां, तो औपचारिकताएं कब तक पूरी किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) दिल्ली हार्ट एंड लंग्स इंस्टीच्यूट न तो सरकारी प्रबंधित अस्पताल है और न ही केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त एक निजी अस्पताल है।

(ख) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्ष 2000 में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत निजी अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों को मान्यता देने हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई थीं जिसके एवज में दिल्ली हार्ट एंड लंग इम्स्टीटयूट ने आवेदन नहीं किया था जिसके कारण उक्त अस्पताल को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत मान्यता देने पर विचार नहीं किया जा सका था।

मार्च–अप्रैल, 2004 के दौरान केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना ने निजी अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत मान्यता देने के विषय में पुनः निविदाएं आमंत्रित की थीं। जिसके उत्तर में अन्य अस्पतालों के साथ उक्त अस्पताल ने भी आवेदन किया है। निविदाओं में उल्लिखित मानदंडों को पूरा करने वाले पात्र आवेदक अस्पतालों/ नैदानिक केन्द्रों को मेरिट के आधार पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत मान्यता देने पर विचार किया जाएगा।

(घ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत मान्यता देने की प्रक्रिया में लंबा समय लगता है क्योंकि इसमें आवेदक अस्पतालों का निरीक्षण किया जाना शामिल होता है और तत्पश्चात् आवश्यक प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन आदि लेना होता है। अतः केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत प्राइवेट अस्पतालों को मान्यता देने संबंधी ताजा सूची निकालने हेतु वर्तमान में कोई विशिष्ट समय–सीमा नहीं बताई जा सकती।

भारतीय सैन्य टुकड़ियों के लिए भुगतान

3431. श्री सुबोध मोहिते : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र के प्राधिकृत प्रतिनिधि के बीच भारत द्वारा विभिन्न देशों में अनेक शांति प्रयास के कार्यों में सैन्य टुकड़ियों तथा उपकरण के योगदान हेतु भुगतान करने के बारे में कोई चर्चा/बातचीत हुई है;

(ख) यदि हां, तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत सरकार को कितनी राशि का भुगतान किए जाने की संभावना है; और

(ग) ये राशि कब तक प्राप्त होने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह) : (क) न्यूयार्क स्थित संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत का स्थायी मिशन संयुक्त राष्ट्र के शांति कायम करने के विविध कार्यों में, भारत द्वारा बलों तथा उपस्करों के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र को दी जाने वाली सहायता के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के प्राधिकारियों के साथ नियमित चर्चा करता रहता है। इसके अतिरिक्त, बंद किए गए चार मिशनों से सम्बद्ध लम्बे समय से विवादित लेखा को निपटाने के लिए रक्षा मंत्रालय के एक शिष्टमण्डल ने 27 जनवरी से 5 फरवरी, 2003 तक संयुक्त राष्ट्र के साथ चर्चा की, जिसके पश्चात, संयुक्त राष्ट्र से देय राशि के पूर्ण एवं अंतिम परिशोधन पर दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ।

(ख) और (ग) उपर्युक्त चर्चा के पश्चात भारत को 2.6 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक की कुल राशि का भुगतान किया गया। 18 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक की राशि का भुगतान लम्बित है, जिसका भुगतान सदस्य देशों द्वारा मिशनों के लिए अपना बकाया भुगतान दिए जाने पर किया जाएगा।

[हिन्दी]

कम उम्र की लड़कियों का विवाह

3432. श्री हितेन बर्मन :

श्री जोवाकिम बखला :

श्री रनेन बर्मन :

श्री सुब्रत बोस :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जनसंख्या परिषद पॉपुलेशन काउंसिल के अध्ययन के अनुसार 8.9 प्रतिशत भारतीय लड़कियों का विवाह 13 वर्ष की उम्र से पहले ही हो जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में हुए ऐसे विवाहों की कुल संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय लड़कियों को ऐसे कम उम्र के विवाहों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) संदर्भित अध्ययन एक लेख है जो 11–17 अक्तूबर, 2003 के इकोनामिक एंड पालिटिकल वीकली, वाल्यूम XXXVIII संख्या 41 में प्रकाशित किया गया था। इस अध्ययन से पता चलता है कि 8.9 प्रतिशत लड़कियों का 13 वर्ष की आयु तक विवाह हुआ था। तथापि यह वर्तमान स्थिति को इंगित नहीं करता है। इस समय 13 वर्ष से पहले शादी की गई 25–29 वर्ष आयुवर्ग की महिलाओं का प्रतिशत 12.1 है। यह प्रतिशत 20–24 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं के संबंध में गिरकर 8.9 होता है तथा 15–19 वर्ष आयुवर्ग की महिलाओं पर यह प्रतिशत पुनः गिरकर 4.7 प्रतिशत होता है। अन्य शब्दों में समय के साथ–साथ 13 वर्ष की आयु में विवाहित होने वाली महिलाओं का प्रतिशत नीचे गिर रहा है तथा 2000 में ऐसी महिलाओं का प्रतिशत 5 था। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 1998–99 के अनुसार 13 वर्ष से पहले विवाहित हुई 25–49 आयुवर्ग की महिलाओं का राज्यवार प्रतिशत प्रदर्शित करने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) बाल विवाह की रोकथाम हेतु बाल विवाह निवारण विधेयक, 2004 नामक एक विधेयक 20 दिसम्बर, 2004 को राज्य सभा में पेश किया गया।

विवरण

25-49 आयु की महिलाओं का प्रतिशत जिनका विवाह ठीक 13 वर्ष की आयु में हुआ।

राज्य	आयु–13
1	2
भारत	15.4
उत्तर	
दिल्ली	4.7
हरियाणा	10.1
हिमाचल प्रदेश	2.1
जम्मू–कश्मीर	6.0
पंजाब	1.2
राजस्थान	30.1
केन्द्र	
मध्य प्रदेश	30.8
उत्तर प्रदेश	27.7
पूर्व	
बिहार	23.0
उड़ीसा	2.8
पश्चिम बंगाल	9.0
पूर्वोत्तर	
अरुणाचल प्रदेश	3.7
असम	3.4
मणिपुर	0.3
मेघालय	1.1
मिजोरम	0.1
नागालैण्ड	0.6
सिक्किम	2.4
पश्चिम	
गोवा	1.7
गुजरात	8.4
महाराष्ट्र	11.3
दक्षिण	
आंध्र प्रदेश	22.1
कर्नाटक	9.1
केरल	0.9
तमिलनाडु	2.6

स्त्रोत : राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–II 1998–99

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में एन एच ए आई के काम की प्रगति

3433. श्री जोवाकिम बखला : क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में एन एच ए आई के काम में अभी तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या सरकार जलपाईगुड़ी में एनएचएआई परियोजना के संबंध में किसी कठिनाई का सामना कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने जलपाईगुड़ी में एनएचएआई हेतु पर्यावरण और वन मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त कर ली है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार की इस संबंध में क्या कार्य योजना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के पूर्व–पश्चिम महामार्ग के रूप में पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में रा रा 31 रा रा 31 सी के खंडों को 4 लेन का बनाने का आदेश दिया गया है। इसकी स्थिति से संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (च) पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले से रा रा 31 (575.150 से 587.60 कि.मी. और 603.40 से 634.00 कि.मी) और रा रा 31 सी (105.00 से 223.00 कि.मी.) खंडों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पूरी नहीं हुई है क्योंकि इसका संरेखण तीन स्थानों पर वन्य पक्षी विहार/राष्ट्रीय पार्कों अर्थात् महानंदा वन्य पक्षी विहार, जल्दपाड़ा वन्य पक्षी विहार और बक्सा टाइगर रिजर्व से गुजरता है। आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय से अनुरोध किया गया है।

विवरण

पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की स्थिति।

क्र. सं.	रा रा सं.	खंड (चेनेज)	स्थिति
1.	31	575.150 से 587.60 कि.मी. और 603.40 से 634.00 कि.मी	पर्यावरण और वन मंत्रालय से स्वीकृति न मिलने के कारण सर्वेक्षण और जांच कार्य शुरू नहीं किया जा सका क्योंकि अनेक स्थानों पर इसका संरेखण वन्य पक्षी विहार/राष्ट्रीय पार्कों से गुजरता है।
2.	31 सी	105.00 से 223.00 कि.मी	
3.	31 सी	223.00 से 249.700 कि.मी. और 253.30 से 255.00 कि.मी.	सिविल ठेके के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं और जून, 2005 तक कार्य सौंप दिए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

राजस्थान में परमाणु विद्युत संयंत्र

3434. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में किन-किन स्थानों पर विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) ये संयंत्र कब स्थापित किए गए थे;

(ग) परमाणु विद्युत संयंत्रों की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है;

(घ) इन संयंत्रों के खराब होने तथा काम न करने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन संयंत्रों की तकनीक/मशीनरी को बदलने का है;

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या ये परमाणु विद्युत केन्द्र प्रदूषण और बीमारी पैदा कर रहे हैं; और

(ज) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) से (ग) राजस्थान में परमाणु विद्युत रिएक्टर चित्तोड़गढ़ जिले में रावतभाटा में स्थित हैं। इन रिएक्टरों की मौजूदा क्षमता और वाणिज्यिक स्तर पर प्रचालन शुरू करने की तारीख निम्नानुसार हैं :

यूनिट-स्थान	मौजूदा क्षमता (मेगावाट ई)	वाणिज्यिक स्तर पर प्रचालन शुरू करने की तारीख
1	2	3
आरएपीएस-1 रावतभाटा, राजस्थान	100	16 दिसम्बर, 1973
आरएपीएस-2 रावतभाटा, राजस्थान	200	01 अप्रैल, 1981
आरएपीएस-3 रावतभाटा, राजस्थान	220	01 जून, 2000
आरएपीएस-4 रावतभाटा, राजस्थान	220	23 दिसम्बर, 2000

इनके अलावा, रावतभाटा में यूनिट 5 और 6 भी इस समय निर्माणाधीन हैं और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, ये यूनिट वर्ष 2007-08 में वाणिज्यिक स्तर पर प्रचालन शुरू कर देंगे। इन यूनिटों का निर्माण कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है।

(घ) से (च) यूनिट 2, 3 और 4 उच्च उपलब्धता गुणकों के साथ अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। वर्ष 1973 में वाणिज्यिक स्तर पर प्रचालन शुरू करने वाले यूनिट 1 द्वारा 30 से भी अधिक वर्षों तक कार्य किया जा चुका है। देश में पहला दाबित भारी पानी रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर) होने के कारण, इसने बाद के पीएचडब्ल्यूआर कार्यक्रम के लिए बहुमूल्य इनपुट्स भी उपलब्ध कराए हैं। इस यूनिट को 09.10.2004 को शट-डाउन कर दिया गया था। उन्नयन कार्यों के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत अध्ययन शुरू किए गए हैं और इस यूनिट का प्रचालन जारी रखने संबंधी निर्णय उक्त अध्ययनों के निष्कर्ष पर निर्भर करेगा।

(छ) जी, नहीं।

(ज) ऊपर (छ) के मद्दे नजर यह लागू नहीं होता।

[अनुवाद]

इलेक्ट्रानिक नंबर प्लेट्स

3435. श्री ए. के. मूर्ति : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में वाहनों के लिए इलेक्ट्रानिक नंबर प्लेटों का प्रयोग किया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू): (क) इलेक्ट्रानिक नंबर प्लेटों की शुरूआत किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, मोटर वाहनों के लिए उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेटें शुरु किए जाने का विचार है।

(ख) उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेटों में निम्नलिखित विशेषताएं शामिल हैं:–

(i) क्रोमियम होलोग्राम जिसकी आसानी से प्रतिकृति नहीं बनाई जा सकती।

(ii) पश्च परावर्तक फिल्म जिस पर 45 डिग्री के झुकाव पर "इंडिया" सत्यापन विवरण होगा जिसकी आसानी से नकल नही की जा सकती।

(iii) लेजर नंबर प्रणाली जो अद्वितीय है और इसमें परीक्षण एजेंसियों व विनिर्माताओं दोनों की अल्फा–न्यूमेरिक पहचान है।

(iv) अगली और पिछली पंजीकरण प्लेटों में प्लेटों के बाएं मध्य में नीले रंग में "इंड" अक्षर ताप स्टांपित होगा।

(v) पिछली पंजीकरण प्लेट के मामले में इसे पुनः उपयोग न किए जा सकने वाले स्नैप लॉक के साथ लगाया जाएगा ताकि इसमें छेड़छाड़ न की जा सके।

(vi) स्टीकर के रूप में क्रोमियम आधारित तीसरी पंजीकरण प्लेट विंड शील्ड पर लगाई जानी है जिसमें इंजन और चेसी की संख्या के साथ पंजीकरण प्राधिकारी का नाम होगा।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान में धन का दुरूपयोग

3436. श्री टी. के. हमज़ा : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान में 500 करोड़ रुपये से अधिक सरकारी धन के बर्बाद होने तथा अवैध हिस्सेदारी की बात आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संस्थान–वार ब्यौरा क्या है और क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान के लिए 500 करोड़ रुपये से अधिक सरकारी धन बर्बाद होने और अवैध हिस्सेदारी की कोई बात सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

"ट्राई" को वित्तीय स्वायत्तता देना

3437. श्री बालेश्वर यादव : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने केन्द्र सरकार को वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करने तथा अपने खर्चों को पूरा करने हेतु दूरसंचार तथा केबल कंपनियों के लाइसेंस शुल्क में उसे हिस्सा देने संबंधी कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसका अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में निर्णय कब तक लेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) मामले की जांच की जा रही है और इसलिए फिलहाल कोई निश्चित समय–सीमा नहीं बताई जा सकती।

सब्सक्राइबर होम डाइलिंग

3438. श्री रघुराज सिंह शाक्य : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सेल्यूलर ऑपरेटरों द्वारा पहले की गई "सब्सक्राइबर होम डाइलिंग" की पेशकश संबंधी मामले को पुनः खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या अकेले बी.एस.एन.एल. को उस सेवा के कारण 800 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(घ) क्या उन ऑपरेटरों को अर्थदण्ड का भुगतान करे बिना छोड़ दिया गया था;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या दूरसंचार विभाग के आंतरिक सतर्कता विभाग ने सरकारी अधिकारियों द्वारा की गई किसी अनियमितता का पता लगाया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) सरकार को सेल्यूलर प्रचालकों द्वारा पेश की गई 'सब्सक्राइबर होम डॉयलिंग' से संबंधित किसी भी मामले की जानकारी नहीं है।

(ख) से (ज) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

शहरी मलिन बस्तियों हेतु सामुदायिक टेलीफोन

3439. श्री हरिहर स्वाईं : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि शहरी मलिन बस्तियों के गरीब निवासियों को ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन की तरह सामुदायिक टेलीफोन की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व के अंतर्गत इसे उपलब्ध कराने की सशर्त/अनिवार्य बनाकर कोई कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को यह विकल्प दिया गया है कि वे सार्वभौमिक सेवा दायित्व के अंतर्गत बी.पी.टी. की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों (मलिन बस्तियों) में ऐसी सेवाएं प्रदान करें; और

(ङ) यदि हां, तो इस योजना को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में, अधिकांशतः ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन ही पूरे गांव के लिए संचार का एकमात्र साधन है। शहरी क्षेत्रों के अधिकांश क्षेत्रों में सार्वजनिक कॉल घर (पीसीओ) उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं सामुदायिक टेलीफोन की आवश्यकता की पूर्ति करती हैं।

(ख) सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसओ) निधि, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बुनियादी तार/दूरसंचार सेवायें उपलब्ध कराने के लिए आशयित है और इसके अंतर्गत शहरी मलिन बस्तियां शामिल नहीं हैं।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

टावर क्षमता को बढ़ाना

3440. श्री हितेन बर्मन : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले में डब्ल्यू. एल. एल. और मोबाइल कनेक्शनों की टावर क्षमता को बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार कूच बिहार में डब्ल्यू.एल.एल. के लगभग 2100 कनेक्शनों और बी.एस.एन.एल. के 10000 कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची वाले आवेदनों को किस प्रकार निपटाने की योजना बना रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (ग) बबूरहाट, कूचबिहार, तल्लीटोला, दीनहाटा, मेखलीगंज, मथभंगा और तूफानगंज में मोबाइल बीटीएस की क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव है। इससे प्रत्येक मोबाइल बीटीएस की मौजूदा क्षमता 1000 लाइनों से बढ़कर 2500 लाइनों तक हो जाएगी और इस कार्य के वर्ष 2005 तक पूरा होने की संभावना है। चूंकि कूचबिहार, दीनहाटा, मथभंगा एवं मेखलीगंज स्थित डब्ल्यूएलएल बीटीएस की टावर की क्षमता 500 लाइनों से बढ़ाकर 1000 लाइनें की जा चुकी है, अतः डब्ल्यूएलएल क्षमता को और अधिक बढ़ाने की कोई योजना नहीं है।

(घ) प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों का निपटान करने हेतु निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:-

(1) हाल ही में, तूफानगंज में 1000 लाइनों वाली कॉर-डेक्ट डब्ल्यूएलएल प्रणाली की संस्थापना की गई है।

(2) डब्ल्यूएलएल कनेक्शनों के लिए एफडब्ल्यूटी उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

ए आर वी दवाओं की आपूर्ति

3441. श्री हेमलाल मुर्मू : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने एड्स से लड़ने हेतु ए आर वी दवाओं

को खरीदने हेतु गरीब देशों को 1.5 बिलियन अमरीकी डालर ऋण को स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो लाभार्थी देश कौन–कौन से हैं और ऐसे देशों को कितनी राशि आबंटित की गई है; और

(ग) कौन–कौन सी भारतीय फार्म कंपनियां इन देशों को ए आर वी दवाओं की आपूर्ति करेंगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

हार्मोनल इन्जेक्टबल कंट्रासेप्टीव

3442. श्री कुलदीप बिश्नोई : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम में महिलाओं के लिए हार्मोनल इन्जेक्टबल कंट्रासेप्टीव की शुरूआत करने के पूर्व कोई अध्ययन कराया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा हार्मोनल इन्जेक्टबल कंट्रासेप्टीव नेट एन और डेपो–प्रोवेरा को प्रतिबंधित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं क्योंकि ये महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी, इंजेक्टेबल गर्भनिरोधकों को परिवार कल्याण कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है तथापि, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली और राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, मुम्बई क्रमशः सारक्लोफेम नामक मासिक इंजेक्टेबल गर्भनिरोधक और नेट–इन (एनईटी–ईएन) नामक द्विमासिक इंजेक्टेबल गर्भनिरोधक के बारे में क्लिनिकल अध्ययन कर रहे हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

सभी के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा

3443. श्री अनन्त नायक : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने हेतु सरकार की क्या योजना है;

(ख) क्या सरकार ने इसके लिए संसाधनों का आबंटन किया है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में कार्पोरेट क्षेत्र से वित्तीय और प्रबंधकीय संसाधन जुटाने हेतु क्या कार्रवाई की गई; और

(घ) पिछले तीन वर्षों में कितनी वित्तीय सहायता जुटाई गई और कितने व्यक्तियों की सहायता की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) देश में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं 138285 उपकेन्द्रों, 22926 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 3106 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नेटवर्क के जरिए प्रदान की जा रही हैं। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अंतर्गत यू पी ए सरकार का अभिमत अगले पांच वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यय के मौजूदा स्तर सकल घरेलू उत्पाद के 0.9 प्रतिशत से बढ़ाकर 2.3 प्रतिशत करने का है। तदनुसार, ग्रामीण लोगों को गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा प्रदान करने के लिए राज्यों में आधारभूत सुविधा सुदृढ़ करने हेतु परिवार कल्याण विभाग में एक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन स्थापित करने का विचार किया गया है। इसका उद्देश्य व्यापक एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या को सुदृढ़ करके उच्च प्रजननता वाले राज्यों पर ध्यान केन्द्रित करना है।

शिक्षा और प्रोन्नति में अ.पि.व. के लिए आरक्षण

3444. प्रो. एम. रामदास : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए शिक्षा में आरक्षण देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो कब से और किस तरह से आरक्षण दिया जाएगा;

(ग) क्या सरकार अन्य पिछड़े वर्गों को प्रोन्नति में भी आरक्षण कार्यान्वित करने पर विचार करेगी; और

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग - 37 को चार लेनों वाला बनाना

3445. श्री किरिप चालिहा : क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–37 के नगांव–जोरहाट–डिब्रुगढ़ खंड को प्राथमिकता के आधार पर चार लेनों वाला बनाए जाने की परियोजना को शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए किए गए वित्तीय आबंटन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) परियोजना को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) इस मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में सड़कों के तेजी से सुधार के लिए एक परियोजना तैयार की है। नगांव में डिब्रुगढ़ वाया जोरहाट रा रा 37 को चार लेन का बनाने का कार्य उक्त परियोजना में शामिल किया गया है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त परियोजना अभी प्रस्ताव के स्तर पर है और इसलिए इस संबंध में ब्यौरे दे पाना अभी संभव नहीं है।

राष्ट्रीय राजमार्ग - 76 का विकास

3446. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान होते हुए पूर्वी–पश्चिमी गलियारे के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या – 76 पर किए जा रहे विकास कार्य की कार्य योजना का ब्यौरा सहित वर्तमान प्रगति रिपोर्ट क्या है; और

(ख) उक्त राजमार्ग पर बाइपास और पुलों, तथा 6 लेन वाली सड़क के निर्माण का ब्यौरा, भूमि अधिग्रहण कार्य और व्यय की जाने वाली राशि सहित कार्य–वार प्रगति रिपोर्ट क्या है; और

(ग) इस परियोजना के अंतर्गत कोटा में निर्माण किए जाने वाले बाइपास का मार्ग क्या है और भूमि अधिग्रहण कार्य तथा पुल निर्माण कार्य की स्थिति क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत पूर्व–पश्चिम महामार्ग के भाग के तौर पर राजस्थान में रा रा 76 को 0.00 से 579.00 कि.मी. तक और मध्य प्रदेश में 579.00 से 609 कि.मी. तक 4 लेन का बनाया जा रहा है। इस परियोजना को दिसंबर, 2007 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। फिलहाल, रा रा 76 को 6 लेन का बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। रा रा 76 को 172 से 220 कि.मी. तक 4 लेन बनाने का कार्य पूरा कर लिया गया है और 113.825 से 172 कि.मी. तक के खंड को 4 लेन बनाने का 94 प्रतिशत कार्य भी पूरा कर लिया गया है। इस खंड पर चित्तौड़गढ़ से उदयपुर (113.82 से 220 कि.मी.) जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में भी शामिल है, 5 बाइपास, 30 छोटे पुल, 3 बड़े पुल और 2 रेल उपरि पुलों का निर्माण किया जा रहा है/किया गया है। शेष खंड पर 5 बाइपास, 31 बड़े पुल, 134 छोटे पुलों के निर्माण का प्रस्ताव है। इस खंड के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य चल रहा है। कार्यवार प्रगति के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) प्रस्तावित कोटा बाइपास रा रा 76 के 382.80 कि. मी. से शुरू होता है। यह 256.60 कि.मी. पर रा रा 12 को क्रास करता है और रा रा 76 के 406.00 कि.मी. पर समाप्त होता है। इस बाइपास के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू कर दिया गया है। कोटा बाइपास और पुल का निर्माण कार्य जून, 2005 तक शुरू किया जाना है और दिसंबर, 2007 तक पूरा किया जाना है।

विवरण

राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति

क्रम सं.	खंड	लंबाई (कि.मी.)	वित्त पोषण कर्ता	स्थिति
1	2	3	4	5
1	पिंडवाड़ा से बेकरिया 0 से 29 कि.मी.	29	भा.रा.रा.प्रा.	निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं को जून, 2005 तक सौंप दिए जाने और दिसंबर, 2007 तक पूरी हो जाने की संभावना है।
2.	बेकरिया से गोगुंडा 29 से 73 कि.मी.	44	भा.रा.रा.प्रा.	
3.	गोगुंडा से उदयपुर 73 से 113.82 कि.मी	40.82	भा.रा.रा.प्रा.	

1	2	3	4	5
4.	उदयपुर से मंगलवाड़ 113.82 से 172 कि.मी.	58.18	भा.रा.रा.प्रा.	निष्पादन प्रगति – 94%
5.	मंगलवाड़ से चित्तौड़गढ़ 172 से 220 कि.मी.	48	भा.रा.रा.प्रा.	जनवरी, 2004 में पूर्ण।
6.	चित्तौड़गढ़ बाइपास 220 से 253 कि.मी.	33	एशियाई विकास बैंक	निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं को जून, 2005 तक सौंप दिए जाने और दिसंबर, 2007 तक पूरी हो जाने की संभावना है।
7क	चित्तौड़गढ़ से कोटा 253 से 316 कि.मी.	63	एशियाई विकास बैंक	
7ख	चित्तौड़गढ़ से कोटा 316 से 381 कि.मी.	65	एशियाई विकास बैंक	
8.	कोटा बाइपास 381 से 406 कि.मी.	15	भा.रा.रा.प्रा.	निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं को जून, 2005 तक सौंप दिए जाने और दिसंबर, 2007 तक पूरी हो जाने की संभावना है।
9क	कोटा से राजस्थान/म.प्र. सीमा 406 से 449 कि.मी.	43	एशियाई विकास बैंक	
9ख	कोटा से राजस्थान/म.प्र. सीमा 449 से 509 कि.मी.	60	एशियाई विकास बैंक	निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं को जून, 2005 तक सौंप दिए जाने और दिसंबर, 2007 तक पूरी हो जाने की संभावना है।
9ग	कोटा से राजस्थान/म.प्र. सीमा 509 से 579 कि.मी.	70	एशियाई विकास बैंक	
10	राजस्थान/म.प्र. सीमा से म.प्र. में शिवपुरी 579 से 609 कि.मी.	30	एशियाई विकास बैंक	

कम्यूनिकेशन टावर की शक्ति में वृद्धि

3447. **श्री राजेश कुमार मांझी :** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में गया, नालंदा, बक्सर जिलों में बेहतर मोबाइल सुविधाओं हेतु कम्यूनिकेशन टावर की शक्ति बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) भारत संचार निगम लिमिटेड ने वर्ष 2005 में बिहार के गया, नालंदा और बक्सर जिले में बेहतर मोबाइल सुविधाएं प्रदान करने हेतु, सेल्यूलर सेवाओं के विस्तार की योजना बनाई है।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर यातायात

3448. **श्री असादूद्दीन :** क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 पर सांगारेड्डी से हैदराबाद और हैदराबाद से विजयवाड़ा तक भारी यातायात होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से उक्त दो खंडों पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 को चार लेन वाला बनाने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए या उठाए जा रहे हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी हां।

सांगारेड्डी और हैदराबाद के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 को 493/0 से 524/0 कि.मी. तक बी ओ टी आधार पर 4 लेन का बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 के सांगारेड्डी–हैदराबाद खंड का शेष भाग (524/0 से 543/0 कि.मी.) पहले से ही 4 लेन से अधिक चौड़ा है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 के हैदराबाद – विजयवाड़ा खंड पर 0 से 31 कि.मी. (हैदराबाद के समीप) और 215.8 कि.मी. (नंदीगांव) से 265 कि.मी. (विजयवाड़ा) तक 4 लेन बनाने का कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया है। 31/0 से 41/0 कि.मी. तक 4 लेन बनाने का कार्य चल रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 के हैदराबाद– विजयवाड़ा–मछलीपट्टनम खंड को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–III में शामिल किया गया है जो अभी प्रस्ताव के स्तर पर है।

दिल्ली में सी. जी. एच. एस. औषधालय

3449. श्री कैलाश मेघवाल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में वर्ष 2000 से सी.जी.एच.एस. के कितने नए होम्योपैथिक औषधालय/इकाइयां खोली गईं;

(ख) नए औषधालयों/इकाईयों के स्थान–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2000 से आज तक दिल्ली में सी.जी.एच.एस. के कितने नए एलोपैथिक औषधालय खोले गए;

(घ) क्या सरकार का विचार वर्ष 2004–05 के दौरान नए एलोपैथिक/होम्योपैथिक औषधालय खोलने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान–वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत वर्ष 2000 से कोई नए होमियोपैथिक औषधालय/यूनिट नहीं खोली गई है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अन्तर्गत वर्ष 2000 से कोई नया एलोपैथिक औषधालय नहीं खोला गया है।

(घ) और (ङ) 10वीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत होमियोपैथिक और एलोपैथिक औषधालय/यूनिट खोलने के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

होमियोपैथिक गाजियाबाद, पीतमपुरा और नौएडा।

एलोपैथिक : नजफगढ़, साहिबाबाद, बसन्त विहार, मयूर विहार फेज–।। और विकासपुरी।

तथापि, संसाधनों और जनशक्ति की कमी के कारण उक्त केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों/यूनिटों को खोलना अभी सम्भव नहीं है।

राजौरी गार्डन में सी. जी. एच. एस. औषधालय

3450. श्री राजेन्द्र कुमार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन दशकों से किराए के मकान में चल रहे सी.जी.एच.एस औषधालय संख्या–53, राजौरी गार्डन को माननीय न्यायालय के आदेश के अंतर्गत फरवरी, 2005 के अंत तक विद्यमान परिसर से खाली कराया जाना है;

(ख) यदि हां, तो सरकार के पास औषधालय को नए परिसर में स्थानांतरित करने की कौन सी वैकल्पिक योजना है ताकि लाभार्थियों को कोई असुविधा न हो;

(ग) क्या सरकार टैगोर गार्डन में औषधालय के नए भवन का निर्माण शीघ्र न होने की स्थिति में मौजूद परिसर को खाली करने की तिथि फरवरी, 2005 को आगे बढ़ाने की मांग पर विचार करेगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या टैगोर गार्डन में औषधालय के लिए नए भवन के निर्माण कार्य को पूरा करने हेतु कोई समय–सीमा निर्धारित की गई है; और

(छ) यदि हां, तो नए भवन का निर्माण कब तक पूरा कराए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना ने औषधालय का स्थान बदलने के लिए वैकल्पिक स्थान किराए पर लेने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना ने पहले ही माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली को 28 फरवरी, 2005 को इस परिसर को खाली करने की वचनबद्धता दे दी है। अतः फरवरी, 2005 से आगे इस समयावधि को बढ़ाने के लिए अनुरोध करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) और (छ) टैगोर गार्डन में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना भवन का निर्माण किया जा रहा है और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

ने सूचित किया है कि इस निर्माण कार्य के अक्तूबर, 2005 तक पूरा करने का कार्यक्रम है।

भेषजज्ञों की कमी

3451. श्री ए. एफ. जी. ओसमानी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में सी.जी.एच.एस. के आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक औषधालयों/इकाईयों में भेषजज्ञों की कमी है और कुछ औषधालय/इकाइयां तो बिना भेषजज्ञों के ही चल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है तथा भेषजज्ञों की स्वीकृत संख्या कितनी है और उनकी औषधालय/ईकाई–वार वास्तविक स्थिति क्या है;

(ग) क्या जहां भेषजज्ञों की संख्या अपर्याप्त है वहां वे लाभार्थियों की भीड़ को संभालने में समर्थ हैं;

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा लाभार्थियों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) रिक्तियों को भरने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) सीजीएचएस, दिल्ली के अंतर्गत आने वाले आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक औषधालयों/इकाईयों में फार्मासिस्टों की रिक्ति की स्थिति निम्नलिखित है:–

फार्मासिस्ट	स्वीकृत	रिक्त
आयुर्वेदिक	34	3
होम्योपैथिक	21	5

सीजीएचएस, दिल्ली के अंतर्गत कोई भी आयुर्वेदिक/ होम्योपैथिक औषधालय फार्मासिस्ट के बगैर नहीं चल रहा है तथा मौजूद सभी फार्मासिस्ट लाभार्थियों की सेवा करने में सक्षम हैं।

(ङ) सरकार को सीजीएचएस आयुष डिस्पेंसरी/यूनिट पर बनी स्टाफ निरीक्षण यूनिट रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसे, उसमें की गई सिफारिशों पर टिप्पणी करने के लिए आयूष विभाग को भेज दिया गया है। सीजीएचएस द्वारा एस आई यू रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन करने के पश्चात ही आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक फार्मासिस्टों के रिक्त पद भरे जा सकते हैं।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा का अकृत्यिक वेतनमान

3452. डा. अरूण कुमार शर्मा : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डैनीक्स/डैनीप्स प्रणाली के आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी संवर्ग में 8000–13500 रुपए के अकृत्यिक वेतनमान की शुरूआत की है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह सही है कि डैनीक्स/डैनीप्स मामले में वेतनमान की प्रभावी तिथि दिनांक 1.1.1996 से भूतलली प्रभाव से की गई थी, जबकि सरकार ने सितम्बर, 2000 में निर्णय लिया था;

(ग) यदि हाँ, तो केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों के मामले में इसे दिनांक 3.10.03 से कार्यान्वित करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने कई मामलों में, पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशें के लागू होने के बाद विभिन्न संशोधित वेतनमानों को दिनांक 1.1.1996 से भूतलली प्रभाव से लागू किया है; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों के मामले में इसी तरह का निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) से (ग) इस बारे में एक विवरण संलग्न है।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विवरण

दिल्ली और अंडमान निकोबार सिविल सेवा (दानिक्स)/दिल्ली और अंडमान निकोबार पुलिस सेवा (दानिप्स) के अधिकारियों को उच्चतर वेतनमान पाँचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की एक विशिष्ट सिफारिश के आधार पर प्रदान किए गए थे जिसके अनुसार 14300–18300/– रुपए का नया ग्रेड शुरू किए जाने के साथ ही दानिक्स और दानिप्स के प्रवेशकालिक (आरंभिक) वेतनमान को 6500–10500/ रुपए के वेतनमान से बढ़ाकर 8000–13500/– रुपए किया जाना था। पाँचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश को, पदों के पुनर्वितरण आदि के मामलों को छोड़कर केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 1997 के प्रावधानों के अनुरूप, दिनांक 01.01.1996 से लागू किया जाना था। दानिक्स/दानिप्स के अधिकारियों को 8000–13500/– रूपए का वेतनमान दिए जाने में पदों के पुनर्वितरण को कोई प्रश्न निहित नहीं था। तदनुसार, पाँचवें

केन्द्रीय वेतन आयोग की सरकार द्वारा संशोधित रूप में यथा स्वीकृत सिफारिश (जिसके अनुसार दानिक्स/दानिप्स के अधिकारियों को, चार वर्ष की सेवा पूरी कर लेने पर 8000–13500/– रुपए का गैर– कार्यात्मक वेतनमान प्रदान किया गया था) के अनुसार, इन अधिकारियों के संबंध में 8000–13500/– रुपए का उच्चतर वेतनमान दिनांक 01.01.1996 से पूर्व प्रभाव से ही लागू किया जा सकता था। इसके विपरीत, पाँचवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों को 8000–13500/– रुपए का वेतनमान दिए जाने के संबंध में कोई सिफारिश नहीं की थी।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा की संवर्ग पुनर्संरचना समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् सरकार ने केन्द्रीय सचिवालय सेवा की व्यापक पुनर्संरचना करने का निर्णय लिया जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों को दिनांक 03.10.2003 से भविष्यलक्षी प्रभाव से 8000– 13500/– रुपए का गैर वेतनमान दिया जाना शामिल है। केन्द्रीय सचिवालय सेवा का संवर्ग पुनर्संरचना के संबंध में लिए गए विभिन्न निर्णय भविष्यलक्षी प्रभाव से लागू किए गए।

तमिलनाडु में कुटीर उद्योग

3453. श्री के. सी. पलनिसामी : क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में कुटीर उद्योग अत्याधिक वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या तमिलनाडु सरकार ने राज्य में कुटीर उद्योग के विकास हेतु और अधिक धनराशि आबंटित किए जाने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को स्वीकृत जारी की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों में तमिलनाडु राज्य में ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों ने विकासमान ट्रेंड दर्शाया है, जिसका ब्यौरा निम्नोक्त है:–

वर्ष	उत्पादकता लागत (लाख रुपये में)	बिक्री (लाख रुपयों) में
2001–02	59961.89	70598.86
2002–03	65773.80	81331.93
2003–04	71366.44	88365.06

तमिलनाडु सरकार ने उस राज्य के कुटीर उद्योगों में किसी भी प्रकार के वित्तीय संकट की सूचना नहीं दी है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) तमिलनाडु सरकार ने यह सूचित किया है कि ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर ई जी पी) के कार्यान्वयन के लिये मार्जिन मनी सहायता हेतु तमिलनाडु राज्य में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) के माध्यम से पर्याप्त केन्द्रीय निधियां प्रदान की गई हैं। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमियों को ग्रामोद्योग क्षेत्र जिसमें कुटीर उद्योग भी शामिल हैं, में स्व–रोजगार के अवसरो के सृजन के लिये सहायता प्रदान करता है। इसी भांति, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य को पर्याप्त निधियां जारी की गई हैं।

वाणिज्यिक शिक्षा हेतु कानून

3454. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में वाणिज्यिक शिक्षा संबंधी औपचारिक विधियों को अधिनियमित करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

घटिया दवाओं की आपूर्ति

3455. श्री मधुसूदन मिस्त्री :
श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल :
डा. राजेश मिश्रा :

श्री वी. के. ठुम्मर :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी ए जी) की रिपोर्ट के अनुसार 18 केन्द्रीय खरीद एजेंसियों और रेट कंट्रोल होल्डिंग फर्मों द्वारा घटिया दवाओं की आपूर्ति के कारण वर्ष 1997–98 से 2000–01 तक गुरू तेग बहादुर अस्पताल (जी टी बी) को दवाओं की खरीद के लिए 18.18 लाख रुपए अतिरिक्त व्यय करना पड़ा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सही है कि इस मामले में स्वास्थ्य सेवा निदेशालय (डी एच एस) चूककर्ता फर्मों से अतिरिक्त व्यय की वसूली के लिए खतरे और लागत खंड को लागू करने में असफल रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो डी एच एस द्वारा इस अतिरिक्त व्यय को वसूल न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) सरकारी प्रयोगशालाओं में गुणवत्ता नियंत्रण जांच में तेजी लाने और घटिया दवाओं की आपूर्ति को रोकने संबंधी प्रक्रिया को मजबूत बनाने हेतु क्या उपाए किए गए/किए जा रहे हैं;

(च) इन 18 चूककर्ता फर्मों के नाम क्या हैं; और

(छ) इन फर्मों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि केन्द्रीय खरीद एजेंसी, दर नियंत्रक फर्मों के दवाओं की आपूर्ति करने में असफल हो जाने के बाद गुरू तेग बहादुर अस्पताल ने ओपन टेंडर इंक्वायरी के बाद अनुमोदित फर्मों को दवाओं की आपूर्ति आर्डर दिए जिसके परिणामस्वरूप केवल 10.18 लाख रुपए (न कि 18.18 लाख रुपए) का रिस्क परचेज हुआ। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने जोखिम एवं लागत धारा को लागू कर दिया है और फर्मों की लंबित पेशगी जमा से धनराशि की वसूली की जाती है। तथापि, कुछ फर्मों ने वर्ष 1997–98 के बाद सीपीए निविदा में कभी भी भाग नहीं लिया। इस प्रकार उनसे वसूली नहीं की जा सकी। फर्मों से रिस्क परचेज के खाते में धनराशि जमा करने के लिए कहा गया है लेकिन वे ऐसा करने में विफल रहे।

(ङ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि सीपीए दर संविदा के आधार पर अस्पतालों/संस्थाओं को आपूर्ति की गई औषधों की प्रत्येक खेप की जांच सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोगशालाओं में की जाती है और ये रिपोर्टें शीघ्र ही अस्पतालों/संस्थाओं को भेज दी जाती हैं ताकि वे घटिया औषधों की आपूर्ति से बच सकें। अस्पतालों को अनुदेश दिए गए हैं कि वे आपूर्ति के 48 घंटों के भीतर जांच के लिए नमूने भेज दें। इसके अतिरिक्त सभी दर संविदा वाली फर्मों से कहा गया है कि वे आपूर्ति के साथ प्रत्येक खेप की आन्तरिक जांच रिपोर्ट अस्पतालों में प्रस्तुत करें।

(च) सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(छ) पेशगी जमा से वसूल करके चूककर्ता फर्मों पर जोखिम एवं लागत धारा को लागू कर दिया गया है।

विवरण

चूंककर्ता फर्मों के नाम निम्नलिखित हैं :–

1. मैसर्स रिलायन्स
2. मैसर्स एस्कूलेपियस
3. मैसर्स अल्पाइन
4. मैसर्स ओमेगा
5. मैसर्स एल्डर फार्मा
6. मैसर्स ग्लैक्सो
7. मैसर्स नाल फार्मा
8. मैसर्स एस लैब
9. मैसर्स नैटको लैब्स
10. मैसर्स प्योर फार्मा
11. मैसर्स अम्बूजा
12. मैसर्स चिनार
13. मैसर्स रेमिस
14. मैसर्स श्री साईबाबा
15. मैसर्स नेस्टर फार्मा
16. मैसर्स मेगा
17. मैसर्स माउण्ट मेटूर
18. मैसर्स हैब फार्मास्यूटिकल्स

अंग प्रत्यारोपण अधिनियम की समीक्षा

3456. श्री के. सुब्बारायण : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने अंग प्रत्यारोपण अधिनियम की समीक्षा करने और अंग दान में गरीबों के शोषण के मद्देनजर और इसे दूर करने हेतु सुझाव देने के लिए समिति गठित करने का आदेश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 और मानव अग प्रत्यारोपण नियम, 1995 के प्रावधानों की समीक्षा करने के लिए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा (रिट याचिका संख्या 813/2004 के संबंध में दिनांक 6.9.2004 को दिए गए निर्णय के अनुसार) एक समिति का गठन किया गया है। समिति की संरचना और विचारार्थ विषय संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इस समिति ने कार्य करना शुरू कर दिया है।

विवरण

समिति की संरचना :

समिति की संरचना इस प्रकार है :–

1. श्रीमती पी. ज्योतिराव, अपर सचिव (स्वास्थ्य) – (सचिव (स्वास्थ्य) एवं संयोजक) के नामिति
2. प्रोफेसर एस. एन. मेहता, विभागाध्यक्ष, सर्जरी विभाग, 'एम्स'– (सदस्य)
3. डा. हर्ष जौहरी, गुर्दा सर्जन, सर गंगाराम अस्पताल, दिल्ली– (सदस्य)
4. सचिव, भारतीय आयुर्विज्ञान संघ, आई.पी.स्टेट, नई दिल्ली-110002–(सदस्य)
5. श्री संजय जैन, अधिवक्ता, चैम्बर नं. 448, न्यू चैम्बर, ब्लाक, दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली–(सदस्य)
6. डा. वी. के. अरोड़ा, अपर महानिदेशक (सदस्य–सचिव)

समिति के विचारार्थ शर्तें :

1. मानव अंग प्रत्यारोपण और प्राधिकारदाता समिति के कार्य के संबंध में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर समिति को प्राधिकारदाता समितियों की जांच करने और अपनी सिफारिशें देने तथा परिवर्तन करने, यदि कोई है, के लिए समय पर अनुमति सुनिश्चित करना।
2. क्या 'नजदीकी रिश्तेदार' के प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को समिति के दायरे में लाकर प्राधिकारदाता समितियों के कार्यक्षेत्र को बढ़ाया जाना चाहिए अथवा इस कार्य को किसी अन्य पदनामित प्राधिकारी को सौंपा जाना चाहिए?
3. अंगों के प्रत्यारोपण के संबंध में किए गए अध्ययनों से प्राप्त अनुभव के आधार पर अधिनियम और नियमों के प्रावधानों तथा उक्त प्रक्रिया में पेश आने वाली कठिनाइयों के कारण उत्पन्न होने वाली मुश्किलों की समीक्षा करना। समिति द्वारा खासकर धारा 9 के प्रावधानों और "नजदीकी रिश्तेदार" की परिभाषा की समीक्षा हेतु नियम 4 में निर्धारित परीक्षणों को करने, प्रारूप–3 में प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता की जांच तथा की गई टिप्पणियों के आलोक में सिफारिशें करना।
4. प्रत्यारोपण के अंगों की जांच करना तथा उन्हें विर्निदिष्ट करना जिनके लिए "नजदीकी रिश्तेदार" होने की वास्तविकता स्थापित करने हेतु नियम 4 (1) (सी) में निर्धारित परीक्षणों को करने की आवश्यकता नहीं होती जब अन्य सबूत उपलब्ध हों।
5. प्रत्यारोपण के लिए अंगों की उपलब्धता के संबंध में सूचना के प्रसार के लिए डेटा बैंक सहित अंग खरीद संगठनों की स्थापना हेतु सुलभता की जांच करना जिससे कि अंग दान, खासकर शवों, ब्रेन स्टेम डैथ के मामलों तथा अन्य मृत व्यक्तियों, जिन्होंने मरणोपरान्त अंगदान करने की मंजूरी दी है, को बढ़ावा मिले।
6. दाता को सामाजिक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एक निधि सृजित करने की संभावना का पता लगाना। यह कार्पस आंशिक रूप से भारत संघ से और आंशिक रूप से परिवहन और/या सार्वजनिक दान हेतु अस्पताल के कुल बिल पर निर्धारित प्रभार लगाकर प्राप्त किया जाता है।
7. ऐसा प्रोत्साहन देने के लिए उपायों की जांच करना और इनके बारे में सुझाव देना। इनमें किसी वरीयता प्राप्त स्वास्थ्य परिचर्या को सहायता देना और समुदाय में दाता को मान–सम्मान देना शामिल है लेकिन यहीं तक सीमित नहीं है।
8. अंग दान करने की प्रक्रिया में निर्धन एवं अनजान व्यक्तियों के शोषण के लिए जिम्मेदार कारणों की जांच करना और ऐसी बुराइयों को कम करने, नियंत्रित करने तथा अन्ततः समाप्त करने के लिए उपायों का सुझाव देना। अंग दान से संबंधित नैतिक, वैधानिक एवं उपाय प्रक्रिया से संबंधित सही

सूचना का प्रचार–प्रसार करने हेतु कार्यक्रमों का सुझाव देना ताकि अनुकूल माहौल पैदा हो सके और गलत सूचना एवं भ्रांतियां दूर हो सकें।

9. इस विषय से संबधित कोई अन्य मुद्दा।

बी.पी.ओ. संविदाएँ

3457. श्रीमती मनोरमा माधवराज : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल रूप से यू. के. क्लाइन्टस से शुरू होने वाले बी.पी.ओ. बिजनेस के संबंध में दक्षिण अफ्रीका भारत के प्रतिद्वन्दी के रूप में उभर रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या नैस्कॉम ने दक्षिण अफ्रीका द्वारा यू.के. की बी.पी. ओ. संविदाओं को अपनी ओर जोरदार तरीके से आकर्षित करने से उन्नत स्थिति की गंभीरता का आंकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) जी, हाँ। ग्रेट ब्रिटेन के ग्राहकों से उत्पन्न होने वाले बीपीओ व्यवसाय के मामले में दक्षिण अफ्रीका भारत के एक प्रतिस्पर्धी के रूप में उभर रहा है लेकिन ग्रेट ब्रिटेन के बीपीओ बाजार में भारत का एक प्रमुख स्थान है।

(ग) और (घ) नैसकॉन सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टेवयर उद्योग में विश्वस्तर पर हो रही गतिविधियों तथा प्रवृत्तियों पर कड़ी नजर रख रहा है और निकट भविष्य में अफ्रीकी देशों से किसी प्रकार के खतरे की आशंका नहीं कर रहा है।

निजी अस्पतालों में नर्सों के साथ दुर्व्यवहार

3458. श्री पी. सी. थामस : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शिकायतें मिली हैं कि निजी अस्पतालों विशेषकर मूलचन्द अस्पताल, नई दिल्ली में नर्सों के विरूद्ध झूठे मामले दाखिल कर नवम्बर, 2004 में प्रबंधन द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस पर क्या कार्यवाई की गई;

(ग) क्या न्यायालय का निर्णय नर्सों के पक्ष में है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रबंधन ने बिना कोई लाभ दिए कुछ स्टाफ नर्सों को पदच्युत कर दिया है या उनकी सेवा समाप्त कर दी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) संबंधित व्यक्तियों को न्याय देने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (छ) जी, हां। मूलचन्द खैराती राम अस्पताल, नई दिल्ली, जो कि एक प्राइवेट अस्पताल है, ने यह सूचित किया है कि अस्पताल में नर्सों के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया गया है और इसके विपरीत, कुछ नर्सें हिंसा, मारपीट, धरना, घेराव, सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने की विभिन्न घटनाओं में लिप्त थीं। अस्पताल के प्रबंधन अधिकारियों के साथ मारपीट के सिलसिले में नवम्बर, 2004 में पुलिस स्टेशन लाजपतनगर, नई दिल्ली में नर्सों सहित विभिन्न कर्मचारियों के विरूद्ध अस्पताल प्राधिकारियों द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। हिंसा की घटनाओं में शामिल कुछ नर्सों को विधिवत रूप से कानूनी प्रक्रिया अपनाने के बाद बर्खास्त किया गया है। उन्हें उनके कानूनी रूप से मिलने वाले लाभों से वंचित नहीं किया गया है। अस्पताल ने यह भी सूचित किया है कि उन्हें इस बारे में किसी अदालती निर्णय की जानकारी नहीं है। तथापि, नर्सों द्वारा उठाए गए श्रम विषयों से संबंधित विषय विभिन्न अदालतों में लम्बित हैं।

रोगियों को निजी अस्पतालों में भेजना

3459. श्री ब्रजेश पाठक : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 2004 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने सफदरजंग अस्पताल के रोगियों को इन निजी अस्पतालों में भेजने का निर्देश दिया था जिन्हें इस शर्त पर रियायती दर पर भूमि आबंटित की गई है कि वे गरीब रोगियों के लिए कुछ बिस्तर आरक्षित रखेंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सफदरजंग अस्पताल ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार रोगियों को निजी अस्पतालों में भेजा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन निजी अस्पतालों के नाम क्या हैं जहां रोगी भेजे गए और रोगियों की संख्या कितनी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपने प्रस्ताव बनाम भारत संघ और सफदरजंग अस्पताल से संबंधित रिट याचिका के बारे में 13.10.2004 को हुई चर्चा के दौरान माननीय उच्च न्यायालय ने निदेश दिया था कि खर्चीले उपचार की आवश्यकता वाले निर्धन/अधिशेष रोगियों को राष्ट्रीय हृदय संस्थान और ऐसे अन्य अस्पतालों में रेफर किया जाना चाहिए जिन्होंने सरकार से भूमि लेते समय पट्टा करार में 25 प्रतिशत निर्धन/अधिशेष रोगियों को मुफ्त इलाज प्रदान करने के बारे में वचन दिया था। तथापि, कोई लिखित आदेश अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय हृदय संस्थान नामक एक प्राइवेट अस्पताल में चार रोगियों को रेफर किया गया है।

[हिन्दी]

विपणन अभिकर्ताओं की नियुक्ति

3460. श्री निखिल कुमार चौधरी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी.एस.एन.एल. ने अपनी सेवाओं की बिक्री के लिए तीन वर्ष पूर्व विपणन अभिकर्ताओं की नियुक्ति की थी और इसके लिए अप्रतिदेय राशि के रूप में प्रत्येक से पांच हजार रुपए की राशि ली;

(ख) क्या इस समय इस कार्य के लिए फ्रेंचाइजिज नियुक्त किये जा रहे हैं और विपणन अभिकर्ताओं को कोई प्राथमिकता नहीं दी जा रही है जबकि नवनियुक्त डीलरों और वितरकों को बिना निविदा में भाग लिए प्रत्यक्ष रूप से फ्रेंचाइजी में बदला जा रहा है;

(ग) क्या सरकार का विचार विशेष प्राथमिकता देकर उन विपणन अभिकर्ताओं को फ्रेंचाइजी देने का है जो न्यूनतम पात्रता पूरी करते हों; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, हां। दूरसंचार विभाग के दिनांक 11 अगस्त, 1998 के आदेश संख्या 69–02/97–एनएस के द्वारा विपणन अभिकर्ताओं की नियुक्ति की गई थी जिसके लिए उनसे पांच हजार रुपए की अप्रतिदेय प्रतिभूति राशि ली गई। विपणन अभिकर्ताओं को केवल आईएनईटी (डाटा सेवाएं), एचवीएनईटी (हाई स्पीड वीएसएटी नेटवर्क), आरएबीएमएन (रिमोट ऐरिया बिजनेस मैनेजमेंट नेटवर्क) और आईएसडीएन (इंटिग्रेटिड सर्विस डिजीटल नेटवर्क) सेवा बेचने की अनुमति दी गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) फ्रेन्चाइजी के लिए पात्रता–मानदण्ड पूरा करने वाले विपणन अभिकर्ता, रिक्त फ्रेन्चाइजी स्थानों के लिए आवेदन कर सकते हैं। फ्रेन्चाइजी, खुली निविदा के आधार पर नियुक्त किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

सरकार के गोपनीय आंकड़े

3461. श्री निखिल कुमार : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के अधिकांश स्थलाकृतिक आंकड़े जनसाधारण के लिए उपलब्ध हैं जैसा – कि दिनांक 7 अक्तूबर, 2004 के 'द स्टेट्समैन' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत के अंतरिक्ष सम्बंधी आंकड़े गलत हाथों में पड़ने की संभावना है क्योंकि ये मुक्त रूप से उपलब्ध हैं;

(ग) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है कि इस प्रकार के गोपनीय आंकड़े किसी भी स्त्रोत से प्रकाश में न आएं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी, हां। इस पर कोई विवाद नहीं है कि उच्च रिजोल्यूशन क्षमताओं वाले आधुनिक उपग्रह विश्व के किसी भी भाग के स्थलाकृतिक आंकड़ों का सृजन कर सकते हैं और इस प्रकार सृजित किए गए आंकड़ों में से अधिकांश जनसाधारण को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध है।

(ख) स्थानिक आंकड़े जो जनसाधारण को खुले आम इंटरनेट द्वारा उपलब्ध हो रहे हैं, सही नहीं भी हो सकते हैं क्योंकि उपग्रहों से एकत्रित किए गए सुदूर संवेदी आंकड़ों में सुधार करने की आवश्यकता होती है। आंकड़ों में सुधार केवल भारतीय सर्वेक्षण विभाग के पास उपलब्ध जानकारी द्वारा ही संभव है जो जनसाधारण के लिए उपलब्ध नहीं है। इसलिए उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किसी स्थान (जैसे हमारे महत्वपूर्ण अधिष्ठापन) का सुस्पष्ट समन्वित आंकड़ा प्राप्त करना कठिन है।

(ग) इकोनोस जैसे उपग्रहों से प्राप्त सुदूर – संवेदी आंकड़े अथवा यहां तक कि भारतीय उपग्रह आई आर एस को भी क्षेत्र मापनों की सहायता से सुधारना होता है। इसके अलावा मानचित्रों पर दृष्टिगोचर होने वाली सभी स्थलाकृतिक विशेषताओं जैसे ऊंचाइयों तथा स्थानों के नामों को सुदूर संवेदी आंकड़ों द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता।

(घ) भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार किए गए प्रमाणिक आंकड़ों की उपलब्धता सरकार की मानचित्र नीति के अधीन है। सरकार को इस बात की जानकारी है कि उपग्रह सुदूर – संवेदन में प्रौद्योगिकीय विकासों के कारण स्थलाकृतिक आंकड़ों की जनता के बीच सुलभता में काफी वृद्धि हुई है। इसलिए वर्तमान मानचित्र नीति का एक प्रकार संशोधन हो जिससे प्रौद्योगिकीय विकासों के साथ तालमेल बनाए रखा जा सके और इसके साथ – साथ गोपनीय स्थलाकृतिक आंकड़ों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके, इस पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

प्रजनन क्षमता बढ़ाने वाली औषधियां

3462. श्री भर्तृहरि महताब : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है अर्जेंटीना में वाइन (मद्य) से निकाले हुए हार्मोन को प्रयुक्त करके प्रजनन क्षमता बढ़ाने वाली औषधियों का उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन औषधियों का आयात किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार कुछ कंपनियों को महिलाओं की रजोनिवृत्ति के पश्चात् उनके मूत्र से प्रजनन क्षमता बढ़ाने वाली औषधियां बनाने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ङ) सरकार को अर्जेंटीना में वाइन (शराब) से निकाले हुए हार्मोन को प्रयुक्त करके प्रजनन क्षमता बढ़ाने वाली औषधियों के बारे में कोई विशिष्ट जानकारी नहीं है।

(च) और (छ) सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

ढांचागत क्षेत्र में निवेश

3463. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के ढ़ाचागत क्षेत्र में निवेश के मामले में गुणवत्ता एक बड़ी बाधा है;

(ख) क्या पर्याप्त ढांचागत सुविधाओं की कमी से निवेशक निवेश करने में हतोत्साहित हो जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने ढांचागत सुविधाओं को अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में गैर–सरकारी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु बेहतर विनियामक प्रणाली विकसित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) सरकार ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक अवसंरचना समिति गठित की है जिसका उद्देश्य विश्वस्तरीय अवसंरचना सुविधा का सृजन करने, सार्वजनिक–निजी भागीदारी की भूमिका बढ़ाने वाली संरचना का विकास करने तथा मुख्य अवसंरचना परियोजनाओं की निगरानी सुनिश्चित करने हेतु नीतियाँ शुरू करना है। समिति रेल, सड़क, पोर्ट, एयरपोर्ट, दूरसंचार, पेट्रोलियम व विद्युत क्षेत्रक संबंधी कार्य करेगी। प्रारंभिक तौर पर संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से योजना आयोग द्वारा क्षेत्रकवार नीतिगत पहल एवं कार्य योजनाएं तैयार की जा रही हैं।

(घ) और (ङ) बेहतर विनियामक प्रणाली विकसित करने संबंधी एक नोट तैयार किया जा रहा है तथा इसे अवसंरचना समिति को तीन महीने के अंदर प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

वरिष्ठ नागरिकों के लिए छूट

3464. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील :

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी :

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव :

श्री किन्जरपु येरननायडु :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली वरिष्ठ नागरिकों को 25 प्रतिशत की छूट दे रहा है;

(ख) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड अपने उन ग्राहकों को जो वरिष्ठ नागरिक हैं, यह छूट नहीं दे रहा है;

(ग) क्या एम.टी.एन.एल. और बी.एस.एन.एल. दोनों ही केन्द्र सरकार के उद्यम हैं, जो लोगों की सेवा में लगे हुए हैं;

(घ) क्या सरकार से वरिष्ठ नागरिक श्रेणी के ग्राहकों को उक्त 25 प्रतिशत की छूट देने और इस विसंगति/अन्याय को दूर करने का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो क्या कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिये जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, हां। महानगर टेलीफोन निगम लि., दिल्ली और मुम्बई अपनी योजना 250 के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को सिर्फ लैण्डलाइन कनेक्शनों हेतु छूट दे रहे हैं। इसमें किराये में 25% तथा संस्थापना प्रभार में 25% छूट शामिल है।

(ख) जी, हां। भारत संचार निगम लि., वरिष्ठ नागरिकों को ऐसी कोई छूट नहीं दे रहा है।

(ग) जी, हां। महानगर टेलीफोन निगम लि. तथा भारत संचार निगम लि. दोनों केन्द्र सरकार के उद्यम (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) हैं।

(घ) जी, हां। वरिष्ठ नागरिकों को ऐसी रियायतें देने हेतु बीएसएनएल में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव निम्नलिखित कारणों से विचाराधीन नहीं है:-

(i) बीएसएनएल एक स्वतंत्र इकाई है, जो अन्य निजी प्रचालकों की कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करते हुए कार्यरत है।

(ii) बीएसएनएल की बुनियादी टेलीफोनी हेतु "सुलभ योजना" है जिसके अंतर्गत किराया, एमटीएनएल के किराए से काफी कम है तथा एक्सचेंज प्रणाली क्षमता के आधार पर किराये की राशि 99/- रु. से लेकर 160/- रु. प्रति महीना है। वरिष्ठ नागरिक इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं।

(iii) बुनियादी टेलीफोनी में बीएसएनएल की सामान्य टैरिफ योजना के अंतर्गत भी, 1 लाख लाइनों तक की एक्सचेंज प्रणाली क्षमता हेतु मासिक किराये की राशि 50/- रु. से लेकर 180/- रु. है।

(iv) रियायती टेलीफोन का वास्तविक उपयोग परिवार में केवल वरिष्ठ नागरिकों तक ही सीमित नहीं किया जा सकता है।

(च) उपर्युक्त भाग (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों के लिए अधिक धनराशि का आबंटन

3465. **श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमालय की उपेक्षा करने वाले राज्यों ने अपनी-अपनी परिस्थितिकी प्रणाली के परिरक्षण ओर संरक्षण के लिए अधिक धनराशि की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो अक्तूबर, 2004 में देहरादून में हुई उनकी बैठक के पश्चात उनका मांगपत्र क्या है; और

(ग) उनकी प्राकृतिक विरासत के संरक्षण में मदद करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है/किये जाने का प्रस्ताव है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन) : (क) और (ख) जी, हाँ। पर्यावरण व वन मंत्रालय में हिमालय की उपेक्षा करने वाले राज्यों से पारिस्थितिकी प्रणाली के परिरक्षण एवं संरक्षण करने हेतु और अधिक निधियों के आबंटन संबंधी एक मांगपत्र देहरादून में अक्तूबर, 2004 में हुई उनकी बैठक के बाद प्राप्त हुआ है। जिसे संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) चूंकि, मांगें सिफारिशों के रूप में हैं, अतः इन्हें विस्तृत प्रस्ताव के रूप में तैयार किया जाना चाहिए। राज्यों द्वारा तैयार ऐसे प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही केन्द्र सरकार विचार हेतु आगे कार्रवाई करेगी।

विवरण

मांग पत्र

हम, हिमालय क्षेत्र के हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और उत्तरांचल राज्य के प्रतिनिधि देहरादून में दिनांक 11-12 अक्तूबर, 2004 को हिमाचल क्षेत्र के राज्यों के वन एवं पर्यावरण मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान विभिन्न अनुसंधाम एवं प्रशिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ मिल चुके हैं और हमने हिमालय क्षेत्र और यहां के लोगों के लिए वन, पर्यावरण और जैव-विविधता संरक्षण में संबंधित परस्पर महत्व के विषयों पर चर्चा की है।

हम भारत सरकार को विशेष श्रेणी राज्यों के लिए एकीकृत वन संरक्षण योजना में अपने शेयर को 75% से बढ़ाकर 90% करने के लिए धन्यवाद देते हैं।

अनुभव किया गया है कि :

1. हिमालय क्षेत्र द्वारा प्रस्तुत विविध पारिस्थितिकीय प्रणालियां बहुविध पणधारियों को महत्वपूर्ण पारिस्थितिकीय सेवाएं मुहैया कराती हैं और क्षेत्रीय राष्ट्रीय एवं विश्व स्तर पर मानव सुरक्षा एवं आजीविका के लिए निर्णायक हैं।

2. जलवायु परिवर्तन और विश्वव्यापी तापन का हिमालय क्षेत्र की पारिस्थितिकी के विभिन्न पक्षों पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

3. हिमालय क्षेत्र पारिस्थितिकीय रूप से नाजुक होने के कारण भूस्खलन, बादल के फटने, दावानल, अचानक बाढ़ आना और अन्य प्राकृतिक एवं मनुष्य प्रदत्त आपदाएं हमें प्रभावित करती रहती हैं।

4. हिमालय क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन को सुनिश्चित करते समय, आजीविका एवं विकासात्मक आवश्यकताओं और स्थानीय समुदायों की आकांक्षाओं का भी जिनका कि इन प्राणाधार प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में योगदान रहा है, शीघ्रता से निवारण किया जाना चाहिए।

यथोचित मूल्यांकन किया गया कि :

1. हिमालय संस्कृतियों के स्पैक्ट्रम का केन्द्र है जिनकी अत्यन्त विविध सामाजिक और पर्यावरणात्मक स्थितियों सहित अपनी अद्वितीय लोककथाएं, वास्तुकला, जातीय कार्यप्रणाली है।

2. हिमालय की समृद्ध जैव विविधता का संरक्षण क्षेत्र के आर्थिक विकास के न्यूनतम हुए अवसरों को परिवर्तित करता है।

3. हिमालयी क्षेत्र के बीच सहक्रिया निर्माण के लिए पड़ोसी देशों के साथ वार्तालाप शुरू करने की आवश्यकता और अपने लोगों के उत्थान की दिशा में कार्य करने के लिए एक दूसरे से सीखना।

4. कुछ राज्यों के लिए उपलब्ध मौजूदा विशेष व्यवस्था को जारी रखा जाना चाहिए।

इस बात पर सहमति बनी कि :

1. हिमालयी राज्यों ने पारिस्थितिकी सेवाओं के सतत् प्रवाह की उपलब्धि के लिए अपने वनों के संरक्षण के उपाय किए हैं और आवश्यकता यह है कि उनके वनों के संरक्षण के लिए उन लोगों को समर्थ बनाने हेतु पर्याप्त आर्थिक प्रोत्साहन दिए जायें।

2. हिमालय क्षेत्र के संरक्षण और संधारणीय विकास के लिए राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक सहायता की मांग की आवश्यकता है।

3. भारतीय हिमालय क्षेत्र को एक वैशविक गंतव्य के रूप में प्रोन्नत करने और इसके पारिस्थितिकी पर्यटन संभावना के उपयोग (टैप करने) के लिए अन्तर–राज्यीय पर्यटन विकसित करने के लिए हिमालयी राज्यों को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है।

4. अनुभव बांटने, सहयोग और सतत् वार्तालाप के लिए एक उचित मैकेनिज्म की आवश्यकता है।

संकल्प :

1. क्षेत्र की संपदा के रूप में जैव विविधता को बनाए रखते हुए और समृद्ध करते समय पर्यावरण के बचाव और संधारणीय विकास के लिए सामूहिक रूप से ध्यान देना।

2. हिमालयी राज्यों के बीच सहयोग के लिए इस वार्तालाप को जारी रखना।

3. हिमालयी राज्यों के बीच सहयोग के लिए संस्थात्मक मैकेनिज्म विकसित करना।

4. द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संस्थानों द्वारा वित्त पोषण के संबंध में परियोजनाओं के प्रतिपादन हेतु पहल करना।

5. क्षेत्र के भीतर और बाहर, दोनों, क्षेत्रों के कल्याण के लिए हिमालय द्वारा किए जाने वाले योगदान का प्रलेखन करना और प्रसार करना।

6. हिमालयी राज्यों के बीच वार्तालाप, अनुभव बांटने और सहयोग के लिए एक मंच उपलब्ध कराने हेतु हिमालयी राज्यों का एक संघ स्थापित करना।

सिफारिश :

हिमालय क्षेत्र के वन मंत्रियों के 11 और 12 अक्तूबर, 2004 को देहरादून में हुए सम्मेलन की सिफारिशें नीचे दिए अनुसार हैं :–

1. हिमालय राज्यों द्वारा उपलब्ध करवाई गई परिप्रणाली सेवाओं की बहुत अधिक प्रशंसा की जानी चाहिए और निधि के न्यागमन का निर्णय लेते समय इसको ध्यान में रखा जाना चाहिए।

2. राष्ट्रीय नीतियों और कानूनों में हिमालय और इसके लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

3. भारत सरकार ने हिमालय क्षेत्र और इसके लोगों के मामलों और उनसे जुड़ी अन्य बातों पर ध्यान देने के लिए हिमालय विकास प्राधिकरण का गठन भी किया।

4. भारत सरकार इस क्षेत्र में अतिरिक्त संसाधनों को बढ़ाने के लिए हिमालय वन और पर्यावरण के बचाव के लिए भी निधि स्थापित करें।

5. वर्तमान प्राकृतिक संसाधनों पर भार को कम करने के लिए एल. पी. जी. की लागत पर सब्सिडी और वैकल्पिक निर्माण प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

6. दावानल, भूस्खलन, तेज बाढ़ अथवा बादल के फटने आदि के कारण कृषि भूमि की हानि आदि जैसी विशेष घटनाओं के समाधान के लिए प्राकृतिक आपदा निधि के क्षेत्र को बढ़ाया जाना चाहिए।

7. हिमालय पर्यावरण और पारिस्थितिकी के पहलुओं के अध्ययन में जुटे हुए संस्थानों को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए और हिमालय क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनकी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से पुनः तैयार किए जाना चाहिए। बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए संस्थान भी स्थापित किए जाने चाहिए।

8. हिमालय के हिमखण्डों और नभभूमियों के संरक्षण के लिए भी विशेष कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए।

9. हिमालय के सभी गांवों को वन किनारे के गांव समझा जाना चाहिए और उनके विकास के लिए पर्याप्त अतिरिक्त संसाधन जुटाए जाने चाहिए।

10. हिमालय पार के क्षेत्र की समस्याओं को भी शीघ्र दूर किया जाना चाहिए।

जाँच आयोग

3466. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि में कितने जाँच आयोग हैं और उन्होंने किस तिथि से कार्य करना शुरू किया है;

(ख) समय-समय पर इन आयोगों के कार्यकाल में कितनी बार वृद्धि की गई है और उनके कार्यकाल के समाप्त होने की संभावित तिथि क्या है;

(ग) क्या न्यायमूर्ति फूकन आयोग को इसके समय से पहले ही तब समाप्त कर दिया था जब इसके कार्यकाल को पूरा होने में केवल दो महीने का समय शेष बचा था;

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या अंतिम रिपोर्ट का एक भाग अब भी सरकार के पास लंबित पड़ा हुआ है और इसे अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) और (ख) जाँच आयोग अधिनियम, 1952 के अंतर्गत जाँच आयोग, सभी मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों पर लागू होते हैं और इस संबंध में जानकारी केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती।

(ग) और (घ) पूरे मामले की सावधानीपूर्वक जाँच-पड़ताल करने के बाद न्यायमूर्ति एस. एन. फूकन जाँच आयोग को दिनांक 4 अक्तूबर, 2004 को समाप्त कर दिया गया है और सरकार ने इस मामले की जाँच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से करवाए जाने का निर्णय लिया है। तदनुसार, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से इस मामले में जाँच - पड़ताल करने संबंधी आगे की कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

(ङ) और (च) इस मामले की जाँच की जा रही है।

[हिन्दी]

ईरान में पत्तन परियोजनाओं का कार्यान्वयन

3467. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा :

श्री मुन्शी राम :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सरकारी क्षेत्र की कंपनियों का विचार ईरान में पत्तन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त निर्माण कार्यों को हमारे सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के निवेश से आरंभ किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या ईरान की सरकारी क्षेत्र की कंपनियों का विचार भी उक्त परियाजनाओं में निवेश करने का है; और

(घ) यदि हां, तो दोनों देशों के हिस्से के प्रतिशत का ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (घ) इस समय, भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा ईरान में पत्तन-परियोजनाओं को कार्यान्वित किए जाने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

केरल में राष्ट्रीय जलमार्ग

3468. श्री सी. के. चन्द्रप्पन : क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में राष्ट्रीय जलमार्गों के निर्माण में अभी तक कितनी प्रगति की गयी है;

(ख) कौन–कौन से क्षेत्रों में कार्य पूरा किया जा चुका है और आरंभ किया जा चुका है और क्षेत्र–वार कौन–कौन से क्षेत्रों में कार्य प्रगति पर है;

(ग) इन राष्ट्रीय जलमार्गों के निर्माण की अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गयी है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) चंपाकारा और उद्योगमंडल–नहरों, तथा राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 3 के कोच्चि–अलपुजा–जलखंड में प्रमुख–निकर्षण (कैपीटल ड्रेजिंग) से संबंधित कार्य पूरा कर लिया गया है। अन्य खंडों में प्रमुख निकर्षण (कैपीटल ड्रेजिंग) से संबंधित कार्य चल रहा है। 10 टर्मिनलों का निर्माण करने और नहरों को चौड़ा करने के प्रयोजन से भूमि–अधिग्रहण से संबंधित कार्य पूरा कर लिया गया है। 3 टर्मिनलों के निर्माण से संबंधित कार्य पूरा कर लिया गया है और 4 टर्मिनलों के निर्माण से संबंधित कार्य चल रहा है। पूरे कर लिए गए अन्य कार्यों में, तन्नेरमुक्कम और त्रिकुन्नापुजा पर लॉक्स की मरम्मत, चैनल मार्किगंज, तट–सुरक्षा इत्यादि से संबंधित कार्य शामिल हैं।

(ग) इस समय, राष्ट्रीय जलमार्ग–3 को विकसित किए जाने की अनुमानित लागत 130.68 करोड़ रु0 है।

(घ) 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान, 33.85 करोड़ रु. की धनराशि खर्च की गई और 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में 31.03.2004 तक 21.62 करोड़ रु. की धनराशि खर्च की जा चुकी है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में कुल 65.73 करोड़ रु. के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

[हिन्दी]

मिलावटी खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोगशालाएं

3469. श्री राजेन गोहेन :

श्री सुरेश अंगडि :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राज्य में मिलावटी मिठाइयों, सब्जियों और भोजन के नमूनों के परीक्षण के लिए प्रयोगशालाएं स्थापित की गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में राज्य–वार ऐसी कुल कितनी प्रयोगशालाएं हैं;

(ग) क्या सरकार मिलावट करने वालों के लिए सज़ा सुनिश्चित करने और मिलावट को रोकने के लिए कई कानूनों के स्थान पर एक समेकित खाद्य कानून बनाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अंतर्गत राज्य/संघ क्षेत्र सरकारों के 72 खाद्य जांच प्रयोगशालाएं और कोलकाता, गाजियाबाद, मैसूर एवं पुणे में 4 अपीलीय केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशालाएं खाद्य उत्पादों के नमूनों के विश्लेषण के लिए काम कर रही है। राज्यों/संघ क्षेत्रों की प्रयोगशालाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) सरकार ने समन्वित खाद्य नियमों एवं संबंधित विनियमों को अंतिम रूप देने के वास्ते आवश्यक समझे जाने वाले कानूनी एवं अन्य परिवर्तनों का प्रस्ताव करने हेतु मंत्रियों का एक दल (जी ओ एम) गठित किया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	खाद्य जांच प्रयोगशालाओं की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2
2.	असम	1
3.	बिहार	1
4.	झारखण्ड	1
5.	गुजरात	6
6.	हरियाणा	2
7.	हिमाचल प्रदेश	1
8.	जम्मू–कश्मीर	2
9.	कर्नाटक	4

1	2	3
10.	केरल	3
11.	मध्य प्रदेश	3
12.	छत्तीसगढ़	1
13.	महाराष्ट्र	11
14.	नागालैंड	1
15.	उड़ीसा	1
16.	पंजाब	3
17.	राजस्थान	8
18.	तमिलनाडु	7
19.	त्रिपुरा	1
20.	उत्तर प्रदेश	3
21.	पश्चिम बंगाल	5
22.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1
23.	दिल्ली	1
24.	गोवा	1
25.	पांडिचेरी	1
26.	मेघालय	1
	कुल	72

[अनुवाद]

पेट्रोलियम उत्पादों को समुद्र में उंड़ेला जाना

3470. श्री उदय सिंह : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि वास्कोडीगामा में आई.ओ.सी. भंडारण सुविधा के स्थानांतरण के दौरान 2 टन से अधिक पेट्रोलियम उत्पादों को समुद्र में प्रवाहित कर दिया गया जैसा कि दिनांक 3 अक्तूबर, 2004 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या समुद्र में पेट्रोलियम उत्पादों के उँड़ेले जाने से समुद्र प्रदूषित हुआ है और बड़ी संख्या में मछलियाँ मरी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गयी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने समुद्र को ऐसे प्रदूषण से बचाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (च) भारतीय तेल निगम द्वारा तट पर स्थित अपने टैंकों में अपनी पाइप लाइनों द्वारा जहाज़ से मिट्टी का तेल (केरोसिन तेल) (एस के ओ) उँड़ेले जाने के समय, 01 अक्तूबर, 2004 को मुरगांव-पत्तन-न्यास पर भारतीय तेल निगम-टर्मिनल के नज़दीक, भूमिगत पाइपलाइन में एक छिद्र हो गया। इस प्रकार रिसकर निकला मिट्टी का तेल (केरोसिन तेल) वर्षा के जल से नाले में पहुँच गया और यह पता चला कि खारेवड़ा फिशिंग हार्बर में लगभग 2 किलो लीटर मिट्टी का तेल (केरोसिन तेल) समुद्र में चला गया। इस संबंध में मुरगांव पत्तन-न्यास ने पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल ऑयल स्पिल डिस्पसेंट का प्रयोग करके रिसे हुए तेल का प्रभाव खत्म करने की तुरंत कार्रवाई की। इसमें, पर्यावरण की दृष्टि से किसी भी प्रकार की कोई भी हानि नहीं हुई और मछलियाँ नहीं मरीं। यह रिसाव, एस के ओ पाइपलाइन में जंग लग जाने से एक छिद्र हो जाने के कारण हुआ। भारतीय तेल निगम लिमिटेड से, जंग से ग्रस्त अपनी पूरी पाइपलाइन को बदलने और भूमि के ऊपर पाइपलाइनों का मार्ग बदले जाने की संभावना पर विचार करने को भी कहा गया है। मैसर्स भारतीय तेल निगम को भविष्य में ऐसी घटनाएँ दोबारा नहीं होने देने के आवश्यक उपाय करने का अनुदेश भी दे दिया गया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना

3471. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही कर रही है; और

(ग) इस संस्थान के कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) मंत्रालय ने मध्य प्रदेश सरकार से राष्ट्रीय जैव–प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं किया है बल्कि अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (मध्य प्रदेश) से 'यूनिवर्सिटी इन्स्टीटयूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी' की स्थापना संबंधी एक प्रस्ताव प्राप्त किया है। बायोटेक्नोलॉजी विभाग के मानव संसाधन विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत जैव– प्रौद्योगिकी के लिए पृथक संस्थान की स्थापना का प्रावधान नहीं है। तथापि, विभाग जैवप्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्नातकोत्तर शिक्षण पाठयक्रमों को चलाने के लिए मौजूदा संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदन कर रहा है। तदनुसार, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (मध्य प्रदेश) को सूचित कर दिया गया है।

यू. एन. एस. सी. में भारत के वीटो अधिकार का दावा

3472. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

श्री हरिश्चंद चव्हाण :

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :

श्री गुरुदास कामत :

श्री मुन्शी राम :

श्रीमती अनुराधा चौधरी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक और सामाजिक परिषद के चुनावों में बड़ी जीत हासिल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कौन–कौन से देशों ने इस प्रयास में भारत का समर्थन किया है;

(ग) क्या भारत को यू. एन. एस. सी. में वीटो के अधिकार से वंचित रखा गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यू. एन. एस. सी. में कौन–कौन से देशों को वीटो का अधिकार प्राप्त है और कौन–कौन देशों ने भारत के ऐसे दावे का विरोध किया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्दजीत सिंह) : (क) और (ख) न्यूयार्क में हुई 59वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में, प्रतियोगी सीटों की श्रेणी में अधिकतम मत पाकर भारत पुनः संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का सदस्य निर्वाचित हुआ था। संयुक्त राष्ट्र के 191 सदस्य देशों में से भारत को मतदान करने वाले 174 देशों के नाम उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि मतदान गुप्त मतपत्र के द्वारा हुआ था।

(ग) से (ङ) संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र के अनुसार, वीटो का अधिकार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मात्र पांच स्थायी सदस्यों यथा, चीन, फ्रांस, रूसी परिसंघ, संयुक्त राज्य अमरीका तथा इंग्लैंड के पास है। चूंकि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य नहीं है, इसलिए भारत हेतु वीटो को नकारने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

[अनुवाद]

जनजातियों का विस्थापन

3473. श्री किन्जरपु येरननायडु : क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशाखापट्टनम के निकटवर्ती क्षेत्रों में बॉक्साइट उत्खन्न से विस्थापित हुए भूमिहीन गरीब जनजातियों की सहायता करने के लिए पर्याप्त उपाय किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है कि जनजातियां अपने क्षेत्र में अपने अधिकारों से वंचित न हों?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, विशाखापट्टनम में बॉक्साइट के लिए पट्टे नहीं दिए गए हैं और इसलिए विशाखापट्टनम में बॉक्साइट खनन के कारण जनजातियों का कोई विस्थापन नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

टेलीफोन लाइनों की निगरानी

3474. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

श्रीमती करुणा शुक्ला :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार टेलीफोन लाइनों की निगरानी करने और इसकी कालाबाजारी रोकने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को अधिकार प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, नहीं। तथापि, अलग-अलग टेलीफोन लाइनों की मॉनिटरिंग करने संबंधी उपबंध भारतीय तार नियमावली, 1951, खण्ड 419 – क में मौजूद हैं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यातायात को कम करना

3475 **श्री सज्जन कुमार** : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बढ़ते यातायात को कम करने के लिए बाइपास निर्माण और राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ा करने संबंधी परियोजना को पूरा किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त परियोजनाएं कब आरंभ की गई थीं और इन्हें पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई थी;

(ग) क्या सरकार ने उक्त परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) क्या उक्त परियाजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा कर लिए जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) परियोजना की नियमित समीक्षा की जाती है/निगरानी रखी जाती है और यह देखा गया है कि निर्माण कार्य निर्धारित समय के अनुसार चल रहे हैं।

(ङ) जी हां।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में राष्ट्रीय राजमार्गों के ब्यौरे जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यातायात कम करने के लिए चौड़ीकरण और बाइपासों के निर्माण का कार्य चल रहा है।

क्र.सं.	रा रा सं.	चौड़ीकरण कार्य चल रहा है	बाइपास जिनपर कार्य चल रहा है	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	1	88 कि.मी. लंबाई में चौड़ीकरण कार्य चल रहा है। इसे दिसम्बर, 2007 तक पूरा करने का लक्ष्य है।	कुछ नहीं है।	–
2.	10	कुछ नहीं है।	कुछ नहीं है।	–
3.	8	28 कि.मी. लंबाई में चौड़ीकरण कार्य चल रहा है। इसे दिसम्बर, 2005 तक पूरा करने का लक्ष्य है।	कुछ नहीं।	–
4.	2	कुछ नहीं।	कुछ नहीं।	–
5.	24	कुछ नहीं।	कुछ नहीं।	हापुड़ बाइपास की 10 कि.मी. लंबाई 2002 में पूरी कर ली गई है। हापुड़ बाईपास की 10 कि.मी. लंबाई को चौड़ा करने सहित 31 कि.मी. में 4 लेन बनाने का कार्य 2002 में पूरा कर लिया गया हैं।

1	2	3	4	5
6.	91	कुछ नहीं।	कुछ नहीं।	–
7.	71 व 71 ए	60 कि.मी. लंबाई में चौड़ीकरण कार्य चल रहा है। इसे मई, 2005 तक पूरा करने का लक्ष्य है।	कुछ नहीं।	–
8.	58	कुछ नहीं।	कुछ नहीं	–

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में कर्मचारियों की हड़ताल

3476. श्री कमला प्रसाद रावत :

श्री बालासाहिब विखे पाटील :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम्स, नई दिल्ली के कर्मचारी हड़ताल पर हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या हजारों मरीजों को इस हड़ताल के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार हड़ताल समाप्त करने के लिए क्या उपाय कर रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

पासपोर्ट नवीकरण में पुलिस जांच को समाप्त किया जाना

3477. श्री पंकज चौधरी : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन मामलों में पासपोर्ट नवीकरण में पुलिस जांच की अनिवार्यता को समाप्त करने का कोई निर्णय लिया है जिनमें पासपोर्ट धारक ने अपने निवास का पता नहीं बदला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त निर्णय के कब तक लागू होने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) से (ग) 2001 में पासपोर्ट जारी करने की प्रणाली की समीक्षा हेतु गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने निम्नलिखित वर्गों के आवेदकों को पुलिस सत्यापन से छूट प्रदान करने के निदेश दिए हैं:

(i) जम्मू एवं कश्मीर के आवेदकों को छोड़ते हुए उसी न्यायाधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले सभी पुनः जारी/नवीकरण के मामले।

(ii) जम्मू एवं कश्मीर के आवेदकों को छोड़ते हुए अवयस्क जिनके माता अथवा पिता के पास वैध भारतीय पासपोर्ट हो जहां पुलिस सत्यापन से छूट 10 वर्ष तक की आयु सीमा तक होगी।

(iii) वरिष्ठ नागरिक यदि उनकी कोई वयस्क संतान वैध पासपोर्टधारक हो।

(iv) सरकारी कर्मचारी, जो अपने प्राधिकारियों से वैध अनापत्ति प्रमाणपत्र जमा करें।

ग्रामीण क्षेत्रों में डाक घर

3478. डा. रामकृष्ण कुसमरिया : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कुल कितने डाकघर घाटे में चल रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने डाकघरों को बंद कर दिया गया;

(ग) देश में जनसंख्या और क्षेत्र के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में औसतन कितने डाकघर हैं; और

(घ) ग्रामीण और जनजाति बहुल क्षेत्रों में कुल कितने डाकघर हैं और देश में डाकघरों की कुल संख्या के मुकाबले इनकी प्रतिशतता कितनी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

पदोन्नति के लिए अनुदेश/दिशा-निर्देश

3479. श्री सुकदेव पासवान :

श्रीमती कृष्णा तीरथ :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पदोन्नति द्वारा नियुक्त अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को अनारक्षित प्वाइंट आफ रोस्टर के अगेन्स्ट बिना कोई छूट दिए उन्हें उनकी योग्यता के आधार पर समायोजित करने और न कि पदोन्नति में आरक्षित प्वाइंट आफ रोस्टर के अगेन्स्ट समायोजित करने के संबंध में अनुदेश/दिशानिर्देश जारी किए थे;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के काडर ढाँचे पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायकों की, पदोन्नति के जरिए नियुक्ति बतौर अनुभाग अधिकारी की गई थी और अनुभाग अधिकारियों की नियुक्ति बतौर अवर सचिव की गई थी;

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा रोस्टर प्रणाली अपनाने के निदेशों का अक्षरशः पालन नहीं किया गया है;

(ङ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार के निदेशों का पालन न करने के लिए जिम्मेदारी तय की गई है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(झ) क्या विभिन्न कल्याणकारी संगठनों/संघों और संसद सदस्यों से इस संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ञ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ट) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई/किये जाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) से (ङ) इस बारे में एक विवरण संलग्न है।

(च) से (ज) प्रश्न नहीं उठता।

(झ) से (ट) इस बारे में समय-समय पर प्राप्त अभ्यावेदनों/संदर्भों का उत्तर दिया जाता है।

विवरण

सरकार ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 11.07.2002 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36028/17/2001 – स्थापना (आरक्षण) के अंतर्गत, अपनी योग्यता के आधार पर पदोन्नत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए निम्नानुसार अनुदेश जारी किए :–

(i) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार, जो आरक्षण अथवा अर्हताओं में छूट का लाभ न लेकर अपनी योग्यता के आधार पर ही पदोन्नति के माध्यम से नियुक्त किए जाते हैं, उन्हें आरक्षण रोस्टर के आरक्षित बिंदुओं पर समायोजित नहीं किया जाएगा। उन्हें अनारक्षित बिंदुओं पर समायोजित किया जाएगा।

(ii) यदि संवर्ग में कोई अनारक्षित रिक्ति होती है और फीडर ग्रेड में सामान्य विचारण क्षेत्र के भीतर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई उम्मीदवार आता हो तो अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के ऐसे उम्मीदवार को इस कारण से पदोन्नति देने से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह पद आरक्षित नहीं है। ऐसे उम्मीदवार को सामान्य श्रेणी का उम्मीदवार मानते हुए सामान्य श्रेणी के अन्य उम्मीदवारों के नामों के साथ ही उसके नाम पर पदोन्नति के लिए विचार किया जाएगा। यदि उसका चयन हो जाता है तो उसे उस पद पर नियुक्त कर दिया जाएगा और उसे अनारक्षित बिंदु पर समायोजित किया जाएगा।

(iii) सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति के माध्यम से नियुक्त और अनारक्षित बिंदुओं पर समायोजित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का अपना स्तर बनाए रखेंगे और भविष्य में/आगे होने वाली पदोन्नतियों, यदि कोई हों, में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के पात्र बने रहेंगे।

(iv) आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा की गणना में, अपनी योग्यता से नियुक्त/पदोन्नत, आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवार शामिल नहीं होंगे।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा की संवर्ग पुनः संरचना के संबंध में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायकों और अनुभाग अधिकारियों की तात्कालिक आकांक्षाओं को पूरा करने के आशय से विशुद्धतः एक काम – चलाऊ उपाय के रूप में तदर्थ पदोन्नतियाँ की गई थी। ये तदर्थ पदोन्नतियां उन विशिष्ट हालात में की गई थीं जब केन्द्रीय सचिवालय सेवा की पुनः संरचना के अंतर्गत बाद में विभिन्न ग्रेडों में उपलब्ध हुए पदों की विशिष्ट संख्या, विभिन्न संवर्गों/मंत्रालयों को आबंटित नहीं की गई थीं और शुरू में पदोन्नतियाँ, "जैसा है जहाँ है" के आधार पर की गई थीं।

अनुभाग अधिकारी ग्रेड से अवर सचिव ग्रेड जो कि केन्द्रीयकृत ग्रेड हैं, में की गई तदर्थ पदोन्नतियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित

जनजाति को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। जहाँ तक सहायक और अनुभाग अधिकारी ग्रेडों का संबंध है, ये विकेन्द्रीकृत ग्रेड हैं ओर संबंधित 33 संवर्ग प्राधिकारियों द्वारा, इन आरक्षित श्रेणियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है। तथापि, सहायक ग्रेड से अनुभाग अधिकारी ग्रेड में तदर्थ पदोन्नति के संबंध में जारी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25.03.2004 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 21/9/2004 – सी. एस. –1 में यह विशिष्ट रूप से उपबंधित था कि अनुसचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के वे सहायक, जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों पर पदोन्नति किए गए थे और जो वर्ष 1989 तक की अनुपूरक सामान्य वरिष्ठता सूची में शामिल नहीं हो सके थे, की पदोन्नति समाप्त नहीं की जाएगी। इसके विपरीत, वर्ष 1989 तक की अनुपूरक सामान्य वरिष्ठता सूची में शामिल नहीं हो सकने वाले सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की तदर्थ नियुक्तियां तुरंत समाप्त की जानी थी। इसके अलावा विभिन्न संवर्ग प्राधिकारियों द्वारा वास्तव में की गई तदर्थ पदोन्नतियों की स्थिति का पता लगाया जा रहा है।

[हिन्दी]

नई औषधियों का विकास

3480. श्री ए. के. मूर्ति : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ ऐसे अप्रचलित नियम है जो नई औषधियों के विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन नियमों में संशोधन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियम (नियम 122–ए–ई) और नियमों की अनुसूची वाई के अन्तर्गत नई औषधों से संबंधित नियमों को 1988 में निर्धारित किया गया। ये नियम पुराने नहीं हैं। तथापि, इन नियमों को आवेदन क्रियाविधियों को सरल और कारगर बनाने और विभिन्न श्रेणियों की नई औषधों के लिए फीस संरचना प्रदान करने के लिए आगे राजपत्रित अधिसूचना जी. एस. आर. सं. 900 (ई) दिनांक 12.12.2001 के तहत संशोधित किया गया। इसके अतिरिक्त, औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमों की अनुसूची–वाई जिसमें नई औषधों के लिए पूर्व नैदानिक, विषविज्ञानीय और मानव नैदानिक अध्ययनों इत्यादि के लिए अपेक्षाओं की व्यवस्था है। इसका संशोधन किया जा रहा है।

[अनुवाद]

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का कार्यकरण

3481. श्री रघुनाथ झा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में जलने, कुत्ते के काटने और संक्रमणकारी बीमारियों जैसे मामलों का इलाज नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है तथा उक्त बीमारियों में इलाज के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लोक लेखा समिति ने बाह्य रोगियों के लिए प्रतीक्षा समय अधिकतम आधा घंटा निर्धारित करने के लिए चिकित्सकों की संख्या पर्याप्त रूप से निर्धारित की जाएं;

(घ) यदि हां, तो बाह्य रोगी विभाग में रोगियों द्वारा लम्बे समय तक प्रतीक्षा करने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या अल्ट्रासाउन्ड, सीटो स्कैन, एम आर आई स्कैन कराने के लिए लम्बे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है; और

(च) यदि हां, तो प्रतीक्षा समय कम करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में बहिरंग रोगी विभाग एवं आपातकालीन विभाग में आने वाले जले हुए (बर्न), कुत्ते के काटे और संक्रमणकारी रोगों सहित सभी तरह के रोगियों का उपचार किया जाता है।

(ग) से (च) यह सत्य है कि पिछले कुछ वर्षों से 'एम्स' में आने वाले रोगियों की संख्या धीरे–धीरे बढ़ रही है। बहिरंग रोगी विभाग में अलग–अलग विशेषज्ञताओं और प्रत्येक रोगी की व्यापक जांच (वर्क आऊट) के लिए आवश्यक समय के कारण प्रतीक्षा अवधि में अन्तर होता है। तथापि, बहिरंग रोगी विभाग में पंजीकृत रोगियों की संख्या सदैव डाक्टरों, परामर्शदाताओं के कक्षों आदि की उपलब्धता के आधार पर होती है। सभी सामान्य बहिरंग रोगी विभागों में अधिक से अधिक डाक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रयास किए जाते हैं। जहां तक विशिष्ट जांच अर्थात कन्ट्रास्ट एक्स–रे, सी. टी. स्कैन, बोन स्कैन, एम आर आई आदि का सम्बन्ध है, बहिरंग रोगी विभाग के रोगियों के लिए प्रतीक्षा अवधि एक सप्ताह से तीन माह होती है क्योंकि अस्पताल में दाखिल और आपात स्थिति वाले रोगियों को प्राथमिकता दी जाती है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार संस्थान उपचार की दृष्टि से सुसज्जित है।

[हिन्दी]

मुम्बई पत्तन पर पड़ा स्क्रैप

3482. श्री. पी. के. तुम्मर : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई पत्तन पर लम्बे समय से स्क्रैप पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) आयतित कबाड़ (स्क्रैप) से युक्त 15 कंटेनर बहुत लंबे अरसे से, मुम्बई-पत्तन पर विभिन्न स्थानों पर, 08 महीनों से 10 वर्षों तक की भिन्न-भिन्न अवधि से पड़े हैं। कबाड़ (स्क्रैप) से युक्त इन 15 कंटेनरों में से, 12 कंटेनर, सीमा-शुल्क के प्राधिकारियों द्वारा रोक लिए गए हैं और शेष 03 कंटेनर परेषिती द्वारा कभी भी छुड़वाएं नहीं गए। मुम्बई - पत्तन द्वारा कबाड़ (स्क्रैप) से युक्त इन 03 कंटेनरों का व्ययन (निबटारा) करने की कार्रवाई आरंभ कर दी गई है, शेष 12 कंटेनर, सीमा-शुल्क के प्राधिकारियों द्वारा रोक लिए गए हैं। इन 12 कंटेनरों में से 07 कंटेनरों के परेषिती ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर दी है।

कार्यक्रमों को मिलाना

3483. श्री एस. अजय कुमार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम तथा प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य और मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को एक साथ मिलाये जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कार्यक्रम के लिए निर्धारित राज्य-वार धनराशि कितनी है;

(ग) क्या ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 17 राज्यों तक ही सीमित है; और

(घ) यदि हां, तो अन्य राज्यों को शामिल नहीं करने के कारणों सहित ब्यौरा क्या है तथा आज की तिथि तक उक्त कार्यक्रमों के लिए निर्धारित राज्य-वार धनराशि कितनी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी, हां। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के गठन की संकल्पना की गई है। सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है। प्रस्तावित मिशन की कार्यनीतियों में से एक कार्यनीति प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय काला-जार कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता नियंत्रण कार्यक्रम और राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम सहित राष्ट्रीय राज्य और जिला स्तर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की शीर्ष योजनाओं और कार्यक्रमों को एकीकृत (समामिरूपता) करने से संबंधित है। इस मिशन के ब्यौरों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। राष्ट्रीय ग्राम स्वास्थ्य मिशन को 17 राज्यों अर्थात बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, राजस्थान, असम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और जम्मू-कश्मीर पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए सम्पूर्ण देश के लिए प्रस्तावित किया गया है। इन राज्यों को उनके कमजोर सामाजिक जनांकिकीय सूचकों और अथवा कमजोर स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे के आधार पर चयन किया गया है।

[हिन्दी]

झरिया में आग की घटनाएं

3484. श्री गिरिधारी यादव :

श्री सुनिल कुमार महतो :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998 में सरकार द्वारा झरिया तथा रानीगंज में आग की घटनाओं के सम्बन्ध में गठित समिति के सुझाव क्या हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान तिथि तक आग की घटनाओं को किस सीमा तक नियंत्रित कर लिया गया है; और

(घ) आग की घटनाओं को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर लिये जाने के क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासारि नारायण राव) : (क) और (ख) रानीगंज तथा झरिया कोलफील्ड में धंसाव तथा आग की समस्या की जांच करने के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा दिसम्बर, 1996 में सचिव (कोयला) की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। समिति ने जनवरी 1998 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी। समिति की सिफारिशें निम्न प्रकार हैं:-

1. जहाँ कहीं भी संभव हो, सभी अस्थिर क्षेत्रों के निवासियों को गैर-कोयला धारी क्षेत्रों में स्थानान्तरित

किया जाना चाहिए। इस प्रयोजनार्थ सैटलाईट टाउनशिप ही कोलफील्डों में धसांव संबंधी खतरों का सर्वोत्तम दीर्घाकालीन समाधान है।

2. कोलफील्डों में घोषित असुरक्षित क्षेत्रों पर भी नये निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। बिहार सरकार द्वारा भी असुरक्षित क्षेत्रों पर निर्माण को रोकने के लिए, पश्चिम बंगाल में पहले से ही विद्यमान कानून के समान, उपयुक्त कानून बनाया जाना चाहिए।

3. झरिया कोलफील्ड तथा रानीगंज कोलफील्ड, दोनों में, आग और धसांव की समस्याओं से निपटने के लिए राज्य सरकार तथा स्थानीय प्रशासन की भागीदारी और सहायता अनिवार्य है। आर. सी. एफ. तथा एफ. सी. एफ में आग तथा धंसाव के खिलाफ प्रशमन (मिटिगेशन) उपाय करने वाली किसी भी एजेंसी में उपर्युक्त प्राधिकारियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

4. धंसाव तथा आग जैसे खतरों के खिलाफ प्रशमन (मिटिगेशन) उपाय बहुत ही महंगे विकल्प हैं तथा इन उपायों का उपयोगी कार्यान्वयन अलग निष्पादक एजेंसी के माध्यम से संभव हो सकता है। एजेंसियाँ स्कीमें तैयार करने, उनके कार्यान्वयन पृथक वित्तपोषण के साथ तथा निधियों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी ऐसी एजेन्सियों के निर्माण तथा उनके प्रतिनिधियों को शीघ्रातिशीघ्र अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। निष्पादक एजेंसियों की व्यापक रूपरेखा संबंधित राज्य सरकारों तथा सरकारी कम्पनियों के परामर्श से तैयार की गई है।

5. नूतन हाईड्रो-न्यूमैटिक स्टोइंग टैक्नालॉजी, जिसका प्रयोग इस समय आर. सी. एफ. में कुछ जगहों पर किया जा रहा है, की अत्यन्त धीमी प्रक्रिया पाई गई है। अगम्य (इनएक्सैसिबल) अस्थिर (अनस्टेबल) भूमिगत खानों के दृढ़ीकरण के लिए भूमिगत रिक्तता को भरने के लिए उच्च दबाव (हाई प्रेशर) स्लरी पम्पिंग टैक्नोलॉजी का बी. सी.सी.एल. में कुछ स्थानों पर परीक्षण किया जाना चाहिए।

6. रानीगंज टाउन जैसे स्थलों, जहाँ से लोगों को स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता, के नीचे अस्थिर क्षेत्रों का गहन स्थिरीकरण (इन्टैन्सिव स्टैबिलाइजेशन) कार्य किया जाना तथा अधिक खतरे परन्तु निम्न घनत्व वाले (लौ डैन्सिटी) वाले क्षेत्रों को प्रभावित व्यक्तियों को चरणबद्ध तरीके से अन्यत्र ले लाया जाना चाहिए।

7. धंसाव तथा आग जैसे खतरों के विरूद्ध प्रशमन उपाय बहुत ही महंगे विकल्प हैं। धंसाव संभावित (प्रोन) क्षेत्रों के स्थिरीकरण के प्रयोजनार्थ तथा प्रभावित लोगों को पुनः बसाने के लिए धन की व्यवस्था करने हेतु धन योजना आयोग द्वारा यथा अनुमोदित योजनाबद्ध व्यय के जरिए अथवा कोयला संरक्षण तथा विकास अधिनियम निधि से, उसमें उपयुक्त संशोधन करने के बाद, उपलब्ध कराया जा सकता है।

8. अन्य आवश्यकता को समझते हुए असुरक्षित क्षेत्रों से लोगों के स्थानांतरण के लिए ई.सी.एल. तथा बी.सी.सी.एल. द्वारा एक-एक स्कीम कोयला विभाग के पास उपलब्ध योजनाबद्ध निधियों से संस्थागत व्यवस्था से उपलब्धता का इंतजार किए बिना शुरू की जाए।

9. समस्याओं से तत्काल और प्रभावी तरीके से निपटने के लिए प्राथमिकता वार स्कीमें तैयार करते समय बी.सी.सी.एल. तथा ई.सी.एल. द्वारा आग और धसांव संभावित क्षेत्रों के सम्बन्ध में राज्य प्राधिकारियों को संयुक्त रूप से प्रस्तुत की गई अन्तरिम रिपोर्ट को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिसमें प्रभावित होने वाली जनसंख्या और वित्तीय प्रभावों का उल्लेख किया गया है।

(ग) झरिया तथा रानीगंज कोलफील्ड में आग के नियंत्रण के संबंध में ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(i) झरिया कोलफील्ड में

वर्ष 1971 में, 17.32 वर्ग कि.मी. क्षेत्र आग की लपेट में था जो अब केवल 8.90 कि.मी. रह गया है। बीसीसीएल में 70 आगें लगी हुई थी, जिनमें से 10 लोगों को बुझा लिया गया है। बीच की अवधि में 6 आगें और लग गई। 22 अग्निशमन योजनाओं को शुरू किया गया था जो आग को काबू कर सकीं अथवा उन्होंने उन्हें नियंत्रित कर लिया। 2 अग्निशमन योजनाएँ, एक साउथ लोडना में और दूसरी अलकुसा को पूरा कर लिया गया है। 6 अग्निशमन योजनाएँ चालू हैं और पूरा होने के विभिन्न चरणों में हैं।

योजनाओं के पूरा होने के बाद ही इनके प्रभाव का पता लगाया जा सकता है।

(ii) रानीगंज कोलफील्ड

ईसीएल में, आग बहुत सीमित क्षेत्र में है और नियंत्रण में है। आग वाले क्षेत्र में समय–समय पर ब्लैकेटिंग किए जाने की आवश्यकता है।

(घ) खान आग को काबू में करने में विभिन्न उपाय हैं; पृथकीकरण अवरोधों का निर्माण, स्टोपिंग, रेत प्रचलन, नाइट्रोजन क्षेपण, सीमों को पानी से भरना, पिटों/इन्कलाइनों को सील करना, ब्लैकेटिंग/मुहानों को सील करना, आग वाले क्षेत्रों की खुदाई के अतिरिक्त, अन्य सभी पद्धतियाँ खान आगों को नियंत्रित कर सकती हैं, परन्तु आग को पूरी तरह बुझाया जाना संभव नहीं है। आग वाले क्षेत्र की खुदाई केवल एक सीमित गहराई तक की जा सकती है और वह भी तब, जब आवास, रेल लाइन, जोहड़ आदि का कोई अवरोध न हो। अतः सभी मामलों में इस पद्धति को लागू किया जाना तब तक संभव नहीं है, जब तक मकानों को हटा न लिया जाए, रेलवे लाइन, जोहड़ आदि को अपवर्तित या तोड़ न दिया जाए।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में पूर्व-पश्चिम गलियारा

3485. श्रीमती मिनाती सेन : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 सी के जरिए स्वर्णिम चतुर्भुज पूर्व–पश्चिम गलियारे के निर्माण के लिए विशेषकर जलपाईगुड़ी में कितने वनभूमि क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी;

(ख) उक्त गलियारे का निर्माण कितने अभ्यारण्यों से गुजरेगा;

(ग) इसके परिणामस्वरूप पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त गलियारे के निर्माण के लिए संबंधित विभाग से अनुमति ले ली गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) से (ङ) पश्चिम बंगाल के उत्तरी वन क्षेत्रों से गुजरने वाले पूर्व–पश्चिम महामार्ग पर रा रा 31 और रा रा 31 सी के खंडों को 4 लेन का बनाने के लिए विस्तृत सर्वेक्षण और जांच अभी नहीं की गई है क्योंकि पर्यावरण और वन मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय से अनुरोध किया गया है।

पूर्व–पश्चिम महामार्ग के निर्माण के लिए तीन पक्षी विहारों अर्थात् महानंदा वन्य पक्षी विहार जल्दपाड़ा वन्य पक्षी विहार और बक्सा टाइगर रिजर्व को पार करना होगा।

विस्तृत सर्वेक्षण और जांच पूरी होने के बाद ही वन क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा बनाने के लिए पर्यावरण प्रभाव का आकलन किया जा सकता है।

मोबाइल फोनों का घनत्व

3486. श्री एन. एस. वी. चित्तन : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मोबाइल फोनों का राज्य–वार घनत्व कितना है;

(ख) इन मोबाइल फोनों में भारत संचार निगम लिमिटेड/महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का कुल हिस्सा कितना है;

(ग) निजी प्रचालकों के हिस्से का ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में मोबाइल फोनों के जरिए भारत संचार निगम लिमिटेड/महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड तथा निजी प्रचालकों द्वारा कुल कितना राजस्व अर्जित किया गया?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) 31.10.2004 की स्थिति के अनुसार देश में मोबाइल फोन सेवा का घनत्व 4.061 है। सर्किल–वार मोबाइल फोन की घनत्व संबंधी जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) 31.10.2004 की स्थिति के अनुसार, मोबाइल उपभोक्ताओं की कुल संख्या 43910538 है। बीएसएनएल, एमटीएनएल एवं निजी प्रचालकों का हिस्सा क्रमशः 7965628, 442744 एवं 35502166 है।

(घ) वित्तीय वर्ष 2003–04 के दौरान, बीएसएनएल एवं एमटीएनएल द्वारा अर्जित राजस्व की राशि क्रमशः 2113.38 करोड़ रु. एवं 186.99 करोड़ रु. है। सरकार निजी मोबाइल सेवा प्रदाताओं द्वारा अर्जित राजस्व की निगरानी नहीं करती है। तथापि, लाइसेंस शुल्क के परिकलन हेतु, सरकार, मोबाइल सेवा प्रदाताओं का "समायोजित सकल राजस्व (एजीआर)" का रिकार्ड रखती है। सभी निजी मोबाइल प्रचालकों की वित्तीय वर्ष 2003–04 की समायोजित सकल राजस्व–राशि 7258.19 करोड़ रु. है।

विवरण

31.10.2004 की स्थिति के अनुसार सर्किल–वार (अर्थात मोबाइल सेवा क्षेत्र–वार) मोबाइल फोनों तथा मोबाइल घनत्व संबंधी ब्यौरा

क्र. सं.	सर्किल/मोबाइल सेवा क्षेत्र का नाम	बीएसएनएल और एमटीएनएल सेल्यूलर फोन	निजी प्रचालक		मोबाइल फोन घनत्व
			जीएसएम मोबाइल फोन	सीडीएमए मोबाइल फोन	
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार	7780	0	0	2.058
2.	आंध्र प्रदेश	763486	1640514	899932	4.203
3.	असम	128248	78190	0	0.735
4.	बिहार	219142	308918	165077	0.788
5.	छत्तीसगढ़	32521	0	0	0.148
6.	गुजरात	520325	1997168	657865	5.916
7.	हरियाणा	272099	458741	176702	4.065
8.	हिमाचल प्रदेश	100115	173319	2747	4.385
9.	जम्मू–कश्मीर	124864	37078	0	1.477
10.	झारखंड	154681	0	0	0.546
11.	कर्नाटक	591334	1872417	572752	5.533
12.	केरल	576866	1208385	398044	6.625
13.	मध्य प्रदेश	125644	902107	273908	2.023
14.	महाराष्ट्र (मुम्बई को छोड़कर)	690277	2243802	691138	4.259
15.	पूर्वोत्तर	56677	16523	0	0.590
16.	उड़ीसा	278001	126795	100666	1.324
17.	पंजाब	303595	2411451	496026	12.194
18.	राजस्थान	372810	607042	307097	2.137
19.	तमिलनाडु (चेन्नई को छोड़कर)	671193	1728591	481246	4.940
20.	उत्तरांचल	122222	0	0	1.368
21.	उत्तर प्रदेश	1054671	1691785	654363	1.921
22.	पश्चिमी बंगाल (कोलकाता को छोड़कर)	277575	179892	86296	0.774

1	2	3	4	5	6
23.	कोलकाता	216220	1006587	497706	12.313
24.	चेन्नई	305282	1151723	498926	28.904
25.	दिल्ली	218180	3433710	1141076	31.603
26.	मुम्बई	224564	3110921	1014940	24.540
	कुल	8408372	26385659	9116507	4.061

टिप्पणी :

1. टेलीफोन घनत्व चेन्नई, कोलकाता और मुम्बई (जिनका जनगणना आधार 1991 है) को छोड़कर जनगणना – 2001 की अनुमानित जनसंख्या के अनुसार है।

2. निजी प्रचालकों द्वारा अंडमान एवं निकोबार, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं उत्तरांचल में प्रदत्त स्थिर, डब्ल्यूएलएल एवं सेल्यूलर कनेक्शनों के आंकड़ों में क्रमशः प. बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार एवं उ. प्र. में प्रदत्त सेल्यूलर कनेक्शनों की संख्या भी शामिल है।

इंटरनेट सेवा प्रदाता

3487. **श्री पी. एस. गढ़वी :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने देश में इंटरनेट सेवा प्रदाता की गुणवत्ता के बारे में राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या सर्वेक्षण के अनुसार इंटरनेट सेवा प्रदाता जैसे सिफी, डिशनेट, एचसीएल तथा वीएसएनएल आवश्यक गुणवत्ता कसौटी प्रर खरे उतर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन कंपनियों के विरूद्ध सरकार का क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) अधिनियम, 1997 ट्राई (संशोधन) अधिनियम, 2000 द्वारा यथा-संशोधित, के अनुसार ट्राई को सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता के मानक निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त है। ट्राई को सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करनी होती है और सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जा रही सेवा का आवधिक सर्वेक्षण भी करना होता है, ताकि दूरसंचार सेवा के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके। तदनुसार, ट्राई द्वारा एक ऑनलाइन सर्वेक्षण आयोजित किया गया था ताकि मई, 2003 से जून 2003 की अवधि के दौरान प्रदान की गई इंटरनेट सेवा की गुणवत्ता के बारे में ग्राहकों के ज्ञान का पता लगाया जा सके। तत्संबंधी निष्कर्षों का सार संलग्न – विवरण में दिया गया है।

(ग) ऑनलाइन सर्वेक्षण की व्यक्तिपरक प्रतिक्रिया, के आधार पर ट्राई द्वारा किए गए रिपोर्ट के विश्लेषण से यह पता चला कि इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) द्वारा प्रस्तावित सिफी, डिशनेट, एचसीएल तथा वीएसएनएल जैसी सेवाओं के बारे में ग्राहकों की जानकारी संतोषजनक नहीं थी।

(घ) ट्राई द्वारा डेढ़ वर्ष पूर्व आयोजित किया गया ऑनलाइन सर्वेक्षण व्यक्तिपरक मूल्यांकन तक सीमित था। ट्राई द्वारा जून तथा सितम्बर, 2004 को समाप्त हाल ही की तिमाहियों की निष्पादन निगरानी रिपोर्टों के अनुसार, सर्वोच्च 20 इंटरनेट सेवा प्रदाताओं का निष्पादन अब, डायल अप तथा लीज लाइन इंटरनेट अभिगम्यता सेवा, 2001 के सेवा गुणवत्ता संबंधी ट्राई के विनियम में निर्धारित बैंचमार्क के भीतर हैं।

विवरण

निष्कर्षों का सार

1. क्या आईएसपी उपभोक्ता, आईएसपी से कनेक्शन मिलने के छह घंटों के भीतर इंटरनेट आरंभ करने में समर्थ होते हैं?

आईएसपी का नाम	उन प्रयोक्ताओं का प्रतिशत जो 6 घंटे के बाद भी इंटरनेट कनेक्शन से संपर्क करने में असमर्थ रहते हैं।
1	2
वीएसएनएल	18
सत्यम/सिफी	3.05
डिशनेट	9.1

1	2
बीएसएनएल/दूरसंचार विभाग	37
मंत्रा औनलाइन	2.63
एमटीएनएल	9.75
अन्य	20.51

2. क्या उपभोक्ता 4 प्रयासों में ही आईएसपी नोड तक संपर्कता प्राप्त कर लेते हैं?

आईएसपी का नाम	उन प्रयोक्ताओं का प्रतिशत जिन्हें 4 से अधिक बार प्रयास करने की आवश्यकता पड़ती है।
वीएसएनएल	14.68
सत्यम/सिफी	3.52
डिशनेट	0.604
बीएसएनएल/दूरसंचार विभाग	21.23
मंत्रा औनलाइन	10.52
एमटीएनएल	24.39
अन्य	36.07

3. किसी महीने में डायल-अप कनेक्शन से प्रयास करने पर कितनी बार उपभोक्ताओं को 'नो रिप्लाई' की स्थिति का सामना करना पड़ता है?

आईएसपी का नाम	पिछले माह 4 से अधिक बार "नो रिप्लाई" की स्थिति का प्रतिशत
वीएसएनएल	49.03
सत्यम/सिफी	8.21
डिशनेट	20.14
बीएसएनएल/दूरसंचार विभाग	49.03
मंत्रा औनलाइन	23.68
एमटीएनएल	42.66
अन्य	19.31

4. जनता को साइबर कैफे/इन्फोरमेशन कियोस्कस के जरिए आसानी से इंटरनेट अभिगम्यता प्राप्त है। कॉल का उत्तर देने वाले 62.45% व्यक्तियों का यह विश्वास है कि साइबर कैफे इंटरनेट अभिगम्यता के सरल व बेहतर माध्यम हैं।

5. विभिन्न आईएसपी द्वारा प्रदत्त सेवा में डिस्कनेक्शन की फ्रीक्वेंसी।

आईएसपी का नाम	1	2	3	4	4 से अधिक
वीएसएनएल	10.71	11.81	13.46	5.22	51.24
सत्यम/सिफी	50	16.20	5.40	1.64	11.73
डिशनेट	29.45	17.44	11.26	5.78	24.37
बीएसएनएल/दूरसंचार विभाग	8.88	13.90	10.42	5.79	52.89
मंत्रा औनलाइन	41.67	19.44	8.33	0	26.31
एमटीएनएल	13.41	9.76	10.98	4.88	51.21
अन्य	18.77	13.05	7.32	4.93	33.62

6. क्या आईएसपी, 28.8 केबीपीएस की न्यूनतम गति की अपेक्षा को पूरा कर रहे हैं।

आईएसपी का नाम	28.8 केबीएस की न्यूनतम गति प्राप्त न कर पाने वाले प्रयोक्ताओं का प्रतिशत
वीएसएनएल	65.37
सत्यम/सिफी	16.4
डिशनेट	46.17
बीएसएनएल/दूरसंचार विभाग	71.4
मंत्रा औनलाइन	31.57
एमटीएनएल	73.13
अन्य	51.1

7. विभिन्न आईएसपी द्वारा प्रदत्त सेवा के रात और दिन के निष्पादन में भिन्नता अधिकांश उपभोक्ताओं का दावा है कि उन्हें दिन की बजाए रात के समय तेजी से अभिगम्यता प्राप्त हुई है।

8. प्रत्येक आईएसपी के संबंध में प्रयोक्ता संतुष्टि का ब्यौरा :

आईएसपी का नाम	असंतुष्ट उपभोक्ता
वीएसएनएल	34.05
सत्यम/सिफी	5.86
डिशनेट	10.51
बीएसएनएल/दूरसंचार विभाग	50.19
मंत्रा औनलाइन	28.94
एमटीएनएल	42.68
अन्य	20.73

खनन पट्टा

3488. **श्री जुएल ओराम :**

श्री बिक्रम केशरी देव :

क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विशेषकर उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, झारखंड तथा छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र को विभिन्न खनिजों के लिए दिये गए खनन पट्टों का ब्यौरा क्या है;

(ख) खनन गतिविधियों के शुरु होने के परिणामस्वरूप विस्थापित हुए परिवारों की संख्या कितनी है;

(ग) खान-वार तथा जिला-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन क्षेत्रों में आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए क्या विशेष कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) से (घ) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 10(3) के तहत खनन पट्टे संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं। उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट कुछ खनिजों के मामले में ही उक्त अधिनियम की धारा 5(1) के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र सरकार को पूर्व अनुमोदन के लिए प्रस्ताव भेजे जाते हैं। विस्थापित हुए आदिवासी परिवारों और विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों सहित सार्वजनिक क्षेत्र को प्रदान किए गए खनन पट्टों इत्यादि के संबंध में केन्द्र द्वारा ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया

3489. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कार्यरत चिकित्सकों में अंडमान निकोबार प्रशासन के अधीन स्वास्थ्य सेवा निदेशालय तथा संघ लोक सेवा आयोग की चयन/भर्ती प्रक्रिया के संबंध में असंतोष है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा के आधार पर कोई नया एमबीबीएस अभ्यार्थी वरिष्ठ बन सकता है तथा तदर्थ आधार पर कार्यरत चिकित्सक कनिष्ठ ही रहता है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) संघ क्षेत्र प्रशासन ने सूचित किया है कि अण्डमान एवं निकोबार में चिकित्सा अधिकारी के पद समूह 'क' पद हैं और अनुमोदित भर्ती नियमों के अनुसार उम्मीदवारों का चुनाव/चयन, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है तथा चयनित उम्मीदवारों की वरिष्ठता, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा बनाई गई वरीयता सूची पर आधारित होती है।

पैथोलॉजी तथा रेडियोलॉजी सेवाओं की आउटसोर्सिंग

3490. **श्री लोनाप्पन नम्बाडन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय कंपनियों को भारत को पैथोलॉजी तथा रेड़ियोलॉजी सेवाओं की आउटसोर्सिंग करने के लिए स्वीकृति देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में भारत में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में उपलब्ध आउटसोर्सिंग सेवाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने आउटसोर्सिंग सेवाओं में उपयुक्त रोजगार के अवसर तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष प्रेक्टिस सुनिश्चित करने के लिए कोई अनुबन्ध बनाए हैं;

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों का टूटना

3491. श्री जी. एम. सिद्दीश्वर : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2002–03, 2003–04 तथा चालू वर्ष के दौरान अब तक विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर विशेषकर कर्नाटक में बाढ़ आदि के कारण अपने ही वजन से टूटने वाले पुलों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इनके पुनर्स्थापन के लिए केन्द्र सरकार क्या कदम उठा रही है/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ कुल कितना खर्च हुआ है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर बाढ़ के कारण टूटे पुलों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। तथापि, कर्नाटक में कोई पुल नहीं टूटा है।

(ग) टूटे पूलों के स्थान पर नए पुलों के निर्माण का प्रस्ताव है।

(घ) डायवर्जन सड़कों के निर्माण और यातायात की बहाली के लिए 3.45 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। तथापि, टूटे पुलों के स्थान पर नए पुलों का पुनर्निर्माण चरणबद्ध रूप में किया गया है।

विवरण

क्रम सं.	राज्य	वर्ष	टूटे पुलों की सं.	रा. रा. सं.	स्थान
1	2	3	4	5	6
1.	असम	2002–03	कुछ नहीं		
		2003–2004	कुछ नहीं		
		2004–05	1	37	253 कि.मी.
2.	बिहार	2002–03	7	77 (मुजफ्फरपुर–सोनबरसा)	16, 19 व 26 कि.मी.
				81	47 कि.मी.
				104	46 व 178 कि.मी.
				105	9 कि.मी.
		2003–04	6	77 (मुजफ्फरपुर–सोनबरसा)	9 व 23 कि.मी.
				81	36 कि.मी.
				104	38 कि.मी.
				105	4 कि.मी.
				106	118 कि.मी.
		2004–05	15	77 (मुजफ्फरपुर–सोनबरसा)	28 (2), 30, 39, व 86 कि.मी.
				81	34 कि.मी.
				104	55, 70, 74, 77, 79 (2), 80, 81 व 82 कि.मी.

1	2	3	4	5	6
3.	हरियाणा	2002–03	कुछ नहीं		
		2003–04	कुछ नहीं		
		2004–05	1	71ए	71 कि.मी.
4.	उड़ीसा	2002–03	कुछ नहीं		
		2003–04	कुछ नहीं		
		2004–05	1	200	141 कि.मी.
5.	उत्तरांचल	2002–03	1	74	180 कि.मी.
		2003–04	कुछ नहीं		
		2004–05	3	125	6 कि.मी.
				121	201 व 206 कि.मी.
6.	पश्चिम बंगाल	2002–03	कुछ नहीं		
		2003–04	कुछ नहीं		
		2004–05	2	31 सी	146 व 150 कि.मी.
7.	कर्नाटक व अन्य राज्य	कुछ नहीं			
			जोड़ = 37		

राष्ट्रीय राजमार्ग 1 क पर दुर्घटनाएं

3492. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू एवं कश्मीर में राष्ट्रीय राजमार्ग 1 क पर दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी दुर्घटनाएं हुई;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग 1 क (जम्मू–श्रीनगर) यातायात के लिए वर्ष–वार कुल कितने दिन बंद रहा; और

(घ) इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) जी नहीं।

(ख) वर्ष 2000, 2001 और 2002 के दौरान क्रमशः 2328, 536 और 2141 दुर्घटनाएं हुई।

(ग) और (घ) दिनों की संख्या जब गत 3 वर्षों में रा. रा.–1ए बंद रहा और उसके कारण नीचे दिए गए हैं:–

वर्ष	दिनों की संख्या जब रा.रा.–1क बंद रहा	बंद होने के कारण
2001–02	16	भू–स्खलन, हिमपात, जनता द्वारा सड़क रोका जाना, आपात कार्य, सड़क को चौड़ा करना आदि।
2002–03	22	वही
2003–04	52	वही

विज्ञान संस्थानों में भर्ती

3493. श्री वसुदेव आचार्य : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान संस्थानों में वर्तमान में भर्ती बंद है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे संस्थानों में हो रहे अनुसंधान कार्य पर इसके प्रभाव की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

ईसीएल क्षेत्रों में भूमि का धंसना

3494. श्री विकास चौधरी :

श्री सुनील खां :

श्री अजय चक्रवर्ती :

श्री फुरकान अंसारी :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न कोयला क्षेत्रों में सतही क्षेत्र धंस गया है तथा इसके परिणामस्वरूप बस्तियां आगजनी तथा गैस का शिकार हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इन घटनाओं में कौन-कौन सी बस्तियां प्रभावित हुई हैं;

(ग) इन बस्तियों को धंसने से बचाने, आगजनी तथा गैस के खतरे से संरक्षण हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के विभिन्न क्षेत्रों में सतह पर धंसाव हुआ है और इन स्थानों में आग/जहरीली गैस का जोखिम है क्योंकि सतह में हवा घुसने के कारण धंसाव वाले क्षेत्र में स्वतः गर्मी तथा आग लग जाती है/आग लग सकती है।

(ख) ईसीएल के धंसाव से प्रभावित स्थान संकतोड़िया, समदी गांव, हरीशपुर गांव, बंगालपाड़ा बस्ती, केन्द्रा गांव, अरुण टाकीज, कुमार बाजार बारोचक, पोरारबंद, भूतदोबा, फतेहपुर, पलसबन, गोवला बस्ती पोटलरी, हरीपुर हैं।

(ग) और (घ) 1769.39 करोड़ रुपए के अनुमानित पूंजीगत परिव्यय का एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है जिसे पांच वर्षों के चार चरणों में व्यय किया जाना है। शुरू की जाने वाली योजनाओं तथा इनमें शामिल खर्च के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं-

योजना का नाम	संख्या	करोड़ रुपए
स्थिरीकरण	43	411.84
पुनर्वास	92	1317.18
आग वाला क्षेत्र तथा असुरक्षित खनन क्षेत्र	7	33.22
विघटन	7	7.15
योग		1769.39

ईसीएल में स्थिरीकरण तथा पुनर्वास की चल रही 15 योजनाओं में से 5 पूरी हो गई हैं।

खाद्य अनुसंधान का पुनर्नुकूलन

3495. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानिदेशक, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने न्यूट्रीशन वर्ल्ड पत्रिका ने अपने एक साक्षात्कार में उभरते हुए बाजार पर कब्जा जमाने के लिए खाद्य अनुसंधान के पुनर्नुकूलन का आह्वान किया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय संस्थान (सीएफटीआरआई) ने इसके लिए रूपरेखा तैयार कर ली है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा आगे क्या कार्रवाई की गई है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान (सीएफटीआरआई) ने देश में खाद्य अनुसंधान के पुनर्नुकूलन के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु रूप - रेखा तैयार की है। इसने पोषण के क्षेत्र में कार्यक्रमों की शुरूआत की है। इनमें से कुछ कार्यक्रम ये हैं :- छीजन (छोटी दाल मिलें) को कम करने के लिए प्राथमिक प्रक्रमण, जनसाधारण द्वारा उत्पादन के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियां, गैर-सरकारी संगठनों और सहकारी संस्थानों के माध्यम से स्थानीय क्षेत्रों में अवसरों का लाभ उठाने के लिए महिला उद्यमियों का सशक्तीकरण, राज्य सरकारों के साथ समन्वयन करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना, परंपरागत खाद्यान्नों के डिजिटल आंकड़ाधारों का सृजन करना ताकि इन प्रक्रियाओं को विदेशी- पेटेंट करने से बचाया जा सके तथा ऐसे आंकड़ाधारों से उत्पन्न मूल्यवर्धित स्पिन ऑफ खाद्य प्रौद्योगिकियों पर कार्य करना।

[हिन्दी]

रोजगार आश्वासन योजना

3496. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने रोजगार आश्वासन योजना की आर्थिक व्यवहार्यता का तीव्र विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो वित्तीय संसाधन जुटाने संबंधी स्त्रोतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत बेराजगारों को रोजगार प्रदान करने की प्रक्रिया क्या होगी; और

(घ) रोजगार प्रदान करने के लिए न्यूनतम अर्हताएं क्या हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन) : (क) से (घ) सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है, जिसका लक्ष्य प्रत्येक गरीब परिवार, जिसके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहते हैं, को कम–से–कम 100 दिनों का गारंटीशुदा मजदूरी रोजगार मुहैया कराते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों की जीविकोपार्जन सुरक्षा में वृद्धि करना है। संसद द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम पारित कर दिए जाने के पश्चात् ही इस स्कीम का ब्यौरा ज्ञात हो पाएगा।

[अनुवाद]

पारम्परिक उद्योगों में संकट

3497. श्री पी. करूणाकरन : क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में पारम्परिक उद्योगों में विद्यमान संकट सरकार के ध्यान में आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अधिकांश कामगार महिलाएं हैं तथा उन्हें कम मजदूरी मिलती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ङ) पारम्परिक क्षेत्रों जैसे काजू, कॉयर हथकरघा, खादी बीड़ी तथा मत्स्यन उद्योगों को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) से (घ) केरल सहित देश में कुछ पारम्परिक उद्योगों को पुरानी प्रौद्योगिकी, निम्न उत्पादकता, क्रेडिट उपलब्धता, उत्पादनों की गुणवत्ता, विपणन, प्रतिस्थानी उत्पादनों से प्रतिस्पर्धा आदि जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कॉयर के पारम्परिक उद्योग में अधिकांश कामगार महिलाएं हैं और कुछ कामगारों की कमाई को उत्पादकता के निम्न स्तरों के कारण सब–आपटिमल पाया गया है।

(ङ) सरकार, केरल सहित देश भर में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण रोज़गार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) का कार्यान्वयन कर रही है। आर.ई.जी.पी. का कार्यान्वयन खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से किया जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई भी उद्यमी 25 लाख रु. की अधिकतम लागत के साथ परियोजनाओं के लिए के.वी.आई.सी. से मार्जिन मनी सहायता तथा सार्वजनिक क्षेत्र के किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, चुने हुए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं सहकारिता बैंक आदि से ऋण का लाभ उठाकर ग्रामोद्योग की स्थापना कर सकता है। मार्जिन मनी सहायता का ढांचा (पैटर्न) निम्नलिखित सारणी में दिया गया है और यह महिलाओं के लिए अधिक अनुकूल हैः

आरईजीपी के तहत मार्जिन मनी सहायता

क्र. सं.	लाभार्थी की श्रेणी	परियोजना लागत	मार्जिन मनी सहायता
1.	सामान्य	10 लाख रुपये तक	परियोजना लागत का 25 प्रतिशत
		10 लाख रुपये और 25 लाख रु. तक	2.5 लाख रु. और शेष परियोजना लागत का 10 प्रतिशत
2.	अनु.जा./अनु. जनजा./महिलाएं/ पूर्व–सैनिक/ पूर्वोत्तर क्षेत्र/ पहाड़ी क्षेत्र	10 लाख रुपये तक	परियोजना लागत का 30 प्रतिशत
		10 लाख रु. और 25 लाख रु. तक	3 लाख रु. और शेष परियोजना लागत का 10 प्रतिशत

इसके अतिरिक्त कॉयर, हस्तकरघा, रेशम–उत्पादन, हस्तशिल्प, चमड़ा पॉटरी एवं अन्य कुटीर उद्योगों जैसे परम्परागत उद्योगों के पुनरूद्धार के लिए वर्ष 2004–05 के बजट भाषण में 100 करोड़ रुपये के प्रारंभिक आबंटन के साथ एक निधि की स्थापना की घोषणा की गई है।

माल भाड़ा घोटाला

3498. श्री बाडिगा रामकृष्णा :

श्री मनोज कुमार :

श्री प्रभुनाथ सिंह :

श्री हरिकेवल प्रसाद :

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :

श्री अतीक अहमद :

श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :

श्री वाई. जी. महाजन :

श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख :

श्री एस. पी. वाई. रेड्डी :

श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद :

श्री अधीर चौधरी :

श्री सुनिल कुमार महतो :

श्री गिरिधारी यादव :

श्री उदय सिंह :

श्री अजय चक्रवर्ती :

श्री हरिभाऊ राठौड़

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कोयला कंपनियों/सहायक कंपनियों/डिपो में कालाबाजारी, चोरी, माफिया, भ्रष्टाचार, कोयले की घटिया आपूर्ति आदि घटनाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार ने कोई जांच शुरू की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) उपर्युक्त घटनाओं को रोकने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) से (ङ) सामान्य तौर पर, कोर क्षेत्र के उद्योगों जैसे विद्युत उपयोगिताओं, इस्पात, सीमेन्ट उद्योग को आपूर्तित कोयले की कालाबाज़ारी की कोई शिकायत नहीं है। कोर क्षेत्र के लिंकेज ईंधन आपूर्ति करारों की व्यवस्था से प्रचालित होते हैं। नान–कोर क्षेत्र के उपभोक्ताओं को कोयला पुराने लिंकेजों तथा राज्य सरकारों के प्रयोजनों के आधार पर दिया जाता है तथा जब भी अधिशेष कोयला उपलब्ध हो, तो खुली बिक्री योजना के अंतर्गत भी दिया जाता है।

नॉन–कोर क्षेत्र के लिंकेजों को समय–समय पर राज्य सरकारों के सतर्कता विभागों और कोयला कंपनियों के सतर्कता प्रकोष्ठों द्वारा सत्यापित किया जाता है और जब भी यूनिटें बंद अथवा अकार्यशील पाई गई हैं, तो कोयला लिंकेजों को रद्द कर दिया गया है। नॉन–कोर क्षेत्र मे कुछ लिंक्ड उपभोक्ताओं द्वारा कोयले के दुरुपयोग की शिकायतें प्राप्त होने पर, कोयला कंपनियों द्वारा हाल ही में एक गहन जांच की गयी है।

मानसिक स्वास्थ्य नीति

3499. श्री आलोक कुमार मेहता : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा तैयार की गई मानसिक स्वास्थ्य नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा पहचान किये गए मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रों/मामलों की राज्य–वार स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार वर्ष 2004–2005 में 190 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य–वार आबंटन तथा खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) यह अनुमान है कि लगभग 5% लोग विभिन्न मानसिक विकारों जैसे डिप्रैशन, न्यूरोटिक, दबाव संबंधित तथा सामंजस्य विकारों से पीड़ित हैं। जनसंख्या का लगभग 1% हिस्सा मानसिक विकार जैसे मनोवृत्ति विकारों से पीड़ित तथा 0.5% जनसंख्या को गंभीर मानसिक विकार के लिए गहन उपचार की आवश्यकता है। हालांकि इस समय मानसिक बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों की संख्या के संबंध में केन्द्रीय स्तर पर कोई डाटा नहीं रखा जाता है।

मानसिक बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों की स्वास्थ्य परिचर्या की बेहतर सेवाएं एवं विकसित पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वयन हेतु 139 करोड़ रुपए के लागत से एक व्यापक राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम तैयार किया है। इस कार्यक्रम में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के विस्तार की योजना है जिसमें सामुदायिक स्तर पर जल्द से जल्द निदान एवं उपचार प्रदान करने के लिए सभी 37 सरकारी मानसिक अस्पतालों, 75 चिकित्सा महाविद्यालयों की मानश्चिकित्सीय विंगो, सूचना, शिक्षा व सम्प्रेषण कार्याकलापों तथा अनुसंधान व प्रशिक्षण की सेवाओं का उन्नयन करके देश में वर्तमान 27 जिलों की तुलना में 100 जिलों को कवर किया जाएगा।

मानसिक अस्पतालों के उन्नयन के लिए 3 करोड़ रुपए तक, चिकित्सा महाविद्यालयों में मानश्चिकित्सीय विंगों के विकास के लिए 50 लाख रुपए तथा जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 110.50 लाख (पांच वर्षों के लिए) प्रति जिला प्रदान किए जाते हैं। वास्तविक आवश्यकता तैयारी के आधार पर विभिन्न घटकों के अन्तर्गत राज्यों को निधियां स्वीकृत की जाती है।

विभिन्न राज्य सरकारों एवं संघ क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर अब तक जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में 48 नए जिले शामिल कर लिए गए हैं तथा प्रथम वर्ष के लिए 26.20 लाख रुपए प्रति जिला निधियां प्रदान की गई है। केरल राज्य में मानश्चिकित्सीय विंगों को मजबूती प्रदान करने हेतु कोजीकोड, त्रिचूर एवं थिरूअनंतपुरम के तीन चिकित्सा महाविद्यालयों के संबंध में भी निधियां स्वीकृत की गई है। जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, चिकित्सा महाविद्यालयों की मानश्चिकित्सीय विंगों के विकास तथा मानसिक अस्पतालों के उन्नयन से जुड़े शेष प्रस्तावों के लिए तकनीकी मूल्यांकन तथा निधियों की उपलब्धता के अधीन प्रदान की जाएंगी।

[हिन्दी]

झारखंड में डाकघर

3500. श्री मनोज कुमार : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झारखंड के विभिन्न जिलों में कुल कितने डाकघर किन–किन स्थानों पर चल रहे हैं;

(ख) झारखंड के सभी जिलों विशेषकर पलामू, गढ़वा और लातेहार जिलों में किन–किन स्थानों पर डाकघर खोले जाने की संभावना है; और

(ग) सरकार का विचार प्रस्तावित स्थानों पर डाकघर कब तक खोलने का है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) झारखंड में कार्य कर रहे डाकघरों का जिलावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) पलामू, गढ़वा और लातेहार जिलों सहित किसी जिले में डाकघर खोलने के लिए दूरी, जनसंख्या और आय पर आधारित अभी कोई औचित्यसम्मत प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

झारखण्ड सर्किल डाक नेटवर्क का ब्यौरा

क्रम सं.	डाकघर का नाम	तहसील/तालूक/ ब्लॉक का नाम जिसमें स्थित है।	जहां लागू हो उस गांव का नाम जहां स्थित है।
1	2	3	4
हजारीबाग जिला			
1.	बड़ा बाजार	सदर हजारीबाग	बड़ा बाजार
2.	हजारीबाग	सदर हजारीबाग	हजारीबाग
3.	बोदोम बाजार	सदर हजारीबाग	बोदोम बाजार
4.	बी.एस.एफ. मेरू	सदर हजारीबाग	मेरू
5.	जगरनाथ धाम	सदर हजारीबाग	जगरनाथ धाम
6.	कॉलेज मोड़	सदर हजारीबाग	कॉलेज मोड़
7.	बभानडे	सदर हजारीबाग	बभानडे
8.	लीला नगर	सदर हजारीबाग	लीला नगर
9.	मोरांगी	सदर हजारीबाग	मोरांगी
10.	नवादा	सदर हजारीबाग	नवादा
11.	दरू	सदर हजारीबाग	दरू
12.	बनहप्पा	सदर हजारीबाग	बनहप्पा
13.	बेदम	सदर हजारीबाग	बेदम
14.	हरिलपेटो	सदर हजारीबाग	हरिलपेटो
15.	महेशरा	सदर हजारीबाग	महेशरा
16.	ततीझाड़िया	सदर हजारीबाग	ततीझाड़िया
17.	डिस्ट्रिक्ट बोर्ड	सदर हजारीबाग	डिस्ट्रिक्ट बोर्ड
18.	हैरानगंज	सदर हजारीबाग	हैरानगंज
19.	कोर्राह	सदर हजारीबाग	कोर्राह
20.	चंदवाड़ा	सदर हजारीबाग	चंदवाड़ा
21.	जगदीशपुर	सदर हजारीबाग	जगदीशपुर
22.	ओरैया	सदर हजारीबाग	ओरैया
23.	रोल्ला	सदर हजारीबाग	रोल्ला
24.	सीतागरहा	सदर हजारीबाग	सीतागरहा
25.	पेथियातांद	सदर हजारीबाग	डेलीमार्किट
26.	पेलावल	सदर हजारीबाग	पेलावल
27.	आरईएफ स्कूल	सदर हजारीबाग	यूनिवेर्सिटी कैम्पस
28.	रेवाली	सदर हजारीबाग	रेवाली

1	2	3	4
29.	बर्ही	बर्ही	बर्ही
30.	देवचंदा	बर्ही	देवचंदा
31.	गोरिया कर्म	बर्ही	गोरियो कर्म
32.	केवल	बर्ही	केवल
33.	नगर बरसोत	बर्ही	नगर बरसोत
34.	रसांया धमना	बर्ही	रसांया धमना
35.	पदारिया	बर्ही	पदारिया
36.	गुरियो	बर्ही	गुरियो
37.	बर्कागांव	बर्कागांव	बर्कागांव
38.	अम्बाजीत	बर्कागांव	अम्बाजीत
39.	बदम	बर्कागांव	बदम
40.	चेपाकलॉं	बर्कागांव	चेपाकलॉं
41.	गोसाईं बलिया	बर्कागांव	गोसाईं बलिया
42.	हर्लि	बर्कागांव	हर्लि
43.	हेवाई	बर्कागांव	हेवाई
44.	कंदबेर	बर्कागांव	कंदबेर
45.	सांई	बर्कागांव	सांई
46.	गरीकलॉं	केरेदकी	गरीकलॉं
47.	केरेदकी	केरेदकी	केरेदकी
48.	पांबु	केरेदकी	पांबु
49.	चट्टी बरियातु	केरेदकी	चट्टी बरियातु
50.	मनातु	केरेदकी	मनातु
51.	पेटो	केरेदकी	पेटो
52.	बर्काथा	बर्काथा	बर्काथा
53.	बेरोकलॉं	बर्काथा	बेरोकलॉं
54.	बर्कान गांगो	बर्काथा	बर्कान गांगो
55.	बरवां	बर्काथा	बरवां

1	2	3	4
56.	बेलकापी	बर्काथा	बेलकापी
57.	चांचकापी	बर्काथा	चांचकापी
58.	चगलामो	बर्काथा	चगलामो
59.	मनैया	बर्काथा	मनैया
60.	झरझरी	बर्काथा	झरझरी
61.	कल्हाबाद	बर्काथा	कल्हाबाद
62.	गांगपाचो	बर्काथा	गांगपाचो
63.	कापका	बर्काथा	कापका
64.	सिलादीह	बर्काथा	सिलादीह
65.	चलकुसा	बर्काथा	चलकुसा
66.	चोबे	बर्काथा	चोबे
67.	मसकेदीह	बर्काथा	मसकेदीह
68.	सुदन	बर्काथा	सुदन
69.	बिशुनगढ़	बिशुनगढ़	बिशुनगढ़
70.	बनासो	बिशुनगढ़	बनासो
71.	भेलवाड़ा	बिशुनगढ़	भेलवाड़ा
72.	गोविन्दपुर कलॉं	बिशुनगढ़	गोविन्दपुर कलॉं
73.	हर्लंग	बिशुनगढ़	हर्लंग
74.	नवादा	बिशुनगढ़	नवादा
75.	उचाघना	बिशुनगढ़	उचाघना
76.	कोनारदम	बिशुनगढ़	कोनारदम
77.	चंदवाड़ा	बिशुनगढ़	चंदवाड़ा
78.	चौपारन	चौपारन	चौपारन
79.	बसारिया	चौपारन	बसारिया
80.	बेला	चौपारन	बेला
81.	ब्रिन्दावन	चौपारन	ब्रिन्दावन
82.	दादपुर	चौपारन	दादपुर

1	2	3	4
83.	लोहांडी	चौपारन	लोहांडी
84.	नरचाही	चौपारन	नरचाही
85.	पाण्डेबाड़ा	चौपारन	पाण्डेबाड़ा
86.	रामपुर	चौपारन	रामपुर
87.	सलाहरा	चौपारन	सलाहरा
88.	सिंघरवां	चौपारन	सिंघरवां
89.	धबथाम	चौपारन	धबथाम
90.	परसातरी	चौपारन	परसातरी
91.	चरही	माण्डु	चरही
92.	जरवा	माण्डु	जरवा
93.	गाटोतांद	माण्डु	गाटोतांद
94.	बंजी	माण्डु	बंजी
95.	केडला	माण्डु	केडला
96.	लाइयो	माण्डु	लाइयो
97.	रहवां	माण्डु	रहवां
98.	तार्पिन	माण्डु	तार्पिन
99.	बरगांव	माण्डु	बरगांव
100.	चैनपुर	माण्डु	चैनपुर
101.	महुआतांड	माण्डु	महुआतांड
102.	तिरला	माण्डु	तिरला
103.	कूजू	माण्डु	कूजू
104.	हेसागर्ह	माण्डु	हेसागर्ह
105.	माण्डु	माण्डु	माण्डु
106.	सरुबेड़ा	माण्डु	सरुबेड़ा
107.	टोपा कोलियेरी	माण्डु	टोपा कोलियेरी
108.	बेलसगड़ा	माण्डु	बेलसगड़ा
109.	चैनपुर	माण्डु	चैनपुर
110.	रबोध	माण्डु	रबोध
111.	नगारी चर्चु	चर्चु	नगारी चर्चु
112.	जोरदाग	चर्चु	जोरदाग
113.	पर्तांग	चर्चु	पर्तांग
114.	झरपो	इचक	झरपो
115.	भम्भवा	इचक	भम्भवा
116.	इचक	इचक	इचक
117.	बरियथ	इचक	बरियथ
118.	भुसाई	इचक	भुसाई
119.	दमरांव	इचक	दमराव
120.	देवकुली	इचक	देवकुली
121.	करियातपुर	करियातपुर	करियातपुर
122.	पुनाई	इचक	पुनाई
123.	रतनपुर	इचक	रतनपुर
124.	तिलारा	इचक	तिलारा
125.	पबरा	इचक	पबरा
126.	द्वारी तेलैया	कटकमसान्दी	द्वारी तेलैया
127.	बहिमार	कटकमसान्दी	बहिमार
128.	दानर	कटकमसान्दी	दानर
129.	कटकमसान्दी	कटकमसान्दी	कटकमसान्दी
130.	लपंग	कटकमसान्दी	लपंग
131.	साहपुर	कटकमसान्दी	साहपुर
132.	कदमा	कटकमसान्दी	कदमा
133.	सुलताना	कटकमसान्दी	सुलताना
134.	पदमा	पदमा	पदमा
135.	दन्तोखुर्द	पदमा	दन्तोखुर्द
136.	दरिघाघर	पदमा	दरिघाघर

1	2	3	4
137.	जिहु	पदमा	जिहु
138.	कुटिपिश	पदमा	कुटिपिश
139.	सरैया	पदमा	सरैया
140.	सूरजपुरा	पदमा	सूरजपुरा
141.	अरगदा	रामगढ़	अरगदा
142.	बरकाचम्बा	रामगढ़	बरकाचम्बा
143.	हेसालओंग	रामगढ़	हेसालओंग
144.	हेस्ला	रामगढ़	हेस्ला
145.	भरेच नगर	रामगढ़	भरेच नगर
146.	मरार	रामगढ़	मरार
147.	दिगवर	रामगढ़	दिगवर
148.	कन्देर	रामगढ़	कन्देर
149.	कर्मा	रामगढ़	कर्मा
150.	पी.आर.सी.	रामगढ़	पी.आर.सी
151.	रामगढ़ टी.एस.ओ.	रामगढ़	रामगढ़ कैंट टी.एस.ओ.
152.	रामगढ़ कैंट प्रधान डाकघर	रामगढ़	रामगढ़ कैंट प्रधान डाकघर
153.	सिरका	रामगढ़	सिरका
154.	एस. आर. सी.	रामगढ़	एस.आर.सी.
155.	छतर	रामगढ़	छतर
156.	गांदके	रामगढ़	गांदके
157.	कैथ	रामगढ़	कैथ
158.	गोस्सा	रामगढ़	गोस्सा
159.	जमीरा	रामगढ़	जमीरा
160.	बल्कुद्रा	पत्रातु	बल्कुद्रा
161.	गेगदा	पत्रातु	गेगदा
162.	बर्काकना	पत्रातु	बर्काकना
163.	बर्काकना एन. टी.एस.	पत्रातु	बर्काकना एन. टी.एस.
164.	चैनगदा	पत्रातु	चैनगदा
165.	भदानी नगर	पत्रातु	भदानी नगर
166.	पाली	पत्रातु	पाली
167.	लपांगा कोल्लियेरी	पत्रातु	लपांगा कोल्लियेरी
168.	भरकुन्दा	पत्रातु	भरकुन्दा
169.	भरकुन्दा बजार	पत्रातु	भरकुन्दा बजार
170.	देवरिया बरगांव	पत्रातु	देवरिया बरगांव
171.	गिद्दी	पत्रातु	गिद्दी
172.	गिद्दी सी	पत्रातु	गिद्दी सी
173.	दारी	पत्रातु	दारी
174.	पत्रातु	पत्रातु	पत्रातु
175.	जयनगर	पत्रातु	जयनगर
176.	तेर्पा	पत्रातु	तेर्पा
177.	पत्रातु डी.सी.	पत्रातु	पत्रातु डी.सी.
178.	पत्रातु टी.पी.एस.	पत्रातु	पत्रातु टी.पी.एस.
179.	हफुआ	पत्रातु	हफुआ
180.	हरिहरपुर	पत्रातु	हरिहरपुर
181.	कोटो	पत्रातु	कोटो
182.	पलानि	पत्रातु	पलानि
183.	रेलीगर्ह	पत्रातु	रेलीगर्ह
184.	साउंडा कोल्लियेरी	पत्रातु	साउंडा कोल्लियेरी
185.	साउंडा डी	पत्रातु	साउंडा डी
186.	साउंडा बस्ती	पत्रातु	साउंडा बस्ती
187.	सयाल	पत्रातु	सयाल

1	2	3	4
188.	चितरपुर	गोला	चितरपुर
189.	कुन्दु कलाँ	गोला	कुन्दु कलाँ
190.	बरकीपुना	गोला	बरकीपुना
191.	हरहाद कंदेर	गोला	हरहाद कंदेर
192.	पोदमदगा	गोला	पोदमदगा
193.	इचादू	गोला	इचादु
194.	कोरचै	गोला	कोरचै
195.	सोसो	गोला	सोसो
196.	गोला	गोला	गोला
197.	बंदा	गोला	बंदा
198.	बरियादु	गोला	बरियादु
199.	बेतुलकलाँ	गोला	बेतुलकलाँ
200.	चारी	गोला	चारी
201.	हेरापोका	गोला	हेरापोका
202.	कोराम्बे	गोला	कोराम्बे
203.	कुम्हारदागा	गोला	कुम्हारदागा
204.	मगनपुर	गोला	मगनपुर
205.	मुरपा	गोला	मुरपा
206.	संग्रामपुर	गोला	संग्रामपुर
207.	सराम	गोला	सराम
208.	सोसो कलाँ	गोला	सोसो कलाँ
209.	सुतारी	गोला	सुतारी
210.	टोयार	गोला	टोयार
211.	बरतंगा	गोला	बरतंगा
212.	सोंडिमारा	गोला	सोंडिमारा
213.	रामगढ़ प्रोजेक्ट	गोला	रामगढ़ प्रोजेक्ट
214.	होनहे	गोला	होनहे
215.	सांडी	गोला	सांडी
216.	सीकनी	गोला	साकनी
217.	लाड़ी	गोला	लाड़ी
218.	कुरुम	गोला	कुरुम
219.	केंडना नगर	माण्डु	कैंडला नगर
220.	अचल जामो	बिशनुगढ़	
221.	बराई	बिशनुगढ़	
222.	चौथा	बिशनुगढ़	
223.	गोरहर	बिशनुगढ़	

क्रम सं.	डाकघर का नाम	तहसील/तालूक/ ब्लॉक का नाम जिसमें स्थित है।	जहां लागू हो उस गांव का नाम जहां स्थित है।
1	2	3	4
छतरा जिला			
1.	छतरा	छतरा	छतरा
2.	ब्राइनी	छतरा	ब्राइनी
3.	हफवा	छतरा	हफवा
4.	कमता	छतरा	कमता
5.	कान्हाछत्ती	छतरा	कान्हाछत्ती
6.	कोलहैया	छतरा	कोलहैया
7.	लरालुतुदाग	छतरा	लरालुतुदाग
8.	मकातमा	छतरा	मकातमा
9.	तपेज	छतरा	तपेज
10.	ततेरा	छतरा	ततेरा
11.	तिक्कर	छतरा	तिक्कर
12.	तुलबुल	छतरा	तुलबुल
13.	अम्टा	छतरा	अम्टा

1	2	3	4
14.	छतरा बाजार	छतरा	चत्रा बजार
15.	औररुगेरुआ	हंटेरगंज	औररुगेरुआ
16.	बलूरी	हंटेरगंज	बलूरी
17.	घंघरी	हंटेरगंज	घंघरी
18.	जजलो	हंटेरगंज	जजलो
19.	कर्मा	हंटेरगंज	कर्मा
20.	कुबा	हंटेरगंज	कुंबा
21.	नवादिहपनाड़ी	हंटेरगंज	नवादिहपनाड़ी
22.	पाण्डेयपुरा	हंटेरगंज	पाण्डेयपुरा
23.	हंटेरगंज	हंटेरगंज	हंटेरगंज
24.	जोड़ी	हंटेरगंज	जोड़ी
25.	बिहियासरहाथिया	हंटेरगंज	बिहियासरहाथिया
26.	दांतर	हंटेरगंज	दांतर
27.	हिरींग	हंटेरगंज	हिरींग
28.	केदलीकलाँ	हंटेरगंज	केदलीकलाँ
29.	कोबना	हंटेरगंज	कोबना
30.	करखेता	हंटेरगंज	करखेता
31.	शाही	हंटेरगंज	शाही
32.	सलैया	हंटेरगंज	सलैया
33.	पिंद्रा	हंटेरगंज	पिंद्रा
34.	इतखोड़ी	इतखोड़ी	इतखोड़ी
35.	अमझार	इतखोड़ी	अमझार
36.	बरगांव	इतखोड़ी	बरगांव
37.	बेरहना	इतखोड़ी	बेरहना
38.	बरीशाखी	इतखोड़ी	बरीशाखी
39.	दलहर	इतखोड़ी	दलहर
40.	धुथवा	इतखोड़ी	धुथवा

1	2	3	4
41.	करनी	इतखोड़ी	करनी
42.	लोराम	इतखोड़ी	लोराम
43.	मधानिया	इतखोड़ी	मधानिया
44.	मायापुर	इतखोड़ी	मायापुर
45.	मरहांद	इतखोड़ी	मरहांद
46.	परसाउनी	इतखोड़ी	परसाउनी
47.	पथरा	इतखोड़ी	पेलताउल
48.	पेलताउल	इतखोड़ी	पीतिज
49.	पीतिज	इतखोड़ी	पीतिज
50.	मंझगवन	गीधौर	मंझगवन
51.	गंगपुर	गीधौर	गंगपुर
52.	गीधौर	गीधौर	गीधौर
53.	नवादीह धमोल	गीधौर	नवादीह धमोल
54.	प्रतापपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर
55.	बिचकिला	प्रतापपुर	बिचकिला
56.	चतियनंतपुर	प्रतापपुर	चतियनंतपुर
57.	चंद्रीकलाँ	प्रतापपुर	चंद्रीकलाँ
58.	गेरुआ	प्रतापपुर	गेरुआ
59.	जोगियारा	प्रतापपुर	जोगियारा
60.	काउरा	प्रतापपुर	काउरा
61.	नारयनपुर	प्रतापपुर	नारयनपुर
62.	यादव नगर	प्रतापपुर	यादव नगर
63.	पथलगडा	पथलगडा	पथलगडा
64.	कुण्डा	कुण्डा	कुण्डा
65.	चौपे	सीमारिया	चौपे
66.	पीरी	सीमारिया	पीरी
67.	सिल्ला	सीमारिया	सिल्ला

1	2	3	4
68.	सीमारिया	सीमारिया	सीमारिया
69.	बगरा	सीमारिया	बगरा
70.	दंदुआ	सीमारिया	दंदुआ
71.	देलहो	सीमारिया	देलहो
72.	एडला	सीमारिया	एडला
73.	जवारा	सीमारिया	जवारा
74.	लवालोंग	लवालोंग	लवालोंग
75.	शिवराजपुर	सीमरिया	शिवराजपुर
76.	तुतलावा	सीमारिया	तुतलावा
77.	तंदवा	तंदवा	तंदवा
78.	बहेड़ा	तंदवा	बहेड़ा
79.	धनगदा	तंदवा	धनगदा
80.	कसियादीह	तंदवा	कसियादीह
81.	खदिया	तंदवा	खदिया
82.	पचरा	तंदवा	पचरा
83.	रहाम	तंदवा	सलगा
84.	सलगा	तंदवा	सलगा
85.	सराधु	तंदवा	सराधु
86.	बचरा	डालटनगंज	बचरा
87.	बुन्दु	डालटनगंज	बुन्दु

क्रम सं.	डाकघर का नाम	तहसील/तालूक/ब्लॉक का नाम जिसमें स्थित है।	जहां लागू हो उस गांव का नाम जहां स्थित है।
1	2	3	4
कोडरमा जिला			
1.	दोमचांच	कोडरमा	दोमचांच
2.	धाब	कोडरमा	धाब
3.	सपाही	कोडरमा	सपाही
4.	दोमचांच बजार	कोडरमा	दोमचांच बजार
5.	बगरो	कोडरमा	बगरो
6.	बहेड़ादीह	कोडरमा	बहेड़ादीह
7.	धोराकोला	कोडरमा	धोराकोला
8.	मसमोहना	कोडरमा	मसमोहना
9.	मसनोदीह	कोडरमा	मसनोदीह
10.	फुलवरिया	कोडरमा	फुलवरिया
11.	झुमरी तलैया	कोडरमा	झुमरी तलैया
12.	बेकोबार	कोडरमा	बेकोबार
13.	गझांदी	कोडरमा	गझांदी
14.	गोमोबरवादीह	कोडरमा	गोमोबरवादीह
15.	हिरोदीह	कोडरमा	हिरोदीह
16.	झुमरी तलैया बजार	कोडरमा	झुमरी तलैया बजार
17.	कर्मा	कोडरमा	कोदर्मा
18.	कोदर्मा	कोडरमा	कोदर्मा
19.	देबौर	कोडरमा	देबौर
20.	खलकथाबी	कोडरमा	खलकथाबी
21.	इंदावा	कोडरमा	इंदावा
22.	लोकई	कोडरमा	लोकई
23.	पथालादिहा	कोडरमा	पथालदिहा
24.	खेसमी	मरकाचो	खेसमी
25.	मुरुकमोनाल	मरकाचो	मुरुकमोनाल
26.	नवलशाही	मरकाचो	नवलशाही
27.	मरकाचो	मरकाचो	मरकाचो
28.	चोपनादीह	मरकाचो	चोपनादीह
29.	दसरोखुर्द	मरकाचो	दसरोखुर्द

1	2	3	4
30.	जमो	मरकाचो	जमो
31.	महुगाई	मरकाचो	महुगाई
32.	नवादीह	मरकाचो	नवादीह
33.	पदारिया	मरकाचो	पदारिया
34.	जयनगर	जयनगर	जयनगर
35.	दंदादीह	जयनगर	दंदादीह
36.	नईतांद	जयनगर	नईतांद
37.	मकतपुर	जयनगर	मकतपुर
38.	परसाबाद	जयनगर	परसाबाद
39.	शमतांद	जयनगर	शमतांद
40.	कानको	जयनगर	कानको
41	तेलैया धाम	जयनगर	तेलैया धाम

क्रम सं.	डाकघर का नाम	तहसील/तालूक/ब्लॉक का नाम जिसमें स्थित है।	जहां लागू हो उस गांव का नाम जहां स्थित है।
1	2	3	4
	गिरीडीह जिला		
1.	अर्खांगो	राजधनवर	अर्खांगो
2.	गलवाती	राजधनवर	गलवाती
3.	कुबरी	राजधनवर	कुबरी
4.	तारानखो	राजधनवर	तारानखो
5.	गोरहांड	राजधनवर	गोरहांड
6.	नागढ़ चट्टी	राजधनवर	नागढ़ चट्टी
7.	गिरिडीह प्रधान डाकघर	गिरीडीह	गिरिडीह प्रधान डाकघर
8.	बगोदर	बगोदर	बगोदर
9.	अदवाड़ा	बगोदर	अदवाड़ा
10.	अतकांदीह	बगोदर	अतकादीह
11.	औरा	बगोदर	औरा
12.	बलाक	बगोदर	बलाक
13.	बंदखड़ो	बगोदर	बंदखड़ो
14.	बरवादीह	बगोदर	बरवादीह
15.	धरगुली	बगोदर	धरगुली
16.	दोंण्डलों	बगोदर	दोंण्डलों
17.	जरमुनेय	बगोदर	जनमुनेय
18.	हेसला	बगोदर	हेसला
19.	कपिलो	बगोदर	कपिलो
20.	खेटको मुर्मु	बगोदर	खेटको मुर्मु
21.	बरगंदा	गिरिडीह	बरगंदा
22.	बेंगाबाद	बेंगाबाद	बेंगाबाद
23.	अहिल्यापुर	गांदेय	अहिल्यापुर
24.	बरकीपुनू	बेंगाबाद	बरकीपुनू
25.	बुधुदीह	गांदेय	बुधुदीह
26.	चपुआदीह	बेंगाबाद	चपुआदीह
27.	छोटकी खरागदिहा	बेंगाबाद	छोटकी खरागदिहा
28.	गडी नवदिहा	बेंगाबाद	गडी नवदिहा
29.	गडी सिरसिया	बेंगाबाद	गढ़ी सिरसिया
30.	गांदेय	गांदेय	गांदेय
31.	खरघुट्टा	बेंगाबाद	खरघुट्टा
32.	लुप्पि	बेंगाबाद	लुप्पि
33.	मंदरो	गांदेय	मंदरो
34.	महेशमुण्डा	गांदेय	महेशमुण्डा
35.	फलचि	गांदेय	फलचि
36.	पर्वतपुर	गांदेय	पर्वतपुर

1	2	3	4
37.	फलझड़िया	गांदेय	फुलझड़िया
38.	पुर्री	बेंगाबाद	पुर्री
39.	रता बहियार	बेंगाबाद	रता बहियार
40.	सियातंद	जमुआ	सोनारदीह
41.	सोनारदीह	जमुआ	सोनारदीह
42.	तिकलातो	बेंगाबाद	तिकलातो
43.	बदवाड़ा	बेंगाबाद	बदवाड़ा
44.	बेनियादीह	गिरिडीह	बेनियादीह
45.	अकदोनिकला	गिरिडीह	अकदोनिकला
46.	करहरबाड़ी	गिरिडीह	करहरबाड़ी
47.	मटरुखा	गिरिडीह	मटरुखा
48.	दुमरी	दुमरी	दुमरी
49.	बेको	बगोदर	बेको
50.	भरखर	दुमरी	भरखर
51.	चौधरी बंद	दुमरी	चौधरी बंद
52.	चैनपुर	दुमरी	चैनपुर
53.	चीनो	दुमरी	चीनो
54.	जमतारा	दुमरी	जमतारा
55.	कुलगो	दुमरी	कुलगो
56.	पोरदाग	दुमरी	पोरदाग
57.	गनवां	गनवां	गनवां
58.	बेन्दो	गनवां	बेन्दो
59.	बिरने	गनवां	बिरने
60.	चरकी	गनवां	चरकी
61.	कहुवाई	गनवां	कहुवाई
62.	मालदा	गनवां	मालदा
63.	मंझने	गनवां	मंझने

1	2	3	4
64.	पीहारा	गनवां	पीहारा
65.	सांख	गनवां	सांख
66.	गिरिडीह बाजा	गिरिडीह	गिरिडीह बाजा
67.	गिरिडीह टाउन	गिरिडीह	गिरिडीह टाउन
68.	बदीहा	गिरिडीह	बदीहा
69.	बरहियादीह	गिरिडीह	बरहियादीह
70.	चैतादीह	गिरिडीह	चैतादीह
71.	अरिदीह	गिरिडीह	अरिदीह
72.	गढी सेरामपुर	गिरिडीह	गढी सेरामपुर
73.	मोतिलेदा	बेंगाबाद	मोतिलेदा
74.	एस. पी. कोल्लियेरी	गिरिडीह	सेंट्रल पिट
75.	सिरसिया	गिरिडीह	सिरसिया
76.	तारातंद	गांदे	तारातंद
77.	उदनाबाद	गिरिडीह	उदनाबाद
78.	इसरी बाजार	दुमरी	इसरी बाजार
79.	बरमासिया	दुमरी	बरमासिया
80.	गलगि	दुमरी	गलगि
81.	लक्ष्मण तंदा	दुमरी	लक्ष्मण तंदा
82.	नगरी	दुमरी	नगरी
83.	पोरैया	दुमरी	पोरैया
84.	रोशनातुंदा	दुमरी	रोशनातुंदा
85.	तेलखाड़ा	दुमरी	तेलखाड़ा
86.	जमुआ	जमुआ	जमुआ
87.	बलगो	जमुआ	बलगो
88.	बाती	जमुआ	चंगुली
89.	चुंगलो	जमुआ	चुंगलो

1	2	3	4
90.	चरघाड़ा	जमुआ	चरघाड़ा
91.	चित्तारदीह	जमुआ	चित्तारदीह
92.	दुम्मा	जमुआ	दुम्मा
93.	जेरुआदीह	जमुआ	जेरुआदीह
94.	तारा	जमुआ	तारा
95.	खड़गदिहा	जमुआ	खड़गदिहा
96.	बैरिया	देवरी	बैरिया
97.	चत्रो	देवरी	चत्रो
98.	थिखादीह	देवरी	थिखादीह
99.	देवरी	देवरी	देवरी
100.	घोरंजी	देवरी	घोरंजी
101.	जगसेमेर	देवरी	जगसेमेर
102.	खैरियोदीह	देवरी	खैरियोदीह
103.	मछाली	देवरी	मछाली
104.	मन्द्रो	देवरी	मन्द्रो
105.	मनिकबाद	देवरी	मनिकाबाद
106.	मकतपुर	गिरिडीह	मकतपुर
107.	मिर्जागंज	जमुआ	मिर्जागंज
108.	धुरैता	जमुआ	धुरैता
109.	कुर्हाबिंदो	जमुआ	कुर्हाबिंदो
110.	लताकी	जमुआ	लताकी
111.	पोबी	जमुआ	पोबी
112.	सांखो	जमुआ	सांखो
113.	पचंबा	गिरिडीह	पचंबा
114.	बैरियाबाद	बेंगाबाद	बैरियाबाद
115.	बजतो	गिरिडीह	बजतो
116.	बल्लिया	बीरनी	बल्लिया

1	2	3	4
117.	बेरहाबाद	जमुआ	बेरहाबाद
118.	द्वारपहाड़ी	बीरनी	द्वारपहाड़ी
119.	हंदादीह	गिरिडीह	हंदादीह
120.	कर्मा	बीरनी	कर्मा
121.	लेदा	गिरिडीह	लेदा
122.	पेशम	बीरनी	पेशम
123.	रानीखावा	गिरिडीह	रानीखावा
124.	सेनादोनी	गिरिडीह	सेनादोनी
125.	पीरतांद	जमुआ	चिरकी
126.	अटकी	जमुआ	अटकी
127.	बिशुनपुर	जमुआ	बिशुनपुर
128.	छछांदो	जमुआ	छछांदो
129.	चिलगा	जमुआ	चिलगा
130.	हरलादीह	जमुआ	हरलादीह
131.	खुदीसर	जमुआ	खुदीसर
132.	खुखाड़ा	पीरतांद	खुखाड़ा
133.	कुम्हारलालो	पीरतांद	कुम्हारलालो
134.	पलगंज	पीरतांद	पलगंज
135.	पलमो	पीरतांद	पलमो
136.	सोबारनपुर	पीरतांद	सोबारनपुर
137.	फलैंजिया	बीरनी	फलैंजिया
138.	बंगराकला	बीरनी	बंगराकला
139.	डाबरी	बीरनी	डाबरी
140.	गड़ीबड़काता	बीरनी	गड़ीबड़काता
141.	गांदो	बीरनी	गांदो
142.	जनता जरीदीह	बीरनी	खड़खाड़ी
143.	जवाहरनगर	बीरनी	जवाहरनगर

1	2	3	4
144.	केशोदीह	बीरनी	केशोदीह
145.	खैरीदीह	बीरनी	खैरीदीह
146.	खुरजियो	बीरनी	खुरजियो
147.	मंझलादीह	बीरनी	मंझलादीह
148.	रुपइयादीह	बीरनी	रुपइयादीह
149.	सरांदा	बीरनी	सरांदा
150.	राजधनवार	धनवार	राजधनवार
151.	अम्बातांद	धनवार	अम्बातांद
152.	अरगली	धनवार	अरगली
153.	बारोतांद	धनवार	बारोतांद
154.	भण्डारो	जमुआ	भण्डारो
155.	बदीहा	जमुआ	बदीहा
156.	दरियादीह	धनवार	दरियादीह
157.	दोरांदा	धनवार	दोरांदा
158.	जमादर	गनवान	जमादर
159.	हेमरोदीह	धनवार	हमेरोदीह
160.	करीहारी	धनवार	करीहारी
161.	खिजुरसोटा	धनवार	खिजुरसोटा
162.	किसगो	देवरी	किसगो
163.	खोड़ी महुआ	धनवार	खोड़ी महुआ
164.	मुरखाकी	जमुआ	मुरखाकी
165.	गुरना	धनवार	मुरना
166.	ओरखार	धनवार	ओरखार
167.	सपामराम	धनवार	सपामरान
168.	सिमरिया	धनवार	सिमरिया
169.	रेमा	जमुआ	रेमा
170.	शिखरेजी	पीरतांद	मधुबन
171.	सूरिया	बगोदर	सूरिया
172.	बगोदीह	बगोदर	बगोदीह
173.	चुटिया पेरसा	बगोदर	चुटिया पेरसा
174.	खड़खड़ी	बगोदर	खड़खड़ी
175.	कोइरीदीह	बगोदर	कोइरीदीह
176.	केशवाड़ी	बगोदर	केशवाड़ी
177.	मुण्ड्रो	बगोदर	मुण्ड्रो
178.	मंदरामो	बगोदर	मंदरामो
179.	नईतांद	बगोदर	नईतांद
180.	पेरसिया	बगोदर	पेरसिया
181.	सबलपुर	बगोदर	सबलपुर
182.	तिसरी	तिसरी	तिसरी
183.	भण्डारी	तिसरी	भण्डारी
184.	चंदौरी	तिसरी	चंदौरी
185.	गमगी	तिसरी	गमगी
186.	कथकोको	तिसरी	कथकोको
187.	खिजुरी	तिसरी	खिजुरी
188.	किशूतंद	तिसरी	किशूतंद
189.	लोकई	तिसरी	लोकई
190.	पपीलो	तिसरी	पपीलो

क्रम सं.	डाकघर का नाम	तहसील/तालूक/ब्लॉक का नाम जिसमें स्थित है।	जहां लागू हो उस गांव का नाम जहां स्थित है।
1	2	3	4
बोकारो जिला			
1.	चत्रोपट्टी	गोमिया	चत्रोचट्टी
2.	चुतै	गोमिया	चुतै
3.	कुरुकनालो	गोमिया	कुरुकनालो

1	2	3	4
4.	भोगूदीह	चंदनकियारी	भोगूदीह
5.	जोगीदीह	चंदनकियारी	जोगीदीह
6.	महल	चंदनकियारी	महल
7.	भेन्द्रा	नवादीह	भेन्द्रा
8.	अमलाबाद कोयिल्लेरी	चंदनकियारी	अमलाबाद
9.	बी.एस. सिटी आर.एस.	चास	बोकारो
10.	घटियाली	चास	घटियाली
11.	जसीदीह	जसीदीह	जसीदीह
12.	कुन्दौरी	कुन्दौरी	कुन्दौरी
13.	राधानगर	कुन्दौरी	राधानगर
14.	बी. एस. सिटी	चस	बोकारो
15.	बी.एस. सिटी	चस	बोकारो
16.	मखदुमपुर	चस	मखदुमपुर
17.	लकड़ाखाण्डा	चस	लकड़ाखाण्डा
18.	सिबनदीह	चस	सिबनदीह
19.	बी.एस.सिटी	चस	बोकारो
20.	बलीदीह	चस	बलीदीह
21.	बी.एम.पी.	चस	बोकारो
22.	बी.एस.सिटी प्रधान	चस	बोकारो
23.	चास	चस	चास
24.	अलकुसा	चस	अलकुसा
25.	अदराकुड़ी	चन्दरकियारी	अदराकुड़ी
26.	बिजुलिया	चास	बिजुलिया
27.	बी. पिंदलगोरिया	चास	बी. पिंदलगोरिया
28.	बतबिनोर	चन्दनकियारी	बतबिनोर
29.	चास शाखा	चास	चास

1	2	3	4
30.	चिकसिया	चास	चिकसिया
31.	दुधिगजर	चास	दुधिगजर
32.	जमगोरिया	चास	जमगोरिया
33.	कुर्रा	चास	कुर्रा
34.	के. आर. सेंटर	चास	के. आर. सेंटर
35.	कशिझारिया	चन्दनकियारी	कशिझारिया
36.	खमारबेंदी	चन्दनकियारी	खमारबेंदी
37.	ओलगोरा	चास	ओलगोरा
38.	पिंदराजोड़ा	चास	पिंदराजोड़ा
39.	पी. आश्रम	चास	पी. आश्रम
40.	सरदाहा	चास	सरदाहा
41.	सतानपुर	चास	सतानपुर
42.	नाराइनपुर	चास	नाराइनपुर
43.	चंदनकियारी	चंदनकियारी	चंदनकियारी
44.	अमदीहा	चंदनकियारी	अमदीहा
45.	अर्ताह	चंदनकियारी	अर्ताह
46.	बरमासिया	चंदनकियारी	बरमासिया
47.	बनस्टोर	चंदनकियारी	बनस्टोर
48.	चन्द्रा	चंदनकियारी	चन्द्रा
49.	गलगलतांद	चंदनकियारी	गलगलतांद
50.	घाघरी	चंदनकियारी	घाघरी
51.	गमरहारिया	चंदनकियारी	गमरहरिया
52.	झलबरदा	चंदनकियारी	झलबरदा
53.	कुकारदांगा	चंदनकियारी	कुकारदांगा
54.	कुमीरडोबा	चंदनकियारी	कुमीरडोबा
55.	कोरिया	चंदनकियारी	कोरिया
56.	कनकचास	चंदनकियारी	कनकचास

1	2	3	4
57.	पुन्दरु	चंदनकियारी	पुन्दरु
58.	रंगमातिया	चंदनकियारी	रंगमातिया
59.	सिलफोर	चंदनकियारी	सिलफोर
60.	जी. सी. पोस्ट	चास	चास
61.	जैना	जसीदीह	जैना
62.	अरागू	जसीदीह	अरागू
63.	ए. बहादुरपुर	जसीदीह	ए. बहादुरपुर
64.	बंददीह	जसीदीह	बंददीह
65.	बारू	जसीदीह	बारू
66.	चंदो	जसीदीह	चंदो
67.	चिलगादा	जसीदीह	चिलगादा
68.	गंगजोड़ी	जसीदीह	गंगजोड़ी
69.	पथुरिया	जसीदीह	पथुरिया
70.	कसमार	कसमार	कसमार
71.	बगदा	कसमार	बगदा
72.	भसकी	कसमार	भसकी
73.	दुर्गापुर	कसमार	दुर्गापुर
74.	हिस्सिम	कसमार	हिस्सिम
75.	कर्मा	कसमार	कर्मा
76.	खैराचतर	कसमार	खैराचतर
77.	मंजुरा	कसमार	मंजुरा
78.	पीरगुल	कसमार	पीरगुल
79.	पोंडा	कसमार	पोंडा
80.	तांगतोना	कसमार	तांगतोना
81.	सैक्टर–I	चास	बोकारो
82.	सैक्टर–IV	चास	बोकारो
83.	सैक्टर–IX	चास	बोकारो
84.	बैदमारा	चास	बैदमारा
85.	सैक्टर–VI	चास	बोकारो
86.	करमातांद	चन्द्रपुरा	करमातांद
87.	बेरमो	बेरमो	कारगली
88.	अमलो	बेरमो	अमलो
89.	भण्डारीदाह	बेरमो	भण्डारीदाह
90.	गंजरदीह	बेरमो	गंजरदीह
91.	तुरियो	बेरमो	तुरियो
92.	बोकारो थेर्मल	बेरमो	बोकारो थेर्मल
93.	गुनियातो	नवादीह	कंजकीरो
94.	कंजकीरो	नवादीह	कंजकीरो
95.	नारायनपुर	नवादीह	नारायनपुर
96.	चन्द्रपुरा	बेरमो	चन्द्रपुरा
97.	कुरुमोआ	बेरमो	कुरुमोआ
98.	नर्रा	नवादीह	नर्रा
99.	पारसबनी	नवादीह	पारसबनी
100.	तरानरी	नवादीह	तरानरी
101.	तरंगा	नवादीह	तरंगा
102.	तैला	नवादीह	तैलो
103.	धोरी	बेरमो	धोरी
104.	अंगवाली	बेरमो	अंगवाली
105.	पलामु	नवादीह	पलामु
106.	दुग्दा सी. डब्ल्यू	बेरमो	दुग्दा
107.	गोमिया	गोमिया	गोमिया
108.	हरदियामो	गोमिया	हरदियामो
109.	होस्सिर	गोमिया	होस्सिर
110.	सरम	गोमिया	सरम

1	2	3	4
111.	आईई. गोमिया	गोमिया	आईई. गोमिया
112.	बरकीपुनु	गोमिया	बरकीपुनु
113.	दनिा	गोमिया	दनिा
114.	नेरकी	गोमियो	नेरकी
115.	खरकी	गोमिया	खरकी
116.	पेंक	गोमिया	पेंक
117.	जरंगदीह कोयिल्लेरी	बेरमो	जरंगदीह कोयिल्लेरी
118.	खेटको	बेरमो	खेटको
119.	जरीदीह बाजार	बेरमो	जरीदीह बाजार
120.	चटकारी	बेरमो	चटकारी
121.	कथारा	बेरमो	कथारा
122.	पीटरवाड़	पीटरवाड़	पीटरवाड़
123.	अर्जुआ	पीटरवाड़	अर्जुआ
124.	चण्डीपुर	कसमार	चण्डीपुर
125.	चरगी	पीटरवाड़	चरगी
126.	दांतू	कसमार	दांतू
127.	मिर्जापुर	पीटरवाड़	मिर्जापुर
128.	मुगासरला	पीटरवाड़	मुगासरला
129.	ओरदाना	पीटरवाड़	ओरदाना
130.	रोहार	पीटरवाड़	रोहार
131.	उत्तासारा	पीटरवाड़	उत्तासारा
132.	फुसरो बाजार	बेरमो	फुसरो बाजार
133.	अरगामो	नवादीह	अरगामो
134.	बीरनी	नवादीह	बीरनी
135.	चापरी	नवादीह	चापरी
136.	चिरुदीह	नवादीह	चिरुदीह
137.	मकोली	बेरमो	मकोली
138.	नवादीह	नवादीह	नवादीह
139.	पिचारी	पीटरवाड़	पिचारी
140.	पोटसो	नवादीह	पोटसो
141.	सुरही	नवादीह	सुरही
142.	तंत्री	जरीदीह	तंत्री
143.	चंपी	गोमिया	चंपी
144.	राइट बैंक तेनूहाट	गोमिया	तेनूहाट
145.	उलगादा	गोमिया	उदगादा
146.	सण्डे बाजार	बेरमो	सण्डे बाजार
147.	बेदकारो	बेरमो	बेदकारो
148.	स्वांग कोयिल्लेरी	गोमिया	स्वांग कोयिल्लेरी
149.	हजारी	गोमिया	हजारी
150.	तेतूघाट धाम	गोमिया	तेतूघाटा
151.	टीटीपीएस लालपानिया	गोमिया	लालपानिया

क्रम सं.	डाकघर का नाम	तहसील/तालूक/ ब्लॉक का नाम जिसमें स्थित है।	जहां लागू हो उस गांव का नाम जहां स्थित है।
1	2	3	4
धनबाद			
1.	धनबाद	धनबाद	धनबाद
2.	अमलापाड़ा	झरिया	झरिया
3.	एसीसी कॉलोनी	झरिया	सिंदरी
4.	बलियापुर	बलियापुर	बलियापुर
5.	अम्बोना	निरशा	अम्बोना
6.	अंकदुवाड़ा	निरशा	अंकदुवाड़ा

1	2	3	4
7.	बाघमारा	बलियापुर	बाघमारा
8.	घरबर	बलियापुर	घरबर
9.	मोको	बलियापुर	मोको
10.	पलानि	बलियापुर	पलानि
11.	परघा	बलियापुर	परघा
12.	प्रधानखन्टा	बलियापुर	प्रधानखन्टा
13.	पिंद्राहाटा	निरशा	पिंद्राहाट
14.	सलपात्रा	बलियापुर	सलपात्रा
15.	सलुकचप्रा	निरशा	सलुकचप्रा
16.	बीसीसीएल टी/एस	धनबाद	बी सी कोयला नगर
17.	बी. पोली	धनबाद	बिष्णुपुर
18.	भुली	धनबाद	भुली
19.	बोवाकलाँ	धनबाद	बोवाकलाँ
20.	बी. बरारी	झरिया	बी. बरारी
21.	भातदी	बाघमारा	भातदी
22.	बंसजोड़ा	धनबाद	बंसजोड़ा
23.	भगा	झरिया	भगा
24.	कनकानी	धनबाद	कनकानी
25.	सेंदरा	धनबाद	सेंदरा
26.	भुतगरिया	झरिया	भुतगरिया
27.	होरलादीह	झरिया	होरलादीह
28.	भोवरा	झरिया	भोवरा
29.	चिरकुंदा	निशरा	चिरकुंदा
30.	चांच पोट्टेरी	निशरा	चांच पोट्टेरी
31.	दमारकुंदा	निशरा	दमारकुंदा
32.	सरसापहाड़ी	निशरा	सरसापहाड़ी
33.	मेरहा	निशरा	मेरहा
34.	सीएमपीएफ	धनबाद	धनबाद
35.	चसनाला	झरिया	चसनाला
36.	सीएमआरआई	धनबाद	धनबाद
37.	धनबाद बाजार	धनबाद	धनबाद
38.	डीएसई	धनबाद	धनबाद
39.	धीसापुर	धनबाद	धीसापुर
40.	धनसर	धनबाद	धनसर
41.	बस्ताकोला	धनबाद	बस्ताकोला
42.	दोमगढ़	झरिया	दोमगढ़
43.	एफआरआई	झरिया	दिगवादीह
44.	गोविन्दपुर	गोविन्दपुर	गोविन्दपुर
45.	बरदोही	गोविन्दपुर	बरदोही
46.	बगसुमा	गोविन्दपुर	बगसुमा
47.	भीतिया	गोविन्दपुर	भीतिया
48.	चरक	तुंदी	चरक
49.	चिपकिया	तुंदी	चिपकिया
50.	डी. मोहबनी	गोविन्दपुर	डी. मोहबनी
51.	फतेहपुर	तुंदी	फतेहपुर
52.	गढ़ रघुनाथपुर	तुंदी	गढ़ रघुनाथपुर
53.	गुआ कोला	तुंदी	गुआ कोला
54.	गोरतोप्पा	गोविन्दपुर	गोरतोप्पा
55.	जंगालपुर	गोविन्दपुर	जंगालपुर
56.	झिनाकी	तुंदी	झिनाकी
57.	झिलुआ	गोविन्दपुर	झिलुआ
58.	के.जी. आश्रम	गोविन्दपुर	भुईफोर
59.	के. ओझादीह	तुंदी	के. ओझादीह
60.	लुधारिया	तुंदी	लुधारिया

1	2	3	4
61.	लतानी	गोविन्दपुर	लतानी
62.	महाराजगंज	गोविन्दपुर	महाराजगंज
63.	एम. नवातांद	गोविन्दपुर	एम. नवातांद
64.	मनियादीह	तुंदी	मनियादीह
65.	नागरकियारी	गोविंदपुर	नागरकिबारी
66.	पोखरिया	गोविन्दपुर	पोखरिया
67.	पुर्नादीह	तुंदी	पुर्नादीह
68.	सरकारदीह	गोविंदपुर	सरकारदीह
69.	सुन्दरपहाड़ी	गोविंदपुर	सुन्दरपहाड़ी
70.	उकमा	गोविंदपुर	उकमा
71.	केसका	तुंदी	केसका
72.	गोमोह	तोपचांची	गोमोह
73.	घुनघासा	तोपचांची	घुनघासा
74.	हरिहरपुर	तोपचांची	हरिहरपुर
75.	आई.एस.एम.	धनबाद	धनबाद
76.	दमोदरपुर	धनबाद	दमोदरपुर
77.	कल्याणपुर	गोविन्दपुर	कल्याणपुर
78.	मुर्रादीह	धनबाद	मुर्रादीह
79.	नागनगर	धनबाद	नागनगर
80.	जे. नगर	धनबाद	जे. नगर
81.	जेलगोड़ा	झरिया	जेलगोड़ा
82.	बगडिगी	झरिया	बगडिगी
83.	झरिया	झरिया	झरिया
84.	अमतल	झरिया	अमतल
85.	डोबड़ी	झरिया	डोबड़ी
86.	गोपालीचक्र	झरिया	गोपालीचाक
87.	भगतदीह	झरिया	भगतदीह

1	2	3	4
88.	झरिया शाखा	झरिया	झरिया
89.	झरिया मनबाद	झरिया	झरिबा
90.	खसजीनगोड़ा	झरिया	खसजीनगोड़ा
91.	सुरंगा	झरिया	सुरंगा
92.	तिसरा	झरिया	तिसरा
93.	कतरसगढ़	बाघमारा	कतरसगढ़
94.	अंगारपथरा	बाघमारा	अंगारपथरा
95.	बिराजपुर	गोविन्दपुर	बिराजपुर
96.	बागदहा	बाघमारा	बागदहा
97.	दलूदीह	बाघमारा	बागदहा
98.	खर्नी	गोविन्दपुर	दलूदीह
99.	कनकोमठ	बाघमारा	कनकोमठ
100.	लकरका	बाघमारा	लकरका
101.	पंजानिया	गोविन्दपुर	पंजानिया
102.	राजगंज	बाघमारा	राजगंज
103.	रोवाम	तोपचांची	रोवाम
104.	तिलाइया	गोविन्दपुर	तिलाइया
105.	यादवपुर	गोविन्दपुर	यादवपुर
106.	कतरस बजार	बाघमारा	केशालपुर
107.	केशालपुर	बाघमारा	केशालपुर
108.	मातारी	तापाचांची	मातारी
109.	प्रधानखन्ता	तापाचांची	प्रधानखन्ता
110.	कुमारधुबी	निशरा	कुमारधुबी
111.	राजपुरा	निशरा	राजपुरा
112.	सेयोलीबाड़ी	निशरा	सेयोलीबाड़ी
113.	कुसुण्डा	धनबाद	कुसुण्डा
114.	बलीहड़ी	धनबाद	बलीहड़ी

1	2	3	4
115.	गोनुदीह	धनबाद	गोनुदीह
116.	कीरकेंड	धनबाद	कीरकेंड
117.	कुस्टोर	धनबाद	कुस्टोर
118.	जमादोबा	झरिया	जमादोबा
119.	कालीमेला	झरिया	कालीमेला
120.	लोदना	झरिया	लोदना
121.	कुगामा	झरिया	कुगामा
122.	मधुबन	झरिया	मधुबन
123.	मुम्मा	निशरा	मुम्मा
124.	बेनागोरिया	निशरा	बेनागोरिया
125.	दालदली	निशरा	दालदली
126.	गलफारबड़ी	निशरा	गलफारबड़ी
127.	केशरकुरल	निशरा	केशरकुरल
128.	लेदाहरिया	निशरा	लेदाहरिया
129.	उर्मा	निशरा	उर्मा
130.	मनईतांद	धनबाद	मनईतांद
131.	मईतान डैम	निशरा	मईतान डैम
132.	मोतीनगर	झरिया	मोतीनगर
133.	महुदा	बाघमारा	महुदा
134.	रामनगरगढ़	बाघमारा	तेलमोचो
135.	मालकेढ़ा	बाघमारा	मालकेढ़ा
136.	रामपुर	बाघमारा	रामपुर
137.	मूनीदीह	धनबाद	मूनीदीह
138.	करीतांद	धनबाद	बाघमारा
139.	लालपुर	धनबाद	धनबाद
140.	नया शाखा वस्सेयपुर	धनबाद	वस्सेयपुर
141.	निरसाचट्टी	निरशा	निरशा
142.	बरबेंदिया	निरशा	बरबेंदिया
143.	बेनागोरिया	निरशा	बेनागोरिया
144.	बरवा	निरशा	बरवा
145.	बिरशिंगपुर	निरशा	बिरशिंगपुर
146.	दुमारिया	निरशा	दुमारिया
147.	देबियाना	निरशा	देबियाना
148.	कलियासोल	निरशा	कलियासोल
149.	मोरादीह	निरशा	मोरादीह
150.	मदनपुर	निरशा	मदनपुर
151.	पोद्दरदीह	निरशा	पोद्दरदीह
152.	पण्डारा	निरशा	पण्डारा
153.	थापरनगर	निरशा	थापरनगर
154.	नवागढ़	बाघमारा	दमरा
155.	बाघमारा	बाघमारा	बाघमारा
156.	खरियो	तोपाचांची	खरियो
157.	रामाकुण्डा	तापाचांची	रामाकुण्डा
158.	पोचारी	बाघमारा	पोचारी
159.	नदखुरकी	बाघमारा	नदखुरकी
160.	खनूदीह	बाघमारा	खनूदीह
161.	पंचेत डैम	निरशा	पंचेत
162.	पथेरदीह	झरिया	पथेरदीह
163.	पीसीडब्ल्यू	झरिया	पीसीडब्ल्यू
164.	शहरपुर	झरिया	शहरपुर
165.	सिन्दी	झरिया	सिन्दी
166.	सिजुआ	धनबाद	सिजुआ
167.	भद्रीचक	धनबाद	भद्रीचक

1	2	3	4
168.	एसआईटी	झरिया	सिंदरी
169.	सुदामदीह	झरिया	सुदामदीह
170.	सराईघेला	धनबाद	सराईघेला
171.	श्रमिकनगर	धनबाद	श्रमिकनगर
172.	सोनारदीह	बाघमारा	सोनारदीह
173.	झग्राही	बाघमारा	झग्राही
174.	खरखरी	बाघमारा	खरखरी
175.	महेशपुर	बाघमारा	महेशपुर
176.	तोपाचांची	तोपाचांची	तोपाचांची
177.	पुर्रागढ़	झरिया	पुर्रागढ़
178.	ब्रह्मनडिहा	झरिया	ब्रह्मनडिहा
179.	दुमदुमी	झरिया	दुमदुमी
180.	मदईदीह	झरिया	मदईदीह
181.	सिंहदीह	झरिया	सिंहदीह
182.	साहु बहियार	झरिया	साहु बहियार
183.	सिंहदाहा	झरिया	साहु बहियार
184.	श्रीरामपुर	झरिया	श्रीरामपुर
185.	तंत्री	झरिया	तंत्री
186.	तुंदी	तुंदी	तम
187.	तुंदू	बाघमारा	तुंदू
188.	भेलातांद	धनबाद	भेलातांद
189.	भागाबांध	झरिया	भागाबांध
190.	बारापटकी	धनबाद	पटकी
191.	चंदौर	बाघमारा	पटकी
192.	जीतपुर	झरिया	जीतपुर

क्रम सं.	डाकघर का नाम	तहसील/तालूक/ब्लॉक का नाम जिसमें स्थित है।	जहां लागू हो उस गांव का नाम जहां स्थित है।
1	2	3	4
देवघर जिला			
1.	बी. देवघर	देवघर	देवघर टाउन
2.	बी. मंदिर	देवघर	देवघर टाउन
3.	रहिंया	देवघर	कुशमाहा
4.	रिखिया	देवघर	रिहिंया
5.	टी. बिलासी	देवघर	रिहिंया
6.	विद्यापीठ	देवघर	देवघर टाउन
7.	देवसंघ बॉपास टाउन	देवघर	देवघर टाउन
8.	गुरुकुल विद्यापीठ	देवघर	देवघर टाउन
9.	मथुरापुर	देवघर	देवघर टाउन
10.	मलेदीह	देवघर	मलेदीह
11.	संग्रामपुर लोहिंया	देवघर	संग्रामपुर लोहिंया
12.	सीमरा	देवघर	सीमरा
13.	सक्रीगली	देवघर	सक्रीगली
14.	दहीजोर	मोहनपुर	दहीजोर
15.	चलहिया	मोहनपुर	चलहिया
16.	चरखापथर	मोहनपुर	चरखापथर
17.	जयपुर	मोहनपुर	जयपुर
18.	झिल्लीघाट	मोहनपुर	झिल्लीघाट
19.	जमुनिया	मोहनपुर	जमुनिया
20.	खड़गदिहा	मोहनपुर	खड़गदिहा
21.	कधर	मोहनपुर	कधर
22.	मलहाड़ा	मोहनपुर	मलहाड़ा
23.	मोहनपुर हाट	मोहनपुर	मोहनपुर हाट
24.	उपेचरचाक मर्हिया	मोहनपुर	उपेरचाक मर्हिया
25.	डाबरग्राम	देवघर	देवघर टाउन
26.	देवघर कोर्ट	देवघर	देवघर टाउन
27.	घोरमाड़ा	जरमुण्डी	घोरमाड़ा

1	2	3	4
28.	बहिरकुण्डा	जरमुण्डी	बहिरकुण्डा
29.	बरगो	जरमुण्डी	बरगो
30.	दुमारियाहाट	जरमुण्डी	दुमारियाहाट
31.	हरिहरपुर	जरमुण्डी	हरिहरपुर
32.	झाल्लार	जरमुण्डी	झाल्लार
33.	काला दुमरिया	जरमुण्डी	काला दुमरिया
34.	कर्मा	जरमुण्डी	कर्मा
35.	लखना	जरमुण्डी	लखना
36.	मोरनी	जरमुण्डी	मोरनी
37.	राजन अमारकुण्डा	जरमुण्डी	राजन अमारकुण्डा
38.	सिंहारजोर	जरमुण्डी	सिंहारजोर
39.	सहारा	जरमुण्डी	सहारा
40.	सातपहाड़ी	जरमुण्डी	सातपहाड़ी
41.	टी. बांसडिहा	जरमुण्डी	टी. बांसडिहा
42.	हिन्दीपीठ	देवघर	देवघर टाउन
43.	जसीदीह औद्योगिक क्षेत्र	देवघर	तिलाकी
44.	जसीदीह	देवघर	तिलाकी
45.	बाँका	देवघर	बाँका
46.	देवपुर	देवघर	देवपुर
47.	केनमांकाथी	देवघर	केनमांकाथी
48.	माधोपुर	देवघर	माधोपुर
49.	झौंसागढ़ी	देवघर	झौंसागढ़ी
50.	कुण्डा	देवघर	कुण्डा
51.	ए. के. बाद	देवघर	ए. के. बाद
52.	बैजकुड़ा	देवघर	बैजुकुड़ा
53.	चण्डीह	देवघर	चण्डीह
54.	तपोबन	देवघर	तपोबन
55.	करोग्राम	करोन	करोग्राम
56.	बांसकूपी	करोन	बांसकूपी
57.	बरतानर	करोन	बरतानर
58.	बरहमसोली	करोन	बरहमसोली
59.	कुकराहा	करोन	कुकराहा
60.	कदनकट्टा	करोन	कदनकट्टा
61.	रानीदीह	करोन	रानीदीह
62.	सिकतिया	करोन	सिकतिया
63.	मधुपुर बजार	मधुपुर	मधुपुर बाजार
64.	मधुपुर	मधुपुर	मधुपुर
65.	बमांगामा	मधुपुर	बमांगामा
66.	बराचरपा	मधुपुर	बराचरपा
67.	बगजोड़ा	मधुपुर	बगजोड़ा
68.	बरहाई	मधुपुर	बरहाई
69.	बरवां	मधुपुर	बरवां
70.	चरपा	मधुपुर	चरपा
71.	धमनी	मधुपुर	धमनी
72.	हरिपुर कोलवा	मधुपुर	हरिपुर कोलवा
73.	हुसैनाबाद	मधुपुर	हुसैनाबाद
74.	जगदीशपुर	मधुपुर	जगदीशपुर
75.	करनजो	मधुपुर	करनजो
76.	कसाथी	मधुपुर	कसाथी
77.	कुशमाहा	मधुपुर	कुशमाहा
78.	मार्गो मुण्डा	मधुपुर	मार्गो मुण्डा
79.	ओझादीह	मधुपुर	ओझादीह
80.	पथरदा	मधुपुर	पथरदा

1	2	3	4
81.	पथरोल	मधुपुर	पथरदा
82.	रामचन्द्रपुर	मधुपुर	रामचन्द्रपुर
83.	सपतर	मधुपुर	सपतर
84.	सिरसा	मधुपुर	सिरसा
85.	अपरबहियार	मधुपुर	अपरबहियार
86.	रोहिणी	देवघर	रोहिणी
87.	भोजपुर	देवघर	भोजपुर
88.	बरकीखरखार	देवघर	बरकीखरखार
89.	बाघमरी	देवघर	बाघमरी
90.	दलुआईदीह	देवघर	दलुआईदीह
91.	देबीपुर	देवघर	देबीपुर
92.	घोरलास	देवघर	घोरलास
93.	कोइरीदीह	देवघर	कोइरीदीह
94.	खोरवा बांसकोला	देवघर	खोरवा बांसकोला
95.	मनियारपुर	देवघर	मनियारपुर
96.	पनासी	देवघर	पनासी
97	रामूदीह	देवघर	रामूदीह
98.	सत्संग	देवघर	सत्संग
99.	शरत	शरत	शरत
100.	बामनदीहा	शरत	बामनदीहा
101.	चरकमाका	शरत	चरकमाका
102.	चौधरी नवादीह	शरत	चौधरी नवादीह
103.	दुमारिया	शरत	दुमारिया
104.	गोपीबंध	शरत	गोपीबंध
105.	झग्रही	शरत	झग्रही
106.	फुलचुआ	शरत	फुलचुआ
107	सबाईजोर	शरत	सबाईजोर

1	2	3	4
108.	सरवन	सरवन	सरवन
109.	लखोरिया	सरवन	लखोरिया
110.	एम. बांसबटला	सरवन	एम. बांसबटला
111.	मनीगढ़ी	सरवन	मनीगढ़ी
112.	मधुबन	सरवन	मधुबन
113.	नन्हीदीह	सरवन	नन्हीदीह
114.	परजोड़ी	सरवन	परजोड़ी
115.	पवेय	सरवन	पवेय
116.	पहड़ीदीह	सरवन	पहड़ीदीह
117.	पहाड़िया	सरवन	पहाड़िया
118.	रक्ति	सरवन	रक्ति
119.	सोनाराइथारी	सरवन	सोनाराइथारी
120.	तिलकपुर	सरवन	तिलकपुर

क्रम सं.	डाकघर का नाम	तहसील/तालूक/ ब्लॉक का नाम जिसमें स्थित है।	जहां लागू हो उस गांव का नाम जहां स्थित है।
1	2	3	4
गोड्डा जिला			
1.	बसंतराय	देवघर	बसंतराय
2.	अजमपकारिया	देवघर	अजमपकारिया
3.	बीचमभरचाक	देवघर	बीचमभरचाक
4.	कैथा	देवघर	कैथा
5.	कदमा	देवघर	कदमा
6.	कोचियापरसा	देवघर	कोचियापरसा
7.	लक्ष्मीपुर भोजुचाक	देवघर	लक्ष्मीपुर भोजुचाक
8.	मकुलचाक	देवघर	मकुलचाक
9.	महेशतिकरी	देवघर	महेशतिकारी

1	2	3	4
10.	मलियाचाक	देवघर	मलियाचाक
11.	परुआ	देवघर	परुआ
12.	परारिया	देवघर	परारिया
13.	रुपनी	देवघर	रूपनी
14.	साहपु बेलदिहा	देवघर	साहपु बेलदिहा
15.	सामरी	देवघर	सामरी
16.	सानौर	देवघर	सानौर
17.	देवघर कॉलेज	देवघर	देवघर कॉलेज
18.	बिचगढ़ कुसुमदीह	देवघर	बिचगढ़ कुसुमदीह
19.	कुशमाहा	देवघर	कुशमाहा
20.	गोड्डा	गोड्डा	गोड्डा
21.	अमलो	गोड्डा	अमलो
22.	ए.डी. महेशपुर	गोड्डा	ए.डी. महेशपुर
23.	बसंतपुर	गोड्डा	बसंतपुर
24.	बकुड़िरा	गोड्डा	बकुड़िरा
25.	चापरी	गोड्डा	चापरी
26.	देवबंधा	गोड्डा	देवबंधा
27.	दुबराजपुर	गोड्डा	दुबराजपुर
28.	फसिया	गोड्डा	फसिया
29.	गांधीधाम	गोड्डा	गांधीधाम
30.	गंगताकलाँ	गोड्डा	गंगताकलाँ
31.	घाट दुमारिया	गोड्डा	घाट दुमारिया
32.	गुम्मा	गोड्डा	गुम्मा
33.	घाट कुशमानी	गोड्डा	घाट कुशमानी
34.	गोड्डा कॉलेज	गोड्डा	गोड्डा कॉलेज
35.	हीलावे	गोड्डा	हीलावे
36.	हरीपुर गरबना	गोड्डा	हरीपुर गरबना
37.	जामनीपहाड़पुर	गोड्डा	जामनीपहाड़पुर
38.	कोरकाघाट	गोड्डा	करनीबहियार
39.	करनीबहियार	गोड्डा	करनीबहियार
40.	लताउना	गोड्डा	लताउना
41.	लुकलुकी	जड़मुण्डी	लताउना
42.	लोहबंधा	जड़मुण्डी	लोहबंधा
43.	मालिनी	जड़मुण्डी	मालिनी
44.	मोहनपुर	जड़मुण्डी	मोहनपुर
45.	मलरामपुर	जड़मुण्डी	मलरामपुर
46.	मोतिया	जड़मुण्डी	मोतिया
47.	मखनी	जड़मुण्डी	मखनी
48.	नेपुरा	जड़मुण्डी	नेपुरा
49.	पथरा	जड़मुण्डी	पथरा
50.	रामला दिकवनी	जड़मुण्डी	रामला दिकवनी
51.	सैदापुर	जड़मुण्डी	सैदापुर
52.	सरवा	जड़मुण्डी	सरवा
53.	सीमारदा	जड़मुण्डी	सीमारदा
54.	लालमातिया कोल्लियेरी	महागमा	लालमातिया कोल्लियेरी
55.	बारी सिमरा	महागमा	बारी सिमरा
56.	बनारचुआ	महागमा	बनारचुआ
57.	गजण्डा	महागमा	गजण्डा
58.	गोर्हिया	महागमा	गोर्हिया
59.	कमलदौरी	महागमा	कमलदौरी
60.	लोहांडिया बाजार	महागमा	लोहांडिया बाजार
61.	माधुरी	महागमा	माधुरी
62.	सरभंगा	महागमा	सरभंगा

1	2	3	4
63.	महागमा	महागमा	महागमा
64.	अनजाना	महागमा	अनजाना
65.	भर्ताचाक	महागमा	भर्ताचाक
66.	भंजपुर	महागमा	भंजपुर
67.	धर्मोदीह	महागमा	धर्मोदीह
68.	घुट्टी	महागमा	घुट्टी
69.	कुशमाहा	महागमा	कुशमाहा
70.	कुशमिल	महागमा	कुशमिल
71.	केस्बा	महागमा	केस्बा
72.	लोगाइन	महागमा	लोगाइन
73.	मोहनपुर	महागमा	मोहनपुर
74.	मलभण्डारीदीह	महागमा	मलभण्डारीदीह
75.	नुनाजोर	महागमा	नुनाजोर
76.	पथारगमा	पथारगमा	पथारगामा
77.	बन्दनवार	पथारगमा	बन्दनवार
78.	बरमासिया	पथारगमा	बरमासिया
79.	भदारिया	पथारगमा	भदारिया
80.	घाट कुरवा	पथारगमा	घाट कुरवा
81.	खरीयानी	पथारगमा	खरीयानी
82.	केरसर बेलसर	पथारगमा	केरसर बेलसर
83.	केरो बाजार	पथारगमा	केरो बाजार
84.	कुसुमघाटी	पथारगमा	कुसुमघाटी
85.	लहाटी	महागमा	लहाटी
86.	पारसपानी	महागमा	पारसपानी
87.	पिपरा	महागमा	पिपरा
88.	राजाभीता	महागमा	राजाभीता
89.	तददीहा	महागमा	तददीहा

1	2	3	4
90.	पोरैयाहाट	पोरैयाहाट	पोरैयाहाट
91.	ह्यशारी माधुरी	पोरैयाहाट	ह्यशारी माधुरी
92.	अगियामोड़	पोरैयाहाट	अगियामोड़
93.	बाघमारा	पोरैयाहाट	बाघमारा
94.	बर्हीकुड़ा	पोरैयाहाट	बर्हीकुड़ा
95.	बारा बंजी	पोरैयाहाट	बारा बंजी
96.	छतरा	पोरैयाहाट	छतरा
97.	दानरे कचहरी	पोरैयाहाट	दानरे कचहरी
98.	देवदनर	पोरैयाहाट	देवदनर
99.	डमरुहाट	पोरैयाहाट	डमरुहाट
100.	दम्मा	पोरैयाहाट	दम्मा
101.	घंग्राबंध	पोरैयाहाट	घंग्राबंध
102.	हरियारी	पोरैयाहाट	हरियारी
103.	काथौन	पोरैयाहाट	काथौन
104.	खैरादीह	पोरैयाहाट	खेरादीह
105.	लट्ठा	पोरैयाहाट	लट्ठा
106.	मोहानी	पोरैयाहाट	मोहानी
107.	नवदीहा	पोरैयाहाट	नवदीहा
108.	पदमपुर	पोरैयाहाट	पदमपुर
109.	पसाई	पोरैयाहाट	पसाई
110.	पिंदराहाट	पोरैयाहाट	पिंदराहाट
111.	पी. बरमासिया	पोरैयाहाट	पी. बरमासिया
112.	आर. एन. पुर लथीबाड़ी	पोरैयाहाट	आर.एन.पुर लथीबाड़ी
113.	सलाइया	पोरैयाहाट	सलाइया
114.	सराउनी बजार	पोरैयाहाट	सराउनी बजार
115.	बांसजोड़ी	पोरैयाहाट	बांसजोड़ी

1	2	3	4
116.	चंदनहट	पोरैयाहाट	चंदनहट
117.	चीनाधाब	पोरैयाहाट	चीनाधाब
118.	घाटियारी	पोरैयाहाट	घाटियारी
119.	कुर्मीचाक	पोरैयाहाट	कुर्मीचाक
120.	ननबट्टा	पोरैयाहाट	ननबट्टा
121.	पहाड़पुर	पोरैयाहाट	पहाड़पुर
122.	सुदमारा	पोरैयाहाट	सुदमारा
123.	सुन्दरपहाड़ी	शरत	सुन्दरपहाड़ी
124.	मालियाचाक	महाजामिया	मालियाचाक

क्रम सं.	डाकघर का नाम	तहसील/तालूक/ब्लॉक का नाम जिसमें स्थित है।	जहां लागू हो उस गांव का नाम जहां स्थित है।
1	2	3	4
जामतारा जिला			
1.	जामतारा हाट	जामतारा	जामतारा
2.	जामतारा	जामतारा	जामतारा
3.	असानघुआ	जामतारा	असानघुआ
4.	बगडाहा	जामतारा	बगडाहा
5.	बेवा	जामतारा	बेवा
6.	बेना	जामतारा	बेना
7.	बिंदापथार	जामतारा	बिंदापथार
8.	चलनाघोबाना	जामतारा	चलनघोबाना
9.	छपुरिया	जामतारा	छपुरिया
10.	चिरुदीह बकुदीह	जामतारा	चिरुदीह बकुदीह
11.	चित्रा	जामतारा	चित्रा
12.	धनदरा	जामतारा	धनदरा
13.	दक्षिण बहल	जामतारा	दक्षिण बहल
14.	गेरिया	जामतारा	गेरिया
15.	गुण्डलीपहाड़ी	जामतारा	गुण्डलीपहाड़ी
16.	गुहियाजोड़ी	जामतारा	गुहियाजोड़ी
17.	हरिरखा	जामतारा	हरिरखा
18.	कश्तिन،	जामतारा	कशितनर
19.	कोइरी जमुआ	जामतारा	कोइरी जमुआ
20.	कनकी	जामतारा	कनकी
21.	लधना	जामतारा	लधना
22.	मोहनाबैंक	जामतारा	मोहनाबैंक
23.	मेझिया	जामतारा	मेझिया
24.	मंझलादीह	जामतारा	मंझलादीह
25.	नवनी	जामतारा	नवनी
26.	पबिया	जामतारा	पबिया
27.	पंजानिया	जामतारा	पंजानिया
28.	पी. कजरा	जामतारा	पी. कजरा
29.	सोनबाद	जामतारा	सोनबाद
30.	तिलाकी	जामतारा	तिलाकी
31.	करमातनर	जामतारा	करमातनर
32.	अमजोरा कोइरिदीह	जामतारा	अमजोरा कोइरिदीह
33.	अमदीहा	जामतारा	अमदीहा
34.	बगरुदीह	जामतारा	बगरुदीह
35.	चैनपुर	जामतारा	चैनपुर
36.	डी. नयादीह	जामतारा	डी. नयादीह
37.	देवलबाडी	जामतारा	देवलबाडी
38.	गोकुला	जामतारा	गोकुला
39.	कुड़वा	जामतारा	कुड़वा
40.	कुर्ता	जामतारा	कुर्ता
41.	कालाझारिया	जामतारा	कालाझारिया

1	2	3	4
42.	मोहनपुर	जामतारा	मोहनपुर
43.	नारायणपुर	जामतारा	नारायणपुर
44.	पत्रोदीह	जामतारा	पत्रोदीह
45.	रानीतनर	जामतारा	रानीतनर
46.	सिंदूरी	जामतारा	सिंदूरी
47.	सबनपुर	जामतारा	सबनपुर
48.	सीतलपुर	जामतारा	सीतलपुर
49.	कुंदाहीत	कुंदाहीत	कुंदाहीत
50.	अम्बा	कुंदाहीत	अम्बा
51.	बाबूपुर	कुंदाहीत	बाबूपुर
52.	चरकमारा	कुंदाहीत	चरकमारा
53.	खजूरी	कुंदाहीत	खजूरी
54.	लइकापुर	कुंदाहीत	लइकापुर
55.	नगरी	कुंदाहीत	नगरी
56.	पलजोड़ी	कुंदाहीत	पलजोड़ी
57.	सतकी	कुंदाहीत	सतकी
58.	सद्रक्षिपुर	कुंदाहीत	सद्रक्षिपुर
59.	तीलाबाद	कुंदाहीत	तीलाबाद
60.	मिहिजम	जामतारा	मिहिजम
61.	चंद्राधिपा	जामतारा	चंद्राधिपा
62.	केवतजली	जामतारा	केवतजली
63.	कोलाही	जामतारा	कोलाही
64.	सहरदल	जामतारा	सहरदल
65.	तर्राह	जामतारा	तर्राह
66.	नला	नला	नला
67.	अफलपुर	नला	अफलपुर
68.	बरघोलजोर	नला	बरघोलजोर

1	2	3	4
69.	देबजोर	जनला	देबजोर
70.	कालीपहाड़ी	नला	कालीपहाड़ी
71.	कोरैया	नला	कोरैया
72.	कृष्णा	नला	कृष्णा
73.	कुलदंगल	नला	कुलदंगल
74.	मनिहाड़ी	नला	मनिहाड़ी
75.	सरसाकुण्डा	नला	सरसाकुण्डा
76.	सगजोरिया	नला	सगजोरिया
77.	सीतामढ़ी	नला	सीतामढ़ी
78.	तेसजुड़िया	नला	तेसजुड़िया

क्रम सं.	डाकघर का नाम	तहसील/तालूक/ब्लॉक का नाम जिसमें स्थित है।	जहां लागू हो उस गांव का नाम जहां स्थित है।
1	2	3	4
दुमका जिला			
1.	सरैयाहाट	सरवन	सरैयाहाट
2.	बरकुण्डी	सरवन	बरकुण्डी
3.	चंदुबथन	सरवन	चंदुबथन
4.	चीहुटिया	सरवन	चीहुटिया
5.	चिलरा	सरवन	चिलरा
6.	दीघी	सरवन	दीघी
7.	घमनी	सरवन	घमनी
8.	गढीझोपा	सरवन	गढीझोपा
9.	हरोखा अशवरी	सरवन	हरोखा अशवरी
10.	जोकेला	सरवन	जोकेला
11.	केंदुआ	सरवन	केंदुआ
12.	केरवर	सरवन	केरवर
13.	एम. चिकानिया	सरवन	एम चिकानिया

1	2	3	4
14.	नवादीह	सरवन	नवादीह
15.	राउंधिया	सरवन	राउंधिया
16.	समयमाथा	सरवन	समयमाथा
17.	दुमका	दुमका	राजापुर कुलकीपाड़ा
18.	रंगा मिशन	दुमका	तैलो
19.	बासुकीनाथ धाम	जामा	बासुकीनाथ धाम
20.	बरतनर	जामा	बरतनर
21.	बगझोपा	जामा	बगझोपा
22.	चमराबहियार	जामा	चमराबहियार
23.	दमनिलता	जामा	दमनिलता
24.	हरिपुर	जामा	हरिपुर
25.	लक्ष्मीपुर	जामा	लक्ष्मीपुर
26.	सिंहनी	जामा	सिंहनी
27.	सीकतिया	जामा	सीकतिया
28.	बंदेरजोड़ी	दुमका	बंदरजोड़ी
29.	बंनागरिया	शिकारीपाड़ा	बंनागरिया
30.	बांसपहाड़ी	शिकारीपाड़ा	बांसपहाड़ी
31.	घातूपाड़ा	शिकारीपाड़ा	घातूपाड़ा
32.	दलदली	शिकारीपाड़ा	दलदली
33.	गनपुरा	शिकारीपाड़ा	गनपुरा
34.	कजलादहा	शिकारीपाड़ा	कजलादहा
35.	मलुती	शिकारीपाड़ा	मलुती
36.	मंझलादीह	शिकारीपाड़ा	मंझलादीह
37.	पकदाहा	शिकारीपाड़ा	पकदाहा
38.	सरसदंगल	शिकारीपाड़ा	सरसदंगल
39.	पिनरगड़िया	शिकारीपाड़ा	पिनरगड़िया

1	2	3	4
40.	दुमका कोर्ट	दुमका	दुमका टाउन
41.	फतेहपुर	कुंदाहीत	फतेहपुर
42.	बामनबंधी	कुंदाहीत	बामनबंधी
43.	धसानिया	कुंदाहीत	धसानिया
44.	गर्मो	कुंदाहीत	गर्मो
45.	झेलुआ खैरबानी	कुंदाहीत	झेलुआ खैरबानी
46.	जमजुड़ी	कुंदाहीत	जमजुड़ी
47.	कैराबनी	कुंदाहीत	कैराबनी
48.	के. भोक्तादीह	बरियो	के. भोक्तादीह
49.	टी. के. ग्राम	बरियो	टी. के. ग्राम
50.	तसारिया	बरियो	तसारिया
51.	गुहियाजोड़ी	जामा	गुहियाजोड़ी
52.	अमरा नवादीह	जामा	अमरा नवादीह
53.	भुरकुण्डा	जामा	भुरकुण्डा
54.	चैरपुर कैराबनी	जामा	चैरपुर कैराबनी
55.	धोगारिया	जामा	धोगारिया
56.	करबिंधा	रामगढ़	करबिंधा
57.	कारैया मधुआदीह	दुमका	कारैया मधुआदीह
58.	मचखिचा	जामा	मचखिचा
59.	पकारिया	जामा	पकारिया
60.	राजबंध	दुमका	राजबंध
61.	सिलथा	दुमका	सिलथा
62.	सिमलदुमा	जामा	सिमलदुमा
63.	थरीहाट	जामा	थरीहाट
64.	जड़मुण्डी	जड़मुण्डी	जड़मुण्डी
65.	अम्बा जरुआदीह	दुमका	अम्बा जरुआदीह

1	2	3	4
66.	बनवाड़ा	जड़मुण्डी	जड़मुण्डी
67.	बिशनपुर	जड़मुण्डी	बिशनपुर
68.	बेलदाहा	जड़मुण्डी	बेलदाहा
69.	दुधानी	जड़मुण्डी	दुधानी
70.	पी. जरातीकर	जड़मुण्डी	पी. जरातीकर
71.	राईकिनारी	जड़मुण्डी	राईकिनारी
72.	कथीकुण्ड	कथीकुण्ड	कथीकुण्ड
73.	असताजोड़ा	कथीकुण्ड	असताजोड़ा
74.	अमगाची	कथीकुण्ड	अमगाची
75.	बारा नरगंज	कथीकुण्ड	बारा नरगंज
76.	बारा सरवापाली	गोपीकंदर	बारा सरवापाली
77.	धरमपुर	गोपीकंदर	धरमपुर
78.	गोपीकंदर	गोपीकंदर	गोपीकंदर
79.	कालाझार	कथीकुण्ड	कालाझार
80.	कदमा	कथीकुण्ड	कदमा
81.	कोल्हा	कथीकुण्ड	कोल्हा
82.	मसानिया	कथीकुण्ड	मसानिया
83.	पुसलदीह	गोपीकंदर	पुसलदीह
84.	सरदाहा	कथीकुण्ड	सरदाहा
85.	सरसबाद	गोपीकंदर	सरसबाद
86.	तेजोर दलदाली	गोपीकंदर	तेंजोर दलदाली
87.	कुरवा	दुमका	कुरवा
88.	असनसोल	दुमका	असनसोल
89.	गुजीसिमल	दुमका	गुजीसिमल
90.	गमरा	दुमका	गमरा
91.	गंदो	दुमका	गंदो
92.	गंदरकपुर	दुमका	गंदरकपुर
93.	घासीपुर	दुमका	घासीपुर
94.	के. बासुकीचाक	दुमका	के. बासुकीचाक
95.	कुमराबाद	दुमका	कुमराबाद
96.	कथालिया	दुमका	कथालिया
97.	मलरामपुर	दुमका	मलरामपुर
98.	मर्भगा	दुमका	मर्भगा
99.	पहरुदीह	दुमका	पहरुदीह
100.	पट्टाबरी	दुमका	पट्टाबरी
101.	मस्सनजोर	दुमका	मस्सनजोर
102.	बांसकुली	दुमका	बांसकुली
103.	बिलकंदी	दुमका	बिलकंदी
104.	बिंद्राबनी	दुमका	ब्रिदाबनी
105.	बगनोल	दुमका	बगनोल
106.	गोरमला हुंजा	दुमका	गोरमला हुंजा
107.	जैतारा	दुमका	जैतारा
108.	करीकदर	दुमका	करीकदर
109.	मानिकदीह	दुमका	मानिकदीह
110.	रानी बहल	दुमका	रानी बहल
111.	शादीपुर	रघुनाथपुर	शादीपुर
112.	तरनी	दुमका	तरनी
113.	मोहुलपहाड़ी	शिकारीपाड़ा	मोहुलपहाड़ी
114.	नोनीहाटा	दुमका	नोनीहाटा
115.	अमरपुर	दुमका	अमरपुर
116.	बौरिया	दुमका	बौरिया
117.	बी. महादेवगढ़	दुमका	बी. महादेवगढ़
118.	भबवाड़ी	दुमका	भबवाड़ी
119.	धनबाई	दुमका	धनबाई

1	2	3	4
120.	हंसदीहा	दुमका	हंसदीहा
121.	जमजूड़ी बिरनिया	दुमका	जमजूड़ी बिरनिया
122.	कंजू	दुमका	कंजू
123.	खुतन	दुमका	खुतन
124.	कुरुमपहाड़ी	दुमका	कुरुमपहाड़ी
125.	ककानिया	दुमका	ककानिया
126.	खुताहाड़ी	दुमका	खुताहाड़ी
127.	लकड़बैंक	दुमका	लकड़बैक
128.	पेटसर	दुमका	पेटसर
129.	सुलतानातिकर	दुमका	सुलतानातिकर
130.	ठाकुर नहान	दुमका	ठाकुर नहान
131.	दमरा	रानेश्वर	दमरा
132.	जयहरिपुर	रानेश्वर	जयहरिपुर
133.	कुमीरदाहा	रानेश्वर	कुमीरदाहा
134.	पटजोर	रानेश्वर	पटजोर
135.	प्रतापपुर	रानेश्वर	प्रतापपुर
136.	पथरा	रानेश्वर	पथरा
137.	रानीग्राम	रानेश्वर	रानीग्राम
138.	रंगलिया	रानेश्वर	रंगलिया
139.	सुखजोड़ा	रानेश्वर	सुखजोड़ा
140.	तेंहदाहा	रानेश्वर	तेहदाहा
141.	रामगढ़	रामगढ़	रामगढ
142.	अमरपहाड़ी	रामगढ़	अमरपहाड़ी
143.	बंदरजोड़ा	रामगढ़	बंदरजोड़ा
144.	भदूरिया	रामगढ़	भदूरिया
145.	बाड़ी रनबहियार	रामगढ़	बाड़ी रनबहियार

1	2	3	4
146.	भलसुमर	रामगढ़	भलसुमर
147.	छोटी रनबहियार	रामगढ़	छोटी रनबहियार
148.	दनरो	रामगढ़	दनरो
149.	गमहारिया	रामगढ़	गमहारिया
150.	लखनपुर	रामगढ़	लखनपुर
151.	महुबोना	रानेश्वर	महुबोना
152.	पिपरा करुदीह	रानेश्वर	पिपरा करुदीह
153.	सिंदूरिया	रानेश्वर	सिंदूरिया
154.	सुषनी	रानेश्वर	सुषनी
155.	शिकारीपाड़ा	शिकारीपाड़ा	शिकारीपाड़ा
156.	असनबानी	शिकारीपाड़ा	असनबानी
157.	बरमासिया	शिकारीपाड़ा	बरमासिया
158.	बंकीजोर	शिकारीपाड़ा	बंकीजोर
159.	धाका	शिकारीपाड़ा	धाका
160.	धनबासा	शिकारीपाड़ा	धनबासा
161.	खरु कदमा	शिकारीपाड़ा	खरु कदमा
162.	कोल्हाबदर	शिकारीपाड़ा	कोल्हाबदर
163.	पिलोपिसा कदमा	शिकारीपाड़ा	पिलोपिसा कदमा
164.	प्रतापपुर	शिकारीपाड़ा	प्रतापपुर
165.	राजबंधा पलासी	शिकारीपाड़ा	राजबंधा पलासी
166.	सराई दाहा	शिकारीपाड़ा	सराई दाहा
167.	सिमाजोर	शिकारीपाड़ा	सिमाजोर
168.	एस. पी. कॉलेज	दुमका	एस. पी. कॉलेज
169.	शिवपहाड़	दुमका	शिवपहाड़
170.	अमलाघतर	दुमका	अमलाघतर
171.	असलजोड़	दुमका	असलजोड़
172.	बंदो हरिपुर	दुमका	बंदो हरिपुर

1	2	3	4
173.	बारा पलासी	जामा	बारा पलासी
174.	घैलापथार	दुमका	घैलापथार
175.	दुघानी	दुमका	दुघानी
176.	गोआरी	दुमका	गोआरी
177.	गुआसोल	दुमका	गुआसोल
178.	जामा	जामा	जामा
179.	केंदघट्टा	दुमका	केंदघट्टा
180.	कोल्हारिया	दुमका	कोल्हारिया
181.	कुसुमघट्टा	दुमका	कुसुमघट्टा
182.	लत्ताबार	दुमका	लत्ताबार
183.	लीलातारी	दुमका	लीलातारी
184.	मंझियांदीह	दुमका	मंझियांदीह
185.	महारो	दुमका	महारो
186.	नकरापहाड़ी	दुमका	नकरापहाड़ी
187.	नोनिहाथवाड़ी	दुमका	नोनिहाथवाड़ी
188.	निश्चिंतपुर	दुमका	निश्चिंतपुर
189.	पुराना दुमका	दुमका	पुराना दुमका
190.	रंगा मसालिया	मसालिया	रंगा मसालिया
191.	सपछल्ला	मसालिया	सपछल्ला
192.	शिकरपुर	मसालिया	शिकरपुर
193.	तेलियाचाक	दुमका	तेलियाचाक
194.	अपर हाल	दुमका	अपर हाल
195.	अपर सितुआ	दुमका	अपर सितुआ

क्रम सं.	डाकघर का नाम	तहसील/तालूक/ब्लॉक का नाम जिसमें स्थित है।	जहां लागू हो उस गांव का नाम जहां स्थित है।
1	2	3	4
जिला पाकुर			
1.	अमरपाड़ा	अमरपाड़ा	दुमका टाऊन
2.	बलियाडागा	अमरपाड़ा	अमरपाड़ा
3.	बानसकन्डारी	अमरपाड़ा	बलियाडागा
4.	डुमरचीर	अमरपाड़ा	बानसकन्डारी
5.	पाथरघट्टा	अमरपाड़ा	डुमरचीर
6.	राजापुर कुलकीपाड़ा	अमरपाड़ा	पाथरघट्टा
7.	सलपत्रा	अमरपाड़ा	रंगा मिशन
8.	तालडीह फतेहपुर	अमरपाड़ा	सलपत्रा
9.	कोतालपोखर	पाथना	कोतालपोखर
10.	बिनोदपुर	पाथना	बिनोदपुर
11.	गगन पहाड़ी	अमरपाड़ा	गगन पहाड़ी
12.	जमबाद	पाथना	जमबाद
13.	कृष्तोनगर	पाथना	कृष्तोनगर
14.	मयूरकोला	पाथना	मयूरकोला
15.	पथरिया	पाथना	पथारिया
16.	महेशपुर राज	महेशपुर	महेशपुर राज
17.	असकांठा	महेशपुर	असकांठा
18.	बरकैरी	महेशपुर	बरकैरी
19.	बाथनडांगा	महेशपुर	बाथनडांगा
20.	बिरकिट्टी	महेशपुर	बिरकिट्टी
21.	धरमखानपाड़ा	महेशपुर	धरमखानपाड़ा
22.	देवीनगर	महेशपुर	देवीनगर
23.	खानपुर	महेशपुर	खानपुर
24.	खागरा	महेशपुर	खानपुर
25.	एम. राधीपुर	महेशपुर	एम. राधीपुर
26.	मकदूमपुर	महेशपुर	मकदूमपुर
27.	रोल्लाग्राम	महेशपुर	रोल्लाग्राम
28.	सहरग्राम	महेशपुर	सहरग्राम

1	2	3	4
29.	सगबेरिया	महेशपुर	सगबेरिया
30.	तारापुर	महेशपुर	तारापुर
31.	हिरनपुर	हिरनपुर	हिरनपुर
32.	अर्जुनपुर	हिरनपुर	अर्जुनपुर
33.	बिचमहल	हिरनपुर	बिचमहल
34.	डांगापाड़ा	हिरनपुर	डांगापाड़ा
35.	डुलमीडांगा	हिरनपुर	डुलमीडांगा
36.	धौडांगा	हिरनपुर	धौडांगा
37.	लिट्टीपाड़ा	लिट्टीपाड़ा	लिट्टीपाड़ा
38.	मोहुलबोना	लिट्टीपाड़ा	मोहुलबोना
39.	पडेरकोला	लिट्टीपाड़ा	पडेरकोला
40.	सूरजबेरा	लिट्टीपाड़ा	सूरजबेरा
41.	तालपहाड़ी	हिरनपुर	तालपहाड़ी
42.	पाकुर आर/एस	पाकुर	पाकुर आर/एस
43.	राकुर	पाकुर	राकुर
44.	भवानीपुर	पाकुर	भवानीपुर
45.	छेंगाडांगा	पाकुर	छेंगाडांगा
46.	डलडाली	पाकुर	डलडाली
47.	देवपुर	पाकुर	देवपुर
48.	गांधियापुर	पाकुर	गांधियापुर
49.	इल्लामी	पाकुर	इल्लामी
50.	झीकरहट्टी	पाकुर	झीकरहट्टी
51.	कालीदासपुर	पाकुर	कालीदासपुर
52.	मनीरामपुर	पाकुर	मनीरामपुर
53.	मोहनपुर	पाकुर	मोहनपुर
54.	मालपहाड़ी क्योरिसीडिंग	पाकुर	मालपहाड़ी क्योरिसीडिंग
55.	नागामाबी	पाकुर	नागामाबी
56.	नरोत्तमपुर	पाकुर	नरोत्तमपुर
57.	पृथीनगर	पाकुर	पृथीनगर
58.	रहसपुर	पाकुर	रहसपुर
59.	सितेशनगर	पाकुर	सितेशनगर
60.	सीतापहाड़ी	पाकुर	सीतापहाड़ी
61.	संग्रामपुर	पाकुर	संग्रामपुर
62.	तोराई	पाकुर	तोराई
63.	पाकुरिया	पाकुरिया	पाकुरिया
64.	बलीडीह	पाकुरिया	बलीडीह
65.	बोनडिगा	पाकुरिया	बोनडिगा
66.	बत्रावग्राम	पाकुरिया	बत्रावग्राम
67.	बारा सिंहपुर	पाकुरिया	बारा सिंहपुर
68.	चौकसियाई	पाकुरिया	चौकसियाई
69.	काराडीह	पाकुरिया	काराडीह
70.	खागाचुआ	पाकुरिया	खागाचुआ
71.	खाकसा	पाकुरिया	खाकसा
72.	कारीपहाड़ी	पाकुरिया	कारीपहाड़ी
73.	लगदुम	पाकुरिया	लगदुम
74.	मोगलाबंधी	पाकुरिया	मोगलाबंधी
75.	पलियाडाह	पाकुरिया	पलियाडाह
76.	फुलझिनझारी	पाकुरिया	फुलझिनझारी
77.	राजदाह	पाकुरिया	राजदाह

क्रम सं.	डाकघर का नाम	तहसील/तालूक/ब्लॉक का नाम जिसमें स्थित है।	जहां लागू हो उस गांव का नाम जहां स्थित है।
1	2	3	4
जिला साहिबगंज			
1.	बरहरवा	बरहरवा	तालडीह फतेहपुर
2.	अगलोई	बरहरवा	बरहरवा

1	2	3	4
3.	अत्तापुर	बरहरवा	अगलोई
4.	बाकूडीह	बरहरवा	अत्तापुर
5.	बेगमगंज	बरहरवा	बाकूडीह
6.	बाराडीही	बरहरवा	बेगमगंज
7.	चनदसाहार	बरहरवा	बाराडीही
8.	गौलखोर	बरहरवा	चनदसाहार
9.	गनेशपुर	बरहरवा	गौलखोर
10.	इशलामपुर	बरहरवा	गनेशपुर
11.	जामपुर	बरहरवा	इशलामपुर
12.	कनकजोले	बरहरवा	जामपुर
13.	कथालबाड़ी	बरहरवा	कनकजोले
14.	केलाबाड़ी	बरहरवा	कथालबाड़ी
15.	मासना	बरहरवा	केलाबाड़ी
16.	फुलभंगा	बरहरवा	मासना
17.	राधानगर	बरहरवा	फुलभंगा
18.	रानीग्राम	बरहरवा	राधानगर
19.	रिशोर	बरहरवा	रानीग्राम
20.	श्रीकुण्ड	बरहरवा	रिशोर
21.	श्रीधरघैरा	बरहरवा	श्रीकुण्ड
22.	बरहैट	बरहैट	श्रीधरघैरा
23.	बामसिया	बरहैट	बरहैट
24.	बोरबंध	बरहैट	बामसिया
25.	बरगड़ही कदम	बरहैट	बोरबंध
26.	भोगनाडीह	बरहैट	बरगड़ही कदम
27.	बाराघधरी	बरहैट	भोगनाडीह
28.	धमनी	बरहैट	बाराघघरी
29.	जेतकी कुमार जोरी	बरहैट	धमनी
30.	कुशमाहा	बरहैट	जेतकी कुमार जोरी
31.	लबरी	बरहैट	कुशमाहा
32.	पंचकथिया बाजार	बरहैट	लबरी
33.	फुलभंगा	बरहैट	पंचकथिया
34.	रोहरा	बरहैट	फुलभंगा
35.	सिमोग कोल्लैरी	बरहैट	रोहरा
36.	तालबरिया	बरहैट	सिमोग कोल्लरी
37.	बरियो	बरिया	तालबरिया
38.	अपरोल	बरियो	बरियो
39.	छोटा बंगामा	बरियो	अपरोल
40.	हाथीगढ़	बरियो	छोटा बंगामा
41.	मोतीपहाड़ी	बरिया	हाथीगढ़
42.	तेलो	बरियो	मोतीपहाड़ी
43.	कासिम बाजार	राजमहल	कासिक बाजार
44.	राजमहल	राजमहल	राजमहल
45.	चौकीधाब	राजमहल	चौकीधाब
46.	जामनगर	राजमहल	जामनगर
47.	काजीगांव	राजमहल	काजीगांव
48.	महासिंहपुर	राजमहल	महासिंहपुर
49.	नारायणपुर	राजमहल	नारायणपुर
50.	नारायणपुर पूर्व डैरा	राजमहल	नारायणपुर पूर्व डैरा
51.	पियारपुर	राजमहल	पियारपुर
52.	फुदकीपुर	राजमहल	फुदकीपुर
53.	पी. कोयला बाजार	राजमहल	पी. कोयला बाजार
54.	पलासगाछी	राजमहल	पलासगाछी

1	2	3	4
55.	उधवा	राजमहल	उधवा
56.	साहिबगंज	साहिबगंज	साहिबगंज
57.	बालुआगैराह	साहिबगंज	बालुआगैराह
58.	बड़ा जिरवाबाड़ी	साहिबगंज	बड़ा जिरवाबाड़ी
59.	बनझी	साहिबगंज	बनझी
60.	बड़ा मदनसाही	साहिबगंज	बड़ा मदनसाही
61.	बालपोखर	राजमहल	बालपोखर
62.	गंगा प्रसाद दियारा	राजमहल	गंगा प्रसाद दियारा
3.	हरि प्रसाद दियारा	साहिबगंज	हरिप्रसाद दियारा
64.	हाजीपुर बाड़ी कोदारजाना	साहिबगंज	हाजीपुर बाड़ी कोदारजाना
65.	महादेवगंज	साहिबगंज	महादेवगंज
66.	महराजपुर	साहिबगंज	महाराजपुर
67.	रामपुर	साहिबगंज	रामपुर
68.	साहिबगंज कालेज	साहिबगंज	साहिबगंज
69.	साहिबगंज कोर्ट	साहिबगंज	साहिबगंज
70.	सकरीगलीघाट	साहिबगंज	सकरीगलीघाट
71.	तिना पहाड़	राजमहल	तिना पहाड़
72.	बड़ा दुर्गापुर	राजमहल	बड़ा दुर्गापुर
73.	बृन्दावनी	अमरपाड़ा	बृन्दावनी
74.	जोंका	राजमहल	जोंका
75.	कल्याणचक	राजमहल	कल्याणचक
76.	तलझारी	तलझारी	तलझारी
77.	करनपुरा	तलझारी	करनपुरा
78.	मंगलाहाट अंग्रेजी	तलझारी	मंगलाहाट अंग्रेजी
79.	सरकंडा	तलझारी	सरकंडा

1	2	3	4
जिला देवघर			
1.	पालोजारी	पालोजोरी	पालोजारी
2.	असना	पालोजोरी	असना
3.	अजनारी दुधानी	पालाजोरी	अजनारी दुधानी
4.	बानसबुटिया	पालोजोरी	बानसबुटिया
5.	बड़ा गमहरिया	पालोजोरी	बड़ा गमहरिया
6.	भुटो कोरिया	पालोजोरी	भुटो कोरिया
7.	बैजनाथपुर	पालोजोरी	बैजनाथपुर
8.	बसहा	पालोजोरी	बसहा
9.	भैरबपुर	पालोजोरी	भैरबपुर
10.	बिरजपुर	पालोजोरी	बिरजपुर
11.	चगलाजोर	पालोजोरी	चगलाजोर
12.	चिकनिया	पालोजोरी	चिकनिया
13.	दुबराजपुर	पालोजोरी	दुबराजपुर
14.	गरसारा	पालोजोरी	गरसारा
15.	गोलबंध	पालोजोरी	गोलबंध
16.	गुनदलीदांगल	पालोजोरी	गुनदलीदांगल
17.	गरपाथर	पालोजोरी	गरपाथर
18.	जरुआडीह	पालोजोरी	जरुआडीह
19.	जमुआ	पालोजोरी	जुमआ
20.	खैराबानी	पालोजोरी	खैराबानी
21.	कुनजोरा	पाकुरिया	कुनजोरा
22.	कर्रासाल	पाकुरिया	कर्रासाल
23.	नाचनगढ़िया	पाकुरिया	नाचनगढ़िया
24.	परगोडीह	पाकुरिया	परगोडीह
25.	पिनदारी	पाकुरिया	पिनदारी
26.	सागरभंगा	पाकुरिया	सागरभंगा

1	2	3	4
27.	सरसा	पाकुरिया	सरसा
28.	तालगरहा	पाकुरिया	तालगरहा
29.	टी.डी. डुमरिया	पाकुरिया	टी.डी. डुमरिया
30.	ताराजोरा	पाकुरिया	ताराजोरा
31.	पथना	पथना	पथना
32.	बिन्दुबासनी मंगलाडीह	पथना	बिन्दुबासनी मंगलाडीह
33.	बिशनपुर	पथना	बिशनपुर
34.	बारातल्ला	पथना	बारातल्ला
35.	बांसकोला	पथना	बांसकोला
36.	धटियारी	पालोजारी	धटियारी
37.	लाखीपुर	पालोजारी	लाखीपुर
38.	रघुनाथ पुर	पालोजारी	रघुनाथपुर
39.	अमजोरा	पालोजारी	अमजोरा
40.	घाघरी	पालोजोरी	घाघरी
41.	काकनी पठारिया	पालोजारी	काकनी पठारिया
42.	कुंडी मेरखों	पालोजोरी	कुंडी मेरखों
43.	कैरासोल	पालोजोरी	कैरासोल
44.	करूडीह	देवघर	करूडीह

क्रम सं.	डाकघर का नाम	तहसील/तालूक/ब्लॉक का नाम जिसमें स्थित है।	जहां लागू हो उस गांव का नाम जहां स्थित है।
1	2	3	4
जिला रांची			
1.	रांची	रांची	रांची
2.	आदलहालू	रांची	आदलहातू
3.	बेरो	बेरो	बेरो
4.	देवगांव	बेरो	देवगांव
5.	दोलैचा	बेरो	दोलैचा
6.	इटा	बेरो	इटा
7.	गरगांव	बेरो	गरगांव
8.	हतुघाघरा	बेरो	हतुघाघरा
9.	जरैया	बेरो	जरैया
10.	कागरिया	बेरो	कोगरिया
11.	खातरीखातंगा	बेरो	खातरीखातंगा
12.	खुखरा	बेरो	खुखरा
13.	केसा	बेरो	केसा
14.	नेहालू	बेरो	नेहालू
15.	पहाड़कंदारिया	बेरो	पहाड़कंदारिया
16.	तुको	बेरो	तुको
17.	बोरया	रांची	बोरया
18.	ब्राम्बे	रांची	ब्राम्बे
19.	बानापिरी	रांची	बानापिरी
20.	बरौदी	रांची	बरौदी
21.	चितारकोटा	रांची	चितारकोटा
22.	गिंजोठाकुरगांव	रांची	गिंजोठाकुरगांव
23.	गुरुगैन	रांची	गुरुगैन
24.	जाहरबरगारी	रांची	जाहरबरगारी
25.	कोम्बे	रांची	कोम्बे
26.	मुरमा	रांची	मुरमा
27.	मुरकुनी	रांची	मुरकुनी
28.	नागरा	रांची	नागरा
29.	पानी	रांची	पानी
30.	पुरियो	रांची	पुरियो
31.	सोबा	रांची	सोबा

1	2	3	4
32.	तरमूली	रांची	तरमूली
33.	चान्हो	चान्हो	चान्हो
34.	चर्च रोड	रांची	चर्च रोड
35.	छुतिया	रांची	छुतिया
36.	एच. एच. कालोनी	रांची	एच.एच.कालोनी
37.	अरगोरा	रांची	अरगोरा
38.	काटू	रांची	काटू
39.	हेहल	रांची	हेहल
40.	हिन्दपिरी	रांची	हिन्दपिरी
41.	इन्दपुरी	रांची	इन्द्रपुरी
42.	इतकी	इतकी	इतकी
43.	मुरतो	इतकी	मुरतो
44.	बालसोता	इतकी	बालसोता
45.	बेयासी	इतकी	बेयासी
46.	भावरो	इतकी	भावरो
47.	बी खटंगा	इतकी	बी खटंगा
48.	चारकिदुमरी	इतकी	चारकिदुमरी
49.	मानद्रो	इतकी	मानद्रो
50.	नारकोपी	इतकी	नारकोपी
51.	रानीखतंगा	इतकी	रानीखतंगा
52.	साकरा	इतकी	साकरा
53.	सेमरा	इतकी	सेमरा
54.	सिलागांव	इतकी	सिलागांव
55.	टी. बाशिली	इतकी	टी. बाशिली
56.	तिकरातोली	इतकी	तिकरातोली
57.	इर्बा	ओरमांझी	इर्बा
58.	कानके	रांची	

1	2	3	4
59.	बुकरू	रांची	बुकरू
60.	गागी	रांची	गागी
61.	उस्सीर	रांची	उस्सीर
62.	ईचापिरी	रांची	ईचापिरी
63.	कोकडोरो	रांची	कोकडोरो
64.	कुमहरिया	रांची	कुमहरिया
65.	पिथौरिया	रांची	पिथौरिया
66.	सतकनादू	रांची	सतकनादू
67.	सुकुरुहुत्तू	रांची	सुकुरुहुत्तू
68.	कानके रोड	रांची	कानके रोड
69.	कांटा टोली	रांची	कांटा टोली
70.	कोकर	रांची	कोकर
71.	लालपुर	रांची	लालपुर
72.	लोवर बाजार	रांची	लोवर बाजार
73.	मन्दर	मन्दर	मन्दर
74.	बिन्जा	मन्दर	बिन्जा
75.	बुरहाखुखरा	मन्दर	बुरहाखुखरा
76.	बुरमू	मन्दर	बुरमू
77.	चैंगारा	मन्दर	चैंगारा
78.	चकमे	मन्दर	चकमे
79.	चोरया	मन्दर	चोरया
80.	गिटिलगढ़	मन्दर	गिटिलगढ़
81.	हनहाट	मन्दर	हनहाट
82.	कैंबो	मन्दर	कैंबो
83.	काकरगढ़	मन्दर	काकरगढ़
84.	कारगे	मन्दर	कारगे
85.	करकरा	मन्दर	करकरा

1	2	3	4
86.	माहीजोरी	मन्दर	माहीजोरी
87.	मक्का	मन्दर	मक्का
88.	मुरुपिरी	मन्दर	मरूपिरी
89.	पतरातू	मन्दर	पतरातू
90.	रघनाथपुर	मन्दर	रघुनाथपुर
91.	सारले	मन्दर	सारले
92.	सोन्स	मन्दर	सोन्स
93.	सोसई	मन्दर	सोसई
94.	सुसाईमरु	मन्दर	सुसाईगुरु
95.	टांगार	मन्दर	टांगार
96.	ताला	मन्दर	ताला
97.	उमेडांडा	मन्दर	उमडांडा
98.	मेसरा	ओरमांझी	मेसरा
99.	मोराबादी	रांची	मोराबादी
100.	नगजुया	इतकी	नगजुया
101.	अकासी	इतकी	अकासी
102.	भित्ता	इतकी	भित्ता
103.	बड़ागांव	इतकी	बड़ागांव
104.	गजनी	इतकी	गजनी
105.	कैरो	इतकी	कैरो
106.	खांरता	इतकी	खारता
107.	महुअरई	इतकी	महुअरई
108.	नरौली	इतकी	नरौली
109.	सेरो	इतकी	सेरो
110.	सिनजो	इतकी	सिनजो
111.	ताती	इतकी	ताती
112.	एनसीडीसी	रांची	एनसीडीसी

1	2	3	4
113.	एनवीवी	ओरमांझी	एनवीवी
114.	बूटी	रांची	बूटी
115.	चांदवे	ओरमांझी	चांदवे
116.	होतवार	ओरमांझी	होतवार
117.	हुन्डुरू	ओरमांझी	हुन्डुरू
118.	ओरमांझी	ओरमांझी	ओरमांझी
119.	बारेडीह	ओरमांझी	बारेडीह
120.	बक्शीडीह	ओरमांझी	बक्शीडीह
121.	चाकला	ओरमांझी	चाकला
122.	चान्द्रा	ओरमांझी	चान्द्रा
123.	छूतूपालू	ओरमांझी	छूतूपालू
124.	डाहू	ओरमांझी	डाहू
125.	हेन्डेवेल्ली	ओरमांझी	हेन्डेवेल्ली
126.	इछादाग	ओरमांझी	इछादाग
127.	कुघू	ओरमांझी	कुघू
128.	पालू	ओरमांझी	पालू
129.	पान्छा	ओरमांझी	पान्छा
130.	सदमा	ओरमांझी	सदमा
131.	सनरी	ओरमांझी	सनरी
132.	एसएच प्रोजेक्ट	ओरमांझी	एसएच प्रोजेक्ट
133.	ओ जी जी	रांची	ओ जी जी
134.	पिसकानारी	रांची	पिसकानारी
135.	बारसा	रातू	बारसा
136.	बिन्धानी	रातू	बिन्धानी
137.	चिनारोपुरियो	रातू	चिनारोपुरियो
138.	गुदुआ	रातू	गुदुआ
139.	हलहू	रात	हलहू

1	2	3	4
140.	कतारपा	रातू	कतारपा
141.	एम. नयासरई	रातू	एम. नयासरई
142.	कुली	रातू	कुली
143.	पतराछौली	रातू	पतराछौली
144.	सपरोम	रातू	सपरोम
145.	आर. के. वकील	कांके	कांके
146.	रांची कोर्ट	रांची	रांची कोर्ट
147.	आर एम सी	रांची	बरियातू
148.	बरियातू	रांची	बतियातू
149.	लेमबरागेन	रांची	लेमबरागेन
150.	आरएमसीसी	रांची	आरएमसीसी
151.	आरयू	कांके	आरयू
152.	आरवीसी	कांके	कांके
153.	रातू	रातू	रातू
154.	बिजुलिया	रातू	बिजुलिया
155.	चिपरा	रातू	चिपरा
156.	गुरू	रातू	गुरू
157.	हुहुरी	रातू	हुहुरी
158.	कामरे	रातू	कामरे
159.	कातमकुल्ली	रातू	कातमकुल्ली
160.	कतुलाहना	रातू	कतुलाहना
161.	मालसिरिंग	रातू	मालसिरिंग
162.	मारवा	रातू	मारवा
163.	सिमोलिया	रातू	सिमोलिया
164.	उरगुटु	रातू	उरगुटु
165.	सिकिदिरी	ओरमांझी	सिकिदिरी
166.	डोरंडा	रांची	डोरंडा

1	2	3	4
167.	डोरंडा	रांची	डोरंडा
168.	डोरंडा	रांच	डोरंडा
169.	बुन्डू	बुन्डू	बुन्डू
170.	अदलातू	बुन्डू	अदलातू
171.	अम्बाझरिया	बुन्डू	अम्बाझरिया
172.	बारेडीह	बुन्डू	बारेडीह
173.	बरुहादू	बुन्डू	बरुहादू
174.	बुरहाडीह	बुन्डू	बुरहाडीह
175.	डानाडीह	बुन्डू	डानाडीह
176.	इडरूमहातू	बुन्डू	इडरूमहातू
177.	हुमता	बुन्डू	हुमता
178.	जदेया	बुन्डू	जदेया
179.	जामूडग	बुन्डू	जामुडग
180.	कांची	बुन्डू	कांची
181.	हेन्जेड	बुन्डू	हेन्जेड
182.	लोवाहातू	बुन्डू	लोवाहातू
183.	नौडीह	बुन्डू	नौडीह
184.	राहे	बुन्डू	राहे
185.	रेलाडीह	बुन्डू	रेलाडीह
186.	सतकी	बुन्डू	सतकी
187.	सोनाहातू	बुन्डू	सोनाहातू
188.	तैमारा	बुन्डू	सतकी
189.	छोटामुरी	ओरमांझी	छोटामुरी
190.	हाकेडाग	ओरमांझी	हाकेडाग
191.	कुचु	ओरमांझी	कुचु
192.	लगाम	ओरमांझी	लगाम
193.	टी.बी. रामपुर	ओरमांझी	टी. बी. रामपुर

1	2	3	4
194.	धुरवा	रांची	धुरवा
195.	बालोंग	रांची	बालोंग
196.	लोधमा	रांची	लोधमा
197.	पुनडाग	रांची	पुनडाग
198.	सितियो	रांची	सितियो
199.	तिरिल	रांची	तिरिल
200.	गोबिन्दपुर	कर्रा	गोबिन्दपुर
201.	बिकुआदाग	कर्रा	बिकुआदाग
202.	चाम्पाडीह	कर्रा	चाम्पाडीह
203.	गोविन्दपुर आरडी	कर्रा	गोविन्दपुर आरडी
204.	जरियाडीह	कर्रा	जरियाडीह
205.	कोईसेरा	कर्रा	कोईसेरा
206.	लापा	कर्रा	लापा
207.	लेते	कर्रा	लेते
208.	महुगांव	कर्रा	महुगांव
209.	पोक्ता	कर्रा	पोक्ता
210.	रेंडवा	कर्रा	रेंडवा
211.	हतिया	नामकुम	हतिया
212.	हुनडरु	नामकुम	हतिया
213.	हतिया डाम	नामकुम	हतिया डाम
214.	एचईजी एड बीएलएजी	रांची	एचईजी एड बीएलएजी
215.	एपीपी हॉस्टल	रांची	एपीपी हॉस्टल
216.	एचईसी कालोनी	रांची	एचईसी कालोनी
217.	ईएक्सपीटी होस्टल	रांची	ईएक्सपीटी होस्टल
218.	एचएमएल कालोनी	रांची	एचएसएल कालोनी
219.	हिनू	रांची	हिनू
220.	जे नगर कालोनी	रांची	जे नगर कालोनी
221.	जेवी सभा	रांची	जेवी सभा
222.	कर्रा	कर्रा	कर्रा
223.	बिंगाव	कर्रा	बिंगाव
224.	बिरदा	कर्रा	बिरदा
225.	चटा	कर्रा	चटा
226.	लतरा	कर्रा	लतरा
227.	कोने	कर्रा	कोने
228.	कुरसो	कर्रा	कुरसो
229.	संगूर	कर्रा	संगूर
230.	तिलमि	कर्रा	तिलमि
231.	खुंटी	खुंटी	खुंटी
232.	अंगराबाड़ी	खुंटी	अंगराबाड़ी
233.	अनीगड़ा	खुंटी	अनीगड़ा
234.	बेलवादाग	खुंटी	बेलवादाग
235.	भण्डरा	खुंटी	भण्डरा
236.	बिचना	खुंटी	बिचना
237.	बिर्हु	खुंटी	बिर्हु
238.	एटा	खुंटी	एटा
239.	घुनसुली	खुंटी	घुनसुली
240.	गुटजोड़ा	खुंटी	गुटजोड़ा
241.	हकादुआ	खुंटी	हकादुआ
242.	जलतंदा	खुंटी	जलतंदा
243.	जुरदाग	खुंटी	जुरदाग
244.	केओसेलदा	खुंटी	केओसेलदा

1	2	3	4
245.	लंदूप	खुंटी	लंदुप
246.	मारंघदा	खुंटी	मारंघदा
247.	फुदी	खुंटी	फुदी
248.	साइको	खुंटी	साइको
249.	सपारोम	खुंटी	सपारोम
250.	सिरुम	खुंटी	सिरुम
251.	लापुंग	लापुंग	लापुंग
252.	मुरहु	मुरहु	मुरहु
253.	बमहनी	मुरहु	बमहनी
254.	बंदगांव	मुरहु	बंदगांव
255.	बिंदा बाजार	मुरहु	बिंदा बजार
256.	बीरबंकी	मुरहु	बीरबंकी
257.	बुर्जु	मुरहु	बुर्जु
258.	घाघरा	मुरहु	घाघरा
259.	हसाडीह	मुरहु	हसाडीह
260.	जाते	मुरहु	जाते
261.	कंदिर	मुरहु	कंदिर
262.	कोछांग	मुरहु	कोछांग
263.	लेयांगी	मुरहु	लेयांगी
264.	महिल	मुरहु	महिल
265.	पारोंगेर	मुरहु	पारोंगेर
266.	सरवादा	मुरहु	सरवादा
267.	सरबानिया	मुरहु	सरबानिया
268.	सेलदा	मुरहु	सेलदा
269.	तेबो	मुरहु	तेबो
270.	नामकुम	नामकुम (खिजड़ी)	नामकुम
271.	बड़ा घाघरा	नामकुम (खिजड़ी)	बड़ा घाघरा

1	2	3	4
272.	जामचुआ झरिया	नामकुम (खिजड़ी)	जामचुआ झरिया
273.	खिजड़ी	नामकुम (खिजड़ी)	खिजड़ी
274.	लाली	नामकुम (खिजड़ी)	लाली
275.	राजाउलहातु	नामकुम (खिजड़ी)	राजाउलहातु
276.	तेतरी	नामकुम (खिजड़ी)	तेतरी
277.	निबारनपुर	रांची	निबारनपुर
278.	रेलवे कालोनी हटिया	रांची	रेलवे कालोनी हटिया
279.	आर के सानटोरियम	रांची	आर के सनाटोरियम
280.	दहुसोदाग	नामकुम (खिजड़ी)	दहुसोदाग
281.	हातुदामी	नामकुम (खिर्जी)	हातुदमी
282.	हरदाग	नामकुम (खिर्जी)	हरदाग
283.	हलहुंदु	नामकुम (खिर्जी)	हुलहुंदु
284.	दुंदीगाड़ा	नामकुम (खिर्जी)	दुंदीगाड़ा
285.	तारासिलादोन	नामकुम (खिर्जी)	तारासिलादोन
286.	आर. एयरपोर्ट	रांची	हिनू
287.	सैटलाइट कालोनी	रांची	सैटलाइट कालोनी
288.	सिल्लि	सिल्लि	सिल्लि
289.	अजयगढ़	सिल्लि	अजयगढ़
290.	बाराघंगरू	सिल्लि	बाराघंगरु
291.	बारेन्दा	सिल्लि	बारेन्दा
292.	बरवाडाग	सिल्लि	बरवाडाग
293.	बन्सिया	सिल्लि	बन्सिया
294.	बन्ताहजाम	सिल्लि	बन्ताहजाम
295.	बोंगाईबुरू	सिल्लि	बोंगाईबुरू
296.	दोवारू	सिल्लि	दोवारू

1	2	3	4
297.	गोराडीह	सिल्लि	गोराडीह
298.	हलमाड	सिल्लि	हलमाड
299.	झबरी	सिल्लि	झबरी
300.	लोता	सिल्लि	लोता
301.	पनडाडीह	सिल्लि	पनडाडीह
302.	पतराहदू	सिल्लि	पतराहदू
303.	विस्का	सिल्लि	विस्का
304.	पोगरा	सिल्लि	पोगरा
305.	ताती	सिल्लि	ताती
306.	टी.टी. मनकीडीह	सिल्लि	टी.टी. मनकीडीह
307.	तेतला	सिल्लि	तेतला
308.	तुतकिनवाडीह	सिल्लि	तुतकिनवाडीह
309.	तामर	तामर	तामर
310.	अमलेसा	तामर	अमलेसा
311.	बाबूरामडीह	सिल्लि	बाबूरामडीह
312.	बड़ेडीह	तामर	बड़ेडीह
313.	अर्की	तामर	अर्की
314.	घिरूडीह	तामर	घिरूडीह
315.	चोकाहादू	तामर	चोकाहादू
316.	डोरैया	तामर	डोरैया
317.	हरामलोहार	तामर	हरामलोहार
318.	जनुमपीडी	तामर	जनुमपीडी
319.	जरगो	तामर	जरगो
320.	जिलिंगसेरेंग	तामर	जिलिंगसेरेंग
321.	जोजोहादू	तामर	जोजोहादू
322.	कोचासिन्दरी	तामर	कोचासिन्दरी
323.	कोटा	तामर	कोटा

1	2	3	4
324.	लंदुपडीह	तामर	लंदुपडीह
325.	लंगतू	तामर	लंगतू
326.	मंकीडीह	तामर	मंकीडीह
327.	नोरही	अर्की	नोरही
328.	पारसी	अर्की	पारसी
329.	पुनडीडीरी	अर्की	पुनडीडीरी
330.	रारगांव	अर्की	रारगांव
331.	सलगाडीह	अर्की	सलगाडीह
332.	सरजामडीह	अर्की	सरजामडीह
333.	उलीडीह	अर्की	उलीडीह
334.	उलियोहार	अर्की	उलियोहार
335.	उलिहातू	अर्की	उलिहातू
336.	विजयगिरी	अर्की	विजयगिरी
337.	रुगरी	अर्की	रुगरी
338.	तातीसिलवाई	अंगारा	तातीसिलवाई
339.	अंगारा	अंगारा	अंगारा
340.	बिसा	अंगारा	बिसा
341.	बोंगाईबेड़ा	अंगारा	बोंगाईबेड़ा
342.	चिलदाग	अंगारा	चिलदाग
343.	गूतालसुद	अंगारा	गूतालसुद
344.	हेसल	अंगारा	हेसल
345.	जोनहा	अंगारा	जोनहा
346.	महेशपुर	अंगारा	महेशपुर
347.	महिलांग	अंगारा	महेशपुर
348.	मेधा	अंगारा	मेधा
349.	नवागढ़	अंगारा	नवागढ़
350.	राजाडेरा	अंगारा	राजाडेरा

1	2	3	4
351.	सुगनू	अंगारा	सुगनू
352.	तोरपा	तोरपा	तोरपा
353.	अम्बापखना	तोरपा	अम्बापखना
354.	बरदा	तोरपा	बरदा
355.	दोरमा	तोरपा	दोरमा
356.	दुमांगदीरी	तोरपा	दुमांगदीरी
357.	गुदरी	तोरपा	गुदरी
358.	ईचा	तोरपा	ईचा
359.	जयपुर	तोरपा	जयपुर
360.	कामदारा	कामदारा	कामदारा
361.	खतंगा	कामदारा	खतंगा
362.	कशमार	कामदारा	कशमार
363.	लतरा	कामदारा	लतरा
364.	मरचा	कामदारा	मरचा
365.	पकरा	कामदारा	पकरा
366.	पातपुर	कामदारा	पातपुर
367.	पिमपी	कामदारा	पिमपी
368.	पोकला	कामदारा	पोकला
369.	रनिया	रनिया	रनिया
370.	रायसिमला	रनिया	रायसिमला
371.	रामतोलैया	रनिया	रामतोलैया
372.	सरबो	रनिया	सरबो
373.	सरिता	रनिया	सरिता
374.	सोदे	रनिया	सोदे
375.	सुन्दरी	रनिया	सुन्दरी
376.	सुरहू	रनिया	सुरहू
377.	सलेगुटु	रनिया	सलेगुटु
378.	तिरला	रनिया	तिरला
379.	जालतन्दा 2	रनिया	जालतन्दा 2
380.	नया एरिया मोराबादी	रांची	नया एरिया
381.	दाकरा कालोनी	रांची	दाकरा कालोनी
382.	खलारी	रांची	खलारी
383.	छमा	रांची	छमा
384.	दीवाननगर	रांची	दीवाननगर
385.	मेकलुसकीगंज	रांची	मेकलुसकीगंज
386.	नवाडीह	रांची	नवाडीह
387.	निंद्रा	रांची	निंद्रा
388.	राय	रांची	राय
389.	हिन्दगीर	रांची	हिन्दगीर

क्रम सं.	डाकघर का नाम	तहसील/तालूक/ ब्लॉक का नाम जिसमें स्थित है।	जहां लागू हो उस गांव का नाम जहां स्थित है।
1	2	3	4
जिला गुमला			
1.	गुमला	गुमला	गुमला
2.	अरमाल	गुमला	अरमाल
3.	आसनी	गुमला	आसनी
4.	बाधिमा	गुमला	बाधिमा
5.	डेरहोली	गुमला	डेरहोली
6.	दुमारदीह	गुमला	दुमारदीह
7.	करौन्दी	गुमला	करौन्दी
8.	कोरोन्दा	गुमला	कोरोन्दा
9.	केशीपुरा	गुमला	केशीपुरा
10.	खोरा	गुमला	खोरा
11.	कोलेंग	गुमला	कोलेंगे

1	2	3	4
12.	कलुंगा	गुमला	कलुंगा
13.	मलाई	गुमला	मलाई
14.	मरदा	गुमला	मरदा
15.	मुरकुन्डा	गुमला	मुरकुन्डा
16.	परसा	गुमला	परसा
17.	पतिया	गुमला	पतिया
18.	सिलाम	गुमला	सिलाम
19.	ताईसेरा	गुमला	ताईसेरा
20.	तेलगांव	गुमला	तेलगांव
21.	भारनो	भारनो	भारनो
22.	अमलिया	भारनो	अमलिया
23.	असरो	भारनो	असरो
24.	दनेकेरा	भारनो	दनेकेरा
25.	जामगेन	भारनो	जामगेन
26.	झिकोचट्टी	भारनो	झिकोचट्टी
27.	महादेव चाकरी	भारनो	महादेव चाकरी
28.	मरासिल्ली	भारनो	मरासिल्ली
29.	पबेया	भारनो	पबेया
30.	तुरिअमबा	भारनो	तुरिअमबा
31.	बसिया	बसिया	बसिया
32.	बनघुट्टू	बसिया	बनघुटू
33.	बनाई	बसिया	बनाई
34.	गंगरा	बसिया	गंगरा
35.	गारा	बसिया	गारा
36.	हाफू	बसिया	हाफू
37.	कोनबीरनावतोली	बसिया	कोनबीरनावतोली
38.	कुमहारी	बसिया	कुमहारी
39.	मामरला	बसिया	मामरला
40.	मोरेंग	बसिया	मोरेंग
41.	लौंगा	बसिया	लौंगा
42.	लंगतू	बसिया	लंगतू
43.	सुकुरदा	बसिया	सुकुरदा
44.	बिशनुपुर	बिशुनपुर	बिशनुपुर
45.	अदर	बिशुनपुर	अदर
46.	बनारी	बिशुनपुर	बनारी
47.	हरूप	बिशुनपुर	हरूप
48.	जरीगुतवा	बिशुनपुर	जरीगुतवा
49.	जमती	बिशुनपुर	जमती
50.	जोरी	बिशुनपुर	जोरी
51.	कुराग	बिशुनपुर	कुराग
52.	मरवाई	बिशुनपुर	मरवाई
53.	मारवा	बिशुनपुर	मारवा
54.	रुकी	बिशुनपुर	रुकी
55.	सेलमनावतोली	बिशुनपुर	सेलमनावतोली
56.	सरनगो	बिशुनपुर	सरनगो
57.	सतो	बिशुनपुर	सतो
58.	चैनपुर	चैनपुर	चैनपुर
59.	बारवेनगर	चैनपुर	बारवेनगर
60.	बिनदोरा	चैनपुर	बिनदोरा
61.	डुमरपथ	चैनपुर	डुमरपथ
62.	हररा	चैनपुर	हररा
63.	हेसाग	चैनपुर	हेसाग
64.	जमगेन	चैनपुर	जमगेन
65.	कमसीर	चैनपुर	कनसीर

1	2	3	4
66.	जनावल	चेनपुर	जनावल
67.	कटखई	चेनपुर	कटखई
68.	कुरूमगढ़	चेनपुर	कुरूमगढ़
69.	लूरु	चेनपुर	लूरु
70.	पुतरूंगी	चेनपुर	पुतरूंगी
71.	सिकरी	चेनपुर	सिकरी
72.	श्रीनगर	चेनपुर	श्रीनगर
73.	तबेला	चेनपुर	तबेला
74.	तिसगांव	चेनपुर	तिसगांव
75.	तोनगो	चेनपुर	तोनगो
76.	जारी	चेनपुर	जारी
77.	केरेंग	चेनपुर	केरेंग
78.	गुमला बाजार	गुमला	गुमला
79.	घाघरा	घाघरा	घाघरा
80.	अरंगी	घाघरा	अरंगी
81.	बेलागरा	घाघरा	बेलागरा
82.	देवकी	घाघरा	देवकी
83.	गमहेरा	घाघरा	गमहेरा
84.	हुतर	घाघरा	हुतर
85.	इचा	घाघरा	इचा
86.	कुगांव	घाघरा	कुगांव
87.	नवादीह	घाघरा	नवादीह
88.	पुतो	घाघरा	पुतो
89.	सेवोसोरेन	घाघरा	सेवोसोरेन
90.	तोतमबी	घाघरा	तोतमबी
91.	के.ओ. कॉलेज	गुमला	के.ओ. कॉलेज
92.	नवगढ़	नवगढ़	नवगढ़
93.	अमगांव	नवगढ़	अमगांव
94.	बिरकेरा	नवगढ़	बिरकेरा
95.	करिदा	नवगढ़	करिदा
96.	कोनडा	नवगढ़	कोनडा
97.	कोनकेल	नवगढ़	कोनकेल
98.	कमता	नवगढ़	कमता
99.	पुलंग	नवगढ़	पुलंग
100.	रेदीह	नवगढ़	रेदीह
101.	सुरसांग	नवगढ़	सुरसांग
102.	नोआदीह	नोआदीह	नोआदीह
103.	भिखामपुर	नोआदीह	भिखामपुर
104.	भागीतोली	नोआदीह	भागीतोली
105.	चिरयान	नोआदीह	चिरयान
106.	दिना	नोआदीह	दिना
107.	गोविन्दपुर	नोआदीह	गोविन्दपुर
108.	हेसरी	नोआदीह	हेसरी
109.	खेट्टी	नोआदीह	खेट्टी
110.	लोवाबार	नोआदीह	लोवाबार
111.	मझगांव	नोआदीह	मझगांव
112.	राजावल	नोआदीह	राजावल
113.	पलकोट	नोआदीह	पलकोट
114.	कुरुम	नोआदीह	कुरुम
115.	बिलिंगबेरा	नोआदीह	बिलिंगबेरा
116.	लोटा	नोआदीह	लोटा
117.	नाथपुर	नोआदीह	नाथपुर
118.	पोजेगां	नोआदीह	पोजेगां
119.	टपकारा	नोआदीह	टपकारा

1	2	3	4
120.	टेंगरिया	नोआदीह	टेंगरिया
121.	ओबिरासुंदरपुर	नोआदीह	ओबिरासुंदरपुर
122.	सुदंरडीह	नोआदीह	सुंदरडीह
123.	सिसई	सिसई	सिसई
124.	आरको	सिसई	आरको
125.	बारागई	सिसई	बारागई
126.	भुसरो	सिसई	भुसरो
127.	चारदा	सिसई	चारदा
128.	दतिया	सिसई	दतिया
129.	जूरा	सिसई	जूरा
130.	करांज	सिसई	करांज
131.	करकरी	सिसई	करकरी
132.	करौंदाजोर	सिसई	करौंदाजोर
133.	मुरगू	सिसई	मुरगू
134.	नगर	सिसई	नगर
135.	नागफनी	सिसई	नागफनी
136.	ओलमुंडा	सिसई	ओलमुंडा
137.	सकरौली	सिसई	सकरौली
138.	सोगरा	सिसई	सोगरा
139.	शिवनाथपुर	सिसई	शिवनाथपुर
140.	टोटो	टोटो	टोटो
141.	अनजन	टोटो	अनजन
142.	बसवा	टोटा	बसवा
143.	घाटगांव	टोटा	घाटगांव
144.	गुनिया	टोटा	गुनिया
145.	खरका	टोटो	खरका
146.	कोटम	टोटो	कोटम
147.	नोआडीह	टोटा	नोआडीह
148.	फोरी	टोटो	फोरी
149.	एस. पुर गमहरिया	टोटा	एस. पुर गमहरिया

क्रम सं.	डाकघर का नाम	तहसील/तालूक/ ब्लॉक का नाम जिसमें स्थित है।	जहां लागू हो उस गांव का नाम जहां स्थित है।
1	2	3	4
जिला लोहारदगा			
1.	लोहारदगा	लोहारदगा	लोहारदगा
2.	अरकोसा	लोहारदगा	अरकोसा
3.	अरया	लोहारदगा	अरया
4.	अर्रु	लोहारदगा	अर्रु
5.	बदला	लोहारदगा	बदला
6.	बगहा	लोहारदगा	बगहा
7.	बगरु हिल	लोहारदगा	बगरु हिल
8.	बगरु मिनेस	लोहारदगा	बगरु हिल
9.	बुटिसेनहा	लोहारदगा	बुटिसनेहा
10.	चारहू	लोहारदगा	चारहू
11.	डारु	लोहारदगा	डारु
12.	गगेया	लोहारदगा	गगेया
13.	हसापिरि	लोहारदगा	हसापिरि
14.	इरगांव	लोहारदगा	इरगांव
15.	हिरही	लोहारदगा	हिरही
16.	लोहारदगा	लोहारदगा	लोहारदगा
17.	जुरिया	सिमडेगा	जुरिया
18.	कोरमबे	लोहारदगा	कोरमबे
19.	कुजरा	लोहारदगा	कुजरा

1	2	3	4
20.	मसमानो	लोहारदगा	मसमानो
21.	मगो	लोहारदगा	मगो
22.	नागरा	लोहारदगा	नागरा
23.	नरीनवाडीह	लोहारदगा	नरीनवाडीह
24.	निगनी	लोहारदगा	निगनी
25.	हरमू	लोहारदगा	हरमू
26.	डुंनडरु	लोहारदगा	डुंनडरु
27.	पुसो	लोहारदगा	पुसो
28.	पेसरार	लोहारदगा	पेसरार
29.	रामपुर	लोहारदगा	रामपुर
30.	सहिजना	लोहारदगा	सहिजना
31.	जोरीसहेडा	लोहारदगा	जोरीसहेडा
32.	सिथयो	लोहारदगा	सिथयो
33.	तिसया	लोहारदगा	तिसया
34.	लरांगो	लोहारदगा	लरांगो
35.	हेसवइ	लोहारदगा	हेसवइ
36.	भतखिजरी	लोहारदगा	भतखिजरी
37.	सिमारडीह	लोहारदगा	सिमारडीह
38.	कुडू	कुडू	कुडू
39.	चमपीझरिया	कुडू	चमपीझरिया
40.	चांदुजिमा	कुडू	चांदजिमा
41.	चिरी	कुडू	चिरी
42.	हेनजला	कुड	हेनजला
43.	जिंगी	कुडू	जिंगी
44.	कुरसे	कुडू	कुरसे
45.	लनडूपसेनहा	कुडू	लनडूपसेनहा
46.	लोवाडाजिन	कुडू	लोवाडाजिन
47.	ओपा	कुडू	ओपा
48.	पंडरा	कुडू	पंडरा
49.	पंडरी	कुडू	पंडरी
50.	सलगी	कुडू	सलगी
51.	किसको	किसको	किसको
52.	नेतरहाट	घाघरा	नेतरहाट
53.	जोभीपाठ	घाघरा	जोभीपाठ
54.	सेनहा	सेनहा	सेनहा
55.	भानडरा	भानडरा	भानडरा
56.	लोहरदगा बाजार	लोहरदगा बाजार	लोहरदगा बाजार
57.	लोहरदगा कोर्ट	लोहरदगा कोर्ट	लोहरदगा कोर्ट

क्रम सं.	डाकघर का नाम	तहसील/तालूक/ब्लॉक का नाम जिसमें स्थित है।	जहां लागू हो उस गांव का नाम जहां स्थित है।
1	2	3	4
जिला सिमडेगा			
1.	सिमडेगा	सिमडेगा	सिमडेगा
2.	बगडेगा	सिमडेगा	बगडेगा
3.	बसाइन	सिमडेगा	बसाइन
4.	बोमबलकेरा	सिमडेगा	बोमबलकेरा
5.	गोरारजोरे	सिमडेगा	गोरारजोरे
6.	गुटबहार	सिमडेगा	गुटबहार
7.	जोकबहार	सिमडेगा	जोकबहार
8.	हेटमा	सिमडेगा	हेटमा
9.	केरसल	सिमडेगा	केरसल
10.	केहसलपुर	सिमडेगा	केहसलपुर
11.	खुंटीटोली	सिमडेगा	खुंटीटोली
12.	किनकेल	सिमडेगा	किनकेल
13.	कोछडेगा	सिमडेगा	कोछड़ेगा

1	2	3	4
14.	कोनसकेली	सिमडेगा	कोनसकेली
15.	कुलुखेरा	सिमडेगा	कुलुखेरा
16.	मलसारा	सिमडेगा	मलसारा
17.	मेरोमडेगा	सिमडेगा	मेरोमडेगा
18.	पिथरा	सिमडेगा	पिथरा
19.	सेवइ	सिमडेगा	सेवइ
20.	तलसेरा	सिमडेगा	तलसेरा
21.	टी. पी. पानी	सिमडेगा	टी.पी. पानी
22.	तुमडेगी	सिमडेगा	तुमडेगी
23.	बानो	बानो	बानो
24.	बांकी	बानो	बानो
25.	गेनमेर	बानो	गेनमेर
26.	गेरडा	बानो	गेरडा
27.	हटिंगहोरे	बानो	हटिंगहोरे
28.	हुरदा	बानो	हुरदा
29.	जितुटोली	बानो	जितुटोली
30.	कुलबुरु	बानो	कुलबुरु
31.	कुदुंगला	बानो	कुदुंगला
32.	कुरकुरा	बानो	कुरकुरा
33.	लचरागढ़	बानो	लचरागढ़
34.	लामगढ़	बानो	लाभगढ़
35.	लाटेकेल	बानो	लाटेकेल
36.	ओरगा	बानो	ओरगा
37.	राइकेरा	बानो	राइकेरा
38.	सिकोरडा	बानो	सिकोरडा
39.	बिरु	सिमडेगा	बिरु
40.	भेलवाडीह	सिमडेगा	भेलवाडीह

1	2	3	4
41.	केओनडीह	सिमडेगा	केओनडीह
42.	कुरुसकेला	सिमडेगा	कुरुसकेला
43.	पकरडांड	सिमडेगा	पकरडांड
44.	फुलवरटांगर	सिमडेगा	फुलवरटांगर
45.	सिकिरइटन	सिमडेगा	सिकिरइटन
46.	तामरा	सिमडेगा	तामरा
47.	गोटरा	सिमडेगा	गोटरा
48.	देवबहार	सिमडेगा	देवबहार
49.	गारजा	सिमडेगा	गारजा
50.	खिजरी	सिमडेगा	खिजरी
51.	कोनबेगी	सिमडेगा	कोनबेगी
52.	कोनपाला	सिमडेगा	कोनपाला
53.	लथाखमन	सिमडेगा	लथाखमन
54.	रेंगारी	सिमडेगा	रेंगारी
55.	कोलेबिरा	कोलेबिरा	कोलेबिरा
56.	अगहारमा	कोलेबिरा	अगहारमा
57.	बारिबरिंगा	कोलेबिरा	बारिबरिंगा
58.	बरसोलया	कोलेबिरा	बरसोलया
59.	बोरोसेटा	कोलेबिरा	बोरोसेटा
60.	बोंगेरा	कोलेबिरा	बोंगेरा
61.	बोंगराम	कोलेबिरा	बोंगराम
62.	बरवाडी	कोलेबिरा	बरवाडी
63.	एटम	कोलेबिरा	एटम
64.	जलडेगा	जलडेगा	जलडेगा
65.	कोलेमडेगा	जलडेगा	कोलेमडेगा
66.	कोलेमेरला	जलडेगा	कोलमेरला
67.	लोमबोइ	जलडेगा	लोमबोई

1	2	3	4
68.	लसिया	जलडेगा	लसिया
69.	रामपुर	जलडेगा	रामपुर
70.	साहपुर	जलडेगा	साहपुर
71.	सुखजहरिया	जलडेगा	सुखजहरिया
72.	टुटीकेला	जलडेगा	टुटीकेला
73.	कुरडेग	कुरडेग	कुरडेग
74.	बरकीबुरा	कुरडेग	बरकीबुरा
75.	चांदरीमुंडा	कुरडेग	चांदरीमुंडा
76.	ढोरी	कुरडेग	ढोरी
77.	डुमारपाठ	कुरडेग	डुमारपाठ
78.	घरियाजोरे	कुरडेग	घरियाजोरे
79.	घोटाडीह	कुरडेग	घोटाडीह
80.	खिनडा	कुरडेग	खिनडा
81.	कोंजबा	कुरडेग	कोंजबा
82.	कुटमाकछार	कुरडेग	कुटमाकछार
83.	टाइसेरा	कुरडेग	टाइसेरा
84.	टी. टांगार	टी. टांगार	टी. टांगार
85.	बलियाजोरे	टी. टांगार	बलियाजोरे
86.	बांसजोरे	टी. टांगार	बांसजोरे
87.	बेहरिनबासा	टी. टांगार	बेहरिनबासा
88.	बोलबा	बोलया	बोलबा
89.	जामपानी	टी. टांगार	जामपानी
90.	कादोपानी	टी. टांगार	कादोपानी
91.	कोरेया	टी. टांगार	कोरया
92.	कोरंजो	बोलबा	कोरंजो
93.	कार्रामुंडा	बोलबा	कार्रामुंडा
94.	कुरमइ	बोलबा	कुरमइ
95.	कुंबुरमुंडा	बोलबा	कुंबुरमुंडा
96.	पिरियापूंछ	बोलबा	पिरियापूंछ
97.	समसेरा	बोलबा	समसेरा
98.	ताराबोगा	बोलबा	ताराबोगा
99.	तारगा	बोलबा	तारगा
100.	उरटे	बोलबा	उरटे

क्रम सं.	डाकघर का नाम	तहसील/तालूक/ब्लॉक का नाम जिसमें स्थित है।	जहां लागू हो उस गांव का नाम जहां स्थित है।
1	2	3	4
जिला सिंहभूम (पूर्व)			
1.	टाटानगर	करानडीह	टाटानगर (खसमहल)
2.	सरजामडा	करानडीह	सरजामडा
3.	हलुदबानी	करानडीह	हलुदबानी
4.	किटाडीह	करानडीह	किटाडीह
5.	हरहरगुटी	करानडीह	हरहरगुटी
6.	करानडीह	करानडीह	करानडीह
7.	बगबेरा	करानडीह	बगबेरा
8.	डुबरा	करानडीह	डुबरा
9.	इटागढ़	राजनगर	इटागढ़
10.	हलुडपुकुर	पोटका	हलुडपुकुर
11.	जुरी	पोटका	जुरी
12.	पोटका	पोटका	पोटका
13.	संगराइन	पोटका	संगराइन
14.	खाइरपल	पोटका	खाइरपल
15.	भालकी	पोटका	भालकी
16.	कोवाली	पोटका	कोवाली

1	2	3	4
17.	नारडा	पोटका	नारडा
18.	छाकरी	पोटका	छाकरी
19.	टंगराइन	पोटका	टंगराइन
20.	गोबिन्दपुर	राजनगर	गोबिन्दपुर
21.	जुमाल	राजनगर	जुमाल
22.	बी. कुटुम्ब	राजनगर	बी. कुटुम्ब
23.	रसूनछोपा	पोटका	रसूनछोपा
24.	पटमडा	पटमडा	पटमडा
25.	बिदरा	पटमडा	बिदरा
26.	बांगुरडा	पटमडा	बडा बांगुरडा
27.	छोटा बांगुरडा	पटमडा	छोटा बांगुरडा
28.	कमालपुर	पटमडा	कमालपुर
29.	रसिकनगर	पटमडा	सुसहनी बाजार
30.	माधोपुर	पटमडा	माधोपुर
31.	बोराम	पटमडा	बोराम
32.	बी. छिरका	पटमडा	बी. छिरका
33.	कुइनी	पटमडा	कुइनी
34.	कुइरा	पटमडा	कुइरा
35.	बेलडीह	पटमडा	बेलडीह
36.	लवजोरा	पटमडा	लवजोरा
37.	डिगही	पटमडा	डिगही
38.	कुमीर	पटमडा	कुमीर
39.	बनकुछिया	पटमडा	बनकुछिया
40.	चिरुडीह	पटमडा	चिरुडीह
41.	गोबरघुसी	पटमडा	गोबरघुसी
42.	पगडा	पटमडा	पगडा
43.	जोरसिया	पटमडा	जोरसिया

1	2	3	4
44.	लचीपुर	पटमडा	लचीपुर
45.	कसमार	पटमडा	कसमार
46.	जे. मिनेस	पोटका	जे. मिनेस
47.	राजडोहा	पोटका	राजडोहा
48.	भाटिन	पोटका	भाटिन
49.	घिरोल	पोटका	घिरोल
50.	बनगो	पोटका	बनगो
51.	कालीकपुर	पोटका	कालीकपुर
52.	मानपुर	पोटका	मानपुर
53.	बुटगोरा	पोटका	बुटगोरा
54.	अमलाटोला	पोटका	अमलाटोला
55.	असानबानी	पोटका	असानबानी
56.	डोरकसइ	पोटका	डोरकसइ
57.	घाटसिला	घाटसिला	घाटसिला
58.	सूरडा मिनस	एम. मिनेस	सूरडा मिनस
59.	केनदाडीह	घाटसिला	केनदाडीह
60.	बाराजुरी	घाटसिला	बाराजुरी
61.	झानतीझरना	घाटसिला	झानतीझरना
62.	इडेलबेरा	घाटसिला	इडेलबेरा
63.	कोराडोवा	घाटसिला	कोराडोवा
64.	डोवा	घाटसिला	डोवा
65.	असना	घाटसिला	असना
66.	पुनगोरा	घाटसिला	पुनगोरा
67.	हालडाजुरी	घाटसिला	हालडाजुरी
68.	मोहनपुर	घाटसिला	मोहनपुर
69.	बनकटी	घाटसिला	बनकटी
70.	सुन्दरनगर	करानडीह	सुन्दरनगर

1	2	3	4
71.	गिटीलता	करानडीह	गिटीलता
72.	शंकारडा	पोटका	शंकारडा
73.	नारवापहार	पोटका	नारवापहार
74.	केदमुंडी	राजनगर	केदमुंडी
75.	तुमांग	राजनगर	तुमांग
76.	मांगो	करानडीह	मांगो
77.	भिलाइपहारी	करानडीह	भिलाइपहारी
78.	पिपला	करानडीह	पिपला
79.	हिराचुनी	करानडीह	हिराचुनी
80.	कपाली	करानडीह	कपाली
81.	राखा कोपर प्रोजेक्ट	पोटका	आर. सी.
82.	राखा मिनेस	पोटका	राखा मिनेस
83.	एम. मिनेस	एम. मिनेस	एम. मिनेस
84.	बडिया	एम. मिनेस	बडिया
85.	डुमरइ	डुमरइ	डुमरइ
86.	बाघबांडी	डुमरइ	बाघबांडी
87.	बाराबोटला	डुमरइ	बाराबोटला
88.	बाराबोटला	डुमरइ	बाराबोटला
89.	बांकीसोले	डुमरइ	बांकीसोले
90.	फोंडराइ वर्क	करानडीह	एफ. वर्क
91.	एमजीएम कॉलेज	करानडीह	एमजीएम कॉलेज
92.	अजादनगर	करानडीह	अजादनगर
93.	सोनारी	करानडीह	सोनारी
94.	काडमा	करानडीह	काडमा
95.	जुगसलेइ	करानडीह	जुगसलेइ
96.	बी. मिनेस	करानडीह	बी. मिनेस
97.	अदित्यापुर	गामहराइ	आदित्यापुर
98.	ए. आई. एरिया	गामहराइ	ए. आई. एरिया
99.	आरआइटी	गामहराइ	एनआईटी जमशेदपुर
100.	लावबासा	गामहराइ	लावबासा
101.	छोटा गोविन्दपुच	करिनडीह	छोटा गोविन्दपुच
102.	बिरसानगर	करिनडीह	बिरसानगर
103.	बेकु	जमशेदपुर	बेकु
104.	सुकलेरा	जमशेदपुर	सुकलेरा
105.	काराकुरसी	जमशेदपुर	काराकुरसी
106.	छुरिनदा	घाटसिला	छुरिनदा
107.	केशारपुर	घाटसिला	केशारपुर
108.	हेनडालजुरी	घाटसिला	हेनडालजुरी
109.	पानडुडा	डी.गढ़	पानडुडा
110.	रौतारा	डी.गढ़	रौतार
111.	बलियागुरी	डी.गढ़	बलियागुरी
112.	मटियाबंधी	डी.गढ़	मटियाबंधी
113.	नूतनगढ़	डी.गढ़	नूतनगढ़
114.	भालकी	डी.गढ़	भालकी
115.	कांटाबारी	डी.गढ़	कांटाबारी
116.	कलीम	डी.गढ़	कलीम
117.	गोहेलछांगा	डी.गढ़	गोहेलछांगा
118.	मोहुलियसोले	डी.गढ़	मोहुलियसोले
119.	कोकपारा	डी.गढ़	कोकपारा
120.	मुरालथाकरा	डी.गढ़	मुरालथाकरा
121.	पिटाजुरी	डी.गढ़	पिटाजुरी
122.	एस.एस.पुर	डी.गढ़	एस.एस.पुर

1	2	3	4
123.	सिंहपुरा	डी.गढ़	सिंहपुरा
124.	अर्जुनबेरा	डी.गढ़	अर्जुनबेरा
125.	गुराबांदहा	डी.गढ़	गुराबांदहा
126.	बालीजुरी	डी.गढ़	बालीजुरी
127.	भालुकबिन्दा	छाकुलिया	भालुकबिन्दा
128.	कालापठार	छाकुलिया	कालापठार
129.	बारिदकानपुर	छाकुलिया	बारिदकानपुर
130.	बालीबांध	छाकुलिया	बालीबांध
131.	सिमडीह	छाकुलिया	सिमडिह
132.	भांडरु	छाकुलिया	भांडरु
133.	केनडाडांगरी	छाकुलिया	केनडाडांगरी
134.	कालीदासपुर	छाकुलिया	कालीदासपुर
135.	बेन्द	छाकुलिया	बेन्द
136.	अमलागोरा	छाकुलिया	अमलागोरा
137.	कारा मारा	छाकुलिया	कारा मारा
138.	मुराल	छाकुलिया	मुराल
139.	सोला सोली	छाकुलिया	सोला सोली
140.	गानडनटा	बी.गोरा	गानडनटा
141.	कटसोले	बी.गोरा	कटसोले
142.	मानसमुरिया	बी.गोरा	मानसमुरिया
143.	रुपासकुंडी	बी.गोरा	रुपासकुंडी
144.	सारडीहा	बी.गोरा	सारडीहा
145.	बेरासोली	बी.गोरा	बेरासोली
146.	जारापाल	बी.गोरा	जारापाल
147.	केसारडा	बी.गोरा	केसारडा
148.	डांडूडीही	बी.गोरा	डांडूडीही
149	चांदरापुर	बी.गोरा	चांदरापुर
150.	माटीहाना	बी.गोरा	माटीहाना
151.	खानडा मौडा	बी. गोरा	खानडा मौडा
152.	एरोंग	बी.गोरा	एरोंग
153.	जयपुरा	बी.गोरा	जयपुरा
154.	आर. सी. पुर	बी.गोरा	आर. सी. पुर
155.	घासपाडा	बी.गोरा	घासपाडा
156.	छोटा पुरुलिया	बी.गोरा	छोटा पुरुलिया
157.	कुमारडुबी	छाकुलिया	कुमारडुबी
158.	डारखुली	बी.गोरा	डारखुली
159.	मलूवा	बी.गोरा	भलूवा
160.	चित्तेश्वर	बी.गोरा	चित्तेश्वर
161.	बारागोरिया	बी.गोरा	बारोगोरिया
162.	गोमारिया	बी.गोरा	गोमारिया
163.	जामसोला	बी.गोरा	जामसोला
164.	काइमी	बी.गोरा	काइमी
165.	माउडा	बी.गोरा	माउडा
166.	बेनडा	बी.गोरा	बेनडा
167.	बामडोल	बी.गोरा	बामडोल
168.	गुहियापाल	बी.गोरा	गुहियापाल
169.	अंगारपारा	बी.गोरा	अंगारपारा
170.	मुराकाटी	बी.गोरा	मुराकाटी
171.	काइमा	बी.गोरा	काइमा
172.	डोमजुरी	बी.गोरा	डोमजुरी
173.	बहारगोरा	बी.गोरा	बहारगोरा
174.	छाकुलिया	छाकुलिया	छाकुलिया
175.	ढालभूमगढ़	डी.गढ़	ढालभूमगढ़
176.	महुलिया	घाटसिला	महुलिया
177.	बिसतुपुर गेट	करानडीह	बिसतुपुर गेट

1	2	3	4
178.	बिसतुपुर बाजार	करानडीह	बिसतुपुर बाजार
179.	साक्षी कोर्ट	करानडीह	साक्षी कोर्ट
180.	साक्षी	करानडीह	साक्षी
181.	एगरिको	करानडीह	एगरिको
182.	गोलमुरी	करानडीह	गोलमुरी
183.	बारीडीह	करानडीह	बारीडीह
184.	केबल टाउनशिप	करानडीह	केबल टाउनशिप
185.	इंदारनगर	करानडीह	इंदारनगर
186.	टेलको जी. एम.	करानडीह	टेलको
187.	टेलको वर्क	करानडीह	टेलको
188.	प्लाजा मार्केट	करानडीह	टेलको
189.	गोविन्दपुर हुसैन कालोनी	परसूदीह	गोविन्दपुर हुसैन कालोनी
190.	रहारगोरा	परसूदीह	रहारगोरा
191.	कालीमाटी मार्केट	परसूदीह	
192.	मउभांडर	परसूदीह	
193.	सुन्दरनगर	परसूदीह	

क्रम सं.	डाकघर का नाम	तहसील/तालूक/ब्लॉक का नाम जिसमें स्थित है।	जहां लागू हो उस गांव का नाम जहां स्थित है।
1	2	3	4
जिला सेराइकेला			
1.	अमदा	खरसावन गढ़	खरसावन
2.	खरसावन गढ़	खरसावन	खरसावन गढ़
3.	राजनगर	राजनगर	राजनगर
4.	सेराइकेला	सेराइकेला	सेराइकेला
5.	अरवान	कुछाइ	अंधारी
6.	बाराचिरु	खूंटपानी	बाराचिरु
7.	बारालेगइ	खूंटपानी	बारालेगइ
8.	बारकेला	खूंटपानी	बारकेला
9.	डलभंगा	कुछाइ	डलभंगा
10.	ढोलाडीह	राजनगर	ढोलाडीह
11.	गलूडीह	कुछाइ	गलूडीह
12.	गुलिया	राजनगर	गुलिया
13.	गोपीडीह	कुछाइ	गोपीडीह
14.	इछा	राजनगर	इछा
15.	झालक	राजनगर	झालक
16.	केशरगरिया	राजनगर	केशरगरिया
17.	खूंटपानी	खूंटपानी	खूंटपानी
18.	कुछाइ	कुछाइ	कुछाइ
19.	पदमपुर	खरसावान गढ़	पदमपुर
20.	पंडरासाली	खूंटपानी	पंडरासाली
21.	पथानमारा	सेराइकेला	पथानमारा
22.	पुरनैया	खूंटपानी	पुरनैया
23.	रोरो	खूंटपानी	रोरो
24.	सारदा	खूंटपानी	सारदा
25.	सेराइकेला ब्लॉक	सेराइकेला	मानिक बारा
26.	तबलापुर	सेराइकेला	तबलापुर
27.	सिनि	खरसावान	
28.	बुरुडीह	खरसावा	
29.	दुगनी	गमहरिया	
30.	कोलेबेरा	गमहरिया	
31.	केनदुआ	खरसावान	
32.	मुंडाटांड	सराइकेला	
33.	मधुपुर	गमहरिया	

1	2	3	4
34.	नाराणपुर	गमहरिया	
35.	नागटसाइ	खरसावान	
36.	रायडीह	गमहरिया	
37.	सिंधुकोपा	सराइकेला	
38.	सिंदरी	सराइकेला	
39.	चांदिल	चांदिल	
40.	अदरडीह	नीमडीह	
41.	बामनी	नीमडीह	
42.	बामनी चेलियामा	नीमडीह	
43.	बरेदा	चांदिल	
44.	भादूडीह	चांदिल	
45.	चैनपुर	चांदिल	
46.	चिलगु	चांदिल	
47.	घोरालिंग	नीमडीह	
48.	जुगिलोंग	चांदिल	
49.	कानदेरबारा	नीमडीह	
50.	मधुपुर	नीमडीह	
51.	नीमडीह	नीमडीह	
52.	पोखरिया	नीमडीह	
53.	सिमागुंडा	चांदिल	
54.	तनकोछा	नीमडीह	
55.	तिल्ला	चांदिल	
56.	काशीपुर	चांदिल	
57.	छोवका	इछागढ़	
58.	बानसा	चांदिल	
59.	बानदु	इछागढ़	
60.	बुरुहादु	इछागढ़	

1	2	3	4
61.	छिपरी	इछागढ़	
62.	देओलटांड	इछागढ़	
63.	घाटदुलमी	चांदिल	
64.	गौरांग कोलमा	इछागढ़	
65.	हेसाकोछा	चांदिल	
66.	झाबरी	चांदिल	
67.	खूंटी	चांदिल	
68.	माशीडीह	इछागढ़	
69.	लेपाटांड	इछागढ़	
70.	माइसारा	इछागढ़	
71.	नदिसाइ	इछागढ़	
72.	पाठकुम	इछागढ़	
73.	सिदडीह	चांदिल	
74.	तमारी	इछागढ़	
75.	टिकार	इछागढ़	
76.	दुटा	इछागढ़	
77.	उरमाल	चांदिल	
78.	गमहरिया	गमहरिया	
79.	बारामारी	गमहरिया	
80.	बुरुडीह	गमहरिया	
81.	दुगधा	गमहरिया	
82.	नवागढ़	गमहरिया	
83.	कानदरा	गमहरिया	
84.	डुडु	गमहरिया	
85.	सीकेपी	इछागढ़	
86.	चौरा	इछागढ़	
87.	दुलमी	इछागढ़	

1	2	3	4
88.	इछागढ़	इछागढ़	
89.	जानुम	नीमडीह	
90.	कुकरु	इछागढ़	
91.	मुरु	नूमडीह	
92.	शिरुम	नूमडीह	
93.	सितु	नूमडीह	
94.	सोरा	नूमडीह	
95.	छोटाबांदी		
96.	रोला		
97.	जारापाल		

क्रम सं.	डाकघर का नाम	तहसील/तालूक/ ब्लॉक का नाम जिसमें स्थित है।	जहां लागू हो उस गांव का नाम जहां स्थित है।
1	2	3	4
जिला पश्चिम सिंहभूम			
1.	केडछलाम		
2.	चाइबासा एच. ओ.	चाइबासा	चाइबासा
3.	बाराजामदा	नौमुंडी	बाराजामदा
4.	बारी बरान चाइबासा	चाइबासा	चाइबासा
5.	डांगुवापोसी	जगन्नाथपुर	डांगुवापोसी
6.	डीएसइ चाइबास	चाइबासा	चाइबासा
7.	गुवा	नौमुंडी	गुवा
8.	हाटगमरिया	झींकपानी	हाटगमरिया
9.	जगन्नाथपुर	जगन्नाथपुर	जगन्नाथपुर
10.	झींकपानी	झींकपानी	झींकपानी
11.	किरिबुरु बेस कैम्प	नौमुंडी	किरिबुरु बेस कैम्प
12.	मेघाहादु बुरु	नौमुंडी	मेघाहादु बुरु
13.	नौमुंडी	नौमुंडी	नौमुंडी
14.	नौमुंडी बाजार	नौमुंडी	नौमुंडी
15.	टाटा कालेज चाइबासा	चाइबासा	चाइबासा
16.	अंधारी	कुमारडुंगी	अंधारी
17.	असूरा	झींकपानी	असूरा
18.	बारामुइरा	चाइबासा	बारामुइरा
19.	बारालगरा	मझगांव	बारालगरा
20.	बारकुंडिया	चाइबासा सादर	बारकुंडिया
21.	बालॉंघिया	झींकपानी	बालांघिया
22.	बाराजामबिनी	कुमारडुंगी	बाराजामबिनी
23.	बलिबांध	मझगांव	बलिबांध
24.	बाराझींकपानी	टोनटो	बाराझींकपानी
25.	बराइबुरु	नौमुंडी	बराइबुरु
26.	बेनी सागर	मझगांव	बेनी सागर
27.	भाग बिल्ला	मंझारी	भाग बिल्ला
28.	भार भरिया	मंझारी	भार भरिया
29.	भोया	खुंटपानी	भोया
30.	बेनसाइ करांजिया	जगन्नाथपुर	बेनसाइ करांजिया
31.	चिट्टीमिटी	टन्नागढ़	चिट्टीमिटी
32.	डालकी	झींकपानी	डालकी
33.	धोबा धोबिन	मझगांव	धोबा धोबिन
34.	धागरी	चाइबासा	धागरी
35.	गिटिलिपी	मझगांव	गिटिलिपी
36.	गुमुरिया	जगन्नाथपुर	गुमुरिया
37.	जगन्नाथ	जगन्नाथपुर	जगन्नाथ

1	2	3	4
38.	जामडीह	टांटो	जामडीह
39.	जोजो कैम्प	नौमुंडी	जोजो कैम्प
40.	जेटेया	नौमुंडी	जेटेया
41.	करांजिया	जगन्नाथपुर	करांजिया
42.	काठबारी	टांटनगर	काठबारी
43.	खैरपाल	मंझगांव	खैरपाल
44.	खारबांध	कुमारडुंगी	खारबांध
45.	खेरियाटांगर	टांटनगर	खेरियाटांगर
46.	कोछरा	झींकपानी	कोछरा
47.	कोकछो	टांटनगर	कोकछो
48.	खारपोसे	मंझगांव	खारपोसे
49.	कोटगढ़	नौमुंडी	कोटगढ़
50.	कुमारडुंगी	कुमारडुंगी	कुमारडुंगी
51.	कुंडियाधार	कुमारडुंगी	कुंडियाधार
52.	मंझगांव	मंझगांव	मंझगांव
53.	मलूका	जगन्नाथपुर	मलूका
54.	नाकाहासा	चाइबासा	नाकाहासा
55.	नारसांदा	चाइबासा	नारसांदा
56.	नयागांव आश्रम	मंझगांव	नयागांव आश्रम
57.	नवागांव	झींकपानी	नवागांव
58.	परसागढ़ केशना	मंझगांव	पेरसम्र
59.	पिलका	मंझारी	पिलका
60.	पांगा	मंझारी	पांगा
61.	पुरनापानी	टोनटो	पुरनापानी
62.	रुइया	झींकपानी	रुइया
63.	सिंदरी गौरी	झींकपानी	सिंदरी गौरी

1	2	3	4
64.	सिंघपोखरिया	जगन्नाथपुर	सिंधपोखरिया
65.	सियालजोरा	जगन्नाथपुर	सियालजोरा
66.	श्रंगासिया	टोनटो	श्रंगासिया
67.	सुरजाबासा	झींकपानी	सुरजाबासा
68.	टी.बी. दुमारिया	कुमारडुंगी	दुमारिया
69.	टांटनगर	टांटनगर	टांटनगर
70.	टोनटो (सीगीएसए)	मंझारी	टोनटो
71.	टोनटो (जे/पानी)	टोनटो	टोनटो
72.	चक्रधारपुर	चक्रधारपुर	
73.	बाइपी	बंधगगांव	
74.	भालूपानी	खरसावान	
75.	बाराबामबू	चक्रधारपुर	
76.	चैनपुर खास	चक्रधारपुर	
77.	चिरुबेरा	चक्रधारपुर	
78.	गोपीनाथपुर	चक्रधारपुर	
79.	हथिया	चक्रधरपुर	
80.	हेसाकुटी	चक्रधारपुर	
81.	जामिद	चक्रधारपुर	
82.	झारझारा	चक्रधारपुर	
83.	जोजोकुरमा	खरसावान	
84.	खेरा	चक्रधारपुर	
85.	कराइकेला	बंधगांव	
86.	लोटापहार	सोनुवा	
87.	माहुलपानी	चक्रधारपुर	
88.	नकटी	बंधगांव	
89.	ओटार	बंधगांव	

1	2	3	4
90.	रोलाडीह	चक्रधारपुर	
91.	सरजामहाटू	सोनुवा	
92.	टोकलो	चक्रधारपुर	
93.	उंचीबेटा	चक्रधारपुर	
94.	सीकेपी बाजार	चक्रधारपुर	
95.	सीकेपी कालोनी	चक्रधारपुर	
96.	चिरिया	मनोहरपुर	
97.	सनाइ	मनोहरपुर	
98.	छोटानगरा	मनोहरपुर	
99.	गोइलकेरा	गोइलकेरा	
100.	बारी	सोनुवा	
101.	काइरम	गोइलकेरा	
102.	टुनियांगंजपुर	सोनुवा	
103.	सोनुवा	सोनुवा	
104.	असानतलिया	सोनुवा	
105.	भालूरुंगी	सोनुवा	
106.	जाराकेल	सोनुवा	
107.	कुइरा	गोइलकेरा	
108.	लोंगो	सोनुवा	
109.	मनोहरपुर	मनोहरपुर	
110.	बाइकेरा	मनोहरपुर	
111.	बारपोस	मनोहरपुर	
112.	डुमरिटा	मनोहरपुर	
113.	पहेरपागा	गोइलकेरा	
114.	पोसाइटा	मनोहरपुर	
115.	रायानन्दपुर	मनोहरपुर	
116.	रोबकेरा	मनोहरपुर	
117.	उरकिया	मनोहरपुर	

क्रम सं.	डाकघर का नाम	तहसील/तालूक/ब्लॉक का नाम जिसमें स्थित है।	जहां लागू हो उस गांव का नाम जहां स्थित है।
1	2	3	4
जिला पलामू			
1.	डालटनगंज एच. ओ	डालटनगंज	एन/ए
2.	बेलवाटिकार	डालटनगंज	बेलवाटिकार
3.	छत्तरपुर	छत्तरपुर	छत्तरपुर
4.	बमानडीह	छत्तरपुर	बमानडीह
5.	बिसुनपुर	छत्तरपुर	बिसुनपुर
6.	छपारवार	छत्तरपुर	छपारवार
7.	छिराइ	छत्तरपुर	छिराइ
8.	डगारा	छत्तरपुर	डगारा
9.	डली	छत्तरपुर	डली
10.	गुलाबझारी	छत्तरपुर	गुलाबझारी
11.	खैरादोहार	छत्तरपुर	खैरादोहार
12.	खडगपुर	छत्तरपुर	खडगपुर
13.	कौवाल	छत्तरपुर	कौवाल
14.	मझौली	छत्तरपुर	मझौली
15.	मुनकेरी	छत्तरपुर	मुनकेरी
16.	नामुदाग	छत्तरपुर	नामुदाग
17.	नौवडीहा बाजार	छत्तरपुर	नौवडीहा बाजार
18.	नौवडीहा खजुरी	छत्तरपुर	नौवडीहा खजुरी
19.	नवा बाजार	छत्तरपुर	नवा बाजार
20.	पछमो	छत्तरपुर	पछमो
21.	पिपरा	छत्तरपुर	पिपरा
22.	सकालडिपा	छत्तरपुर	सकालडिपा
23.	सराइडीह	छत्तरपुर	सराइडीह

1	2	3	4
24.	सारसोट	छत्तरपुर	सारसोट
25.	टेलारी	छत्तरपुर	टेलारी
26.	उदयगढ़	छत्तरपुर	उदयगढ़
27.	डालटनगंज बाजार	डालटनगंज	डालटनगंज बाजार
28.	डालटनगंज बाजार	डालटनगंज	डालटनगंज कालेज
29.	चियांकी	डालटनगंज	चियांकी
30.	आई. इ. सुदना	डालटनगंज	आई. इ. सुदना
31.	सोव	डालटनगंज	सोव
32.	सिंगराखुर्द	डालटनगंज	सिंगराखुर्द
33.	जोगियाहीटोली	डालटनगंज	जोगियाहीटोली
34.	डालटनगंज कचहरी	डालटनगंज	डालटनगंज कचहरी
35.	हमीदगंज	डालटनगंज	हमीदगंज
36.	हैदरनगर	हैदरनगर	हैदररगन
37.	बिलासपुर	हैदरनगर	हैदरनगर
38.	चौकरी	हैदरनगर	चौकरी
39.	कबराखुर्द	हैदरनगर	कबराखुर्द
40.	कोसियारा	हैदरनगर	कोसियारा
41.	कुकही	हैदरनगर	कुकही
42.	पनसा	हैदरनगर	पनसा
43.	सुंदीपुर	हैदरनगर	सुंदीपुर
44.	जापला	हुसैनाबाद	जापला
45.	अलिनगर	हुसैनाबाद	अलिनगर
46.	बराही	हुसैनाबाद	बराही
47.	डांगवार	हुसैनाबाद	डांगवार
48.	दरुवाबेनी	हुसैनाबाद	दरुवाबेनी

1	2	3	4
49.	झारगारा	हुसैनाबाद	झारगारा
50.	जोगा जामडीहा	हुसैनाबाद	जोगा जामडीहा
51.	कामगारपुर	हुसैनाबाद	कामगारपुर
52.	कुशा	हुसैनाबाद	कुशा
53.	कजरत नवाडीह	हुसैनाबाद	कजरत नवाडीह
54.	लथेया	हुसैनाबाद	लथेया
55.	महुवारी	हुसैनाबाद	महुवारी
56.	पोलडीह जगदीशपुर	हुसैनाबाद	पोलडीह जगदीशपुर
57.	साबानो	हुसैनाबाद	साबानी
58.	उंटारी रोड़	हुसैनाबाद	उंटारी रोड़
59.	जपना सी.एफ.		जपला सी. एफ
60.	लेसलीगंज	लेसलीगंज	लेसलीगंज
61.	असेहार	लेसलीगंज	असेहार
62.	बांसडीह	लेसलीगंज	बांसडीह
63.	बसौरा	लेसलीगंज	बसौरा
64.	चम्पी	लेसलीगंज	चम्पी
65.	धानगांव	लेसलीगंज	धानगांव
66.	गुरहा	लेसलीगंज	गुरहा
67.	गेनथा	लेसलीगंज	गेनथा
68.	गुरवा	लेसलीगंज	गुरवा
69.	काजीपकरी	लेसलीगंज	काजीपकरी
70.	कुनरी पीसीओ	लेसलीगंज	कुनरी पीसीओ
71.	मांझीगांव	लेसलीगंज	मांझीगांव
72.	पथकपागर	लेसलीगंज	पथकपागर
73.	फुलंग	लेसलीगंज	फुलंग
74.	रजवाडीह	लेसलीगंज	रजवाडीह
75.	सागलीम	लेसलीगंज	सागलीम

1	2	3	4
76.	संगबार	लेसलीगंज	संगबार
77.	सिलदीलाकला	लेसलीगंज	सिलदीलाकला
78.	तरहासी	लेसलीगंज	तरहासी
79.	ठाकुरेडाबरा	लेसलीगंज	ठाकुरेडाबरा
80.	मुहम्मदगंज	हुसैनाबाद	मुहम्मदगंज
81.	बेलहाट	हुसैनाबाद	बेलहाट
82.	हरिहरपुर	हुसैनाबाद	हरिहरपुर
83.	कंदी	हुसैनाबाद	कंदी
84.	कुशाहा	हुसैनाबाद	कुशाहा
85.	लमारीकला	हुसैनाबाद	लमारीकला
86.	कदालकुर्मी	हुसैनाबाद	कदालकुर्मी
87.	मोरवे	हुसैनाबाद	मोरवे
88.	मंझीयाओं	हुसैनाबाद	मंझीयाओं
89.	सतवाहिनी	हुसैनाबाद	सतवाहिनी
90.	सोनौरा	हुसैनाबाद	सोनौरा
91.	शिवपुर	हुसैनाबाद	शिवपुर
92.	जयनगर	हुसैनाबाद	जयनगर
93.	गोराडीह	हुसैनाबाद	गोराडीह
94.	पंकी	पंकी	पंकी
95.	अंबाबर	पंकी	अंबाबर
96.	बलियारी	पंकी	बलियारी
97.	द्वारिका	पंकी	द्वारिका
98.	दंदरकलां	पंकी	दंदरकलां
99.	ध्रुव	पंकी	ध्रुव
100.	लोहारसी	पंकी	लोहारसी
101.	कसमार	पंकी	कसमार
102.	कोनवै	पंकी	कोनवे

1	2	3	4
103.	टिट्रेन	पंकी	टिट्रेन
104.	उदयपुर	पंकी	उदयपुर
105.	चमपीकाला	पंकी	चमपीकाला
106.	ताल	पंकी	ताल
107.	पाटन	पाटन	पाटन
108.	चाक	पाटन	चाक
109.	चेतमा	पाटन	चेतमा
110.	लामीपतरा	पाटन	लामीपतरा
111.	गहारपथरा	पाटन	गहारपथरा
112.	दुलही	पाटन	दुलही
113.	दिपाउवा	पाटन	दिपाउवा
114.	बाइदाकालन	पाटन	बाइदाकालन
115.	लोंइगा	पाटन	लोंइगा
116.	कानकेकालन	पाटन	कानकेकालन
117.	किशनपुर	पाटन	किशनपुर
118.	मनातु	पाटन	मनातु
119.	नवाजयपुर	पाटन	नवाजयपुर
120.	नौडीहा	पाटन	नौडीहा
121.	पदमा	पाटन	पदमा
122.	पांडेपुरा	पाटन	पांडेपुरा
123.	पालहेलकलन	पाटन	पालहेलकलन
124.	रोल	पाटन	रोल
125.	सिरमा	पाटन	सिरमा
126.	सिक्किकलन	पाटन	सिक्किकलन
127.	रेहला	बिश्रामपुर	रेहला
128.	बासना	बिश्रामपुर	बासना
129.	बानदर	बिश्रामपुर	बानदर

1	2	3	4
130.	बेलछामपा	बिश्रामपुर	बेलछामपा
131.	भिखाही	बिश्रामपुर	भिखाही
132.	डांडा	बिश्रामपुर	डांडा
133.	डिहारे	बिश्रामपुर	डिहारे
134.	गरी	बिश्रामपुर	गरी
135.	घराटिया	बिश्रामपुर	घराटिया
136.	कजराखुर्द	बिश्रामपुर	कजराखुर्द
137.	केटाटकलन	बिश्रामपुर	केटाटकलन
138.	कोधवान	बिश्रामपुर	कोधवान
139.	कोनडा	बिश्रामपुर	कोनडा
140.	लालगढ़	बिश्रामपुर	लालगढ़
141.	मुरमाकलन	बिश्रामपुर	मुरमाकलन
142.	नौगरहा	बिश्रामपुर	नौगरहा
143.	पांडु	बिश्रामपुर	पांडु
144.	रतनग	विश्रामपुर	रतनग
145.	राजहारा आर.एस.	डालटनगंज	राजहारा आर.एस.
146.	सिगसिगी	बिश्रामपुर	सिगसिगी
147.	संगराहकला	डालटनगंज	संगराहकला
148.	तिसिबार	बिश्रामपुर	तिसिबार
149.	टोलेरा	बिश्रामपुर	टोलेरा
150.	बिश्रामपुर	बिश्रामपुर	बिश्रामपुर
151.	कुटमु	बिश्रामपुर	कुटमु
152.	राजहारा	डालटनगंज	राजहारा
153.	राजचैनपुर	राजचैनपुर	राजचैनपुर
154.	चांदो	राजचैनपुर	चांदो
155.	हरिनामर	राजचैनपुर	हरिनामर
156.	कटील	राजचैनपुर	कटील
157.	महुगवान	राजचैनपुर	महुगवान
158.	नवाडीह	राजचैनपुर	नवाडीह
159.	नरसिंहपुर	राजचैनपुर	नरसिंहपुर
160.	पुरबडीहा	राजचैनपुर	पुरबडीहा
161.	रामगढ़	राजचैनपुर	रामगढ़
162.	सलाटोव	राजचैनपुर	सलाटोव
163.	सेमरा	राजचैनपुर	सेमरा
164.	शापुर	राजचैनपुर	शापुर
165.	तलैया बमनडीह	राजचैनपुर	तलैया बमनडीह
166.	सतबरवा	सतबरवा	सतबरवा
167.	बकोरिया	सतबरवा	बकोरिया
168.	बरवाइया	सतबरवा	बरवाइया
169.	धवाडीह	सतबरवा	धवाडीह
170.	झाबर	सतबरवा	खामडीह
171.	खामडीह	सतबरवा	खामडीह
172.	मनिका	मनिका	मनिका
173.	मटलौंग	सतबरवा	मटलौंग
174.	पलहेया	सतबरवा	पलहेया
175.	पोलपोल	सतबरवा	पोलपोल
176.	रंकाकला	सतबरवा	रंकाकला
177.	बरियातु जागीर	लतेहार	बरियातु जागीर

क्रम सं.	डाकघर का नाम	तहसील/तालूक/ ब्लॉक का नाम जिसमें स्थित है।	जहां लागू हो उस गांव का नाम जहां स्थित है।
1	2	3	4
जिला लातेहार			
1.	बालूमाथ	बालूमाथ	बालूमाथ
2.	बरिखाप	बालूमाथ	बरिखाप
3.	बालूभांग	बालूमाथ	बालूभांग

1	2	3	4
4.	बेसरा	बालूमाथ	बेसरा
5.	चेदरा	बालूमाथ	चेदरा
6.	चिरु	बालूमाथ	चिरु
7.	डहु नवादा	बालूमाथ	डहु नवादा
8.	डारहा	बालूमाथ	डारहा
9.	गणेशपुर	बालूमाथ	गणेशपुर
10.	गढ़गोमा	बालूमाथ	गढ़गोमा
11.	हेरहांज	बालूमाथ	हेरहांज
12.	इचक	बालूमाथ	इचक
13.	झाबर	बालूनाथ	झाबर
14.	मारंगलोइया	बालूनाथ	मारंगलोइया
15.	मुरपा	बालूनाथ	मुरपा
16.	फुलसु	बालूमाथ	फुलसु
17.	सेरेगारा	बालूमाथ	सेरेगारा
18.	सिबला	बालूनाथ	सिबला
19.	होलोंग	बालूमाथ	होलोंग
20.	सेरेगदाह	बालूमाथ	सेरेगदाह
21.	बरवाडीह	बरवाडीह	बरवाडीह
22.	बेतला नेशनल पार्क	बरवाडीह	बेतला नेशनल पार्क
23.	हट्टर कोलियारी	बरवाडीह	हट्टर कोलियारी
24.	सरायडीह पोखरी	बरवाडीह	सरायडीह पोखरी
25.	छेनछा	बनवाडीह	छेनछा
26.	मोरबाइकला	बरवाडीह	मोरबाइकला
27.	मायापुर	बरवाडीह	मायापुर
28.	छिपादोहार	छिपादोहार	छिपादोहार
29.	बरेसार	छिपादोहार	बरेसार
30.	चुंगरु	छिपादोहार	चुगरु
31.	केड	छिपादोहार	केड
32.	गारु	छिपादोहार	गारु
33.	कोटाम	छिपादोहार	कोटम
34.	कुमानडीह	छिपादोहार	कुमानडीह
35.	लाट	छिपादोहार	लाट
36.	मुंडु	छिपादोहार	मुंडु
37.	करवाइ	छिपादोहार	करवाइ
38.	लतेहार	लातेहार	लतेहार
39.	बालू	लातेहार	बालू
40.	हेथपोचरा	लातेहार	हेथपोचरा
41.	जालिम	लातेहार	जालिम
42.	कैमा	लातेहार	कैमा
43.	कुरा	लातेहार	कुरा
44.	मरुप	लातेहार	मरुप
45.	मोंगर	लातेहार	मोंगर
46.	तेमकी	लातेहार	तेमकी
47.	उदयपुर	लातेहार	उदयपुर
48.	पांडेपुरा	लातेहार	पांडेपुरा
49.	बरियातु जागीर	लातेहार	बरियातु जागीर
50.	लतेहार आर.एस.	लातेहार	लतेहार आर.एस.
51.	देमू	लातेहार	देमू
52.	लेधपा	लातेहार	लेधपा
53.	लबरपुर	लातेहार	लबरपुर
54.	मक्का	लातेहार	मक्का
55.	नवागढ़	लातेहार	नवागढ़
56.	रिचुघुटा	लातेहार	रिचुघुटा

1	2	3	4
57.	सरजु	लातेहार	सरजु
58.	मंडल	मंडल	मंडल
59.	महुआडांड	महुआडांड	महुआडांड
60.	अक्सी	महुआडांड	अक्सी
61.	अराहांस	महुआडांड	अराहांस
62.	बराही	महुआडांड	बराही
63.	चटकपुर	महुआडांड	चटकपुर
64.	दुरुप	महुआडांड	दुरुप
65.	हामी	महुआडांड	हामी
66.	ओरसा	महुआडांड	ओरसा
67.	राजडांडा	महुआडांड	राजडांडा
68.	चंदवा	चंदवा	चंदवा
69.	भेहसादोन	चंदवा	भेहसादोन
70.	चाकला	चंदवा	चाकला
71.	हुतप	चंदवा	हुतप
72.	मलहान	चंदवा	मलहान
73.	रोल	चंदवा	रोल
74.	ससांग	चंदवा	ससांग
75.	सेरख	चंदवा	सेरख
76.	कामता	चंदवा	कामता
77.	आन	चंदवा	आन
78.	बारी	चंदवा	बारी
79.	दामोदर	चंदवा	दामोदर

क्रम सं.	डाकघर का नाम	तहसील/तालूक/ ब्लॉक का नाम जिसमें स्थित है।	जहां लागू हो उस गांव का नाम जहां स्थित है।
1	2	3	4
जिला गढ़वा			
1.	भवनाथपुर	भवानाथपुर	भवनाथपुर
2.	अमरोरा	भवानाथपुर	अमरोरा
3.	अरांगी	भवानाथपुर	अरांगी
4.	अरसाली	भवानाथपुर	अरसाली
5.	छपारी	भवानाथपुर	छपारी
6.	झागराखांड	भवानाथपुर	झागराखांड
7.	करिवाडीह	भवानाथपुर	करिवाडीह
8.	केटार	भवानाथपुर	केटार
9.	खरौंडीह	भवानाथपुर	खरौंडीह
10.	मकारी	भवानाथपुर	मकारी
11.	पंचाडुमार	भवानाथपुर	पंचाडुमार
12.	परसोडीह	भवानाथपुर	परसोडीह
13.	पिपरा	भवानाथपुर	पिपरा
14.	राज	भवानाथपुर	राज
15.	पारटीकुशवानी	भवानाथपुर	पारटीकुशवानी
16.	तरेलवा	भवानाथपुर	तरेलवा
17.	भावनाथ टीएस	भवानाथपुर	भावनाथ टीएस
18.	गढ़वा	गढ़वा	गढ़वा
19.	अनरंज नवाडीह	गढ़वा	अनरंज नवाडीह
20.	बेलहारा	गढ़वा	बेलहारा
21.	बेलाखंड	गढ़वा	बेलाखंड
22.	चिनिया	गढ़वा	चिनिया
23.	देवगाना	गढ़वा	देवगाना
24.	दुमारिया	गढ़वा	दुमारिया
25.	हसनदाह	गढ़वा	हसनदाह
26.	हुर	गढ़वा	हुर
27.	जरही	गढ़वा	जरही
28.	कल्याणपुर	गढ़वा	कल्याणपुर
29.	लगमा	गढ़वा	लगमा
30.	मेराल	गढ़वा	मेराल

1	2	3	4
31.	नवादा	गढ़वा	नवादा
32.	ओखारगरा	गढ़वा	ओखारगरा
33.	पेसका	गढ़वा	पेसका
34.	रानीचेरा	गढ़वा	रानीचेरा
35.	रंगाबावलिया	गढ़वा	रंगाबावलिया
36.	रनपुरा	गढ़वा	रनपुरा
37.	रारो	गढ़वा	रारो
38.	सोह	गढ़वा	सोह
39.	तिलदाग	गढ़वा	तिलदाग
40.	दनदइ	गढ़वा	दनदइ
41.	डोल	गढ़वा	डोल
42.	अतौला	गढ़वा	अतौला
43.	अदार	गढ़वा	अदार
44.	बरडीहा	गढ़वा	बरडीहा
45.	हरिगवान	गढ़वा	हरिगवान
46.	मंझियाओन	गढ़वा	मंझियाओन
47.	करुइ	गढ़वा	करुइ
48.	नगरउंटारी	नगरउंटारी	नगरउंटारी
49.	अम्बाखोरिया	धुरकी	अम्बाखोरिया
50.	अधौरा	नगरउंटारी	अधौरा
51.	भोजपुर	नगरउंटारी	भोजपुर
52.	चितबिसरांव	धुरकी	चितबिसरांव
53.	धुरकी	धुरकी	धुरकी
54.	कथरकला	नगरुनतरी	कथरकला
55.	हलुवंतकला	नगरुनतरी	हलुवंतकला
56.	महदेइया	नगरुनतरी	महादेइया
57.	बिरबल	नगरुमतरी	बिरबल
58.	जमुइ	नगरुनतरी	जमुइ
59.	रामना	रामना	रामना
60.	बाना	रामना	बाना
61.	बांका	रामना	बांका
62.	बुलका	रामना	बुलका
63.	भागोडीह	रामना	भागोडीह
64.	गमहरिया	रामना	गमहरिया
65.	गनियारीकला	रामना	गनियारीकला
66.	कचेया	रामना	कचेया
67	लटडाग	रामना	लटडाग
68.	मरवनियां	रामना	मरवनियां
69.	पिपराकला	रामना	पिपराकला
70.	रोहिला	रामना	रोहिला
71.	सोनहारा	रामना	सोनहारा
72.	टांडवा	रामना	टांडवा
73.	टाटीदिरी	रामना	टाटीदिरी
74.	सिलीदाह	रामना	सिलीदाह
75.	दवानकारा	रामना	दवानकारा
76.	रांकराज	रांका	रांकराज
77.	बंडू	रांका	बंडू
78.	बड़गढ़	रांका	बड़गढ़
79.	बैरिया	रांका	बैरिया
80.	गोडारमाना	रांका	गोडारमाना
81.	कंजिया	रांका	कंजिया
82.	करसो	रांका	करसो
83.	खजूटिया बरवाडीह	रांका	खजूटिया बरवाडीह
84.	नवा भंडारिया	रांका	नवा भंडारिया

1	2	3	4
85.	परासवार	रांका	परासवार
86.	रामकंद	रांका	रामकंद
87.	सेवाडीह	रांका	सेवाडीह
88.	श्रीबिश्रामपुर	रांका	श्रीबिश्रामपुर
89.	तमगेकला	रांका	तमगेकला
90.	उदयपुरा	रांका	उदयपुरा

[अनुवाद]

विशेषज्ञ से परामर्श के लिए लंबी प्रतीक्षा

3501. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सी जी एच एस लाभार्थियों विशेषकर पेंशनरों और उनके परिवार के सदस्यों को विशेषज्ञ से परामर्श करने के लिए लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ती है जैसा कि दिनांक 15 नवंबर, 2004 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित समाचार में बताया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जानी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) सी जी एच एस औषधालयों में सरकारी विशेषज्ञ में नियमित सलाह प्राप्त करने हेतु प्रतीक्षा अवधि लगभग तीन से छः सप्ताह है। तथापि, अति आवश्यक होने पर वरीयता के आधार पर मरीज को विशेषज्ञ सलाह उसी दिन औषधालय में प्रदान की जाती है या उसे विशेषज्ञ सलाह प्राप्त करने के लिए समीप के सरकारी अस्पतालों में रेफर कर दिया जाता है।

[हिन्दी]

बच्चों में रीढ़ की हड्डी में तपेदिक

3502. श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में बच्चों की रीढ़ की हड्डी में तपेदिक के लक्षण पाए गए हैं:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) बच्चों में इस रोग को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या महाराष्ट्र में बच्चों में हड्डी के तपेदिक के मामले पाया जाना अति सामान्य बात है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस रोग को रोकने के लिए राज्यों को कितनी सहायता दी गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) सभी क्षयरोगियों में पल्मनेरी प्रकार का क्षयरोग आम रूप से व्याप्त है। लगभग 15 प्रतिशत क्षयरोगी एक्सट्रा पल्मनरी हैं और ऐसे रोगियों में भी रीढ़ की हड्डी का क्षयरोग तीसरे नम्बर पर आता है। एक्सट्रा पल्मनरी रोगियों में रोग के स्थान के बारे में सूचना को नियमित प्रणाली में एकत्र नहीं किया जाता है।

(ग) जनसंख्या में क्षयरोग, जिसमें पेडिएट्रिक क्षयरोग भी शामिल है, को नियंत्रित करने के लिए संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम, जिसे डॉट्स के रूप में जाना जाता है और वह विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक संयुक्त कार्य नीति है को चरणावार ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नए स्पूटस योजिटिक रोगियों की 85 प्रतिशत स्वास्थ्य दर ठीक होने की दर प्राप्त कराना तथा की कम से कम ऐसे 70 प्रतिशत रोगियों का पता लगाना है।

परियोजना जिलों ने 85 प्रतिशत से अधिक की ठीक होने की दर (क्योर रेट) की सूचना दी है जिसका अर्थ है कि प्रति 10 रोगियों में से 8 से अधिक रोगियों का निदान किया गया और उनको संशोधित कार्यनीति के अन्तर्गत उपचार पर रखा गया तथा उनका सफलतापूर्वक उपचार किया गया है। जनसंख्या के विशाल वर्गों तक इस कार्यक्रम की और अधिक पहुंच बनाने तथा इस दिशा में सरकारी प्रयासों को पूरा करने के लिए इस कार्यक्रम में चिकित्सा महाविद्यालयों और गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करने के लिए बल दिया जा रहा है।

देश में डॉट्स की कवरेज को तेजी से बढाया जा रहा है। वर्ष 1998 में 530 जिलों में 20 मिलियन कवरेज थी जिसे बढ़ाकर आज तक 920 मिलियन से अधिक कर दिया गया है। वर्ष 2005 तक सम्पूर्ण देश को इस संशोधित कार्यनीति के अन्तर्गत कवर किए जाने की योजना है।

(घ) और (ङ) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत महाराष्ट्र राज्य में बच्चों की रीढ़ की हड्डी के क्षयरोग में वृद्धि होने का कोई महत्वपूर्ण प्रमाण नहीं है।

(च) महाराष्ट्र सहित देश में संशोधित क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम को 100% केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित

किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र, क्षयरोगी रोधी औषधों और बाइनोकुलर माइक्रोस्कोपी की पूरी मांग की पूर्ति करता है। राज्य में संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न कार्यकलाप शुरू करने के वास्ते केन्द्र, राज्य क्षयरोग सोसाइटियों को आगे जिलों को प्रदान करने के वास्ते सहयतानुदान के रूप में धन प्रदान करता है। वर्ष 2003–2004 के लिए राज्य क्षयरोग सोसाइटी, महाराष्ट्र को 769.25 लाख रुपए की सहायता प्रदान की गई है।

[अनुवाद]

सेमीकण्डक्टर चिप्स का उत्पादन

3503. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रेडियो फ्रीक्वेंसी टैगिंग के लिए उपयोग में लाई जाने वाली सेमीकण्डक्टर चिप्स का उत्पादन करने हेतु चिप मेकिंग फैक्ट्री आरम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस फैक्ट्री के कब तक आरम्भ किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) सरकार का इस समय रेडियो आवृत्ति टैगिंग के लिए उपयोग में लाई जाने वाली सेमीकण्डक्टर चिप तैयार करने के लिए चिप विनिर्माण फैक्टरी आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

खादी उत्पादों का ढेर लगना

3504. श्री हरिभाऊ राठौड़ : क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि विभिन्न खादी संस्थानों के पास खादी कपड़ों के भारी स्टॉक का ढेर लगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा खरीदे गए खादी कपड़े का ब्यौरा क्या है;

(घ) खादी कपड़े/उत्पादों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दी गई राजसहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) खादी उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां। खादी संस्थानों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों (यू.टी.) के खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्डों (के वी आई बी) तथा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के वी आई सी) की बिक्री आउटलेटस में 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार खादी एवं पोलिवस्त्र के स्टॉक का मूल्य क्रमशः 564.21 करोड़ रुपये तथा 63.32 करोड़ रुपये था। इस स्टॉक के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

(i) संस्थानों द्वारा खादी स्टॉक का उत्पादन, बाजार मांग के अनुकूल नहीं है।

(ii) उत्पादनों की गुणवत्ता एवं डिजाइन प्रचलित बाजार प्रत्याशा को पूरा नहीं करते हैं।

(iii) प्राकृतिक/सिंथेटिक फाइबर (रेशे) से प्रतिस्पर्धा।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान खादी संस्थाओं से के वी आई सी द्वारा प्राप्त किए गए खादी कपड़ों का ब्यौरा निम्नलिखित सारणी में दिया गया है:

वर्ष	प्रापण (करोड़ रु.)
2001–02	26.54
2002–03	25.49
2003–04	22.67

(घ) केन्द्रीय सरकार, खादी एवं खादी उत्पादनों (पोलिवस्त्र सहित) की बिक्री पर के वी आई सी के माध्यम से छूट प्रदान करती है। बिक्री पर पूरे वर्ष साधारण छूट तथा 108 दिनों के लिए अतिरिक्त (विशेष) छूट ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए प्रदान की जाती है। वर्ष 2001–02, 2002–03 तथा 2003–04 के दौरान संस्थानों को दी गई छूट की राशियां, निम्नलिखित सारणी में दी गई हैं:

वर्ष	राशि (करोड़ रु.)
2001–02	77.07
2002–03	111.84
2003–04	81.99

सरकार, ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रामाण–पत्र (आई एस ई सी) योजना के अंतर्गत बैंकों से खादी संस्थानों द्वारा जुटाए गए ऋणों पर अदा किए जाने वाले ब्याज पर सब्सिडी भी प्रदान करती है। खादी संस्थानों द्वारा अदा किया जाने वाला ब्याज 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष तक सीमित है, शेष राशि की अदायगी सरकार द्वारा के वी आई सी के माध्यम से की जा रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान आई एस ई सी स्कीम के अंतर्गत अदा की गई राशियां निम्न प्रकार हैं:–

वर्ष	राशि (करोड़ रु.)
2001–02	40.45
2002–03	21.99
2003–04	18.77

(ङ) खादी को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राज्य एवं जिला स्तरों पर प्रदर्शनियां आयोजित करना, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेना, खादी फैशन–शो, क्रेता–विक्रेता बैठकें, आयोजित करना, उत्पादन विकास एवं सुधरे हुए डिजाइनों एवं पैकेजिंग के लिए ब्राण्ड बिल्डिंग, प्रचार, वित्तीय सहायता, आदि प्रदान करना शामिल है। के वी आई सी ने देश में खादी एवं ग्रामोद्योगों के संवर्धन के लिए परिसंघ की स्थापना भी की है।

डालडा एक्टिव में हानिकारक रसायन

3505. मो. मुकीम : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान लीवर लि. को उसके साझेदार बंगे सहित बाजार से तथा निर्यात से डालडा एक्टिव को वापस लेने की सलाह दी थी क्योंकि चार वर्ष पूर्व बाजार में लाए गए इस उत्पाद में हानिकारक रसायन पाए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे संबंधित वर्तमान स्थिति क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) वनस्पति, वनस्पति तेल एवं वसा निदेशालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय इन उत्पादों का लाइसेंसिंग प्राधिकारी है। इसके द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लि. को तथा उसके साझेदार बंगे को बाजार से तथा निर्यात से डालडा एक्टिव को वापस लेने जैसी कोई सलाह/निर्देश नहीं दिए गए।

स्वास्थ्य क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी

3506. श्री दुष्यंत सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनता को स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु निजी क्षेत्र की भागीदारी आमंत्रित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त प्रयोजन हेतु किसी कोष की स्थापना की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त कोष के सृजन के लिए संसाधन किस प्रकार जुटाए गए हैं और इस कोष के सृजन के बाद से इस कोष में से कितनी धनराशि खर्च की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002 स्वास्थ्य कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों अर्थात प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक में निजी क्षेत्रों की उनके सही विनियामक तंत्र सहित सहभागिता का स्वागत करती है 'स्वास्थ्य' राज्य का विषय है। इसलिए राज्य अपनी स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के निजीकरण के विषय में निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र हैं। तथापि, निजी क्षेत्र खासकर क्षयरोग, दृष्टिहीनता, एच आई वी/एड्स सम्बन्धी कार्यक्रमों में अधिकाधिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं दे रहे हैं। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना भी के. स. स्वा. यो. के लाभार्थियों को उपचार देने के लिए कुछ प्राइवेट अस्पतालों को शामिल करती है।

(ख) और (ग) इस उद्देश्य के लिए कोई अलग कोष नहीं बनाया गया है।

शुल्क को वापस लौटाना

3507. श्री सीता राम यादव : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने देश में सभी सेल्यूलर आपरेटरों को प्रयोगकर्त्ताओं से अन्य सेल्यूलर सेवा में जाने पर वसूल किए गए शुल्क को वापस लौटाने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सेल्यूलर आपरेटरों द्वारा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी निदेश का पालन किया गया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, नहीं। दिनांक 28.07.1999 को अधिसूचित दूरसंचार प्रशुल्क (चौथा संशोधन) आदेश, 1999 में यह व्यवस्था है कि जब कोई उपभोक्ता एक ही सेवा प्रदाता के एक प्रशुल्क पैकेज को छोड़कर दूसरे प्रशुल्क पैकेज को अपनाता है तो सेवा प्रदाता इसके लिए कोई शुल्क वसूल नहीं कर सकता। जब उपभोक्ता एक सेल्यूलर सेवा (प्रदाता) को छोड़कर दूसरे सेल्यूलर सेवा (प्रदाता) को अपनाता है तो माईग्रेशन प्रभार का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

द्वारका में सी जी एच एस औषधालय

3508. श्री एम. शिवन्ना : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली के उपनगर द्वारका में कोई सी जी एच एस औषधालय नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पालम गांव स्थित सी जी एच एस औषधालय सं. 66 में रोगियों की संख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि द्वारका के निवासियों को पालम गांव के औषधालय के साथ जोड़ा गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या द्वारका निवासियों द्वारा द्वारका में सी जी एच एस औषधालय और केन्द्रीय अस्पताल की स्थापना करने के लिए अनुरोध किए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जानी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) द्वारका में रहने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी पालम कालोनी में स्थित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत एक नया अस्पताल खोलने हेतु केन्द सरकार ने कोई मंजूरी नहीं दी है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय, पालम कालोनी में पंजीकृत केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कार्ड/लाभार्थियों की संख्या इस प्रकार है–

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कार्डों की कुल संख्या	–	15021
केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों की कुल संख्या	–	72454

यह देखते हुए कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, औषधालय, पालम कालोनी में भारी भीड़ है, उक्त औषधालय से जुड़े लाभार्थियों की सेवा के लिए पर्याप्त संख्या में डाक्टरों और कर्मचारियों की तैनाती की गई है।

(ङ) और (च) द्वारका में नए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोलने बावत कुछ अनुरोध प्राप्त हुए हैं। तथापि, द्वारका में नया औषधालय खोलने बाबत कुछ अनुरोध प्राप्त हुए हैं। तथापि, संसाधनों और जनशक्ति के अभाव के कारण द्वारका में नया औषधालय खोलना इस समय संभव नहीं हो पाएगा। इसके अलावा द्वारका में इस समय केन्द्र सरकार का अस्पताल खोले जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

सिहोर - देवास राष्ट्रीय राजमार्ग

3509. श्री कृष्णा मुरारी मोघे : क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा सिहोर–देवास राष्ट्रीय राजमार्ग के पुनर्निर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई;

(ख) राज्य सरकार को अब तक कुल कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ग) राज्य सरकार को कितनी शेष धनराशि जारी की जाएगी; और

(घ) शेष धनराशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) राष्ट्रीय राजमार्ग–86 विस्तार के सिहोर–देवास खंड (43 से 151 कि.मी.), मध्य प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड (जिसे अब मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम कहा जाता है) को उन्नयन के लिए अप्रैल, 2002 में सौंपा गया है। उपर्युक्त खंड की सड़क गुणता का सुधार करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निक्षेप कार्य के रूप में निष्पादन के लिए 25.60 करोड़ रु. की धनराशि मंजर की गई थी।

(ख) अभी तक मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम को 20. 57 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है।

(ग) 5.03 करोड़ रु. की राशि अभी जारी की जानी है।

(घ) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त होते ही उनके द्वारा धनराशि, संबंधित धनराशि की ग्राह्यता के आधार पर जारी की जाती है।

[अनुवाद]

डाकघरों में स्वचालित गणक मशीनों की स्थापना

3510. श्री रूपचन्द मुर्मू : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने नकदी, टिकटें और अन्य डाक

सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए डाकघरों में स्वचालित गणक मशीनें स्थापित करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

खनिजों की रॉयल्टी दर

3511. श्री अजीत जोगी : क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान चूना पत्थर, बॉक्साइट, लौह अयस्क, डोलोमाइट की रॉयल्टी दरों में कितनी बार संशोधन किया गया;

(ख) खनिजों की रॉयल्टी दरों में संशोधन हेतु मानदंड क्या हैं;

(ग) क्या उपर्युक्त खनिजों की रॉयल्टी दरें बाजार दरों के यथा मूल्य आधार पर निर्धारित किए जाने हेतू सरकार के विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो क्या उपुर्यक्त खनिजों की रायल्टी दरें विक्रय मूल्यों के यथामूल्य आधार पर निर्धारित की जाएंगी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) और (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान, ईंधन और गौण खनिजों के अलावा, चूना-पत्थर, बॉक्साइट, लौह अयस्क और डोलोमाइट सहित खनिजों की रायल्टी दरें केवल एकबार 14.10.2004 को संशोधित की गई हैं। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9(3) में प्रावधान है कि केन्द्र सरकार किसी भी खनिज की रायल्टी दरों को किसी भी तीन वर्षों की अवधि के दौरान एक से अधिक बार नहीं बढ़ाएगी।

परिपाटी के अनुसार, ईंधन और गौण खनिजों के अलावा खनिजों की रायल्टी दरों के संशोधन के लिए, खान मंत्रालय के अपर सचिव की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल गठित किया जाता है जिसमें प्रमुख खनिज उत्पादक राज्यों के प्रतिनिधि बार-बारी से, संबंधित केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग, खान मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण का एक अधीनस्थ कार्यालय, भारतीय खान ब्यूरो और भारतीय खनिज उद्योग परिसंघ सदस्य होते हैं। राज्य सरकारों सहित सभी स्टेक होल्डरों से टिप्पणियां मंगाई जाती हैं। स्टेक होल्डरों से प्राप्त सभी जानकारियों और सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों के साथ समानता को ध्यान में रखते हुए अध्ययन दल द्वारा दरों की सिफारिश की जाती है।

खान मंत्रालय में अध्ययन दल की सिफारिशों की जाँच की जाती है और आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद, रायल्टी की संशोधित दरें अधिसूचित की जाती हैं।

(ग) से (च) अध्ययन दल की सिफारिश के अनुसार चूना-पत्थर, लौह-अयस्क तथा डोलोमाइट की रायल्टी दरें टनेज आधार पर निर्धारित की गई हैं और बॉक्साइट की रायल्टी दर यथामूल्य आधार पर निर्धारित की गई है।

[अनुवाद]

हैजे के मामलों में वृद्धि

3512. श्री एल. राजगोपाल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में हैजे के मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो अब तक पता लगाए गए मामलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) हैजे के मामलों में वृद्धि को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो द्वारा 2001, 2002 और 2003 की अवधि के दौरान दी गई सूचना के अनुसार (जो विवरण के रूप में संलग्न है) देश में हैजे के रोगियों की संख्या की वृद्धि होने का कोई रूझान दिखाई नहीं देता।

(ग) स्वास्थ्य प्राथमिक रूप से राज्य का विषय है और हैजा आदि जैसे रोगों के लिए प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से चिकित्सा राहत प्रदान करने का कार्य राज्य सरकारों द्वारा देखा जाता है। असुरक्षित पेय जल, साफ-सफाई, स्वच्छता ठीक तरह से न होना हैजा होने के कुछ प्रमुख कारण हैं। स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा उठाए जाने वाले निवारक उपायों में स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था, भोजन और वैयक्तिक स्वास्थ्य में सुधार, मानव मूल-मूत्र का सुरक्षित ढंग से निपटान, समुचित स्वास्थ्य शिक्षा, निगरानी और मानीटारिंग आदि शामिल है।

भारत सरकार त्वरित ग्रामीण पेय जल आपूर्ति, त्वरित शहरी

जल आपूर्ति कार्यक्रम, समग्र स्वच्छता अभियान, स्कूली साफ–सफाई और स्वच्छता तथा कम खर्च वाली सफाई योजनाएं जैसी अनेक स्कीमों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता प्रदान कर रही है। राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है और हैजा सहित संचारी रोगों के फैलने को नियंत्रित करने के लिए रोगों का शुरू में ही पता लगाता है और निवारक उपाय करता है।

विवरण

वर्ष 2001, 2002 और 2003 के दौरान हैजे के रोगियों और इससे हुई मौतों की राज्यवार संख्या

		2001		2002		2003	
क्र.सं.	राज्य	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2	0	8	0	111	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	एन. आर.	एन. आर.	एन. आर.	एन. आर.	एन. आर.	एन. आर.
3.	असम	एन. आर.	एन. आर.	एन. आर.	एन. आर.	एन. आर.	एन. आर.
4.	बिहार	एन. आर.	एन. आर.	एन. आर.	एन. आर.	एन. आर.	एन. आर.
5.	छत्तीसगढ़	एन. आर.	एन. आर.	2	0	2	0
6.	गोआ	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	88	0	74	1	68	0
8.	हरियाणा	11	0	3	1	68	0
9.	हिमाचल प्रदेश	6	0	0	0	22	0
10.	जम्मू–कश्मीर	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	एन. आर.	एन. आर.	एम. आर.	एन. आर.	एन. आर.	एन. आर.
12.	कर्नाटक	347	1	341	0	170	0
13.	केरल	15	3	105	3	42	0
14.	मध्य प्रदेश	4	0	1	0	49	0
15.	महाराष्ट्र	1100	2	587	4	1458	0
16.	मणिपुर	0	0	9	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	एन. आर.	एन. आर.	एन. आर.	एन. आर.
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	एन. आर.	एन. आर.

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	उड़ीसा	32	0	0	0	0	0
21.	पंजाब	16	0	43	0	96	0
22.	राजस्थान	0	0	2	0	8	0
23.	सिक्किम	0	0	0	0	3	0
24.	तमिलनाडु	1100	0	1426	2	404	1
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	एन. आर.	एन. आर.	एन. आर.	एन. आर.	7	0
27.	उत्तरांचल	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	178	0	146	0	126	0
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	6	0	47	0	26	0
31.	दादरा नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और द्वीप	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	1273	0	661	0	296	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0
	योग	4178	6	3455	10	2893	2

स्त्रोत – के.स्वा.आ.ब्यूरो.स्वा. और प.क. मंत्रालय

नोट – एन. आर. का तात्पर्य प्राप्त नहीं से है।

प्राकृतिक संसाधन आंकड़ा प्रबंधन प्रणाली

3513. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के सभी जिलों को प्राकृतिक संसाधन आंकड़ा प्रबंधन प्रणाली में सम्मिलित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) राज्यों के सभी जिलों को उक्त प्रणाली में कब तक सम्मिलित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) वर्ष 2003–04 के दौरान देश में उक्त प्रणाली के अंतर्गत राज्यवार कितने जिलों को सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, हां।

(ख) कर्नाटक राज्य के कुल 27 जिलों में से 17 जिलों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछले 7 से 8 वर्षों के दौरान पहले ही शामिल कर लिया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कर्नाटक राज्य के सभी जिले राज्य स्तर पर इस कार्यक्रम की प्रभावोत्पादकता को प्रमाणित करने हेतु शामिल किए जाएंगे। विस्तृत विवरण की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) लागू नहीं होता।

(घ) प्राकृतिक संसाधन आंकड़ा प्रबंधन प्रणाली (एन आर डी एम एस) जिला डाटा बेस के प्रबंधन में भू-स्थनिक प्रौद्योगिकियों के पायलट स्तरीय प्रदर्शन का एक कार्यक्रम है, एन आर डी एम एस प्रणाली के अंतर्गत राज्यों के सभी जिलों को शामिल करने की कोई योजना नहीं हैं।

(ङ) वर्ष 2003-2004 के दौरान इस प्रणाली के अन्तर्गत शामिल किए गए जिले उत्तरांचल में टिहरी गढ़वाल और नैनीताल और झारखण्ड में रांची हैं।

विवरण

एन आर डी एम एस निम्नलिखित 17 जिलों को पहले ही शामिल किया जा चुका है:

1. बंगलौर शहरी
2. बंगलौर ग्रामीण
3. बेलगाम
4. बीजा पुर
5. दक्षिण कन्नड़
6. धारवाड़
7. गुलबर्गा
8. हासन
9. कोलार
10. मैसूर
11. शिमोगा
12. रायचुर
13. तुमकुर
14. उत्तर कन्नड
15. बेलारी
16. कोडागू
17. मांड्या

वर्ष 2004-2005 के दौरान शामिल किए जाने वाले जिलों के नाम

1. बगलकोट
2. चामराज नगर
3. दावनगिर
4. गडग
5. हवेरी
6. बिदार

वर्ष 2005-2007 के दौरान शामिल किए जाने वाले जिलों के नाम

1. कोप्पल
2. चिकमंगलूर
3. उडुपी
4. चित्रदुर्ग

लक्षद्वीप में सूचना प्रौद्योगिकी का विकास

3514. डा. पी. पी. कोया : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना प्रौद्योगिकी में अवसंरचना के सृजन से संबंधित लक्षद्वीप का कोई प्रस्ताव अनुमोदन हेतु सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और प्रस्ताव की स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने लक्षद्वीप में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के लिए कोई विशेष योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त विशेष योजना को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) से (ङ) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने वर्ष 2005 के दौरान विद्यावाहिनी - सामुदायिक सूचना केन्द्र स्थापित करने के लिए लक्षद्वीप समूह में स्थित 30 सरकारी विद्यालयों का चयन किया है।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश का पालन

3515. श्री सुदाम मरन्डी :

श्री परसुराम माझी :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी संबद्ध मंत्रालयों और उनके विभागों/कार्यालय

उपक्रमों/निगमों आदि द्वारा रिक्त पदों को अधिसूचित करने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग आदेश संख्या 36014/1/2001 – स्थापना (आरक्षण) दिनांक 25.08.2003 का सख्ती से पालन किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी मंत्रालय/विभाग/उपक्रम–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त आदेश के पालन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) से (घ) इस विषय में सूचना केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती।

कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों को सुविधाएं

3516. श्री जी. वी. हर्ष कुमार : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले तीर्थ यात्री निम्नस्तरीय सुविधाओं की स्थिति का सामना कर रहे हैं जैसा कि 14 सितम्बर, 2004 के 'द पॉयनियर' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) और (ख) सरकार को जानकारी है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों को चीन की तरफ से दी जाने वाली सुविधाओं में अभी भी सुधार की गुंजाइश है। हालांकि, यात्रा मार्ग में सुविधाओं की कमी और दुर्गम तराई के मामले में भी इसकी समीक्षा की जानी चाहिए।

(ग) कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों हेतु निरन्तर आधार पर सुविधाओं को सुधारने और उन्नत करने का काम सरकार का है। सरकार ने तीर्थयात्रियों के लिए चीन की तरफ से सुविधाओं में सुधार से संबंधित मामलों को चीनी सरकार के समक्ष समय–समय पर उठाया है। अन्य बातों के साथ–साथ, भारत के एक सरकारी शिष्टमंडल ने इन मामलों पर चीनी प्राधिकारियों से बातचीत करने के लिए अगस्त, 2002 में तिब्बत स्वायत्तशासी प्रदेश का दौरा किया। चीनी पक्ष तीर्थयात्रियों हेतु कदम–दर–कदम स्थितियों में और अधिक सुधार लाने के लिए सहमत हो गया है पिछले वर्षों में इसमें क्रमिक सुधार होता रहा है।

सेतुसमुद्रम नहर परियोजना

3517. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':

श्री नीतीश कुमार :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार द्वारा सेतुसमुद्रम नहर परियोजना को स्वीकृति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के अंतर्गत बनाई जाने वाली नहर की लंबाई कितनी है; और

(ग) इस परियोजना से किन–किन राज्यों को लाभ होगा और इसको पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित की गई है, यदि हां तो वह क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) सेतुसमुद्रम जहाज़ी नहर (चैनल) परियोजना, अभी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जानी है।

(ख) उपर्युक्त प्रस्तावित नहर (चैनल) की लम्बाई लगभग 167 कि.मी. है।

(ग) उपर्युक्त नहर (चैनल) से, पूर्वी और पश्चिमी तटों पर अवस्थित सभी पत्तनों और उनके साथ–साथ सभी समुद्री राज्यों के लाभान्वित होने की संभावना है। उपर्युक्त परियोजना की दृष्टि से आवश्यक सभी अनापत्तियाँ और अनुमोदन मिल जाने के 3 वर्ष के भीतर उसके पूरा हो जाने की उम्मीद है।

प्राधिकृत स्थानीय केमिस्टों का उपलब्ध न होना

3518. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

श्री थावर चन्द गेहलोत :

श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार दिल्ली/नई दिल्ली में किन–किन सी जी एच एस औषधालयों में प्राधिकृत स्थानीय केमिस्ट उपलब्ध नहीं कराए गए हैं;

(ख) क्या पूरे कालकाजी क्षेत्र (सं. 42 और 75), आर.के. पुरम क्षेत्र, वसंत विहार, नेताजी नगर, मुनिरका/जेएनयू सीजीएचएस औषधालयों आदि में सीजीएचएस औषधालयों/ लाभार्थियों की मांग

को पूरा करने हेतु दवाइयों को इंडेंट करने के लिए स्थानीय कैमिस्टों की कोई व्यवस्था नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या स्थानीय केमिस्टों के उपलब्ध न होने के कारण लाभार्थियों को खुले बाजार से दवाई खरीदने के लिए बाध्य होना पड़ता है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार का पूर्वोक्त क्षेत्रों के सी जी एच एस औषधालयों अथवा उन अन्य क्षेत्रों के औषधालयों को स्थानीय केमिस्ट कब तक उपलब्ध कराने का विचार है जहां पर स्थानीय केमिस्ट उपलब्ध नहीं है;

(च) क्या स्थानीय रूप से नियुक्त केमिस्टों की अनुपस्थिति के कारण उपर्युक्त क्षेत्रों के उन लाभार्थियों विशेषकर पेंशनरों को परेशानी होती है जिन्हें खुले बाजार से दवाइयां खरीदने के लिए कह दिया जाता है और उनकी चिकित्सा प्रतिपूर्ति में कई महीने लगते हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परेशानी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) सी जी एच एस औषधालयों में दवाइयां पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। तथापि, विशेषज्ञ द्वारा लिखी गई औषधि के औषधालय में मौजूद न होने की स्थिति में उसे व्यक्तिगत नुस्खे के आधार पर प्राधिकृत स्थानीय कैमिस्ट से प्राप्त कर लाभार्थी को उपलब्ध कराया जाता है।

सीजीएचएस, दिल्ली के अंतर्गत आने वाले ऐलोपैथिक औषधालय जिनके पास सीजीएचएस प्राधिकृत स्थानीय कैमिस्ट नहीं थे को उनके समीप के सी जी एच एस औषधालयों के मौजूद प्राधिकृत स्थानीय कैमिस्टों से अस्थाई रूप से सम्बद्ध कर दिया गया है।

(ख) से (छ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

मोबाइल कार्डों की कालाबाजारी

3519. श्री डी. बी. पाटील : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत संचार निगम लिमिटेड, महाराष्ट्र के अंतर्गत सक्रिय मोबाइल कनेक्शनों की संख्या कितनी है;

(ख) भारत संचार निगम लिमिटेड, महाराष्ट्र के अंतर्गत टेलीफोन कनेक्शनों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड, महाराष्ट्र के मोबाइल कार्डों की कालाबाजारी हो रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या कंपनी के कर्मचारी तथा डीलर इस कालाबाजारी में शामिल पाये गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस खतरे को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं तथा दोषी पाए गए अधिकारियों के विरूद्ध की गई/प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) 30.11.2004 की स्थिति के अनुसार, महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल सेवा क्षेत्र में भारत संचार निगम लि. के कार्यरत मोबाइल कनैक्शनों की संख्या 690277 है।

(ख) क्षमता की कमी के कारण इस समय नए मोबाइल कनैक्शन नहीं दिए जा रहे हैं।

(ग) से (ङ) मोबाइल निगम सिम (सब्सक्राइबर आइडेंटीटी मोडयूल) कार्डों की काला बाजारी का एक मामला बीएसएलएन की जानकारी में आया है। मामले की जांच की गई और बीएसएनएल के दो अधिकारियों को निलम्बित कर दिया गया है। काला बाजारी रोकने के लिए विभिन्न बाजारों में मोबाइल सिम कार्डों के स्टॉक की निगरानी की जा रही है और 2005 के दौरान मांग पर कनैक्शन उपलब्ध कराने के लिए नेटवर्क की क्षमता भी बढ़ायी जा रही है।

[अनुवाद]

बीएसएनएल द्वारा पंजीकरण शुल्क को कम करना

3520. श्री विजय कृष्ण :

श्री कीर्ति वर्धन सिंह :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी एस एन एल ने त्यौहारों के समय बेसिक टेलीफोन पर पंजीकरण शुल्क को कम किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत नये पंजीकरण हेतु प्राप्त आवेदनों तथा लगाए गए नए टेलीफोन कनेक्शनों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान बीएसएनएल को टेलीफोन कनेक्शन कटवाने के लिए प्राप्त अनुरोधों की राज्य-वार संख्या कितनी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) भारत संचार निगम लिमिटेड ने इस स्कीम के अंतर्गत दिनांक 22.10.2004 से 15.11.2004 तक बुकिंग राशि के रूप में 1 रु. वसूल किया है तथा संस्थापना निःशुल्क थी।

(ग) और (घ) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

भा. सं. नि. लि. द्वारा पंजीकरण प्रभार कम करना

	सर्किल	नए पंजीकरण हेतु प्राप्त आवेदन	संस्थापित नए कनैक्शनों की सं.	उक्त अवधि के दौरान कनैक्शन कटवाने हेतु प्राप्त आवेदनों की सं.
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	51871	27656	10798
2.	अंडमान और निकोबार	1127	185	151
3.	असम	168	168	11
4.	बिहार	2660	553	287
5.	कोलकाता टेलीफोन	7098	4688	2395
6.	छत्तीसगढ़	2971	1399	426
7.	चेन्नई	8919	8919	5053
8.	गुजरात	19253	15026	7233
	दादरा और नगर हवेली (सं.शा.क्षे.)	7	4	64
	दमन (सं.शा.क्षे.)	9	8	32
	दीव (सं.शा.क्षे.)	9	8	5
9.	हरियाणा	11086	6972	1996
10.	हिमाचल प्रदेश	438	273	249
11.	जम्मू-कश्मीर	19	17	36
12.	झारखण्ड	853	780	425
13.	कर्नाटक	23654	15925	6065
14.	केरल	5275	3650	3369
15.	मध्य प्रदेश	21477	12799	2656
16.	महाराष्ट्र	52364	29887	5303
	गोवा	525	505	279
17.	पूर्वोत्तर-।			
	मेघालय	शून्य	शून्य	161

1	2	3	4	5
	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य
	त्रिपुरा	1239	शून्य	416
18.	**पूर्वोत्तर-II**			
	नागालैंड	12	12	शून्य
	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य
	अरुणाचल प्रदेश	495	234	152
19.	उड़ीसा	5920	4631	980
20.	पंजाब	17260	13633	2981
21.	राजस्थान	12948	8121	2467
22.	तमिलनाडु	25966	21186	13094
	पांडिचेरी	1264	1087	276
23.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	4733	3460	431
24.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	7031	4801	2505
25.	उत्तरांचल	1338	1140	409
26.	पश्चिम बंगाल	435	396	3955
27.	सिक्किम	20	13	शून्य
	जोड़	288444	188136	74660

प्रतिबंधित औषधियों की बिक्री

3521. **श्री के. एस. राव :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य में हुए नैदानिक परीक्षणों से पता चला है कि हृदय बाईपास सर्जरी के रोगी बेक्स्ट्रा ले रहे हैं जो कि नई प्रतिबंधित औषधि 'रोफकोक्सिन' की श्रेणी की एक एंटी-इन्फ्लेमेट्री औषधि है जो कि स्ट्रोक तथा हृदयघात के जोखिम को बढ़ाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या बेक्सट्रा एक वाल्डकोक्सिन है जो कि भारत में वेजलस (क्लेनमार्क), वालकोक्स (यूनिकैम), वाल्डिफ (सिपला) तथा वी-कोक्स (ल्यूपिन) के ब्रैंड नामों से बेची जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो बाजार में ऐसी औषधियों की बिक्री पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) सरकार के पास, संयुक्त राज्य में बैक्सट्रा जो कि औषधि रोफककिसब की श्रेणी की एक एंटी-इनफ्लेमेट्री औषधि है, को ले रहे हृदय बाई पास सर्जरी के रोगियों पर हुए नैदानिक परीक्षणों की कोई विशिष्ट सूचना नहीं है।

(ख) मैसर्स फारमेसिया द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय रूप से बाजार में बेची जा रही बैक्सट्रा, वाल्डेकोक्सिव गोलियों की एक ब्रांड है। भारत में, विभिन्न फार्मास्युटिकल कम्पनियां वैजलस (ग्लैनमार्क), वाल्काक्स (यूनीकैम), वाल्डिफ (सिप्ला) तथा वी. काक्स (ल्यूपिन) आद तथा अन्य ब्रांड नामों के अंतर्गत वाल्डेकाक्सिब गोलियों की बिक्री करती है।

(ग) वाल्डेकोक्सिव एक काक्स-II इन्हीबियर औषध है। जैसी कि नेशनल फार्मेकोविजिलेंस एडवाइजरी कमेटी द्वारा संस्तुति की गई है, रोफेकोक्सिब को हटाने के फलस्वरूप काक्स-II इन्हीबियर औषधों के निर्माताओं को उनके लेबलों/ पैकेजों में डालने इत्यादि के बारे में निम्नलिखित एहतियातों अर्थात् "कार्डियोवास्कुलर विकार से ग्रस्त रोगियों में इस औषध का सावधानी से उपयोग किया जाना चाहिए" का उल्लेख किए जाने की सलाह दी जा रही है।

महाराष्ट्र में प्रधान मंत्री रोजगार योजना तथा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाएं

3522. श्री प्रकाशबापू वी. पाटिल : क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में प्रधान मंत्री रोजगार योजना तथा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत चल रही परियोजना का स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं के लिए आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी परियोजनाओं को जल्दी पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) राज्य में ऐसी परियोजनाओं से लाभ प्राप्त व्यक्तियों तथा सृजित रोजगार की संख्या कितनी है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) के तहत स्थापित इकाइयों/ परियोजनाओं का जिला-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ख) पीएमआरवाई के तहत, कार्यान्वयक बैंक स्व.- रोजगार परियोजनाएं स्थापित करने के लिए ऋण संवितरित करते हैं और केन्द्र सरकार वैयक्तिक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित रोजगार अवसरों के सृजन के लक्ष्यों के आधार पर सब्सिडी, उद्यमिता विकास प्रशिक्षण, आकस्मिकताओं आदि के लिए फंड आबंटित करती है। सब्सिडी के लिए केन्द्रीय फंड भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से दिए जाते हैं, जो वैयक्तिक लाभार्थियों के लोन एकाउंटों में क्रेडिट करने के लिए उन्हें कार्यान्वयक बैंकों को पास कर देता है। अब तक वैयक्तिक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वास्तव में उपयोग में लाए गए सब्सिडियों की राशि को भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त करना संभव नहीं हो पाया है। आरईजीपी के तहत, कार्यान्वयक बैंक ऋण संवितरित करता है और केन्द्र सरकार परियोजनाएं स्थापित करने के उद्देश्य से मार्जिन मनी सहायता के लिए फंड आबंटित करती है। बैंकों द्वारा ऋण के रूप में संवितरित फंडों, पीएमआरवाई के तहत उद्यमिता विकास प्रशिक्षण, आकस्मिकताओं आदि के लिए जारी केन्द्रीय फंडों और आरईजीपी के तहत महाराष्ट्र में 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान मार्जिन मनी के लिए जारी फंडों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में है।

(ग) पीएमआरवाई के तहत परियोजनाओं की समय-बद्ध पूर्णता के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे, गतिविधियों को पूरा करने के लिए तिमाही अनुसूची निर्धारित करना (आवेदनों का प्रायोजन और मंजूरी तथा ऋणों का संवितरण), कार्यान्वयक एजेंसियों द्वारा आवेदनों के निपटारे के लिए समय-सीमा, मंजूर ऋणों के संवितरण की समाप्ति के लिए कट-ऑफ तिथि निर्धारित करना, अवरोधों, यदि कोई हों, को सुलझाने के लिए कार्यान्वयक एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठकें इत्यादि। इसी प्रकार, आरईजीपी के तहत, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) बैंकों के साथ परियाजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करता है, विलंब को टालने के लिए आवश्यक कदम उठाता है और विभिन्न पृष्ठगामी तथा अग्रगामी लिंकेजों जैसे उद्यमिता विकास कार्यक्रम, जागरूकता शिविरों, बाजार विकास आदि की व्यवस्था के लिए वित्तीय सहायता जारी करता है।

(घ) यह आकलन किया गया है कि 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान महाराष्ट्र में अतिरिक्त रोजगार अवसरों के सृजन के कारण पीएमआरवाई के तहत 78,591 व्यक्तियों (भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्टों के अनुसार) और आरईजीपी के तहत 75,118 व्यक्तियों को लाभ प्राप्त हुआ है।

विवरण-I

पीएमआरवाई के तहत महाराष्ट्र में 2001-2002, 2002-2003 और 2003-2004 के दौरान ऋण संवितरित की गई इकाइयों/परियोजनाओं की जिला-वार संख्या का ब्यौरा।

(राज्य सरकार की रिपोर्टों के अनुसार)

क्र.सं.	जिला	2001-2002	2002-2003	2003-2004
		ऋण संवितरित इकाइयों की संख्या	ऋण संवितरित इकाइयों की संख्या	ऋण संवितरित इकाइयों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	थाणे	503	554	491
2.	रायगढ़	527	324	257

1	2	3	4	5
3.	रत्नगिरी	319	338	346
4.	सिन्धुदुर्ग	308	245	266
5.	नासिक	788	576	565
6.	धुले	359	305	276
7.	नन्दुरबार	124	268	178
8.	जलगांव	947	977	855
9.	अहमदनगर	1228	1322	1171
10.	पुणे	1311	1437	1185
11.	सतारा	811	703	607
12.	सांगली	512	264	450
13.	सोलापुर	695	470	734
14.	कोल्हापुर	802	911	911
15.	औरंगाबाद	213	241	534
16.	जालना	133	168	153
17.	पारभनी	241	156	276
18.	हिंगोली	102	63	61
19.	बीड	129	204	703
20.	नांदेड़	297	392	288
21.	उस्मानाबाद	279	319	356
22.	लातूर	339	360	223
23.	बुलधाना	167	142	248
24.	अकोला	296	339	334
25.	वाशिम	174	203	119
26.	अमरावती	385	287	371
27.	येवतमाल	266	301	237
28.	वरधा	219	321	305
29.	नागपुर	290	585	240
30.	भंडारा	70	127	143
31.	गोन्दिया	174	121	175
32.	चन्द्रापुर	232	367	349
33.	गढ़चिरौली	47	56	82
	कुल	13287	13446	13489

विवरण-II

2001-2002, 2002-2003 तथा 2003-04 के दौरान आरईजीपी के तहत महाराष्ट्र में स्थापित जिला-वार परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	जिला	आरईजीपी के तहत स्थापित परियोजनाओं की संख्या		
		2001-2002	2002-2003	2003-2004
1	2	3	4	5
1.	थाणे	102	89	34
2.	रायगढ़	90	79	30
3.	रत्नगिरी	215	189	72
4.	सिन्धुदुर्ग	72	63	24
5.	नासिक	21	18	7
6.	धुले	33	29	11
7.	नन्दुरबार	–	–	–
8.	जलगांव	144	126	48
9.	अहमदनगर	305	268	102
10.	पुणे	224	197	75
11.	सतारा	24	21	8
12.	सांगली	72	63	24
13.	सोलापुर	383	341	129
14.	कोल्हापुर	84	73	28
15.	औरंगाबाद	93	81	31
16.	जालना	15	13	5
17.	पारभनी	6	5	2
18.	हिंगोली	–	–	–
19.	बीड	36	31	12
20.	नांदेड़	120	105	40
21.	उस्मानाबाद	27	24	9
22.	लातूर	36	31	12
23.	बुलधाना	18	16	6
24.	अकोला	72	63	24
25.	वाशिम	27	24	9
26.	अमरावती	48	42	16
27.	येवतमाल	57	50	19
28.	वरधा	48	42	16
29.	नागपुर	84	73	28
30.	भंडारा	45	39	15
31.	गोन्दिया	12	10	4
32.	चन्द्रापुर	39	34	13
33.	गढ़चिरौली	12	10	4
	कुल	2564	2249	857

विवरण-III

महाराष्ट्र में पीएमआरवाई तथा आरईजीपी के तहत परियोजनाओं के लिए 2001-2002, 2002-2003 और 2003-2004 के दौरान आबंटित फंडों का ब्यौरा

क्र.सं.	वर्ष	पी.एम.आर.वाई.		आरईजीपी	
		बैंकों द्वारा संवितरित ऋण	केन्द्र सरकार द्वारा जारी फंड	बैंकों द्वारा संवितरित ऋण	उपयोग की गई मार्जिन मनी
1	2001-02	10584.85	72.28	6152	1538.08
2	2002-03	10425.46	29.15	6168	1541.92
3	2003-04	8949.11	191.31	3056	873.25

*भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के रिपोर्ट के अनुसार

चीन में दूतावासों/वाणिज्य दूतावासों में अनियमितताएं

3523. **श्री पारसनाथ यादव :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चीन में दूतावासों/वाणिज्य दूतावासों में कार्यरत कुछ अधिकारियों ने गत पांच वर्षों के दौरान कुछ अनियमितताएं की हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई शुरु की गई हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

'प्राइमेट ब्रीडिंग एंड रिसर्च सेन्टर' की स्थापना

3524. **श्री रायापति सांबासिवा राव :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने हैदराबाद में "नेशनल प्राइमेट ब्रीडिंग एंड रिसर्च सेंटर" की स्थापना करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) आंध्र प्रदेश सरकार से भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में नेशनल सेंटर फॉर प्राइमेट ब्रीडिंग एंड रिसर्च की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। आंध्र प्रदेश सरकार ने इस संबंध में केन्द्र के लिए कुछ उपयुक्त भूमि आबंटित करने तथा सभी संभव सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया है।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय पोषण संस्थान के माध्यम से इस प्राइमेट ब्रीडिंग एंड रिसर्च सेंटर के बारे में आंध्र प्रदेश सरकार और भारत सरकार के अनुमोदन के लिए एक व्यापक प्रस्ताव तैयार कर रही है।

डाटा प्रोटेक्शन लॉ

3525. **श्री ए. के. मूर्ति :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'डाटा प्रोटेक्शन लॉ' को अंतिम रूप दिया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (ग) देश में डाटा संरक्षण कानून तैयार करने की आवश्यकता के संबंध में उद्योग संघों तथा विशषज्ञों के साथ विचार–विमर्श किया जा रहा है।

[हिन्दी]

विशेष आर्थिक पैकेज के लिए मांग

3526. **श्री बालेश्वर यादव :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 8 प्रतिशत वृद्धि दर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन) : (क) किसी भी राज्य ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विशेष रूप से 8 प्रतिशत विकास दर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विशेष पैकेज की मांग नहीं की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

'एम्स में 'इन-विटो फर्टीलिटी' मशीन

3527. **श्री दलपत सिंह परस्ते :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एम्स को 13 लाख रुपये की आई वी एफ (इन–विट्रो फर्टीलाइजेशन) मशीन मिलने के ढाई साल बाद, देश का प्रमुख तृतीयक परिचर्या संस्थान अपना ए आर टी (असिस्टिड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी) सेंटर नहीं शुरू कर पाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या स्त्री रोग वार्ड के केवल एक भाग को मशीन

लगाने तथा आधारभूत इन–विट्रो फर्टीलाइजेशन मशील सुविधा शुरू करने की स्वीकृति दी गई थी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि 'एम्स' में प्रतिदिन ऐसे अनुमानित 100 रोगी आते हैं जिन्हें आई वी एफ सुविधा की आवश्यकता होती है; और

(छ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी जरूरतमंद रोगियों को आई वी एफ सुविधा उपलब्ध हो सके, सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ङ) यह सच है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने 13 लाख रुपये की लागत से आई वी एफ (एनविट्रो फर्टिलाइजेशन) मशीन प्राप्त की। लेकिन जगह की अनुपलब्धता के कारण उक्त उपकरण का उपयोग शुरू नहीं किया जा सका था। अब स्त्री रोग विज्ञान वार्ड में जगह उपलब्ध करा दी गयी है। इसको आई वी एफ सुविधा केन्द्र में परिवर्तित किया जा रहा है। इस संस्थान की स्थायी वित्त समिति ने आईवीएफ सुविधा केन्द्र से संबंधित प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। यह आशा है कि इस स्थल पर निर्माण कार्य अप्रैल, 2005 तक पूरा कर लिया जाएगा।

(च) और (छ) लगभग एक सौ नए रोगी प्रत्येक दिन स्त्री रोग से संबंधित विभिन्न समस्याओं के लिए स्त्री रोग विज्ञान ओपीडी में पंजीकृत किए जाते हैं। इनमें से केवल 2–3 प्रतिशत रोगी को ही आईवीएफ की आवश्यकता होती है। उनके लिए आईवीएफ की सुविधा शुरू की जा रही है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग-7 को चार लेन का बनाना

3528. डा. आर. सेनथिल : क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सालेम (तमिलनाडु) तथा बंगलौर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग–7 सड़क तमिलनाडु में धर्मपुरी से होकर जाती है;

(ख) क्या इसे चार लेन का बनाने के लिए कार्य अभी शुरू किया जाना है;

(ग) क्या चार लेन वाली सड़क नगर में से होकर बनाई जाएगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या एक नई बाईपास सड़क के निर्माण की योजना है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो नई सड़क बनाने के लिए सर्वेक्षण कब तक किया जाएगा?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। राष्ट्रीय राजमार्ग–7 के बंगलौर – सलेम खंड पर चार लेन बनाने का कार्य शुरू हो गया है।

(ग) से (छ) इस प्रकार के किन्हीं ब्योरों के बारे में बताना अभी संभव नहीं है क्योंकि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति अभी की जानी है।

[हिन्दी]

असम को विशेष योजना सहायता

3529. श्री किरिप चालिहा : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बाढ़ से हुई क्षति की भरपाई तथा अवसंरचना विकास के लिए असम को विशेष योजना सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त धनराशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन) : (क) जी, हां।

(ख) वार्षिक योजना 2004–05 के दौरान, असम सरकार को विशेष योजना सहायता के रूप में 22.00 करोड़ रुपये तथा बाढ़ से क्षतिग्रस्त अवसंरचना के पुनर्निर्माण के लिए एकबारगी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में 218.00 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। हाल ही में असम सरकार ने एक पुनर्निर्माण योजना प्रस्तुत की है जिसमें बाढ़ से प्रभावित अवसंरचना का पुनर्निर्माण (सड़क व पुल, शैक्षिक संस्थाएं, सरकारी भवन आदि), बाढ़ नियंत्रण उपाय व बाढ़ से क्षतिग्रस्त सिंचाई व जल आपूर्ति स्कीमों का पुनर्निर्माण शामिल है। पुनर्निर्माण योजना की योजना आयोग में जांच की जा रही है।

(ग) निधियां आबंटित की गई हैं तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जारी कर दी जाएंगी।

सी.बी.आई. को सौंपे गए मामले

3530. श्री बीर सिंह महतो :

श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस के कई मामले जाँच हेतु सी.बी. आई. को सौंप दिए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें से उन मामलों की संख्या कितनी है जिनके संबंध में जाँच पूरी नहीं हो सकी है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या कई मामलों में दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के शामिल होने के कारण जाँच कार्य में रूकावट आई है;

(ङ) यदि हाँ, तो इन मामलों में शामिल संयुक्त आयुक्त के स्तर से ऊपर के अधिकारियों की संख्या कितनी है; और

(च) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) से (ग) जी, हाँ। दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में पिछले तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2002, 2003, 2004 के दौरान ऐसे 10 मामले, जिनमें दिल्ली पुलिस के 31 अधिकारी शामिल थे, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपे गए। उपर्युक्त 10 मामलों में से 4 मामले अन्वेषणाधीन चल रहे हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) शून्य।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

प्रथम श्रेणी के अधिकारियों में अधिक्रमण

3531. श्री राजेन्द्र कुमार : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1999 में नियुक्ति संबंधी मंत्रिमण्डलीय समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि प्रथम श्रेणी सेवा में कोई अधिक्रमण नहीं किया जाएगा और पदोन्नति हेतु योग्य पाए गए सभी अधिकारियों में परस्पर वरिष्ठता बनाई रखी जाएगी;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन आदेशों को किस तारीख से कार्यान्वित किया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) और (ख) भारतीय राजस्व सेवा में एक वरिष्ठ पद पर पदोन्नति के लिए राजस्व विभाग के एक प्रस्ताव पर दिसम्बर, 1999 में नियुक्ति संबंधी मंत्रिमण्डलीय समिति ने निदेश दिया था कि किसी तरह का कोई अतिक्रमण नहीं किया जाएगा और यह कि पदोन्नति हेतु योग्य पाए गए सभी अधिकारियों की परस्पर वरिष्ठता कायम रखी जाएगी।

(ग) और (घ) नियुक्ति संबंधी मंत्रिमण्डलीय समिति के निदेशों के बारे में विस्तृत अनुदेश दिनांक 08.02.2002 को जारी किए गए थे।

एनएलसी से अनापत्ति प्रमाण पत्र

3532. श्री कैलाश मेघवाल : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार से निजी क्षेत्र के उद्यमियों को लिग्नाइट खनन पट्टा देने के लिए नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की बाध्यता को समाप्त करने का अनुरोध किया है क्योंकि नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस प्रथा को समाप्त करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) अन्य मुद्दों सहित इस मुद्दे को, दिनांक 6.8.2004 को कोयला और खान राज्य मंत्री के साथ नई दिल्ली में हुई बैठक में खान मंत्री, राजस्थान सरकार द्वारा उठाया गया था।

(ख) और (ग) अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगना कानूनी अनिवार्यता नहीं है। प्राथमिक रूप से यह लिग्नाइट खनन के लिए नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के इरादों/योजनाओं का पता लगाने का एक प्रशासनिक प्रावधान है ताकि हितों के किसी सम्भावित टकराव से बचा सके।

औषध कंपनियों को मान्यता

3533. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुरूषों तथा महिलाओं दोनों में एक ही बीमारी के लिए अलग-अलग औषधियों के विकास का दावा करने वाली औषध कंपनियों को मान्यता प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये औषधियां किन-किन बीमारियों के लिए विकसित कर ली गई हैं;

(घ) क्या अनुसंधानकर्ताओं ने इन औषधियों को पुरूषों तथा महिलाओं दोनों पर अलग-अलग प्रयोग कर लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) एक ही बीमारी के लिए पुरूषों/महिलाओं के उपयोग हेतु दवाईयों, चाहे सामान्य हो या पृथक, को मंजूरी विशेषज्ञ द्वारा नई औषधि की सुरक्षा, प्रभावोत्पादकता एवं विशिष्ट आवश्यकता आदि का मूल्यांकन करने के बाद ही दी जाती है।

सरकार को पुरूषों एवं महिलाओं दोनों में एक ही बीमारी के लिए अलग-अलग औषधियों के विकास का दावा करने वाली औषध कम्पनियों का कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

संसद सदस्य कोटे से टेलीफोन कनेक्शन दिया जाना

3534. श्री सुरेश चन्देल : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 13वीं लोकसभा के प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रश्नकर्ता द्वारा संसद सदस्य कोटे में से कितने टेलीफोन कनेक्शनों हेतु सिफारिश की गई है;

(ख) स्वीकृत 100 टेलीफोन कनेक्शनों में से प्रत्येक वर्ष लगाए गए टेलीफोनों की संख्या कितनी है;

(ग) संस्वीकृत टेलीफोन कनेक्शनों को न लगाने के क्या कारण हैं;

(घ) शेष टेलीफोनों को लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) 14वीं लोक सभा के प्रथम वर्ष में अब तक कितने टेलीफोन कनेक्शन हेतु सिफारिश की गई है और अक्तूबर, 2004 तक इनमें से कितने टेलीफोन लगाए गए तथा शेष टेलीफोनों के कब तक लगाए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) श्री सुरेश चंदेल द्वारा 13वीं लोक सभा के दौरान अपने संसद सदस्य कोटे से अनुशंसित टेलीफोनों और इनमें से लगाए गए टेलीफोनों की वर्षवार संख्या संलग्न विवरण में दर्शायी गयी है।

(ग) इस समय लंबित पड़े सभी कनेक्शन तकनीकी रूप से अव्यवहार्य हैं।

(घ) शेष टेलीफोन कनेक्शनों को वर्ष 2005-06 के दौरान डब्ल्यूएलएल उपकरणों द्वारा प्रदान किए जाने की योजना है।

(ङ) श्री सुरेश चंदेल द्वारा 14वीं लोक सभा के प्रथम वर्ष के दौरान बिना बारी के प्रदान किए जाने के लिए अनुशंसित 100 टेलीफोन कनेक्शनों में से 31.10.2004 तक 18 टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त किए जा चुके हैं और मार्च, 2005 तक उत्तरोत्तर रूप से 34 टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाने की योजना बनाई गई है तथा शेष 48 कनेक्शनों को वर्ष 2005-06 के दौरान उत्तरोत्तर रूप से प्रदान करने की योजना है।

विवरण

13वीं लोक सभा के दौरान श्री सुरेश चंदेल के संसद सदस्य कोटे से अनुशंसित टेलीफोनों और इनमें से लगाए गए टेलीफोन कनेक्शनों का वर्षवार ब्यौरा

वर्ष	श्री सुरेश चन्देल, संसद सदस्य (लोक सभा) द्वारा 13वीं लोकसभा के दौरान बिना बारी के प्रदान किए जाने के लिए अनुशंसित टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या	अक्तूबर, 2004 तक लगाए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या	लंबित कनेक्शन
1999	47	47	शून्य
2000	100	100	शून्य
2001	99	99	शून्य
2002	95	94	1
2003	100	88	12
2004	100	47	53

बिहार में 'ड्राई डॉक' सुविधा

3535. **श्री सुशील कुमार मोदी : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार की नदियों में चल रहे पोतों के लिए फिट्नेस प्रमाण पत्र लेने हेतु लोगों को पश्चिम बंगाल जाना पड़ता है;

(ख) क्या इसके फलस्वरूप बिहार में चल रहे छोटे तथा बड़े पोतों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पोतों को फिटनेस प्रमाण पत्र देने के लिए बिहार में ही 'ड्राई डॉक' सुविधा स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) जी, हाँ।

(ख) भारत–सरकार को ऐसी किन्ही कठिनाइयों की जानकारी नहीं है। अंतर्देशीय जलयान–अधिनियम, 1917 के अनुसार, दुरूस्ती प्रमाण–पत्र जारी किए जाने का मसला, संबंधित राज्य–सरकार के अधिकार–क्षेत्र में आता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सी.बी.आई. को सौंपे गए मामले

3536. **श्री टी. के. हमज़ा : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने अक्तूबर, 2004 के बाद कवियूर सेक्स स्कैंडल मामला केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके सौंपे जाने की तिथि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) केरल सरकार ने अपने दिनांक 02.11.2004 के पत्र संख्या 60144/जे.2/04 होम द्वारा केन्द्रीय सरकार से, कुमाराकोन पुलिस थाना के अपराध संख्या 188/2004 तथा तिरूवल्ला पुलिस थाना के अपराध संख्या 663/2004 को अन्वेषण ब्यूरो को सौंपे जाने का अनुरोध किया है। कुमाराकेन पुलिस थाने का अपराध संख्या 188/2004 कुछ व्यक्तियों द्वारा एक 17 वर्ष की लड़की के साथ अभिकथित यौन–संसर्ग से संबंधित हैं। तिरुवल्ला पुलिस थाना का अपराध संख्या 663/2004 कवियूर में एक परिवार द्वारा अपराध संख्या 188/2004 के सिलसिले में आत्महत्या कर लेने से संबंधित हैं। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरा ने उक्त दोनों का अन्वेषण करना तय किया है।

कोयले की बिक्री

3537. **श्री जसुभाई दानाभाई बारड़ :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को उनके राज्य की सीमाओं से बाहर कोयले का खनन करने तथा खुले बाजार में बेचने की स्वीकृत देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे राज्य जिनमें बड़ी मात्रा में कोयले का भण्डार नहीं है, वे भी गुजरात जैसे कोयला बहुल राज्य में कार्य शुरू कर सकते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा राज्यों को कितनी सहायता प्रदान की गई है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) से (ग) कोयला खान (राष्ट्रीकरण) अधिनियम, 1973 के अंतर्गत, एक सरकारी कम्पनी कोयले का वाणिज्यिक खनन कर सकती है। सरकारी कम्पनियों में राज्य सरकार की कम्पनियां तथा केन्द्रीय सरकार की कम्पनियां, दोनों शामिल हैं। मई, 1979 में केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की गई खनन नीति राज्य सरकार की कम्पनियों को, अन्य बातों के अतिरिक्त, केवल पृथक और छोटे भण्डारों को खनित करने की अनुमति देती है। तथापि, इस नीति को दिसम्बर, 2001 में संशोधित कर दिया गया है और संशोधित कोयला खनन नीति के अंतर्गत, राज्य सरकार की कम्पनियां अथवा उपक्रम पृथक, छोटे पाकेटों के पूर्व के प्रतिबन्ध के बिना, देश में कहीं भी, कोकिंग तथा नान कोकिंग कोयले अथवा लिग्नाइट भण्डारों का ओपनकास्ट अथवा भूमिगत खनन पद्धति से खनन कर सकती हैं।

(घ) संशोधित खनन नीति के अनुसार, सम्बद्ध क्षेत्र में कोयला खनन के लिए केन्द्रीय सरकार से कोई वित्तीय सहायता

प्रदान नहीं की जाएगी और न ही, खान के बंद हो जाने अथवा अन्यथा की स्थिति में राज्य सरकार की कम्पनी द्वारा प्रचलित कोयला खानों को केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जाएगा।

[हिन्दी]

ईंटों के भट्टे के लिए कोयला आपूर्ति संबंधी नीति

3538. श्री ब्रजेश पाठक : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ऑल इंडिया ब्रिक एण्ड टाइल्स मैन्यूफैक्चरर्स फैडरेशन, नई दिल्ली की राज्य तथा जिला इकाइयों के माध्यम से ईंटों, के भट्टे के लिए कोयले की सतत तथा पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नीति बनने का है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में ऑल इंडिया ब्रिक एण्ड टाइल्स मैन्यूफैक्चरिंग फैडरेशनों तथा जन प्रतिनिधियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/प्रस्तावित है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दसारि नारायण राव) : (क) जी, नहीं। अखिल भारतीय ब्रिक तथा टाइल्स मेनुफैक्चरर्स फेडेरेशन, नई दिल्ली को ब्रिक यूनिटों को कोयले का वितरण करने के लिए एक वितरक एजेन्सी के रूप में न तो कोयला मंत्रालय द्वारा मान्यता प्रदान की गयी है और न इसे किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गयी है। तथापि, कोयले मंत्रालय ने खुला बिक्री योजना (ओएसएस) के अन्तर्गत जारी किए गए कोयले का एक भाग अखिल भारतीय ब्रिक तथा टाइल्स मैनुफैक्चरर्स फैडरेशन, नई दिल्ली को आबंटित किया था ताकि इस फेडेरेशन के माध्यम से ब्रिक यूनिटों को कोयलू की पूर्ति की जा सके। कोयला कम्पनियां राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गयी स्पांशरशिप के आधार पर ब्रिक यूनिटों को कोयले की पूर्ति करती है। ब्रिक यूनिटों को कोयले की पूर्ति, कोर क्षेत्र के उपभोक्ताओं की आवश्यकता को पूरा करने के पश्चात कोयले की उपलब्धता पर भी निर्भर करती है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) जैसा ऊपर भाग (क) में कहा गया है।

[अनुवाद]

पेंशन का भुगतान

3539. श्री पवन कुमार बंसल : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 17 दिसम्बर, 1998 के कार्यालय ज्ञापन में यह निदेश दिया गया था कि किसी भी पेंशन प्राप्तकर्त्ता को उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि पर ध्यान दिए बिना उसे उसकी सेवानिवृत्ति से पूर्व धारित पद हेतु संशोधित वेतनमान के न्यूनतम स्तर पर उसे न्यूनतम स्वीकृत के काम पेंशन अदा की जाएगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिनांक 11 मई, 2001 के अनुवर्ती कार्यालय ज्ञापन सं. 45–86/97 – पी एण्ड पी डब्ल्यू (ए) के जारी होने से भारतीय सर्वेक्षण और विभिन्न केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवाओं के पेंशन प्राप्तकर्त्ता उपरोक्त लाभ से वंचित हो गए;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) दिनांक 17.12.1998 के कार्यालय ज्ञापन सं. 45/10/98– पी. एंड पी. डब्ल्यू. (ए) के तहत सरकार ने निर्णय लिया कि सभी पेंशनभोगियों की पेंशन, उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख का विचार किए बिना, पेंशनभोगी के द्वारा धारित अंतिम पद के 1.1.96 से लागू संशोधित वेतनमान के न्यूनतम वेतन के 50% से कम नहीं होगी।

(ख) से (घ) भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा, दिनांक 17.12.1998 के कार्यालय ज्ञापन में निहित पेंशनभोगी के द्वारा अधिवर्षिता के समय "अंतिम धारित पद" के वास्तविक अर्थ के बारे में स्पष्टीकरण मॉंगे गए थे। सरकार के द्वारा दिनांक 11 मई, 2001 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 45/86/97– पी. एंड पी. डब्ल्यू (ए) (भाग) के तहत इस आशय का स्पष्टीकरण जारी किया गया कि "सभी पेंशनभोगियों की पेंशन, उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख का विचार किए बिना, पेंशनभोगी के द्वारा अधिवर्षित/सेवानिवृत्ति के समय धारित पद के 1.1.96 को तदनुरूपी वेतनमान में न्यूनतम के 50: से कम नहीं होगी।" दिनांक 17.12.1998 के कार्यालय ज्ञापन के अन्य उपबंध वहीं रहेंगे।

(ङ) दिनांक 11.5.2001 का कार्यालय ज्ञापन यह स्पष्ट करने के लिए जारी किया गया कि पेंशन, पेंशनभोगी के द्वारा धारित पद के 1.1.96 को, पाँचवें वेतन आयोग के द्वारा संशोधित वेतनमान के अनुसार होनी चाहिए, न कि पेंशनभोगी के द्वारा सेवानिवृत्ति के समय पर अंतिम धारित पद के वेतनमान के अनुसार जो वेतन

आयोग के द्वारा समय-समय पर उत्तरव्यापी प्रभाव से संशोधित किया गया था।

खाद्य वस्तुओं में कृत्रिम मिठास

3540. डा. एम. जगन्नाथ : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य वस्तुओं, कंफैक्शनरी और शीतल पेयों में कृत्रिम मिठास के प्रयोग को अनुमति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उन वस्तुओं का ब्यौरा क्या है जिनमें कृत्रिम मिठास के प्रयोग को अनुमति दी गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार चीनी रहित आईसक्रीम और अन्य उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, हां।

(ख) खाद्य एवं अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में नीचे दी गई तालिका में खाद्य वस्तुओं में निम्नलिखित आर्टीफिशियल स्वीटनर्स की उनके सामने दर्शाई गई सीमाओं तक की मात्रा की और निर्धारित लेबल पर घोषणाओं की शर्त पर उपयोग की अनुमति दी गई है:-

तालिका

क्र.सं.	कृत्रिम मिठास का नाम	खाद्य वस्तु	कृत्रिम मिठास की अधिकतम सीमा
1	2	3	4
1.	सैक्रिन सोडियम	कार्बोनेटेड वाटर	100 पीपीएम
		सोफ्ट ड्रिंक कन्सेंट्रेट	100 पीपीएम
		सुपारी	4000 पीपीएम
		पान मसाला	8000 पीपीएम
		पान फ्लेवरिंग मैटीरियल	8.0 प्रतिशत
		डिस्पेंसर हेतु सिंथेटिक सिरप	450 पीपीएम
		मिठाइयां (कार्बोहाइड्रेट्स आधारित और दुग्ध उत्पादों पर आधारित) – हलवा, मैसूर पाक, बूंदी लड्डू, जलेबी, खोया बर्फी, पेड़ा, गुलाब जामुन, रसगुल्ला और किसी भी नाम से बेची जाने वाली इसी प्रकार के दुग्ध उत्पाद पर आधारित मिठाई	500 पीपीएम
		चॉकलेट (सफेद, दूध, सादी मिश्रित और भरी हुई)	500 पीपीएम
		चीनी आधारित/चीनी मुक्त मिठाई	3000 पीपीएम
		चीविंग गम/बब्बल गम	3000 पीपीएम
2.	एस्पटेंम (मिथाइल एस्टर)	कार्बोनेट वाटर	700 पीपीएम
		सोफ्ट ड्रिंक कन्सन्ट्रेट	7000 पीपीएम
		बिस्कुट, ब्रेड, केक और पेस्ट्रीज	2200 पीपीएम
		मिठाइयां (कार्बोहाइड्रेटस् आधारित और दुग्ध उत्पादों पर आधारित)	200 पीपीएम
		हलवा, मैसूर पाक, बूंदी लड्डू, जलेबी	200 पीपीएम
		खोया बर्फी, पेड़ा, गुलाब जामुन, रसगुल्ला और किसी भी नाम से बेची जाने वाली इसी प्रकार की दूध के उत्पाद पर आधारित मिठाई	200 पीपीएम
		मुरब्बा, जैलीज, मसलेडेज	1000 पीपीएम

1	2	3	4
		चौकलेट (सफेद, दूध, सादी, मिश्रित और भरी हुई)	2000 पीपीएम
		चीनी आधारित/चीनी मुक्त मिठाई	10000 पीपीएम
		चीविंग गम/बब्बल गम	10000 पीपीएम
		डिस्पेंसर हेतु सिंथेटिक सिरप	3000 पीपीएम
3.	एसिसल्फेम पोटासियम	कार्बोनेट वाटर	300 पीपीएम
		सोफ्ट ड्रिंक कन्सन्ट्रेट	300 पीपीएम
		बिस्कुट, ब्रेड, केक और पेस्ट्रीज	1000 पीपीएम
		मिठाइयां (कार्बोहाइड्रेटस् आधारित और दुग्ध उत्पादों पर आधारित) हलवा, मैसूर पाक, बूंदी लड्डू, जलेबी खोया बर्फी, पेड़ा, गुलाब जामुन, रसगुल्ला और किसी भी नाम से बेची जाने वाली इसी प्रकार की दूध के उत्पाद पर आधारित मिठाई	500 पीपीएम
		चौकलेट (सफेद, दूध, सादी, मिश्रित और भरी हुई)	500 पीपीएम
		चीनी आधारित/चीनी मुक्त मिठाई	3500 पीपीएम
		चीविंग गम/बब्बल गम	5000 पीपीएम
		सिंथेटिक सिरप डिस्पेंसर हेतु	1500 पीपीएम
4.	सुक्रेलोज	कार्बोनेट वाटर	300 पीपीएम
		सोफ्ट ड्रिंक कन्सन्ट्रेट	300 पीपीएम
		बिस्कुट, ब्रेड, केक और पेस्टीज	750 पीपीएम
		मिठाइयां (कार्बोहाइड्रेटस् आधारित और दुग्ध उत्पादों पर आधारित) हलवा, मैसूर पाक, बूंदी लड्डू, जलेबी खोया बर्फी, पेड़ा, गुलाब जामुन, रसगुल्ला और किसी भी नाम से बेची जाने वाली इसी प्रकार की दूध के उत्पाद पर आधारित मिठाई	750 पीपीएम

(ग) और (घ) चीनी रहित आइसक्रीमों और अन्य खाद्य उत्पादों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है।

अ.जा./अ.ज.जा. कर्मचारी संगठन को मान्यता

3541. श्री एम. अप्पादुरई :

श्री परसुराम मांझी :

श्री मोहन जेना :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विचार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संगठन को विभागीय मान्यता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार को इस संबंध में आज तक प्राप्त हुए अभ्यावेदनों की संख्या कितनी है;

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संगठन को विभागीय मान्यता कब तक दे दी जाएगी?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के सेवा संघों को मान्यता देने के लिए केन्द्रीय सिविल सेवा (सेवा संघों को मान्यता) नियमावली, 1993 पहले से ही मौजूद है।

(ख) से (ङ) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा, प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से, केन्द्रीय सिविल सेवा (सेवा संघों को मान्यता) नियमावली, 1993 के अनुसार सेवा संघों को मान्यता दी जाती है। इस बारे में जानकारी केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती।

टिटनस का उन्मूलन

3542. श्री किन्जरपु येरननायडु : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) नवजात शिशुओं में से टिटनस के उन्मूलन के हेतु लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं;

(ख) गत एक वर्ष के दौरान प्रचार के बावजूद राज्य–वार प्रतिरक्षित नहीं किये गए बच्चों की संख्या कितनी है; और

(ग) इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) यह निर्धारित किया गया है कि नवजात शिशु को होने वाले टेटनस का उन्मूलन करने संबंधी लक्ष्य वर्ष 2009 तक प्राप्त कर लिया जाएगा।

(ख) नवजात शिशु को होने वाले टेटनस की रोकथाप के लिए गर्भवती महिलाओं को नियमित टीकाकरण में टेटनस टाक्साइड दिया जाता है न कि अभियान के दौरान। नियमित टीकाकरण के कवरेज के अनुसार पिछले वर्ष के दौरान ऐसे गर्भवती महिलाओं की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है, जिनको टीका नहीं लगाया गया था।

(ग) लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कार्य प्रस्तावित हैं:–

1. नियमित टीकाकरण को सुदृढ़ करके अधिकाधिक गर्भवती महिलाओं को टेटनस टाक्साइड प्रदान करना।
2. संस्थागत प्रसव के जरिए सुरक्षित प्रसव को बढावा देना। चुनिंदा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चौबीसों घंटे सेवाएँ प्रदान करने संबंधी स्कीम।
3. नवजात शिशु को होने वाले टेटनस का पता करना एवं उसकी जांच करने के लिए प्रभावकारी निगरानी।

विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ क्षेत्र एजेंसी	2003–04
1	2	3
I.	**बड़े राज्य (20 मिलियन से अधिक जनसंख्या)**	**मासिक सेवा आंकड़े के अनुसार कवर नहीं किए गए।**
1.	आंध्र प्रदेश	0.2
2.	असम	52.5
3.	बिहार	66.9
4.	छत्तीसगढ़	5.1
5.	गुजरात	12.0
6.	हरियाणा	16.4
7.	झारखंड	66.0
8.	कर्नाटक	26.5
9.	केरल	12.1
10.	मध्य प्रदेश	11.8
11.	महाराष्ट्र	7.3
12.	उड़ीसा	22.3
13.	पंजाब	15.3
14.	राजस्थान	12.1
15.	तमिलनाडु	5.0
16.	उत्तर प्रदेश	21.1
17.	पश्चिम बंगाल	22.6
II	**छोटे राज्य**	
1.	अरुणाचल प्रदेश	66.3
2.	दिल्ली	12.4
3.	गोवा	10.2
4.	हिमाचल प्रदेश	8.8
5.	जम्मू–कश्मीर	2.2
6.	मणिपुर	44.3
7.	मेघालय	55.7
8.	मिजोरम	0.0
9.	नागालैंड	22.5
10.	सिक्किम	27.3
11.	त्रिपुरा	18.4
12.	उत्तरांचल	0.0
III	**संघ क्षेत्र**	
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5.2
2.	चंडीगढ़	4.6
3.	दादरा और नगर हवेली	13.5
4.	दमन और द्वीव	34.3
5.	लक्षद्वीप	9.0
6.	पांडिचेरी	8.4
	अखिल भारत	22.4

*आंकड़े अनंतिम

[हिन्दी]

पोस्टल सर्कलों में निर्मित वाणिज्यिक दुकानें

3543. श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पोस्टल सर्कल में उन डाकघरों की संख्या कितनी है जिनमें वाणिज्यिक दुकानें निर्मित की गई हैं और उन पर कितनी धनराशि खर्च की गई हैं;

(ख) तत्संबंधी मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ग) अब तक आबंटित की गई दुकानों की संख्या कितनी है और अभी आबंटित की जाने वाली दुकानों की संख्या कितनी है; और

(घ) इन दुकानों के किराये से विभाग द्वारा कितना लाभ अर्जित किया गया?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) 1995–96 के दौरान दिल्ली में 20 डाकघरों में उपलब्ध खाली स्थान 23 पोस्ट शॉपे (डाक दुकानों) को कार्य करने हेतु उपलब्ध कराए गए थे। इस प्रयोजनार्थ कोई अतिरिक्त निर्माण कार्य नहीं कराया गया, अतः कोई राशि व्यय नहीं हुई।

(ख) डाक लेखन सामग्री, ग्रीटिंग कार्ड, पैकिंग सामग्री, पुस्तकें और पत्र–पत्रिकाओं आदि की बिक्री और विभाग के लिए गैर–प्रभार राजस्व अर्जित करने के प्रयोजनार्थ।

(ग) तेईस डाक दुकानें आबंटित की गई थीं और नई दिल्ली जीपीओ में एटीएम (स्वचालित गणक मशीन) के लिए यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को आबंटित एक के अलावा सभी को 2002 में बन्द कर दिया गया। दुकानें आबंटित करने का कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

(घ) 2002 तक प्रतिवर्ष 12,21,732/– रुपए की आय होती थी। नई दिल्ली जीपीओ में यूटीआई को आबंटित स्थान से प्रतिमाह आय 52,204/– रुपए प्राप्त होती है।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में दूरसंचार नेटवर्क का विकास

3544. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवीं योजना अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल में दूरसंचार और डाक के क्षेत्र में निष्पादित किये जाने वाले विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नौवीं योजना अवधि में आरम्भ किया गया कुछ कार्य अभी भी अपूर्ण है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ये कार्य कब तक पूर्ण कर लिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) 10वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में बीएसएनएल द्वारा किए गए दूरसंचार संबंधी विकास कार्यों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

वर्ष (दसवीं योजना अवधि)	पैरामीटर			
	2002–03		2003–04	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
नए टेलीफोन कनेक्शन (वायर्ड + डब्ल्यूएलएल + सीएमटीएस) लाइनें	279000	356211 (सकल)	417000	371171 (सकल)
स्विचन क्षमता (लाइनें)	419350	405980	360000	302975
ओएफसी (रूट कि.मी.)	3500	3360	1282	1851
माइक्रोवेव (रूट कि.मी.)	–	25	82	58
वीपीटी (संख्या)	4125	3147	शून्य	शून्य
टीएक्स (कनेक्शन 1000 में)	66.5	69.05	54	47

दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करने के लक्ष्य प्रत्येक वर्ष निर्धारित किए जाते हैं। चालू वर्ष 2004–05 के लिए 8.84 लाख टेलीफोन कनेक्शनों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसमें से 3. 21 लाख टेलीफोन कनेक्शनों को 31.10.2004 तक प्रदान कर दिया गया है। 10वीं योजना के दौरान पश्चिम बंगाल में डाक के क्षेत्र में जिन विकास कार्यों को निष्पादित करने की योजना बनाई गई है उनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) जहां तक दूरसंचार का संबंध है, ऐसा कोई कार्य अधूरा नहीं रहा है जिसे 9 वीं योजना अवधि में शुरू किया गया था। तथापि, डाक क्षेत्र के मामले में बिजली की अनुपलब्धता के कारण दो भवन परियोजनाओं, अर्थात् भरतपुर, मुर्शिदाबाद में डाकघर भवन औ: सब पोस्टमास्टर के आवासों का निर्माण कार्य और झलझलिया, माल्छा में 8 कर्मचारी आवासों (टाइप –II) का निर्माण कार्य न तो पूरा किया जा सका और न ही शुरू किया जा सका। इनको 2004–05 के अंत तक पूरा कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त नौवीं पंचवर्षीय योजना में कोलकाता में एक आटोमैटिक मेल प्रोसेसिंग केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव की शुरूआत की गई थी परंतु डाक के परियात का निपटान करने के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिकीय विकल्पों के मद्देनजर परियोजनाओं की लागत और कार्यक्षेत्र की पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता थी अतः इस प्रस्ताव को क्रियान्वित नहीं किया जा सका। अब कोलकाता में आटोमैटिक मेल प्रोसेसिंग केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव की पुनरीक्षा करने का कार्य पूरा हो गया है। इस परियोजना को 10वीं योजना अवधि के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।

विवरण

10वीं योजना अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल में जिन विकास कार्यों को निष्पादित करने की योजना बनाई गई है उनका ब्यौरा

क्र.सं.	योजना का नाम	निष्पादन का ब्यौरा
1	2	3
1.	डाकघरों (एमपीसीएम की संस्थापना), लेखा तथा प्रशासनिक कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण तथा साफ्टवेयर का विकास	(क) सभी प्रधान डाकघरों तथा 2 से अधिक कर्मचारियों वाले सभी उप डाकघरों को कंम्प्यूटरीकृत किया जाना है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों। (ख) डाक लेखा कार्यालय (पीएओ) कोलकाता का कंप्यूटरीकरण। ई–पोस्ट, ई–बिल पोस्ट और राष्ट्रीय डाटा केन्द्र के संबंध में पश्चिम बंगाल सहित सभी राज्यों के लाभ हेतु केन्द्रीय तौर पर निधियां भी प्रदान की जा रही हैं।
2.	डाक कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण और नेटवर्किंग	2002–03 और 2003–04 के दौरान तीन प्रधान अभिलेख कार्यालयों को कंप्यूटरीकृत किया गया है।
3.	ग्राहक सेवा केन्द्रों का उन्नयन	पश्चिम बंगाल के विभिन्न भागों में साठ कंप्यूटरीकृत ग्राहक सेवा केन्द्रों (सीसीसी) की स्थापना की गई है और 14 मौजूदा कंप्यूटरीकृत ग्राहक सेवा केन्द्रों का उन्नयन किया गया है।
4.	प्रचालनरत/कार्यरत प्रणालियों का आधुनिकीकरण (एर्गानामिक्स में सुधार करना)	क) अब तक 13 डाकघरों को आधुनिकीकृत किया गया है। चालू वर्ष में 10 डाकघरों का आधुनिकीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। (ख) 7 स्पीड पोस्ट केन्द्रों (एसपीसी) को आधुनिकीकृत किया गया है। (ग) 2002–03 और 2003–04 में चार नई रेल डाक वैन (आरएमएस) प्रदान की गई हैं।

1	2	3
		(घ) 2002–03 और 2003–04 में 191 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों (ईडीबीओ) को अवसंरचनात्मक उपस्कर प्रदान किए गए थे। चालू वर्ष में 149 ईडीबीओ को अवसंरचनात्मक उपस्कर प्रदान किए गए हैं।
		(ङ) चालू वर्ष में एक मेल मोटर डिपो का आधुनिकीकरण किया जाना है।
5.	आटोमैटिक मेल प्रोसेसिंग केन्द्र	कोलकाता में आटोमैटिक मेल प्रोसेसिंग केन्द्र स्थापित किया जाना है।
6.	प्रीमियम उत्पादों का आधुनिकीकरण/उन्नयन	(क) 2003–04 में एक राज्य स्पीड पोस्ट केन्द्र का दर्जा बढ़ाकर राष्ट्रीय स्पीट पोस्ट केन्द्र कर दिया गया।
		(ख) बुक की गई स्पीड पोस्ट की मदों की ट्रैक एंड ट्रेस की सुविधा प्रदान करने के लिए 12 स्पीड पोस्ट बुकिंग कार्यालयों/एसपीसी को कंप्यूटर तथा उससे संबद्ध उपकरणों की आपूर्ति की गई।
		(ग) कंम्प्यूटर से निकली गई रसीदें जारी करने, बार कोडों की स्कैनिंग करने और दैनिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए 29 स्पीड पोस्ट बुकिंग और वितरण कार्यालयों को कंप्यूटर और उससे संबद्ध उपकरणों की आपूर्ति की गई।
7.	फिलैटली का उन्नयन और संवर्धन	(क) 10वीं योजना अवधि के 3 वर्षों में 12 जिला स्तरीय फिलैटली प्रदर्शनियां आयोजित की गई
		(ख) सात फिलैटली ब्यूरो/काउंटरों को फिलैटली का सहायक सामान और उपस्कर प्रदान किए गए।
8.	भवनों का निर्माण का निर्माण कार्य किए जाने की योजना बनाई है।	10वीं योजना अवधि में सात भवन परियोजनाओं
9.	सर्किल स्टाम्प डिपो का कंप्यूटरीकरण	कोलकाता सर्किल स्टाम्प डिपो को कंप्यूटरीकृत किए जाने का लक्ष्य है।
10.	अंतर्राष्ट्रीय मेल प्रोसेसिंग का आधुनिकीकरण	कोलकाता विदेश डाकघर को कंप्यूटरीकृत किया जाना है।
11.	सेवा की गुणवत्ता में सुधार (ईएपी)	कोलकाता में डाक की सुरक्षा हेतु तथा चुनिंदा डाकघरों में उच्च कोटि की डाक टिकट विरूपण तथा तारीख की मुहर लगाने वाली मशीनों की आपूर्ति हेतु गुणवत्ता सेवा परियोजना क्रियान्वित की जानी है।
12.	डाक नेटवर्क का विस्तार	10वीं योजना में 38 शाखा डाकघर और 2 उपडाकघर तथा 4 पंचायत संचार केन्द्र (पीएसएसके) खोले गए हैं।

[हिन्दी]

अवैध दूरभाष केन्द्र

3545. श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :

श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में एम.टी.एन.एल और बी.एस.एन.एल. के अनेक अवैध दूरभाष केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान पता लगाए गए ऐसे अवैध दूरभाष केन्द्रों की संख्या कितनी है और इस संबंध में संलिप्त पाए गए विभागीय कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ग) उनके कार्यकरण को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) गत एक वर्ष के दौरान इन केन्द्रों के कारण कितनी हानि हुई?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बी.एस.एन.एल. द्वारा अधिक धनराशि की वापसी

3546. श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी.एस.एन.एल. को निजी बुनियादी सेवा प्रदाताओं से अधिक धनराशि प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दूरसंचार विवाद निपटान अपील न्यायाधिकरण ने बी.एस.एन.एल. को ब्याज सहित इस धनराशि को वापस करने और 2002-2003 के दौरान इंटर-नेटवर्क कालों में एस.टी.डी. पल्स दरों को नहीं बढाने को निदेश दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन अपीलकर्ताओं के नाम क्या हैं जिन्हें बी.एस.एन.एल. से यह राशि प्राप्त हो गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) बीएसएनएल ने सामुदायिक हित को बढ़ावा देने की दृष्टि से 50-100 कि.मी. और 101-200 कि. मी. की दूरी के भीतर की अंतरा-सर्किल कालों हेतु अपने उपभोक्ताओं के लिए 25 जनवरी, 2001 से रियायती प्रशुल्क लगाए थे। ट्राई ने इस संबंध में निर्णय देते हुए बीएसएनएल को यह निर्देश दिया था कि वह निजी बुनियादी सेवा प्रदाताओं से अभिगम प्रभारों का प्रभारण करने के प्रयोजन हेतु भी इसी रियायती प्रशुल्क को लागू करे। बीएसएनएल के मतानुसार यह रियायती प्रशुल्क बीएसएनएल द्वारा चलाए जा रहे निजी बुनियादी सेवा प्रदाताओं के नेटवर्क से की जाने वाली कालों के लिए राजस्व की हिस्सेदारी के प्रयोजन हेतु लागू नहीं था। अतः बीएसएनएल द्वारा ट्राई के निर्णय को माननीय दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण में चुनौती दे दी गई थी।

(ग) और (घ) माननीय दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण ने दिनांक 3 नवंबर, 2004 के अपने आदेश में यह आदेश दिया है कि "बुनियादी टेलीफोन प्रचालकों की एसोसिएशन (एबीटीओ) की किसी भी अपील में किए गए निवेदनों में कहीं भी उसके द्वारा बीएसएनएल से दावा की गई सुनिश्चित रकमों का उल्लेख नहीं किया गया है। इस मामले को देखते हुए यदि पूर्वोक्त बुनियादी सेवा प्रचालकों (बीएसओ) ने अपने संबंधित उपभोक्ताओं की बिलिंग किए बिना अपने स्वयं के स्रोतों से बीएसएनएल को कोई अधिक भुगतान कर दिया हो तो उनके लेखों की जांच करनी पड़ेगी। बीएसओ द्वारा बीएसएनएल को 03.07.2001 से 01.05.2003 की अवधि के दौरान किए गए किसी भी अधिक भुगतान की राशि का पता लगाने के लिए बीएसओ और बीएसएनएल, दोनों के लेखों की जांच करने के लिए हम श्री एन. पार्थसारथी, भूतपूर्व सदस्य (वित्त), दूरसंचार आयोग को स्थानीय आयुक्त के बतौर नियुक्त करते हैं।"

(ङ) किसी भी अपीलकर्ता को बीएसएनएल से भुगतान वापस नहीं मिला है क्योंकि माननीय दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण द्वारा नियुक्त "स्थानीय आयुक्त" द्वारा अभी उसका निर्धारण किया जाना है। इस मामले में शामिल अपीलकर्ता बुनियादी सेवा प्रदाताओं के नाम निम्नानुसार हैं:-

1. एचएफसीएल इन्फोटेल लिमिटेड
2. ह्यूजेस टेलीकॉम (इंडिया) लिमिटेड
3. श्याम टेलीलिंक लिमिटेड
4. टाटा टेलीसर्विसेज़ लिमिटेड
5. भारती टेलीनेट लिमिटेड

पारंपरिक दवाइयों को बढ़ावा देना

3547. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारम्परिक दवाइयों की पहचान, मूल्यांकन और गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ (फिक्की), बीएचईआर डीएस, ग्रामीण विकास सोसाइटी, उद्योग एवं वैज्ञानिक समुदाय को शामिल करके एक कृतिकबल गठित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय पारम्परिक दवाइयों को लोकप्रिय बनाने और इनके प्रति विश्वास पैदा करने के उद्देश्य से यह सहमति की गई थी कि फिक्की द्वारा अब से इस मद को अन्य देशों के साथ संयुक्त व्यापार परिषद् की कार्यसूची में शामिल किया जाना चाहिए;

(ग) यदि हां, तो इस कृतिक बल द्वारा किन अन्य प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा; और

(घ) भारत में पारम्परिक दवाइयों को बढ़ावा देने में इस प्रकार का कृतिक बल कितनी सहायता करता है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) भारत सरकार ने भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ (फिक्की), वीएचईआरडीएस (स्वैच्छिक स्वास्थ्य शिक्षा एवं ग्रामीण विकास सोसाइटी), आदि को शामिल करके कोई भी कृतिक बल गठित नहीं किया है। तथापि, यह ज्ञात है कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ ने वीएचईआरडीएस (स्वैच्छिक स्वास्थ्य शिक्षा एवं ग्रामीण विकास सोसाइटी) के सहयोग से पारंपरिक पद्धति के सुदृढ़ीकरण हेतु क्षमता की पहचान करने, स्वास्थ्य परिचर्या की गुणवत्ता में वृद्धि करने, ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन में इसके योगदान तथा विश्व बाजार में भारतीय भागीदारी को विस्तारित एवं बहु-आयामी करने हेतु एक कृतिक बल का गठन किया है।

बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल का कार्य निष्पादन

3548. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पूर्ण दूरभाष कनेक्शन में सरकारी क्षेत्र की कंपनियों का शेयर घट रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है जिससे कि ये निजी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों के साथ प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा कर सकें; और

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) जी, हां। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की कुल हिस्सेदारी मार्च, 2002 में 94.98% से घटकर अक्तूबर, 2004 में 56% रह गई है। तथापि, यह भी नोट किया जाए कि जहां एक तरफ स्थिर फोनों में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की हिस्सेदारी 98.65% से घटाकर 91.39% हुई है, वहीं मोबाइल क्षेत्र में इस अवधि के दौरान उनकी हिस्सेदारी 3.98% से बढ़कर 20.21% हो गई है। अंतिम तीन वर्षों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	वर्ष	कुल फोन (मिलियन में)	सार्वजनिक क्षेत्र (मिलियन में)	निजी क्षेत्र (मिलियन में)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की हिस्सेदारी का %	निजी प्रचालकों की हिस्सेदारी का %
1.	2001-2002	45.26	3.46	6.80	84.98	15.02
2.	2002-2003	54.62	43.17	11.45	79.04	20.96
3.	2003-2004	76.51	46.48	30.03	60.76	39.24
4.	2004-2005 (अक्तूबर, 2004)	88.62	49.32	39.30	56.00	44.00

बढ़ती स्पर्द्धा और दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने वाले निजी प्रचालकों की अधिकाधिक भागीदारी के कारण कुल हिस्सेदारी में कमी रही है।

(ग) और (घ) सरकार ने वर्ष 2007 तक सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों के प्रचालकों के लिए 10 करोड़ से 15 करोड़ अतिरिक्त फोनों के लक्ष्यों का अनुमान लगाया है। बीएसएनएलऔर एमटीएनएल से इस लक्ष्य के बड़े हिस्से के बारे में योजना बनाने और उसमें योगदान करने की उम्मीद है। तथापि, वर्ष 2004-05 के लिए राज्यवार लक्ष्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 2004–05 के लिए राज्य–वार लक्ष्य

क्र.सं.	सर्किल का नाम	लक्ष्य
1.	बिहार	438300
2.	छत्तीसगढ़	102900
3.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	586600
4.	असम	213600
5.	पश्चिम बंगाल	532000
6.	झारखंड	151000
7.	मध्य प्रदेश	332200
8.	उड़ीसा	319200
9.	पूर्वोत्तर–2	23000
10.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	362500
11.	जम्मू–कश्मीर	102100
12.	पूर्वोत्तर–1	116800
13.	राजस्थान	641700
14.	आंध्र प्रदेश	639700
15.	उत्तरांचल	139900
16.	महाराष्ट्र	965500
17.	तमिलनाडु	548600
18.	कर्नाटक	434400
19.	हरियाणा	375000
20.	गुजरात	663000
21.	हिमाचल प्रदेश	147700
22.	पंजाब	548000
23.	कोलकाता	351700
24.	केरल	1018000
25.	अंडमान और निकोबार	9900
26.	चेन्नई	236700
27.	दिल्ली और मुम्बई (एमटीएनएल)	500000
	कुल	10500000

चिकित्सा महाविद्यालयों का आधुनिकीकरण

3549. श्री प्रबोध पाण्डा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्तमान में राज्य–वार चिकित्सा महा–विद्यालयों की संख्या और उनमें छात्रों की संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त चिकित्सा महाविद्यालयों के आधुनिकीकरण पर सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) उन चिकित्सा महाविद्यालयों के नाम क्या हैं; जिन्होंने आधुनिकीकरण हेतु धनराशि प्राप्त की है; और

(घ) वर्ष 2004–05 के दौरान कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) सूचना संलग्न विवरण–I में दी गई है।

(ख) से (घ) चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है इसलिए सरकार की राज्य द्वारा चलाए जाने वाले कालेजों को आधुनिक बनाने के वास्ते धन मुहैया कराने की कोई स्कीम नहीं है। तथापि, "क्षमता निर्माण हेतु सहायता" नामक स्कीम के अंतर्गत सरकार ने सरकारी मेडिकल कालेजों से संबद्ध अस्पतालों में नैदानिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 2001–02 एवं वर्ष 2002–03 के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों को निधियाँ जारी की हैं। जारी की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण – II में दिया गया है। इस स्कीम को वर्ष 2003–04 से समाप्त किया जा चुका है।

विवरण

दिनांक 20.12.04 की स्थिति के अनुसार देश में राज्य–वार मेडिकल कालेजों की संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	कालेजों की कुल संख्या	सीटों की कुल संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	27	3375
2.	असम	3	391
3.	बिहार	8	510
4.	चंडीगढ़	1	50
5.	छत्तीसगढ़	2	200

1	2	3	4
6.	दिल्ली	5	560
7.	गोवा	1	100
8.	गुजरात	13	1625
9.	हरियाणा	3	350
10.	हिमाचल प्रदेश	2	115
11.	जम्मू-कश्मीर	4	350
12.	झारखंड	3	364
13.	कर्नाटक	31	3905
14.	केरल	14	1600
15.	मध्य प्रदेश	7	820
16.	महाराष्ट्र	38	4260
17.	मणिपुर	1	100
18.	उड़ीसा	3	364
19.	पांडिचेरी	5	475
20.	पंजाब	6	520
21.	राजस्थान	8	800
22.	सिक्किम	1	50
23.	तमिलनाडु	20	2265
24.	उत्तर प्रदेश	12	1262
25.	उत्तरांचल	2	200
26.	पश्चिम बंगाल	9	1105
	कुल	229	25,592

विवरण-II

वर्ष 2001-02 और वर्ष 2002-03 के दौरान "क्षमता निर्माण हेतु सहायता" नामक स्कीम के अंतर्गत सरकारी मेडिकल कालेजों में नैदानिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु विभिन्न राज्यों को जारी की गई निधियों का राज्य-वार विवरण

असम

1. वर्ष 2001-02 के दौरान असम मेडिकल कालेज, डिब्रूगढ़ में नैदानिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु 150 लाख रु.

हरियाणा

1. वर्ष 2002-03 के दौरान पंडित बी डी शर्मा स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान संस्थान, रोहतक में नैदानिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु 148.76 लाख रु.

केरल

1. वर्ष 2002-03 के दौरान मेडिकल कालेज, तिरुवनंतपुरम में नैदानिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु 150 लाख रु.

तमिलनाडु

1. वर्ष 2002-03 के दौरान गवर्नमेंट मोहन कुमार मंगलम मेडिकल कालेज, सेलम में नैदानिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु 150 लाख रुपए

पश्चिम बंगाल

1. वर्ष 2002-03 के दौरान नाथ बंगाल मेडिकल कालेज, सुसरतनगर, दार्जिलिंग में नैदानिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु – 148.85 लाख रु.

वानर के गुर्दे को मनुष्य का गुर्दा बताकर बिक्री करना

3550. श्री बालासाहिब विखे पाटील : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संदेहास्पद वानर (एप) के गुर्दे को मनुष्य के गुर्दे बताकर बेचा जा रहा है जैसा कि दिनांक 26 नवम्बर, 2004 के 'द हिन्दुस्तान टाईम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने तथ्यों को सत्यापित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम

3551. डा. अरुण कुमार शर्मा :

श्री हरिभाऊ राठौड़ :

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

श्री मणी कुमार सुब्बा :

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी सड़कों की सूची क्या है, उनका कुल परिव्यय कितना है, लागू करने वाली एजेंसी कौन–कौन सी हैं, उक्त कार्यक्रम को शुरू करने की तिथि क्या है और इसके क्रियान्वयन हेतु राज्य–वार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) इस मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में सड़कों के तेजी से सुधार के लिए एक परियोजना तैयार की है जो अभी प्रस्ताव के स्तर पर है। इसलिए इस संबंध में अभी और ब्यौरे दे पाना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

डाकपालों की नियुक्ति

3552. श्री रामदास आठवले : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, आज तक राज्य–वार और वर्ष–वार ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्त किये गए डाकपालों की संख्या कितनी है;

(ख) उन पर वर्ष–वार कितना खर्च किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त डाकपालों की सेवा की पुष्टि करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों की नियुक्त हुए पोस्टमास्टरों की संख्या के संबंध में राज्यवार एवं वर्षवार और उस पर हुई व्यय राशि संबंधी सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) ग्रामीण डाक सेवक अंशकालिक कर्मचारी हैं जिन्हें प्रतिदिन अधिकतम पांच घण्टे की अवधि के लिए लगाया जाता है। यद्यपि वे राज्य के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक सिविल पदधारक होते हैं परन्तु ऐसा पद नियमित सिविल सेवा के अंतर्गत नहीं आता है। अतः वे नियमित सरकारी कर्मचारी नहीं अपितु एक अलग श्रेणी के कर्मचारी हैं।

ग्रामीण डाक सेवक पोस्टमेन और ग्रुप 'घ' संवर्ग की पदोन्नति हेतु क्रमशः 50% और 75% तक रिक्त पदों की पात्रता रखते हैं और इसके बाद वे स्थाई बन जाने के पात्र हो जाते हैं।

विवरण

क्र.सं.	सर्किल	निम्नलिखित अवधि के दौरान नियुक्त किए गए ग्रामीण डाक सेवक शाखा पोस्टमास्टर/सब पोस्टमास्टर			वर्ष के दौरान किए गया व्यय (रुपयों में)		
		1–7–01 से 30–6–02	1–7–02 से 30–6–03	1–7–03 से 30–6–04	1–7–01 से 30–6–02	1–7–02 से 30–6–03	1–7–03 से 30–6–04
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	422	395	156	8124274	7977536	3151841
2.	असम	52	53	40	819035	1011375	1313900
3.	बिहार	109	69	41	2244586	2437012	2184424
4.	छत्तीसगढ़	29	30	18	580318	1416858	1962409
5.	दिल्ली	09	04	05	302303	401892	549643
6.	गुजरात	76	40	12	1501838	974774	307000
7.	हरियाणा	49	22	05	617008	233014	43138
8.	हिमाचल प्रदेश	47	49	15	672630	2081290	2590426

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	जम्मू-कश्मीर	18	53	13	219569	1084064	2145292
10.	झारखण्ड	27	15	13	774715	751268	976516
11.	कर्नाटक	236	289	138	17783330	7115547	9257087
12.	केरल	58	54	51	1300851	2099500	2720314
13.	मध्य प्रदेश	72	24	12	618620	837328	794783
14.	महाराष्ट्र	180	142	61	4248720	3482976	1552572
15.	गोवा	7	6	1	165228	147168	25452
16.	अरुणाचल प्रदेश	6	7	15	99660	116620	375300
17.	मणिपुर	–	–	16	–	0	456354
18.	मेघालय	18	5	–	411912	116760	0
19.	मिजोरम	13	8	3	316056	206016	88164
20.	नागालैण्ड	2	–	2	69076	0	133460
21.	त्रिपुरा	28	11	6	628448	219593	206272
22.	उड़ीसा	165	104	31	3605066	2598396	1617691
23.	पंजाब	15	10	06	1117086	400184	487400
24.	राजस्थान	121	137	76	2189056	5283717	8515697
25.	तमिलनाडु	204	262	90	4816097	10666298	4107027
26.	उत्तर प्रदेश	186	152	74	3140259	4827025	4141189
27.	उत्तरांचल	63	64	27	1767652	2477456	1104125
28.	पश्चिम बंगाल	69	49	15	431259	373772	69304
29.	सिक्किम	3	–	2	104114	0	69076
	कुल	2284	2054	944	58668766	59337439	50948856

[अनुवाद]

कोल विजन डोक्यूमेंट - 2030

3553. श्री बी. विनोद कुमार : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "कोल विजन डोक्यूमेंट-2030' तैयार करने के लिए एक समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नीतिगत दस्तावेज कब तक तैयार हो जायेगा?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) कोयला मंत्रालय द्वारा 31.3.2005 तक "कोयला विज़न दस्तावेज-2025" तैयार कर लिए जाने की संभावना है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के दंत विज्ञान में स्नातकोत्तर शिक्षा एवं अनुसंधान

3554. श्री रघुनाथ झा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि छठी पंचवर्षीय योजना (1980–85) के दौरान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में दंत विज्ञान में स्नातकोत्तर शिक्षा और अनुसंधान की स्थापना की जानी थी किन्तु आज तक भी इसे स्थापित नहीं किया जा सका है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसे कब तक स्थापित कर दिया जायेगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) आरंभ में संस्थान की शैक्षणिक समिति ने 1979 में दंत चिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तर शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र की स्थापना का अनुमोदन किया था जिसे छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया जाना था। किन्तु इसे कार्यान्वित नहीं किया जा सका। व्यय वित्त समिति ने दिनांक 11.10.2001 को 23.21 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर प्रस्ताव का अनुमोदन किया। तथापि, कार्यक्षेत्र में परिवर्तन होने के कारण, इस प्रस्ताव को संशोधित करना पड़ा। व्यय वित्त समिति ने 40.42 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर संशोधित प्रस्ताव का अनुमोदन किया। यह मामला निविदा परिसमाप्ति के अन्तिम चरण में है। संविदा दिए जाने के एक वर्ष के भीतर परियोजना के पूरा होने की संभावना है।

केरल में एक्सप्रेस मार्ग

3555. श्री एस. अजय कुमार : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार से केरल में एक्सप्रेस राजमार्ग हेतु 2002 के बाद कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो राजमार्ग की लंबाई, वित्त पोषण का स्त्रोत, कुल अपेक्षित धनराशि और निर्माण अवधि तथा इस परियोजना की वजह से विस्थापित होने वाले व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस परियोजना के लिए विस्तृत पर्यावरणीय प्रभाव का विश्लेषण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो उस प्राधिकृत एजेंसी का नाम क्या है जिसने पर्यावरणीय प्रभाव का विश्लेषण किया है; और

(ङ) उपरोक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) केरल सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में विषाणु जन्य मस्तिष्क ज्वर

3556. श्री चन्द्रभूषण सिंह :

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विषाणु जन्य मस्तिष्क ज्वर के लक्षणों से मरे बच्चों की रिपोर्ट के बाद विशेषज्ञ दल भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त विशेषज्ञ दल ने बच्चों की मृत्यु पर कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ङ) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अनुरोध पर केन्द्रीय सरकारी अस्पताल, राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, राष्ट्रीय रोगाणु वाहक रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद) के विशेषज्ञों वाले एक बहु–विषयक केन्द्रीय दल ने सहारनपुर और बागपत जिलें में बच्चों की सूचित की गई मौत की जांच की।

रिपोर्ट के अनुसार, नैदानिक जानपदिक रोग विज्ञानी, कीटविज्ञानी और सीरमविज्ञानी जांचों से पता चलता है कि ये प्रकोप तीव्र वाइरल एन्सिफैलाइटिस के कारण फैले थे।

यू.एस.ओ. नीति की समीक्षा

3557. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार यू.एस.ओ. के अंशदान में कटौती और समायोजित सकल राजस्व की प्रतिशतता के संबंध में प्रशासनिक लागत हेतु वैश्विक सेवा दायित्व नीति की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान गैर–लाभकारी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाओं को वित्तपोषित करने के लिए यूएसओ कोष के माध्यम से कुल कितना राजस्व जुटाया गया है; और

(घ) उपरोक्त अवधि के दौरान ग्रामीण टेलीफोनी के लिए महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में इसमें से खर्च की गई धनराशि कितनी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सार्वभौमिक सेवा सहायता नीति 1.4.2002 से प्रभावी हुई। सार्वभौमिक सेवा उगाही के प्रति वर्ष 2002–03 और वर्ष 2003–04 के दौरान एकत्र की गई राशियां क्रमशः 1,653.61 करोड़ रु. और 2,143.22 करोड़ रु. रहीं तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अनुमानित राशि 2,899.50 करोड़ रुपए है। सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसओ) निधि को वित्तीय वर्ष 2002–03 तथा 2003–04 में क्रमशः 300 करोड़ रु. और 200 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई थी। वित्तीय वर्ष 2004–05 के लिए अभी तक 200 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई है। पूर्ववर्ती कमियों तथा चालू वर्ष की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 2500 करोड़ रु. की अतिरिक्त मांग वित्त मंत्रालय को भेजी गई है।

(घ) महाराष्ट्र सेवा क्षेत्र के लिए संवितरित आर्थिक सहायता की राशि निम्नानुसार है:

वर्ष	राशि (करोड़ रु. में)
2002–03	19.84*
2003–04	3.90
2004–05	9.34 (आज तक)

विदर्भ क्षेत्र के लिए अलग से कोई सूचना नहीं रखी गई है।

*इसमें 2003–04 के लिए अग्रिम राशि के रूप में दी गई 7.10 करोड़ रु. की राशि शामिल है।

स्वास्थ्य परिचर्या के शिक्षण हेतु यू. एस. चिकित्सा विद्यालय

3558. श्री एस. पी. वाई. रेड्डी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का संयुक्त राष्ट्र से भारत के स्वास्थ्य परिचर्या के व्यावसायिकों को सार्वजनिक स्वास्थ्य की तकनीकी और अस्पताल प्रबंधन के शिक्षण हेतु कुछ प्रतिष्ठित चिकित्सा विद्यालयों को आमंत्रित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर संयुक्त राष्ट्र के चिकित्सा विद्यालयों से क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है; और

(घ) इस मामले को कब तक अंतिम रुप दे दिया जाएगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) देश में उत्तम जन स्वास्थ्य व्यवासायियों की नीति को ध्यान में रखते हुए, इस बात का पता लगाया जा रहा है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और भारतीय प्रबंधन संस्थानों के श्रेष्ठ स्तर की जन स्वास्थ्य की नई संस्थाओं की स्थापना करके और मौजूदा संस्थाओं जहां पर जन स्वास्थ्य में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, के स्तर को बढ़ाकर भारत में जन स्वास्थ्य की संरचना को कैसे सुदृढ़ किए जाएं। इस पहल के बारे में रीतियों का पता लगाने के लिए इस संदर्भ में, "भारत में जन स्वास्थ्य संस्थान : संकल्पना से वास्तविकता की ओर" पर 16–17 सितम्बर, 2004 तक एक दो दिवसीय राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया गया। अभी तक किसी भी कार्यवाही योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

राजस्थान में परिवार कल्याण कार्यक्रम

3559. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास परिवार कल्याण कार्यक्रम को विशेषकर राजस्थान में और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कोई कार्ययोजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) परिवार कल्याण संबंधी योजनाओं सहित स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की प्रदानगी में सुधार लाने के लिए समूचे देश में शीघ्र ही एक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किए जाने का प्रस्ताव है। इस मिशन के तहत विशेष बल दिए जाने हेतु पता लगाए गए 17 राज्यों में से राजस्थान भी एक राज्य है। इस मिशन से सम्बन्धित ब्यौरों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विद्यावाहिनी परियोजना

3560. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन :

श्री सुरेश कुरूप :

प्रो. चन्द्र कुमार :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक प्रभावी शिक्षा प्रौद्योगिकी प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए विद्यावाहिनी परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) परियोजना के लिए पहचान किए गए स्कूलों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में केरल सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) 'विद्याविहानी'' कार्यक्रम की संकल्पना सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अधिगम के वातावरण को एक दिशिक से बदल कर बहुदिशिक बनाने के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) तथ' इंटरनेट का पूरा उपयोग करने की एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में की गई थी। प्रायोगिक परियोजना देश के निम्नलिखित 6 राज्यों के 7 जिलों के 140 सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में लागू की गई है:–

i. कुप्पम (चित्तूर, आन्ध्र प्रदेश)

ii. गांधी नगर, गुजरात

iii. हजारीबाग, झारखण्ड

iv. लखनऊ, उत्तर प्रदेश

v. इलाहबाद, उत्तर प्रदेश

vi. दक्षिण 24 परगना (कोलकाता), पश्चिम बंगाल

vii. परली वैजनाथ, (बीड़), महाराष्ट्र

प्रत्येक 7 जिले में 20–20 सरकारी/सरकारी सहायता विद्यालयों को चुना गया है। शिक्षण में आईसीटी के प्रयोग पर शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रायोगिक परियोजना में शामिल प्रत्येक जिले के एक–एक विद्यालय में प्रशिक्षण प्रयोगशाला भी स्थापित की गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

ए आर टी उपचार

3561. श्री लोनाप्पन नम्बाडन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय कितने लोग एच आई वी/एड्स से प्रभावित हैं और उन्हें एन्टी रेट्रो वायरल उपचार (ए.आर.टी.) की आवश्यकता है;

(ख) क्या सरकारी अस्पतालों में ए आर टी उपचार मुफ्त उपलब्ध हैं;

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों ओर अस्पतालों के नाम क्या हैं जहां मुफ्त ए आर टी उपचार उपलब्ध है तथा महिलाओं, पुरूषों और बच्चों के मामले में प्रत्येक राज्य में लाभार्थियों की अलग–अलग संख्या कितनी है; और

(घ) ऐसे कितने लोगों को 2005 के अंत तक ए आर वी उपचार योजना के दायरे में लाया जाएगा जिन्हें ए आर टी उपचार की आवश्यकता है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) भारत में एच आई वी/एड्स से ग्रस्त व्यक्तियों, जिन्हें एआरटी की आवश्यकता है, की कुल संख्या लगभग 5 लाख होने का अनुमान है, यह देश में एच. आई.वी. से संक्रमित 51 लाख अनुमानित व्यक्तियों पर आधारित है।

(ख) और (ग) जी, हां।

देश के छह उच्च व्याप्तता वाले राज्यों अर्थात महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मणिपुर और नागालैण्ड में तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में दस चुनिंदा सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क एआरटी सेवाएं उपलब्ध हैं। इन अस्पतालों के नामों और लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

ऐसे छह अतिरिक्त अस्पताल जिन्हें निःशुल्क एआरटी सेवाओं की स्वीकृति भी दी गई है वे आंध्र प्रदेश में गुंटुर और विजाग के सरकारी मेडिकल कालेज, महाराष्ट्र में मिराज (सांगली), तमिलनाडु में मदुरै और मद्रास में मेडिकल कालेज चेन्नई तथा मणिपुर में जेएलएन अस्पताल इम्फाल हैं।

(घ) 2005 के अंत तक एआरटी उपचार के अंतर्गत कवर किए जाने वाले अनुमानित लोगों की संख्या 25,000 है।

विवरण

एआरटी प्राप्त करने वाले रोगियों की स्थिति रिपोर्ट (1 अप्रैल से 30 नवम्बर, 2004 तक संचयी संख्या)

क्र.सं.	संस्था	ए आर टी की संख्या				
		पुरूष	महिला	बच्चे	नपुंसक	कुल संख्या
1.	गवर्नमेंट हास्पिटल फार थोरासिक मेडिसिन, ताम्बरम (चेन्नई)	282	231	43	0	556
2.	रीजनल इंस्टीटयूट आफ मेडिकल साईंसिज, इम्फाल (मणिपुर)	164	66	4	0	234
3.	जे जे हास्पिटल, मुम्बई	492	206	5	1	704
4.	उस्मानिया मेडिकल कालेज, हैदराबाद	333	148	0	0	481
5.	डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, दिल्ली	183	68	40	0	291
6.	लोक नायक जय प्रकाश अस्पताल, दिल्ली	151	52	0	3	206
7.	बाउरिंग एंड लेडी कर्जन हास्पिटल (गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, बंगलौर)	138	41	8	0	787
8.	नागा डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल, कोहिमा (नागालैंड)	37	14	2	0	53
9.	मेडिकल कालेज, मैसूर (कर्नाटक)	16	6	0	0	22
10.	मेडिकल कालेज हुबली (कर्नाटक)	67	40	0	0	107
	कुल	1863	872	102	4	2841

कोयला संबंधी संपर्क (लिंकेज) समिति

3562. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला संबंधी स्थायी संपर्क (लिंकेज) समिति ने राज्य के स्वामित्व वाली कोयला कंपनियों के साथ कोयला संपर्क (लिंकेज) के नए प्रस्तावों की जांच करने हेतु बैठक बुलायी है;

(ख) क्या समिति को सरकारी क्षेत्र की कोयला कंपनियों से विभिन्न श्रेणियों के कोकिंग और नॉन कोकिंग कोयले की दीर्घकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनसे कोयला खरीदने के कई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या रक्षित खपत के लिए कोयला खानों को विकसित करने के किसी अन्य विकल्प पर भी विचार किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय ले लिए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) कोक निर्माण को कोयले के गृहीत खनन हेतु अन्त्य उपयोग के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव विधि तथा न्याय मंत्रालय के परामर्श से कोयला मंत्रालय में विचाराधीन है। अतः इस संबंध में निर्णय लिए जाने का समय बताना संभव नहीं है।

आउटसोर्सिंग व्यवसाय के रूप में डाकघरों का उपयोग

3563. श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाकघरों तथा उनके कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार डाकघरों को आउट– सोर्सिंग व्यवसाय में सेवा केन्द्रों के रूप में प्रयोग करने का है, जिससे कि वे बजटीय सहायता के बिना कार्य कर सकें; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) 31.3.2004 की स्थिति के अनुसार देश में 155669 डाकघर हैं और (31.3.2003 की स्थिति के अनुसार) इसकी स्वीकृत स्टाफ संख्या 5,65,922 कर्मचारियों की है।

(ख) और (ग) सरकारी और कारपोरेट संगठनों, वित्तीय संस्थानों, बैंकों आदि तक नेटवर्क की पहुंच के विस्तार के द्वारा ग्राहकों को अधिक सेवाएं प्रदान करके रिटेलिंग क्षमता को इष्टतम बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि राजस्व अर्जित हो सके।

अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान संस्थान की स्थापना

3564. श्री सी. के. चन्द्रप्पन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल ने विशिट उपचार के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में एक अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव किया है जो कि राज्य की राजधानी में बौद्धिक संपदा अधिकारों की देखरेख में भी सक्षम होगा;

(ख) यदि हां, तो अनुमानित लागत तथा इसकी प्रमुख विशेषताओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार इस अद्वितीय परियोजना के पक्ष में निर्णय लेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) मंत्रालय को अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान संस्थान, तिरुवनंतपुरम की स्थापना करने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस प्रस्ताव में अन्य बातों के साथ 500 शय्याओं वाले आयुर्वेद अस्पताल, प्रशिक्षण केन्द्र, अनुसंधान व विकास केन्द्र, संरक्षण तथा जीन बैंक, विस्तार क्रियाकलाप, अंकीय पुस्तकालय, प्रलेखीकरण केंद्र और संग्रहालय आदि की 101.60 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से व्यवस्था करने का उल्लेख है।

ऐसी कोई स्कीम नहीं है कि जिसके अनुसार इस प्रस्ताव को स्वीकृत किया जा सके। अतएव यह प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया है।

मलेरिया नियंत्रण में मेलाथिओन का उपयोग

3565. श्रीमती मेनका गांधी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम में अब भी मेलाथिओन का प्रयोग कर रही है;

(ख) यदि हां, तो यह कितनी मात्रा में प्रयोग की जा रही है तथा इसे कहां से खरीदा जाता है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मच्छरों पर मेलाथिओन पूरी तरह बेअसर है; और

(घ) यदि हां, तो मलेरिया नियंत्रण के लिए इसका अब तक प्रयोग करने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) राष्ट्रीय वेक्टर–जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम में जल में मेलाथिओन 25% वाटर डिसपर्सल पाउडर का प्रयोग उन क्षेत्रों में किया जा रहा है जहां मच्छर–प्रजातियों में डीडीटी पर प्रतिरोध क्षमता दर्शाई है। भारत सरकार दमन और द्वीव तथा दादरा और नगर हवेली संघशासित राज्यों को मेलाथिओन 25% वाटर डिसपर्सल पाउडर की आपूर्ति करती है। राज्य सरकारें मेलाथिओन 25% वाटर डिसपर्सल पाउडर का प्रापण अपनी तकनीकी जरूरतों के अनुसार करती हैं। भारत सरकार भी आपातकालीन स्थिति और वेक्टर–जनित रोगों के प्रकोप से निपटने के लिए मेलाथिओन टेक्नीकल का प्रापण करते है। पिछले 3 वर्षों में केन्द्र सरकार द्वारा प्रापण की गई मेलाथिओन 25% वाटर डिसपर्सल पाउडर और मेलाथिओन टेक्नीकल की मात्रा का विवरण इस प्रकार है।

वर्ष	मेलाथिओन 25% वाटर डिसपर्सल पाउडर	मेलाथिओन टेक्नीकल
2001–02	50.00 मी. टन	20.50 मी. टन
2002–03	50.00 मी. टन	15.00 मी. टन
2003–04	50.00 मी. टन	20.00 मी. टन

मेलाथिओन टेक्नीकल का प्रापण रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम–हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड लि. से किया जाता है। मेलाथिओन 25% वाटर डिसपर्सल पाउडर का प्रापण राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग कार्यक्रम के अधीन एक प्रापण एजेंसी–मैसर्स हिन्दुस्तान लैटेक्स लि. के माध्यम से किया जाता है।

राज्यों में मच्छर–प्रजातियों पर मेलाथिओन के प्रतिरोध प्रभाव की स्थिति दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राज्यों में मच्छर–प्रजातियों पर मेलाथिओन के प्रतिरोध प्रभाव की स्थिति

क्र. स.	मास्क्विटो वेक्टर स्पेसीज	राज्य का नाम	जिलों की संख्या
1.	एएन. क्यूलीफेसीज डीडीटी, डेलड्रीन और मेलाथिओन पर तीन गुना प्रतिरोध प्रभाव	महाराष्ट्र	30
		आंध्र प्रदेश	11
		मध्य प्रदेश	16
		कर्नाटक	09
		उड़ीसा	07
		पंजाब	04
		गुजरात	19
		उत्तर प्रदेश	01
		हरियाणा	02
		तमिलनाडु	04
II.	एएन. स्टेफेंसी तीन गुना प्रतिरोध प्रभाव	तमिलनाडु	01
		कर्नाटक	02
		गुजरात	02
		गोवा	01
	मेलाथिओन पर प्रतिरोध प्रभाव	हरियाणा	01

[हिन्दी]

मतदाता सूचियों में संशोधन के लिए डाकघर सेवाओं का उपयोग

3566. श्री ब्रजेश पाठक : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास पूरे देश में मतदाता सूचियों के संशोधन तथा उन्हें पहली बार आम जनता को उपलब्ध कराने के लिए डाकघर की सेवाओं के उपयोग का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जनता द्वारा जांच के लिए मतदाता सूचियों को कब तक डाकघरों को प्रदान किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शकील अहमद) : (क) निर्वाचन आयोग द्वारा देश भर में मतदाता सूचियों में संशोधन के कार्य में डाक विभाग की सेवाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। डाकघरों द्वारा किए गए कार्य के लिए निर्वाचन आयोग विभाग को उचित भुगतान करेगा।

(ख) डाकघरों के माध्यम से मतदाता सूचियों में संशोधन के तहत डाकघर निम्नलिखित विशेष जिम्मेदारियां निभाते हैं:–

(i) डाकघरों में मतदाता सूचियों का प्रदर्शन।

(ii) मतदाता सूचियों के नाम शामिल करने, हटने और भूल सुधार के लिए जनता को फॉर्म उपलब्ध कराना। डाकघरों में इन फॉर्मों की आपूर्ति निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है और जनता को डाकघर काउंटरों के माध्यम से ये फॉर्म निशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं।

(iii) निर्वाचन आयोग से हुए विचार–विमर्श के अनुसार हुई व्यवस्था के अंतर्गत डाक–वितरण कर्मचारियों द्वारा आगे की प्रोसेसिंग के लिए भरे हुए फार्म डाकघर काउंटरों पर जमा करना।

(ग) यह पहले ही किया जा रहा है।

अस्पताल के प्रशासन को न्यायालय के आदेश

3567. श्री हेमलाल मुर्मू :

श्री सुबोध मोहिते :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल प्रशासन द्वारा माननीय न्यायालय के आदेशों की अनदेखी के कई मामले सामने आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अस्पताल प्रशासन के विरुद्ध न्यायालयों में लंबित मामलों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अस्पताल प्रशासन के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में मामलों की संख्या बढती जा रही है;

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) सरकार ने अस्पताल के पारदर्शी, कुशल तथा प्रभावी प्रशासन के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(छ) क्या सरकार ने इस संबंध में सरकारी अस्पताल को निर्देश जारी किए हैं;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ड) न्यायालय के आदेशों की विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुसार जांच की जाती है तथा जहां सम्भव होता है उन्हें वहां कार्यान्वित किया जाता है। अथवा इन आदेशों के खिलाफ अपील की जाती है।

दिनांक 30.11.04 की स्थिति के अनुसार विभिन्न न्यायालयों में 22 मामले लम्बित हैं। जिनमें डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्ताल को प्रतिवादी बनाया गया है। वास्तव में विभिन्न न्यायालयों में मामलों की संख्या वर्ष 2001 में 44 से घटाकर वर्ष 2004 में 22 रह गई।

(च से (झ) अस्पताल के प्रशासन को प्रभावी बनाने की दृष्टि से अस्पतालों की कार्यप्रणाली की समीक्षा चिकित्सा अधीक्षकों, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर की जाती है।

[अनुवाद]

पीसीओ से हो रही आय में कमी

3568. डा. अरूण कुमार शर्मा : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पिछले कुछ वर्षों में शुल्क में बार-बार की जा रही कमी तथा मोबाईल नेटवर्क के प्रसार के कारण पीसीओ से लगातार कम हो रही आय की समस्या की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने पीसीओ की आर्थिक व्यवहार्यता के लिए क्या कार्रवाई की है;

(ग) क्या सरकार को अखिल असम पीसीओ एसोसिएशन की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें समस्या को कुछ कम करने के लिए विशेष सुझाव दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) पीसीओ से आय निम्न बातों पर निर्भर होती है;

(i) की गई एसटीडी/आईएसडी कालों की संख्या और अवधि तथा सेवा प्रभार आदि।

(ii) की गई स्थानीय कालों की संख्या

एसटीडी/आईएसडी प्रशुल्क में कमी किए जाने और मोबाइल नेटवर्क के प्रसार के कारण परियात के परिमाण में वृद्धि हुई है और यह पाया गया है कि पीसीओ से होने वाली आय में कोई खास कमी नहीं आई है।

(ख) यद्यपि बीएसएनएल पीसीओ फ्रैंचाइजी को किसी प्रकार की आय की कोई गारंटी नहीं देता है तथापि, उनकी आय में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(i) एसटीडी/आईएसडी पीसीओ फ्रैंचाइजियों को भारतीय दूरसंचार कार्ड (आईटीसी) बेचकर कमीशन अर्जित करने की अनुमति दी गई है।

(ii) फ्रैंचाइजी द्वारा मांग करने पर भी उसी परिसर में अतिरिक्त एसटीडी/आईएसडी पीसीओ लाइन आबंटित कर दी जाती है।

(iii) फ्रैंचाइजियों को उनके पीसीओ का उन्नयन करके सूचना प्रौद्योगिकी कियोस्क बनाने की अनुमति दी गई है।

(ग) जी, हां। ऑल असम पीसीओ एसोसिएशन ने अपने अभ्यावेदन में कमीशन में 20% से 40% की वृद्धि किए जाने की और पीसीओ के साथ-साथ उन्हें विभिन्न डाक मदों का विक्रेता बनाने की मांग की है।

(घ) पीसीओ फ्रैंचाइजियों को डाक की मदों का विक्रेता बनने की अनुमति है। स्थानीय पीसीओ फ्रैंचाइजियों को पहले ही 40% कमीशन दे दिया गया है। एसटीडी/आईएसडी पीसीओ फ्रैंचाइजियों को उनके प्रतिस्पर्धा के स्तर के आधार पर 20 से 25% तक का कमीशन दिया जाता है। प्रशुल्कों में कमी किए जाने और निजी प्रचालकों से प्रतिस्पर्धा के कारण लाभ में कमी होने के मद्देनजर इस कमीशन में और वृद्धि कर पाना व्यवहार्य नहीं है।

[हिन्दी]

उद्योग मेले

3569. श्री निखिल कुमार चौधरी : क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कृषि एवं ग्रामोद्योग के प्रसार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग मेले आयोजित करने का है;

(ख) यदि हां, तो बिहार और उत्तर प्रदेश के वे जिले कौन-कौन से हैं जिन्हें चालू वित्त वर्ष में इस उद्देश्य के लिए चुना गया है और

(ग) जिला स्तर पर ऐसे मेलों को आयोजित करने के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी तथा इस उद्देश्य के लिए धनराशि किन-किन स्त्रोतों से एकत्र की जाएगी?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) से (ग) देश में खादी एवं ग्रामोद्योगों सहित कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों के संवर्धन के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) खादी संस्थानों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्डों (के.वी.आई.बीज.) एवं उद्यमियों जैसे अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से राष्ट्रीय/क्षेत्रीय/राज्य/जिला स्तरों पर प्रदर्शनियां/मेले आयोजित करता है। वर्ष 2004-05 के दौरान प्रदर्शनियों के लिए बिहार एवं उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों का चयन किया गया है।

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिले का नाम
1.	बिहार	1. सोनपुर 2. कटिहार 3. मुजफ्फरपुर 4. दरभंगा 5. गया 6. भागलपुर
2.	उत्तर प्रदेश	1. गाजीपुर 2. सहारनपुर 3. मुरादाबाद 4. गोरखपुर 5. अलीगढ़ 6. एटा 7. रायबरेली 8. सुल्तानपुर 9. शाहजहांपुर 10 मथुरा 11. इलाहाबाद 12. वाराणसी 13. झांसी 14. फैजाबाद 15. बरेली

सरकार के.वी.आई.सी. के माध्यम से जिला स्तर की प्रदर्शनियां आयोजित करने के लिए अधिकतक 2.5 लाख रुपये तक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह सहायता बजटीय प्लान निधियों में से प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

दोषी अधिकारियों की पुनः बहाली

3570. श्री भर्तृहरि महताब : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सी.बी.आई. छापों के बाद दोषी पाए गए अधिकारियों को न्यायालयों द्वारा बरी किए जाने से पहले ही उन्हें सरकारी सेवा में पुनः बहाल कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रशासनिक सेवाओं में ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान सी.बी.आई. के छापों में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा मारे गए छापों से किसी अधिकारी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, जब तक उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी नहीं पाया जाता। ऐसे समय तक, सरकार को, प्रत्येक मामले से जुड़े तथ्यों पर विचार करने के पश्चात यह निणर्य करना होता है कि क्या सेवा के संबंधित सदस्य/सरकारी कर्मचारी को निलम्बित कर देना चाहिए। निलम्बन की अवधि के दौरान अधिकारी, निलम्बन के पहले तीन माह तक, अपने निलम्बन से पूर्व के अंतिम वेतन के 50% की दर से उसके पश्चात् 75% की दर से बिना कर्तव्य-निष्पादन के निर्वाह-भत्ता प्राप्त करने के हकदार होते हैं। इसके अतिरिक्त, आपराधिक मामलों के निपटान में बहुत अधिक समय लगता है। प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार अन्वेषण, जांच-पड़ताल अथवा सुनवाई में लम्बित चल रहे मामलों में, कर्मचारी/अधिकारी के निलम्बन को जारी रखने/समाप्त करने का निर्णय कर सकती है।

(ख) इस विभाग को उपलब्ध जानकारी के अनुसार, भारतीय प्रशासनिक सेवा के 22 ऐसे अधिकारी अपना कर्तव्य-निष्पादित कर रहे हैं, जिनके विरुद्ध आपराधिक-न्यायालयों में सुनवाई चल रही है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से मिली जानकारी के अनुसार, वर्ष 2001, 2002, 2003 और 2004 (30-11-2004 तक) तक की अवधि के दौरान केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने क्रमशः 1105, 1159, 1068 और 1095 मामले जाँच-पड़ताल किए जाने हेतु दर्ज किए। मामलों की जांच-पड़ताल के दौरान यदि आवश्यकता हो तो प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर, छापे मारे जाते हैं। विगत वर्षों में दर्ज किए गए मामलों में भी छापे मारे जाते हैं। किसी विशेष वर्ष विशेष के दौरान जाँच-पड़ताल किए गए मामलों के क्रम में मारे गए कुल छापों को संकलित नहीं किया जाता। अतः इस प्रश्न का निश्चित उत्तर देना सम्भव नहीं है कि पिछले दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा मारे जा रहे छापों की संख्या बढ़ रही है।

नए दवा आवेदन

3571. श्री वी. के. ठुम्मर :

श्री पी. एस. गढ़वी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डी सी जी आई द्वारा वर्ष 2003 तथा 2004 के दौरान प्राप्त नए दवा आवेदनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2004 के दौरान स्वीकृत दवाओं तथा कंपनियों के नामों और आवेदनों की प्राप्ति तथा स्वीकृति की तारीखों सहित ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2004 के दौरान विपणन के लिए किन–किन नए एफडीसी कंबीनेशन की अनुमति दी गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) वर्ष 2003 तथा 2004 (17.12.2004) के दौरान, भारत के औषध महानियंत्रक के कार्यालय में नई औषधों को विभिन्न श्रेणियों के नई औषधों संबंधी क्रमशः 1057 तथा 1136 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें अनुसंधान संबंधी नई औषधें, नई औषध मालीक्यूल्स, उत्तरवर्ती अनुमोदन, नई नियत खुराक का सम्मिश्रण, नए खुराक रूप, नए निर्देश इत्यादि शामिल हैं।

(ख) औषध एवं प्रधासन सामग्री नियमावली के अन्तर्गत अनुसूची–वाई के अनुसार नई औषध संबंधी आवेदनों का मूल्यांकन एक जटिल प्रक्रिया है और इसमें मालीक्यूल/औषध की प्रकृति, प्रकाशित आंकड़ों तथा आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार भिन्नता होती है। इसलिए आवेदन की प्रकृति के आधार पर अनुसंधान संबंधी नई औषध (अर्थात् ऐसा औषध मालीक्यूल जिसका विश्व में कहीं भी मनुष्यों का परिक्षण नहीं किया गया है।) के अनुमोदन के लिए अपेक्षित परीक्षणों के सभी चरणों को पूरा करने के लिए आवेदन को उसमें 5 वर्ष लग सकते हैं; ऐसी औषध जो पहले ही अन्यत्र अनुमोदित हो चुकी है, किन्तु इसके लिए पुष्टिकारक नैदानिक परीक्षण अपेक्षित हो, के पहली बार अनुमोदन के लिए करीब 1–3 वर्ष लगते हैं तथा पहले सह ही अनुमोदित औषधों के लिए उत्तरवर्ती आवेदनों के लिए करीब 2–3 महीने लगते हैं। तथापि, यह औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली की अनुसूची–वाई के उपबंधों तथा विशेषज्ञों की राय के अनुसार सभी अपेक्षित आंकड़ों की प्रस्तुति के अध्ययधीन है।

कंपनियों के नामों, आवेदन प्राप्ति तथा अनुमोदन की तिथि के साथ वर्ष 2004 के दौरान अनुमोदित नई औषध संबंधी मालीक्यूलों के नाम संलग्न विवरण–। में दिए गए हैं।

(ग) वर्ष 2004 के दौरान विपणन हेतु अनुमत नई निर्धारित खुराक संबंधी सम्मिश्रण (एफडीसी) संलग्न विवरण–॥ में दिए गए हैं।

विवरण-I

कंपनियों के नामों तथा प्राप्ति एवं अनुमोदन की तारीख के साथ चालू वर्ष, 2004 के दौरान अनुमोदित नई औषधें (पहली बार अनुमोदन)

#	औषध का नाम	कंपनी का नाम	प्राप्ति की तिथि	अनुमोदन की तिथि
1	2	3	4	5
1.	डयूटास्टेराइड	मैसर्स डा. रेड्डीज लैब.	26.09.2002	16.02.2004
2.	जेफीटीनिब	मैसर्स एस्टाजीनिका	02.01.2004	17.02.2004
3.	इमीडाप्रिल	मैसर्स एल्डर फार्मा	03.04.2001	23.02.2004
4.	एडीफोविर	मैसर्स सिपला	16.04.2003	04.03.2004
5.	इटोरीकोक्सिब	मैसर्स कैडिला हैल्थकेयर, ग्लेनमार्ग, हैट्रो	कैडिला – 24.04.2003 ग्लेनमार्क – 30.05.2003 हैट्रो – 13.05.2003	05.03.2004
6.	ज्राइसीरिन	मैसर्स एल्डर फार्मा	12.09.1997	12.03.2004
7.	नाइटाजोक्सानाइड	मैसर्स इंड–स्वीफ्ट लि.	27.12.2002	17.03.2004
8.	ट्रोलामाइन	मैसर्स एफडीसी लि.	01.03.1999	20.03.2004
9.	नियोटेम	मैसर्स न्यूट्रा स्वीक कं. (इंडिया)	04.01.2003	22.04.2004

1	2	3	4	5
10.	एल्फ्यूजोसिन	मैसर्स रैनबेक्सी लैब्स लि.	09.06.2003	14.05.2004
11.	टियागेबाइन एचसीएल	मैसर्स सन फार्मा	03.03.2003	14.05.2004
12.	इबांड्रोनिक एसिड	मैसर्स रोचे साइंटिफिक कं. (इंडिया) प्रा. लि.	23.12.2003	18.05.2004
13.	मेमान्टाइन एचसीएल	मैसर्स सन फार्मा	25.06.2003	19.07.2004
14.	पाइमेक्रोलिमस	मैसर्स नोवार्टिस इंडिया लि.	27.08.2002	23.07.2004
15.	रिबेमीपाइड	मैसर्स मैक्लीयोड्स लि.	22.04.2003	28.07.2004
16.	मिग्लीटोल	मैसर्स ग्लेनमार्क	27.06.2003	18.08.2004
17.	सिटीकोलाइन	मैसर्स सन फार्मा एंड मैसर्स एल्डर फार्मा	एल्डर–23.12.1997 सन–02.12.2002	20.08.2004
18.	इविरोलाइमस	मैसर्स नोवार्टिस इंडिया लि.	19.02.2004	30.08.2004
19.	वोरिकोनाजोल	मैसर्स फार्माशिया	07.06.2004	09.09.2004
20.	आर्लिस्टे	मैसर्स इंटास फार्मा	10.10.2003	27.10.2004
21.	डेफ्लाजाकोर्ट	मैसर्स मैक्लीयोड्स	28.10.2002	02.11.2004
22.	ड्यूलोक्सेटाइन	मैसर्स टोरेन्ट फार्मा	19.05.2003	02.11.2004
23.	एटोमोक्सेटाइन	मैसर्स टोरेन्ट फार्मा	23.08.2003	09.11.2004

विवरण-II

2004 के दौरान अनुमोदित नई निर्धारित खुराक संबंधी सम्मिश्रण

1. नाटेग्लाइनाइड+मेटफोरमिन
2. डेस्लोराटाडाइन+सूडोइफेडराइन
3. लेवोसीटीरिजाइन+सूडोइफेडराइन
4. एस–एटनोलोल+हाइड्रोक्लोरथाइजाइड
5. एस.एमलोडीपाइन+एटोरवेस्टेटिन
6. एमलोडाइपाइन+एटोरवेस्टेटिन
7. टैमसुलोसिन+फिनासटेराइड
8. एस–एम्लोडाइपाइन+हाइड्रोक्लोरथाइजाइड
9. टायोट्रोपियम+फोरमोटेरोल रोटाकेप्स/इनहेलर
10. लैमिवूडिन (ईआर)+जिडोवूडिन (ईआर)+नेविरापाइन (ईआर)
11. गैटिफ्लोक्सेसिन+डेक्सामेथासोन फास. आई ड्राप्स
12. इसोमेप्राजोल+डोमपेरिडोन एस आर
13. एसीक्लोफेनाक+पेरासीटामोल
14. रेबेप्राजोल+मोसाप्राइड एस आर
15. एटोरवेस्टेटिन+एजेटाइमाइब
16. बूप्रेनार्फिन+नैलोक्सोन
17. सुक्रालफेट+मेट्रोनिडाजोल+लिग्नोकेन क्रीम
18. ग्लाइबेन्कलेमाइड+मेटफार्मिन एस आर
19. एससिटालोप्राम+क्लोनाजीपाम

20. डोरजोलेमाइड+टिमोलोल आई ड्राप्स

21. नेबिवोलोल+एस(–) एम्लोडाइपाइन

22. वाल्डेकोक्सिब+पेरासिटामोल

23. एम्लोडाइपाइन+रैमिप्रिल

24. रेबेप्राजोल+डोमपेरिडोन एसआर

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए धनराशि

3572. श्री दुष्यंत सिंह : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से संबंधित राजस्थान सरकार के प्रस्ताव योजना आयोग के पास लंबित हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने प्रस्तावों की स्वीकृति के लिए क्या कदम उठाए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन): (क) और (ख) योजना आयोग को चालू वर्ष में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से संबंधित कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, राजस्थान सरकार ने चालू वर्ष के दौरान बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और श्री गंगानगर जिले के 13 ब्लाकों के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) के तहत अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता जारी करने के लिए सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय (जिसे बीएडीपी अंतरित कर दिया गया है) को एक प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव को न तो राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति का अनुमोदन प्राप्त है और न ही इसमें कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के तहत अपेक्षित कार्यान्वित की जाने वाली स्कीमों/कार्यों का ब्यौरा है; अतः वर्तमान रूप से प्राप्त इस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सकता।

पशु रैनेट/जेलटिन के प्रयोग पर प्रतिबंध

3573. मो. मुकीम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जेलीमिल्क, आइसक्रीम, पनीर जैसे विभिन्न खाद्य उत्पादों में प्रयोग होने वाले पशु रेनेट/जेलटिन के प्रयोग एवं आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र की कई इकाइयां अभी भी इसका आयात और उपयोग कर रही हैं परन्तु अमूल, ब्रिटेनिया और डाबर द्वारा निर्मित ऐसे कई उत्पादों के पैकेट पर इसका उल्लेख नहीं किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) निर्यात एवं आयात मदों, 2004–2009 के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण के अनुसार, रेनेट और उसके सान्द्रण (आयात–निर्यात कोड 350710) के आयात पर प्रतिबंध है और इसलिए इसके आयात की अनुमति नहीं दी गई है। जहां तक जिलेटिन (आयात–निर्यात कोड 3503) का संबंध है, यह वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 तथा वन्य जीव–जन्तु तथा वनस्पति की लुप्तप्राय प्रजातियों के अन्तराष्ट्रीय व्यापार संबंधी कनवेंशन (सीआईटीईएस) के अध्ययधीन मुक्त रूप से आयात योग्य है। जिलेटिन, खाद्य ग्रेड (आईएसः 5719) का आयात भी भारतीय मानक ब्यूरो के अनिवार्य प्रमाणन के अध्ययधीन है।

जब कभी खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 के अन्तर्गत जिलेटिन का प्रयोग एक अवयव के रूप में किया जाएगा तो इस आशय की एक घोषणा लेबल पर "जिलेटिन–जन्तु उत्पत्ति" शब्द अंतः स्थापित करके की जाएगी।

सार्वजनिक क्षेत्र के एककों द्वारा बिना किसी घोषणा के रेनेट तथा जिलेटिन के आयात तथा प्रयोग संबंधी कोई भी विशेष सूचना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की जानकारी में नहीं आई है।

एक्सप्रेस पार्सल डाक केन्द्रों की स्थापना

3574. श्री मनोरंजन भक्त : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्वभौमिक डाक सेवा जिम्मेदारियों की पहचान कर उन्हें अपनाया है तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उचित मूल्यों पर ये सेवाएं दी जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक्सप्रेस पार्सल डाक केन्द्रों की स्थापना का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) आम लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कितने ग्रामीण डाकघरों को पूर्ण बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया गया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी हां। डाक विभाग अंडमान और निकोबार

द्वीप समूह समेत देश भर में डाक–टिकटों और डाक लेखन सामग्री की बिक्री, ग्राहकों के घर तक डाक का वितरण और लेटर बॉक्सों से नियमित अंतराल पर डाक एकत्र करने की सुविधा उपलब्ध कराता है।

(ख) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर प्रध ाान डाकघर और एबर्डिन बाजार डाकघर में 1.4.2002 से दो एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रामीण क्षेत्र में 89 डाकघर हैं और वे वही सुविधा उपलब्ध कराते हैं जो देश के किसी भी अन्य हिस्से में स्थित डाकघरों में उपलब्ध हैं।

अवैध खनन

3575. श्री जुएल ओराम : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को खनिजों के अवैध खनन में हो रही वृद्धि की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो खनिजों के अवैध खनन को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) विभिन्न राज्यों में अवैध खनन की घटनाएं समय–समय पर सरकार के ध्यान में लाई जाती हैं और उनको उपयुक्त कार्रवाई के लिए संबंधित राज्यों को भेज दिया जाता है।

(ख) अवैध खनन को प्रभावी रूप से रोकने के लिए, खान और खजिन (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 23 ग के प्रावधानों के तहत खनिजों के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण को रोकने के नियम बनाने की शक्तियाँ राज्य सरकारों को प्रदान की गई हैं।

[हिन्दी]

पेसमेकर बैंक

3576. श्री गिरिधारी यादव :
श्री काशीराम राणा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी अस्पतालों में पेसमेकर बैंक स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) सरकारी अस्पतालों में पेसमेकर बैंक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। पेसमेकर आरोपण विशेष निर्देश के लिए अपेक्षित होता है और अपेक्षित पेसमेकर का विनिर्देशन भिन्न–भिन्न रोगी में भिन्न–भिन्न होता है। इसलिए इसे सरकारी अस्पताल में भंडारित नहीं किया जाता। तथापि, गरीबी रेखा से नीचे के रोगियों के मामले में इस उपकरण की राष्ट्रीय आरोग्य निधि के अन्तर्गत निःशुल्क आपूर्ति की जाती है।

[अनुवाद]

'बीमारु' राज्यों का विकास

3577. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में विकासशील तथा कम विकसित राज्यों के बीच बढ़ते अंतर की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस अंतर को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या 'बीमारु' राज्यों के विकास के लिए कोई कार्य योजना तैयार करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन) : (क) जी, हाँ।

(ख) राज्यों के बीच क्षेत्रीय असमानताओं के मुद्दों का समाधान राज्यों को दी जाने वाली योजना निधियों के आबंटन के गाडगिल मुखर्जी फार्मूले और उद्दिष्ट क्षेत्रकों/स्कीमों के लिए केन्द्रीय सहायता के माध्यम से किया जाता है। गाडगिल–मुखर्जी फार्मूले के अनुसार केन्द्रीय सहायता का आबंटन करते समय राष्ट्रीय औसत की तुलना में राज्य की आय और अन्य समस्याओं के साथ, राज्य की विशेष समस्याओं जैसे कारकों को पर्याप्त महत्व दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने की दिशा में योजना आयोग की दसवीं योजना कार्यनीति का कोर तत्व पूंजीगत निवेश के लिए निधियों के प्रावधान सहित कम विकसित राज्यों और संस्थागत सुधारों से जुड़े नवीनतम डिलीवरी मैकेनिज्म को लक्षित करना है।

(ग) और (घ) दसवीं योजना के तथाकथित बीमारु (अविभक्त बिहार, अविभक्त मध्य प्रदेश, अविभक्त उत्तर प्रदेश और राजस्थान)

राज्यों के जिलों सहित कम विकसित क्षेत्रों और जिलों के विकास में सहायता देने के लिए राष्ट्रीय सम विकास योजना (आरएसवीवाई) नामक स्कीम शुरू की गई है। आरएसवीआई के पिछड़े जिले पहल के अन्तर्गत पहचान किए गए पिछड़े जिले तीन वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष 15 करोड़ रुपए की दर पर केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। बीमारू राज्यों में कुल 69 जिले पिछड़े जिले पहल के अन्तर्गत कवर किए गए हैं।

कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र

3578. श्री एम. शिवन्ना : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के कब तक पूरी तरह कार्यरत होने की संभावना है;

(ख) क्या यह बात सरकार की जानकारी में आई है कि बहुत से लोगों को, जिनकी भूमि केन्द्र द्वारा अधिगृहीत की गई है, उन्हें अभी तक मुआवजा नहीं मिला है;

(ग) यदि हाँ, तो केन्द्र द्वारा भूमि से वंचित हुए सभी लोगों को मुआवजा प्रदान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या ऐसे परिवारों को नौकरियाँ भी दी जाएंगी, जिनकी भूमि अधिगृहीत की गयी है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) कैगा परमाणु विद्युत परियोजना की यूनिट 1 और 2 (केजीएस–1 और 2) पहले ही वर्ष 2000 से प्रचालनरत हैं। यूनिट 3 और 4 इस समय निर्माणाधीन है। इन यूनिटों द्वारा मार्च, 2007 (यूनिट 3) और सितम्बर, 2007 (यूनिट 4) तथा वाणिज्यिक स्तर पर प्रचालन शुरू किया जाना है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) कैगा परमाणु विद्युत परियोजना की परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के लिए कर्नाटक और राज्य सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति और पुनर्वास हेतु तैयार किए गए एक व्यापक पैकेज को 1993–94 में क्रियान्वित कर पूरा कर लिया गया था।

(ङ) ऊपर (ग) और (घ) के मद्दे नजर यह लागू नहीं होता।

कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों की रूग्णता

3579. श्री रूपचन्द मुर्मू : क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों की रूग्णता की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष बन्द हुई इकाइयों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार का रूग्ण इकाइयों का पुनरुद्धार किस प्रकार करने का विचार है;

(घ) क्या इन इकाइयों के पुनरुद्धार हेतु कोई वित्तीय पैकेज है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) जबकि, सरकार को कृषि और ग्रामीण उद्योगों की रूग्णता की जानकारी है, कृषि एवं ग्रामीण उद्योग क्षेत्र में बन्द इकाइयों का राज्यवार ब्योरा केन्द्रीय तौर पर नहीं रखा जाता है।

(ग) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार विद्यमान इकाइयां जो ग्रामीण रोज़गार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) और प्रधानमंत्री रोज़गार योजना (पीएमआरवाई) जैसी क्रैडेट लिंक्ड सब्सिडी योजनाओं के अन्तर्गत स्थापित की गई हैं और बाद में रूग्ण हो गई हैं, वे लघु उद्योग (एसएसआई) क्षेत्र में रूग्ण यूनिटों को उपलब्ध पुनर्वास सहायता के लिए पात्र हैं।

इन उपायों में अन्य बातों के साथ–साथ शामिल हैं:

1. नकद क्रेडिट एवं मियादी ऋण पर दण्ड ब्याज में यूनिट द्वारा नकद हानियां किए जाने के वर्ष से दण्ड ब्याज का अधित्याग।

2. नकद क्रेडिट एवं मियादी ऋण पर अदा न किए गए ब्याज को कुल देयता से अलग किया जाना चाहिए और पहले वाली राशि को अलग ब्याज– मुक्त ऋण के रूप में माना चाहिए।

3. अदा न किए गए मियादी ऋणों पर ब्याज की घटी हुई दरें (अति लघु यूनिटों के लिए 3 प्रतिशत तक तथा लघु उद्योग यूनिटों के लिए 2 प्रतिशत तक कमी) प्रभारित की जानी चाहिए।

4. अतिरिक्त कार्यशील पूंजी ऋण ब्याज की उस दर पर दिया जाना चाहिए, जो प्राइम लोडिंग दर से अधिक न हो।

लाइसेंस दिए जाने संबंधी नीति

3580. श्री जी. करूणाकर रेड्डी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार की दूरसंचार के लिए लाइसेंस देने की वर्तमान नीति क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार बैंक गारंटी के कार्य निष्पादन की आवश्यकता को समाप्त करने का है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या निजी कंपनियों से वित्तीय बैंक गारंटी ली गयी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अब तक जिन्होंने लाइसेंस शुल्क नहीं दिया है उन चूककर्ताओं की कुल संख्या कितनी है; और

(ज) इसकी वसूली के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) दूरसंचार सेवाओं के लिए लाइसेंस भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 4 के अंतर्गत निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार दिए जाते हैं। जिनमें एकीकृत अभिगम सेवा, राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवा, अवसंरचना प्रदाता श्रेणी-।।, वी सैट, लंबी दूरी की अंतर्राष्ट्रीय सेवा, पब्लिक मोबाइल रेडिया ट्रंकिंग प्रणाली, इंटरनेट सेवा और कुछ अन्य मूल्य योजित सेवाओं जैसे विभिन्न दूरसंचार सेवाएं शामिल नहीं हैं।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) उपर्युक्त भाग "ख" के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च) वित्तीय बैंक गारंटियाँ बुनियादी सेवाएं, एकीकृत अभिगम सेवाएं, लंबी दूरी की राष्ट्रीय सेवाएं, लंबी दूरी की अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं, पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग प्रणाली, सेल्युलर सेवा जैसी कुछ दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने वाले निजी प्रचालकों से ली गई है। इन वित्तीय बैंक गारंटियों की राशि संबंधित लाइसेंस करारों द्वारा तय की जाती है और सेवा चालू हो जाने या एक वर्ष का समय बीत जाने के बाद प्रायः प्रति लाइसेंस दो तिमाहियों के लिए आकलित लाइसेंस शुल्क की राशि के समतुल्य होती है। कुछ मामलों में अलग से वित्तीय बैंक गारंटी नहीं ली जाती और एक ही बैंक गारंटी लाइसेंस शुल्क देयताओं के लिए भी जमानत का काम करती है।

(छ) गत दो वर्षों (2002-03 और 2003-04) के दौरान और चालू वर्ष में अब तक बुनियादी सेवाओं, एकीकृत अभिगम सेवाओं, सेल्युलर, वी सैट, लंबी दूरी की राष्ट्रीय सेवाओं, लंबी दूरी की अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं, अवसंरचना प्रदाता-।।, रेडियो पेजिंग सेवा, पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग प्रणाली लाइसेंस शुल्क का भुगतान न करने वाली चूककर्ता कंपनियों की कुल संख्या 42 है। इसमें वे कंपनियां शामिल हैं जिन्होंने 2002-03 से पहले भी संचित बकाया राशि का भुगतान करना था और जिसका भुगतान नहीं किया गया।

(ज) बकाया लाइसेंस शुल्कों की वसूली के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों में उपलब्ध वित्तीय और/या निष्पादन बैंक गारंटियों की नकद राशि जब्त करना, अतिरिक्त उपलब्ध राशियों को समायोजित करना तथा कानूनी कार्रवाई करना शामिल है।

रूस में चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों की भयावह स्थिति

3581. **श्री जी. वी. हर्ष कुमार** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि रूस में चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई करने गए विद्यार्थियों के द्वारा भयावह स्थिति का सामना किया गया है। जैसा कि 2 नवम्बर, 2004 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा कौन से उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) विदेश मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार समाचार में उल्लिखित घटना तमिलनाडु के तीन छात्रों से संबंधित है जो सेंट पीटर्सबर्ग मेक्निकोव स्टेट मेडिकल एकेडमी के चिकित्सा पाठयक्रम में शामिल होने के लिए गए थे किन्तु वे अतिप्रभार तथा संविदाकारों द्वारा किए जाने वाले उत्पीड़न की शिकायत करते हुए वापिस आ गए। तथापि, इन छात्रों ने भारतीय राजदूतावास/वाणिज्य दूतावास अथवा विदेश में स्थित मिशन से सहायता के लिए कोई सम्पर्क नहीं किया तथा इस संबंध में उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। इसलिए, भारतीय राजदूतावास के लिए समाचार में अन्तर्विष्ट तथ्यों का सत्यापन करना संभव नहीं हो पाया है। सरकार ने विदेश में अध्ययन के लिए छात्रों को दाखिला देने हेतु न तो किसी एजेंट को प्राधिकृत किया है और न ही इस संबंध में यह किसी छात्र को प्रायोजित करती रही है। वर्तमान मामले में प्रभावित छात्र निजी संविदाकारों के माध्यम से अपने आप अध्ययन हेतु विदेश गए थे।

सिन्थेटिक विटामिन-ए का वितरण

3582. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी :

श्री सदाशिवराज दादोबा मांडलिक :

श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बच्चों में दृष्टिहीनता के विरूद्ध 'नेशनल प्रोग्राम फार प्रोफिलेक्सिस' के अन्तर्गत बच्चों को सिन्थेटिक विटामिन-ए के वितरण हेतु दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो दिशानिर्देशों को ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत सरकार और यूनिसेफ के दिशानिर्देशों में कोई अन्तर है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकारी नियमों/दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी हां। दिशानिर्देशों के अनुसार देश में बच्चों में दृष्टिहीनता से रोग-निरोधन के लिए एक वर्ष से नीचे की आयु वर्ग के सभी बच्चों को 9 महीने की आयु में विटामिन 'ए' की 1,00,000 अन्तरराष्ट्रीय यूनिट की एक खुराक दी जाती है। उसके बाद तीन वर्ष की आयु तक छह-छह महीनों के अन्तरालों पर 2,00,000 अन्तरराष्ट्रीय यूनिट की एक खुराक दी जाती है।

(ग) और (घ) यूनिसेफ मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यान्वित सरकारी कार्यक्रमों की सहायता करता है।

(ङ) देश के सभी राज्य इस संबंध में सरकारी दिशा-निर्देश का पालन कर रहे हैं।

दवाइयों पर प्रतिबंध

3583. श्री प्रभुनाथ सिंह :

श्री राम सिंह करवां :

श्री फुरकान अंसारी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुनियां भर में परित्यक्त औषधि/दवाएं भारत में खुलेआम उपलब्ध हैं यथा नोवालजिन, सीजा, सिस्प्राइड, ड्रापेरोल, फूराक्सान, लोमोफेन, नाइस, निमुलिड, फरासिन, एगारोल, डीकोल्ड, विक्स एक्शन 500, सियोरिल, पीपरजाइन और एन्टेरोक्विनाल इत्यादि;

(ख) यदि हां, तो अन्य देशों के इन औषधियों के विक्रय पर प्रतिबंध के क्या कारण हैं; और

(ग) यहां इन औषधियों के बिक्री को प्रतिबंधित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) औषधों को विश्वभर में अलग अथवा प्रतिबंधित नहीं किया जाता है। किसी एक देश में वापिस की गई अथवा अनुमति नहीं दी गई औषधों का उपयोग अन्य देशों में जारी रह सकता है।

(ग) जब कभी भी अन्तरराष्ट्रीय पत्रिकाओं अथवा विश्व स्वास्थ्य संगठन न्यूज लेटर आदि में कोई गंभीर प्रतिकूल घटना सूचित की जाती है उसके लिए भारत में औषधों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए पर्याप्त तंत्र है। देश में समीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से अभी तक 75 औषधों/औषध फार्मूलेशनों को प्रतिबंधित किया गया है।

कुछ विकसित देश में बंद किए जाने हेतु सूचित की गई औषधों अथवा फार्मूलेशनों का आकलन विभिन्न विशिष्टताओं के प्रमुख विशेषज्ञों के परामर्श से किया जाता है। उनके परामर्श और लाभ-जोखिम अनुपात, स्थानीय आवश्यकताओं जैसे कारकों आदि के आधार पर मामले को औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड (डीटीएबी) जोकि औषध और प्रसाधन सामग्री अधिमियम, के अंतर्गत एक सांवधिक निकाय है जिसमें चिकित्सा व्यवसाय के प्रतिनिधि, राज्य औषध प्रवर्तन प्राधिकारी और अन्य विशेषज्ञ संस्थाएं और एजेंसियां शामिल होती हैं और जो सरकार को औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम और उसके अधीन बनी नियमावली के कार्यान्वयन से संबंधित तकनीकी विषयों पर परामर्श देती हैं, के समक्ष रखा जाता है।

[हिन्दी]

आचार संहिता में संशोधन

3584. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्धारित आचार संहिता में संशोधन के बावजूद चिकित्सकों द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार को आज तक ऐसे कितने मामलों का पता चला है;

(ग) सरकार द्वारा घोषित आचार संहिता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार इस संबंध में नए संशोधन लाने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे चिकित्सकों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ङ) अधिनियम की धारा 33 (विनियमन बनाने की शक्ति) के साथ पठित धारा 20क के प्रावधानों के अनुसार केन्द्र सरकार के अनुमोदन से भारतीय चिकित्सा परिषद ने 6 अप्रैल, 2002 को राजकीय राजपत्र में भारतीय चिकित्सा परिषद् (व्यावसायिक व्यवहार, शिष्टाचार और नीति शास्त्र) विनियम, 2002 अधिसूचित किए हैं। इन विनियमों की प्रतियां भी सभी राज्य सरकारों और राज्य चिकित्सा परिषदों को अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भेजी गई हैं। अन्य बातों के साथ-साथ इन विनियमों में किसी डाक्टर की तरफ से होने वाली भूल-चूक के बारे में बताया गया है जिससे व्यावसायिक दुर्व्यवहार अथवा अनैतिक कृत्य बनेगा जो उसे अनुशासनिक कार्रवाई के लिए जिम्मेवार बनायेगा। विनियमों के प्रावधानों के अनुसार भारतीय चिकित्सा परिषद अथवा राज्य चिकित्सा परिषदों को विनियमों के प्रावधानों के किसी उल्लंघन, जो जांच के बाद इनके सामने लाया जाता है, के बाद ऐसा दंड जो अनिवार्य समझा जाए अथवा रजिस्टर से किसी भी पंजीकृत प्रोक्टिशनर का नाम पूर्ण रूप से हटाने अथवा एक विशेष अवधि के लिए हटाने के लिए अधिकार सम्पन्न बनाया गया है।

जब कभी किसी डाक्टर द्वारा विनियमों के उपरोक्त प्रावधानों के उल्लंघन के बारे में कोई शिकायत भारतीय चिकित्सा परिषद में प्राप्त होती है, तो परिषद की नीति शास्त्र समिति द्वारा कार्रवाई की जाती है अथवा वह शिकायतों संबंधित राज्य चिकित्सा परिषद जहां पर दोषी डाक्टर पंजीकृत है, को उपयुक्त कार्रवाई के लिए भेज दी जाती है। वर्ष 1995 से अक्तूबर, 2004 तक की अवधि के दौरान, परिषद को 192 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें से 73 शिकायतों का निपटान कर दिया गया है और बाकी की शिकायतें परिषद के पास लंबित हैं। वर्तमान में, इस संबंध में परिषद के विनियमों को और संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, जब कभी आवश्यक हो परिषद की सिफारिशों पर संशोधन किए जाते हैं।

[अनुवाद]

बिहार में लघु उद्योग को प्रोत्साहन

3585. श्री विजय कृष्णा : क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लघु और कृषि उद्योग क्षेत्र के संबंध में बिहार को पिछड़ा राज्य घोषित करने हेतु समाज के विभिन्न वर्गों से कोई मांग प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने बिहार से किसी विशेष पैकेज हेतु अनुरोध भी प्राप्त किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) अब तक केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गयी है; और

(च) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष बिहार सरकार को राज्य में लघु और कृषि उद्योग में प्रोत्साहन के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गयी है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) जी, नहीं। लघु उद्योग मंत्रालय में सरकार को लघु एवं कृषि उद्योग क्षेत्र के संबंध में बिहार को एक पिछड़े राज्य के रूप में घोषित किए जाने के लिए समाज के किसी वर्ग से कोई विशिष्ट मांग नहीं प्राप्त हुई है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। केन्द्रीय बजट 2004-05 में बिहार सहित कुछ राज्यों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज हेतु राष्ट्रीय श्रम विकास योजना के अन्तर्गत प्रावधान शामिल हैं।

(ङ) और (च) केन्द्रीय सरकार विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) की सरकारों के प्रयासों का समर्थन एवं अनुपूरण करती है, जो बिहार सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जाती है। ग्रामीण उद्योगों (कृषि सहित) के संवर्धन के संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार को आबंटित की गई केन्द्रीय निधियों का ब्यौरा निम्नलिखित है:

बिहार को आबंटित की गई निधियां

क्र.सं.	वर्ष	आबंटित की गई निधियां* (लाख रुपये)	
		आरईजीपी के अन्तर्गत** (मार्जिन मनी सहायता)	पीएमआरवाई के अंतर्गत**
1.	2001-02	37.46	शून्य
2.	2002-03	108.13	शून्य
3.	2003-04	186.03	101.54

**आरईजीपी : ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम

पीएमआरवाई : प्रधान मंत्री रोजगार योजना

* पी एम आर वाई के अंतर्गत सब्सिडी के लिए निधियां सीधे भारतीय रिजर्व बैंक को दी जाती हैं, जो तत्पश्चात व्यक्तिगत लाभार्थियों के ऋण खातों में क्रेडिट की जाती है। पी एम आर वाई के अन्तर्गत सारणी में दिखाई गई निधियां वे हैं, जो बिहार सरकार को प्रशिक्षण, आकस्मिकता आदि के लिए आबंटित/जारी की गई हैं और इनमें सब्सिडी के कारण बड़ी राशियां शामिल नहीं हैं। वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 के लिए पी एम आर वाई के अन्तर्गत प्रशिक्षण एवं आकस्मिकता व्यय के लिए शेष निधि के रूप में कोई निधि जारी नहीं की गई। वर्ष 2004-05 तक बिहार सरकार के पास कोई निधि उपलब्ध नहीं थी।

ग्रेटर नोएडा में सी.जी.एच.एस. औषधालय

3586. श्री प्रकाशबापू वी. पाटिल :

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द खंडूडी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि ग्रेटर नोएडा और देहरादून में सी.जी.एच.एस. औषधालय नहीं है जहां बड़ी संख्या में सेवारत और सेवानिवृत केन्द्र सरकार के कर्मचारी रह रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार ग्रेटर नोएडा और देहरादून में सी.जी.एच.एस. औषधालय खोलने का है;

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक खोले जाने की संभावना है;

(ङ) नोएडा, ग्रेटर नोएडा और देहरादून में निजी अस्पतालों/नर्सिंग होम का ब्यौरा क्या है जिसे अब तक सरकार द्वारा स्वीकृति दी गयी है;

(च) क्या सी.जी.एच.एस. लाभार्थी अपने मामले को सी.जी. एच.एस./सरकारी अस्पतालों द्वारा रैफर कराए बिना सीधे ही निजी अस्पतालों/नर्सिंग होम में जा सकते हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) ऐसे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी जो गैर-केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना क्षेत्रों (ग्रेटर नोएडा और देहरादून में रह रहे कर्मचारियों सहित) में रहते हैं, केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 1944 के अधीन चिकित्सीय सुविधाएं प्राप्त करते हैं। जहां तक केन्द्रीय सरकारी पेंशनरों का संबंध है, वे केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा कवर निकटतम शहर में अपने आप को पंजीकृत करवा कर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।

10वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रेटर नोएडा में एक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

देहरादून में एक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोलने के लिए पहले ही मंजूरी दे दी गई है और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, देहरादून में दो डाक्टर (जिनमें एक संयुक्त निदेशक शामिल है) नियुक्त कर दिए गए हैं। तथापि, इस औषधालय को समूह 'ग' और समूह 'घ' पदों को भरने के बाद ही चालू किया जा सकता है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना एलोपैथिक औषधालयों पर कर्मचारी निरीक्षण एकक की रिपोर्ट को सरकार द्वारा पहले ही स्वीकार कर लिया गया है और नए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोलने के लिए नए मदों के सृजन के प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा कर्मचारी निरीक्षण रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों को पूर्ण रूप से कार्यान्वित करने के बाद ही वित्त मंत्रालय को भेजे जा सकते हैं।

उपर्युक्त को देखते हुए नए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों को संविदात्मक नियुक्तियों के साथ चलाने के लिए इस मामले को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के साथ उठाया गया था। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने हाल ही में स्वास्थ्य विभाग को ऐसे समय तक जब तक नियमित पद सृजित नहीं कर लिए जाते और पदों को भर नहीं लिया जाता, नए खोले गए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों को चलाने के लिए संविदा के आधार पर सहयोगी सेवाएं सौंपने हेतु व्यय विभाग से परामर्श करने की सलाह दी है। इस प्रकार, इस समय, देहरादून के लिए मंजूर किए गए नए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय को चालू करने हेतु कोई समय-सीमा नहीं दी जा सकती।

(ङ) नोएडा स्थित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पताल इस प्रकार है:-

1. मेट्रो अस्पताल एवं ह्रदय संस्थान।
2. कैलाश अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र।
3. सत्य मेडिकल सेंटर।
4. प्रकाश अस्पताल।
5. नोएडा डायग्नोस्टिक केन्द्र।
6. नोएडा मेडिकेयर सेंटर (इस अस्पताल को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों के रेफर करने को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना निदेशालय द्वारा 23.9.2004 से अस्थायी रूप से बन्द कर दिया गया है।)

ग्रेटर नोएडा में केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 1944 के अधीन किसी भी प्राइवेट अस्पताल को मान्यता प्राप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त, देहरादून में केवल एक अस्पताल अर्थात हिमालयन इन्स्टीटयूट हॉस्पिटल ट्रस्ट जौली ग्रांट, देहरादून को केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 1944 के अधीन मान्यता प्राप्त है।

(च) और (छ) प्रक्रिया के अनुसार, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों (सेवारत और पेंशनर दोनों) को सेवारत कर्मचारियों के मामले में संबंधित कार्यालय/विभाग से तथा पेंशनर लाभार्थियों के

मामले में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों के प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त करने के बाद केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा कवर किए गए विभिन्न शहरों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना/ सरकारी अस्पताल के विशेषज्ञ/ औषधालय के प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी से उपचार की पद्धति के संबंध में सिफारिश प्राप्त करने के बाद केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों में सामान्य/ विशेषज्ञता उपचार और नैदानिक क्रियाविधि करवाने का विकल्प प्राप्त है। तथापि, आपातकालीन स्थिति के दौरान लाभार्थी उपचार लेने के लिए किसी प्राइवेट अस्पताल/क्लिनिक में सीधे जा सकते हैं।

[हिन्दी]

कृषि उत्पादों का विपणन

3587. श्री किरिप चालिहा : क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूरे देश में कृषि उत्पादों हेतु समान विपणन नेटवर्क स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस नेटवर्क को पूर्वोत्तर राज्यों तक भी बढ़ाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) से (घ) कृषि उत्पादनों का विपणन मुख्यतः प्राइवेट क्षेत्र में किया जाता है। कृषि उत्पादनों के लिए एकसमान विपणन नेटवर्क की स्थापना के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, केन्द्रीय सरकार के खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश में ग्रामोद्योग (वीआई)/कृषि उद्योग उत्पादनों के विपणन के संवर्धन के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें सब्सिडाइज्ड दरों पर गुणवत्ता परीक्षण, राष्ट्रीय/उप–राष्ट्रीय स्तरों पर प्रदर्शनियां आयोजित करना, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेना, चुने हुए बिक्री आउटलेट्स का नवीनीकरण/आधुनिकीकरण, क्रेता–विक्रेता बैठकें आयोजित करना, सुधरे हुए पैकेजिंग एवं डिज़ाइन सुविधाओं का सृजन आदि शामिल है।

के.वी.आई.सी. ने पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश भर में कृषि उत्पादनों सहित खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादनों के विपणन के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग के संवर्धन हेतु एक परिसंघ सीपीके वीआई की स्थापना भी की है।

इन्टरमीडिएट प्रौद्योगिकी

3588. प्रो. एम. रामदास : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इन्टरमीडिएट प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिमाण हैं;

(ग) भारत ने प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए कितने देशों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है?

(घ) क्या सरकार भारतीय विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थाओं की वैज्ञानिक क्षमता को सुधारने के लिए कदम उठाएगी; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) इंटरमीडिएट प्रौद्योगिकी उत्पादकता को बढ़ाती है जिसे पारम्परिक प्रौद्योगिकियां नहीं कर सकतीं और यह प्रौद्योगिकी सस्ती और अधिक श्रमिकों को रोजगार देती है। सरकार द्वारा इंटरमीडिएट प्रौद्योगिकी को विभिन्न कार्यक्रमों अर्थात ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, कमज़ोर वर्गों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, महिलाओं के विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विशेष घटक योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों की मुख्य आवश्यकताओं के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जनजातीय उप–योजना के अन्तर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से जनजातियों का सशक्ती– करण, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित कार्यक्रम और महिलाओं के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित कार्यक्रम के माध्यम से संवर्धित किया जा रहा है। इसके अलावा, सरकार ने ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क/महिला प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किए हैं जो ग्रामीण जनता के लिए प्रासंगिक प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन के लिए माडलों के रूप में कार्य करेंगे।

(ख) छोटे तथा अत्यंत लघु क्षेत्रक, ग्रामीण उद्योग, विकेन्द्रीकृत ऊर्जा उत्पादन, निर्माण एवं अल्प लागत आवास तथा भू उपयोग एवं जल प्रबंधन के क्षेत्रों से परिणाम प्राप्त हो रहे हैं।

(ग) भारत द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग के लिए 64 द्विपक्षीय करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इन करारों के अन्तर्गत वैज्ञानिक अनुसंधान तथा वाणिज्यीकरण – पूर्व अनुसंधान तथा विकास गतिविधियों को कार्यान्वित किया जाता है। इनके परिणामों का उपयोग टीका (वैक्सीन), उत्पादन, आवश्यक तेलों के निष्कर्षण, एयरो स्पेस घटकों तथा समुन्नत अनुसंधान हेतु संस्थानों की स्थापना के लिए किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) सरकार द्वारा भारतीय विश्वविद्यालयों तथा शैक्षणिक संस्थानों को "विश्वविद्यालयों तथा उच्चतर शिक्षण संस्थानों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी अवसंरचना में सुधार के लिए निधि (एफ आई एस टी)" कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। पिछले पांच वर्षों में अब तक 189 विश्वविद्यालयों तथा 600 से अधिक विभागों को 230 करोड़ रु. उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों के 500 से अधिक विभागों ने भी अपने विभाग में एक केन्द्रीय कम्प्यूटर प्रयोगशाला की स्थापना की है जिसका संगणन तथा अन्य क्रियाकलापों के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है।

तदर्थ आधार पर सी.जी.एच.एस. औषधालय प्रभारी

3589. श्री राजेन्द्र कुमार : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि आराम बाग में सी. जी.एच.एस. औषधालय में प्रभारी की नियुक्ति तदर्थ आधार पर की गयी है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में ऐसे औषधालयों की संख्या कितनी है जहां प्रभारी तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे हैं;

(ग) उनके विरुद्ध कितनी शिकायतें मिली हैं; और

(घ) औषधालयों में प्रभारी के रूप में तदर्थ आधार पर उन्हें किन नियमों के अन्तर्गत नियुक्त किया जा रहा है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) सी जी एच एस औषधालयों में प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को तदर्थ आधार पर नियुक्त करने की पद्धति नहीं है। सी जी एच एस औषधालयों में प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की तैनाती वरिष्ठता के आधार पर की जाती है। तथापि, औषधालय के प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्थानान्तरण और सेवानिवृत्ति आदि जैसी प्रशासनिक आकस्मिकताओं के दौरान औषधालय के वरिष्ठतम डाक्टर को प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कार्य देखने के लिए उस समय तक के लिए लगाया जाता है, जब तक नियमित प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी की तैनाती सी जी एच एस औषधालय में नहीं हो जाती।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के आलोक में प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

दोषपूर्ण पैनल प्रणाली के अन्तर्गत पदोन्नति

3590. श्री बीर सिंह महतो : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि कई भ्रष्ट अधिकारी दोषपूर्ण पैनल प्रणाली के कारण संवेदनशील पदों पर पदोन्नत हो रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार द्वारा कौन-से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/कार्रवाई की गयी है; और

(ग) इस प्रणाली की समीक्षा कब की गयी है और इसके क्या परिणाम हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) से (ग) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग पैनल प्रणाली के माध्यम से केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अन्तर्गत आने वाले पदों को भरे जाने के लिए अधिकारियों की तैनाती का कार्य करता है। पैनलों में केवल उन अधिकारियों के नाम शामिल किए जाते हैं जिनको उनके संबंधित संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरणों, संबंधित मूल संवर्ग और इस विभाग के प्रशासनिक सतर्कता प्रभाग द्वारा सतर्कता अनापत्ति प्रदान की गई हो। विभिन्न सेवाओं के संवर्गों में आने वाले पद और भर्ती नियमों के अधीन आने वाले पद, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, संबंधित मंत्रालयों/ विभागों द्वारा स्वयं भरे जाते हैं।

[हिन्दी]

नौकरशाहों को प्रशिक्षण

3591. श्री कैलाश मेघवाल : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौकरशाहों को अब तक मसूरी में अकादमी में प्रशिक्षण अवधि के दौरान ही दृश्य-श्रव्य रिकार्डिंग से स्वयं को बचाने के तरीके सिखाए जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रशिक्षणों के उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनज़र प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विदेश में रह रहे भारतीयों की जनगणना

3592. श्री पवन कुमार बंसल :

श्री नारायण चन्द्र बरकटकी :

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेश में रह रहे भारतीयों की जनगणना का कार्य शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार किसी ऐसे कार्यक्रम पर विचार कर रही है जिसमें विदेश में रह रहे भारतीयों की सलाह/विशेषज्ञता का इस्तेमाल किया जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां।

(घ) सरकार ने भारतीय मूल के वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकाविदों के साथ राष्ट्रीय विकास में भूमिका अदा करने में उनके प्रयास में सहायता करने की दृष्टि से उनके साथ विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए एचटीटीपी://एसटीआईओ.निक.इन वेबसाइट शुरू की है।

[हिन्दी]

कार्रवाई हेतु केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो नोडल एजेन्सी

3593. श्री हरिकेवल प्रसाद :

श्री काशीराम राणा :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) ही एकमात्र अधिकार प्राप्त निकाय है जो कार्रवाई करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों और उनके नियंत्रणाधीन उपक्रमों को सुझाव दे सकता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सी.बी.आई. द्वारा सुझाव दिए जाने के बावजूद मंत्रालय द्वारा भ्रष्ट और गैर जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गयी है;

(घ) यदि हां, तो सी.बी.आई. द्वारा दोषी पाए जाने के बावजूद गत तीन वर्षों के दौरान मंत्रालयों द्वारा कुल कितने अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है और उनके नाम क्या हैं;

(ङ) अब तक कोई कार्रवाई नहीं करने के क्या कारण हैं;

(च) सी.बी.आई. द्वारा आज की तिथि तक राज्य-वार कितने मामलों की जांच की जा रही है;

(छ) इन मामलों की जाँच कब से की जा रही है और इन मामलों के निपटान में विलम्ब के राज्य-वार कारण क्या हैं; और

(ज) जांच के जल्द पूरा होने और अदालतों में मुकदमें दाखिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) से (ग) जी नहीं। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एक अन्वेषण अभिकरण है जिसका सरोकार मुख्यतः लोक सेवकों के विरूद्ध भ्रष्टाचार के मामलों का अन्वेषण करना है। अन्वेषण के निष्कर्षों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करता है और संबंधित लोक सेवक के विरूद्ध अभियोजन हेतु स्वीकृति प्रदान करने अथवा नियमित विभागीय कार्रवाई आरंभ करने के बारे में कोई निर्णय लेता है।

(घ) और (ङ) यह जानकारी केन्द्रीकृत रूप से मॉनीटर नहीं की जा रही है।

(च) चूँकी केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अन्वेषित अनेक मामलों का अन्तर राज्यीय फैलाव होता है अतः केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा राज्य-वार आँकड़े नहीं रखे जाते। फिर भी, गत तीन वर्ष अर्थात् वर्ष 2002, 2003 तथा 2004 (30.11.2004 तक) के दौरान, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने क्रमशः 1159, 1068 तथा 1095 मामले दर्ज किए हैं।

(छ) और (ज) मामलों का अन्वेषण, इन्हें पंजीकृत किए जाने की तारीख से ही किया जा रहा है। यद्यपि सभी स्तरों पर और सभी चरणों पर अन्वेषण शीघ्रता से करने तथा न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल करने के भरसक प्रयत्न किए जाते हैं, फिर भी निम्नलिखित कारणों से अन्वेषण में विलम्ब भी हो सकता है:-

- साक्षी (सुलभ होने में विलम्ब)।
- दस्तावेज हासिल करने में विलम्ब।
- विभिन्न राज्यों में किए जाने वाले अन्वेषण।
- विदेशों में किए जाने वाले अन्वेषण, अनुरोध पत्र जारी करने तथा उनकी तामील करने में और प्रत्यर्पण मामलों में विलम्ब।
- व्यापक क्षेत्रीय अन्वेषण के कारण विलम्ब।
- अभियुक्तों द्वारा दायर याचिकाओं पर न्यायालयों द्वारा दिए गए अन्तर्वर्ती स्थगन आदेश।

[अनुवाद]

कैंसर का पता लगाने की अपर्याप्त सुविधाएं

3594. श्री सनत कुमार मंडल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकारी अस्पतालों में कैंसर का पता लगाने की सुविधाएं अपर्याप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में कैंसर का पता लगाने और इसके इलाज हेतु बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) स्वास्थ्य राज्य का विषय है, अतः कैंसर का शीघ्र पता लगाने, उसका निदान करने और उपचार करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी विभिन्न राज्य सरकारों की है। देश में अधिकांश प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं में वक्ष, गर्भाशय ग्रीवा, मुखगुहा (ओरल केविटी) आदि जैसे आम कैंसरों का शीघ्र पता लगाने की व्यवस्था है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली जैसे केन्द्रीय सरकारी अस्पताल, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी आदि कैंसर के लिए विशिष्टता उपचार प्रदान करने हेतु उपकरणों से सुसज्जित हैं।

(ग) राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी स्कीमों में संशोधन कर दिया गया है। अब राज्य सरकारों द्वारा पहचान किए गए जिलों में नोडल अभिकरणों के जरिए कार्यान्वित किए जाने हेतु जिला कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन स्क्रीनिंग के जरिए कैंसर का शीघ्र पता लगाने, स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देने, जागरूकता पैदा करने आदि पर विशेष बल दिया जा रहा है।

सामुदायिक फोन लगाने के लिए अनुबंध

3595. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यूएसओ फंड की सहायता से गांवों में सामुदायिक फोन लगाने के लिए कुछ कंपनियों के साथ अनुबंध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उद्देश्य के लिए कितने गांवों की पहचान की गई है; और

(घ) इस परियोजना को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (ग) सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसओ) निधि की सहायता से ग्रामीण सामुदायिक फोन लगाने के लिए 48,301 गांवों की पहचान की गई थीं। इनमें से, 24,794 और 21,459 गांवों में ग्रामीण सामुदायिक फोन प्रदान करने के लिए यूएसओ निधि प्रशासक के कार्यालय ने क्रमशः भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और मै. रिलायंस इंफोकॉम लिमिटेड (आरआईएल) के साथ करार किया है जो सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि से सहायता की प्राप्ति हेतु न्यूनतम बोली दाताओं के रूप में उभर कर आए हैं।

(घ) यूएसओ निधि प्रशासक के कार्यालय द्वारा किए गए करार के निबंधन के अनुसार, ये ग्रामीण सामुदायिक फोन सितम्बर, 2007 तक प्रदान किए जाने हैं।

गांवों में लघु उद्योगों की स्थापना

3596. श्री प्रबोध पाण्डा : क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दसवीं योजना में प्रत्येक गांव में कम से कम एक लघु उद्योग स्थापित करने की कोई योजना तैयार की है ताकि नौकरियों की तलाश में लोगों के शहरी क्षेत्र में पलायन को रोका जा सकें; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) लघु उद्योगों (एस.एस.आई.) की स्थापना करना व्यक्तिगत उद्यमियों का कार्य है। सरकार, क्रेडिट प्रवाह, प्रौद्योगिकी उन्नयनीकरण, आधारिक संरचना विकास, उद्यमिता विकास, विपणन, राजकोषीय समर्थन, आदि में सुधार के लिए देश भर में समान रूप से कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से लघु उद्योगों के विकास एंव समर्थन को सुविधाजनक बनाती है। इसके अतिरिक्त, सरकार ग्रामीण उद्योगों के संवर्धन के लिए ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) एवं प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) जैसे रोजगार सृजन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करती है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) भी एक ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम (आर.आर.पी.) का कार्यान्वयन करता है, जो ग्रामीण बेरोजगारी की समस्याओं, शहरी क्षेत्रों में लोगों के प्रवास आदि के निदान के लिए उद्यम संवर्धन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के सृजन के लिए एक एकीकृत कार्यक्रम है।

दृष्टिहीनता उन्मूलन हेतु गैर-सरकारी संगठनों को सहायता

3597. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़ : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान दृष्टिहीनता को नियंत्रित करने के लिए गैर–सरकारी संगठनों को सहायता दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को गैर–सरकारी संगठनों से सहायता बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी, हां। राज्य–वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता के पैटर्न को संशोधित किया गया है और इसे दसवीं योजना के लिए आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने अनुमोदित कर दिया है। संशोधित पैटर्न के अनुसार गैर सरकारी संगठनों के लिए सहायता अनुदान नीचे दिए अनुसार संशोधित किया गया है:–,

स्कीम	सहायता का पुराना पैटर्न	सहायता का संशोधित पैटर्न (1.10.04 से प्रभावी)
मोतियाबिंद आपरेशनों के लिए आवर्ती सहायता अनुदान		
क. पारंपरिक शल्य चिकित्सा	400 रुपए	500 रुपए
ख. आई ओ एल शल्य चिकित्सा	600 रुपए	750 रुपए
नेत्र बैंकों को गैर–आवर्ती सहायता अनुदान	5 लाख रुपए	10 लाख रुपए
नेत्र परिचर्या सुविधा के विस्तार के लिए गैर–सरकारी संगठनों को गैर–आवर्ती सहायता अनुदान	17.75 लाख रुपए	25 लाख रुपए

विवरण

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कार्यरत नेत्र बैंक/नेत्र दान केन्द्र

राशि लाख रुपए में

क्र.सं.	नेत्र बैंक का नाम	2002–03	2003–04	2004–05	कुल जारी राशि
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश					
1.	स्वेच्छा गोरा नेत्र बैंक, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश	0.560	0.450	0.350	1.360
2.	खम्माम नेत्र बैंक, खम्माम, आंध्र प्रदेश	0.500	0.170	0.690	1.360
3.	श्रीमती वनगौरी लक्ष्म्मा नेशनल नेत्र बैंक, सिकन्दराबाद, आंध्र प्रदेश		5.000		5.000
बिहार					
1.	प्रियदर्शनी सेवा संस्थान, पटना, बिहार		0.120		0.012
दिल्ली					
1.	वेनु नेत्र संस्थान, शेख सराय, नई दिल्ली	0.700	0.725	1.210	2.635
गुजरात					
1.	एल एम शाह रोटरी नेत्र संस्थान, नवासारी, गुजरात	1.505	1.670		3.175

1	2	3	4	5	6
2.	मेडिकल केयर सेन्टर ट्रस्ट, वडोदरा, गुजरात	0.910	1.400	2.000	4.310
3.	इंडियन रेड क्रास सोसायटी, भावनगर जिला शाखा, गुजरात		5.000		5.000
4.	राजकोट मेडिकल कालेज, राजकोट, गुजरात			5.000	5.000
हरियाणा					
1.	शक्ति नेत्र बैंक, एन आई टी, फरीदाबाद, हरियाणा	0.213	0.263	0.338	0.814
कर्नाटक					
1.	बंगलौर वेस्ट लायन्स नेत्र अस्पताल एवं कोर्निया ग्राफटिंग सेन्टर, बंगलौर, कर्नाटक	3.525	4.135	4.675	12.335
2.	जयप्रिया मेडिकल आई फाउंडेशन, हुबली, कर्नाटक			5.000	5.000
केरल					
1.	आई बैंक एसोसिएशन केरल, अंगमाली, केरल	2.900	2.983		5.883
महाराष्ट्र					
1.	श्रीमती राधिका बाई मेघे मेमोरियल मेडिकल ट्रस्ट, वर्धा महाराष्ट्र		5.000		5.000
2.	लायन्य नब नेत्र अस्पताल, मिराज, जिला सांगली, महाराष्ट्र		5,000		5,000
3.	महात्मे नेत्र बैंक और नेत्र अस्पताल, नागपुर, महाराष्ट्र			5.000	5.000
4.	अकोला नेत्रदान एवं नेत्र रोपण संशोधन केन्द्र, अकोला, महाराष्ट्र			5.000	5.000
नागालैंड					
1.	वुडलैंड मल्टी परपज को-ओपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, मोकोकचुंग, नागालैंड		0.500		0.500
तमिलनाडु					
1.	शंकर नेत्र सोसायटी, कोयम्बटूर, तमिलनाडु	0.695	0.960		1.655
2.	श्री कांची कामकोटि मेडिकल ट्रस्ट, कोयम्बटूर, तमिलनाडु	1.000	0.995		1.995
3.	अरविन्द नेत्र अस्पताल एवं स्नातकोत्तर नेत्र विज्ञान संस्थान, मदुरै, तमिलनाडु	2.180	2.986	3.170	8.336

1	2	3	4	5	6
4.	जिला 324ए–1, लायन्स नेत्र बैंक ट्रस्ट, एगमौर, चेन्नई, तमिलनाडु	1.890	2.145	1.868	5.903
5.	शंकर नेत्र बैंक, कांचीपुरम, तमिलनाडु	0.218	0.230		0.448
6.	सी.यू. शाह नेत्र बैंक, शंकर नेत्रालय, चेन्नई तमिलनाडु	5.000		4.405	9.405
7.	अरसन नेत्र बैंक सेव साइट फाउंडेशन, इरोड़, तमिलनाडु		5.000		5.000
8.	ए.जी. नेत्र अस्पताल, तिरूचिरापल्ली, तमिलनाडु		5.000		5.000
उत्तर प्रदेश					
1.	गांधी नेत्र अस्पताल, ट्रस्ट, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश	0.755	0.255		1.010
पश्चिम बंगाल					
1.	सुश्रुत नेत्र फाउंडेशन एवं अनुसंधान केन्द्र, कोलकाता, पश्चिम बंगाल		5.000		5.000
	कुल	22.551	54.987	34.206	111.744

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम

गैर–सरकारी संगठनों को गैर–आवर्ती सहायता अनुदान

(लाख रुपए में)

वर्ष	क्रमांक	गैर–सरकारी संगठन का नाम	राशि
1	2	3	4
2002–03	1.	राम कृष्ण मिशन सेवाश्रम, वृंदावन, जिला मथुरा	17.750
	2.	स्वामी विवेकानन्द एकीकृत ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र, पावगढ़ा	10.650
	3.	श्री शंकरदेव नेत्रालय, बेलटोला, जिला गुवाहटी, असम	17.750
	4.	मूवोल्वईफेई ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान केन्द्र, चूराचांदपुर, मणिपुर	6.250
	5.	श्री शंकर स्वास्थ्य केन्द्र, पम्माल चेन्नई, तमिलनाडु	15.000
कुल	5	कुल	67.400
2003–04	1.	नेशनल सोसायटी फार प्रिवेंशन आफ ब्लाइंडनेस, बरेली, उत्तर प्रदेश	5.400
	2.	इंडियन रेडक्रास सोसायटी, कटवा, जिला वर्धमान, पश्चिम बंगाल	9.000
	3.	रामकृष्ण मिशन, कामरपुकुर, जिला हुगली, पश्चिम बंगाल	17.750
	4.	रामकृष्ण मिशन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	15.420

1	2	3	4
	5.	मोहन तुसे नेत्र रूग्णालय, पुणे, महाराष्ट्र	14.000
	6.	महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेन्टन, लद्दाख, जम्मू	4.500
	7.	मूवोल्वईफेई ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान केन्द्र चूराचांदपुर, मणिपुर	6.250
कुल	7	कुल	72.320
2004–05	1.	स्वामी विवेकानंद यूथ मूवमेंट, मैसूर, कर्नाटक	17.750
	2.	ग्लोब नेत्र फाउडेंशन, बंगलौर, कर्नाटक	17.750
	3.	श्री विवेकानन्द नर्सिंग होम 4, श्री शिवाजी नगर, राहुरी, अहमदनगर	14.855
कुल	3		50.355
गैर सरकारी संगठनों की संख्या	15	सकल योग	190.075

[हिन्दी]

अ.जा./अ.ज.जा. हेतु आरक्षित पद

3598. श्री रामदास आठवले : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों को उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिलने की स्थिति में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को देने के स्थान पर खाली रखने के संबंध में निदेश जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में माननीय संसद सदस्यों और अन्य सामाजिक संगठनों से ज्ञापन प्राप्त किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) से (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव अथवा अनुदेश नहीं है जिसके आधार पर अनुसूचित जति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्त पदों को अनुसूचित जाति तथा जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने पर अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित उम्मीदवारों द्वारा भरा जा सके।

(घ) से (च) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से संबंधित संसद सदस्यों के तीन दिवसीय सम्मेलन के दौरान गठित आलेख समिति ने दिसंबर 1999 में सिफारिश की थी कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पद केवल इन समुदायों के उम्मीदवारों द्वारा ही भरे जाने चाहिए और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार अनुपलब्ध होने की दशा में इन रिक्तियों/पदों की अदला–बदली इन समुदायों के बीच हो सकती है।

विद्यमान अनुदेशों में प्रावधान है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्त पदों को क्रमशः अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से ही भरा जाए।

[अनुवाद]

एवियन फ्लू हेतु टीका

3599. डा. एम. जगन्नाथ : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूरे देश में एवियन फ्लू हेतु टीके के विपणन की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस टीके के प्रभाव का आकलन करने हेतु कोई अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) सरकार को देश में एवियन फ्लू के लिए वैक्सीन का विपणन करने हेतु कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

नेयवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन

3600. श्री रघुनाथ झा :

श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव :

श्री विजय कृष्ण :

श्री कृष्णा मुरारी मोघे :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान नेयवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन अपना उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने नेयवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन को मध्य प्रदेश में विद्युत परियोजना स्थापित करने की अनुमति दी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खनन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (एनएलसी) का उत्पादन कार्य निष्पादन नीचे दिए अनुसार है:–

उत्पादन	2001–02		2002–03		2003–04	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
लिग्नाइट (लाख टन)	175.00	183.69	199.50	186.24	209.00	205.57
सकल विद्युत (मिलियन यूनिट)	13083.00	14451.32	14638.00	14969.95	15006.00	16388.98

विद्युत उत्पादन हेतु अपनी ईंधन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एनएलसी गृहीत लिग्नाइट खनन का कार्य कर रही है। एनएलसी ने पिछले सभी तीन वर्षों में विद्युत उत्पादन के अपने लक्ष्यों को बढ़ाया है। लिग्नाइट का उत्पादन ईंधन आवश्यकता और ऊपरी मलबा हटाने पर निर्भर करता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता है।

चिकित्सा महाविद्यालयों हेतु विश्व बैंक सहायता

3601. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों और संबंद्ध अस्पतालों के वास्तविक बुनियादी ढांचे को सुधारने तथा चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता को सुदृढ़ बनाने के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने हेतु एक प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस वित्तीय सहायता को पुनरूद्धार, आवश्यक उपकरणों और शिक्षण सामग्रियों की खरीद तथा अन्य संस्थाओं के साथ नेटवर्क कायम करने हेतु प्रयोग किया जा सकता है;

(ग) क्या विश्व बैंक ने इसके बारे में सवाल उठाए थे;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने उपरोक्त सवालों को हल कर दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है तथा विश्व बैंक से इसे स्वीकृति प्राप्त कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) महाराष्ट्र सरकार ने आयुर्विज्ञान शिक्षा की गुणवत्ता को सुदृढ़ बनाने और सरकारी मेडिकल कालेजों एवं संबद्ध अस्पतालों की भौतिक अवसंरचना में सुधार करने हेतु दिसम्बर, 2001 में विश्व बैंक से 550 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इस प्रस्ताव की आर्थिक कार्य विभाग (वित्त मंत्रालय), योजना आयोग और विश्व बैंक के वित्तपोषण का वर्तमान संकेन्द्रण रोग नियंत्रण, प्राथमिक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और रोग प्रतिरक्षण पर है। विश्व बैंक वित्तपोषण की सीमित

उपलब्धता के कारण, मेडिकल कालेजों एवं संबद्ध अस्पतालों का बाह्य वित्तपोषण भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में विश्व बैंक वित्तपोषण की प्राथमिकताओं के अनुरूप नहीं था। उपर्युक्त विचार 30 जनवरी, 2004 को राज्य सरकार को सूचित कर दिए गए थे।

नई समुद्री नीति

3602. **श्री रायापति सांबासिवा राव :** क्या **पोत परिवहन सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पोत निर्माण और पोत–मरम्मत उद्योग हेतु एक नई समुद्री नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अन्य देशों द्वारा विकासशील देशों को दी जाने वाली सहायता और राजसहायता की समीक्षा करने के उद्देश्य से पोत परिवहन क्षेत्र हेतु एक नीति भी तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो इस नीति को कब तक घोषित किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) जी, हाँ। समुद्री क्षेत्र के बारे में वाणिज्यिक पोत–परिवहन, समुद्री प्रशिक्षण, नौचालन, पोत–निर्माण और पोत–मरम्मत के संबंध में सहायता तथा अंतर्देशीय जल–परिवहन से युक्त एक व्यापक नीति पर विचार किया जा रहा है।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपर्युक्त नीति उद्घोषित किए जाने की कोई निश्चित समय–सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

राष्ट्रीय राजमार्ग - 34 का संपर्क

3603. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग – 34 को कोलकाता पत्तन तक जोड़ने हेतु कोई अध्ययन करवाया गया है;

(ख) क्या यह परियोजना राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को उत्तर से दक्षिण तक जोड़ना सुलभ बनाएगी;

(ग) यदि हां, तो क्या भारत सरकार इस परियोजना को एन. एच. डी. पी. के पत्तन संपर्क कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय राजमार्ग–34 को कोलकाता पत्तन से जोड़ने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा परामर्शदाताओं के माध्यम से एक साध्यता अध्ययन किया गया है परामर्शदाताओं द्वारा प्रस्तावित संरेखण राष्ट्रीय राजमार्ग का अनुसरण नहीं करता है और यह परियोजना केवल इसी आधार पर व्यवहार्य नहीं पाई गई है। इसलिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत पत्तन संपर्क कार्यक्रम में इस परियोजना को शामिल करने अथवा न करने के बारे में बताना अभी संभव नहीं है।

[हिन्दी]

प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल के सदस्यों को लिखे गए पत्र

3604. **श्री तूफानी सरोज :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि माननीय संसद सदस्यों द्वारा माननीय प्रधानमंत्री तथा उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों को लिखे गए पत्रों का समय पर उत्तर नहीं दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) जून, 2004 से नवम्बर, 2004 की अवधि के दौरान माननीय संसद सदस्यों द्वारा माननीय प्रधानमंत्री एवं उनके मंत्रिमंडल के सदस्य को लिखे गए पत्रों की संख्या कितनी है; और

(घ) इनमें से कितने पत्रों की पावती माननीय संसद सदस्यों को भेजी गई थी?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) से (घ) माननीय संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों के उत्तर देने के लिए केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका में विस्तृत दिशा–निर्देश बनाए गए हैं। इन दिशा–निर्देशों में इस प्रकार के पत्रों की पावती देने एवं उत्तर देने के लिए समय–सीमा निर्धारित की गई है। प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को चाहिए कि वे इन दिशा–निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करें एवं इनके अनुपालन को मॉनीटर करें। इस प्रकार के पत्रों की पावती न देने की शिकायतों पर सरकार ने हमेशा त्वरित कार्रवाई की है। संगत दिशा–निर्देशों को भी समय–समय पर दोहराया गया है।

[अनुवाद]

केरल कृषि विश्व विद्यालय

3605. श्री सी. के. चन्द्रप्पन : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिसूर में अनुसंधान और शिक्षण कार्य को सुदृढ़ करने हेतु योजना आयोग को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग द्वारा इस प्रस्ताव पर विचार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) इस प्रस्ताव पर योजना आयोग द्वारा अन्य राज्य कृषि विश्वविद्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों के साथ विचार किया गया था। संसाधनों की कमी के कारण इनमें से किसी भी प्रस्ताव पर ध्यान नहीं दिया जा सका।

अन्य पिछड़ा वर्गों हेतु आरक्षण नीति

3606. डा. आर. सेनथिल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एम.बी.बी.एस., स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों और परिचिकित्सा पाठ्यक्रमों हेतु चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए वर्तमान आरक्षण नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह केन्द्रीय सरकार सभी संस्थाओं के लिए एक समान है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) आरक्षण की नीति सहित मेडिकल कालेजों में एम बी बी एस, स्नातकोत्तर और परा चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश को संबंधित राज्य सरकारों/ विश्वविद्यालयों/परीक्षा प्राधिकारणों/संस्थाओं के द्वारा अधिशासित किया जाता है। केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय सरकारी संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए चिकित्सा और परा चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आरक्षण की व्यवस्था नहीं की है।

खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं

3607. श्रीमती मेनका गांधी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य आपूर्तियों का परीक्षण करने हेतु मशीनों और उपकरणों की खरीद करने के लिए खाद्य प्रयोगशालाओं को 9. 97 करोड़ रुपए संस्वीकृत किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय द्वारा इस धनराशि में से 6.21 करोड़ रुपए केन्द्रीय पूल को वापस कर दिए गए थे, क्योंकि इसका संवितरण नहीं किया गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या अभी सरकारी प्रयोगशालाएं परीक्षण हेतु आवश्यक उपकरणों से युक्त हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) खाद्य अपमिश्रण निवारण (पी एफ ए) कार्यक्रम की विविध गतिविधियां हैं जिसमें केन्द्र और राज्य स्तर की खाद्य प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण शामिल है। वर्ष 2002–2003 के दौरान पी एफ ए कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत 9.97 करोड़ रुपए की धनराशि आबंटित की गई थी। इस धनराशि में से, 8.00 करोड़ रुपए योजनागत बजट के अंतर्गत और 1.97 करोड़ रुपए योजनेत्तर बजट के अंतर्गत थे। योजनागत बजट में 8.00 करोड़ रुपए में से, 6.5 करोड़ रुपए की धनराशि विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त प्रस्तावित क्षमता निर्माण परियोजना के अंतर्गत थी। चूंकि परियोजना का अनुमोदन न मिलने के कारण वर्ष 2002–2003 के दौरान इस क्षमता निर्माण परियोजना को क्रियान्वित नहीं किया जा सका, इसलिए संशोधित अनुमान (आर.ई.) स्तर पर धनराशि को कम करके 3.76 करोड़ रुपए कर दिया गया।

केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशालाओं के पास विभिन्न खाद्य मदों की जांच के लिए उपस्करों के संबंध में अपेक्षित क्षमता है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशालाओं और विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की खाद्य प्रयोगशालाओं की भी क्षमता निर्माण परियोजना के अंतर्गत आवश्यक सिविल कार्यों, उपस्करों, अभिकर्मकों, स्टाफ के प्रशिक्षण इत्यादि के संबंध में सुदृढ़ीकरण के लिए पहचान की गई है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग – 28 पर बाई पास का निर्माण

3608. श्री सुशील कुमार मोदी : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग–28 पर भागलपुर के निकट 16 कि.मी. लंबे और 100 करोड़ रु. की लागत वाले एक बाई–पास रोड का निर्माण दो वर्षों से लंबित पड़ा है;

(ख) क्या डी.पी.आर. के निर्माण हेतु दिसंबर, 2002 में अंतिम रूप दी गयी निविदा के अनुसार कंस्ट्रामा कंपनी को 16,76000/– रुपए जारी किए जाने थे परंतु केंद्र सरकार और बिहार सरकार के बीच विवाद की वजह से निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा सका;

(ग) क्या सरकार का विचार उपरोक्त सड़क का निर्माण करने का है;

(घ) यदि हां, तो कब तक; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) भागलपुर बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग–80 पर स्थित है न कि राष्ट्रीय राजमार्ग – 28 पर।

मंत्रालय ने 1.1.2004 को राष्ट्रीय राजमार्ग–80 पर प्रस्तावित दो लेन – भागलपुर बाइपास के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी के लिए परामर्शदात्री सेवाओं को 15.40 लाख रु. की अनुमानित धनराशि मंजूर की है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का कार्य राज्य सरकार द्वारा सौंपा गया है और मार्च, 2005 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य है। इस मुद्दे पर केन्द्र सरकार और बिहार सरकार के बीच इस प्रकार की कोई विवाद नहीं है।

(ग) से (ङ) बाइपास का निर्माण विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के निष्कर्ष पर निर्भर करेगा। अतः इस संबंध में ब्यौरे बताना अभी संभव नहीं है।

उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय कॉल रैकेट

3609. श्री ब्रजेश पाठक : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीबीआई ने उत्तर प्रदेश दूरसंचार सर्किल (पूर्व) में डिपार्टमेंटल स्टोर पर छापा मारा था तथा लखनऊ स्थित टेलिफोन एक्सचेंज में एक अंतर्राष्ट्रीय कॉल रैकेट का पता लगाया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी अद्यतन ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा जांच रिपोर्ट के आधार पर क्या कार्रवाई की गयी है अथवा की जा रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) (i) विभाग और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी. आई.) द्वारा उत्तर प्रदेश दूरसंचार सर्किल (पूर्व) के लखनऊ स्थित दूरसंचार डिपार्टमेंटल स्टोर में 10, 11, और 12 मार्च, 2004 को संयुक्त रूप से औचक जाँच की गई। जाँच के दौरान यह पाया गया कि कुछ पुरानी प्रौद्योगिकी के उपकरणों (जैसे 80 के दशक के अंतिम वर्षों से स्टोर में रखे स्टोजर एक्सचेंज के स्पेयर पार्टस, एमडीएफ उपकरण आदि) को रिकार्ड में शामिल नहीं किया गया था।

(ii) उत्तर प्रदेश पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) द्वारा लखनऊ स्थित टेलीफोन एक्सचेंज में 28.5.2001 को एक कॉल रैकेट का भंडाफोड किया गया। उनके द्वारा 31.5.2001 को एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। विभागीय जांच की गई जिससे यह पता चला कि एक्सचेंज में बिना मीटर का ओपन नंबरिंग स्कीम वाला एक नकली कोड 40 चालू किया गया था। इस कोड का दुरूपयोग एसटीडी/आईएसडी कॉल करने के लिए किया जाता था। इसमें 13 विभागीय अधिकारी अंतर्लिप्त पाए गए। इनके विरुद्ध केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

[अनुवाद]

वित्तपोषण पद्धति में परिवर्तन

3610. डा. अरूण कुमार शर्मा : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र के विशेष श्रेणी के राज्यों में ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए वित्तपोषण पद्धति को परिवर्तित करने हेतु प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो ऋण और अनुदान घटक में अंतिम रूप दिए गए संशोधनों का योजनावार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन) : (क) से (ग) योजना आयोग में पूर्वोत्तर राज्यों सहित विशेष श्रेणी राज्यों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की मुख्य केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत निधियन पैटर्न को 75 : 25 से 90 : 10 में परिवर्तित करने के संबंध में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इस मुद्दे की योजना आयोग में जांच की गई थी और यह निर्णय लिया गया था कि 12वें वित्त आयोग की रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत किए जाने तक यथा–स्थिति बनाए रखी जाए।

क्षेत्रीय भाषाओं में की-बोर्डों की उपलब्धता

3611. श्री वी. के. ठुम्मर : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय भाषाएं टाइपराइटरों में अपने मानक की–बोर्ड की अनुपलब्धता की वजह से इंटरनेट और ई–मेल क्षेत्र में पिछड़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

(ग) कितनी क्षेत्रीय भाषाओं हेतु मानक की–बोर्ड को अंतिम रूप दिया जा चुका है तथा कितनी भाषाएँ अंतिम रूप दिए जाने हेतु विचाराधीन हैं; और

(घ) सभी क्षेत्रीय भाषाओं के मानक की–बोर्ड को अंतिम रूप दिए जाने हेतु क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इनस्क्रिप्ट (भारतीय लिपि) कुंजी पटल ओवरले का माननकीकरण 10 भारतीय लिपियों अर्थात् असमीया, तमिल, देवनागरी, उड़िया कन्नड़, बंगला, तेलुगू, मलयालम, गुजराती तथा पंजाबी के लिए किया गया है। ये लिपियाँ 17 राजभाषाओं की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं।

(घ) उर्दू, सिंधी तथा कश्मीरी के कुंजी पटल के मानकों का मसौदा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की पत्रिका (विश्वभारत@ टीडीआईएल) में प्रकाशित किया गया है। बोरो, डोगरी मैथिली तथा संथाली कुंजी पटल के मानकीकरण की कार्रवाई आरम्भ की गई है।

खादी ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) द्वारा हस्तनिर्मित उत्पादों को प्रोत्साहन

3612. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या के.वी.आई.सी. हस्तनिर्मित उत्पादों के विपणन को बढ़ाने हेतु अवसरों की तलाश कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) छात्रों और युवाओं में खादी और हस्तनिर्मित उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) जी हां। खादी और हस्तनिर्मित उत्पादों के विपणन को विस्तृत करने के लिए, कृषि एवं ग्रामोद्योग मंत्रालय के तहत खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने विभिन्न कदम उठाए हैं, जैसे विभिन्न स्तरों यानी राष्ट्रीय/जोनल/जिला स्तरों पर प्रदर्शनियां आयोजित करना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी, उत्पाद विकास के लिए वित्तीय सहायता और डिजाइन व पैकेजिंग में सुधार आदि।

इसके अतिरिक्त, केवीआईसी ने पूरे देश में हस्तनिर्मित उत्पादों सहित खादी तथा ग्रामोद्योग उत्पादों के विपणन के लिए एक खादी एवं ग्रामोद्योग संवर्धन संघ (कांफेडरेशन फॉर प्रमोशन ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज) स्थापित किया है।

(ग) विद्यार्थियों और युवाओं के बीच खादी और हस्त–निर्मित उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए, केवीआईसी ने मुंबई में कॉलेजों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी), दिल्ली व मुंबई में 4 प्रदर्शनियों में भागीदारी की, जिसमें खादी फैशन शो और क्रेता–विक्रेता बैठकें आदि आयोजित किए गए। केवीआईसी ने जागरूकता कार्यक्रम, जन शिक्षा कार्यक्रम और विद्यार्थियों तथा युवाओं के बीच खादी को लोकप्रिय बनाने के लिए कॉलेजों तथा तकनीकी संस्थानों में निबंध तथा वाद–विवाद प्रतियोगिताएं भी आयोजित किए। 2003–04 के दौरान, खादी उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए केवीआईसी द्वारा 500 ऐसे जन शिक्षा कार्यक्रम आयोजित कराए गए।

केवीआईसी ने राज्य सरकार से स्कूल यूनिफार्मों के रूप में खादी तथा पोलीवस्त्र आधारित उत्पादों को लाने का भी अनुरोध किया है। केवीआईसी खादी तथा हस्त–निर्मित उत्पादों के विपणन के लिए स्कूलों व कॉलेजों में उपभोक्ता स्टोर स्थापित करने में मदद देता है। खादी को, खासकर युवाओं के उपयोग के लिए, नवीनतम डिजाइनों के रेडीमेड वस्त्रों में परिणत करने के लिए एक 'मिशन खादी' आरंभ किया गया है।

गैर-सरकारी संगठनों को धनराशि

3613. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव : क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत गैर–सरकारी संगठनों की भागीदारी हेतु योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्राप्त भारी वाहन चालकों की संख्या कितनी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान गैर–सरकारी संगठनों को राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा योजना के अंतर्गत राज्य–वार कितनी धनराशि जारी की गई;

(घ) क्या सरकार को उक्त अवधि के दौरान आज की तिथि तक गैर–सरकारी संगठनों के द्वारा धनराशि के दुरुपयोग से संबंधित कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो इस पर केंद्र सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(च) क्या गैर-सरकारी संगठनों के लिए और धनराशि को जारी करवाने के लिए लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) इस मंत्रालय के अंतर्गत सड़क सुरक्षा के लिए सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों के आयोजन के लिए अनुदान सहायता, असंगठित क्षेत्र में भारी मोटर वाहनों के चालकों के लिए दो दिवसीय पुनश्चर्या प्रशिक्षण और राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा स्कीम नामक तीन स्कीमें हैं जिनमें गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी होती है।

(ख) पिछले 3 वर्षों में प्रशिक्षित ऐसे चालकों की संख्या के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) इस स्कीम के अंतर्गत नकद अनुदान नहीं दिया गया है और इसके बजाय सहायता के रूप में क्रेनें और एंबुलेंसें उपलब्ध कराई गई हैं।

(घ) और (ङ) इन तीन स्कीमों में बड़ी संख्या में गैर-सरकारी संगठन शामिल हैं। किसी गैर-सरकारी संगठन के बारे में कोई शिकायत मिलने पर संबंधित राज्य सरकार जो कि इस मंत्रालय द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम की मानीटरिंग के लिए मूल रूप से उत्तरदायी है, के परामर्श से कार्रवाई की जाती है और तदनुसार निवारक कार्रवाई की जाती है।

(च) और (छ) इन स्कीमों के अंतर्गत सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों के आयोजन और असंगठित क्षेत्र के भारी मोटर वाहनों के चालकों के दो-दिवसीय पुनश्चर्या प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक गैर सरकारी संगठन को अन्य बातों के साथ-साथ मंजूरी की शर्तों के अनुसार निधियों के उपयोग के प्रमाण के रूप में सनदी लेखाकार की संपरीक्षित लेखा विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

विवरण

असंगठित क्षेत्र के भारी मोटर वाहन चालकों के लिए दो-दिवसीय पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत तीन वर्षों में प्रशिक्षित चालकों की संख्या

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1000	6250	8015
2.	दिल्ली	1150	12499	10000
3.	गुजरात	–	–	250
4.	केरल	–	–	250
5.	महाराष्ट्र	–	750	5500
6.	उड़ीसा	–	–	250
7.	सिक्किम	–	–	250
8.	तमिलनाडु	–	500	3250
9.	पश्चिम बंगाल	450	2000	2250
	जोड़	2600	21999	30015

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के पत्तनों में न्यू लाइट हाउसिज

3614. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में रोजेन प्वाइंट पर लाइटेड बीकन तथा दो नए लाइट हाउसिज की स्थापना का कार्य पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह पर आगमन और प्रस्थान करने वाले पोतों से प्रकाश शुल्क और प्रकाश प्रभार से अर्जित राजस्व का ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) कैंपबैल की खाड़ी में रोज़न पॉइंट पर जुलाई, 2003 में दीप घर स्थापित कर दिया गया है। छोटे निकोबार-द्वीप में मंचल पर दीपाघर के निर्माण का कार्य भी मार्च, 2004 में पूरा कर लिया गया है। दक्षिण अंडमान में पैट्री-द्वीप पर, वन-भूमि का अधिग्रहण कर लिए जाने और पर्यावरण की दृष्टि से अनापत्ति प्राप्त हो जाने के पश्चात्, एक नया दीपघर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) अंडमान और निकोबार-पत्तनों पर आने/वहाँ से जाने वाले तटीय जलयानों/अंतर्देशीय जलयानों के संबंध में प्रकाश-शुल्क का भुगतान किए जाने की छूट मिली हुई है। प्रकाश-शुल्क, विदेश जाने वाले जलयानों के संबंध में ही उगाहा जाता है। अंडमान और निकोबार-क्षेत्र में वर्ष, 2003-2004 के दौरान प्रकाश-शुल्क-स्वरूप ली गई धनराशि 1,81,596/- रु. रही और वर्ष 2004-2005 में जुलाई, 2004 तक ली गई यह धनराशि, 1,73,424/- रु. रही है।

भेषज अनुसंधान हेतु नए मानदंड

3615. श्री जी. वी. हर्ष कुमार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भेषज अनुसंधान हेतु नए मानदंड तैयार कर रही है जैसा कि 14 सितंबर, 2004 के 'द पायनियर' में खबर छपी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) दिनांक 14 सितम्बर, 2004 को पायोनियर में प्रकाशित समाचार रिकोम्बीनेन्ट प्रौद्योगिकी (बायोटेक औषधें) का उपयोग करके तैयार की गई औषधों और इन उत्पादों से संबंधित जैनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति (जी ई ए सी) की भूमिका के बारे में है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति की स्थापना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन की गई है।

"खतरनाक सूक्ष्म जीवों अथवा कोशिकाओं के विनिर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भंडारण हेतु नियमावली, 1989" के अंतर्गत रिकोम्बीनेन्ट फार्मा सेक्टर के लिए विनियामक प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने के उद्देश्य से पर्यावरण और वन मंत्रालय ने डा. आर. ए. माशेलकर, महानिदेशक, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इस टास्क फोर्स की अंतिम रिपोर्ट अभी प्रस्तुत की जानी है।

एच.आई.वी./एड्स कार्यक्रम

3616. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिल गेट्स फाउंडेशन, रिचर्ड गेरे फाउंडेशन तथा क्लिंटन फाउंडेशन भारत में एच.आई.वी./एड्स कार्यक्रम चला रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो भारत मे इस क्षेत्र में कार्य करने हेतु विचारार्थ विषय क्या है,

(ग) इन फाउंडेशनों द्वारा आज तक कितनी धनराशि खर्च की गयी है; और

(घ) भविष्य में निवेश की उनकी योजना, व्यय की जाने वाली धनराशि तथा उनके कार्यक्रमों की अवधि क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, हां।

(ख) भारत में बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के कार्यकरण के लिए टी ओ आर में छह उच्च व्याप्तता वाले राज्यों अर्थात् महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, मणिपुर तथा नागालैंड एवं राष्ट्रीय राजमार्गों 2–9 में अत्यधिक संवेदनशील जनसमूहों जैसे कि इंजेक्शन से नशीली औषध के प्रयोगकर्ताओं, यौनकर्मियो तथा उनके ग्राहकों के बीच संकेन्द्रित निवारण शामिल है। बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन संचार, हिमायत, क्षमता निर्माण मानिटरिंग तथा मूल्यांकन एवं जानकारी निर्माण के क्षेत्रों में सहायता प्रदान कर रहा है।

क्लिंटन फाउंडेशन के टी ओ आर के भारत के एच आई वी/एड्स के निवारण, एच आई वी/एड्स से ग्रस्त लोगों की परिचर्या तथा सहायता एवं उपचार में सुधार लाने के लिए व्यापक योजनाओं के विकास एवं कार्यान्वयन में सहयोग शामिल है।

गेरे फाउंडेशन इण्डिया ट्रस्ट हीरोज परियोजना नामक एक तीन वर्षीय राष्ट्रीय पहल चला रहा है। इस परियोजना में लोक प्रचार माध्यम तथा हिमालय के माध्यम से सार्वजनिक अवबोधन तथा नीति को प्रभावित करके एच आई वी/एड्स के फैलाव पर काबू पाने तथा कलंक एवं भेदभाव को कम करने के लिए भारत की संप्रेषण शक्ति तथा क्षमता का उपयोग करने का प्रयास किया गया है।

(ग) बिल एवं मेलिंडा गेट्स द्वारा भारत में अपने अनुदानग्राहियों को अब तक भुगतान की गई राशि 32.2 मिलियन यू एस डालर है जिसमें से 1 दिसम्बर, 2004 तक इन अनुदानग्राहियों द्वारा 15.4 मिलियन यू एस डालर का व्यय किया जा चुका है। गेरे फाउंडेशन इण्डिया ट्रस्ट की हीरोज परियोजना द्वारा 20 दिसम्बर, 2004 तक 2,22,58,250/– रूपए व्यय किए जा चुके हैं।

(घ) बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने भारत में एच आई वी/एड्स के फैलाव को नियंत्रित करने में सहायता करने के लिए पांच वर्षों की अवधि तक 200 मिलियन यू एस डालर का निवेश करने की योजना बनाई है।

अब तक क्लिंटन फाउंडेशन ने अपने द्वारा प्रदान की जाने वाली कुल राशि नहीं बताई है। क्लिंटन फाउंडेशन ने बतलाया है कि जिस किसी तरीके से भारत सरकार अनुरोध करेगी, ये भारत सरकार की सहायता करने का प्रयास करेगी।

गेरे फाउंडेशन इण्डिया ट्रस्ट की हीरोज परियोजना की योजना की अवधि 2004–2007 तक 2.00 मिलियन यू एस डालर का निवेश करने की है।

[हिन्दी]

बहुमूल्य खनिजों हेतु राज्यों द्वारा हवाई सर्वेक्षण

3617. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बहुमूल्य खनिजों हेतु हवाई सर्वेक्षण करने के लिए राज्य सरकारों को अनुमति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों और जिलों के नाम क्या हैं जहां खनिजों का सर्वेक्षण किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार के पास अपने प्रस्ताव भेजे हैं;

(घ) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इन सर्वेक्षणों पर खर्च करने हेतु निर्धारित निधियों के लक्ष्यों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) जी, हां। आज की तारीख के अनुसार, केन्द्र सरकार के खान मंत्रालय ने स्वर्ण, चांदी, सीसा, तांबा, हीरा और अन्य संबद्ध खनिजों के भण्डारों की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कुल 2,38,165.953 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को कवर करते हुए 117 टोही परमिट (जिसमें अन्य के साथ-साथ हवाई सर्वेक्षण शामिल है) प्रदान करने के लिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एम एम डी आर एक्ट, 1957) की धारा 5 (1) के तहत अपना पूर्व अनुमोदन प्रदान किया है।

(ख) उन राज्यों और जिलों जहां केन्द्र सरकार ने टोही परमिट प्रदान करने के लिए पूर्व अनुमोदन प्रदान किया गया है, का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) वर्तमान में एम एम डी आर एक्ट, 1957 की धारा 5 (1) के तहत केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक महाराष्ट्र उड़ीसा और उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों से 24 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ङ) टोही परमिट (आरपी) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रदान किए जाते हैं। एम एम डी आर एक्ट, 1957 की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट कुछ खनिजों के मामले में ही केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व अनुमोदन प्रदान किया जाता है। इन सर्वेक्षणों पर व्यय की जाने वाली राशि के लक्ष्यों का राज्यवार ब्यौरा केन्द्र द्वारा नहीं रखा जाता है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	जिले
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	कुर्नूल, अनंतपुर, प्रकासम, कुड्डापाह, चित्तौड़, नेल्लौर, महबूबनगर, रंगा रेड्डी, गुन्टूर और बुक्कापटनम
2.	हरियाणा	भिवानी और रोहतक
3.	कर्नाटक	चित्रदुर्ग, देवागरे, रायचुर, गुलबर्गा, टुमकुर, बेल्लारी, मैसूर, चामराजनगर, हासन, कोलार, बागलकोट, कोप्पल, गडग, हावेरी, धारवाड़, नार्थ केनरा, शिमोगा, गड़ग, बेलगांव, मण्डया, कोप्पल, गड़ग, उत्तरा कन्नड़, होस्पेट, सेन्दूर, और चिकमगलूर
4.	छत्तीसगढ़	धामतारी/रायपुर, राजनादगांव, महासमुद्र, कांकेर, जसपुर, दुर्ग, बस्ता, रायगढ़, जांजगिर, जगदलपुर (बस्तर) और दांतेवाड़ा
5.	राजस्थान	सीकर, जयपुर, झुन्झुनु, दौसा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, नागौर, भरतपुर अलवर, सवाई माधोपुर, करौली, बांसवाड़ा पाली और चितौड़गढ
6.	उत्तर प्रदेश	झांसी और ललितपुर
7.	झारखण्ड	पूर्वी सिंहभूम
8.	उड़ीसा	नवरंगपुर, नयौपाड़ा, बोलांगिर, कालाहांडी, बारगढ़, देवगढ़, ढ़ेकननाल, क्योंझर, सम्बलपुर, सुन्दरगढ़, मयूरभंज, जाजपुर, भद्रक, अनगुल और कंधमल
9.	मध्य प्रदेश	नरसिंहपुर, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, छत्तरपुर, सागर, दमोह, टिकमगढ़, शहडोल, उमेरिया, जबलपुर, कटनी, सिद्री, पन्ना, सतना, बेतुल, रेवा, शिवपुरी, दतिया, गुना, ग्वालियर, बालाघाट
10.	पश्चिम बंगाल	मिदनापुर, पुरुलिया

[अनुवाद]

चिकित्सकों के नुस्खे

3618. श्री राजेन्द्र कुमार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने ऐसे आदेश जारी किए हैं, जिसके अनुसार केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य औषधालयों के चिकित्सकों के उन मूल नुस्खों को अनुलिपि को इन्डेन्टिग के पश्चात् लाभार्थी को वापस किया जाना चाहिए, जिन्हें अपाठय पाया जाता है और जिससे चिकित्सकों और लाभार्थियों, दोनों को कठिनाई होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस आदेश को रद्द करने और इस संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) सी जी एच एस औषधालयों में सी जी एच एस लाभार्थियों को जिन पर्चियों पर दवाएं लिखी गयी थीं और ये दवाएं सी जी एच एस के स्थानीय प्राधिकृत दवा विक्रेता से खरीदी गई थीं, उन पर्चियों की मूल प्रति को भविष्य में होने वाली जांच–पड़ताल और लेखा–परीक्षा के लिए सुरक्षित रखने और पर्चियों की अधिप्रमाणित फोटोप्रति लाभार्थी मरीजों को दवाएं इंडेंट कराने के लिए देने संबंधी एक आदेश अपर निदेशक (मुख्यालय), सीजीएचएस, दिल्ली द्वारा दिनांक 5.11.2003 के पत्र सं. 18 3/03–04/सीजीएच एस/डी ए के तहत जारी किया गया था।

(ख) और (ग) मामले की जांच की जा रही है।

सनसली पहाड़ियों में दरार

3619. श्री किरिप चालिहा : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुवाहाटी के निकट स्थित सनसली पहाड़ियों में विशाल दरारें आ गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण ने इसके कारणों का पता लगाने हेतु कोई अध्ययन किया है; और

(ग) सनसली पहाड़ियों में दरारों की रोकथाम करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) जी, हां। गुवाहाटी के निकट सनसली पहाड़ियों में वहां पहले से ही मौजूद बहुत लम्बे–चौड़े मुख्य ज्वाइंट (दरार) में फैल जाने के परिणामस्वरूप विशाल दरार पड़ी हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि लगातार वर्षा के कारण भारी अवशिष्ट मृदा से ढकी हुई ढलानें चार्ज हो गई हैं जिसके परिणामतः मिट्टी आदि पदार्थ बह रहा है और दरारें पड़ गई हैं।

(ख) और (ग) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने घटना स्थल की जांच करने और अध्ययन करने के लिए भूवैज्ञानिकों का एक दल भेजा था। जी. एस. आई. ने उक्त जांच–पड़ताल मीडिया रिपोर्टों के आधार पर आरंभ की है। विस्तृत अध्ययन करने के बाद निष्कर्षों के आधार पर राज्य सरकार को कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त सिफारिशें की जाएंगी।

तटीय क्षेत्रों में लघु उद्योग की स्थापना

3620. श्री सनत कुमार मंडल : क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का रोजगार अवसरों का सृजन करने हेतु पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में लघु उद्योगों की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और लघु उद्योगों की स्थापना करने हेतु किन क्षेत्रों की पहचान की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) से (ग) लघु उद्योग स्थापना की गतिविधि मुख्यतः वैयक्तिक उद्यमितयों पर निर्भर है। इसके अतिरिक्त रोजगार सृजन की दृष्टि से लघु उद्योगों का विकास तथा संवर्धन मुख्य रुप से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार राजकोषीय सहायता, क्रेडिट सहायता, आधारभूत संरचना विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन, विपणन, उद्यमिता विकास, इत्यादि से संबंधित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रयासों को समर्थन देती है और उनमें सहयोग करती है। इन योजनाओं/कार्यक्रमों को पश्चिम बंगाल सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जाता है। इस तरह, लघु उद्योगों के संवर्धन के लिए केन्द्र सरकार की योजनाओं/कार्यक्रमों का लक्ष्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहयोग करना और उद्यमियों को लघु उद्योग क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना करने के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना है।

रिलायंस इंफोकॉम के साथ करार

3621. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिलायंस इंफोकॉम ने डाकघरों का बिल संग्रहण केंद्रों के रूप में उपयोग करने हेतु डाक विभाग के साथ करार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में डाक विभाग के साथ रिलायंस इंफोकॉम ने कितने प्रस्ताव तैयार किए हैं,

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है;

(घ) विभिन्न सेवा प्रदाताओं के वितरण नेटवर्क हेतु देश भर में डाकघर कितने तैयार हैं; और

(ङ) यह रिलायंस और डाक विभाग के लिए कितना सहायक होगा?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी हां। डाक विभाग ने गुजरात और महाराष्ट्र डाक सर्किल में डाक नेटवर्क का इस्तेमाल बिल भुगतान केन्द्रों के रूप में करने के लिए रिलायंस इंफोकॉम के साथ समझौता किया है, जो देश के विभिन्न हिस्सों में अन्य सेवा प्रदायकों के साथ हुई व्यवस्था के समान ही हैं।

(ख) गुजरात और महाराष्ट्र डाक सर्किलों ने चुनिंदा डाकघरों के डाक नेटवर्क का इस्तेमाल बिल भुगतान केंद्रों के रूप में करने के लिए रिलायंस इंफोकॉम के साथ एक-एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ग) बिल भुगतान पर रिलायंस इंफोकॉम का कोई प्रस्ताव निर्णय के लिए लंबित नहीं है।

(घ) डाकघर देश में ऐसी सुविधाएं पहले ही उपलब्ध करवा रहे हैं।

(ङ) ऐसी व्यवस्थाएं सेवा प्रदाता और डाक विभाग दोनों के लिए ही लाभदायक हैं। सेवा प्रदाता सुस्थापित डाक नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकता है। डाक विभाग इस प्रकार उपलब्ध कराई गई सेवाओं के माध्यम से राजस्व अर्जित कर सकता है।

जिला समाहर्तालयों का कम्प्यूटरीकरण

3622. श्री प्रबोध पाण्डा : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के सभी समाहर्तालयों का कम्प्यूटरीकरण करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस संबंध में राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या देश के किसी जिला समाहर्तालय का पूर्णतः कम्प्यूटरीकरण किया गया है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (घ) राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग केन्द्र सरकार के विभागों, राज्यों, संघ शासित प्रदेशों तथा देश के जिला प्रशासनों को बैकबोन ई-शासन नेटवर्क तथा तकनीकी समर्थन उपलब्ध करा रहा है। एनआईसी जिला स्तर पर कम्प्यूटर केन्द्र स्थापित करती है तथा उन्हें मूलभूत अभिकलन एवं डेटा संचार सुविधाओं से सुसज्जित करती है तथा एक जिला सूचना अधिकारी और एक जिला सूचना सहायक की सेवाएँ उपलब्ध कराती है। जिला कलेक्टरेट अपने कम्प्यूटरीकरण से संबंधित आवश्यकताओं के लिए इन सुविधाओं का प्रयोग कर सकते हैं। उक्त सुविधाओं पर होने वाले व्यय का वहन एनआईसी द्वारा अपने बजट आबंटन से किया जाता है और इस कारण राज्य सरकारों को इस संबंध में कोई प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है।

(ङ) और (च) ऐसा कोई आकलन नहीं किया गया है। लेकिन एनआईसी ने कई ई-शासन अनुप्रयोगों का डिजाइन एवं विकास किया है जिनका प्रयोग संबंधित जिला प्रशासन द्वारा अपनी-अपनी तैयारियां एवं आवश्यकताओं के आधार पर किया जा सकता है। इनमें से कुछ अनुप्रयोग इस प्रकार हैः-

* भू-अभिलेख कम्प्यूटरीकरण
* सम्पत्तियों का पंजीकरण
* गरीबी रेखा से नीचे का डेटाबेस
* जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण
* कलेक्टरेट 2000/डीसी सुइट (ड्राइविंग लाइसेंस, विवाह प्रमाण पत्र, निवास स्थान प्रमाण पत्र, आयुध लाइसेंस, जाति प्रमाण पत्र, आदि जैसी नागरिक सेवाएँ)
* ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रबंध करने के लिए ग्रामीण विकास सूचना प्रणाली (रूरल सॉफ्ट)
* पंचायती राज संस्थान लेखांकन प्रणाली (प्रिया सॉफ्ट)
* जिला कोषागार
* सार्वजनिक वितरण प्रणाली
* एकीकृत बाल विकास सेवाएँ
* सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित रोजगार कार्यालय प्रचालन

[हिन्दी]

दूसरे देशों में स्थित सांस्कृतिक केंद्रों के कार्यकरण की समीक्षा

3623. श्री बीर सिंह महतो :

श्री सुनिल कुमार महतो :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूसरे देशों में स्थित भारतीय सांस्कृतिक केन्द्रों के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो यह समीक्षा कब तक की गई थी;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा की गई समीक्षा के परिणामों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) परिणामों के आधार पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह) : (क) से (घ) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का कहना है कि विदेश में 17 सांस्कृतिक केन्द्र और 2 उप केन्द्र स्थित हैं। उनके कार्य-प्रचालन की निगरानी लगातार संबंधित देश के मिशनाध्यक्षों द्वारा और इन केन्द्रों द्वारा नियमति रूप से भेजी गई मासिक रिपोर्ट के आधार पर भा. सां. परि. मुख्यालय द्वारा की जाती है। हाल ही में चार सांस्कृतिक केन्द्रों की आंतरिक लेखा-परीक्षा की गई। केन्द्रों के कार्यक्रमों और गतिविधियों में आशोधन किया गया है और उनकी गुणक्ता, विषय – वस्तु और पहुँच में संवर्द्धन हेतु नई पहल की गई है।

[अनुवाद]

इंटरनेट एक्सचेंज

3624. श्री जासुभाई दानाभाई बारड़ : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में इंटरनेट एक्सचेंज स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रारम्भिक चरण में राज्यवार/संघ शासित क्षेत्रवार कुल कितने एक्सचेंजों को स्थापित करने की योजना बनाई गई है; और

(घ) इस पर कुल कितना व्यय होने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने भारतीय इंटरनेट सेवा प्रदाता संघ (आईएसपीएआई) के साथ मिलकर "भारत राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज (निक्सी)" के नाम से देश में 4 इंटरनेट एक्सचेंज स्थापित किए हैं।

(ख) निम्नलिखित स्थानों पर 4 एक्सचेंजों की स्थापना की गई है:–

(i) दिल्ली (नोएडा)

(ii) चेन्नै, तमिलनाडु

(iii) मुम्बई, महाराष्ट्र

(iv) कोलकाता, पश्चिम बंगाल

37 इंटरनेट सेवा प्रदाता इन एक्सचेंजों में शामिल हुए हैं।

(ग) और (घ) ऊपर (ख) में उल्लिखित 4 एक्सचेंजों की स्थापना आरम्भतः क्षेत्रीय स्थापना-स्थलों पर करने की योजना बनाई गई थी जिसके लिए निक्सी को 424.35 लाख रुपए का सहायता अनुदान उपलब्ध कराया गया।

[हिन्दी]

अवैध आप्रवास

3625. श्री रामदास आठवले : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्य देशों के साथ अवैध आप्रवासियों का मामला उठाया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आत तक किन देशों के साथ उक्त मामले को उठाया गया था और यह किन तिथियों में किया गया था;

(ग) इस संबंध में उक्त देशों की प्रतिक्रिया क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) से (घ) जी हाँ। इस मामले पर भारत ने अनेक देशों के साथ बातचीत की है जिनमें कुछ यूरोपीय देश और अमरीका शामिल हैं। इन देशों ने कहा है कि जिन अवैध प्रवासियों को उनके देशों में पकड़ा जाता है और जिनके बारे में भारतीय राष्ट्रिक होने का संदेह है, उन्हें वापस भारत भेज दिया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को तभी वापस भेजा जाता है जब उनकी पहचान और भारतीय राष्ट्रीयता की पुष्टि हो जाती है।

[अनुवाद]

चिकित्सा सुविधाओं को मूल अधिकारों में शामिल किया जाना

3626. डा. एम. जगन्नाथ : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिकित्सा सुविधाओं को मूल अधिकारों में शामिल करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

बीस सूत्री कार्यक्रम

3627. श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत किन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं से राज्यवार कितने लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है;

(ग) क्या केन्द्रीय अभिकरणों द्वारा इन योजनाओं की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो इसमें क्या कमियां पाई गई हैं, यदि कोई हों; और

(ङ) बीस सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु नियत धन के समुचित उपयोग हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) 20 सूत्री कार्यक्रम के अधीन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही स्कीमें निम्नलिखित हैं:-

(i) प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या अवसंरचना को सुधारने के लिए सहायता।

(ii) बच्चों का प्रतिरक्षण (डीपीटी, पोलियो और बीसीजी)

(iii) प्रमुख वेक्टर जनित रोगों, क्षयरोग, कुष्ठ, एड्स, दृष्टिहीनता और आयोडीन अल्पता विकारों के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम।

(ख) ये स्कीमें देशभर में कार्यान्वित की जा रही हैं और इनसे देश की पूरी जनसंख्या को लाभ हो रहा है। तथापि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना, उपचार किए गए और मूल उपचार प्रदान किए गए मलेरिया रोगियों, पहचान किए गए और उपचार पर रखे गए क्षयरोग रोगियों, की गई मोतियाबिंद शल्य चिकित्साएं, पहचान किए गए और रोगमुक्त किए गए कुष्ठ रोगियों को दर्शाने वाले पिछले तीन वर्षों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I से विवरण – VII में दिए गए हैं। एड्स के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है।

(ग) और (घ) जी, हां। मंत्रालय द्वारा इन स्कीमों की नियमित मॉनिटरिंग की जाती है। दाता एजेंसियां भी स्कीमों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करती हैं जब कभी कमियां नोटिस में आती हैं, दोषनिवारक उपाए किए जाते हैं।

(ङ) इन स्कीमों के अन्तर्गत निधियों का उपयोग निर्धारित प्रक्रिया और उन उद्देश्यों जिनके लिए वे प्रदान की जाती हैं, के अनुसार पूरी सावधानी से किया जाता है। निधियों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/जिला सोसायटियों को दिशानिर्देश परिचालित किए गए हैं। नियमित रिपोर्टों, समीक्षा बैठकों, लेखा-परीक्षा रिपोर्ट और उपयोगिता प्रमाणपत्रों के माध्यम से भी निधियों की उपयोगिता की मॉनिटरिंग की जाती है।

विवरण-I

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र — एकक : संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001-2002			2002-2003			2003-2004		
		लक्ष्य	उपलब्धि	%	लक्ष्य	उपलब्धि	%	लक्ष्य	उपलब्धि	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	55	–	0	8	–	0	50	–	0
2.	असम	19	–	0	5	–	0	19	5	26
3.	बिहार	–	–	–	23	–	0	95	–	0
4.	छत्तीसगढ़	–	–	–	2	–	0	6	1	17
5.	दिल्ली	2	–	0	2	–	0	1	–	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	गुजरात	17	11	65	–	–	–	1	12	1200
7.	हरियाणा	9	1	11	3	1	33	9	–	0
8.	जम्मू–कश्मीर	1	–	0	–	–	–	–	–	–
9.	झारखण्ड	–	–	–	6	–	0	29	39	134
10.	कर्नाटक	5	10	200	1	1	100	5	3	60
11.	केरल	25	–	0	3	–	0	18	–	0
12.	मध्य प्रदेश	–	–	–	4	–	0	24	–	0
13.	महाराष्ट्र	33	–	0	4	–	0	21	36	171
14.	मेघालय	–	–	–	1	2	200	1	1	100
15.	नागालैण्ड	3	2	67	1	2	200	1	2	200
16.	उड़ीसा	27	–	0	8	–	0	25	–	0
17.	पंजाब	2	–	0	1	–	0	3	–	0
18.	राजस्थान	12	–	0	1	–	0	12	10	83
19.	सिक्किम	–	–	–	–	–	–	1	–	0
20.	तमिलनाडु	60	20	33	17	20	118	55	35	64
21.	त्रिपुरा	4	–	0	3	–	0	3	–	0
22.	उत्तरांचल	–	–	–	4	7	175	8	3	38
23.	उत्तर प्रदेश	–	–	–	83	–	0	126	1	1
24.	पश्चिम बंगाल	84	–	0	86	–	0	61	–	0
25.	चंडीगढ़	–	–	–	–	–	–	1	–	0
26.	दादरा और नगर हवेली	–	–	–	1	–	0	–	–	–
	कुल	358	44	12	267	33	12	575	148	26

विवरण-II

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

एकक : संख्या

		2001–2002			2002–2003			2003–2004		
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लक्ष्य	उपलब्धि	%	लक्ष्य	उपलब्धि	%	लक्ष्य	उपलब्धि	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	93	–	0	17	–	0	76	–	0
2.	असम	26	–	0	8	–	0	27	–	4
3.	बिहार	–	–	–	19	–	0	75	–	0
4.	छत्तीसगढ़	–	–	–	3	–	0	39	–	0
5.	दिल्ली	6	–	0	1	–	0	6	–	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	गोवा	2	–	0	1	–	0	1	–	0
7.	गुजरात	17	43	253	–	–	–	–	–	–
8.	हरियाणा	4	4	100	2	2	100	2	2	100
9.	झारखण्ड	–	–	–	7	–	0	27	30	111
10.	मध्य प्रदेश	–	–	–	7	–	0	29	–	0
11.	महाराष्ट्र	16	–	0	–	–	–	–	–	–
12.	नागालैण्ड	6	8	133	10	8	80	2	8	400
13.	त्रिपुरा	10	–	0	2	–	0	9	–	0
14.	उत्तरांचल	–	–	–	1	–	0	2	–	0
15.	पश्चिम बंगाल	41	–	0	24	–	0	110	–	0
16.	चंडीगढ़	–	–	–	1	–	0	1	–	0
	कुल	221	55	25	103	10	10	406	41	10

विवरण-III

बच्चों का रोगप्रतिरक्षण (डीपीटी, पोलियो और बीसीजी) संख्या : रोग प्रति रक्षित शिशुओं की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001–2002			2002–2003			2003–2004		
		लक्ष्य	उपलब्धि	%	लक्ष्य	उपलब्धि	%	लक्ष्य	उपलब्धि	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	1557780	1603000	103	1561000	1682000	108	1553752	1614000	104
2.	अरूणाचल प्रदेश	26420	12591	48	25000	10765	43	25786	7001	27
3.	असम	665160	112236	17	677000	360661	53	687019	500620	73
4.	बिहार	2151130	1357587	63	2447000	989012	40	2550569	1125116	44
5.	छत्तीसगढ़	570300	560018	98	539000	500442	93	198077	503967	254
6.	दिल्ली	276130	206041	75	286000	218340	76	296786	189821	64
7.	गोवा	23170	25705	111	20000	25274	126	20228	24499	121
8.	गुजरात	1174830	1202695	102	1231000	1222682	99	1266467	1190505	94
9.	हरियाणा	506250	547781	108	545000	539155	99	561364	534327	95
10.	हिमाचल प्रदेश	140640	133085	95	129713	133679	103	132000	133088	101
11.	जम्मू–कश्मीर	192890	763628	396	196000	302151	154	198985	280928	141
12.	झारखण्ड	769980	98101	13	731000	675988	92	748280	4602286	615
13.	कर्नाटक	1114930	1077209	97	1129000	1069586	95	1132511	1034988	91
14.	केरला	582910	546290	94	572000	559530	98	573978	532427	93
15.	मध्य प्रदेश	1809820	1866917	103	1742000	1871984	107	1805133	1682302	93
16.	महाराष्ट्र	1858260	2100464	113	1971000	1243570	63	2001591	2035800	102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	मणिपुर	45590	26918	59	45000	32718	73	43624	30537	70
18.	मेघालय	68460	36991	54	65000	34889	54	66066	37488	57
19.	मिजोरम	16490	60887	369	15000	62552	417	14314	64424	450
20.	नागालैण्ड	22870	11072	48	26000	18227	70	27012	15847	59
21.	उड़ीसा	790360	839288	106	808000	835999	103	828250	824667	100
22.	पांडिचेरी	19980	20320	102	18000	18199	101	17580	17031	97
23.	पंजाब	486760	532832	109	501000	517023	103	512713	497124	97
24.	राजस्थान	1573320	1642100	104	1712000	1693220	99	1719891	1713240	100
25.	सिक्किम	11910	11460	96	11000	8966	82	11536	10249	89
26.	तमिलनाडु	1143740	1189024	104	1149000	1178169	103	1164322	1187280	102
27.	त्रिपुरा	63940	57270	90	53000	61476	116	52546	64883	123
28.	उत्तरांचल	211580	235275	111	160000	229518	143	170262	223748	131
29.	उत्तर प्रदेश	4940780	5569000	113	5176000	5560000	107	5301319	5027506	95
30.	पश्चिम बंगाल	1580740	1533007	97	1606000	1534563	96	1633776	1666888	102
31.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	7080	6278	89	6000	6038	101	6802	6380	94
32.	चंडीगढ़	16060	13915	87	17000	14963	88	17604	17087	97
33.	दादरा और नगर हवेली	6060	6819	113	7000	7711	110	7603	7582	100
34.	दमन और दीव	3760	3316	88	4000	2797	70	3722	3388	91
35.	लक्षद्वीप	1800	1605	89	1000	1163	116	1084	1028	95
	कुल	24431880	24010725	98	25181713	23223010	92	25352552	27408052	108

विवरण-IV

2001–2003 के दौरान भारत में पिछले तीन वर्षों में मलेरिया, राज्यवार बीएसई, पॉजिटिव रोगी और मूल उपचार

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2001			वर्ष 2002			वर्ष 2003		
		बीएसई	पॉजिटिव रोगी	मूल उपचार	बीएसई	पॉजिटिव रोगी	मूल उपचार	बीएसई	पॉजिटिव रोगी	मूल उपचार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	8299279	57735	57512	8718569	38053	37677	10088425	35998	35693
2.	अरुणाचल प्रदेश	333321	56030	50030	310777	464431	42048	275097	34810	28595
3.	असम	2431620	95142	87904	2326105	89601	89601	2133820	76570	76570
4.	बिहार	359263	4108	4108	406034	3683	3680	363533	2652	2650
5.	छत्तीसगढ़	4010560	*290666		3523394	235434	230378	3693618	194419	188514
6.	गोवा	277311	12331	12329	273434	16818	16848	278647	11370	11370

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	गुजरात	7026557	*81347	81735	7156918	82966	82966	8342705	130744	130734
8.	हरियाणा	2279998	1202	1197	2070874	936	936	2325614	4374	936
9.	हिमाचल प्रदेश	566859	349	349	520834	176	176	503935	133	130
10.	जम्मू–कश्मीर	342635	912	912	347848	455	455	370177	320	320
11.	झारखण्ड	885583	130784	127837	839333	126589	121323	710016	118902	112740
12.	कर्नाटक	9086742	197625	194785	9426845	132584	131526	9771552	100220	98998
13.	केरल	1724531	2289	2289	1480689	3360	3360	1861878	2575	2575
14.	मध्य प्रदेश	8682184	183118	180868	8652610	108818	99229	9003681	99708	98443
15.	महाराष्ट्र	14263580	56043	54041	14192434	45563	43691	14563047	62947	43691
16.	मणिपुर	104376	943	935	102403	1268	1268	149316	2589	2589
17.	मेघालय	246996	20630	20500	235323	17918	17918	199113	18366	18364
18.	मिजोरम	204492	10929	10929	219522	7859	7859	202285	7293	7293
19.	नागालैण्ड	55207	4318	4318	59777	3945	3945	66590	3370	3370
20.	उड़ीसा	4122957	454541	452071	4570466	473223	473223	4430957	421323	409471
21.	पंजाब	2750189	604	604	2685699	250	250	2646723	379	365
22.	राजस्थान	6745197	129233	129233	5691277	68627	68627	7832143	142738	124376
23.	सिक्किम	10665	31	21	13518	53	51	9783	278	278
24.	तमिलनाडु	7039975	31551	29703	7177639	34523	33223	7721090	43604	43060
25.	त्रिपुरा	291652	18502	18502	245406	13319	13322	252339	13807	13807
26.	उत्तरांचल	128485	1196	1134	291164	1659	1436	341156	2350	2350
27.	उत्तर प्रदेश	2985034	94524	93976	4490151	90199	89814	4934809	101411	101202
28.	पश्चिम बंगाल	3367847	145053	143925	3896939	194421	187444	4231572	233802	187444
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	245632	925	925	202542	865	855	166546	753	753
30.	चंडीगढ़	78418	298	284	72056	157	148	83814	84	82
31.	दादरा और नागर हवेली	35224	848	848	30189	493	493	33621	468	468
32.	दमन और द्वीप	22709	87	87	22885	173	173	21770	141	141
33.	दिल्ली	1073073	1484	1484	931576	694	694	1220248	839	839
34.	लक्षद्वीप	1905	0	0	1892	8	8	1897	6	6
35.	पांडिचेरी	308963	106	106	290206	103	103	304626	63	63
	अखिल भारत कुल	90389019	2085484	1765501	91476228	1841229	1804748	99136143	1869403	1748280

* अनंतिम बीएसई–रक्त स्लाइड जांच

विवरण-V

पिछले तीन वर्षों के दौरान पता लगाए गए और उपचाराधीन क्षयरोगियों के राज्यवार ब्यौरे

क्र. सं.	राज्य	2001–02	2002–03	2003–04
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	754	524	566
2.	आंध्र प्रदेश	95909	100505	119368
3.	अरुणाचल प्रदेश	2730	3123	2232
4.	असम	20022	18038	20459
5.	बिहार	35272	37520	33361
6.	चंडीगढ़	1872	1727	2058
7.	छत्तीसगढ़	9799	14295	15724
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0
9.	दिल्ली	26389	32604	38847
10.	गोवा	2623	1138	0
11.	गुजरात	72683	61415	73133
12.	हरियाणा	28323	31703	30908
13.	हिमाचल प्रदेश	11283	12691	13312
14.	जम्मू–कश्मीर	9472	9142	8632
15.	झारखण्ड	14220	16336	13538
16.	कर्नाटक	59652	57276	57449
17.	केरल	22798	23923	24878
18.	मध्य प्रदेश	69643	48675	54224
19.	महाराष्ट्र	131537	117554	130676
20.	मणिपुर	2766	5556	5095
21.	मेघालय	2760	2730	2669
22.	मिजोरम	1263	1456	1631
23.	नागालैण्ड	1035	933	1763
24.	उड़ीसा	19474	27152	27080
25.	पांडिचेरी	3212	2541	2322
26.	पंजाब	27885	20000	22449
27.	राजस्थान	84655	93462	98144
28.	सिक्किम	1640	1250	1403
29.	तमिलनाडु	77574	80895	89616
30.	त्रिपुरा	1947	1032	1197
31.	उत्तर प्रदेश	206197	207670	153459
32.	उत्तरांचल	0	14725	11194
33.	पश्चिम बंगाल	73275	81485	89836
	कुल	1118664	1129076	1147223

विवरण-VI

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम
मोतियाबिन्द शल्य चिकित्सा का निष्पादन

क्र. सं.	राज्य	2001–02		2002–03		2003–04	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	350000	371949	350000	404002	350000	443091
2.	बिहार	140000	81104	140000	63927	140000	87876
3.	छत्तीसगढ़	80000	52224	80000	56451	80000	64196
4.	गोवा	7000	5044	7000	5294	7000	5497
5.	गुजरात	400000	414580	400000	436740	400000	449234
6.	हरियाणा	110000	102171	110000	90665	110000	104375
7.	हिमाचल प्रदेश	16000	16843	16000	16226	16000	18343
8.	जम्मू–कश्मीर	13000	10503	13000	11553	13000	10712

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	झारखण्ड	70000	29510	70000	29544	70000	28054
10.	कर्नाटक	220000	202851	220000	244699	220000	263613
11.	केरल	90000	69028	90000	83345	90000	79696
12.	मध्य प्रदेश	240000	234527	240000	224049	240000	233870
13.	महाराष्ट्र	420000	473145	420000	480356	420000	519561
14.	उड़ीसा	130000	86386	130000	81619	130000	82652
15.	पंजाब	160000	120504	160000	122670	160000	133376
16.	राजस्थान	220000	196835	220000	188747	220000	226829
17.	तमिलनाडु	400000	373058	400000	371559	400000	452650
18.	उत्तर प्रदेश	418944	536647	450000	551516	450000	567718
19.	उत्तरांचल	31056	27544	100000	34703	100000	37105
20.	पश्चिम बंगाल	220000	229665	220000	233382	220000	249895
	कुल	3736000	3634118	3836000	3731047	3836000	4058343
पूर्वोत्तर राज्य							
1.	अरुणाचल प्रदेश	1000	436	1000	532	1000	664
2.	असम	45000	17633	45000	20889	45000	23063
3.	मणिपुर	2000	697	2000	722	2000	553
4.	मेघालय	2000	1238	2000	824	2000	1283
5.	मिजोरम	800	715	800	733	800	796
6.	नागालैण्ड	500	340	500	400	500	429
7.	सिक्किम	1000	475	1000	376	1000	253
8.	त्रिपुरा	8000	8720	8000	8270	8000	8098
	कुल	60300	30254	60300	32746	30600	35139
संघ राज्य क्षेत्र							
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	500	508	500	530	500	693
2.	चंडीगढ़	5500	5251	5500	5560	5500	6320
3.	दादरा और नगर हवेली	330	572	330	500	330	250
4.	दमन और द्वीप	350	367	350	372	350	372
5.	दिल्ली	80000	71279	80000	73391	80000	79994
6.	लक्षद्वीप	20	20	20	8	20	87
7.	पांडिचेरी	7000	7374	7000	7397	7000	9969
	कुल	93700	85353	93700	87758	93700	97685
ई.एस.आई.ए.एफ.सी.आर.		10000	5842	10000	5582	10000	6442
	कुल योग	3900000	3755567	4000000	3857133	4000000	4197609

*अनंतिम

विवरण-VII

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम

रोगी का पता लगाने, उपचार करने और डिस्चार्ज करने के संबंध में लक्ष्य और उपलब्धि राज्यवार और वर्ष वार (2001–2002, 2002–2003 और 2003–2004)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001-2002				2002-2003				2003-2004	
		रोगी का पता लगाना		डिस्चार्ज करना		रोगी का पता लगाना		डिस्चार्ज करना		रोगी का पता लगाना	डिस्चार्ज करना
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	15000	54019	43000	57327	38725	39115	65740	43579	31816	36671
2.	अरुणाचल प्रदेश	80	120	200	138	100	126	150	159	104	125
3.	असम	800	2485	3000	2421	800	1570	3000	2322	1331	1569
4.	बिहार	18000	120080	75000	103701	86574	94561	98615	113399	65019	95539
5.	गोवा	50	351	470	483	80	294	470	108	320	485
6.	गुजरात	3000	11995	11000	12198	4000	11564	11000	11481	10229	10675
7.	हरियाणा	50	768	800	834	100	718	700	814	643	716
8.	हिमाचल प्रदेश	50	263	340	368	100	280	400	258	308	289
9.	जम्मू–कश्मीर	50	723	1000	882	120	572	1000	641	356	623
10.	कर्नाटक	8000	20182	14000	18839	13890	13071	19720	15561	10598	13209
11.	केरल	2500	2420	3500	2983	12627	2512	3000	2624	1891	2449
12.	मध्य प्रदेश	10000	18842	18000	19190	20625	16570	19175	18377	12699	14397
13.	महाराष्ट्र	16000	49263	35000	46892	18000	48549	43830	51187	44192	44375
14.	गोवा	80	166	250	231	50	108	200	158	53	107
15.	मेघालय	30	48	70	46	20	78	60	62	17	71
16.	मिजोरम	20	24	60	52	20	23	60	47	18	17
17.	नागालैण्ड	15	73	50	69	15	58	50	77	55	63
18.	उड़ीसा	18000	48144	36000	40707	31570	38349	41090	44018	21201	35479
19.	पंजाब	100	1457	1450	1424	100	1356	1450	1464	1345	1319
20.	राजस्थान	1200	2051	5000	2070	800	2212	5000	2791	2000	3414
21.	सिक्किम	20	73	50	55	20	46	50	75	47	44
22.	तमिलनाडु	15000	42101	43000	47606	13470	24767	27395	32209	16051	211996
23.	त्रिपुरा	20	110	160	103	20	80	160	152	93	104
24.	उत्तर प्रदेश	29000	112089	86500	98387	77185	90586	93130	104570	80072	89144
25.	पश्चिम बंगाल	18000	46620	30800	36145	33250	32243	43095	43248	25050	21159
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	20	67	100	83	20	60	100	99	55	74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.	चंडीगढ़	20	350	300	288	20	323	300	427	346	295
28.	दादरा और नागर हवेली	20	365	160	245	20	268	160	400	616	427
29.	दमन और द्वीप	10	44	40	38	10	18	20	39	5	9
30.	दिल्ली	100	5593	6600	5883	1500	5975	6000	5557	5362	5649
31.	लक्षद्वीप	110	13	15	12	10	27	15	26	4	17
32.	पांडिचेरी	100	721	600	790	100	225	320	358	226	270
33.	झारखंड	12000	45602	25000	39364	35357	28982	30650	46362	17719	24290
34.	छत्तीसगढ़	15000	28230	12000	21123	30727	18468	30560	25916	15385	17949
35.	उत्तरांचल	1000	2541	1500	2052	900	2246	1200	2503	1917	2346
	कुल	183345	617993	455015	563029	420925	476000	547865	571068	367143	445365

वर्ष 2003-04 के दौरान काई भौतिक लक्ष्य आबंटित नहीं किए गए हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग 34 में सुधार

3628. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 34 के कोलकाता और दालमोला खंड के सुधार कार्य को आरंभ किया है;

(ख) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग 34 कोलकाता को पूर्वोत्तर राज्यों तथा बिहार के कुछ हिस्सों से जोड़ता है;

(ग) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से एन एच डी पी परियोजनाओं के अनुसार उक्त सड़क में सुधार करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने सुधार कार्य को एन एच ए आई को सौंपने का प्रस्ताव भी भेजा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) पश्चिम बंगाल महामार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत बरासत (31 कि.मी.) से रायगंज (398 कि.मी.) तक रा.रा. 34 का एशियाई विकास बैंक के वित्त पोषण से 1.5 मीटर पेव्ड शोल्डर बनाकर, विद्यमान सड़क तथा पुलों का सुदृढ़ीकरण करके और शहरी खंडों में चार लेन बनाकर सुधार किया जा रहा है। 367 कि.मी. की परियोजना लंबाई को तीन पैकेजों में इस प्रकार बांटा गया है:–

पैकेज 'ए' : बरासत (31 कि.मी.) से बहरामपुर (193 कि.मी.)

पैकेज 'बी' : बहरामपुर (193 कि.मी.) से फरक्का (297 कि.मी.)

पैकेज 'सी' : फरक्का (297 कि.मी.) से रायगंज (398 कि.मी.)

बरासत, बहरामपुर और मालदा में तीन परियोजना कार्यान्वयन इकाइयां स्थापित की गई हैं। इन परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों के लिए परियोजना निदेशक, इंजीनियर और लेखा अधिकारियों की पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा नियुक्ति कर दी गई है। कार्यों की प्रगति संलग्न विवरण में दी गई है।

उप क्षेत्रीय परिवहन संपर्क परियोजना के तहत रा.रा. 34 के रायगंज – डलखोला खंड का कार्य, साध्यता अध्ययन के लिए एशियाई विकास बैंक द्वारा शुरू किया गया है। यदि यह साध्य पाया जाता है तो बाद में यह कार्य एशियाई विकास बैंक के ऋण से शुरू किया जा सकता है।

(ख) जी हां।

(ग) से (ङ) जी हां। रायगंज से डलखोला तक रा.रा. 34 के सुधार कार्य को बढ़ाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से अनुरोध प्राप्त हुआ है जिसमें सड़क को चार लेन का बनाने और सुधार कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपने की बात कही गई है।

विस्तृत अध्ययन और संबंधित विभागों से विचार–विमर्श करने के बाद एशियाई विकास बैंक ने मार्ग के दोनों ओर पेव्ड शोल्डर बनाकर बरासत से रायगंज तक रा.रा. 34 के खंड का अभिनिर्धारण और इस महामार्ग की क्षमता में वृद्धि की है। चूंकि एशियाई विकास बैंक का ऋण पहले ही मिल चुका है, इसलिए परियोजना कार्यान्वयन इकाइयां पहले ही स्थापित की जा चुकी हैं तथा दो पैकेजों के लिए परामर्शी कार्य पहले ही सौंप दिए गए हैं और इसलिए परियोजना के कार्यक्षेत्र को इस स्तर पर बदलना और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को इस खंड को सौंपना संभव नहीं होगा। मंत्रालय ने दिनांक 1.7.2004 के अपने पत्र के माध्यम से पश्चिम बंगाल सरकार को यह पहले ही बता दिया है कि इस स्तर पर परियोजना के कार्यक्षेत्र को बदलना संभव नहीं होगा।

विवरण

पश्चिम बंगाल महामार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत कार्यों की प्रगति

पैकेज 'ए'

(I) **परामर्शी कार्य** : विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का ठेका और निर्माण पर्यवेक्षण में, आई सी टी*एंड में, राउटन (सं. उ.) को सौंप दिया गया है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

(II) **सिविल कार्य** : पूर्व अर्हता आवेदन प्राप्त हो चुके हैं और इन पर कार्रवाई की जा रही है।

पैकेज 'बी'

(I) **परामर्शी कार्य** : पैकेज 'बी' के लिए पर्यवेक्षण परामर्श को अंतिम रूप दे दिया गया है।

(II) **सिविल कार्य** : इस पैकेज को डिजाइन और निर्माण आधार पर कार्यान्वित किया जाना है। तकनीकी निविदाओं का मूल्यांकन किया जा चुका है। और एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में उनका अनुमोदन किया है।

पैकेज 'सी'

(I) **परामर्शी कार्य** : विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए और निर्माण पर्यवेक्षण कार्य को में, निप्पन कोआई कं. लि. को सौंप दिया है जिनकी लुई बर्जर ग्रुप इंक, और शेलाडिया एसोसिएट्स तथा परामर्शदाता (भारत) प्रा. लि. सहयोगी कंपनियां हैं। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

(II) **सिविल कार्य** : पूर्व अर्हता आवेदन प्राप्त हो चुके हैं और उन पर कार्रवाई की जा रही है।

केरल में सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना

3629. श्री सी. के. चन्द्रप्पन : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार का राज्य में राज्य-व्यापी सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना हेतु सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से 'डोमेस्टिक इंफार्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू मल्टी आब्जेक्टिव नेटवर्क डिपॉजिटरी (डायमंड), नामक योजना आरम्भ करने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या मुख्य कारण हैं;

(ग) क्या सभी गाँवों, प्रखंडों और जिला पंचायतों को इस योजना के माध्यम से जोड़ने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त योजना का किस प्रकार वित्तपोषण करने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, हाँ।

(ख) 'डायमण्ड' परियोजना का कार्यान्वयन इस समय सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, केरल सरकार द्वारा उन्नत अभिकलन विकास केन्द्र (सी-डैक), तिरुवनन्तपुरम के माध्यम से दो चरणों में किया जा रहा है। इस परियोजना के पहले चरण में तिरुवनन्तपुरम में एक ई-शासन केन्द्र स्थापित किया गया है तथा समुचित ई-शासन अनुप्रयोगों का निर्माण करने के लिए तीव्र अनुप्रयोग साधनों का विकास किया गया है, जो इस राज्यव्यापी सूचना मूलसंरचना को चलाएंगे। दूसरे चरण में इस परियोजना का उद्देश्य मूलभूत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा चुनिन्दा स्थानों पर उपलब्ध कराए जा रहे निःशुल्क बैण्डविड्थ का समुच्चय बनाना तथा उसे ई-शासन के कार्यकलापों के लिए सरकारी विभागों को उपलब्ध कराना है। इस प्रयोजन से तिरुवनन्तपुरम, कोची तथा कोजीकोड में नेटवर्किंग केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ताकि प्रत्येक नेटवर्क केन्द्र केरल के किसी भी स्थान से बीएसएनएल की ग्रुप डायलिंग दूरी के अंदर हो। ये तीन नेटवर्किंग केन्द्र, कार्यान्वित हो जाने पर, केरल राज्य के लिए ई-शासन का राज्य सूचना बैकबोन स्थापित करेंगे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) ये प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार इस परियोजना को राज्य सरकार के साथ मिलकर 50:50 आधार पर सह वित्तपोषित कर रहा है।

[हिन्दी]

बिहार में टेलीफोन कनेक्शनों हेतु आवेदन

3630. श्री सुशील कुमार मोदी : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में बिहार में टेलीफोन कनेक्शनों हेतु संसद सदस्यों और सामान्य श्रेणी के कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं और कितने आवेदन लंबित हैं;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान मांग को पूरा करने हेतु टेलीफोन कनेक्शनों के लिए नई केबल लाइनें बिछाई गई हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान नई केबल लाइनें बिछाने के संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और आज की तिथि तक इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) 30.11.2004 की स्थिति के अनुसार बिहार में टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के संबंध में संसद सदस्यों से प्राप्त 11960 आवेदन और आम जनता से प्राप्त 116880 आवेदन लंबित हैं।

(ख) और (ग) भूमिगत केबलों की प्राप्ति शुरू हो चुकी है और प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों को कनेक्शन प्रदान करने के लिए केबल बिछाने का कार्य भी तेजी से चल रहा है।

(घ) चालू वित्त वर्ष के दौरान बिहार में लैंडलाइन पर 80,000 सीधी एक्सचेंज लाइनें प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान 5.6 लाख कि.मी. केबल बिछाया जाना है। 30.11.04 की स्थिति के अनुसार 1.42 लाख कि.मी. केबल बिछाया गया है और 01.04.04 से 43,533 कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

डाकघर में गबन

3631. श्री ब्रजेश पाठक : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली स्थित इंद्रप्रस्थ प्रधान डाकघर में करोड़ों रुपए का गबन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ग) क्या देश के अन्य डाकघरों से ऐसी अनियमितताओं के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) हाल ही में दिल्ली स्थित इंद्रप्रस्थ प्रधान डाकघर में 1,04,81,570/- रुपए की रकम का एसएएस एजेन्टों द्वारा किए गए गबन का मामला ध्यान में आया है। इस मामले में संबंधित एसएएस एजेन्टों ने निवेशकों से रकम प्राप्त की थी परन्तु डाकघर खातों में उनके नामों में रकम जमा नहीं की।

(ग) जी हां।

(घ) देश में अन्य डाकघरों से प्राप्त ऐसे मामलों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) संबंधित एसएएस एजेन्टों की एजेन्सियों को रद्द करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सभी मामलों की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा दी गई है। गलती करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच शुरू कर दी गई है।

विवरण

एसएएस एजेन्टों द्वारा किए गए दुर्विनियोजन से संबंधित सर्किलवार सूचना

क्र.सं.	डाक सर्किल का नाम	डाकघरों की संख्या जिनमें ऐसे मामलों का पता चला है	अंतर्ग्रस्त धनराशि (रुपयों में)
1.	आंध्र प्रदेश	7	2466028.00
2.	बिहार	17	3913669.50
3.	छत्तीसगढ़	6	712259.00
4.	दिल्ली (इंद्रप्रस्थ प्रधान डाकघर के अलावा)	2	2576000.00
5.	गुजरात	5	1609340.00
6.	हरियाणा	2	1213004.50
7.	हिमाचल प्रदेश	1	16668.00
8.	जम्मू-कश्मीर	2	61692.00
9.	झारखंड	9	695550.00
10.	कर्नाटक	2	128374.00
11.	महाराष्ट्र	8	10015080.00
12.	उड़ीसा	2	131962.00
13.	पंजाब	4	3861240.00
14.	राजस्थान	6	224986.20
15.	तमिलनाडु	3	4147425.25
16.	पश्चिम बंगाल	10	3124381.00
	कुल	86	34897659.45

[अनुवाद]

उड़ीसा में बीएसएनएल द्वारा मोबाइल कनेक्शन

3632. श्री भर्तृहरि महताब : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीएसएनएल द्वारा उड़ीसा में अभी तक कितने मोबाइल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं;

(ख) क्या वर्ष 2004-05 में उड़ीसा के लिए अतिरिक्त मोबाइल कनेक्शनों की मंजूरी की मांग की गई है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) 30.11.2004 की स्थिति के अनुसार भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा उड़ीसा में 287465 सेल्युलर मोबाइल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। उड़ीसा में अतिरिक्त मोबाइल कनेक्शनों की मांग है और तदनुसार बीएसएनएल में वर्ष 2005 के दौरान 4 लाख अतिरिक्त क्षमता द्वारा नेटवर्क का विस्तार किए जाने की प्रक्रिया चल रही है।

बुल्गारिया के साथ सांस्कृतिक संबंध बढ़ाना

3633. श्री जी. वी. हर्ष कुमार : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दो दशकों के दौरान बुल्गारिया और भारत के बीच सांस्कृतिक संबंधों में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा बुल्गारिया और भारत के बीच सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार विभिन्न अन्य देशों के साथ भी सांस्कृतिक संबंध बढ़ाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत-बुल्गारिया के सांस्कृतिक संबंध 1963 में सम्पन्न द्विपक्षीय सांस्कृतिक करार की संस्थागत रुपरेखा के अंतर्गत है। इस करार के अंतर्गत, इस समय सोलहवां सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम कार्यान्वित हो रहा है।

(घ) और (ङ) जी हां। यह द्विपक्षीय सांस्कृतिक करार की संस्थागत रुपरेखा के माध्यम से किया गया है और इनका कार्यान्वयन सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के द्वारा विशिष्ट द्विपक्षीय आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुकूल किया जाता है।

एम्स के अनुरक्षण पर व्यय किये गये संसाधन

3634. श्री रघुनाथ झा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एम्स के अधिकतर संसाधन कैंसर आदि के उपचारार्थ ढांचागत एवं विशेषीकृत केन्द्र बढ़ाने की बजाय अस्पताल के अनुरक्षण पर खर्च किये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि कई महीनों से बड़ी संख्या में रोगी शल्य-चिकित्सा की प्रतीक्षा कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और शल्य चिकित्सा के लिए इस समय अन्तराल को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी, नहीं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में डा. बी. आर. अम्बेडकर इंस्टीच्यूट रोटरी कैंसर हॉस्पिटल पूर्ण होने की प्रक्रिया में है। परियोजना भवन लगभग पूर्ण हैं जिसमें अपेक्षित अवसंरचनात्मक सुविधाओं की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता है। इस परियोजना में कुछ समय और लागत वृद्धि हुई है जिसके लिए आवश्यक अनुमति ली जा रही है।

(ग) और (घ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में पूरे देश से बड़ी संख्या में रोगी आते हैं। अन्य रोगियों की तुलना में कैंसर के रोगियों को प्राथमिकता दी जाती है। कैंसर ग्रस्त रोगियों का ऑपरेशन प्रथम बार उपचार के लिए आने के दो से चार सप्ताह के भीतर कर दिया जाता है। जो रोगी कैंसरग्रस्त नहीं होते हैं उनकी प्रतीक्षा सूची रोग विशेष पर निर्भर होती है। यह संस्थान उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के भीतर उपयुक्त रूप से सुसज्जित हैं।

मरे हुए भृंगों का उपयोग

3635. श्रीमती मेनका गांधी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रसाधन उत्पादों और विभिन्न खाद्य और पेय पदार्थों को तैयार करने में मरे हुए भृंगो से प्राप्त होने वाले कारमिनिक एसिड/कोहीनील का उपयोग एक तत्व के रूप में किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे उत्पादों के लेबल में शामिल तत्वों के आधार पर ऐसे उत्पादों पर निरामिष का लेबल लगाना सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 की अनुसूची "क्यू" और खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 के अधीन प्रसाधन अथवा खाद्य उत्पादों को बनाने में क्रमशः कारमिनिक एसिड/कोहीनील का इस्तेमाल करना अनुमत नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

डाक्टरों को गांवों में प्रैक्टिस करने के लिए प्रोत्साहित करना

3636. **श्री कैलाश मेघवाल :**

श्री बालेश्वर यादव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चिकित्सा महाविद्यालय से डिग्री लेकर निकले डाक्टरों को गांवों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक यो दो वर्षों के लिए वहां भेजने की कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने गांवों में प्रैक्टिस करने के लिए डाक्टरों को प्रोत्साहित करने हेतु एकमुश्त प्रोत्साहन पैकेज प्रदान करने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है; और

(घ) इस संबंध में कौन सी कार्य-योजना तैयार की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) जी, नहीं। इस समय केन्द्र सरकार के पास युवाडाक्टरों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करना अनिवार्य बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, कुछ राज्य सरकारों ने डाक्टरों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करना अनिवार्य कर दिया गया है। चूंकि, डाक्टरों की नियुक्ति एवं तैनाती पूर्णतया राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की जिम्मेदारी है, इसलिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की रिक्तियों को भरने के लिए उपयुक्त कदम उठाने की सलाह दी गई है।

(घ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की केन्द्रीय परिषद के 1999 में हुए छठे सम्मेलन के संकल्प के अनुसरण में, राज्यों को ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की कमी को दूर करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने की सलाह दी गई है:-

- डाक्टरों की विकेन्द्रीकृत भर्ती का सहारा लेना।
- जहां भी व्यवहार्य हो, डाक्टरों को संविदात्मक आधार पर नियुक्त करना।
- डाक्टरों के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं में सुधार लाना तथा उनकी कठिनाइयों को दूर करना।
- 3 वर्षों की ग्रामीण सेवाओं को अनिवार्य बनाकर सी. एच.सी.एस. में विशेषज्ञों तथा पी. एच. सी. में चिकित्सा अधिकारियों की रिक्तियों को भरने के लिए उपाय करना।
- मेडिकल कालेज में उन सेवारत अभ्यार्थियों के लिए 25% स्नातकोत्तर सीटे आरक्षित करना जिन्होंने इस बांड के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम तीन वर्षों तक कार्य किया है कि ये भारत सरकार की कम से कम 5 वर्षों तक सेवा करेंगे।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और शिक्षा के संबंध में व्यय

3637. **श्री रायापति सांबासिवा राव :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में जारी की गई विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2004 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि भारत को स्वास्थ्य और शिक्षा पर और अधिक व्यय करने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्तमान में भारत में स्वास्थ्य पर सकल घरेलू उत्पाद का 0.9 प्रतिशत ही व्यय किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या उक्त रिपोर्ट के अनुसार भारत की वर्तमान जनसंख्या 1.08 बिलियन है जिसके 2050 तक 1.53 बिलियन होने की आशा है जिससे भारत विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, हां। राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए व्यय सहित स्वास्थ्य पर हुआ कुल सार्वजनिक व्यय सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) के. 0.9% के बराबर है।

सरकार के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या पर बल देते आगामी पांच वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकारी व्यय को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद के 2–3% करने की परिकल्पना की गई है।

(घ) जी, हां।

(ङ) संसद द्वारा अंगीकृत राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 का उद्देश्य परिवार नियोजन संबंधी स्वैच्छिक दृष्टिकोण के माध्यम से जनसंख्या को स्थिर बनाए रखना है। साथ ही साथ प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से गर्भनिरोधक, मातृ और बाल स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों का समाधान हो रहा है। सामाजिक–जनसांख्यिकीय स्थिति से कमजोर आठ राज्यों पर विशेष ध्यान देने के लिए स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय में एक अधिकार प्राप्त कार्यदल का गठन किया गया है।

[हिन्दी]

जन्म के दौरान मृत्यु दर

3638. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुमान के अनुसार भारत में जन्म के दौरान मृत्यु दर सबसे अधिक है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई योजना बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान अभी तक हुई ऐसी मृत्यु का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(च) विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म के दौरान आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए वर्तमान में राज्यवार कितने स्वास्थ्य केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(छ) क्या ऐसी मृत्यु को कम करने और जन्म के दौरान मां की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ज) विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अपने प्रकाशन "मेटर्नल मोर्टेलिटी–2000" में प्रकाशित मातृ मृत्यु दर के अनुमानों के अनुसार 42 देशों में मातृ मृत्यु दर अनुपात भारत से अधिक है।

मातृ स्वास्थ्य परिचर्या परिवार कल्याण कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन 1977–78 से गर्भवती महिलाओं के लिए राष्ट्रीय पौषणिक रक्ताल्पता नियंत्रण कार्यक्रम और टेटनस प्रतिरक्षण कार्यक्रम जैसे कुछ शीर्ष (वार्टिल) कार्यकलाप चल रहे हैं। 1992 में मातृ एवं बाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में विभिन्न शीर्ष (वर्टिकल) कार्यकलापों को एकीकृत करने के लिए विश्व बैंक सहायता से राष्ट्रव्यापी आधार पर बाल जीवन प्रत्याशा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम (सी.एस.एस.एम.) (1992–1997) चलाए गए।

चल रहा प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 1997 से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है और इसका उद्देश्य मातृ मृत्यु दर और रूग्णता दर को नीचे लाना है। इस कार्यक्रम के अधीन मातृ मौतों को कम करने पर केन्द्रित विभिन्न कार्यकलाप कार्यान्वित किए जा रहे हैं। ये कार्यकलाप हैं:– अनिवार्य प्रसूति परिचर्या; आपातकालीन प्रसूति परिचर्या, पंचायतों के जरिए गर्भ की जटिलता वाली गर्भवती महिलाओं के लिए रेफरल परिवहन की व्यवस्था करना; प्रथम रेफरल यूनिटों में औषधों और उपकरणों की व्यवस्था करना; संविदात्मक स्टाफ जैसे अतिरिक्त स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, स्टाफ नर्सों, प्रयोगशालाओं तकनीशियनों की व्यवस्था करना तथा आपातकालीन प्रसूति परिचर्या की प्रदानगी के लिए निजी क्षेत्र से संवेदनाहरण विज्ञानियों की सेवाएं किराए पर लेना। चुनिंदा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चौबीसों घण्टे प्रसव सेवाएं; ई. ए. जी. राज्यों के सभी जिलों तथा अन्य राज्यों के चुनिंदा जिलों जहां सुरक्षित प्रसव दर 30: से कम है, में दाइयों का प्रशिक्षण जैसी स्कीमों के लिए भी निधियां प्रदान की जा रही हैं। ई.ए.जी. राज्यों के सभी जिलों में दूर–दराज के और अल्प उपयोग वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने के लिए भी निधियां प्रदान की जा रही हैं।

मौजूदा राष्ट्रीय मातृत्व लाभ स्कीम के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों से संबंधित परिवारों की गर्भवती महिलाओं की पहले दो जीवित बच्चों के लिए 500/– रुपये नकद सहायता देकर बेहतर पोषण के लिए सहायता की जाती है। संस्थागत प्रसवों और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों से संबंधित स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस स्कीम को अन्य चल रही मातृत्व स्वास्थ्य स्कीमों के साथ जननी सुरक्षा योजना नामक एक नई और अधिक व्यापक योजना में एकीकृत किया जा रहा है ताकि मातृत्व, नवजात और शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके।

मातृ मृत्यु दर को काफी कम करने और सामान्य रूप से मातृ स्वास्थ्य में सुधार करने की आवश्यकता पर भी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति – 2000 में विशेष जोर दिया गया है। इस नीति में निचले स्तर (ग्रास रूट लेवल) पर कुल अन्तर–क्षेत्रीय सहयोग लाने और मातृ मृत्यु अनुपातों और शिशु मृत्यु दरों को नीचे लाने लिए गैर–सरकारी संगठनों, सिविल सोसायटी, पंचायती राज्य संस्थाओं और महिला समूहों को शामिल करने के लिए एक समग्रवादी कार्यनीति की सिफारिश की गई है।

मातृ मौतों पर राज्य–वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, भारत के महापंजियक द्वारा वर्ष 1997 और 1998 के लिए देश और प्रमुख राज्यों के लिए अनुमानित मातृ मृत्यु दरों का ब्यौरा संलग्न विवरण – I में दिया गया है।

देश में कार्यरत 22926 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं जो सामान्य प्रसवों एवं सीमांत आपातिक स्थितियों की देखरेख करते हैं। राज्यवार सूची संलग्न विवरण–II में दी गई है। गंभीर आपातिक मामले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्रथम रेफरल एककों/जिला अस्पतालों को रेफर किए जाते हैं। प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को गर्भ की जटिलताओं वाली गर्भवती महिलाओं तथा बीमार बच्चों को आपातकालीन परिचर्या प्रदान करने के लिए मौजूदा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/उपप्रभागीय अस्पतालों को प्रथम रेफरल एककों के रूप में उन्नत करने में सहायता दी जा रही है। सी.एस.एस.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों द्वारा 1724 ऐसे एककों की पहचान की गई है। तथापि, ये प्रथम रेफरल एकक अन्य कारणों के साथ–साथ रक्त बैंकिंग की सुविधाओं की कमी तथा संज्ञाहरण विज्ञानियों इत्यादि जैसे अनिवार्य कार्मिक शक्ति की कमी के कारण पूर्णतया प्रचालनात्मक नहीं हुए। प्रथम रेफरल एककों में रक्त भंडारण केन्द्रों की स्थापना को सुगम बनाने के लिए औषध और प्रसाधन सामग्री नियमावली में संशोधन कर दिया गया है तथा इसके लिए राज्यों को दिशानिर्देश जारी किए जा चुके हैं। संज्ञाहरण विज्ञानियों की कमी को दूर करने के लिए, निजी क्षेत्र से उनकी सेवा किराये पर लेने की व्यवस्था की गई है। एम.बी.बी.एस. डाक्टरों को "आपातिक प्रसूति परिचर्या के लिए जीवन रक्षक दक्षता," में प्रशिक्षित करने के लिए विशेषज्ञों की सहायता से एक कार्यक्रम तैयार किया गया है।

विवरण-I

मातृ मृत्यु दर

भारत तथा बड़े राज्य

स्रोत : आर. जी. आई., एस. आर. एस., 1997–1998

बड़े राज्य	मातृ मृत्युदर (1997)	मातृ मृत्यु दर (1998)
1	2	3
भारत	408	407
आन्ध्र प्रदेश	154	150
असम	401	409
बिहार	451	452
गुजरात	29	28
हरियाणा	105	103
कर्नाटक	195	195
केरल	195	198
मध्य प्रदेश	498	498
महाराष्ट्र	135	135
उड़ीसा	361	367
पंजाब	196	199
राजस्थान	677	670
तमिलनाडु	76	79
उत्तर प्रदेश	707	707
पश्चिम बंगाल	264	266

विवरण-II

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की राज्यवार संख्या

क्रम संख्या	राज्य का नाम	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	1386
2.	अरुणाचल प्रदेश	78
3.	असम	610
4.	बिहार	1448
5.	छत्तीसगढ़	512
6.	गोवा	19
7.	गुजरात	1048
8.	हरियाणा	402
9.	हिमाचल प्रदेश	302
10.	जम्मू–कश्मीर	336
11.	झारखण्ड	561
12.	कर्नाटक	1677

1	2	3
13.	केरल	941
14.	मध्य प्रदेश	1193
15.	महाराष्ट्र	1768
16.	मणिपुर	72
17.	मेघालय	85
18.	मिजोरम	57
19.	नागालैण्ड	68
20.	उड़ीसा	1352
21.	पंजाब	884
22.	राजस्थान	1674
23.	सिक्किम	24
24.	तमिलनाडु	1436
25.	त्रिपुरा	73
26.	उत्तर प्रदेश	3551
27.	उत्तरांचल	228
28.	पश्चिम बंगाल	1262
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	19
30.	चण्डीगढ़	0
31.	दादरा और नगर हवेली	6
32.	दमण और द्वीव	3
33.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	8
34.	लक्षद्वीप	4
35.	पांडिचेरी	39
	कुल	22926

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग - 9 को दो लाइनों वाला बनाना

3639. श्री किरिप चालिहा : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानमंत्री ने हाल ही में अपनी असम यात्रा के दौरान यह घोषणा की थी कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-9 को प्राथमिकता के आधार पर दो लाइनों वाला राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा वित्तीय आबंटन किया गया है; और

(घ) राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार्य के कब तक आरंभ होने की संभावना है और लक्षित इस कार्य के पूरा होने की तिथि क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) जी हां। प्रधानमंत्री की हाल की असम यात्रा के दौरान, कुल 507 कि.मी. लंबाई के 9 राष्ट्रीय राजमार्गों अर्थात् रा. रा. 36, 51, 52, 53, 54, 61, 152, 153 और 154 (खंडों में) को दो लेन का बनाने की घोषणा की गई थी।

(ग) और (घ) पूर्वोत्तर क्षेत्र में सड़कों के तीव्र सुधार के लिए उपयुक्त राष्ट्रीय राजमार्गों के खंडों को इस परियोजना में शामिल करने के लिए अभिनिर्धारित किया गया है। जिन पर सरकार विचार कर रही है और फिलहाल इस संबंध में समय सीमा संबंधी ब्यौरे दे पाना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

कोयला खान मजदूरों का कल्याण

3640. श्री बीर सिंह महतो :

श्री सुनिल कुमार महतो :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोयला खानें कितनी हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) इन खान से प्रतिदिन कितना कोयला निकाला जाता है;

(ग) प्रत्येक खान में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कितने मजदूर लगे हुए हैं; और

(घ) इन खानों के मजदूरों के कल्याण के लिए प्रस्तावित गतिविधियां क्या हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) कोल इंडिया लि. तथा इसकी सहायक कम्पनियों और सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि. में चालू कोयला खानों की संख्या नीचे दिए अनुसार हैं:-

कम्पनी	राज्य	जिले जहां खान स्थित हैं	खानों की कुल संख्या
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	प. बंगाल,	बर्दवान, पुरुलिया, बांकुरा,	98
(ईसीएल)	झारखंड	गोडा, पाकुर, देवगढ़, धनबाद	18
भारत कोकिंग कोल लि.	झारखंड	धनबाद, बोकारो	83
(बीसीसीएल)	पं. बंगाल	बर्दवान	3
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (सी.सी.एल.)	झारखंड	हजारीबाग, बोकारो, रांची, चतरा, पलामू, लातेहर	59
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.	मध्य प्रदेश	सीधी	5
(एनसीएल)	उत्तर प्रदेश	सोनभद्र	3
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	महाराष्ट्र	चन्द्रपुर, यवतमाल, नागपुर	51
(डब्ल्यूसीएल)	मध्य प्रदेश	बेतुल, छिंदवाड़ा	32
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	छत्तीसगढ़	कोरन, गुरगुजा, कोरबा, रायगढ़	54
(एसईसीएल)	मध्य प्रदेश	अनुपपुर, उमरीया, शहडोल	37
महानदी कोलफील्ड्स लि. (एमसीएल)	उड़ीसा	अगुंल, झारशूगुडा सुन्दरगढ़	24
नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स	असम	तिनसुकिया, शिवसागर, डिब्रूगढ़	6
(एनईसी)	मेघालय	साउथ गारो हिल्स	1
सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि. (एससीसीएल)	आन्ध्र प्रदेश	आदिलाबाद, करीमनगर, वारंगल और खम्माम	66

(ख) कोल इंडिया लि. की सहायक कम्पनियों और सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि. द्वारा खनित किए गए कोयले की औसत मात्रा नीचे दी गई है:–

कोल इंडिया लि. की सहायक कम्पनियां	9,059 लाख टन प्रतिदिन
सिगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि.	1.10 लाख टन प्रतिदिन

(ग) 1.11.2004 की स्थिति के अनुसार कम्पनी–वार नियोजित व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई है:–

कम्पनी	1.11.2004 को जनशक्ति
1	2
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	1,07,006
भारत कोकिंग कोल लि.	94,604
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि.	68,345
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	69,334
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	89,032
महानदी कोलफील्ड्स लि.	21,352
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.	17,248
नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स	3,514
सीएमपीडीआई	3,328
कोल इंडिया लि. (मुख्यालय)	1,222
योग	4,75,885
सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि.	92,514

कोयला कम्पनियां कामगारों को सीधे नियोजित नही करती हैं। तथापि, उनके स्थान पर कुछ कार्यों के लिए लगाए गए ठेकेदार अपने कामगार नियोजित करते हैं।

(घ) कर्मचारियों तथा उनके परिवारों को आवास, जल आपूर्ति, चिकित्सा सुविधा, खेल–कूद, सांस्कृतिक क्रियाकलापों इत्यादि जैसी विभिन्न सुविधाएं प्रदान की गई हैं। इन क्रियाकलापो की

देखरेख करने के लिए सीआईएल तथा कम्पनी स्तर और शीर्ष स्तर पर प्रबंधन तथा ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों वाले कल्याणकारी बोर्ड कार्य कर रहे हैं।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य कार्यक्रमों के संबंध में धनराशि का उपयोग

3641. **श्री जसुभाई दानाभाई बारड़ :**

श्री रघुवीर सिंह कौशल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए आबंटित की गई धनराशियों को समुचित उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आबंटित धनराशि और वास्तव में इन स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर खर्च की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बजटीय प्रावधानों के अन्तर्गत आबंटन में कटौती की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा बजटीय प्रावधानों और उसके उपयोग के अन्तर को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत राज्यों को प्रदान की गई निधियों का उपयोग निर्धारित प्रक्रियानुसार और ऐसे प्रयोजनार्थ, जिनके लिए वे प्रदान की जाती है, पर्याप्त सावधानी से किया जाता है। वर्ष 2001-2002, 2002-2003 और 2003-2004 के दौरान प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के संबंध में निधियों के राज्यवार आबंटन और वास्तविक व्यय को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) विभिन्न कार्यक्रमों की नियमित और गहन मॉनिटरिंग के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर व्यय के रूझान में महत्वपूर्ण रूप से सुधार हुआ है। राज्य/जिला नियंत्रण सोसायटियों को निधियों के इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए दिशा निदेश परिचालित किए गए हैं। निधियों के उपयोग की नियमित रिपोर्टों, समीक्षा, केन्द्र तथा राज्यों, दोनों स्तरों पर बैठकों, लेखा परीक्षा रिपोर्टों और उपयोग प्रमाण पत्रों के माध्यम से भी मॉनीटरिंग की जाती है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान प्रमुख रोग नियंत्रण कार्यक्रमों का राज्यवार आबंटन/जारी की गई राशि

राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001-02		2002-03		2003-04	
		आबंटन/जारी	व्यय	आबंटन/जारी	व्यय	आबंटन/जारी	व्यय*
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	226.84	220.75	217.85	230.07	236.75	203.33
2.	आंध्र प्रदेश	94.177	954.64	529.21	548.86	382.53	394.73
3.	अरुणाचल प्रदेश	486.93	364.97	280.72	377.08	316.17	279.63
4.	असम	19803.27	2377.47	1626.56	1935.83	2068.28	1403.70
5.	बिहार	377.44	545.97	77.71	95.85	100.62	86.24
6.	चंडीगढ़	41.06	34.87	36.00	38.29	34.25	25.36
7.	छत्तीसगढ़	826.39	876.31	2460.92	3047.95	1641.41	1687.49
8.	दादरा और नगर हवेली	40.67	40.67	34.33	16.07	41.27	60.72
9.	दमण और दीव	16.00	18.65	11.72	7.99	15.15	19.29
10.	दिल्ली	97.57	89.55	97.39	58.47	105.24	80.67

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	गोवा	6.08	6.19	8.85	7.97	9.60	1.05
12.	गुजरात	1330.96	1353.89	754.40	767.99	410.47	328.49
13.	हरियाणा	18.43	18.43	72.30	67.21	79.00	37.35
14.	हिमाचल प्रदेश	2.20	36.78	3.06	11.89	3.47	4.90
15.	जम्मू-कश्मीर	22.96	69.62	11.94	382.43	42.31	72.30
16.	झारखंड	759.92	784.28	1159.64	1267.52	727.57	934.12
17.	कर्नाटक	308.24	386.48	176.28	227.36	258.01	205.37
18.	केरल	64.22	67.75	12.63	13.31	20.73	109.55
19.	लक्षद्वीप	6.35	5.92	6.10	5.35	6.47	12.06
20.	मध्य प्रदेश	2238.77	2540.80	2083.15	2408.15	961.58	1256.71
21.	महाराष्ट्र	2239.20	2289.20	976.91	947.11	454.07	358.30
22.	मणिपुर	358.91	275.27	121.36	144.86	106.63	74.63
23.	मेघालय	384.02	292.98	167.63	301.70	263.66	325.53
24.	मिजोरम	433.94	345.85	118.51	195.40	165.32	275.76
25.	नागालैण्ड	346.91	368.08	212.48	367.24	292.77	391.51
26.	उड़ीसा	1478.23	1745.06	1953.62	3030.60	1953.05	2337.78
27.	पांडिचेरी	13.43	8.30	22.61	13.18	22.12	11.12
28.	पंजाब	49.38	94.10	70.79	65.75	66.15	37.87
29.	राजस्थान	534.04	924.92	303.37	925.90	1379.07	1415.59
30.	सिक्किम	0.11	0.14	4.37	4.32	3.30	5.72
31.	तमिलनाडु	303.11	289.03	242.30	187.39	207.85	111.06
32.	त्रिपुरा	542.45	505.76	302.79	389.93	390.70	439.21
33.	उत्तर प्रदेश	548.62	645.31	200.48	528.16	516.33	498.27
34.	उत्तरांचल	23.64	39.18	7.84	1.96	5.07	39.17
35.	पश्चिम बंगाल	589.86	826.67	198.67	392.25	295.05	114.94
	कुल	17495.00	19444.14	14544.49	19011.59	13582.83	13639.65

*अनंतिम

नोट : शेष राशि को आगे ले जाने के कारण कुछ राज्यों में व्यय, आबटन/जारी धनराशि से ज्यादा है।

राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001-02		2002-03		2003-04	
		आबंटन/जारी	व्यय	आबंटन/जारी	व्यय	आबंटन/जारी	व्यय*
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1200.00	1509.35	2.23	13.00	1..84	0.21
2.	आंध्र प्रदेश	1.53	0.00	1050.00	952.66	600.00	635.47

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	अरुणाचल प्रदेश	119.42	89.59	15.00	40.00	30.19	114.13
4.	असम	212.38	195.06	391.77	256.81	411.91	448.95
5.	बिहार	700.05	409.47	697.27	285.01	608.38	393.29
6.	चंडीगढ़	12.84	8.55	9.54	16.00	9.00	30.17
7.	छत्तीसगढ़	36.54	36.30	183.56	196.55	333.00	513.91
8.	दादरा और नगर हवेली	0.04	0.31	1.48	0.00	1.23	0.00
9.	दमण और दीव	0.88	0.31	1.48	0.00	1.23	0.21
10.	दिल्ली	228.75	162.63	146.24	393.55	138.08	384.15
11.	गोवा	15.55	9.88	13.78	11.37	13.00	22.50
12.	गुजरात	810.07	466.60	536.22	239.74	506.28	301.97
13.	हरियाणा	195.23	158.13	179.75	137.13	619.00	148.91
14.	हिमाचल प्रदेश	183.57	144.91	64.64	91.20	61.03	133.65
15.	जम्मू–कश्मीर	73.42	77.76	95.28	31.95	36.71	125.21
16.	झारखंड	55.13	54.76	233.91	78.32	431.00	373.60
17.	कर्नाटक	687.73	529.45	534.01	45.28	497.42	636.25
18.	केरल	687.23	450.38	337.00	156.31	318.17	252.85
19.	लक्षद्वीप	3.28	0.00	1.06	9.34	1.00	3.27
20.	मध्य प्रदेश	858.38	420.38	592.09	663.03	545.77	412.35
21.	महाराष्ट्र	1683.61	1167.23	1025.81	627.18	968.53	1399.29
22.	मणिपुर	100.47	87.88	30.77	77.14	65.88	126.83
23.	मेघालय	19.59	12.93	31.74	70.19	45.92	58.39
24.	मिजोरम	14.17	15.81	11.82	84.09	22.56	97.94
25.	नागालैण्ड	99.36	97.31	25.64	28.46	54.90	68.72
26.	उड़ीसा	600.00	528.04	450.00	785.45	515.00	364.13
27.	पांडिचेरी	11.67	3.97	9.96	0.00	9.23	0.39
28.	पंजाब	281.74	239.47	227.65	202.79	206.68	267.01
29.	राजस्थान	1072.53	744.87	598.74	497.23	565.31	502.29
30.	सिक्किम	31.82	31.32	6.41	34.28	13.72	42.25
31.	तमिलनाडु	999.81	679.31	658.09	350.10	621.34	982.42
32.	त्रिपुरा	30.52	36.80	33.57	44.61	68.49	30.80
33.	उत्तर प्रदेश	1402.20	1246.37	1586.38	1142.25	1449.76	1275.78
34.	उत्तरांचल	15.56	15.53	67.21	97.16	136.00	273.39
35.	पश्चिम बंगाल	1109.92	656.90	849.90	677.95	802.44	889.30
	कुल	13298.99	10288.16	10700.00	8746.22	10760.00	11309.88

*अनंतिम

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001-02		2002-03		2003-04	
		आबंटन/जारी	व्यय	आबंटन/जारी	व्यय	आबंटन/जारी	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	16.80	13.79	1.59	1.99	7.30	0.80
2.	आंध्र प्रदेश	1063.81	1048.97	834.82	550.34	450.423	259.83
3.	अरुणाचल प्रदेश	43.81	17.03	16.22	42.18	34.04	36.00
4.	असम	62.67	47.23	35.70	37.89	107.09	34.07
5.	बिहार	72.50	58.08	157.97	57.70	258.00	39.34
6.	चंडीगढ़	20.15	18.62	10.07	9.91	19.58	11.43
7.	छत्तीसगढ़	302.47	247.28	165.23	143.73	186.59	191.75
8.	दादरा और नगर हवेली	16.92	11.87	4.16	4.63	7.87	5.71
9.	दमण और दीव	12.86	10.16	4.97	0.97	5.71	2.67
10.	दिल्ली	22.15	46.26	22.30	40.21	48.86	20.90
11.	गोवा	33.95	25.89	10.52	14.65	26.09	14.54
12.	गुजरात	245.85	249.69	231.45	194.36	377.45	140.44
13.	हरियाणा	104.63	38.87	45.36	151.55	147.90	77.53
14.	हिमाचल प्रदेश	64.03	98.78	54.11	39.88	98.22	109.90
15.	जम्मू-कश्मीर	110.04	82.17	66.79	111.61	94.50	42.50
16.	झारखंड	29.30	28.24	118.57	50.63	161.29	26.36
17.	कर्नाटक	454.43	495.46	368.30	273.36	651.75	532.06
18.	केरल	184.85	219.00	153.22	149.38	253.61	211.77
19.	लक्षद्वीप	5.02	0.67	1.56	1.28	6.04	0.54
20.	मध्य प्रदेश	908.02	916.09	667.29	611.77	457.16	147.36
21.	महाराष्ट्र	1251.09	865.12	627.15	429.35	523.93	176.58
22.	मणिपुर	50.73	57.15	20.13	4.45	27.84	2.69
23.	मेघालय	78.28	30.06	25.12	20.79	33.39	24.69
24.	मिजोरम	35.56	47'49	31.72	16.13	25.13	21.74
25.	नागालैण्ड	51.10	33.43	23.22	9.05	15.18	33.56
26.	उड़ीसा	468.35	466.49	324.80	210.98	302.18	77.87
27.	पांडिचेरी	15.50	12.40	2.04	4.75	13.10	11.35
28.	पंजाब	65.05	43.54	189.25	133.28	136.55	35.11
29.	राजस्थान	1128.85	700.92	526.93	404.51	328.01	364.12
30.	सिक्किम	6.61	25.18	20.56	3.32	16.36	9.17

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	तमिलनाडु	1972.99	1378.77	1653.03	1306.16	1495.29	477.72
32.	त्रिपुरा	397.74	77.32	39.88	53.98	54.71	46.10
33.	उत्तर प्रदेश	2166.92	1450.01	1063.20	798.41	1001.44	396.44
34.	उत्तरांचल	175.03	182.77	115.02	129.91	138.63	138.04
35.	पश्चिम बंगाल	180.76	211.69	305.12	125.90	385.99	112.46
	कुल	11819.09	9256.52	7937.37	6138.99	7899.21	3833.14

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001-02		2002-03		2003-04	
		आबंटन/जारी	व्यय	आबंटन/जारी	व्यय	आबंटन/जारी	व्यय*
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	18.30	5.58	20.22	11.01*	0.50	13.57
2.	आंध्र प्रदेश	223.83	208.59	179.22	173.50*	174.80	183.07
3.	अरुणाचल प्रदेश	62.09	65.81	115.96	93.11*	72.75	74.25
4.	असम	153.85	152.24	97.48	130.42	93.28	63.60
5.	बिहार	663.94	547.66	855.85	538.40	413.77	836.91
6.	चंडीगढ़	5.50	6.32	10.13	7.09*	10.50	4.97
7.	छत्तीसगढ़	378.34	259.24	354.41	247.53*	305.60	208.49
8.	दादरा और नगर हवेली	6.00	6.30	6.00	5.31*	6.00	5.58
9.	दमण और दीव	18.40	14.06	14.50	6.20*	9.50	13.27
10.	दिल्ली	48'36	53.11	93.42	70.72*	100.50	70.85
11.	गोवा	11.52	8.50	8.10	11.35	7.53	5.26
12.	गुजरात	61.97	79.24	99.65	111.78	88.21	117.85
13.	हरियाणा	61.94	48.33	43.89	52.54	2.16	23.91
14.	हिमाचल प्रदेश	49.69	57.15	30.45	42.64*	36.15	32.65
15.	जम्मू-कश्मीर	100.55	81.05	96.39	79.36	21.90	169.93
16.	झारखंड	356.23	233.45	257.46	160.92*	147.60	128.97
17.	कर्नाटक	196.05	345.53	122.66	134.72	70.46	135.21
18.	केरल	74.61	91.80	69.36	74.73	15.00	38.76
19.	लक्षद्वीप	6.00	5.59	7.26	5.70*	5.50	1.68
20.	मध्य प्रदेश	395.32	411.14	676.61	350.76*	225.91	296.85
21.	महाराष्ट्र	435.99	428.58	263.14	219.94	83.01	213.24
22.	मणिपुर	71.02	77.86	101.25	92.37	65.50	48.32
23.	मेघालय	46.94	44.94	46.24	41.15*	1.99	19.27

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	मिजोरम	60.51	90.66	76.50	38.32*	22.50	29.53
25.	नागालैण्ड	89.22	126.64	112.44	113.91	83.00	77.37
26.	उड़ीसा	540.77	379.63	478.63	497.55	403.22	281.19
27.	पांडिचेरी	2.00	89.97	6.00	7.18*	0.35	9.05
28.	पंजाब	32.30	63.04	40.27	54.93	25.19	44.01
29.	राजस्थान	123.07	98.62	52.32	118.36	23.42	105.10
30.	सिक्किम	34.87	35.60	39.36	40.62*	23.54	24.15
31.	तमिलनाडु	413.04	348.84	240.63	289.46*	230.02	155.19
32.	त्रिपुरा	46.47	19.32	33.60	22.30	8.50	39.94
33.	उत्तर प्रदेश	1282.50	1324.71	1508.04	1101.90*	1168.93	1190.27
34.	उत्तरांचल	129.01	104.38	120.21	111.50	43.78	66.26
35.	पश्चिम बंगाल	574.66	667.41	599.55	501.99*	412.47	449.84
	कुल	6774.86	6499.89	6877.20	5559.27	4403.04	5178.36

* : नकद सहायता का व्यय शामिल नहीं है क्योंकि राज्यों ने इसे प्रस्तुत नहीं किया है।

* *अनंतिम

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001-02		2002-03		2003-04	
		आबंटन/जारी	व्यय	आबंटन/जारी	व्यय	आबंटन/जारी	व्यय*
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	95.5	79.43	89.50	86.35	100.00	66.38
2.	आंध्र प्रदेश	1875	2171.84	2090.00	2004.00	2175.00	1794.86
3.	अरुणाचल प्रदेश	214.88	161.92	130.50	65.38	150.00	49.45
4.	असम	653.8	561.9	614.50	643.77	475.00	226.27
5.	बिहार	809.5	1017.85	600.50	573.56	700.00	218.43
6.	चंडीगढ़	152.65	134.6	156.50	150.82	225.00	174.88
7.	छत्तीसगढ़	129.5	95.04	243.50	159.51	250.00	202.30
8.	दादरा और नगर हवेली	26	21.62	17.00	30.12	67.00	8.84
9.	दमण और दीव	31	46.25	36.00	45.42	100.00	24.87
10.	दिल्ली	334	329.46	451.00	261.17	500.00	644.66
11.	गोवा	99	97.32	170.50	85.36	200.00	60.12
12.	गुजरात	1188.3	933.08	1295.19	1071.62	1477.62	730.31
13.	हरियाणा	266	207.76	315.00	206.28	300.00	200.62
14.	हिमाचल प्रदेश	308.5	276.81	256.50	279.67	270.00	154.63

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	जम्मू–कश्मीर	244.5	200.4	295.50	118.68	150.00	10.02
16.	झारखंड	156	4.16	193.00	9.56	200.00	115.60
17.	कर्नाटक	893.15	783.35	1025.00	916.51	1100.00	1316.67
18.	केरल	835	608.89	855.00	861.74	850.00	475.01
19.	लक्षद्वीप	29.5	22.62	25.50	18.70	50.00	28.76
20.	मध्य प्रदेश	780.5	471.12	521.50	453.54	490.00	240.33
21.	महाराष्ट्र	1598.65	858.47	2293.50	2345.07	2120.00	1641.23
22.	मणिपुर	708.15	656.03	787.50	532.80	1100.00	428.32
23.	मेघालय	224.93	64.18	90.50	66.74	50.00	51.16
24.	मिजोरम	246.7	266.85	311.50	330.27	450.00	116.65
25.	नागालैण्ड	635.5	568.54	626.50	647.78	675.00	168.53
26.	उड़ीसा	565	322..57	448.00	412.86	500.00	205.94
27.	पांडिचेरी	54	48.98	74.00	65.04	100.00	28.16
28.	पंजाब	266.5	185.62	403.50	386.99	250.00	166.75
29.	राजस्थान	409.5	297.01	368.50	370.94	250.00	77.27
30.	सिक्किम	120.02	73.95	64.00	91.81	75.00	131.41
31.	तमिलनाडु	2072.32	2099.12	2221.95	2200.76	2588.38	2468.49
32.	त्रिपुरा	196.67	129.01	71.00	44.61	75.00	71.65
33.	उत्तर प्रदेश	1465.65	2367.17	1674.50	432.87	700.00	956.24
34.	उत्तरांचल	98	5.52	162.00	9.56	200.00	63.11
35.	पश्चिम बंगाल	1059.5	1221.56	1503.50	1418.84	1200.00	1376.46
	कुल	18843.37	17390.60	20482.14	17398.70	20163.00	14694.38

*अनंतिम

[हिन्दी]

कृषि और ग्रामीण विकास हेतु धनराशि

3642. श्री रामदास आठवले : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों विशेषकर जनजातीय, पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों को कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस उद्देश्य के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा कितनी धनराशि की मांग की गई है और योजना आयोग द्वारा उन्हें कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन): (क) राज्यों को निधियां विशेष रूप से जनजातीय, पिछड़े तथा ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि एवं ग्राम विकास के लिए आबंटित नहीं की जाती हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य क्षेत्र में एम.बी.ए. को शामिल करना

3643. डा. एम. जगन्नाथ : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रबन्धन डिग्री (एम.बी.ए.) शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अभ्यार्थियों के चयन की प्रक्रिया क्या होगी और इस पाठ्यक्रम की भविष्य में क्या संभावनाएं होंगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने सूचित किया है कि वे प्रबंधन अध्ययन में स्नातकोत्तर कार्यक्रम चलाने की स्वीकृति दे रहे हैं तथा उसी पाठ्यक्रम में विशेषज्ञता सम्बद्ध विश्वविद्यालय/संस्था द्वारा प्रदान की जाती है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, छह संस्थाएं स्वास्थ्य क्षेत्र में स्नातकोत्तर कार्यक्रम चला रही है।

(ग) स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ ही ऐसी सुविधाओं के प्रबंन्धन के लिए योग्य व्यवसायियों की जरूरत होती है। ऐसे कार्यक्रम के लिए उम्मीदवार के चयन संबंधी तौर-तरीके तैयार करना संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार्य

3644. **श्री संतोष गंगवार :**

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :

क्या **पोत परिवहन, सडक परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा आज की तिथि तक उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में उन राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम क्या हैं जहां सड़कों को चौडा करने, विस्तार एवं मरम्मत का कार्य चल रहा है;

(ख) उपरोक्त राजमार्गों का कार्य कब तक पूर्ण होने की संभावना है और शेष राष्ट्रीय राजमार्गों का कार्य कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान इन राजमार्गों विशेषतः उत्तर प्रदेश के संबंध में उपरोक्त कार्य पर खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन कार्यों को शीघ्र समाप्त करने हेतु अतिरिक्त धनराशि आबंटित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है और राष्ट्रीय राजमार्गों को चौडा करने, विस्तार करने (विकास) तथा मरम्मत संबंधी कार्य, यातायात सघनता, सड़क की स्थिति और धन की उपलब्धता के आधार पर शुरु किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-। में दिए गए हैं।

(ग) गत दो वर्षों अर्थात् 2002-2003 और 2003-2004 के दौरान किए गए व्यय के ब्यौरे संलग्न विवरण-।। में दिए गए हैं।

(घ) से (च) राज्यों को निधियों का आबंटन, मंत्रालय को बजट में से प्राप्त धनराशि में से किया जाता है।

विवरण-।

देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की राज्यवार सूची

31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार

क्र. सं.	राज्य का नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	कुल लंबाई (कि.मी.)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	4, 5, 7, 9, 16, 18, 43, 63, 202, 205, 214, 214ए, 219, 221 और 222	4472
2.	अरुणाचल प्रदेश	52, 52ए और 153	392
3.	असम	31, 31बी, 31सी, 36, 37, 37ए, 38, 39, 44, 51, 52, 52ए, 52बी, 53, 54, 61, 62, 151, 152, 152, 153 और 154	2836
4.	बिहार	2, 19, 28, 28ए, 28बी, 30, 30ए, 31, 57, 57ए, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 और 110	3537

1	2	3	4
5.	चंडीगढ़	21	24
6.	छत्तीसगढ़	6, 12ए, 16, 43, 78, 111, 200, 202, 216, 217 और 221	2184
7.	दिल्ली	1, 2, 8, 10 और 24	72
8.	गोवा	4ए, 17, 17ए, और 17बी	269
9.	गुजरात	6, 8, 8ए, 8बी,, 8सी, 8डी, 8ई, 14, 15, 59, 113 और एन ई–1	2871
10.	हरियाणा	1, 2, 8, 10, 21ए, 22, 64, 65, 71, 71ए, 71बी, 72, 73, और 73ए	1468
11.	हिमाचल प्रदेश	1ए, 20, 21, 21ए, 22, 70, 72, 73ए, और 88	1208
12.	जम्मू–कश्मीर	1ए, 1बी, और 1 सी	823
13.	झारखंड	2, 6, 23, 31, 32, 33, 75, 78, 80, 98, 99 और 100	1805
14.	कर्नाटक	4, 4ए, 7, 9, 13, 17, 48, 63, 67, 206, 207, 209, 212 और 218	3843
15.	केरल	17, 47, 47ए, 49, 208, 212, 213 और 220	1440
16.	मध्य प्रदेश	3, 7, 12, 12ए, 25, 26, 26ए, 27, 59, 59ए, 69, 75, 76, 78, 79, 86, 86ए, और 92	5200
17.	महाराष्ट्र	3, 4, 4बी, 4सी, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 50, 69, 204, 211 और 222	4176
18.	मणिपुर	39, 53, 150 औा 155	959
19.	मेघालय	40, 44, 51, और 62	810
20.	मिजोरम	44ए, 54, 54ए, 54बी, 150 और 154	927
21.	नागालैंड	36, 39, 61, 150 और 155	494
22.	उड़ीसा	5, 5ए, 6, 23, 42, 43, 60, 75, 200, 201, 203, 203ए, 215, 217 और 224	3704
23.	पांडिचेरी	45ए और 66	53
24.	पंजाब	1, 1ए, 10, 15, 20, 21, 22, 64, 70, 71, 72 और 95	1557
25.	राजस्थान	3, 8, 11, 11ए, 11बी, 12, 14, 15, 65, 71बी, 76, 79, 79ए, 89, 90, 112, 113, 114 और 116	5585
26.	सिक्किम	31ए	62
27.	तमिलनाडु	4, 5, 7, 7ए, 45, 45ए, 45बी, 45सी, 46, 47, 47बी, 49, 66, 67, 68, 205 207, 208, 209, 210, 219 और 220	4183
28.	त्रिपुरा	44 और 44 ए	400
29.	उत्तरांचल	58, 72, 72ए, 73, 74, 87, 94, 108, 109, 119, 121, 123 और 125	1991
30.	उत्तर प्रदेश	2, 2ए, 3, 7, 11, 12ए, 19, 24, 24ए, 25, 25ए, 26, 27, 28, 28बी, 28सी, 29 56, 56ए, 56बी, 58, 72ए, 73, 74, 75, 76, 86, 87, 91, 91ए, 92, 93, 96, 97 और 119	5559
31.	पश्चिम बंगाल	2, 6, 31ए, 31सी, 32, 34, 41, 55, 60, 60ए, 80, 81 और 117	2325
32.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	223	300
		जोड़	65569

विवरण-II

वर्ष 2002-2003 और 2003-04 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए किए गए व्यय के राज्यवार ब्यौरे

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	विकास और अनुरक्षण			
		2002-03		2003-04	
		विकास	अनुरक्षण	विकास	अनुरक्षण
1.	आंध्र प्रदेश	117.97	32.69	110.13	35.39
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	4.05	0.16
3.	असम	73.65	24.60	107.83	22.37
4.	बिहार	72.52	22.19	78.09	36.52
5.	चंडीगढ़	2.34	0.16	1.72	0.31
6.	छत्तीसगढ़	62.37	22.77	42.39	17.43
7.	दिल्ली	3.97	0.00	13.39	0.00
8.	गोवा	11.11	4.04	23.18	5.01
9.	गुजरात	90.00	10.41	68.55	20.88
10.	हरियाणा	55.00	8.77	53.66	11.66
11.	हिमाचल प्रदेश	21.52	10.82	27.78	10.77
12.	जम्मू-कश्मीर	4.00	0.79	4.00	0.46
13.	झारखंड	20.79	15.38	33.00	13.66
14.	कर्नाटक	94.52	45.12	158.46	39.35
15.	केरल	75.20	29.06	96.65	23.66
16.	मध्य प्रदेश	88.15	39.36	79.47	68.80
17.	महाराष्ट्र	119.78	47.18	117.69	48.71
18.	मणिपुर	14.01	5.40	15.16	7.33
19.	मेघालय	16.16	5.08	35.92	9.20
20.	मिजोरम	20.13	5.84	33.00	5.54
21.	नागालैंड	12.00	1.82	11.48	1.97
22.	उड़ीसा	48.77	38.70	69.97	40.53
23.	पांडिचेरी	1.92	0.55	2.20	0.84
24.	पंजाब	47.08	9.38	50.99	18.80
25.	राजस्थान	93.78	29.72	46.44	25.81
26.	तमिलनाडु	97.43	38.00	80.79	31.11
27.	उत्तर प्रदेश	136.24	29.41	103.70	55.19
28.	उत्तरांचल	19.48	4.34	18.88	2.62
29.	पश्चिम बंगाल	80.63	19.84	69.79	27.07
	जोड़	1506.49	501.42	1556.36	581.15

[अनुवाद]

महिलाओं को रोजगार के अवसर

3645. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल : क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खादी ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से महिलाओं के लिए अधिक रोजगार अवसर सृजन पर बल दिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त हेतु ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में खादी ग्रामोद्योग आयोग के अंतर्गत कौन-कौन सी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार द्वारा ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में महिलाओं के लिए रोजगार अवसरों के सृजन हेतु औद्योगिक इकाइयों को कोई प्रोत्साहन दिया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी विशेषकर महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र का ब्योरा क्या है;

(ङ) दसवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में महिलाओं के लिए कितने रोजगार सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(च) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस क्षेत्र की उपलब्धियां क्या हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) से (घ) केन्द्र सरकार की ग्रामीण उद्योग (वी आई) क्षेत्र में रोजगार सृजन योजना जो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के.वीआईसी) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर ई जी पी) का उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों सहित ग्रामीण क्षेत्रों तथा छोटे शहरों में और अधिक रोजगार अवसरों का सृजन करना है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत, उद्यमी, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, 25 लाख रुपये की अधिकतम लागत वाली स्व-रोजगार परियोजना स्थापित करने के लिये खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग से मार्जिन मनी सहायता तथा सार्वजनिक क्षेत्रों के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों तथा अन्य प्रकार के प्रतिष्ठित बैंकों से ऋण प्राप्त करके ग्रामीण उद्योग स्थापित कर सकते हैं। मार्जिन मनी सहायता का पैटर्न महिलाओं को प्राथमिकता प्रदान करता है जैसा कि निम्नोक्त तालिका दर्शाती है।

आरईजीपी के तहत मार्जिन मनी सहायता

क्र. सं.	लाभार्थी की श्रेणी	परियोजना लागत	मार्जिन मनी सहायता
1	2	3	4
1.	सामान्य	10 लाख रुपये तक	परियोजना लागत का 25 प्रतिशत
		10 लाख रु. और 25 लाख रु. तक	2.5 लाख रु. और शेष परियोजना लागत का 10 प्रतिशत
2.	अनु.जा./अनु.जन. जा./महिलाएं/पूर्व-सैनिक/पूर्वोत्तर क्षेत्र/पहाड़ी क्षेत्र	10 लाख रु. तक	परियोजना लागत का 30 प्रतिशत
		10 लाख रु. और 25 लाख रु. तक	3 लाख रु. और शेष परियोजना लागत का 10 प्रतिशत

इसके अतिरिक्त, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत, लेनदार का निजी अंशदान सामान्य वर्ग के लेनदारों के मामले में 10 प्रतिशत के मुकाबले महिलाओं (एवं उद्यमियों के कुछ अन्य वर्गों) के मामले में परियोजना लागत का मात्र 5% है।

2003-04 के दौरान महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में महिला उद्यमियों की 104 इकाइयां वित्त पोषित की गई हैं, जिसके लिये खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा 1.16 रुपये की मार्जिन मनी सहायता संवितरित की गई है।

(ङ) और (च) जबकि ग्रामीण उद्योग योजनाओं के अंतर्गत महिलाओं के लिए रोजगार अवसरों के सृजन हेतु अलग लक्ष्य तय नहीं किये गये हैं तथापि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा संचालित किया गया एक सर्वेक्षण दर्शाता है कि ग्रामीण उद्योग में महिला कामगारों का 33.5% भाग है।

2001-02, 2002-03 और 2003-04 में महिला उद्यमियों के लिये क्रमशः 1786, 6207 और 5726 परियोजनाएं वित्त पोषित की गई थीं।

[हिन्दी]

उपकरण की खरीद में अनियमितताएं

3646. श्री बालेश्वर यादव : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मौसम की सही भविष्यवाणी बताने हेतु मौसम विभाग को विदेशों से उपकरण की खरीद करने हेतु वर्षवार प्रदान की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आई. एम. डी. द्वारा उपकरण की खरीद में कतिपय अनियमितताओं का पता चला है;

(ग) यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) सरकार द्वारा मौसम विभाग के कार्यकरण तथा उसके उपकरण को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा विदेशों से उपकरणों की खरीद में व्यय की गई राशि का विवरण निम्नलिखित है:–

वित्तीय वर्ष	विदेशों से पूंजीगत उपकरण की खरीद पर किया गया व्यय (करोड़ रु. में)
2001–2002	24.86
2002–2003	31.26
2003–2004	28.36

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) विभाग ने तूफान प्रवण क्षेत्रों में परम्परागत तूफान चेतावनी प्रणाली के स्थान पर अत्याधुनिक प्रणाली स्थापित की है। मौसम पूर्वानुमान में सुधार लाने के लिए विभिन्न स्थानों पर ऊपरी वायु सूचना एकत्रण प्रणालियों की स्थापना की गयी है। कृषि मौसम परामर्शी सेवाओं में सुधार लाने के लिए मृदा – नमी – आंकड़े एकत्र करने हेतु नए उपस्कर लगाए गए हैं।

[अनुवाद]

एशिया के मुद्दों के समाधान हेतु त्रिपक्षीय दृष्टिकोण

3647. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत, चीन और रूस ने एशिया के समग्र मुद्दों के समाधान के लिए एक सांझा दृष्टिकोण के निर्माण का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करने के लिए इन देशों के विदेश मंत्रियों ने बैठक करने का निर्णय लिया है और आतंकवाद जैसी समस्या से निबटने के लिए कौन–कौन से कदम उठाए जाने आवश्यक हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इन तीनों देशों ने स्थिति से निपटने के लिए संयुक्त कार्यवाही योजना तैयार की है और सब के लिए साझा दृष्टिकोण तैयार किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या कोई ठोस कदम उठाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे किस सीमा तक मंजूर किया गया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) भारत, चीन और रूस ने एशिया के समग्र मुद्दों के समाधान के लिए एक साझा दृष्टिकोण के निर्माण का कोई औपचारिक निर्णय नहीं लिया है। तथापि, तीनों देश विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मामलों के साथ–साथ एशिया सहित क्षेत्रीय मामलों पर भी विदेश मंत्रियों के स्तर पर एक वार्षिक वार्ता के अनौपचारिक तंत्र के माध्यम से विचारों का आदान–प्रदान करते रहे हैं।

(ख) अल्माटी, कजाकिस्तान में 21 अक्तूबर, 2004 को भारत, रूस एवं चीन के विदेश मंत्रियों के बीच हुई तीसरी त्रिपक्षीय बैठक के दौरान, तीनों पक्षों ने नोट किया कि आतंकवाद से दोहरे मानकों को अपनाए बिना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा संयुक्त रूप से निपटा जाना चाहिए।

(ग) इस संबंध में तीनों देशों के बीच कोई संयुक्त कार्य योजना औपचारिक तौर पर नहीं अपनाई गई है।

(घ) लागू नहीं होता।

(ङ) लागू नहीं होता।

भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध याचिका

3448. श्री सी. के. चन्द्रप्पन : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को छोटे व्यापारियों और दुकानदारों से राष्ट्रीय राजमार्ग 47 को चौड़ा करने और त्रिचूर में कोडाकाश में एक बैल माउथस के निर्माण हेतु अधिग्रहीत की गई भूमि के विरुद्ध बड़ी संख्या में याचिकाएं प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन्होंने सरकार को कोई वैकल्पिक प्रस्ताव दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) जी हां। याचिकाकर्ताओं ने दुकानदारों और छोटे व्यवसायियों की अजीविका को बचाने के लिए त्रिचूर में कोडकारा (न कि कोडाकाश) पर बेल माउथ और फ्लाइओवर का निर्माण नहीं करने के अनुरोध किए हैं।

(ग) और (घ) जी हां। याचिकाकर्ताओं ने सुझाव दिए हैं कि कोडाकारा जंक्शन पर राष्ट्रीय राजमार्ग–47 को चौड़ा करने के बजाय यातायात की प्रत्येक दिशा के लिए पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग और नए राष्ट्रीय राजमार्ग का अलग–अलग उपयोग किया जा सकता है। भारी यातायात और स्थल की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ताओं के सुझाव को व्यवहार्य नहीं समझा गया है। अतः कोडकारा जंक्शन पर बेल माउथ के साथ ही फ्लाईओवर का प्रावधान आवश्यक समझा गया है।

दिल्ली में अनुसूचित जनजातियों हेतु पदों का आरक्षण

3649. श्री समत कुमार मंडल : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अन्तर्गत, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में किसी भी जनजाति को अनुसूचित जनजाति घोषित करने वाली राष्ट्रपति की अधिसूचना नहीं होने के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार और इसके अधीन स्थानीय निकायों अथवा सांविधिक प्राधिकारियों के अन्तर्गत किसी भी पद को अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों हेतु आरक्षित नहीं किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा पूरे देश में विशेषकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सभी सरकारी सेवा में अनुसूचित जातियों के लोगों को आरक्षण का अधिकार प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

अनुसंधान परियोजनाओं पर खर्च

3650. श्री रघुनाथ झा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एम्स के निदेशक और डीन को अनुसंधान परियोजनाओं की प्रगति देखने तथा उन पर आए खर्च का पता करने के लिए इन परियोजनाओं की अर्धवार्षिक समीक्षा करनी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनुसंधान परियोजनाओं तथा उन पर हुए खर्च की पिछले दस वर्षों के दौरान समीक्षा नहीं की गई है; और

(घ) यदि हां, तो अनुसंधान परियोजनाओं तथा उन पर हुए खर्च की समीक्षा न करने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अनुसंधान परियोजना की मॉनिटरिंग संकाय अध्यक्ष (डीन) की अध्यक्षता के अन्तर्गत अनुसंधान समिति द्वारा की जाती है। वर्ष 1994-95 से 2003-04 तक अनुसंधान पर हुआ व्यय संलग्न विवरण में दिया गया है। एक परियोजना समीक्षा समिति, जिसमें निदेशक, संकाय अध्यक्ष, समन्वयक (अनुसंधान समिति के सदस्यों में से एक) और आमंत्रित विशेषज्ञ शामिल होते हैं, द्वारा संपूरित अनुसंधान परियोजनाओं की वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है। कुछ प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण विगत पांच वर्षों के दौरान अनुसंधान समीक्षा की बैठक नहीं हो सकीं। हाल ही में अनुसंधान समिति और परियोजना समीक्षा समिति को पुनर्गठित किया गया है और जनवरी-फरवरी 2005 में इसकी बैठक आयोजित की जानी निर्धारित है। तथापि, केन्द्रीय सरकार लेखा परीक्षा प्राधिकरण द्वारा अनुसंधान निधियों की वार्षिक वित्तीय लेखा परीक्षा की जाती है।

विवरण

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
अंसारी नगर, नई दिल्ली – 29

1994-95 से 2003-2004 तक विगत दस वर्षों के लिए अतिरिक्त म्यूरल अनुदान और व्यय

वित्तीय वर्ष	प्राप्त निधियाँ	व्यय
1994–1995	9,86,39,854	8,50,03,592
1995–1996	7,47,95,327	7,30,03,976
1996–1997	7,54,57,823	6,20,67,100
1997–1998	10,22,36,342	9,16,71,846
1998–1999	11,38,31,803	10,90,33,157
1999–2000	12,53,67,614	12,10,61,687
2000–2001	16,70,78,135	14,65,79,366
2001–2002	20,83,53,619	18,93,74,090
2002–2003	26,51,04,282	22,43,41,933
2003–2004	20,38,19,370	22,26,92,630

इसके अतिरिक्त यह भी है कि पूरी निधियां अनुसंधान क्रियाकलापों के लिए उपयोग की जाती हैं जो अनुसंधान क्रियाकलाप संबंधी कार्यरत स्टाफ के वेतनों, अनुसंधान के लिए खरीदे गए उपस्करों और उपभोज्य तथा यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता/ आकस्मिकता इत्यादि के शीर्ष के अन्तर्गत होती हैं। निधियों की आवश्यकता का प्रेक्षेपण परियोजना जांचकर्ता द्वारा किया जाता है और अन्तिम रूप से वित्तपोषित एजेन्सी द्वारा उन्हें अनुमोदनार्थ स्वीकार किया जाता है।

नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ बायोलोजिकल स्टैंडर्डआईजेशन एण्ड क्वालिटी कन्ट्रोल

3651. श्रीमती मेनका गांधी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ बायोलोजिकल स्टैंडर्डआईजेशन एण्ड क्वालिटी कन्ट्रोल के लिए 23.15 करोड़ रु. की धनराशि चिन्हित की गई थी;

(ख) क्या इस धनराशि में से 19.30 करोड़ रु. की राशि व्यपगत हो गई, क्योंकि संस्थान में जैव प्रयोगशाला भी नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए,

राष्ट्रीय जैविक संस्थान (एन.आई.वी.) के लिए 23.15 करोड़ रुपये के बजट अनुमान की व्यवस्था की गई है। इसमें से ज्यादातर राशि प्रयोगशाला के निर्माण और जन्तु गृह परियोजना के लिए अपेक्षित है जिनकी कुल लागत 114.00 करोड़ रुपये है। तथापि वर्ष के दौरान परियोजना के लिए निविदा को अन्तिम रूप नही दिया जा सका क्योंकि परियोजना के मूल परामर्शदाता (कन्सल्टेंटस) अर्थात नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ हैल्थ यू.एस.ए. और यू.एस. एड जो वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे थे, मुकर गए थे। उसके बाद एक वैकल्पिक एजेन्सी का पता लगाने के लिए प्रयास किए गए, अतः निविदा प्रक्रिया में विलम्ब हुआ। प्रयोगशाला के निर्माण और जन्तु गृह परियोजना के कार्य का ठेका देने में हुए विलम्ब को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय जैविक संस्थान के लिए आबंटन को संशोधित अनुमान 2001-2002 में घटाकर 500 करोड़ रुपये कर दिया गया जिसमें से इस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जैविक संस्थान की आवश्यकता और व्यय की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, केवल 3.85 करोड़ रुपए जारी किए गए।

तदनुसार, राष्ट्रीय जैविक संस्थान के प्रयोगशाला और जन्तु गृह के निर्माण के लिए निर्माण आदेश फरवरी, 2003 में दिया गया। वित्तीय वर्ष 2002-2003 में 14.40 करोड़ रुपये के बजट अनुमान में से राष्ट्रीय जैविक संस्थान ने पूरी राशि का उपयोग किया। वित्तीय वर्ष 2003-2004 में 25.70 करोड़ रुपये के बजट अनुमान में से राष्ट्रीय जैविक संस्थान ने पूरी राशि का उपयोग किया।

सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की स्थापना

3652. श्री कैलाश मेघवाल : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों की स्थापना हेतु अनुमति देने के लिए फास्ट ट्रैकिंग सिस्टम आरंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान देश में विशेषकर राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की स्थापना हेतु राज्यवार कितनी कम्पनियों ने आवेदन किया; और

(घ) इनमें से कितने आवेदनों को अस्वीकार किया गया और उन आवेदनों को अस्वीकार करने के क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र पूरी तरह लाइसेंस मुक्त है और 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी पूँजीनिवेश (एफडीआई) की अनुमति स्वचालित मार्ग के अंतर्गत उपलब्ध है। सरकार ने शतप्रतिशत निर्यात उन्मुखी इकाइयों को एक ही स्थान से विभिन्न प्रकार के अनुमोदन प्रदान करने के लिए सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क योजना लागू की है।

(ग) पिछले एक वर्ष (2003-04) के दौरान देश में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग स्थापित करने के लिए 187 कम्पनियों ने आवेदन प्रस्तुत किया है, जिनमें राजस्थान के लिए 6 शामिल है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) कोई आवेदन अस्वीकार नहीं किया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	2003-04 के दौरान अनुमोदित इकाइयों की संख्या
1.	दिल्ली	56
2.	हरियाणा	36
3.	उत्तर प्रदेश	56
4.	मध्य प्रदेश	7
5.	पंजाब	12
6.	राजस्थान	6
7.	हिमाचल प्रदेश	0
8.	जम्मू-कश्मीर	0
9.	छत्तीसगढ़	4
10.	उत्तरांचल	10
	योग	187

[हिन्दी]

वन सम्पदा आधारित उद्योगों का आकलन

3653. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रौद्योगिकी उन्नयन और मूल्य वर्द्धन के लिए महाराष्ट्र और गोवा के वन सम्पदा आधारित उद्योगों के आंकलन सम्बन्धी स्थिति का कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अध्ययन के क्या परिणाम निकले; और

(ग) सरकार द्वारा वन सम्पदा आधारित इन उद्योगों के प्रौद्योगिकीय उन्नयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गये पत्र

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा.का.नि. 785 (अ) जो 3 दिसम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्वेक्षण और/अथवा खनन कार्यों के लिए स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के पक्ष में क्षेत्रों का आरक्षण किए जाने के बारे में है।

(दो) सा.का.नि. 677 (अ) जो 14 अक्तूबर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की दूसरी अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) सा.का.नि. 678 (अ) जो 14 अक्तूबर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की तीसरी अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1357/2004]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1358/2004]

(ख) (एक) मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2003-2004 का कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1359/2004]

(3) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रॉक मेकेनिक्स, कोलार गोल्ड फील्ड्स के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रॉक मेकेनिक्स, कोलार गोल्ड फील्ड्स के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1360/2004]

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) (एक) सेन्ट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, चेन्नई के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, चेन्नई के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1361/2004]

(2) (एक) सेन्ट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, आगरा के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, आगरा के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1362/2004]

(3) (एक) इंस्टिट्यूट फॉर डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेन्ट्स, मुंबई के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट फॉर डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेन्ट्स, मुंबई के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 1363/2004]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) सा.का.नि. 771 (अ) जो 25 नवम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए तथा जिनके द्वारा तूतीकोरिन पत्तन कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) पांचवा संशोधन विनियम, 2004 का अनुमोदन किया गया है।

(दो) टैरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट्स (मेडिकल अटेन्डेन्स एण्ड ट्रीटमेंट) विनियम, 2004 जो 17 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डी–12011/ 1/98–टीएएमपी में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सा.का.नि. 518 (अ) जो 11 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मद्रास पत्तन न्यास कर्मचारी (नियुक्ति, पदोन्नति आदि) संशोधन विनियम, 2004 का अनुमोदन किया गया है।

(2) उपर्युक्त मद संख्या (1) के (दो) और (तीन) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 1364/2004]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(क) (एक) ड्रेजिंग कारपोरेशम ऑफ इंडिया लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, विशाखापत्तनम का वर्ष 2003–2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1365/2004]

(ख) (एक) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम का वर्ष 2003–2004 का वार्षिक प्रतिवेदन,

लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1366/2004]

(ग) (एक) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि का वर्ष 2003–2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1367/2004]

(4) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित वार्षिक लेखाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) कोचीन पत्तन न्यास, कोचीन के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) कोचीन पत्तन न्यास, कोचीन के वर्ष 2003–2004 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 1368/2004]

(5) (एक) नेशनल शिप डिजाइन एण्ड रिसर्च सेंटर, विशाखापत्तनम के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल शिप डिजाइन एण्ड रिसर्च सेंटर, विशाखापत्तनम के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1369/2004]

(6) (एक) विशाखापत्तनम डॉक लेबर बोर्ड, विशाखा–पत्तनम के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विशाखापत्तनम डॉक लेबर बोर्ड, विशाखा–पत्तनम के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1370/2004]

(7) (एक) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास, नवी मुंबई के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास, नवी मुंबई के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 1371/2004]

(8) (एक) तूतीकोरिन पत्तन न्यास, तूतीकोरिन के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तूतीकोरिन पत्तन न्यास, तूतीकोरिन के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1372/2004]

(9) (एक) पारादीप पत्तन न्यास, पारादीप के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पारादीप पत्तन न्यास, पारादीप के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 1373/2004]

(10) भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 की धारा 6 की उपधारा (2ख) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पत्तन नियम, 2004 जो 28 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 83 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अवतरण स्थानों, जहाज घाटों, घाटों, भण्डागारों, शेडों और अन्य प्रकीर्ण सेवाओं के उपयोग के लिए दरों का निर्धारण, संशोधन नियम, 2004 जो 3 दिसम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 786 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(11) उपर्युक्त मद संख्या (10) के (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 1374/2004]

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय मे रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1375/2004]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : महोदय मैं, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1376/2004]

(2) (एक) नेशनल सेन्टर फॉर सेल साइंसेज, पुणे के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेन्टर फॉर सेल साइंसेज, पुणे के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 1377/2004]

(3) (एक) नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, मानेसर के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, मानेसर के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 1378/2004]

(4) (एक) नेशनल सेंटर फॉर प्लांट जिनोम, रिसर्च नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेंटर फॉर प्लांट जिनोम, रिसर्च नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 1379/2004]

(5) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ बायोरिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इम्फाल के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ बायोरिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इम्फाल के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 1380/2004]

(6) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज, भुवनेश्वर के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज, भुवनेश्वर के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 1381/2004]

(7) (एक) इंडियन एसोसिएशन फार द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन एसोसिएशन फार द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 1382/2004]

(8) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, चेन्नई के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलोजी, चेन्नई के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1383/2004]

(9) (एक) इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, हैदराबाद के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, हैदराबाद के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1384/2004]

(10) (एक) नेशनल सेंटर फार अंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च, गोवा के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेंटर फार अंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च, गोवा के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1385/2004]

(11) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, बंगलोर के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, बंगलोर के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 1386/2004]

(12) (एक) सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डाइग्नोस्टिक्स, हैदराबाद के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डाइग्नो–स्टिक्स, हैदराबाद के वर्ष 2003–2004 के

कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 1387/2004]

(13) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(क) (एक) भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजीकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, बुलंदशहर के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजीकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, बुलंदशहर का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 1388/2004]

(ख) (एक) इंडियन वैक्सीन्स कारपोरेशन लिमिटेड, गुडगांव के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंडियन वैक्सीन्स कारपोरेशन लिमिटेड, गुडगांव का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 1389/2004]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:–

(1) (एक) रीजनल कैंसर सेंटर, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल कैंसर सेंटर, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 1394/2004]

(2) (एक) चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गया। देखिये संख्या एल.टी. 1395/2004]

(4) (एक) रीजनल कैंसर सैंटर फार रिसर्च एंड ट्रीटमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल कैंसर सैंटर फार रिसर्च एंड ट्रीटमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 1396/2004]

(5) (एक) इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (रीजनल कैंसर सेंटर), शिमला के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (रीजनल कैंसर सेंटर), शिमला के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 1397/2004]

(6) (एक) गुजरात कैंसर एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट (रीजनल कैंसर सेंटर), अहमदाबाद के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गुजरात कैंसर एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट (रीजनल कैंसर सेंटर), अहमदाबाद के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1398/2004]

(7) (एक) मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 1399/2004]

(9) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेद, जयपुर के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेद, जयपुर के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 1400/2004]

(11) (एक) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 1401/2004]

(13) (एक) ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ स्पीच एंड हीयरिंग, मैसूर के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ स्पीच एंड हीयरिंग, मैसूर के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1402/2004]

(14) (एक) पास्चर इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया, कुनूर के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पास्चर इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया, कुनूर के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय मे रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1403/2004]

(15) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फेमिली वेल्फेयर, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फेमिली

वेल्फेयर, नई दिल्ली के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फेमिली वेल्फेयर, नई दिल्ली के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 1404/2004]

(17) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम का वर्ष 2003–2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1405/2004]

(18) श्री कैलाश मेघवाल, संसद सदस्य द्वारा सीजीएचएस पूल के क्वार्टरों के बारे में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2501 के 15.12.2004 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1406/2004]

कोयला मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा. दसारि नारायण राव) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, कोठागुडम कोलियरीज के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, कोठागुडम कोलियरीज का वर्ष 2003–2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1407/2004]

(ख) (एक) कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (खंड एक और दो)।

(दो) कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2003–2004 का वार्षिक प्रतिवेदन (खंड एक और दो), लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1408/2004]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) (एक) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स (सी-डाट), नई दिल्ली के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स (सी-डाट), नई दिल्ली के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1409/2004]

(2) (एक) इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्प्यूटर साफ्टवेयर एक्सपोर्ट

प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्प्यूटर साफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1410/2004]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा.का.नि. 1045(अ) जो 24 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 फरवरी, 2004 की अधिसूचना संख्या का.आ. 200 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) सा.का.नि. 1122(अ) जो 14 अक्तूबर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8क (विस्तार) पर अंजार बाईपास के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करने के लिए डिप्टी कलेक्टर, अंजार, जिला कच्छ (गुजरात) को विशेष भूमि अर्जन अधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(तीन) का.आ. 751(अ) जो 1 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 2 मार्च, 2001 की अधिसूचना संख्या का.आ. 194 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चार) का.आ. 1331(अ) और का.आ. 1333(अ) जो 7 दिसम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 (कृष्णगिरी–रानीपेट खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चार लेन वाला), रखरखाव, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पांच) का.आ. 1204(अ) जो 29 अक्तूबर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 1957 की अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 1181 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छह) का.आ. 1296(अ) जो 24 नवम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 1957 की अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 1181 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सात) का.आ. 1297(अ) जो 24 नवम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित भागों को सीमा सड़क संगठन को सौंपा गया है।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1411/2004]

(2) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 11 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 1205 (अ) जो 29 अक्तूबर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित भागों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1412/2004]

(3) राष्ट्रीय राजमार्ग (भूमि और यातायात) नियंत्रण अधिनियम, 2002 की धारा 50 की उपधारा (3) के अंतर्गत राजमार्ग प्रशासन नियम, 2004 जो 26 अक्तूबर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 700(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1413/2004]

[हिन्दी]

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(क) (एक) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2003–2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1414/2004]

(ख) (एक) यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जादुगुडा के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जादुगुडा का वर्ष 2003–2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1415/2004]

(ग) (एक) इंडियन रेअर अर्थस् लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन रेअर अर्थस् लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2003–2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1416/2004]

(घ) (एक) इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2003–2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 1417/2004]

(2) (एक) इंस्टिट्यूट फार प्लाज्मा रिसर्च, गांधीनगर के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट फार प्लाज्मा रिसर्च, गांधीनगर के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 1418/2004]

(3) (एक) हरिश्चन्द्र रिसर्च इंस्टिटयूट, इलाहाबाद के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हरिश्चन्द्र रिसर्च इंस्टिटयूट, इलाहाबाद के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1419/2004]

(4) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ फिजिक्स, भुवनेश्वर के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ फिजिक्स, भुवनेश्वर के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक लेखे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उस पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंस्टिट्यूट ऑफ फिजिक्स, भुवनेश्वर के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1420/2004]

(5) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ मैथेमेटिकल साइंसेज, चेन्नई के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ मैथेमेटिकल साइंसेज, चेन्नई के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 1421/2004]

(6) (एक) साहा इंस्टिट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, कोलकाता के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साहा इंस्टिट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, कोलकाता के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गयी। देखिये संख्या एल.टी. 1422/2004]

(7) (एक) टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुम्बई के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुम्बई के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 1423/2004]

(8) (एक) एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसायटी, मुम्बई के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसायटी, मुम्बई के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 1424/2004]

(9) (एक) टाटा मेमोरियल सेंटर, मुम्बई के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) टाटा मेमोरियल सेंटर, मुम्बई के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) टाटा मेमोरियल सेंटर, मुम्बई के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन के सारांश और लेखाओं के वार्षिक विवरण पर लेखापरीक्षक की टिप्पणियों पर की–गई–कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(चार) टाटा मेमोरियल सेंटर, मुम्बई के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 1425/2004]

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : अध्यक्ष महोदय, मैं दसवीं, तेरहवीं और चौदहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों और परिवचनों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं:–

दसवीं लोक सभा

1. विवरण संख्या चौदह — चौथा सत्र, 1992

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 1426/2004]

तेरहवीं लोक सभा

2. विवरण संख्या उनतीस — दूसरा सत्र, 1999

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 1427/2004]

3. विवरण संख्या उनतीस — तीसरा सत्र, 2000

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 1428/2004]

4. विवरण संख्या चौबीस चौथा सत्र, 2000

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 1429/2004]

5. विवरण संख्या तेईस पांचवा सत्र, 2000

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 1430/2004]

6. विवरण संख्या बाईस छठा सत्र, 2001

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 1431/2004]

7. विवरण संख्या तीस सातवां सत्र, 2001

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 1432/2004]

8. विवरण संख्या सत्रह आठवां सत्र, 2001

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 1433/2004]

9. विवरण संख्या पंद्रह नौवां सत्र, 2002

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 1434/2004]

10. विवरण संख्या बारह दसवां सत्र, 2002

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 1435/2004]

11. विवरण संख्या दस ग्यारहवां सत्र, 2002

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 1436/2004]

12. विवरण संख्या आठ बारहवां सत्र, 2003

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 1437/2004]

13. विवरण संख्या पांच तेरहवां सत्र, 2003

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 1438/2004]

14. विवरण संख्या चार चौदहवां सत्र, 2003

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 1439/2004]

चौदहवीं लोक सभा

15. विवरण संख्या दो दूसरा सत्र, 2004

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 1440/2004]

अपराह्न 12.02 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, राज्यसभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश के संबंध में मुझे सूचना देनी है:–

"राज्य सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के नियम 127 के प्रावधानों के अनुरूप मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने 21 दिसम्बर, 2004 को हुई अपनी बैठक में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग विधेयक, 2004 के लिए बिना किसी संशोधन के अपनी सहमति व्यक्त की है जिसे लोक सभा ने 16 दिसम्बर, 2004 की अपनी बैठक में पारित किया था।"

अपराह्न 12.02½ बजे

संसदीय समितियां–कार्य का सारांश

महासचिव : महोदय, मैं 1 जून, 2003 से 5 फरवरी, 2004 तक की अवधि से संबंधित 'संसदीय समितियां (वित्तीय और विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियों के अलावा) – कार्य का सारांश' की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

(एक) दूसरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : महोदय, मैं 'तेल की खोज–घरेलू और विदेशी परियोजनाएं' विषय पर सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(दो) तीसरा अध्ययन दौरा प्रतिवेदन

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : महोदय, मैं भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का तीसरा अध्ययन दौरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.03¼ बजे

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति

तीसरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : महोदय, मैं "द ट्राइबल कोआपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (ट्राइफेड)" विषय पर पूर्ववर्ती श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति

(तेरहवीं लोक सभा) के तैंतीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई कार्रवाही के संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं।

वित्त संबंधी स्थायी समिति

अपराह्न 12.03½ बजे

छठे से दसवां प्रतिवदेन

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाई (बालासोर) : महोदय, मैं वित्त संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवदेनों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:–

(1) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अनुदानों की मांगों (2004–2005) के बारे में दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की–गई कार्रवाही संबंधी छठा प्रतिवेदन;

(2) योजना मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2004–2005) के बारे में तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की–गई कार्रवाही संबंधी सातवां प्रतिवेदन;

(3) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2004–2005) के बारे में चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की–गई–कार्यवाही संबंधी आठवां प्रतिवेदन;

(4) कंपनी कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2004–2005) के बारे में पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की–गई–कार्यवाही संबंधी नौवां प्रतिवेदन; और

(5) कृषि क्षेत्र में ऋण उपलब्धता–ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संकट और फसल बीमा योजना के बारे में पचपनवें प्रतिवेदन मे अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की–गई–कार्यवाही संबंधी दसवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04 बजे

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति

दूसरा और तीसरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री एन. जनार्दन रेड्डी (विशाखापत्तनम) : महोदय, मैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2004–2005) के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:–

(एक) 'पेट्रोलियम उत्पादों में समानांतर विपणन' विषय पर पूर्ववर्ती पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति (2003) के 45वें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) के अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी दूसरा प्रतिवेदन; और

(दो) 'सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों की विपणन योजनाएं और उनका कार्यान्वयन' विषय पर पूर्ववर्ती पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति (2003) के 46वें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी तीसरा प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04½ बजे

रेल संबंधी स्थायी समिति

पांचवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय रेल में 'सुरक्षा और संरक्षा' विषय पर रेल संबंधी स्थायी समिति--2004 (चौदहवीं लोक सभा) के पांचवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.05 बजे

ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति की-गई-कार्यवाई विवरण

श्री कल्याण सिंह (बुलन्दशहर) : महोदय, मैं ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरणों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) ग्रामीण विकास मंत्रालय (पेयजल आपूर्ति विभाग) की अनुदानों की मांगों (2003–2004) के बारे मे 46वें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही के संबंध में तत्कालीन शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (2004) के 52वें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक

सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण;

(2) ग्रामीण विकास मंत्रालय (भूमि संसाधन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2003–2004) के बारे में 47वें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही के संबंध में तत्कालीन शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (2004) के 53वें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण;

(3) तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) के संविधान के भाग नौ के कार्यान्वयन के बारे में 37वें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्रवाही के संबंध में तत्कालीन शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (2004) के 56वें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

अपराह्न 12.06 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

खान मंत्रालय से संबंधित कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति

[हिन्दी]

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं लोक सभा बुलेटिन भाग–2, दिनांक एक सितम्बर, 2004 के द्वारा जारी किए गए माननीय लोक सभा अध्यक्ष के निर्देश 73क के अनुसरण में कोयला और इस्पात सम्बन्धी संसदीय स्थायी समिति की दूसरी रिपोर्ट में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के सम्बन्ध में यह वक्तव्य दे रहा हूं।

कोयला और इस्पात सम्बन्धी समिति ने 12 अगस्त, 2004 को हुई अपनी बैठक में वर्ष 2004–2005 की अनुदान मांगों पर विचार किया। समिति ने खान विभाग के अधिकारियों का मौखिक साक्ष्य भी लिया। समिति ने विभाग के लक्ष्यों, उद्देश्यों और उपलब्धियों के सन्दर्भ मे खान विभाग की अनुदान मांगों का विश्लेषण करते समय स्थायी समिति की दूसरी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की, जो खान विभाग की अनुदान मांगों (2004–2005) के सम्बन्ध में थी।

स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कुल मिलाकर 25 सिफारिशें कीं। इन सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट को इस विभाग के दिनांक 6 दिसम्बर, 2004 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा समिति को भिजवा दिया गया। रिपोर्ट की 25 सिफारिशों में से 17 सिफारिशों पर यथोचित कार्रवाई कर ली गई है।

आठ सिफारिश पैरों के मामलें में सरकार द्वारा प्रारम्भ किए गए क्रियान्वयन सम्बन्धी स्थिति से समिति को अवगत करा दिया गया है, क्योंकि इन मामलों में सम्मिलित मुद्दों को विभिन्न स्तरों पर प्रोसेस किया जा रहा है। इन मुद्दों पर मंत्रिमंडल अथवा सचिवों की समिति अथवा योजना आयोग अथवा एक से अधिक मंचों द्वारा विचार किया जाना है। अतएव, इन मामलों में निर्णय यथासमय लिया जायेगा और जैसे ही अंतिम कार्रवाई की जाएगी, समिति को उससे अवगत करवा दिया जायेगा।

स्थायी समिति ने खान विभाग के प्रतिनिधियों का दूसरा मौखिक साक्ष्य 15 अक्टूबर, 2004 को लिया और विचार–विमर्श के दौरान समिति ने दो विषयों को विस्तृत जांच के लिए चुना है, जो समिति के जांचाधीन है और इन पर सिफारिशें अभी प्राप्त होनी हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय मंत्री को बधाई देता हूं। यह निर्देश 73ए के अंतर्गत मंत्रियों का दूसरा वक्तव्य है। मुझे भरोसा है कि अन्य मंत्रीगण भी उनके पदचिन्हों पर चलेंगे।

अब, हम ध्यानाकर्षण पर चर्चा करेंगे। श्री रूपचंद पाल।

...*(व्यवधान)*

श्री सुखबीर सिंह बादल (फरीदकोट) : महोदय, पंजाब राज्य में संवैधानिक तंत्र को नष्ट किया जा रहा है...*(व्यवधान)* 'दि हिंदुस्तान टाइम्स' में एक हवाला घोटाला प्रकाशित हुआ है*...। हमें इसकी जांच चाहते हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। पहले मुझे मामले के बारे में बताओ।

...*(व्यवधान)*

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही–वृतांत से निकाल दिया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह क्या बात है? सब अपनी सीट पर जाइये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी सीट पर जाइये। सब बैठ जाइये, प्लीज

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुखबीर सिंह बादल : हमें इस मामले में सीबीआई जांच चाहिए। क्या इस देश में दो कानून हैं एक कांग्रेस सरकार को बचाने के लिए और दूसरा सत्ता में सरकार द्वारा विपक्षी सदस्यों को दंडित करने के लिए? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप यहां आकर खड़े हो जाएंगे? आप लोग जानते नहीं कि मुद्दा उठाने का तरीका क्या है? आप क्या बात करते हैं?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये। आप लोग अपनी सीट पर जाइये। मुद्दा उठाने का एक तरीका होता है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये न, आपको किसने बुलाया? आप लोग बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठिये। मैंने आपसे सलाह नहीं मांगी है।

...*(व्यवधान)*

श्री सुखबीर सिंह बादल : महोदय, हम पिछले 20 दिनों से आपसे अनुमति देने का अनुरोध कर रहे हैं कि हमें इस विषय पर इस सभा में बोलने दें...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आप यहां खड़े नहीं हो सकते। कृपया अपने स्थान पर जाइये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। कृपया अपने स्थान पर जाइये।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : पहले अपने स्थान पर जाइये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर जाइये और इसे उचित तरीके से उठाइये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं उठाये जाने वाले विषय को सुन भी नहीं पाया।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। मुझे सभा की कार्यवाही सही तरीके से चलाने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्लीज बैठिए। यह भी कोई तरीका है। अभी कालिंग अटैन्शन लेना है, उसके बाद आपकी बात सुनेंगे।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुखबीर सिंह बादल : महोदय, मैंने भी इस विशेष विषय पर ध्यानाकर्षण के लिए कहा था। पिछले 20 दिन से हम आपसे इस सभा में बोलने की अनुमति देने का अनुरोध कर रहे हैं परन्तु आपने इसकी अनुमति नहीं दी...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कालिंग अटैन्शन इसमें नहीं आता, आप जानते हैं। मैंने आपको बोल दिया था।

*कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध आरोप लगा रहे हैं जो सभा में उपस्थित नहीं है। इसकी अनुमति नहीं दी जायेगी। मैं ध्यानाकर्षण की अनुमति कैसे दे सकता हूं?

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध आरोप लगा रहे हैं जो सभा में उपस्थित नहीं है। आप आरोप कैसे लगा सकते हैं?

श्री सुखबीर सिंह बादल : यह आरोप नहीं है ...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : कोई उनका प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं है।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : फिर भी हम कोशिश करेंगे। मैं आपको 'शून्य काल' के दौरान समय देने का प्रयास करूंगा।

...(*व्यवधान*)

श्री सुखबीर सिंह बादल : पिछले 20 दिन से हम आपसे मौका देने का अनुरोध कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास कोई सूचना नहीं है। यह सही नहीं है। आप अध्यक्षपीठ के विरूद्ध आरोप लगा रहे हैं।

(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर आऊंगा।

श्री सुखबीर सिंह बादल : यह बहुत संवेदनशील मामला है ..(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, इसे कालिंग अटैन्शन से पहले लीजिए। ...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : एक बार मैं अन्य मामले शुरू कर देता हूं तो मुझे इसके साथ चलना पड़ेगा।

[हिन्दी]

हम बाद में आपकी बात सुनेंगे।

[अनुवाद]

आप मुझे बाध्य नहीं कर सकते। मुझे बाध्य नहीं किया जा सकता। आपको इस तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए; मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जा रहा है।

...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस तरह से नहीं सुनूंगा।

...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल मत कीजिए।

...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हम कालिंग अटैन्शन के बाद आपकी बात जरूर सुनेंगे।

...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जब कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है तो आप चिन्तित क्यों हैं?

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी सीट पर जाइए। हम आपको बोलने का मौका देंगे।

...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाये।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको मुद्दा उठाने का मौका देंगे, लेकिन इस तरह नहीं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं एक विषय को नहीं चुन सकता हूं। उस मामले में मुझे सभी ध्यानाकर्षण सूचनाओं को छोड़ना पड़ेगा। मैं यह किस प्रकार कर सकता हूं? मैं अभी आपको अवसर नहीं दूंगा। आप शोर मचा सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि मैं आपको अपनी बात कहने का अवसर दूंगा लेकिन एक निर्धारित प्रक्रिया है जिसका पालन किया जाना चाहिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी सीट पर बैठ जाइए।

[अनुवाद]

जब तक आप अपनी सीटों पर नहीं चले जाते, तब तक मैं आपको मौका नहीं दूंगा। आपको पहले अपने सीटों पर जाना चाहिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप चिल्लाते रहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इस तरह सारा दिन चिल्लाने से भी कुछ नहीं होगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, ये पिछले सैशन से कोशिश कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे मालूम है कि आप मेरी मदद करना चाहते हैं। प्रो. मल्होत्रा मैं मानता हूं कि आप चाहते हैं कि सभा की कार्यवाही ठीक तरह से चले। मुझे आपकी मदद स्वीकार है। कृपया उन्हें चाहिए कि वे अपनी सीटों पर चले जाएं। यदि इस प्रकार चलता रहा तो मैं उन्हें कभी भी अनुमति नहीं दूंगा। वह हर रोज इसी प्रकार चिल्ला सकते हैं। माननीय सदस्यों, आप अपनी सीटों पर चले जाएं। कृपया कुछ तो शिष्टाचार सीखिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने ..(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम आपसे कह रहे हैं,

[अनुवाद]

मुझे लगता है कि आप मेरी सहायता करना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं कि हमें पहले ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करने दीजिए अन्यथा मैं उन्हें नहीं लूंगा। ये महत्वपूर्ण मामले हैं

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हम दो इश्यु एक साथ नहीं ले सकते।

[अनुवाद]

मैं ऐसा नहीं कर सकता कि इस प्रयोजन के लिए एक मामले को चुना जाए और उसके बाद ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर वापस जाएं और फिर दोबारा विशेष उल्लेख पर चर्चा करेंगे। इस प्रकार भी किया जा सकता है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने वायदा किया है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचनाओं को लेने के पश्चात मैं उनको अवसर दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे वायदा कर रहा हूं कि मैं आपको बुलाऊंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह नहीं हो सकता, आप उनको समझाइये। हम आपको बोलने का मौका देंगे।

[अनुवाद]

इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : तीनों कालिंग अटैंशन हो जाने के बाद हम आपको बोलने का मौका देंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों बोल रहे हैं? आपकी कोई भी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम सबके सामने कमिट करते हैं कि आपको बोलने का मौका देंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष महोदय, पंजाब के हमारे साथी काफी समय से इस बात को लेकर ऐजीटेटेड हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आज आप एक प्रकार से अपवाद स्वरूप इनको बोलने की अनुमति दे दें और ये अपने स्थान से बोलेंगे – मेरे विचार से यह ठीक रहेगा। मेरा आपसे अनुरोध है, क्योंकि यह काफी समय से इस विषय को उठाने में लगे हुए हैं। मेरे पास भी कई बार आये हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा के सामने आपसे वायदा कर रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

[अनुवाद]

मैंने आपसे मदद के लिए नहीं कहा है। यदि मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता होगी, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : विशेष महत्व के 53 मामले हैं। मैं केवल एक मामले का चयन इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वह जोरदार तरीके से उठाया गया है। मुझे तो पूरी सूची को देखना पड़ेगा। मैं आपसे वायदा करता हूं कि मैं तब तक बैठा रहूंगा जब तक आपको मौका नहीं मिल जाता। मैं आपको वायदा कर रहा हूं।

[हिन्दी]

अब आप बोलिए कि हम क्या करें?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठ जाइये। हम आपको बोलने का मौका देंगे।

[अनुवाद]

इनका नाम सूची में क्रम संख्या 17 पर दिया गया है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : वे इस मुद्दे को आज ही नहीं उठा रहे हैं। वे तो इस मुद्दे को पिछले सत्र से ही उठा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप अपने मित्रों को स्पष्ट कीजिए कि मैं आज उन्हें मौका दूंगा।

...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचनाओं को लेने के पश्चात आप इन्हें सबसे पहले बुला लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा है, चूंकि यह अनुरोध है इसलिए मैं उन्हें सबसे पहले बुलाऊंगा। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचनाओं को लेने के पश्चात मैं उन्हें सबसे पहले बोलने का मौका दूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं यह सबको बोल रहा हूं।

[अनुवाद]

अब मैं श्री रूपचन्द पाल को अपनी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पर बोलने के लिए बुला रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री नवजोत सिंह सिद्धू, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बादल, यदि आप इस प्रकार बाधा डालेंगे तो मैं आपको बोलने का अवसर नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सिद्धू, यह अत्यन्त अनुचित है। आप क्या कर रहे हैं? यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। इस सभा में यह क्या हो रहा है? क्या प्रत्येक व्यक्ति मेरी अनुमति के बिना बोल सकता है? सबको पता होना चाहिए कि मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। आप मुझ पर दबाव नहीं डाल सकते। सभा की कार्यवाही इसी प्रकार 6 बजे तक चलने दीजिए।

[हिन्दी]

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल (जलेसर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी नोटिस है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। यह मजाक करने की जगह नहीं है। यहां यह तमाशा नहीं चलेगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह तमाशा हम एलाऊ नहीं करेंगे।

[अनुवाद]

यदि आप इस प्रकार करना चाहते हैं तो मुझसे छुटकारा पाइए। यदि किसी ने मेरी अनुमति के बिना कोई मुद्दा उठाया तो मैं उसे नाम लेकर चेतावनी दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : पूरा देश हमारी ओर देख रहा है और आप इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं।

अपराह्न 12.20 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

(एक) पश्चिम बंगाल के शाहगंज में डनलप इंडिया लिमिटेड में तालाबंदी के परिणामस्वरूप डनलप के हजारों श्रमिकों और कर्मचारियों द्वारा सहे जाने वाले असहनीय कष्ट से उत्पन्न स्थिति

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : महोदय, मैं श्रम और रोजगार मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं और उनसे यह भी आग्रह करता हूं कि वह इस विषय पर वक्तव्य दें:

"पश्चिम बंगाल के शाहगंज में डनलप इंडिया लिमिटेड में तालाबंदी के परिणामस्वरूप डनलप के हजारों श्रमिकों और कर्मचारियों को हो रहे असहनीय कष्ट से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाये गये कदम।"

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव) : अध्यक्ष महोदय, मैसर्स डनलप इंडिया लिमिटेड (डी.आई.एल.) राज्य के विषयों के अंतर्गत आता है। इसके अनुसार पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रदत्त सूचना के मुताबिक डी.आई.एल के संबंध में बतायी गई स्थिति निम्नलिखित है।

डी.आई.एल. की स्थापना वर्ष 1929 में एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के रूप में की गयी थी जिसका एक संयंत्र पश्चिम बंगाल के शाहगंज में था और इसमें लगभग 4200 कर्मचारी कार्यरत थे। इस कम्पनी द्वारा हवाई जहाजों के टायर, वायु सेना के हवाई जहाजों के टायरों सहित तरह-तरह के वाहन टायर और ट्यूब उत्पादित किये जाते थे ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया आपस में बातचीत मत कीजिए। सभा में व्यवस्था बनाये रखना सुनिश्चित कीजिए। यहां महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जा रही है और कोई ध्यान नही दिया जा रहा है।

श्री के. चन्द्रशेखर राव : वर्ष 1998 में डी.आई.एल. को बी.आई.आई.एफ.आर. द्वारा रूग्ण घोषित किया गया था। रूग्णता के चिन्हित कारणों में से एक आंतरिक वित्तीय अव्यवस्था था जिससे कम्पनी द्वारा प्राप्त ऋण के ऋणदाताओं (बैंकों/वित्तीय संस्थानों) को देय भुगतान को चुकाने में अनियमितताएं हो रही थी इसी कारण

कम्पनी की बहाली के लिए कोई रियायत देने में ये ऋणदाता अरूचि दिखा रहे थे।

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार कार्यशील पूंजी के अभाव में शाहगंज एकक ने 8 फरवरी 1998 को अपना कार्य संचालन स्थगित कर दिया। राज्य सरकार के सक्रिय हस्तक्षेप के कारण मार्च 2000 में शाहगंज एकक ने अपना कार्यसंचालन पुनः प्रारम्भ कर दिया। तथापि, प्रबन्धन द्वारा यथा प्रदत्त सूचना के अनुसार वित्तीय अभाव के कारण यह कार्य संचालन अगस्त 2001 में फिर से बंद कर दिया गया।

शाहगंज एकक के कर्मचारियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार ने संचालन एजेंसी अर्थात भारतीय स्टेट बैंक को राय दी कि वह मई 2002 से औद्योगिक पुनर्गठन हेतु अपीलीय प्राधिकरण में लम्बित पुनर्गठन पैकेज के लिए अंतिम स्वीकृति प्राप्त करे। कम्पनी के पुनरूद्धार के लिए राज्य सरकार ने अपनी तरफ से बहुत सी रियायतें जैसे नौ वर्षों की अवधि के लिए बिक्री कर से माफी, बिक्री कर की बकाया राशि को ब्याज वाले साधारण ऋण में बदलना, कोलकाता में भूमि/भवन की बिक्री/विकास की अनुमति देना तथा पाँच वर्षों की अवधि के लिए विद्युत शुल्क से माफी आदि की घोषणा की है। बंद औद्योगिक एककों के कर्मचारियों की सहायता के लिए राज्य सरकार द्वारा बनायी गई एक योजना के अंतर्गत डी.आई.एल. के कर्मचारियों को 500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है।

डनलप इंडिया लिमिटेड के प्रबन्धन ने यह आश्वासन दिया है कि शाहगंज एकक के लिए एक व्यापक व्यापारिक योजना बनायी जाने की प्रक्रिया चल रही है। तथापि, कम्पनी का पुनरूद्धार केवल तभी हो सकता है जब कम्पनी के प्रवर्तक सभी शेयरधारकों के समर्थन और विचार–विमर्श के बाद इस औद्योगिक एकक को शुरू करने के लिए कदम उठायें।

श्री रूपचंद पाल : महोदय, माननीय मंत्रीजी ने स्वीकार किया है कि डनलप इंडिया लिमिटेड एक साधारण रबड़ उत्पादक एकक नहीं है। यह महत्त्वपूर्ण रक्षा संबंधी वस्तुओं के उत्पादन में भी लगी रही है। यह सर्वविदित तथ्य है कि करगिल युद्ध के दौरान वायुसेना कर्मी डनलप इंडिया लिमिटेड के पास गये थे और भुखमरी का सामना कर रहे इन कामगारों और कर्मचारियों ने रक्षा अधिकारियों का स्वागत भी किया। इस एकक को खोलकर वहां रखे लड़ाकू विमानों के टायरों को निकाला गया जिनकी करगिल युद्ध के दौरान सशस्त्र सेनाओं को अत्यधिक आवश्यकता थी।

यह स्वीकार किया गया है कि यह कोई साधारण टायर उत्पादक एकक नही है। यह कंपनी मिग–21, मिग–29, मिग–23, ए.एन 32 के लिए महत्त्वपूर्ण तथा सेना द्वारा रेतीले क्षेत्र में उपयोग में लाये जाने वाले विशेष वाहनों के लिए आवश्यक टायरों का उत्पादन कर रही थी।

दशकों से इसने उच्च गुणवत्ता वाली विश्वसनीय वस्तुओं का उत्पादन किया है। रक्षा अधिकारियों द्वारा इस आशय के प्रमाणपत्र दिये गये हैं। अब यह कहा जा रहा है कि यदि कंपनी के प्रवर्तक कुछ कदम उठायें तो इसे फिर से शुरू किया जा सकता है। उन्होंने ऐसे कोई कदम नही उठाये हैं। एक षडयंत्र के तहत इस लाभकारी एकक को बी आई एफ आर के पास भेजा गया है। अब यह बी.आई.एफ.आर. के पास नही है। अब यह मुद्दा बी.आई.एफ. आर और ए.ए.आई.एफ.आर. के बीच फंसा पड़ा है। सरकार यह स्वीकार कर रही है कि यह कम्पनी की निधियों के धीरे–धीरे हड़पने का एक विशिष्ट मामला है। यहां केन्द्र सरकार का उत्तरदायित्व आता है। कंपनी में 34 प्रतिशत हिस्सेदारी एल.आई.सी, जी.आई.सी. और यू.टी.आई. की है। डनलप इंडिया लिमिटेड भारत की रक्षा संबंधी नियम (डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स) के अंतर्गत आती है। जापानी हमले में इस कम्पनी को भी निशाना बनाया गया था क्योंकि यह रक्षा संबंधी वस्तुओं के उत्पादन में संलग्न थी।

ऐसी स्थिति में हमें कर्मचारियों और कामगारों के हितों का ध्यान रखना है। राज्य सरकार बिक्री कर में छूट, विद्युत आपूर्ति शुरू करने में सहायता, विभिन्न देय भुगतानों से माफी जैसी सभी तरह की सहायता प्रदान कर रही है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ने इस बारे में केन्द्र सरकार को बार–बार पत्र लिखे हैं। सांसदों ने केन्द्र सरकार और पूर्व प्रधानमंत्री से इस बारे में आग्रह किया है। नई सरकार के सत्ता में आने के बाद हमने रक्षा मंत्रीजी से मिलकर इसमें हस्तक्षेप का आग्रह किया है। यह कोई साधारण या आम रबड़ उत्पादक एकक नही है। इसे खोलने में राष्ट्र का हित है। सरकार द्वारा इसे अपने अधीन लेने का प्रावधान भी इसमें है। लोक हित और देश हित से बढ़कर भला और हित क्या हो सकते हैं? क्या यह कंपनी घटिया क्वालिटी की वस्तुएं उत्पादित कर रही है? इसकी गुणवत्ता के बारे में रक्षा मंत्रालय का प्रमाण पत्र है। ये लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अच्छी गुणवत्ता की वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं। वे किसी भी तरह असफल नही रहे। यहां तक कि करगिल युद्ध के दौरान कामगारों और कर्मचारियों ने सहयोग किया। क्या इन कर्मचारियों और कामगारों ने कोई गलती की है। नहीं। कंपनी के मालिक के परिवार में कोई विवाद हुआ था जो कि दुबई में थे लेकिन अब वह दिवंगत हो चुके हैं। उन्होंने कम्पनी का सारा पैसा हड़प लिया। इसमें 34 प्रतिशत की हिस्सेदारी जी.आई.सी., एल.आई.सी. और यूटीआई जैसे केन्द्रीय वित्तीय संस्थानों की है और

इस तरह अप्रत्यक्ष रूप से भारत सरकार भी इसके लिए जिम्मेदार है।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है?

श्री रूपचंद पाल : मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। ऐसी स्थिति में, जब राज्य सरकार हर सम्भव सहायता देने को तैयार है, कर्मचारी और कामगार हर सम्भव सहायता देने को तैयार हैं तो केन्द्र सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाने जा रही है? यह परिदृश्य वास्तव में देखा जाना है। करगिल युद्ध के दौरान जब सैन्य अधिकारियों ने इस एकक का दौरा किया तो भुखमरी के शिकार परिवारों के बच्चों को पंक्ति में खड़े होकर स्वयं का स्वागत करते तथा राष्ट्रीय हित में टायरों को ले जाने का आग्रह करते देख सैन्य अधिकारियों की आँखों में आंसू आ गये थे। उन्होंने बताया कि कृपया दिल्ली में प्राधिकारियों को बतायें कि यह एक बहुमूल्य एकक है जहाँ कामगार उत्पादन करने को तैयार है परन्तु उन्हें उत्पादन करने की अनुमति नही दी जा रही है।

ऐसी स्थिति में, मैं श्रम मंत्रीजी से नही बल्कि रक्षा मंत्रीजी से विशिष्ट रूप से पूछना चाहूँगा क्योंकि यह श्रमिकों के आक्रोश का सरल मामला नही है। कामगारों की कोई गलती नही है।

रक्षा राज्यमंत्री यहाँ उपस्थित है। इस एकक को बचाने के लिए क्या कदम उठाये जाने पर विचार कर रहे हैं? यह एक लाभकारी एकक है। इस महत्त्वपूर्ण रक्षा सामग्री उत्पादक एकक तथा कामगारों और कर्मचारियों की हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है। मैं रक्षा मंत्रीजी का इस बारे में सकारात्मक जवाब चाहता हूँ।

श्री सांताश्री चटर्जी (सेरमपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री रूपचन्द पाल द्वारा इस सम्माननीय सभा के समक्ष रखे गए इस प्रश्न के साथ स्वयं को जोड़ते हुए मैं कतिपय अनुपूरक निवेदन करना चाहता हूं और माननीय श्रम मंत्रीजी से प्रश्न पूछना चाहता हूँ जिन्होंने राज्य सरकार द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर यहां एक वक्तव्य दिया है।

महोदय, इस विषय में आप हमसे बेहतर जानते हैं क्योंकि एक सदस्य के रूप में आपने कई बार डनलप इंडिया लिमिटेड का मामला उठाया था। यह एक श्रमिकों से संबंधी मामला मात्र नहीं है। डनलप इंडिया लिमिटेड को किसी औद्योगिक विवाद, उत्पादन या उत्पादकता संबंधी समस्या के कारण बंद नहीं किया गया। इसके पश्चात बंगाल के एकक को ही बंद नही किया गया है बल्कि तमिलनाडु में अक्तूबर माह में एक अन्य एकक को भी बन्द कर दिया गया है।

बेईमान प्रबन्धन ने कंपनी के पैसे का गबन कर डनलप इंडिया कंपनी को बंद करने की कगार पर ला दिया है। प्रो. पाल ने करगिल युद्ध के दौरान श्रमिकों और उनके परिवारजनों द्वारा दर्शायी गयी देशप्रेम की भावना का उल्लेख किया है। हम सब के लिए यह गर्व की बात है। हमें पता है कि पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री ज्योति बसु ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी से मिलकर इस बात का अनुरोध किया कि वह राष्ट्रीय हित में इस कंपनी को अधिग्रहीत कर लें। श्री वाजपेयी ने उस समय इस कार्य के प्रति कोई प्रतिबद्धता व्यक्त नहीं की। लेकिन दूसरे दिन राज्य सभा में तत्कालीन मंत्री ने अपने एक उत्तर में बताया कि राज्य सरकार की नीति यह नहीं है कि वह किसी रुग्ण इकाई को बहाल करे या फिर उसका अधिग्रहण करे। लेकिन वह समय जा चुका है। अब केन्द्र में संप्रग सरकार है जिसने अपने राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में यह प्रतिबद्धता व्यक्त की है कि सरकार अपनी विभिन्न नीतियों के माध्यम से औद्योगिक विकास पूर्वस्तर पर लाने तथा श्रमिकों विशेषकर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण की दिशा में कार्य करेगी। जब सरकार 'गेल', आईडीबीआई और इसी तरह की कंपनियों के माध्यम से 'एनरान' को पुनजीवित करने के लिए एक मंत्री समूह के गठन पर विचार कर सकती है, तो सरकार सभी संभव संसाधनों के साथ डनलप इंडिया की बहाली पर विचार क्यों नहीं कर सकती? क्या केन्द्र सरकार पश्चिम बंगाल सरकार के साथ बातचीत नहीं कर सकती जिसने हर तरह की सहायता की पेशकश की है? ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछें।

श्री सांताश्री चटर्जी : आप पूरे देश में ऐसी राज्य सरकार नहीं पायेंगे जिसने श्रमिकों को बेरोजगार होने के आधार पर कोई लाभ दिये हों। मेरा प्रश्न केवल श्रम मंत्री से ही नहीं, अपितु रक्षा मंत्री सहित दूसरे कैबिनेट मंत्रियों से भी है। मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि वह इस अवसर पर आगे आयें और ऐसी पूर्ववर्ती सरकार के पद चिह्नों पर न चले जिसने देश की रक्षा के लिए डनलप इंडिया की बहाली के लिए कुछ भी करने से मना कर दिया था। हम इतने सारे विमानों के टायर बढ़े हुए मूल्य पर खरीद रहे हैं। हम बी आई एफ आर तथा ए आई एफ आर से एकमुश्त राशि प्राप्त कर इन टायरों को यहां क्यों नहीं बना सकते? आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह मामला यहां नहीं निपटाया जा सकता। इस मामले को यहां निपटाने के लिए बी आई एफ आर से कैसे कहा जा सकता है? ...*(व्यवधान)*

श्री सांताश्री चटर्जी : मैं ~~माननीय मंत्री~~ जी का ध्यान इस ओर

दिलाना चाहूंगा कि डनलप की सभी संपत्तियों को बेचने के एआईएफआर ने आदेश दिया था और हमने न्यायालय जाकर इस पर रोक लगवा दी थी और यह स्थिति अभी भी यथावत है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्रीजी इस मामले पर पूरी ईमानदारी से विचार करें ताकि डनलप इंडिया को या तो सरकारी सहायता से या फिर निजी एजेंसियों की सहायता से बहाल किया जा सके।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : मैं अपने माननीय सहयोगियों की इस बात से सहमत हूं कि डनलप इंडिया की समस्या केवल श्रम मंत्रालय से संबद्ध नहीं है अपितु यह रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय तथा उद्योग मंत्रालय से भी संबद्ध है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपना सीधा प्रश्न पूछें।

श्री अजय चक्रवर्ती : डनलप इंडिया हमारे देश की शान है। यह हमारे देश की प्रमुख टायर विनिर्माता कंपनी है। यह कंपनी न केवल नागरिक विमानन मंत्रालय अपितु रक्षा मंत्रालय के लिए भी विमानों के टायर का निर्माण करती है। डनलप इंडिया के बंद होने के कारण रक्षा मंत्रालय को विशेष तौर पर विदेश से विमानों के टायरों का आयात करना पड़ रहा है। बात यही पर समाप्त नहीं होती। इस कंपनी में कार्यरत श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं। कुछ श्रमिकों ने तो आत्महत्या तक कर ली है। पश्चिम बंगाल सरकार कंपनी बंद होने के कारण बेरोजगार हुए श्रमिकों को प्रतिमाह कुछ वित्तीय सहायता दे रही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह डनलप इंडिया लिमिटेड की समस्याओं के समाधान के लिए एक मंत्री-समूह का गठन करेंगे?

जब सरकार एनरान जैसी निजी कंपनियों की बहाली के लिए मंत्री समूह का गठन कर सकती है तो डनलप इंडिया लिमिटेड हेतु यह ऐसा क्यों नहीं कर सकती।

अध्यक्ष महोदय : श्री चक्रवर्ती इसी मुद्दे को श्री सांताश्री चटर्जी द्वारा उठाया गया है और आप भी इसी मुद्दे को उठा रहे हैं।

श्री अजय चक्रवर्ती : महोदय, मै इस विषय पर माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्योंकि पश्चिम बंगाल इस कंपनी के श्रमिकों को वित्तीय सहायता दे रही है।

अध्यक्ष महोदय : श्री चक्रवर्ती आप वही बात दोहरा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता के मद्देनजर क्या केन्द्र सरकार डनलप इंडिया लिमिटेड की बहाली हेतु प्रयास करेगी। ...*(व्यवधान)*

श्री अजय चक्रवर्ती : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार बेरोजगार हुए श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आगे आयेगी।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आपका प्रश्न वही है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री चक्रवर्ती, कृपया आप हमें सहयोग करें। अभी दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और हैं।

श्री अजय चक्रवर्ती : डनलप इंडिया के मालिक श्री मनु छाबड़िया देश से भाग गये हैं। अब उनकी मृत्यु भी हो चुकी है और उनके परिवार में उनकी एकमात्र पुत्री ही है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप एक ही बात दोहरा रहे हैं। धन्यवाद।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब मैं और अधिक समय नही दूंगा।

श्री अजय चक्रवर्ती : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार मनु छाबड़िया के उत्तराधिकारियों को भारत वापस लाने तथा उनकी संपत्ति को बेचकर श्रमिको को भुगतान करने की दिशा में कदम उठायेगी।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की) : महोदय, क्या आप मुझे एक प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं अनुमति नहीं दे सकता।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि आप सहयोग नहीं करेंगे तो मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दूंगा।

अब, मंत्री जी बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री के. चन्द्रशेखर राव : महोदय, मैं यह बात समझता हूं और माननीय सदस्यों की चिंताओं से पूरी तरह अवगत हूं। यह मंत्रालय टायर तथा कुछ दूसरी सामग्री रक्षा मंत्रालय को भी आपूर्त करती थी। इसलिए, यहां इन प्रश्नों का उत्तर देने के पहले मैंने माननीय रक्षा मंत्री जी से भी इस विषय पर चर्चा की है।

अध्यक्ष महोदय : मेरी समझ से वह यहां इसकी घोषणा के लिए उपस्थित हैं।

...(व्यवधान)

श्री के. चन्द्रशेखर राव : महोदय, उन्होंने यह कहकर बड़ी सदाशयता दर्शायी है कि यदि कंपनी बहाल होती है, तो उनका मंत्रालय सामान की आपूर्ति हेतु कंपनी को 'क्रयोदश' देगा ताकि वह कंपनी अच्छे ढंग से कार्य कर सके। लेकिन यह एक राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला उद्योग है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को केवल आश्वस्त कर सकता हूं। मैंने पश्चिम बंगाल के कुछ अधिकारियों से भी बात की है। उन्होंने बताया है कि इस कंपनी को पुनर्जीवित करने में कम से 1000 से 1200 करोड़ रुपयों की आवश्यकता है। इस तरह, इसके लिए बहुत अधिक धनराशि की आवश्यकता है।

अब, मैं यहां पर माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि मैं इस दिशा में प्रयास करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : यह एक सराहनीय बात है।

श्री के. चन्द्रशेखर राव : यदि आवश्यकता हुई तो मैं पश्चिम बंगाल भी जाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए आपको बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री के. चन्द्रशेखर राव : मैं वहां माननीय मुख्यमंत्री से बात करूंगा। मैं इस मामले को माननीय अध्यक्ष महोदय के पास भी भेजूंगा क्योंकि वह भी पश्चिम बंगाल से ही हैं।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन इस मामले को निपटाने हेतु मेरे पास तो कोई शक्तियां नहीं हैं।

...(व्यवधान)

श्री के. चन्द्रशेखर राव : इस संबंध में, मैं चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय के कक्ष में एक बैठक बुलायी जाये ताकि इस संबंध में उचित दिशा निर्देश दिये जा सकें।

अध्यक्ष महोदय : आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री के. चन्द्रशेखर राव : मैं इतना ही कर सकता हूँ। मैं अपनी पूरी क्षमता के साथ भारत सरकार की ओर से पहल करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा।

श्री के. चन्द्रशेखर राव : एक बात और है। पश्चिम बंगाल सरकार डनलप इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों को पाँच सौ रुपये प्रति माह दे रही है। मैं इस समय भारत सरकार की ओर से कर्मचारियों को वित्तीय सहायता का आश्वासन नहीं दे सकता। मैं यह आश्वासन नहीं दे सकता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : किन्तु मैं समझता हूं कि आपके दृष्टिकोण का समर्थन रक्षा मंत्री ने भी किया है।

श्री के. चन्द्रशेखर राव : जी हाँ, महोदय।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : महोदय, मैं इस चर्चा को बड़े ध्यान से सुन रहा हूँ। जहाँ तक डनलप इंडिया लिमिटेड को फिर से चालू किए जाने का प्रश्न है, इस समय मैं इतना ही कह सकता हूं कि यदि इस कंपनी को फिर से चालू किया जाता है तो रक्षा मंत्रालय आवश्यकतानुसार निश्चित रूप से इस कंपनी के उत्पाद खरीद करेगी।

अध्यक्ष महोदय : यह एक अच्छी बात है। इससे कुछ उद्यमियों को आगे आने का अवसर मिलेगा। आप सभी को बहुत–बहुत धन्यवाद।

अब हम अगले ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को लेते हैं – श्री प्रभुनाथ सिंह।

अपराह्न 12.39 बजे

(दो) संविधान की आठवीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा शामिल किए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस संबंध में वक्तव्य दें :

> 'संविधान की आठवीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा को शामिल किये जाने की आवश्यकता के बारे में सरकार द्वारा उठाये गये कदम।'

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील) : महोदय, विगत कई वर्षों में सरकार को संविधान की आठवीं अनुसूची में विभिन्न भाषाओं को शामिल किए जाने की मांगें प्राप्त होती रही हैं। इस समय आठवीं अनूसूची में 22 भाषायें शामिल हैं। ये हैं (1) असमी, (2)

बंगाली, (3) गुजराती, (4) हिन्दी, (5) कन्नड़, (6) कश्मीरी, (7) कोंकणी, (8) मलयालम, (9) मणिपुरी, (10) मराठी, (11) नेपाली, (12) उड़िया, (13) पंजाबी, (14) संस्कृत, (15) सिंधी, (16) तमिल, (17) तेलुगु, (18) उर्दू, (19) बोड़ो, (20) संथाली, (21) मैथिली, और (22) डोगरी। इन भाषाओं में से 14 भाषाओं को शुरू में संविधान में शामिल किया गया था। सिंधी भाषा 1967 में शामिल की गई थी। इसके बाद तीन और भाषाओं अर्थात् कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 में शामिल किया गया था। तत्पश्चात्, 8.1.2004 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित 92वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के तहत बोड़ो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को शामिल किया गया।

आठवीं अनुसूची में 35 और भाषाओं को शामिल करने की मांगें सरकार के पास लंबित हैं। ये हैं अंगिका, बंजारा, बाजिका, भोजपुरी, भोटी, भोटिया, छत्तीसगढ़ी, धातकी, अंग्रेजी, गढ़वाली (पहाड़ी), गोंडी, हो, कच्छी, कामतापुरी, खासी, कोडवा (कुर्ग), कोक बरक, कुमांउनी (पहाड़ी), कुरक, कुरमाली, लेप्चा, लिम्बू, मिजो (लुशाई), मगही, मुंडारी, नागपुरी, निकोबारी, पहाड़ी (हिमाचली), पाली, राजस्थानी, संबलपुरी/कोसली, शौरसेनी (प्राकृत) सिरैकी, तेन्ईदी और तुलू।

आठवीं अनूसूची का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 344 (1) और 351 में किया गया है। अनुच्छेद 344(1) में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति, संविधान के प्रारंभ से पांच वर्ष की समाप्ति पर, और तत्पश्चात ऐसे प्रारंभ से दस वर्ष की समाप्ति पर एक आयोग गठित करेंगे जिसमें एक अध्यक्ष होगा और जो आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं के प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य सदस्यों को मिलाकर बनेगा। यह आयोग संघ के शासकीय प्रयोजनार्थ हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए राष्ट्रपति को सिफारिशें करेगा। संविधान के अनुच्छेद 351 में यह व्यवस्था है कि संघ का यह कर्त्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्थानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं के शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें।

आठवीं अनुसूची में भाषाओं के समावेश के लिए कोई वस्तुपरक मानदंड न होने के कारण भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में और अधिक भाषाओं को शामिल करने के लिए वस्तुपरक मानदंड तैयार करने हेतु श्री सीता कान्त महापात्र की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन है और भोजपुरी सहित अन्य भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल करने की लंबित मांगों का निर्णय समिति की सिफारिशों को ध्यान में रख कर लिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य यहां दिया है, उस वक्तव्य के सबसे नीचे इन्होंने आठवीं अनुसूची में भाषाओं का समावेश करने के लिए कोई वस्तुपूरक मानदंड न होने के कारण भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में और अधिक भाषाओं को शामिल करने के लिए वस्तुपूरक मानदंड तैयार करने हेतु महापात्र रिपोर्ट का जिक्र किया है। हम आपके माध्यम से इस देश में बसने वाले 16 करोड़ भोजपुरी भाषा-भाषी और दुनिया के दूसरे देशों में बसे हुए लोगों को मिलाकर 20 करोड़ भोजपुरी भाषा-भाषियों के दर्द को माननीय गृह मंत्री जी के सामने रखना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सदन में बहुत ज्यादा शोरगुल हो रहा है। मैं माननीय सदस्य की बातें भी नहीं सुन पा रहा हूँ। यह सब हमारी अच्छी छवि प्रस्तुत नहीं करता है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : भोजपुरी भाषा बोलने वाले लोग आज दुनिया के 17 देशों में मौजूद हैं और उनकी अच्छी-खासी जनसंख्या भी है। हम आपको बताना चाहते हैं कि मारीशस में जहां 45 प्रतिशत उनकी जनसंख्या है, वहीं सूरीनाम में भी इनकी जनसंख्या 45 प्रतिशत है। त्रिनिडाड और टोबैगो में 40 प्रतिशत, ब्रिटिश गुयाना में 30 प्रतिशत, थाईलैंड में 20 प्रतिशत, फिजी में 30 प्रतिशत, जमैका में 25 प्रतिशत, नेपाल में 20 प्रतिशत, युगांडा में 25 प्रतिशत, बैंकाक में 20 प्रतिशत, केन्या में 25 प्रतिशत, बर्मा में 20 प्रतिशत, सिंगापुर में 15 प्रतिशत, मालदीव में 15 प्रतिशत, फिलिपीन्स साइबेरिया में 15 प्रतिशत, अमरीका के आइलैन्ड में 10 प्रतिशत और दक्षिण अफ्रीका में 15 प्रतिशत इनकी आबादी है।

जहां तक बिहार में ऐसे जिलों की बात है जहां भोजपुरी बोली जाती है, उनमें भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, सारण, सीवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारन, पश्चिमी चंपारन, मुजफ्फरपुर का

पश्चिमी भाग और शिवहर का पश्चिमी भाग आते हैं। इसी तरह झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ और देश के जितने भी प्रमुख औद्योगिक शहर हैं, यहाँ तक कि आपके पश्चिम बंगाल में भी भारी संख्या में भोजपुरी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं जिनकी कुल आबादी इस देश में लगभग 16 करोड़ है। भोजपुरी की पढ़ाई विश्वविद्यालयों में भी होती है। लेकिन प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में इसकी पढ़ाई नहीं होती है। इंटर से लेकर एम.ए. तक की पढ़ाई बिहार और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भी होती है लेकिंन प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई नहीं होती है। कितने विश्वविद्यालयों में पढ़ाई होती है, इसकी सूची गिनाने में बहुत समय लग जाएगा, इसलिए पूरी सूची न पढ़कर मैं एक–दो नाम बता देता हूं। बिहार में वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, बीआरए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, मगध विश्वविद्यालय बोधगया, राँची विश्वविद्यालय राँची है। उत्तर प्रदेश में जौनपुर विश्वविद्यालय जौनपुर, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर और मारीशस में भी महात्मा गांधी भोजपुरी शोध संस्थान हैं तथा दुनिया के विभिन्न देशों में भोजपुरी की पढ़ाई होती है।

अध्यक्ष महोदय, दूरदर्शन केन्द्रों में राँची, पटना, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी तथा मुजफ्फपुर दूरदर्शन केन्द्र भी भोजपुरी में कार्यक्रम देते हैं। इसके अलावा मारीशस, सूरीनाम, ट्रिनिडाड आदि देशों में भी वहाँ के टेलिविजन पर इसके कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं। आकाशवाणी केन्द्र जहां से भोजपुरी के कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं, उनमें पटना, राँची, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, मुजफ्फरपुर इत्यादि हैं। इसके अलावा विभिन्न देशों में भी रेडियो पर इसके कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं।

भारत में जो सिनेमा बनता है, हिन्दी सिनेमा में भी भोजपुरी भाषा का इस्तेमाल करके सिनेमा को पूरे देश में चलाने का काम किया जाता है, जैसे दो–तीन सिनेमाओं के नाम मैं आपके सामने रख देता हूँ – "गंगा जमुना" जो दिलीप कुमार और वैजयन्ती माला की है, "लगान" जो आमिर खान की है और "नदिया के पार" जो सचिन की है। भोजपुरी सिनेमा अपना तहलका मचाए रखता है, जब जब भोजपुरी सिनेमा आया है, जैसे "गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़इबो", "बिदेसिया", "धरती मैया, "लागी नहीं छूटे रामा" इत्यादि।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी आपके विरूद्ध नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि एक समिति का गठन किया गया है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम इस भाषा का प्राक्कथन है वह बताना चाहते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने इस मामले को जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : वही हम बताना चाहते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने पहले ही अपनी बात रख दी है।

[हिन्दी]

अभी आप प्रश्न पूछिये। हम आपकी मदद करेंगे।

श्री प्रभुनाथ सिंह : हमने पर्सनली मिलकर भी मंत्री जी से आग्रह किया है और हमारी बात सिर्फ प्रोसीडिंग्ज़ में आए, सिर्फ इसलिये नहीं बोल रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको भोजपुरी में बोलना चाहिये था।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : आप हमें इजाज़त दे दीजिए। हम भोजपुरी में बोलेंगे।

अध्यक्ष महोदय : हमारे कमरे में बोलिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह : इसी तरह भोजपुरी में बहुत सा साहित्य भी लिखा गया है। मैं माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि कई बार सदन में इस संबंध में चर्चा उठी है। एक बार प्राइवेट मैम्बर्स बिल के माध्यम से भी सदन में इस पर चर्चा हुई थी, जिस समय रघुवंश बाबू ने काफी मज़बूती से इसकी वकालत की थी, जो आज इस सरकार में मंत्री हैं। बसुदेव आचार्य जी अभी सदन में नहीं हैं, उन्होंने भी भोजपुरी के सवाल को उठाया था। रघुनाथ झा जी बैठे हुए हैं। इन्होंने भी इस सवाल को उठाया था और आज भी हमें लगता है कि वे ज़रूर इस सवाल को उठायेंगे। उस समय गृह राज्य मंत्री ने उत्तर दिया था कि वे एक हाई लैवल कमेटी बना रहे हैं। उस समिति की सिफारिश आने के बाद कुछ अंश जो उन्होंने पढ़े थे, उसी को आज मंत्री जी ने पढ़कर सुनाया है। लेकिन उसे पढ़ने या नहीं पढ़ने से इसका समाधान नहीं हो सकता है। जिस समय आदरणीय आडवाणी जी गृह मंत्री थे, उसके समय भी जिन चार भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में

सम्मिलित किया गया था, उनका भी तो कुछ आधार तय किया गया होगा।

अध्यक्ष महोदय, अगर जनसंख्या के आधार पर देखा जाए, तो बोडो जानने वालों की जनसंख्या मात्र 90 लाख है, संथाली बोलने वालों की संख्या एक करोड़ है, डोगरी जानने और बोलने वालों की संख्या 60–70 लाख है जबकि मैथिली बोलने और समझने वालों की संख्या डेढ़ करोड़ है।

महोदय, जब चार भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया था, तब हमने सरकार को धन्यवाद दिया था और मैंने उस समय भी गृह मंत्री से कहा था कि देश की सबसे मजबूत भाषाओं में भोजपुरी भी एक सशक्त भाषा है, उसे भी संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए। उस समय गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया था। मैं उस आश्वासन को आपके सामने रखना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि उन्होंने क्या कहा था। मैं चाहता हूं कि आपका हुक्म हो जाए और भोजपुरी को यदि आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए, तो आपकी हम पर बड़ी कृपा होगी और भोजपुरी लोगों पर बड़ा अनुग्रह होगा।

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष का हुक्म कौन मानता है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री जी ने जो कहा था, उस अंश को पढ़ना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : जिस्ट दीजिए, पूरा मत पढ़िए।

श्री प्रभुनाथ सिंह : महोदय, मैं जिस्ट ही दूंगा।

उन्होंने कहा था कि 'उसी प्रकार मैं आज भी सुन रहा था राजस्थानी के बारे में, हैती के बारे में, भोजपुरी के बारे में, बृज भाषा के बारे में, टुल्लू भाषा के बारे में, मघई के बारे में, और अन्त में उन्होंने कहा कि मैंने सूची भी देखी है, उसमें ऐसी 33 भाषाएं हैं जिनकी डिमांड है कि उन्हें भी संविधान की आठवीं सूची में जोड़ा जाए। मैं विश्वास करता हूं कि किसी न किसी दिन और जल्दी से जल्दी वे भाषाएं संविधान की आठवीं अनुसूची में जोड़ दी जाएंगी।'

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न पूछिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो भाषाएं शामिल की गई, उनके बोलने वालों की संख्या को देखा जाए, तो भोजपुरी भाषा बोलने वालों की तुलना उनसे नहीं की जा सकती है क्योंकि उन भाषाओं के मुकाबले भोजपुरी बोलने वाले सबसे ज्यादा हैं। अगर मैं पौराणिक दृष्टिकोण का वर्णन करने लगूं, तो घंटों लग जाएंगे और वर्णन खत्म नहीं होगा। इसी प्रकार यदि मैं भौगोलिक दृष्टि से वर्णन *करूं, तो लम्बा समय लग जाएगा। मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि इस देश में* भोजपुरी बोलने वालों की संख्या 16 करोड़ और पूरी दुनिया को मिलाकर देखें तो 20 करोड़ है। इसलिए भोजपुरी बोलने वालों की दिल की भावनाओं को देखते हुए आप इस भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करें। गृह मंत्री बहुत जिम्मेदार और संवेदनशील आदमी हैं। मुझे उम्मीद है कि वे बहुत जिम्मेदारी के साथ भोजपुरी लोगों की भावनाओं को समझेंगे, उनके दिल के दर्द को समझेंगे और इस हाउस में भोजपुरी को आठवीं अनुसूची में शामिल करने की घोषणा करेंगे, ऐसा विश्वास करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री रघुनाथ झा (बेतिया) : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलने का समय दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : नहीं आपका नाम नहीं है।

[अनुवाद]

निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने श्री प्रभुनाथ सिंह द्वारा उठाए गए मामले से अपने आपको संबद्ध किया।

श्री सुशील कुमार मोदी

श्री विजय कृष्ण

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा : अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि माननीय प्रभुनाथ सिंह जी ने बहुत विस्तार से भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने हेतु अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। आपको, महोदय, स्मरण होगा कि सदन में इस बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी आया और नॉन आफीशियल रिजोल्यूशन भी आया था। तत्कालीन सरकार ने चार भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल कर बहुत अच्छा काम किया था। उस समय उन्होंने कहा था कि हम भोजपुरी को भी आठवीं अनुसूची में शामिल करेंगे, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भोजपुरी भाषा–भाषियों के मान–सम्मान को उपेक्षा की दृष्टि से यह सरकार देख रही है। मेरा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी भोजपुरी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की घोषणा सरकार करे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री वैसीमुथियारी, आपकी बात को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। आप क्यों बोल रहे हैं? अब आप बोल नहीं सकते। कुछ तो सीमा होनी चाहिए। आप सबकी मनमर्जी नहीं चलेगी कि आप कभी भी शोर मचा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि. पाटील : माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य, श्री प्रभुनाथ सिंह जी ने भोजपुरी भाषा के संबंध में बड़ी जोरदार वकालत की है। श्री सुशील मोदी, श्री रघुनाथ झा, श्री मोहन सिंह जी एवं सदन के सभी माननीय सदस्य उसका समर्थन कर रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए, आपका नाम हो गया।

[अनुवाद]

यदि माननीय सदस्यों को कार्यवाही में व्यवधान डालने की आदत होती जा रही है तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि जब तक मैं पीठासीन हूं ऐसे सदस्यों के नामों को नहीं पुकारा जाए। इसलिए आप को पहले मुझसे पीछा छुड़ाना पड़ेगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी कभी अनुमति नहीं दूंगा। मैं इसको कभी प्रोत्साहन नहीं दूंगा।

[हिन्दी]

आप हाउस को लेकर मज़ाक मत कीजिए।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील : महोदय, पहले भी इसके संबंध में कई माननीय सदस्यों ने, खासकर बाहर से माननीय सदस्यों ने भी यह मामला हमारे सामने लाया था और इसलिए महापात्रा कमेटी का गठन हुआ था। उस कमेटी का गठन इसलिए हुआ था कि इसका क्या मापदंड हो, जिसके आधार पर किसी भाषा को संविधान के आठवें शेड्यूल में रखा जा सकता है। उन्होंने जो रिपोर्ट दी है, वह रिपोर्ट हमारे पास आई है। उनका उस रिपोर्ट में जो कहना है, वह करीब–करीब सरकार को मान्य होने जैसा है, बाकी की रिपोर्ट हम मान्य नहीं कर रहे हैं। आपने जिस प्रकार इस संदर्भ में सदन में तथ्य दिए हैं, वे सारे तथ्य उस कमेटी के मापदंड के माफिक ही हैं। उस संदर्भ में जो भी निर्णय करना है, उसे करने में सरकार को बड़ी आसानी होगी। आपने कहा है कि मैं यहां एश्योरेंस दूं, एश्योरेंस देना ठीक नहीं होता है। मगर मैं जो कह रहा हूं, उसका अर्थ आप पूरी तरह समझ सकते हैं। उसमें कोई अड़चन है, ऐसा मुझे नहीं लगता है।

महोदय, दूसरी भाषाओं के संदर्भ में भी जो मापदंड लगाए हैं, उस मापदंड में आने वाली जो भाषाएं हैं, उनके संदर्भ में भी हम उचित समय पर निर्णय लेंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रभुनाथ जी, आपको बहुत अच्छा जवाब मिला है।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम सिर्फ यह जानना चाहते हैं, जैसे कि गृह मंत्री जी ने बताया कि हम निर्णय लेने वाले हैं, वे कब तक निर्णय ले लेंगे?

श्री शिवराज वि. पाटील : हम जल्दी ही निर्णय ले लेंगे।

श्री सुशील कुमार मोदी (भागलपुर) : अध्यक्ष महोदय, हमारा प्वाइंट ऑफ आर्डर है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपका क्या प्वाइंट ऑफ आर्डर है?

[अनुवाद]

सभा के समक्ष कोई कार्य नहीं है और इसलिए व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री सुशील कुमार मोदी : महोदय, नियम 197 की उप–धारा (3) कहता है:

"एक ही बैठक में दो से अधिक ऐसे विषय नहीं उठाये जायेंगे :"

[हिन्दी]

एक बार एक सीटिंग में दो से ज्यादा ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप जानते हैं

[अनुवाद]

मैंने इसके विरूद्ध व्यवस्था दी है। मुझे उसको स्वीकृति की शक्तियां हैं और मैंने उसे मंजूरी दी है। यह अध्यक्ष का निर्णय है और आप उसे चुनौती नहीं दे सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 12.58 बजे

(तीन) उत्तर प्रदेश में युआरी बाजार, पडरौना, मरामा तथा काठकुंआ में चार चीनी मिलों के बंद होने के कारण गन्ना उत्पादकों तथा श्रमिकों के सामने आ रही समस्याओं से उत्पन्न स्थिति

[अनुवाद]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : महोदय, मैं वस्त्र मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह उस पर वक्तव्य दें।

"उत्तर प्रदेश के युआड़ी बाजार पड़रौना, मरामा तथा काठकुंआ में चार चीनी मिलों के बन्द होने के कारण गन्ना उत्पादकों तथा श्रमिकों द्वारा झेली जा रही समस्याएं"

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : उपर्युक्त चार चीनी मिलें कानपुर शुगर वर्क्स लिमिटेड (सीएसडब्ल्यूएल) की इकाइयां थीं, जिनसे वस्त्र मंत्रालय का कोई टिकाऊ संबंध नहीं है।

कानपुर शुगर वर्क्स लि. (सीएसडब्ल्यूएल) मूलतः वर्ष 1894 में चीनी और चीनी के उप–उत्पादों का निर्माण, परिष्करण और बिक्री करने के लिए एक संयुक्त स्टॉक कम्पनी के रूप में मैसर्स बैग सदरलैंड एंड कंपनी लि. द्वारा बनायी/निगमित की गई थी। इसने वर्ष 1896 में कानपुर में एक रिफाइनरी और 1904 में मारहोवरा, जिला–सारण, बिहार में एक डिस्टिलरी के साथ चीनी फैक्ट्री का कार्य शुरू किया। पडरौना फैक्ट्री की स्थापना 1921 में और कथकुईयां फैक्ट्री की स्थापना 1933 में की गई थी। पडरौना और गौरी बाजार की चीनी फैक्ट्रियों को 1956 में पडरौना के पूर्व शासकों से नीलामी में खरीदा गया था। उसके बाद सीएसडब्ल्यूएल के पास पडरौना में सफेद चीनी का उत्पादन करने के लिए चार संयंत्र थे। (2400 टन क्रशिंग क्षमता प्रति दिन (टीसीडी), कथकुईयां (1200 टीसीडी), गौरी बाजार (738 टीसीडी) (उत्तर प्रदेश राज्य में), और मारहोवरा (1200 टीसीडी) (बिहार में)

अपराह्न 1.00 बजे

मारहोवरा एकक में एक डिस्टिलरी भी है जिसकी विनिर्माण क्षमता 100 बल्क लीटर प्रतिदिन है और रामकोला मारहोवरा उमा (आरएमयू) इस्टेट (केवल भूमि)।

मैसर्स बैग सदरलैंड एंड कंपनी लि. ने इन चीनी फैक्ट्रियों का निरंतर प्रबंधन वर्ष 1960 तक किया जब उसे उसके स्वैच्छिक परिसमापन पर मैसर्स ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लि. (बीआईसीएल) में मिला दिया गया। (बीआईसीएल भारत सरकार का एक उपक्रम है)। उसके बाद सीएसडब्ल्यूएल ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लि. की एक सहायक कंपनी बन गई है। बीआईसीएल के पास कानपुर शुगर वर्क्स लि. के लगभग 47% इक्विटी शेयर थे।

सीएसडब्ल्यूएल, रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के उपबंधों के तहत एक रूग्ण कंपनी थी और इसका मामला बीआईसी के साथ वर्ष 1992 में बीआईएफआर को भेज दिया गया था।

बीआईएफआर ने 23 दिसम्बर, 1998 को हुई अपनी बैठक में पुनर्वासन पैकेज का अनुमोदन किया और अपने पैरा (जे) के अनुसार बीआईसी लि. को निम्नलिखितानुसार निदेश दियाः (i) सी एस डब्ल्यू एल और उसके सहयोगी को 10 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य का 2 रुपए प्रति शेयर की कीमत पर संपूर्ण इक्विटी शेयर होल्डिंग का हस्तांतरण करना; (ii) नए प्रबंधन द्वार अधिग्रहण किए जाने तक, सी एस डब्ल्यू एल का मौजूदा प्रबंधन संयंत्र और मशीनरी का बेमौसम अनुरक्षण और मरम्मत का कार्य सुनिश्चित करेगा; और (iii) आई एफ सी आई को 50 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि (पहले जमा की गई 100 लाख रुपए की राशि के अलावा) की अतिरिक्त राशि को जमा करने के तत्काल बाद सी एस डब्ल्यू एल का प्रबंधन जी ई एल को सौंपना।

उपर्युक्त आदेश के अनुसरण् में वस्त्र मंत्रालय ने दिनांक 11.1.1999 के अपने पत्र संख्या 8/13/93–एनटीसी/बीआईसी, वॉल्यूम–1 के माध्यम से नए प्रवर्तक–मै. गंगोत्री इंटरप्राइजेज लि. को 2 रुपए प्रत्येक की दर से शेयर हस्तांतरित करने का अनुमोदन कर दिया। नया प्रवर्तक मै. जी ई एल, गोरखपुर है, सी एस डब्ल्यू एल की 4 चीनी मिलें हैं जो गौरी बाजार, पडरौना, कठकुईयां और मारहोवरा में स्थित हैं।

बीआईएफआर द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में बीआईसीएल ने जी ई एल के पक्ष में इक्विटी शेयरों को हस्तांतरित करने के लिए 12.1.1999 को हस्तांतरण दस्तावेज प्रस्तुत किया। उनका सी एस डब्ल्यू एल द्वारा 12.1.1999 को जीईएल के नाम पर हस्तांतरण कर दिया गया था।

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बीआईसी ने 16.1.1999 को सी एस डब्ल्यू एल के निदेशक मंडल के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। सी एस डब्ल्यू एल ने भी 26.2.1999 को आयोजित अपनी वार्षिक आम सभा में संघ के अनुच्छेदों के अनुच्छेद सं. 117–ए में संशोधन किया। संशोधित अनुच्छेद निम्नलिखितानुसार हैः

"निदेशक समय-समय पर निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में अपने सदस्यों में किसी एक का चयन कर सकते हैं और उस अवधि का निर्धारण भी कर सकते हैं जब तक वे कार्यभार संभालेंगे।"

स्वीकृत योजना को परिकल्पित सीमा तक जीईएल द्वारा अपेक्षित निधि का निवेश न किए जाने के कारण क्रियान्वित नहीं किया जा सका। बीआईएफआर ने दिसंबर, 1998 में स्वीकृति योजना को 28.9.2000 को असफल घोषिक कर दिया है।

इसके अलावा बीआईएफआर ने दिनांक 18.6.2003 के आदेश के माध्यम से मै. जे एच बी शुगर्स लि. द्वारा दायर नई पुनरूद्धार योजना को स्वीकृत कर दिया। इस कंपनी के पास महाराजगंज (उत्तर प्रदेश) में मौजूदा 2500 टीसीडी शुगर संयंत्र है। उपर्युक्त आदेशों को जी ई एल द्वारा एएआईएफआर में चुनौती दी गई थी और इस समय अपील एएआईएफआर के पास है।

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार का उपर्युक्त कंपनी के साथ कोई संबंध नहीं है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, टैक्सटाइल मिनिस्ट्री का इससे कुछ लेना-देना नहीं है, यह कहकर मंत्री जी ने जबरन अपना पिण्ड छुड़ाने की कोशिश की है। सच्चाई इससे अलग है। बी.आई.सी., जिसकी 47 फीसदी हिस्सेदारी कानपुर शुगर्स वर्क्स में है, उसकी प्रशासकीय संस्था भारत सरकार का उद्योग मंत्रालय है और कानपुर शुगर वर्क्स की प्रशासकीय संस्था भारत सरकार का वस्त्र मंत्रालय है। दोनों की देख-रेख में ये दोनों निगम चलते हैं।

अंग्रेजों के जाने के बाद भारत सरकार ने इतनी पुरानी संस्था को लिया और वह भारत सरकार के स्वामित्व में आई। 1998-99 तक वे चारों चीनी मिलें बहुत अच्छे ढंग से चल रही थीं। दुर्भाग्य यह है कि भारत सरकार और भारत सरकार के अधिकारियों ने जब तक उन चीनी मिलों का शोषण करना था, लूट करनी थी, तब तक उनके ऊपर वे जिम्मेदार थे, उनके ऊपर वे बैठे थे। ज्यों ही चारों चीनी मिलें बीमार हुईं तो अपने हाथ खींचकर भारत सरकार चुपचाप बैठ गई और अधिकारियों और मंत्रालय ने अपनी जिम्मेदारी से पिंड छुड़ा लिया। नतीजा यह हुआ कि आज वे चार चीनी मिलें बंद होने से उनमें लगे हुए 8,000 कर्मचारी दर-दर भीख मांग रहे हैं। उनको पिछले आठ वर्षों से वेतन नहीं मिला। उनका जो पुराना बकाया था, ऐसा महसूस होता है कि उसके बारे में सरकार और निगम कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। उससे जुड़े हुए दस लाख गन्ना काश्तकारों ने गन्ना बोना बंद कर दिया। यह मामला बीआईएफआर में गया। 1994 में बीआईएफआर ने एक पैकेज दिया। इस देश के एक नामी-गिरामी उद्योगपति उसे खरीदना चाहते थे। भारत सरकार की अड़ंगेबाजी की वजह से वह उनको हैंडओवर नहीं हुई और वे अपनी जमा की हुई अग्रिम राशि वापिस ले कर चले गए। उसके बाद दूसरी कम्पनी को भारत सरकार ने बीआईएफआर के जरिए 1998 में देने की कोशिश की। किसानों का आन्दोलन हुआ। दो किसान गोली से मारे गए। वहां एक हफ्ते से भी अधिक दिन तक जबरदस्त आन्दोलन हुआ। एक राजनैतिक मुद्दा बना, दो किसान गोली का शिकार हुए और एक दर्जन से अधिक किसान घायल हुए। वहां कर्फ्यू लगाने की स्थिति पैदा हुई। लेकिन 1998 के बाद भारत सरकार को उन मिलों को चलाने के बारे में, उनकी रिनोवेशन के बारे में, जो मजदूर बेरोजगार हो गए हैं, उनके वेतन के बारे में और गन्ना काश्तकारों का जो बकाया है, सरकार का चार वर्षों का गन्ने मूल्य का भुगतान उन मिलों के ऊपर बकाया है, भारत सरकार को जो पहल करनी चाहिए, वह नहीं की। गन्ना काश्तकारों के भुगतान के बारे में भी सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। अब एक अच्छी स्थिति मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में बताई है कि बीआईएफआर की किसी एक अन्य संस्था से, जिसके पास महाराजगंज की चीनी मिल है, उससे कुछ बातचीत चल रही है।

मैं मंत्री जी से खास तौर से जानना चाहता हूं कि उन चारों चीनी मिलों को किसी भी व्यक्ति को, जो उन्हें लेना चाहता हो, बीआईएफआर के जरिए देकर उसे चलवाने, वहां के मजदूरों की हालत को सुधारने और गन्ना काश्तकारों की दुर्दशा से उनको मुक्त कराने के बारे में सरकार क्या पहल कर रही है? ...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक सवाल पूछना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह, कृपया सहयोग कीजिए। यदि आपके पास कोई सूचना है तो आप उसे माननीय मंत्री जी को दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह वाघेला : स्पीकर सर, मैं मोहन सिंह जी का आभारी हूं कि इन्होंने आज बहुत अच्छी बात कालिंग अटैन्शन के माध्यम से उठाई है। आपका ऐलीगेशन सही हो सकता है। जिस ढंग से प्राईवेट पार्टी से डीलिंग हुई, ठीक है 47 प्रतिशत शेयर बीआईएफआर ने लिए, लेकिन जब देने का सवाल आया तो 2 रुपये प्रति शेयर यानी सिर्फ 52,000 रुपये दिए। इतनी बड़ी प्रापर्टी है और उसमें दो सौ एकड़ जमीन भी है। मैं प्रार्थना करूंगा, अगर

यूपी सरकार और बिहार सरकार इंटरेस्टेड है तो हम इसमें जरूर सहयोग देंगे या आप कोई अच्छा प्रपोज़ल, जिसके हिसाब से एआईएफआर में प्राब्लम आई है, उसमें भारत सरकार भी सहायक हो सकती है। इस हिसाब से किसानों, मजदूरों का जो भी लाभ होता है, भारत सरकार पॉज़ीटिव ऐप्रोच से यूपी या बिहार सरकार का जो भी प्रपोज़ल होगा, उसे कंसीडर करने के बारे में सोचेगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सुखबीर सिंह बादल, कृपया अब आप बोलिए।

मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं। श्री सुखबीर सिंह बादल जैसाकि आपको मालूम है कि किसी व्यक्ति के विरूद्ध जो सभा में उपस्थित नहीं है, आरोप के रूप में कोई निवेदन नहीं किया जा सकता है। कृपया इस बात को ध्यान में रखें और अपना निवेदन कीजिए।

श्री सुखबीर सिंह बादल (फरीदकोट) : महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे यह अवसर प्रदान किया।

अध्यक्ष महोदय : यदि आपने आवश्यक रूप से टाली जा सकने वाली स्थिति उत्पन्न न की होती तो मैंने आपको यह अवसर दे दिया होता।

श्री सुखबीर सिंह बादल : महोदय, पंजाब राज्य में संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से चरमरा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि पंजाब राज्य में दो कानून है एक तो राजनैतिक विरोधियों और विपक्ष को तंग करना है और दूसरा सरकार और सत्तारूढ़ दल के राजनीतिज्ञों की रक्षा करना है। वहां सरकार और सरकारी राजनीतिज्ञों की रक्षा करने के लिए एक कानून है। यह एक घोटाला है जिसको हमने एक राजनीतिक दल के रूप में उजागर नहीं किया है। इस घोटाले को एक प्रमुख दैनिक समाचार पत्र "हिन्दुस्तान टाइम्स" ने उजागर किया है। यदि आप उस समाचार पत्र को पढ़ते हैं, यदि आप उसके प्रकाशन के ढंग को देखते हैं तो आपको हैरानी होगी। उसका प्रकाशन यहां पर नहीं होता है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप उसे दिखा नहीं सकते हैं। आप उसे यहां पर नहीं दिखा सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री सुखबीर सिंह बादल : मेरे कहने का अभिप्राय है कि 'हिन्दुस्तान टाइम्स' समाचार पत्र में यह कहा गया है ...*(व्यवधान)* पंजाब के मुख्य मंत्री और उनके पुत्रों ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसकी अनुमति नहीं दी है। वह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए। यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यदि अध्यक्ष कुछ माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति देते हैं तो उस पर नजर रखने के लिए भी मैं बैठा हूं। यदि किन्हीं नियमों का उल्लंघन हुआ है तो मैं उसे सुधारूंगा। श्री बादल, मैंने पहले ही आपसे अनुरोध किया है। आप नियमों से परिचित हैं। आप एक अनुभवी सदस्य हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए।

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : वह उस शैली की बात कर रहे हैं जिसमें यह प्रकाशित हुई है। मैं आपकी सुरक्षा लेना चाहूंगा। क्या हमें एक समाचार पत्र की खबर का उल्लेख कर विशेषाधिकार मामला उठाने का अधिकार है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठिए। आपको उन्हें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता नहीं है। मैं खुद उन्हें सुरक्षा दे रहा हूं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठिये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बादल के वक्तव्य के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री सुखबीर सिंह बादल : उस समाचार पत्र ने एक मुख्यमंत्री के द्वारा 'फेरा' तथा 'फेमा' का उल्लंघन करने के बारे में समाचार प्रकाशित किया है ...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री बंसल, इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। इस मामले पर बोलने के लिए मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। मुझे खेद है। आप एक बहुत जिम्मेदार सदस्य हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री सुखबीर सिंह बादल : इसमें 'फेरा' तथा 'फेमा' के उल्लंघन का मामला शामिल है जो राज्य का विषय नहीं है। यह विषय भारत सरकार के अधीन आता है। एक प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक समाचारपत्र ने अंतर्राष्ट्रीय धन-शोधन घोटाले को सबूत के साथ प्रकाशित किया है। ...*(व्यवधान)*

उन्होंने साक्ष्य, दस्तावेजों, ई-मेल, स्विस बैंक खातों का उल्लेख किया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे देखूंगा। आपके कहने से पहले मैंने कहा है कि मैं इस मामले को देखूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री सुखबीर सिंह बादल : उन्होंने स्विस बैंक खातों का उल्लेख किया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बंसल, कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। क्या आप उनके वक्तव्यों से बंधे हुए हैं?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : किसी भी सदस्य द्वारा दिया गया कोई भी वक्तव्य अन्य सदस्यों पर बाध्यकारी नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सिद्धू जी, आप बैठिये। हम उनको बैठाने की कोशिश कर रहे हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सिद्धू, मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दूंगा। कृपया समस्याएँ मत बढ़ाइये।

...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : वह कहते हैं कि ये सबूत हैं। ये सबूत कैसे हो सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय : इसका मतलब यह नहीं है कि यह सत्य है। मैं इस पर विचार करूंगा। मैं यह पहले ही कह चुका हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी को भी बोलने की अनुमति नहीं दूंगा। श्री बादल, क्या आप अपनी बात समाप्त करेंगे? कृपया बोलना जारी रखें और अपनी बात समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लोग क्यों इस तरह से कर रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठिये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सिद्धू, मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री सुखबीर सिंह बादल : एक राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र ने स्विस बैंक खातों और ई-मेल को प्रकाशित किया है ...*...*

...*(व्यवधान)*

मैं आश्चर्यचकित हूं कि इस मामले पर भारत सरकार ने कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया दूसरों के विरुद्ध आरोप न लगाएं। इसे मेरे पास लाए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप जिम्मेदार तरीके से बर्ताव क्यों नहीं करते हैं?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। इसे मुझे दिखाइएं। मैं इसे देखूंगा। श्री बादल, ठीक है। यह अति है। आपने अपनी बात रख ली है।

.... अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

...*(व्यवधान)*

श्री सुखबीर सिंह बादल : अगर वहाँ विपक्ष की सरकार होती तो प्रधानमंत्री, यह सरकार उस सरकार को बर्खास्त कर चुके होते। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपका नाम नहीं लिया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे निर्देश मत दीजिए। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। मैं अनुमति नहीं दूंगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुमति दी है। मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है। आप बाधा खड़ी कर रहे हैं और उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी अन्य कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी अन्य कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। मात्र श्री बादल का वक्तव्य कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जायेगा। यह मुझे दिखाया जाना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

श्री सुखबीर सिंह बादल : यदि कोई बड़ा घोटाला हुआ है तो इसकी जांच की जानी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपके एसोशियेशन की जरूरत नहीं है

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सुखदेव सिंह ढींडसा और श्री नवजोत सिंह सिद्धू का नाम जोड़ दिया जाएगा।

अब सभा अपराह्न 2.15 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 1.14 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.15 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.19 बजे

लोकसभा मध्याह्न भोजन के पश्चात अपराह्न 2.19 बजे पुनः समवेत हुई

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

सभापटल पर रखे गए पत्र - *जारी*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुरेश पचौरी अपने नाम के आगे उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखें।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 2004 जो 7 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 258 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर स्ट्रेंथ का नियतन) चौथा संशोधन विनियम, 2004 जो 7 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 259 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय वन सेवा (काडर स्ट्रेंथ का नियतन) संशोधन विनियम, 2004 जो 7 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 260 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन विनियम, 2004 जो 7 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 261 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर स्ट्रेंथ का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 2004 जो 21 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 275 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 2004 जो 21 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 276 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर स्ट्रेंथ का नियतन) पांचवां संशोधन विनियम, 2004 जो 9 अक्तूबर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 339 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) पांचवां संशोधन नियम, 2004 जो 9 अक्तूबर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 340 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर स्ट्रेंथ का नियतन) छठा संशोधन विनियम, 2004 जो 16 अक्तूबर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 347 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) छठा संशोधन नियम, 2004 जो 16 अक्तूबर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 348 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) सातवां संशोधन नियम, 2004 जो 6 नवम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 380 में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर स्ट्रेंथ का नियतन) सातवां संशोधन विनियम, 2004 जो 6 नवम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 381 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 1390/2004]

(2) (एक) केन्द्रीय भंडार, नई दिल्ली के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(एक) केन्द्रीय भंडार, नई दिल्ली के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 1391/2004]

(3) केन्द्रीय सर्तकता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 23 की उपधारा (2) के अंतर्गत केन्द्रीय सतर्कता आयोग (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश, 2004 जो 1 अक्तूबर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 654 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 1392/2004]

(4) (एक) सिविल सर्विसिज ऑफीसर्स इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिविल सर्विसिज ऑफीसर्स इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 1393/2004]

अपराह्न 2.20 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा नियम 377 के अधीन मामलों के अंतर्गत मद संख्या 27 लेगी।

(एक) आन्ध्र प्रदेश में तम्बाकू के और अधिक नीलामी प्लेटफार्म खोलने तथा जिन क्षेत्रों में फसल की कटाई जल्दी होती है वहां अगले वर्ष जनवरी के प्रारम्भ में खरीद का कार्य आरंभ किए जाने की आवश्यकता

श्री एम. राजा मोहन रेड्डी (नरसारावपेट) : महोदय, इस वर्ष आंध्र प्रदेश में तम्बाकू उत्पादन में वृद्धि हुई है। वर्ष 1985 में उत्पादन 850 लाख कि.ग्रा. था तथा त्वरित खरीद के लिए 23 नीलामी प्लेटफार्म खोले गए थे। वर्ष 2004–05 में तम्बाकू का उत्पादन इसकी 1010 लाख कि.ग्रा. की अनुमत्य सीमा से संभवतः कहीं अधिक होगा। नीलामी प्लेटफार्मों की संख्या कम करके 21 करने से तथा अपेक्षाकृत कम प्लेटफार्मों से विलम्बित खरीद के कारण तम्बाकू की गुणवत्ता तथा भार प्रभावित होंगे। यह उल्लेखनीय है कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तम्बाकू की मांग अधिक है। अतः, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह आंध्र प्रदेश में अधिक नीलामी प्लेटफार्म खोले तथा पोडिली, कानीगिरी, डी.सी. पाली तथा कुन्दुकुर जैसे दक्षिण में हल्की मृदा वाले क्षेत्रों में मौजूदा प्लेटफार्मों से 10 जनवरी, 2005 तक तम्बाकू की खरीद करे क्योंकि इन क्षेत्रों में फसल की शीघ्र कटाई शुरू हो जाती है। मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि किसानों को अपने उत्पादों के लिए पर्याप्त वाजिब दाम दिए जाने चाहिए।

(दो) जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में दूरदर्शन कार्यक्रमों को पर्याप्त कवरेज दिए जाने के उद्देश्य से जम्मू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में दूरदर्शन के और अधिक स्टुडियो स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री मदन लाल शर्मा (जम्मू) : महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्र तथा सीमा क्षेत्र हैं। राजौरी, पुंछ आदि जैसे क्षेत्रों में दूरदर्शन का प्रसारण बहुत खराब और कल्पनातीत है। वहां पाकिस्तान टेलीविजन चैनल बहुत स्पष्ट आते हैं जबकि दूरदर्शन के कार्यक्रम दिखाई नहीं देते हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों जैसे थन्ना मंडी, बुद्दल, धराल, मंजाकोट, डोंगी, गरहाती आदि विशेषरूप से सीमा क्षेत्रों से जुड़े क्षेत्रों के लोगों ने कभी भी टेलीविजन नहीं देखा है और उन्हें देश में होने वाली घटनाओं की जानकारी रखने के उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है। दूरदर्शन प्रसारण के बिना वे स्वयं को देश के अन्य भागों से कटा हुआ महसूस करते हैं।

मैं यहां यह उल्लेख अवश्य करूंगा कि राजौरी जिले में एक नए दूरदर्शन स्टुडियो की स्थापना हुई थी। तथापि, इसे अभी तक चालू नहीं किया गया है।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस मामले पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए तथा मेरे निर्वाचन क्षेत्र में और अधिक दूरदर्शन स्टूडियो खोले जाएं और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोग अपने टेलीविजन सेट पर दूरदर्शन के चैनल देखने से वंचित न हों।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों विशेष रूप से नए सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे माननीय अध्यक्ष को दिए गए मूल पाठ तथा उनके द्वारा अनुमोदित पाठ को पढ़ें। इस पाठ के अलावा कार्यवाही–वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(तीन) रामगंज-मंडी-भोपाल रेल लाइन का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री दुष्यंत सिंह (झालावाड़) : रामगंज–मंडी–भोपाल रेल लाइन के निर्माण में अत्याधिक विलंब से राजस्थान और मध्यप्रदेश के लोगों में भारी असंतोष है। बार–बार मांग किए जाने के बाद अब भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू हुआ है जिसके लिए सरकार ने 712 करोड़ रुपये की आवश्यकता की तुलना में केवल 27 करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं। प्रस्तावित लाइन रामगंज मंडी से शुरू होकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और इसके बाद मध्यप्रदेश में राजगढ़ से होते हुए भोपाल तक जाएगी।

रामगंज मंडी किसानों तथा व्यापारियों के लिए विश्व के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। रेल लाइन पूरी होने पर दोनों राज्यों में रहने वाले किसानों को बहुत फायदा होगा और उनका व्यापार समृद्ध होगा क्योंकि रेलगाड़ी से रामगंज मंडी तक सीधा पहुंचा जा सकेगा। इसके अलावा, इस लाइन से दोनों राज्यों के बीच पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि इन राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले लोग रेलगाड़ी की सुविधाओं का सर्वोत्तम उपयोग कर पाएंगे। इस रेल–लाइन से राजस्व की एक बड़ी राशि अर्जित होगी जो राष्ट्रीय राजकोष में जाएगी।

उपरोक्त को देखते हुए मैं मांग करता हूं कि भूमि अधिग्रहण की पूरी लागत वर्ष 2004–05 के दौरान आबंटित कर दी जाए ताकि लाइन का निर्माण करने और इसे दसवीं योजना के दौरान प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने हेतु आगे और कदम उठाए जा सकें।

(चार) कर्नाटक में छोटी एवं मझौली सिंचाई परियोजनाओं को आरंभ करने हेतु कर्नाटक सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री जी. करूणाकर रेड्डी (बेल्लारी) : वर्ष 1945 में कर्नाटक

मे तुंगभद्रा बांध का निर्माण हुआ था जिसकी संचयन क्षमता 133 टी. एम.सी. है। किसानों को इस बांध से काफी फायदा हुआ है। हाल में ही इस बांध की संचयन क्षमता गाद के कारण कम हुई है और इसकी वर्तमान क्षमता 111.50 टी.एम.सी. है। इसकी संचयन क्षमता 21.5 टी.एम.सी कम कर दी गई है। कम मात्रा में जल संचय के कारण सभी किसानों को कम पानी दिया जा रहा है जिससे किसानों को करोड़ों की हानि हो रही है। किसान बार-बार आंदोलन कर रहे हैं जो क्षेत्र में नियमित रूप से कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ रहे हैं।

इस समस्या के समाधान के लिए कर्नाटक सरकार के सिंचाई विभाग ने 653 करोड़ रुपये की कुल लागत से 13 टी.एम.सी. जल भण्डारण संचयन के लिए 12 स्थानों की पहचान की है। लेकिन कर्नाटक सरकार ने अभी तक इन लघु-परियोजनाओं को शुरू नहीं किया है।

मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे। विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक आदि से ऋण अथवा सहायता के माध्यम से यह राशि प्रदान की जाए।

(पांच) कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ क्षेत्र में बेल्लारी-मंगलोर सड़क की क्षति से रक्षा करने के उद्देश्य से निर्यातोन्मुख औद्योगिक कच्चे माल को ढोने वाले भारी वाहनों के आवागमन का मार्ग बदले जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्रीमती मनोरमा माधवराज (उदुपी) : राष्ट्रीय राजमार्ग-17 दक्षिण कन्नड़ की जीवन रेखा है और इस क्षेत्र के लोगों को सुरतकल-कुंडापुरा खंड को चार लेन बनाने सहित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के व्यापक विकास कार्यक्रम से बहुत आशाएं थीं। इस खंड पर कार्य अभी उस तरह नहीं हो रहा है जैसे कि केरल के निकटवर्ती जिलों से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-17 के खंड पर हो रहा है। बंगलोर से मंगलोर पत्तन तक स्वर्णिम चतुर्भुज के साथ पत्तन को जोड़ने का कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है।

बेल्लारी से मंगलोर पत्तन तक निर्यात के लिए लौह अयस्क ले जाने वाले वाहनों के भारी यातायात के कारण इस क्षेत्र में सड़कों की हालत खराब हो गई है। सड़कें भारी यातायात के लिए उपयुक्त नहीं हैं और इसके कारण सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पर भी खराब असर पड़ा है। इसके अतिरिक्त एम आर पी एल, एम आर सी पी, एम एफ एल इत्यादि के लिए निर्यात-आयात कारगो से भी सड़कों की हालत खराब होती है। चूंकि मंगलोर-हासन रेल सम्पर्क आमान परिवर्तन के कारण टूट गया है इसलिए पहले रेल द्वारा ढुलाई किए जाने वाले माल की अब ट्रकों और लारियों द्वारा अपनी क्षमता से अधिक ढुलाई की जा रही है।

अतः यह आवश्यक है कि दक्षिण कन्नड़ में सड़कों को और नुकसान से बचाने के लिए बेल्लारी से औद्योगिक कच्चे माल यथा लौह-अयस्क इत्यादि को चेन्नई भेजने के लिए भारी वाहनों की बजाय रेल वैगनों का प्रयोग किया जाए।

(छह) उत्तर प्रदेश के बरेली में मीरगंज तथा पश्चिमी फतेहगंज में रेल उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार (बरेली) : उपाध्यक्ष महोदय, बरेली उत्तर प्रदेश का मुख्य महानगर है तथा यह दिल्ली-लखनऊ के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर स्थित है। उक्त मार्ग पर यातायात बहुत अधिक है तथा इस राजमार्ग के मीरगंज (जनपद बरेली) तथा फतेहगंज पश्चिमी (जनपद बरेली) पर रेल क्रासिंग के कारण यातायात अक्सर काफी समय के लिए रूक जाता है। इन स्थानों पर रेल ओवर ब्रिज के निर्माण की मांग काफी समय से की जा रही है तथा रेल व भूतल परिवहन मंत्रालयों को इसकी आवश्यकता बतायी जा चुकी है। मेरा संबंधित मंत्रालयों से आग्रह है कि आवश्यकता व अधिक यातायात की समस्या को ध्यान में रखते हुए इन स्थानों पर प्राथमिकता के आधार पर रेल ओवर ब्रिज बनाए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाई करें।

(सात) आंध्र प्रदेश में हथकरघा क्षेत्र को पुनरूज्जीवित करने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डा. बाबू राव मिडियम (भद्राचलम) : महोदय, आंध्र प्रदेश में हथकरघा बुनकरों की दुर्दशा बहुत ह्रदय विदारक है। पिछले 100 दिनों में 300 हथकरघा बुनकरों ने भूख तथा गरीबी के कारण आत्महत्या कर ली जिनमें से अधिकांशतः करीमनगर और चिराला में हुई। स्थिति चिंताजनक और शोचनीय है। बुनाई क्षेत्र को सूत की कीमतों में वृद्धि, सूत की कम आपूर्ति, विद्युतकरघा से प्रतिस्पर्धा तथा सबसे ज्यादा आरक्षण अधिनियम के उल्लंघन, जिसमें 11 वस्तुओं का उत्पादन केवल हथकरघा क्षेत्र के लिए आरक्षित करने की व्यवस्था की गई है, के कारण भारी नुकसान हुआ है। इसके परिणामस्वरूप हथकरघा माल का भंडार बढ़ता जा रहा है। बुनकर बेरोजगार हो गए हैं और दरिद्रता, भुखमरी, ऋण-जाल के कारण

नारकीय जीवन जी रहे हैं तथा आत्महत्याएं कर रहे हैं। सरकार को तुरन्त हथकरघा क्षेत्र की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए क्योंकि यह कृषि क्षेत्र के बाद दूसरा लंबे समय से परम्परागत क्षेत्र है और लाखों लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है।

(आठ) हरदोई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नदियों पर पुलों के निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती ऊषा वर्मा (हरदोई) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हरदोई संसदीय क्षेत्र में गंगा, रामगंगा, कुण्डा, गम्भीरी, नीलम व गर्रा इत्यादि 5–6 नदियां बहती हैं। इन नदियों पर पेंटून पुल के स्थान पर पक्के पुल बनायें जायें जिससे यहां की जनता और आने–जाने वाले निवासियों को आवागमन के लिए पर्याप्त सुविधा मिल सके। अतः महोदय, मेरी सरकार से मांग है कि इन पुलों में बड़ा गांव कुण्डा नदी पर अर्जुन पुल के मध्य पंटून पुल के स्थान पर पक्का पुल बनाया जाये, दहेलिया बेढ़ी जोर के मध्य कुण्डा नदी पर मध्य पुल, पलिया–किर्तियापुर के मध्य गम्भीरी नदी पर और करण मतनी के पास नीलम नदी पर अब्दुलपुंर के पास या रामपुर मजियारा के गर्रा नदी पर, अखल चौसार के पास गम्भीरी नदी पर, रसूलापुर छिबरामऊ के पास पुल बनाना अति आवश्यक है। अतः सरकार इस विषय को गम्भीरतापूर्वक निपटाये एवं उत्तर प्रदेश सरकार को इसके लिए आवश्यक धन उपलब्ध कराये।

(नौ) उड़ीसा के फूलबनी एवं अन्य भागों में मलेरिया उन्मूलन हेतु एक नई केन्द्रीय योजना आरंभ किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सुग्रीव सिंह (फूलबनी) : मलेरिया ने उड़ीसा राज्य में गम्भीर समस्या पैदा कर दी हैं। कंधमाल जिले में हर वर्ष सैंकड़ों लोगों की अकाल मृत्यु हो रही है। उड़ीसा सरकार ने मलेरिया के उन्मूलन के लिए कई कदम उठाये हैं। उसके बावजूद मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र फूलबनी में अभी भी मलेरिया फैल रहा है। जब तक केंद्र सरकार भारतीय चिकित्सा और अनुसंधान परिषद से एक नई औषधि विकसित करने के लिए नहीं कहती और प्रभावित क्षेत्रों विशेषकर फूलबनी, बौडा तथा सोनपुर जिलों में नई औषधि का प्रयोग सुनिश्चित करने हेतु कदम नहीं उठाती तब तक लोग इस घातक बीमारी से पीड़ित होते रहेंगे।

इस तरह, मैं प्रभावित जिलों में मलेरिया उन्मूलन के लिए आधुनिक तथा वैज्ञानिक तरीकों से युक्त एक नई केंद्रीय योजना को बिना और विलम्ब किए लागू करने की मांग करता हूं।

(दस) केरल के कोल्लम-विरूथनगर मीटर गेज रेल लाइन के दोनों ओर स्थित रेलवे की परती भूमि पर बसे किसानों एवं कृषि श्रमिकों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री चेंगरा सुरेन्द्रन (अडूर) : महोदय, कोल्लम–विरूथनगर मीटर गेज रेल लाइन दक्षिण रेलवे जिसका मुख्यालय चैन्नै में है, के मदुरै मंडल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है। लाइन के दोनों तरफ 100 मीटर से 500 मीटर तक वन भूमि है। 1964 में खाद्य की कमी के गम्भीर स्थिति के दौरान राज्य तथा केंद्र सरकार के प्राधिकारियों ने अधिक खाद्यान्न उगाने के विचार से भूमिहीन खेतिहर मजदूरों और किसानों को खेती करने और रहने के लिए रेलवे की जमीन अधिगृहित करने का आग्रह किया था। इस तरह अनेक किसानों और कृषि श्रमिकों ने इस भूमि में प्रमुख फसलों यथा–रबड़, नारियल, सुपारी, बादाम इत्यादि की खेती की। अब उन्हें इन पुराने पेड़ों के स्थान पर नए वृक्ष लगाने तथा अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए काटना और हटाना पड़ेगा। किंतु जब वे पेड़ों को काटने और हटाने की कोशिश करते हैं तो रेलवे सुरक्षा बल आ जाता है और किसानों को गिरफ्तार करके उन्हें जेल में डाल देता है।

इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि रेलवे सुरक्षा बल के कर्मियों को निदेश दें कि गरीब किसानों और कृषि श्रमिकों को वृक्ष काटने से न रोका जाए और उनके द्वारा अधिगृहित भूमि को उन्हें दे दिया जाए।

(ग्यारह) पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले (दक्षिण) में बी.एस.एन.एल. की मोबाइल टेलीफोन सेवा आरंभ किए जाने की आवश्यकता

श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर) : महोदय, मैं पश्चिम बंगाल में 24 परगना जिला (दक्षिण) के केनिंग, बसंती और गोसाबा क्षेत्रों में भारत संचार निगम लि. के द्वारा मोबाइल कनेक्शन सहित दूरसंचार सुविधाएं प्रदान किए जाने की बढ़ती हुई मांग के संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

प्रतिदिन सैंकड़ों पर्यटक नजदीकी पर्यटन स्थल सुंदरबन में आते हैं। पर्यटन तथा क्षेत्र की जनता की सुविधा के लिए भारत संचार निगम लि. द्वारा प्रदान की जा रही वर्तमान सुविधाएं अपर्याप्त हैं।

अनेक आश्वासनों के बावजूद भी भारत संचार निगम लि. केनिंग, बसंती, गोसाबा, संदेश खली और कुताली क्षेत्रों में मोबाइल

फोन सुविधा शुरू नहीं कर सका है जबकि निजी कंपनियों ने पहले ही बाजार पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा सरकार द्वारा सुंदरबन में बसंती में डब्ल्यू एल एल आधारित टेलीफोन केंद्र अर्थात बी टी एस स्थापित करने का वायदा अभी तक पूरा नहीं किया गया है। इसलिए, बसंती, गोसाबा और जामतला (कुलताली) में बी टी एस की स्थापना के कार्य में तेजी लाई जानी चाहिए। इसके साथ ही इस क्षेत्र में भारत संचार निगम लि. द्वारा खराब टेलीफोनों की मरम्मत में अनावश्यक विलम्ब और जनता को होने वाली कठिनाईयों के बारे में उल्लेख करना भी आवश्यक है।

अतः उपुर्यक्त क्षेत्रों में बेहतर सेवाओं के साथ मोबाइल सुविधाएं शुरू करना और बीटीएस की स्थापना करना जनता तथा भारत संचार निगम लि. के लिए निजी कंपनियों को पीछे करने के लिए बहुत मददगार होगा। यह लोक हित का महत्वपूर्ण मामला है और इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि इस मामले में तेजी से कार्यवाही की जाए।

(बारह) विदुर कुटी को हस्तिनापुर के साथ जोड़ने के लिए एक पुल का निर्माण करने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मुन्शी राम (बिजनौर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजधानी दिल्ली से 95 कि.मी. की दूरी पर स्थित हस्तिनापुर, जो कि गंगा नदी के किनारे पर है, वह कभी हस्तिनापुर राज्य का हिस्सा था, जिसमें धार्मिक स्थल पांडेश्वर मंदिर का सौन्दर्यीकरण, विदुर टीले का पुनर्निर्माण, शाकापीर की मजार का निर्माण, कर्ण सूर्य मंदिर का सौन्दर्यीकरण, कर्णघाट से द्रौपदी घाट तक झील का निर्माण, जैन धर्म के सभी दर्शनीय स्थलों का सौन्दर्यीकरण, प्राचीन महात्मा हरिदास की कुटी का निर्माण, भाई धर्म सिंह जी पंच प्यारे की जन्म स्थली सफैपुर को पूर्ण रूप से सिख धर्म के तीर्थ के रूप में विकसित करने के साथ दूसरे गंगा के किनारे पर स्थित विदुर कुटी जो कि जिला बिजनौर में स्थित है, दोनों किनारों को जोड़ने हेतु पुल का निर्माण कराये जाने से मेरठ-पौड़ी नेशनल हाईवे 119 की दूरी 40 कि.मी. कम हो जायेगी। जिससे समय की बचत के साथ-साथ उत्तरांचल, नैनीताल से जुड़ने वाली दिल्ली के लिए सफर करने वालों को डीजल एवं पैट्रोल की करोड़ों रुपये की बचत होगी।

(तेरह) जम्मू-कश्मीर राज्य में नए पर्यटन स्थलों के विकास के लिए एक व्यापक योजना बनाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर) : महोदय, मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि पर्यटन के क्षेत्र में जम्मू और कश्मीर राज्य के गौरव को पुनः वापस लाया जाए, जो राज्य के विभिन्न भागों में आतंकवाद के कारण अत्यंत प्रभावित हुआ है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राज्य द्वारा घरेलू तथा विदेशी पर्यटकों से अर्जित होने वाला राजस्व बिल्कुल अकल्पनीय है तथा राज्य वित्त पोषण के लिए केन्द्रीय सहायता पर निर्भर है।

मैं, वर्तमान स्थिति से उबरने के लिए केन्द्र सरकार से यह मांग करता हूं कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार कुछ प्रसिद्ध स्थलों जिन पर वर्तमान में कोई ध्यान नहीं दिया गया है, अथवा जहां आतंकवाद का कम जोखिम है, के विकास/उन्नयन हेतु एक व्यापक विकास कार्यक्रम आरम्भ किया जाए। रंजीत सागर बांध, बसौली, सरथल धर्मनपुर, खुकराला माता और बाला सुन्दरी-बिलावर, पाडरी तोपजाही, किश्तवाड़, पंजतिर्थी-बिलावर, गुल-हरनास-मोर, सनासर और सोरेन्सर, पटनी-टॉप, मंगल मैदान, मचैल माता, दूधू बसंत गढ़, मरवाह वर्दवान, पुंछ और राजौरी कुछ ऐसे ही पर्यटक स्थल हैं। यदि पर्यटन विभाग इन स्थलों का विकास करे तो जम्मू और कश्मीर राज्य में रोजगार के अवसरों में भी बढ़ोत्तरी होगी।

अपराह्न 2.40 बजे

प्रत्यायोजित विधायन उपबंध (संशोधन) विधेयक के स्थगन के बारे में

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब संसदीय कार्य मंत्रालय में माननीय राज्य मंत्री जी बोलेंगे।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्दिक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। आपकी अनुमति और सभा की सहमति से यह सुझाव देना चाहूंगा कि मद संख्या 28 प्रत्यायोजित विधायन उपबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2004 को कल लिया जाए क्योंकि हम तुरंत ही नियम 193 के अंतर्गत चर्चा आरम्भ करना चाहते हैं क्योंकि दोनों ही तरफ से बोलने वाले माननीय सदस्यों की संख्या बहुत अधिक है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सभा सहमत हो तो हम मद संख्या 29 ले सकते हैं।

अनेक माननीय सदस्य : जी, हीं।

श्री संतोष गंगवार (बरेली) : महोदय, यदि अनेक माननीय सदस्य इस विषय पर बोलना चाहते हैं, तो आपको समय बढ़ा देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : छः बजे के पश्चात हम इस पर विचार करेंगे।

अपराह्न 2.41 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

किसानों के समक्ष आ रही समस्याएं

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मद संख्या 29 पर चर्चा करेगी। विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा पूरा राष्ट्र इसके बारे में चिंतित है। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वे संक्षेप में बोलें ओर केवल सुझाव दें।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, देश के लाखों लोगों से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय पर छः सप्ताह की प्रतीक्षा करने के पश्चात चर्चा करने के लिए आज अनुमति दी जा रही है। हमारे देश की लगभग 75 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है।

आज हम राजस्थान के हजारों किसानों द्वारा आरम्भ किए गए आंदोलन की पृष्ठभूमि में किसानों की समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं। किसानों ने जब कृषि कार्यों तथा अपनी फसलों की सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की मांग की तो हमने देखा कि उनके विरोध प्रदर्शन को कितनी क्रूरता से कुचल दिया गया। आज हम उन छः किसानों को याद करेंगे जो राजस्थान में पुलिस फायरिंग में मारे गए। हजारों किसानों के आंदोलन और संघर्ष के पश्चात अन्ततः राजस्थान सरकार को किसानों के प्रतिनिधियों से सहमत होना पड़ा और उनकी मांगों को स्वीकार करना पड़ा।

विश्व व्यापार संगठन की शर्तों की पृष्ठभूमि में आज हम उस विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो देश की 75 प्रतिशत जनसंख्या से संबंधित है। हमने देखा कि किसान पिछले तीन चार वर्षों से किस प्रकार आत्महत्याएं कर रहे हैं। हजारों किसानों ने आत्महत्या की है। आज भी आंध्र प्रदेश के किसान आत्महत्या कर रहे हैं। केरल के किसान भी आत्महत्या कर रहे हैं। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कपास उत्पादक तथा राजस्थान और अन्य राज्यों के किसान आत्महत्या कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : पंजाब में भी।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : पंजाब में भी। हमने समाचार पत्रों में इसके बारे में पढ़ा है। ...*(व्यवधान)*

श्री दुष्यंत सिंह (झालावाड़) : पश्चिम बंगाल में भी ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : पश्चिम बंगाल में किसी ने भी आत्महत्या नहीं की है। पश्चिम बंगाल में आत्महत्या की एक भी घटना नहीं हुई है ...*(व्यवधान)*

श्री दुष्यंत सिंह : वे दो बार राजस्थान गए।

श्री बसुदेव आचार्य : चूंकि राजस्थान के छः किसानों ने आत्महत्या की है इसलिए हमें इसका उल्लेख सभा में करना होगा ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें परेशान न करें। मैं आपको भी समय दूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : किसानों को आत्महत्या क्यों करनी पड़ी? 'राजग' के छः वर्षों के शासन के दौरान उन मात्रात्मक प्रतिबंधों को पूरी तरह से हटा लिया गया जो उनके शासन काल से पहले लगे हुए थे। कृषि उत्पाद यथा अन्न से लेकर सब्जियों तक कुछ भी देश में नहीं आया। अब कोई प्रतिबंध नहीं है। भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के द्विपक्षीय समझौते के पश्चात इन प्रतिबंधों को वर्ष 2000 में हटा लिया गया। यह हमारे लिए बाध्यकारी नहीं था कि हम सन 2000 तक मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटा दें। हमारी सरकार 2003 तक प्रतीक्षा कर सकती थी क्योंकि मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाने की समय सीमा बढ़ाने के लिए यूरोपीय संघ के अनेक राष्ट्रों में सहमति हुई थी। मात्रात्मक प्रतिबंधों के हटाए जाने के कारण ही आज देश के किसानों की दुर्दशा हुई है।

विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुए हमें एक दशक से भी अधिक समय हो गया है। अब हमें समीक्षा करनी होगी, हमें चर्चा करनी होगी कि हमने क्या पाया, क्या हमारे किसानों को इससे कुछ प्राप्त हुआ और क्या देश के लोगों को इससे कुछ फायदा हुआ अथवा नहीं। आज जो हो रहा है वह हमारे विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने के कारण हो रहा है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हमें विश्व व्यापार संगठन में नहीं रहना चाहिए लेकिन इसमें रहते हुए यदि हम किसानों, हमारे देश के निर्धन वर्ग के लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं तो यह अन्याय होगा। राष्ट्र के हितों की रक्षा नहीं की जा सकती है।

आज, पेटेंट अधिनियम को संशोधित करने हेतु पुनः एक प्रस्ताव आया है। यह तीसरा संशोधन होगा। 'राजग' शासनकाल के 6 वर्षों के दौरान उन्होंने इसे दो बार संशोधित किया। यद्यपि उनके अनेक नेता 1970 के पेटेंट अधिनियम को संशोधित करने के विरूद्ध थे लेकिन जब वे सत्ता में थे तो उन्होंने दो बार उस अधिनियम को संशोधित किया।

हम संप्रग सरकार से विधेयक लाने की मांग कर रहे थे। कल इस सत्र का अंतिम दिन है। हम उनसे पुनः आग्रह कर रहे हैं वे विधेयक लाकर उसे पुरःस्थापित क्यों नहीं कर सकते हैं। इसे संयुक्त समिति अथवा स्थायी समिति को भेज दीजिए।

संशोधनकारी विधेयक के उन कतिपय उपबंधों पर राष्ट्रव्यापी चर्चा होगी जो हमारे देश के किसानों तथा फार्मास्यूटिकल उद्योग के हितों के विरूद्ध हैं। इसमें सुधार की गुंजाइश है। लेकिन यदि इस सत्र के स्थगन के पश्चात अध्यादेश प्रख्यापित होता है तो इसे संशोधित करने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। यह तत्काल कानून बन जाएगा और लागू हो जाएगा। सरकार का तर्क क्या है? इसे 1 जनवरी, 2005 तक लागू करना सरकार के लिए बाध्यकारी है। हमने सुझाव दिया है कि इसे स्थायी समिति को भेजा जाए। आप विधेयक पुरःस्थापित कीजिए। हमारे देश की जनता विधेयक के विभिन्न उपबंधों के बारे में जान पाएगी। इस पर चर्चा होनी चाहिए तथा इस विधेयक पर विचार करने तथा पारित करने के लिए जनवरी माह में विशेष सत्र बुला सकते हैं। यह विधेयक भूतलक्षी प्रभाव वाला हो सकता है जैसाकि वर्ष 1998 में किया गया था। जब वर्ष 1998 में पेटेंट कानून संशोधित किया गया था, तो इसे 1996 में भूतलक्षी प्रभाव से संशोधित किया गया था। इस विशेष मामले में ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता है? सरकार हमारे प्रस्ताव पर सहमत क्यों नहीं हो रही है?

दायित्व क्या था? हमारा दायित्व हमारे देश की जनता व हमारे किसानों के प्रति होना चाहिए न कि संयुक्त राज्य अमरीका के प्रति। वे जो भी आदेश देंगे हम उन्हें यहां क्रियान्वित करेंगे। उन्होंने हमसे कहा और हमें सलाह दी कि हम अपने दरवाजे खोल दें, उन्होंने हमें नसीहत दी कि हम 1429 मदों से मात्रात्मक प्रतिबंध हटा दें और प्रतिबंध हटा दिए गए। इसके परिणामस्वरूप हमारे देश में क्या हो रहा है? वे हमें कृषि पर राजसहायता कम करने की सलाह दे रहे हैं। हम कितना खर्च कर रहे हैं? भारत में कितने प्रतिशत राजसहायता दी जाती है? वे अमरीका में कितना खर्च कर रहे हैं? हमारी राजसहायता केवल 3 प्रतिशत है जबकि अमरीका में यह 26 प्रतिशत है।

हमारे किसानों के साथ क्या हो रहा है? अंतर्राष्ट्रीय मूल्य गिर गया है। लागत मूल्य में वृद्धि हुई है तथा बिक्री मूल्य में गिरावट आई है। यहां तक की उत्पादन लागत को ही लें। किसानों को उत्पादन लागत से कम मूल्य पर अपने उत्पाद बेचने पड़ते हैं। ऋणगृस्तता बढ़ी है। कतिपय राज्यों में जब किसानों ने अन्न उपजाने के स्थान पर नकदी फसलें, धान और गेहूं की बजाय कपास उगाने का निर्णय लिया तब अंतर्राष्ट्रीय मूल्य हमारे स्वदेशी मूल्यों की अपेक्षाकृत कहीं अधिक थे। जब उन्होंने कपास का उत्पादन शुरू किया तो अंतराष्ट्रीय मूल्य में गिरावट आ गई और यह कम हो गए।

परम्परागत खेती के स्थान पर नकदी फसलें उगाने के लिए उन्हें उधार लेना पड़ा। पिछले पांच से छह वर्षों के दौरान संस्थागत ऋण में असाधारण रूप से कमी आई है।

किसानों को महाजनों पर निर्भर होना पड़ा तथा किसानों के ऋणग्रसित होने के कारण उन्हें फायदा नहीं हो रहा था क्योंकि उन्हें अपने उत्पाद उत्पादन लागत से कम मूल्य पर बेचने पड़े। अतः वे ऋण चुकाने की स्थिति में नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप किसानों ने आत्महत्या करनी शुरू कर दी। अब हमें समाधान निकालना ही होगा।

संप्रग सरकार ने ग्रामीण ऋण दोगुना कर दिया है। हमारे कृषि मंत्री इस चर्चा का उत्तर देते हुए बताएंगे कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई नई ऋण नीति के बाद किसानों को कितना ऋण मिल रहा है। वह यह भी बताएं कि क्या किसानों को साहूकारों से जो ऋण लेना पड़ा था, उसमें कितने प्रतिशत कमी आई है और क्या ऋण प्रवाह में वृद्धि होने से समस्या का समाधान हो गया है।

मैंने राजसहायता के बारे में कहा है। मैं आयात शुल्क के बारे में कहना चाहता हूं कि यदि आप मात्रात्मक प्रतिबंध हटा देते हैं, और जब तक आयात शुल्क कम नहीं करते हैं, तब तक हमारे बाजारों में विदेशी कृषि उत्पादों की भरमार नहीं हो सकती है। इसलिए हमने विगत में देखा है कि आयात शुल्क में कमी आई है। इसके परिणामस्वरूप हमारे बाजारों पर धीरे-धीरे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का कब्जा हो गया है। ऐसा केवल कृषि उत्पादों के मामले में ही नहीं अपितु बीजों के मामले में भी हुआ है। हमारे देश में अनेक उर्वरक इकाइयां हैं। हमने विगत में देखा है कि सात यूरिया इकाइयों को बंद कर दिया गया। पहले गोरखपुर इकाई को बंद किया गया। इसके बाद बिहार की एक मात्र यूरिया उत्पादक इकाई को बंद किया गया। इसके बाद झारखण्ड में 1952 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित सरकारी क्षेत्र के पहले उपक्रम को भी, पिछले छह वर्षों के दौरान बंद कर दिया गया। यह झारखण्ड की एकमात्र यूरिया उत्पादक इकाई थी। तत्पश्चात् हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन की दुर्गापुर तथा हल्दिया इकाई को बंद कर

[श्री बसुदेव आचार्य]

दिया गया। उड़ीसा की तलचेर इकाई तथा आंध्रप्रदेश की रामागुंडम इकाई को भी बंद कर दिया गया। छह वर्षों के दौरान सात इकाइयों को बंद कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप पूर्वी राज्यों – संभवतः, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार के किसान उर्वरकों के भारी संकट का सामना कर रहे हैं।

आज मुझे उत्तर प्रदेश से एक संदेश मिला कि उत्तर प्रदेश में डी.ए.पी. की भारी कमी है। यह स्थिति केवल एक राज्य में नहीं अपितु पूर्वी क्षेत्र के अन्य सभी राज्यों – उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा – में भी यही स्थिति है। महोदय, आप जानते हैं कि देश में आलू का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। जब आलू के लिए एन. पी. के. की आवश्यकता थी तब पश्चिम बंगाल के आलू उत्पादकों को 15 दिन तक एक टन एन.पी.के. की भी आपूर्ति नहीं की गई।

अपराह्न 3.00 बजे

मुझे यह मामला कृषि मंत्री तथा उर्वरक मंत्री के साथ उठाना पड़ा। मुझे अपेक्षित रेक उपलब्ध कराने हेतु रेल मंत्री से बात भी करनी पड़ी। अंततः 15 दिन के बाद पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में एक रेक पहुंचा। अन्य राज्यों में भी यही स्थिति है। डी.ए.पी. का भारी संकट है।

अब हम यूरिया का आयात कर रहे हैं। आज हम अपनी यूरिया उत्पादक इकाइयों को बंद कर रहे हैं और हमें यूरिया आयात करना पड़ा रहा है। पिछले वर्ष 30 लाख टन यूरिया का आयात हुआ था और इस वर्ष भी स्वदेशी यूरिया उत्पादक इकाइयों को बंद करके यूरिया का आयात किया जा रहा है। लगभग सभी कृषि संबंधी आयातित वस्तुओं चाहे वह उर्वरक हो या कृषि सामग्री आदि के मूल्यों में वृद्धि हुई है।

विद्युत अधिनियम में संशोधन तथा प्रति–राजसहायता को धीरे–धीरे समाप्त करने के बाद कृषकों तथा उद्योगपतियों दोनों के लिए समान शुल्क होगा और उन्हें बिजली का उपयोग करने के लिए समान शुल्क देना होगा। इससे किसानों के लिए सिंचाई की लागत प्रभावित होगी। हमारे देश में प्रति–राजसहायता है। आज भी कुछ राज्यों में किसानों को सिंचाई के लिए निःशुल्क बिजली दी जाती है और कुछ अन्य राज्यों में प्रति मेगावाट बिजली की उत्पादन लागत से कहीं कम मूल्य पर उन्हें बिजली की आपूर्ति की जाती है। यदि प्रति–राजसहायता को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाता है तो किसानों का क्या होगा? यदि उन्हें अपेक्षाकृत अधिक शुल्क अदा करना पड़ता है तो उनकी उत्पादन लागत कितनी बढ़ेगी?

यद्यपि पेट्रोल के मूल्य में 1.25 रुपये की कमी की गई थी तथापि डीजल के मूल्य में कमी नहीं की गई। हमारे देश में किसान अपने पम्पसेटों के लिए डीज़ल का उपयोग करते हैं क्योंकि हमारे देश में अभी भी एक लाख से अधिक गांव ऐसे हैं जहां बिजली नहीं है, यद्यपि 2007 तक शत प्रतिशत बिजली प्राप्त करने की योजना है। बिहार में 36 प्रतिशत विद्युतीकरण हुआ है जिसका अर्थ है कि 64 प्रतिशत गांवों में बिजली नहीं है। इसके परिणामस्वरूप 64 प्रतिशत गांवों के किसानों को डीजल पर निर्भर रहना पड़ता है। यदि डीजल की कीमतें बढ़ाई जाती हैं तो किसान प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं और इससे उनके उत्पाद की लागत बढ़ जाती है। उर्वरक, उपकरण, डीजल, सिंचाई शुल्क और विद्युत शुल्क जैसे आदानों की लागत में वृद्धि हुई है परन्तु न्यूनतम समर्थन मूल्य में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है। यद्यपि सरकार ने इसकी घोषणा की है चाहे उसका आधार कुछ भी हो।

पूर्ववर्ती सरकार द्वारा एक दीर्घकालीन खाद्यान्न नीति संबंधी उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था और इस समिति ने विशिष्ट रूप से यह सिफारिश की है:

"कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर केन्द्र सरकार को बुवाई के मौसम से पहले ही अपनी न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति की घोषणा करनी चाहिये। कृषि लागत और मूल्य आयोग (सी.ए.सी.पी.) को एक अधिकार प्राप्त सांविधिक निकाय बनाया जाना चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करते समय उन्हें इसके केवल एफ.ए.क्यू खाद्यान्न पर लागू करना चाहिये तथा सी.ए.सी.पी. को कड़ाई से 'सी 2' उत्पादन की लागत के आधार पर लागू किया जाना चाहिए। पारिवारिक श्रम की कीमत, निजी पूंजी, अधिक उपजाऊ क्षेत्रों में भूमि का किराया सहित सभी लागतों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। सी.ए.सी.पी. को 'ए 2 + एफ.एल' के अनुमान का संकेत देना चाहिए अर्थात वास्तविक किया गया भुगतान तथा अधिक लागत वाले प्रदेशों में लगाये गए पारिवारिक श्रम की कीमत।"

मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) का निर्णय लेते समय इन सब बातों पर विचार किया जाता है। कई बार किसानों को सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य भी प्राप्त नहीं होता। जब कपास का मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी घटा दिये गए थे तो अक्तूबर में मंत्री जी को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा था। भारतीय कपास निगम ने अभी तक कपास खरीदना शुरू नहीं किया परन्तु भारतीय जूट निगम पश्चिम बंगाल में प्रतिवर्ष ऐसा करता है; इसी तरह भारतीय खाद्य निगम ने अभी तक खरीद शुरू नहीं की। अब, पश्चिम बंगाल में धान की खरीद का लक्ष्य 15 लाख टन रखा गया है। परन्तु अभी तक भारतीय खाद्य निगम द्वारा एक लाख टन धान भी नहीं खरीदा गया है।

भारतीय खाद्य निगम को सीधे किसानों से धान खरीदना चाहिए न कि मिल मालिकों के माध्यम से। अब हो क्या रहा है कि मिल मालिक सीधे किसानों से धान खरीद रहे हैं परन्तु वे न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दे रहे हैं। इसका कारण यह है कि कटाई के समय छोटे किसान अपना उत्पाद जल्दबाजी में बहुत कम मूल्य पर बेच देते हैं। अफरा–तफरी में की गई इस बिक्री को रोकने के लिए एफ.सी.आई. को कटाई शुरू होने से पहले बाजार में आना चाहिए ताकि किसानों को एक कुंतल धान भी औने–पौने दामों पर बेचना न पड़े।

महोदय, केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करना ही सरकार का उत्तरदायित्व नहीं है। सरकार का उत्तरदायित्व यह देखना भी है कि जो मूल्य घोषित किया जाए, जिसमें अभिजीत समिति की सभी सिफारिशें समाविष्ट हैं; वह किसानों को मिलना भी चाहिए। कई राज्यों में स्थिति यह है कि वास्तविक धरातल पर ऐसा हो नहीं रहा है।

छठी पंचवर्षीय योजना से हम देख रहे हैं कि धीरे–धीरे कृषि क्षेत्र में पूंजी घट रही है। यह गिरावट पांचवी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी और नौंवी योजना में यह पूरी तरह स्थिर हो गयी है।

सिंचित क्षेत्र में कोई वृद्धि नहीं हुई है। इसमें स्थिरता आ गयी है। वर्ष प्रतिवर्ष सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र की प्रतिशतता में गिरावट आयी है। वर्ष 1995–96 तक यह 1.6 प्रतिशत था। धीरे–धीरे इसमें कमी आयी और आज यह केवल 1.3 प्रतिशत है। इसी तरह योजना दर योजना इस क्षेत्र में लगी पूंजी में कमी आयी है।

उत्तरवर्ती पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि क्षेत्र में निवेश कम हो रहा है। छठी पंचवर्षीय योजना में यह 6.1 प्रतिशत था जो घटकर आठवीं पंचवर्षीय योजना में 5.2 प्रतिशत हो गया और आज मात्र 3.2 प्रतिशत रह गया है। कृषि क्षेत्र में पूंजी और पूंजी निवेश का प्रभाव ग्रामीण रोजगार पर भी पड़ता है। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत 37.5 करोड़ लोगों में से 22 करोड़ खेतिहर मजदूर हैं। यदि इस क्षेत्र में पूंजी निर्माण या निवेश धीमा होता है या इसमें कोई कमी आती है तो इसका प्रभाव खेतिहर मजदूरों के रोजगार और उनकी मजदूरी पर पड़ता है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ रही है।

कल लोकसभा में एक विधेयक पुरःस्थापित हुआ था जिसमें प्रावधान किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार के कम–से–कम एक व्यक्ति को साल भर में 100 दिनों का रोजगार दिया जाना चाहिए। यदि इसे पूरी ईमानदारी से लागू किया जाये तो इससे निश्चित रूप से पूरी तरह नहीं बल्कि आंशिक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सहायता मिलेगी। यह पंचायती राज व्यवस्था या राज्य सरकार पर निर्भर करेगा तथा इसमें सुधार की भी आवश्यकता है। इसमें कुछ प्रावधान भी हैं जो कि बेरोजगारी भत्ता जैसे प्रावधानों के कार्यान्वयन के विरोधी हैं। यह एक केन्द्रीय विधान है और इसी कारण इसमें सारी जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है। यह राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में सम्मिलित है और राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यू.पी.ए.) का कार्यक्रम है जिसका हम वामपंथी दल बाहर से समर्थन कर रहे हैं। चूंकि यह यू.पी.ए. सरकार का एक कार्यक्रम है और रोजगार उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व भी उन्हीं का है यदि रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो बेरोजगारी भत्ता देने का उत्तरदायित्व भी केन्द्र सरकार का होगा। यह उत्तरदायित्व राज्य सरकार को नहीं दिया जाना चाहिए। बेरोजगारी भत्ता देने के लिए राज्य सरकार को धन कहां से मिलेगा?

यह सब उदारीकरण, वैश्वीकरण और विश्व व्यापार संगठन की शर्तों की नीति के कारण ही है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, आपने पहले ही आधे घंटे से अधिक का समय ले लिया है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, यह एक महत्वपूर्ण विषय है। मुझे और समय दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आपने सुझाव देने के लिए कहा था।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, कृषि विषय पर यह मेरा एकमात्र भाषण है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आपको सुझाव देने चाहिए। आप स्पीच दे रहे हैं। अब आप कन्क्लूड करें।

श्री नीतीश कुमार (नालन्दा) : एग्रीकल्चर पर आचार्य जी की मेडन स्पीच है। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : हम बिहार के लिए बोल रहे हैं, आपके अखबार में भी छपेगा। आपकी सरकार ने आपके कारखाने बंद कर दिये हैं?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए। आप कृपया पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

[श्री बसुदेव आचार्य]

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य : उपाध्यक्ष जी, नीतीश जी और हम, पहले एक साथ बैठते थे ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

बहुत से राज्यो में भूमि परिसीमन अधिनियम को पलटने के प्रयास किये गए हैं। छोटे और सीमान्त किसानों को औद्योगीकरण के उद्देश्य से अपनी भूमि छोड़ने को बाध्य किया जा रहा है। हमने देखा है कि वर्षों से बंजर भूमि या अवक्रमित वनभूमि में रह रहे आदिवासियों को वहाँ से हटाया गया। उन्हें उच्चतम न्यायालय के निदेशों के कारण हटाया गया और हजारों आदिवासी किसानों को कोई सुरक्षा नहीं दी गयी। मैं सुझाव देना चाहूंगा कि देश के किसानों की सुरक्षा के लिए सरकार को नई कृषि नीति लानी चाहिए, और वह तीन वर्ष पूर्व वर्ष 2000 में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा घोषित की गई नीति पर अमल रोक देना चाहिए। वह नीति छोटे और सीमान्त किसानों के हित में नहीं थी। सरकार को एक वैकल्पिक कृषि नीति लानी चाहियें ताकि देश के किसानों की रक्षा की जा सके। उन्हें अपना उत्पाद उत्पादन लागत से कम मूल्य पर न बेचना पड़े और उसका लाभकारी मूल्य मिले। हम लाभकारी मूल्यों के पक्ष में है।

मात्रात्मक प्रतिबन्धों की भी समीक्षा की जानी चाहिए। हमें यह भी देखना है कि क्या मात्रात्मक प्रतिबन्धों को हटाये जाने से हमारे किसान लाभान्वित हुए या नहीं। हमारा यह अनुभव रहा है कि इससे किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। इससे केवल बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को ही लाभ हुआ। कटाई शुरू होने से पहले ही भारतीय खाद्य निगम को बाजार में आ जाना चाहिए ताकि छोटे-किसान अपने उत्पाद को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने को बाध्य न हों। कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाया जाना चाहिये। सिंचाई के क्षेत्र में 27,000 करोड़ रुपये की राजसहायता दी जाती है। अमरीका अपने देश के एक हेक्टेयर भूमि वाले किसान को कितनी राजसहायता दे रहा है। यह प्रति हेक्टेयर 550 अमरीकी डालर है।

हम उनके साथ प्रतिस्पर्धा कैसे कर सकते हैं? किसानों की सुरक्षा के लिए दी जा रही राजसहायता को बढ़ाया जाना चाहिए ताकि किसानों की उत्पादन लागत अर्थक्षम हो सके।

इसी तरह किसानों के हित में विद्युत शुल्क के मामले में प्रति राजसहायता जारी रखी जानी चाहिए।

अंत में परन्तु महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे यहां भूमि सुधारों की अत्याधिक आवश्यकता है। आज भी हमारे देश की 30 प्रतिशत भूमि पर 7 प्रतिशत जनसंख्या का कब्जा है। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्यों में भूमि सुधारों को रखा गया है। परन्तु स्वतंत्रता के बाद पिछले 57 वर्षों में भूमि सुधारों को वास्तव में कार्यान्वित नहीं किया गया है। आज हमारे देश में भूमिहीन कृषि मजदूरों की संख्या काफी अधिक है। परन्तु पश्चिम बंगाल का अनुभव हमें दिखाता है कि कैसे घाटे वाला एक राज्य आज अतिरिक्त उत्पादन वाला राज्य बन गया है। आज हम चावल के लिए पंजाब या हरियाणा पर निर्भर नहीं हैं। आज हम उत्पादन कर सकते हैं अपने राज्य के लोगों का पेट भर सकते हैं और दूसरे राज्यों को भी इसकी आपूर्ति कर सकते हैं। अब हमारा राज्य अतिरिक्त उत्पादन करने वाला राज्य है। इसका कारण है पश्चिम बंगाल में भूमि सुधारों को लागू करना। वहाँ पर एक भी किसान ऐसा नहीं है जिसके पास निर्धारित सीमा से अधिक भूमि हो।

महोदय, हमारे देश में जो भी वितरण किया जाता है उसका 25 प्रतिशत केवल पश्चिम बंगाल के माध्यम से वितरित किया जाता है। अन्य राज्यों को इसका अनुसरण किया जाना चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था की प्रगति हो और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की सम्भावनाएं बढ़ें। इससे हम भूमिहीन किसानों की समस्या हल कर पायेंगे जो कि कृषि पर निर्भर है।

महोदय, जैसे कि यह राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में भी सम्मिलित है, हम इस सरकार से यह आशा करते हैं कि कृषि पर जोर दिया जाएगा और कृषि क्षेत्र में पर्याप्त निवेश किया जायेगा। मैं मांग करता हूं कि सरकार को कृषकों, किसानों और कृषि कामगारों के विभिन्न संगठनों के साथ परामर्श करके एक वैकल्पिक कृषि नीति लानी चाहिए। हमें उन किसानों के लिए यह करना होगा जिन्होंने इस देश को आत्म-निर्भर बनाया है, हालांकि पिछले दो वर्षों में उत्पादन में गिरावट आई है। यदि किसानों को आत्महत्या करनी पड़ रही है तो हम सभी को इस पर गंभीरता से विचार करना होगा तथा हमें कोई हल ढूंढना होगा कि हम कैसे अपने देश के लाखों किसानों को गरीबी, भुखमरी और शोषण से बचा सकते हैं।

अब तक प्राप्त अपने अनुभवों के आधार पर एक वैकल्पिक कृषि नीति लाकर तथा पिछले एक दशक से जारी नीति को बदलकर हम अपने देश के किसानों और अपने देश को सुरक्षित रखने में सक्षम हो पाएंगे।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, श्री शिवराज सिंह चौहान।

[हिन्दी]

मेरा एक सबमिशन है कि ऑनरेबल मैम्बर्स केवल सुझाव दें

ताकि वे इस चर्चा में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा ले सकें। मेरे पास बहुत लम्बी लिस्ट आ चुकी है।

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अभी प्रारम्भ ही नहीं किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह मेरा फर्ज है कि मैं आपको पहले बता दूं कि आप सजेशन्स दें, ज्यादा टाइम न लें, नहीं तो सारी रात आप लोगों को बैठना पड़ेगा।

श्री शिवराज सिंह चौहान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि किसानों की समस्याओं की चर्चा की शुरूआत हमारे विद्वान मित्र श्री बसुदेव आचार्य ने की है। उन्होंने खेतिहर किसानों की चर्चा की लेकिन उसके पहले उन्होंने किसानों पर राजनीति कर दी। उन्होंने प्रारम्भ में राजस्थान के किसानों का जिक्र किया लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राजस्थान में किसानों का आन्दोलन पानी की कमी के कारण से शुरु हुआ। पानी की कमी क्यों हुई? इसका कारण यह था कि पंजाब ने राजस्थान के हिस्से का पानी नहीं दिया। इस संबंध में राजस्थान से भाजपा, कांग्रेस के सांसद माननीय प्रधान मंत्री जी के पास पानी की समस्या लेकर गये और उनसे कहा कि वह पानी की समस्या का समाधान निकालें लेकिन उन्होंने भी लाचारगी दिखाई, सहानुभूति दर्शायी लेकिन समस्या के समाधान के लिए कोई प्रयास नहीं किया। यह समस्या इन लोगों के कारण पैदा हुई और इस समस्या में आग भी इन लोगों ने लगाई और दोष हम लोगों पर देते हैं। यह बात ठीक नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों की समस्याओं पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विचार करें और उन समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास करें।

उपाध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान है जहां 73 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है और उनमें भी 70 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर करते हैं। जैसा कि आचार्य जी बतला रहे थे कि अधिकांश किसान यानी 78 प्रतिशत किसानों के पास एक से दो हैक्टेयर जमीन है। वह छोटा किसान है, सीमान्त किसान है और रात-दिन मेहनत करता है। वह खून-पसीना एक करता है। वह अकेला ही नहीं, उसमें उसकी पत्नी और बच्चे भी मेहनत करते हैं। रात-दिन मेहनत करने के बाद भी कुछ किसान ऐसे हैं जिनके यहां वास्तव में चूल्हा नहीं जलता। वह गेहूं पैदा करता है और सारे हिन्दुस्तान का पेट भरता है लेकिन उसके पास दोनों समय का भोजन नहीं होता है। वह गन्ना पैदा करता है जिससे गुड़ और शक्कर बनती है लेकिन उसके बच्चे शक्कर को तरस जाते हैं। वह कपास पैदा करता है और सारे हिन्दुस्तान को कपड़ा पहनाता है लेकिन उसके बच्चों के पास तन ढंकने के लिए कपड़ा नहीं होता। हमारे किसानों की आज ऐसी स्थिति हो गई है कि वह कर्ज के जाल में फंसकर रह जाता है। यह न केवल इस सदन के लिए बल्कि पूरे देश के लिये शर्म की बात है। आज किसान आत्महत्या करने के लिए विवश है।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले 6 महीने में केवल आंध्र प्रदेश में 200 दिनों में 2000 किसानों ने आत्महत्या की है। हर रोज़ 10 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। केवल आंध्र प्रदेश में ही नहीं बल्कि केरल में 419, कर्नाटक में 467, महाराष्ट्र में 350 किसानों ने आत्महत्यायें की हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया टीका-टिप्पणी मत कीजिए। माननीय सदस्य श्री शिवराज सिंह चौहान के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा कि किसान आत्महत्यायें कर रहे हैं, यह सच्चाई है। इस सच्चाई से मुंह मोड़कर न हम किसानों का भला करेंगे और न इस देश का भला करेंगे। सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जगन्नाथ जी, किसी का रिकार्ड पर नहीं जा रहा है।

[अनुवाद]

कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, इस समस्या का समाधान खोजने के लिए हम सब मिलकर प्रयास करें। किसान आत्महत्यायें कर रहे हैं, यह सच्चाई है। आखिर किसान आत्महत्या क्यों करता है? किसानों के पास खेती के लिए पूंजी नहीं होती है और उसके लिए वह कर्ज लेता है। कर्जा लेने के भी दो माध्यम हैं। या तो वह साहूकार से कर्जा लेगा या बैंक से कर्जा लेगा। अगर साहूकार से कर्जा लेता है तो वह पठानी ब्याज वसूल करता है। छोटे किसानों को बैंक से कर्जा आसानी से नहीं मिलता। मैं

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री शिवराज सिंह चौहान]

व्यावहारिक बात करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, बैंक से कर्जा लेते समय बिना कुछ लिये-दिये कर्जा मिलता ही नहीं है। एक किसान ने मुझे बताया कि उसने विद्युत मोटर के लिए कर्जा लिया। उसे 22 हजार रुपये का कर्जा मंजूर हुआ और मोटर 17 हजार रुपये में आई। दुकानदार सीधा पैसा लेता है लेकिन उसके ऊपर 22 हजार का ब्याज चढ़ गया। मुझे बताया गया कि किसान 28 हजार रुपया दे चुका है और 32 हजार रुपया उस पर बाकी है। अब कैसे वह कर्जा चुकायेगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। कर्जा लेकर वह खेती करता है। उस पर ब्याज भी इतना लगता है जिसका कोई हिसाब नहीं। चक्रवृद्धि ब्याज उस पर लगता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, जिसे वह देते-देते परेशान हो जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम कोई ऐसा नियम जरूर बनायें कि किसान जितना कर्जा ले, उसके डेढ़ गुने से ज्यादा वसूली न की जाए। अगर किसान पचास हजार कर्जा लेता है तो 75 हजार रुपये वापिस ले लो। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के चक्कर में वह ऐसा फंसता है कि फिर वह आने वाली पीढ़ी पर कर्जा सौंपकर मरता है और कोई रास्ता उसके पास नहीं बचता। कर्ज लेकर फसल बोये और यदि उसकी फसल आ गई, तो जैसा बसुदेव आचार्य जी कह रहे थे कि जब वह उसे बेचने के लिए जाता है तो उसका लागत मूल्य नहीं निकलता है। उसकी खून-पसीने की कमाई उसमें से नहीं निकलती है। अगर लागत मूल्य नहीं निकलेगा, तो जो कर्ज उसने लिया है, वह कर्जा कहां से चुकायेगा। वह साल भर का खर्चा कैसे चलायेगा। अगले साल खाद और बीज के लिए जो पैसे का उसे इंतजाम करना है, वह इंतजाम कहां से करेगा। इसलिए यह बात सर्वदा उपयुक्त है कि पहले किसी फसल के उत्पादन में कितना आता है, वह लागत मूल्य निकले और उस लागत मूल्य में हम किसान का परिश्रम जोड़ें, जो खून-पसीना वह बहाता है. जो मेहनत वह करता है, उसे भी उसमें जोड़ें और उसके ऊपर जब तक आप लाभकारी मूल्य की गारंटी सुनिश्चित नहीं करेंगे, तब तक किसान कर्ज के चक्कर से मुक्त नहीं हो सकता। आज स्थिति यह है कि किसान जो चीज पैदा करता है, वह सस्ती बिकती है, लेकिन उसी कच्चे माल से कोई उद्योगपति जब कोई दूसरी चीज बनाता है तो वह महंगी बिकती है। गन्ना सस्ता है, लेकिन शक्कर महंगी है। आलू सस्ता है, लेकिन आलू के चिप्स महंगे है। टमाटर सस्ता है, लेकिन टमाटो कैच-अप महंगा है। कपास सस्ती है, लेकिन कपास का कपड़ा महंगा है। इस तरह से किसान जो पैदा करता है और जब किसान के घर आती है तो वह सस्ती होती है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र समर्थन मूल्य की बात कर रहे थे। सही बात यह है कि हम जो समर्थन मूल्य निर्धारित करते हैं, उसका लागत मूल्य से कोई वास्ता नहीं होता है। पिछले साल अगर आप देखें, तो जितनी भी चीजें खेती के काम में लगती हैं, चाहे खाद हो, बिजली की कीमत हो, डीजल हो, पेस्टीसाइड हो, सबके दाम लगभग चालीस परसेंट बढ़े और गेहूं का समर्थन मूल्य हमने दस रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़ाया। माननीय कृषि मंत्री जी यह ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है। खेती के काम आने वाली चीजों के दाम चालीस परसेन्ट बढ़े और समर्थन मूल्य केवल एक परसेन्ट हमने बढ़ाया – इस तरह से किसानों के साथ कैसे न्याय होगा। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ किसानों की चीजें सस्ती बिकती हैं और वही चीजें उपभोक्ताओं को महंगी मिलती है। इससे बचने के लिए कोई ऐसा उपाय किया जाए जिससे किसान जो चीजें पैदा करता है और उपभोक्ताओं के पास जो चीजें जाती हैं, उनके दामों में कोई न कोई संतुलन हो। किसान को भी उसकी चीजों के उचित दाम मिलें और उपभोक्ताओं को भी वे ठीक दामों में मिलें, आज इस बात का प्रयास करने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि किसान का लागत मूल्य नहीं निकलता है और ऐसी स्थिति में अगर कोई प्राकृतिक विपत्ति आ जाए तो किसान की फसल नष्ट हो जाती है। हम लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, जो किसान हैं। कई बार किसानों की लहलहाती फसलें खड़ी होती हैं। किसान उसमें अपना पसीना लगाता है, पैसा भी लगाता है। लेकिन फसल कटने के पहले कोई प्राकृतिक विपदा फसल को नष्ट कर देती है, जैसे कभी बाढ़, सुखाड़, ओले, इल्ली, पाले आदि से किसान की फसलें पूरी तरह से बरबाद हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, फिर किसान कहीं का नहीं रहता है। ऐसे में सरकार क्या करती है। सरकार ज्यादा से ज्यादा इतना करती है वह कर्ज की वसूली स्थगित कर देती है, लगान की वसूली स्थगित कर देती है। लेकिन फिर अगले साल ब्याज लगाकर उसी कर्ज को पूरी तरह से वसूल करती है। कम से कम ऐसी व्यवस्था हो जाए कि प्राकृतिक विपदा के कारण अगर किसान की फसल नष्ट होती है और सरकार कर्ज वसूली स्थगित करती है तो उस कर्ज का ब्याज तो पूरा माफ किया जाय। हालांकि इसमें किसान का कोई दोष नहीं होता, उसकी गलती के कारण फसल नष्ट नहीं होती है, लेकिन अगर किसान की फसल नष्ट हो जाती है तो पूरे साल का कर्जा माफ करने की योजना होनी चाहिए।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि बीमा की कुछ योजनाएं हैं, लेकिन बीमे की योजनाएं भी भगवान पर निर्भर हैं, इसमें प्रीमियम की राशि तो जमा हो जाती है, जब किसान कर्ज लेता है, कोऑपरेटिव बैंक से, भूमि विकास बैंक से लेता है, वहां प्रीमियम की राशि काट लेते हैं। लेकिन किसान को उस बीमे का मुआवजा नहीं

मिलता। एक बार मेरे क्षेत्र में किसानों की फसलें नष्ट हो गईं। हमने अधिकारियों से कहा कि इनका बीमा था, इनको मुआवजा दीजिए। उन्होंने कहा कि इन्हें मुआवजा नहीं मिल सकता। हमने पूछा क्यों नहीं मिल सकता। उन्होंने कहा कि बीमे के लिए जो इकाई मानी जाती है वह पूरी तहसील इकाई मानी जाती है और तहसील को इकाई मानने का अर्थ यह है कि पूरी तहसील में 66 परसेन्ट से ज्यादा किसानों का अगर नुकसान होगा तब हम इन्हें मुआवजा दे पायेंगे। एक किसान की पूरी फसल नष्ट हो जाए तो मुआवजा नहीं मिलेगा। दस गांवों के किसानों की फसलें नष्ट हो जाएं तो भी मुआवजा नहीं मिलेगा। मुआवजा तभी मिलेगा जब पूरी तहसील की फसल नष्ट हो जाए। अगर एक गाय मरती है और अगर गाय का बीमा है तो मुआवजा मिलता है। अगर आदमी मर जाए और उसका बीमा है तो मुआवजा मिलता है। वहां यह नहीं कहते कि पूरी तहसील के आदमी मर जाएं, तब मुआवजा मिलेगा। लेकिन अगर किसान की फसल नष्ट हो जाए तो वह भगवान से प्रार्थना करे कि हे भगवान, सबकी फसल नष्ट कर दे। यदि सबकी फसल नष्ट होगी तो मुझे मुआवजा मिलेगा। ऐसी बीमे की योजना केवल बीमा कंपनियों को लाभ पहुंचा सकती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसानों को इससे कोई लाभ नहीं पहुंचने वाला। बिजली की बात कर रहे थे। हम आज कहते हैं कि किसान को प्रतिस्पर्धा में उतरना पड़ेगा लेकिन कैसी प्रतिस्पर्धा की बात आप कर रहे हैं? हम अपने देश के किसानों को बिजली की आपूर्ति भी नहीं कर पा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बहुत काम की बात कह गए हैं।

श्री शिवराज सिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, अनेक राज्य ऐसे हैं जहां किसानों ने कुएँ खुदवा लिये, बोरवैल खुदवा लिये, उनमें पानी भी आ गया और उसके बाद खेत में पानी देना है तो उसके लिए बिजली का अता-पता नहीं है। मैं एक गांव में गया था और एक सभा में भाषण कर रहा था तो एक किसान खड़ा हो गया और कहने लगा कि ऐसी व्यवस्था करा दें कि हम रात में सो लें। मैंने कहा कि अगर नींद नहीं आती तो दवा-डाक्टर का इंतजाम करें। उन्होंने कहा कि नींद तो आती है, लेकिन बिजली नहीं आती। दिन में तो बिजली नहीं आती, थोड़ी बहुत रात में आती है और आने के बाद पचास बार जाती है। मैं और मेरा लड़का खेत में ही खड़े रहते हैं, मैं बिजली के बटन के पास खड़ा होता हूं और लड़के को पाइप के मुंह के पास खड़ा कर देता हूं। जैसे ही बिजली आती है, मैं बटन दबाता हूं और आवाज मारता हूं कि बेटा बिजली आ गई। बेटा वहां से चिल्लता है कि बापू गई। आ गई और चली गई का खेल रात भर चलता रहता है। यह वास्तव में सच्चाई है। इस सर्दी की रातों में जब हमारे जैसे कई बड़े लोग अपने कमरों में हीटर जलाकर सोते हैं, यह किसान की ही छाती है कि रात भर खेत में खड़ा रहकर अगर एक घंटा भी बिजली आती है तो पानी देता है। कड़कड़ाती ठंड उसके लहू को जमा देती है लेकिन वह रुकता नहीं है और लगातार काम करता है। हम अपने किसान को बिजली नहीं दे पा रहे हैं।

खाद की बात यहां हो रही थी। इसी सदन में कई बार यह सवाल उठा कि कई राज्य ऐसे हैं जहां खाद की कमी है। हम यूरिया और डीएपी नहीं दे पाए और डीएपी समय पर नहीं मिलने के कारण किसान की बोनी लेट हुई। हम सब जो किसान हैं, वे जानते है कि 15-20 दिन अगर किसान की बोनी लेट हो जाती है तो उसका उत्पादन आधा तो वैसे ही कम हो जाता है। खाद की व्यवस्था नहीं है, बीज की व्यवस्था नहीं है और इन चीजों के दाम बढ़ते जाते हैं, लेकिन समर्थन मूल्य वही का वही रहता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि जब एनडीए की सरकार थी तो हमारी सरकार ने चने का समर्थन मूल्य पाँच साल में 505 रुपये बढ़ाया था, लगभग सौ रुपये प्रतिवर्ष, लेकिन आपने केवल 25 रुपये ही बढ़ाए हैं। गेहूं के समर्थन मूल्य में हमने 80 रुपये बढ़ाए थे, लेकिन आपने केवल 10 रुपये ही बढ़ाए हैं। इससे कैसे काम चल सकता है? सिंचाई की अनेक योजनाएं वर्षों से अधूरी पड़ी हैं। हमारे देश में ढंग की प्लानिंग हम नहीं करते। मेरे क्षेत्र में एक सिंचाई योजना 1980 में स्वीकृत हुई और हमारे मित्र माननीय मंत्री, कांति लाल भूरिया जी जानते हैं कि वहां अनेक योजनाएं पड़ी हैं। कहीं बांध बन गया तो नहर नहीं बनी, नहर बन गई तो बांध नहीं बना, कहीं पानी नहीं पहुंच रहा तो दोनों हैं तो पानी देने की व्यवस्था ठीक नहीं है। वह भी है तो मरम्मत की व्यवस्था नहीं है। इससे टेल एंड तक पानी नहीं पहुंचता है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी हमारे यहां जो सरकारी संसाधन हैं, उनके माध्यम से सिंचाई का प्रतिशत काफी कम है। सिंचाई की योजनाएं हम इसलिए न बनाएं क्योंकि बड़ी सिंचाई की योजनाओं में समय अधिक लगता है, पैसा अधिक लगता है, ज्यादा लोग विस्थापित होते हैं, लेकिन छोटी-छोटी सिंचाई की योजनाओं के द्वारा गाँवों का पानी हम गाँवों में रोक सकते हैं, खेत का पानी खेत में रोकने की योजना बना सकते हैं। जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधान मंत्री थे और एनडीए की सरकार थी, तब जल संरक्षण की एक बहुत बड़ी योजना बनी थी कि पानी को कैसे अपने-अपने स्थान पर रोकें। दो-चार गाँवों की सिंचाई की छोटी-छोटी योजनाएं कैसे बनाई जा सकती हैं, इस पर विचार होना चाहिए। मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि मान लीजिए, एक किसान ने कुँआ खुदवा दिया, बोरवैल लगवा दिया, वह

[श्री शिवराज सिंह चौहान]

असफल हो गया और पानी नहीं निकला। उसका मकसद पूरा नहीं हुआ, लेकिन कर्ज़ा उसके ऊपर पूरा का पूरा चढ़ जाता है। जब वह पानी नहीं दे पा रहा है तो उसका उत्पादन कैसे बढ़ेगा? इस तरह के जितने कर्ज़े हैं, किसान के ऐसे कर्ज़े तत्काल माफ होने चाहिए।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मैं केवल व्यावहारिक कठिनाइयों पर चर्चा कर रहा हूं। कई बार पैस्टिसाइड मिलते हैं लेकिन वे घटिया किस्म के होते हैं। किसान पैसे देता है, पैस्टिसाइड लेता है लेकिन उससे न तो कीट मरते हैं और न इल्लियां मरती हैं। एक किसान बोरी भरकर मेरे सामने लाया और कहा कि इसको खोलो। मैंने खोली तो पैस्टिसाइड की बोरी में एक मुठ्ठी इल्लियां डाली हुई थी। उन्होंने मुझे बताया कि दो घंटे पहले हमने इसमें इल्लियां डालीं लेकिन एक नहीं मरी, सब किलकिला रहीं हैं और खेल रही हैं। यह स्थिति किसान की है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जब माननीय अटल जी प्रध ाान मंत्री थे तो एक योजना बनी थी – सारे देश की नदियों को जोड़ने की योजना। हमारे देश में एक तरफ कई ऐसे राज्य हैं जिनकी नदियों में बाढ़ आने से पानी तबाही लाता है जैसे, उत्तर प्रदेश और बिहार की नदियां हैं, असम में ब्रह्मपुत्र जैसे नदियां हैं, लेकिन दूसरी तरफ देश में ठीक उसी समय सूखे का भयानक संकट होता है। नदियों को जोड़ने की एक महत्वाकांक्षी योजना माननीय अटल जी ने बनाई थी।

महोदय, जहां ज्यादा पानी है, वहां की नदियों को उन नदियों से जोड़ दें जहां पानी कम है, जहां सूखे के कारण लोग मरते हैं। वह महत्वाकांक्षी योजना थी। मेरे अपने संसदीय क्षेत्र में कैन और बेतवा नदियों को जोड़ने की योजना बनी। मध्य प्रदेश में श्री कांतिलाल भूरिया जानते हैं कि पार्वती और काली सिंध नदियों को जोड़ने की योजना बनी। अगर ये योजनाएं पूरी हो जाती हैं, तो देश की काया पलट जाती। अगर किसी पार्टी में, किसी सरकार ने अच्छा काम किया है, उसके कारण यदि देश की सूखे की समस्या का समाधान होता है, तो आपकी सरकार उसे बढ़ाने का काम करे।

प्रधान मंत्री सड़क योजना के माध्यम से ऐसे अनेकों गांव हैं जो 15–20 किलोमीटर इंटीरियर में थे और उसके कारण उनकी फसल का मूल्य ठीक नहीं मिलता था। ट्रांसपोर्टेशन का 50 या 100 रुपए प्रति क्विंटल खर्च बढ़ता था। अगर वह सड़क बन गई, तो उसके कारण उन्हें अपनी फसल का वहां ज्यादा पैसा मिलना प्रारम्भ हो गया।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन और करना चाहता हूं कि हमारा किसान परम्परागत खेती करता है। वह गेहूं की भी खेती करेगा, चने की भी खेती करेगा, सोयाबीन की भी खेती करेगा और कपास की भी खेती करेगा, लेकिन उसे फायदा नहीं होता है। हम परम्परागत खेती के स्थान पर हार्टीकल्चर की खेती की बात करते हैं। फलों की खेती की बात करते हैं, फूलों की खेती की बात करते हैं, लेकिन अगर फल और फूलों की खेती किसान कर ले, तो उसे बाजार कहां मिलेगा। हमने भी बड़े उत्साह से बाड़ी और बरेली के इलाके में किसानों से कहा कि तुम टमाटर लगाओ। किसानों ने खूब टमाटर लगाया। टमाटर खूब पैदा भी हुआ, लेकिन अपने टमाटर को भरकर जब किसान भोपाल मंडी में बेचने पहुंचा, तो जो ट्रक का भाड़ा था, वह भाड़ा भी नहीं निकला। परिणाम यह हुआ कि सारे का सारा टमाटर उन्हें फेंकना पड़ा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब एन.डी.ए की सरकार थी, तब कोल्ड स्टोरेज के मामले में, वेयरहाउसेस के मामले में प्रगति हुई थी, लेकिन इस सिलसिले को और बढ़ाने की आवश्यकता है, परन्तु मुझे लगता है कि इस सरकार ने उस पर आगे कोई काम नहीं किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, अनुसंधान के क्षेत्र में भी अधिक उत्पादन हो, इस समस्या का समाधान करना है, तो एक तो हमें उत्पादन की लागत घटानी पड़ेगी। उत्पादन की लागत घटाने के दो ही तरीके हैं एक तो कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान हो और दूसरे, जैसी यहां बात कही गई थी, हम अपने किसानों को जो राजसहायता देते हैं, वह बढ़ाई जाए। दुनिया के देश कितनी सब्सिडी देते हैं, उसके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारे किसान को सस्ता खाद मिले, सस्ता बीज मिले, सस्ती बिजली मिले, सस्ता डीजल मिले, यह होना चाहिए। यह सच है कि आपने पैट्रोल के दाम तो घटा दिए, लेकिन डीजल के दामों की तरफ आपने कोई ध्यान ही नहीं दिया। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार कच्चे तेल के दाम गिर रहे हैं, लेकिन आप डीजल के दाम और रसोई गैस के दाम घटाने के बारे में विचार ही नहीं कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, खेती के काम में जो चीजें आती हैं, उनके दाम कैसे घटा सकते हैं, उस तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक निवेदन करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जहां तक किसानों की आत्म हत्याओं का जो मामला है, यह सरकार इस मामले में एक उच्चाधिकार प्राप्त सर्वदलीय टीम का गठन करे। जिन प्रान्तों में आत्म हत्याएं हुई हैं, उनमें वे जाएं। केवल यह कहने से काम नहीं चलेगा कि हुई हैं या नहीं हुई, इस विवाद में न पड़ें। वे वहां जाएं, और आत्म हत्याओं के कारणों की गहराई में जाएं और निवारण के लिए जो सुझाव हों, उन्हें वे सुझाएं और उसकी सिफारिशों पर यह सरकार समयबद्ध कार्रवाई करे। आत्म हत्याओं का सिलसिला रुक सकता है। एन.डी.ए. की सरकार थी, उस समय हमने ब्याज की

दरों में कमी की। 14 से 18 परसेंट ब्याज दर पर लोन मिलता था। हमने किसानों को 9 परसेंट तक पर लोन देना प्रारम्भ करा दिया था। 9 से और कम ले जाने का इरादा था। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस ब्याज को कम से कम 6 परसेंट पर यह सरकार किसानों को ऋण उपलब्ध कराए। जब हमारी सरकार थी, तब 3.5 करोड़ किसानों को हमने क्रेडिट कार्ड दिए थे। कई किसानों की जिंदगी उससे बदली।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक अंतिम बात कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। सबसे महत्वपूर्ण योजना जिसे मैं मानता हूं वह यह है कि जब तक किसान को न्यूनतम आय की गारंटी नहीं दी जायेगी, तब तक उनका कल्याण नहीं होगा। जब तक उन्हें यह गारंटी नहीं दी जायेगी कि इतना तो मिलेगा ही। इसके लिए हमारी सरकार किसानों की आय की बीमा योजना जिसे इन्कम इंश्योरेंस स्कीम कहा गया था। उस समय 20 जिलों में वह योजना लागू की गई थी। उस स्कीम के अन्तर्गत सात सालों की जो औसत आय किसानों की होती थी, जो छोटे और सीमान्त किसान थे, उनकी प्रीमियम की जो राशि थी, उसकी 75 प्रतिशत सरकार जमा करेगी, यह निश्चय किया गया था और उसके बाद सात साल की जो औसत आय है, उससे अगर कम आय किसान को प्राप्त हुई, मान लीजिए 25 हजार थी और 20 हजार प्राप्त हुई, तो बीमा कंपनी वाले उसे पांच हजार रुपए देंगे। जब तक न्यूनतम गारंटी किसान को नहीं होगी, तब तक वह बचेगा नहीं। हमारी सरकार ने जो योजना प्रयोग के तौर पर 20 जिलों में लागू की थी, उसका सारे जिलों में यह सरकार विस्तार करे। एक बात पुनः यह निवेदन करते हुए कि इस मामले में राजनीति छोड़कर मिलजुल कर इस समस्या के समाधान के लिए प्रयास करें, अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री नीतीश कुमार (नालन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। आज इस पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बसुदेव आचार्य जी ने चर्चा प्रारम्भ की है। पहली बार वे कृषि के मसले पर बोले और किसानों की चर्चा कर रहे थे। यह बड़ा अच्छा अवसर लग रहा था और जब मैंने कहा कि पहली बार वे किसानों की समस्या के ऊपर बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मेड इन स्पीच है फार्मर्स पर। मुझे उनसे ऐसी बात सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई।

अब मार्क्सवादियों ने किसानों की चिन्ता करनी प्रारम्भ कर दी है। ...*(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : सबसे ज्यादा वही करते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : महोदय, एक ज़माना था जब चौधरी चरण सिंह जी किसानों के मसले को पूरे देश के पैमाने पर सामने लाए। उस समय यही मार्क्सवादी थे, जो चौधरी चरण सिंह जी को गाली देते थे। आज यह प्रसन्नता की बात है कि 25 वर्षों में इनमें इतना परिवर्तन आया कि अब ये खुद किसानों की समस्या को इस लायक समझने लगे हैं, कि उनके मसले को सदन में उठाया गया। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रूपचंद पाल, कृपया व्यवधान मत कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ी बहुत छेड़-छाड़ चलती रहनी चाहिए। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं, सिर्फ दो-तीन बिन्दुओं को सरकार के समक्ष रखना चाहता हूं। यहां माननीय कृषि मंत्री जी बैठे हुए हैं। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि देश के वरिष्ठ नेता, कृषि मंत्री यहां बैठे हैं। मंत्री जी ऐसे नेता हैं, जिन्हें कृषि के संबंध में स्वयं जानकारी है और उसके यह विशेषज्ञ हैं, अगर ऐसा कहा जाए तो अतिश्योक्ति नहीं होगी। ऐसा बहुत दिनों बाद हुआ कि कृषि मंत्रालय और खाद्य मंत्रालय को एक साथ जोड़ा गया। इनके स्टेचर के चलते यह बात हुई है, लेकिन जिस भी कारण से हुआ है, यह अच्छी बात है। मेरा भी कृषि मंत्री के रूप में काम करने का अनुभव है। उस समय मुझे राष्ट्रीय कृषि नीति भी देश के सामने रखने का अवसर प्राप्त हुआ। आजादी के बाद कृषि नीति पहले कभी नहीं बनी, यह दस साल की लम्बी चर्चा के बाद तैयार हुई और उसे संसद में रखा गया। वह अलग बात है कि उस पर बहुत बहस हुई।

महोदय, उस समय हमने इस बात को सामने रखा था। भारत सरकार में 14 विभाग हैं, जिनका कृषि से संबंध है। उस समय चार मिनिस्ट्रीज थीं, आजकल पता नहीं कितनी मिनिस्ट्रीज से उसका वास्ता है। इसमें कृषि और खाद्य मंत्रालय, जल संसाधन और फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री आदि-आदि शामिल हैं। डब्ल्यूटीओ के बाद कामर्स मिनिस्ट्री का भी बहुत बड़ा योगदान हो गया, उसका भी बहुत महत्व बढ़ा है। अब कुल मिला कर कृषि का मसला इस नाते उलझ कर रह जाता है, एक हद तक ही सही। दो मंत्रालयों का एक साथ आना, योग्य मंत्री के नेतृत्व में मर्जर हुआ है, जो अच्छी बात है। यह जिस कारण से भी हुआ, अच्छा हुआ। ...*(व्यवधान)*

[श्री नीतीश कुमार]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह कृषकों के हित में है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : यह अच्छी बात है। मैंने दो दिन तक अपने यहां के मसले को उठाया था, आप एक बार यहां थे नहीं और दूसरी बार यहां होते हुए भी चले गये थे। देश के कुछ हिस्सों में सूखे की स्थिति है और उसमें हमारे बिहार प्रांत का भी कुछ हिस्सा है। आपको अच्छी तरह याद है कि आपका इलाका भी सूखे से पीड़ित था और आप किस तरह अपने इलाके के सूखे से परेशान थे। आप उन दिनों इन बातों की चर्चा किया करते थे, जब हम सरकार में थे, कि किसानों की हर प्रकार से मदद होनी चाहिए। अब हम चाहते हैं कि आप भी उसी प्रकार चिन्ता करें।

महोदय, मैंने अपने इलाके नालन्दा के लिए सदन में चर्चा की थी। हमने छः लोगों का नाम गिनाया था, जो भूख से मर चुके हैं। यहां एक सप्ताह के बाद उसकी चर्चा हुई। एक प्रश्न के उत्तर में आधे घंटे की चर्चा रखी थी, तब हमने कहा था कि यहां मरने वालों की संख्या बढ़ कर 12 हो चुकी है। यह सूखे से संबंधित सवाल है, शरद पवार जी, मैं आपसे मांग करूंगा कि आप स्वयं वहां जाएं। मैं जिस इलाके की चर्चा कर रहा हूं, हमने नाम देकर यहां उल्लेख किया है। आप वहां स्वयं जाएं। आम तौर पर लोग भूख से मरते हैं और सरकारी मशीनरी कहती है कि ये भूख से नहीं, बल्कि बीमारी से मरे हैं। सारी दुनिया जानती है कि वहां कोई काम नहीं है और खेती पर आधारित वे लोग हैं। जब उन लोगों को काम नहीं मिल रहा है तो स्वाभाविक है कि लोग भूख से मरेंगे क्योंकि रोजगार सृजन के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। 12 राज्यों में सूखा पड़ा, एनडीए की सरकार ने एक भी आदमी को भूख से नहीं मरने दिया। आज स्थिति यह है कि कुछ हिस्सों में सूखा है, फिर भी लोग भूख से मर रहे हैं और श्री शरद पवार जी जैसे कृषि मंत्री हों तो यह और भी दुर्भाग्य का विषय है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप समय निकाल कर स्वयं वहां जाएं। चुनाव तो आते-जाते रहेंगे, लेकिन हमें सबसे पहले आदमी की जान बचानी है, इसलिए हर तरह के भेदभाव से ऊपर उठ कर वहां यह काम होना चाहिए।

इन दिनों दूसरी समस्या खाद की है। अभी बसुदेव आचार्य जी भी कह रहे थे, सब लोग कह रहे हैं। हमारे एक माननीय सदस्य अजीत सिंह जी ने भी यहां एक दिन इस सवाल को उठाया था। मैं नहीं जानता कि यहां हमारे दूसरे बिहार के सदस्य इससे इन्कार करेंगे कि खाद का घनघोर संकट बिहार में है। खाद नहीं मिल रहा है और जो भी मिल रहा है, वह कालाबाजारी में मिल रहा है। अभी पिछले दिनों मैं अपने इलाके में था तो वहां किसानों ने मुझे जो लिखकर दिया, यह वह रेट है, जो ब्लैक मार्केट में मिल रहा है। यूरिया 300 रुपये, डी.ए.पी. 700 रुपये, एन.के.पी. 650 रुपये और फास्फेट 250 रुपये, इस रेट में ब्लैक मार्केट में खाद मिल रहा है। यह कोई सरकार के द्वारा निर्धारित या जिनको बेचने की अनुमति प्राप्त है, उन जगहों पर नहीं मिल रहा है, यह सब कुछ ब्लैक में मिल रहा है। क्योंकि सरकार के द्वारा मान्यता दी गई दुकानों पर तो यह उपलब्ध नहीं था, वहां पर कुछ नहीं है। इसका कारण क्या है, उसका पता लगायें। जब ब्लैक मार्केट में मिल रहा है तो इस प्रकार के उर्वरकों में मिलावट भी है, वहां बहुत बुरा हाल है। जिन इलाकों में सूखे का उतना संकट नहीं है या जहां लोग अपनी व्यवस्था से कुछ खाद लेना चाहते हैं, उनको खाद नहीं मिलता। अब तो किसान लोग डी.ए.पी. और एन.के.पी. की बात ही नहीं कर रहे, उसे किसान भूल गये, यह हालत वहां की हो गई है।

दूसरे विवादों में बिहार पर बहुत चर्चा होती है, हैडलाइंस में बिहार है, लेकिन यह असल बिहार नहीं है। बिहार में जो लोग अपने लिए पैदा कर रहे हैं, वे आज संकट में हैं, वह असल बिहार है, उस पर ध्यान देना आपका कर्तव्य है। मुझे आपसे पूरी उम्मीद है, मुझे आशा है, इसलिए मैं आपसे इस बात का उल्लेख कर रहा हूं और आपसे विशेष इजाजत लेकर मैंने इस बात को कहा है। आज सर्टिफिकेशन नहीं हो रहा है। एक समय में वह चीज बन्द हुई है। वहां की राज्य सरकार को जो काम करना है, वह नहीं कर पा रही है। उसके चलते वहां खाद की कम्पनियां शायद खाद नहीं दे रहीं। जो पहले सब्सिडी दी, उसकी राशि उनको मिलनी है, वह नहीं मिली है, क्या समस्या है, इसकी तरफ आप जानेंगे, इसके बारे में मालूमात करके जानकारी प्राप्त करके आप इस बारे में उचित कार्रवाई करें और हम लोगों को अवगत करा दें। यह परिस्थिति है।

माननीय सदस्य कह रहे थे कि एक तरफ लोग भूख से मरते हैं। जब एन.डी.ए. की सरकार थी तो बहुत हल्ला हुआ। हमारे प्रियरंजन दासमुंशी जी बैठे हुए हैं, कोई दिन ऐसा नहीं होता था जब ये पूरा जोर लगाकर बोलते थे किसानों की आत्महत्याएं हो रही हैं। अब क्या हो रहा है, क्या बन्द हो गईं? एशियन एज में यह खबर छपी है, "चार महीने में हजारों आत्महत्यायें"-इसका आपके पास क्या जवाब है? आन्ध्र प्रदेश, जहां के बारे में चर्चा थी कि किसान आत्महत्या कर रहा है, कहते-कहते चन्द्राबाबू नायडू जी को आप लोग ले गये। अब जरा बताइये, अब आप लोग आ गये तो क्या हो रहा है। 350 लोगों की अखबारों की खबर है, जो मैं बता रहा हूं। सच्ची खबर तो उनके पास होगी, वह तो बतायें कि कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं और क्यों सुसाइड कर रहे हैं। वही

समस्या आज भी जारी है। लोग कर्ज लेते हैं, अदा नहीं कर पाते हैं और उनके मन में एक तकलीफ है, भीतर से समाज का डर है, वे भीतर से शर्मिंदगी महसूस करते हैं और उसके बाद जहर खाकर मर जाते हैं। आखिर इसका कोई रास्ता तो निकले। सरकार तो बदल गई, लेकिन आत्महत्याओं का सिलसिला नहीं थमा। दूसरी तरफ आत्महत्या का सिलसिला बढ़ रहा है, उन राज्यों में फैल रहा है, जहां पहले किसान आत्महत्या नहीं करते थे। दूसरी तरफ भूख से मौत हो रही है। हम लोग जोरों से किसानों के मुद्दों पर चर्चा करते हैं और शरद पवार जी जैसे योग्य कृषि मंत्री हैं। अब सरकार से भी जमकर लड़ने की इनकी ताकत है, गठबन्धन की सरकार है, आपके ऊपर सारा दारोमदार है, आप किसानों को न्याय दिलायेंगे। मुझे तो व्यक्तिगत रूप से भरोसा है, इसलिए मैं इस बात का उल्लेख कर रहा हूं।

मैं दो बातों की चर्चा करके अपनी बात समाप्त करूंगा। एक स्थिति है कि आज मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम डिक्लेयर करते हैं। प्राइस सपोर्ट स्कीम के अन्तर्गत अब प्राइस सपोर्ट स्कीम उस जमाने में चालू की गई, जब हमारे देश में अभाव था और हम आत्मनिर्भर बनना चाहते थे। उसके चलते कुछ इलाकों में हरित क्रान्ति आई। वहां के किसानों को और बढ़ावा देने के लिए हमने इस स्कीम की शुरूआत की। इस स्कीम ने अपना काम किया। लेकिन आज क्या स्थिति है, अब ज्यादा से ज्यादा राज्य सरप्लस हो गये। पश्चिम बंगाल सरप्लस हो गया, बिहार सरप्लस हो गया, असम सरप्लस हो गया। पूर्वी क्षेत्र का मैंने नाम लिया, जब आजादी मिली थी, उस समय 1952 में सबसे अधिक प्रोडक्शन ईस्टर्न रीजन में ही था, लेकिन हरित क्रान्ति चूंकि नोर्दर्न रीजन में आई तो वे पिछड़ गये और उनके माध्यम से हमने देश में आत्मनिर्भरता लाने की कोशिश की। उस समय जब यह स्कीम चलाई गई तो यह बहुत अच्छी थी। स्कीम चलाई गई तो बहुत अच्छा हुआ। आज उसकी समीक्षा की जरूरत है। इससे किसे लाभ मिल रहा है? बिहार, बंगाल, असम और अब उड़ीसा में भी मांग होती है कि एफसीआई हमारे यहां से खरीदे। एफसीआई जैसा संगठन है, आप अच्छी तरह जानते हैं। अब दोनों मंत्रालय आपके हाथ में हैं। अगर नहीं होता तब भी आप जानते थे। एफसीआई को लाख कहे फिर भी वह अपने ढंग से चलता है। बिहार में लाख आग्रह करिए, वे दिखावे के लिए खरीद लेंगे, कोई सैंटर खोल देंगे, लेकिन क्वालिटी की प्राब्लम खड़ी करेंगे, कभी कोई दूसरी प्राब्लम खड़ी करेंगे। राजनैतिक दल के लोग एक–दूसरे पर आरोप–प्रत्यारोप लगा देंगे, लेकिन अल्टीमेटली किसानों की खरीद नहीं हो पाती। एफसीआई कहता है कि हम कितना खरीदें, हमारे गोदामों में पांच करोड़ टन अनाज पड़ा हुआ है। हम खरीद कर कहां ले जायें, आदि। इस प्रकार वे बाधा उत्पन्न करते हैं। सीजन बीत जाता है। सरकार के लाख प्रयत्नों के बाद भी सभी राज्यों में इसकी खरीद नहीं हो पाती। प्राइस सपोर्ट स्कीम का फायदा किस राज्य को मिल रहा है। धान या चावल के मसले में पंजाब और आंध्र प्रदेश तथा गेहूं के मामले में पंजाब और हरियाणा, ले–देकर तीन राज्य हैं, पूरी प्राइस सपोर्ट स्कीम, और उसके अंतर्गत जो एमएसपी की घोषणा आप करते हैं, प्रोक्योरमैंट का लाभ इन्हीं राज्यों को मिलता है। इसमें हमें कोई शिकायत नहीं है। उनको मिले, लेकिन बाकी जितने राज्य हैं, वहां के किसानों को भी उनकी उपज की वाजिब कीमत मिलनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए आपको कोई ऑल्टरनेटिव सोचना पड़ेगा। हमने अपने समय में इसका अध्ययन करवाया था। तब यह बात आई कि प्राइस सपोर्ट स्कीम की जगह अब हमें इनकम सपोर्ट स्कीम पर सोचना पड़ेगा। किसानों की एक न्यूनतम इनकम ऐश्योर्ड होनी चाहिए। हम कृषि के क्षेत्र में सबसिडी देते हैं – दो ही सबसिडी है – या खाद पर सबसिडी है या फूड सबसिडी है, जिसके नाम पर एमएसपी के अन्तर्गत आप प्रोक्योरमैंट करते हैं। कृषि के क्षेत्र में मेजर सबसिडी इन दो क्षेत्रों में ही जाती है। इस प्रकार आप सबसिडी दे रहे हैं। जहां तक प्रोक्योरमैंट का सवाल है, इसका लाभ तीन राज्यों को मिल रहा है। ऐसी कोई स्कीम बननी चाहिए जिसका लाभ देश भर के किसानों को मिले। उसके लिए आवश्यक है कि हम प्राइस सपोर्ट स्कीम की जगह इनकम सपोर्ट स्कीम के बारे में सोचें। पिछली सरकार में इनकम सपोर्ट स्कीम के बारे में काम प्रारम्भ किया गया था। प्रयोग के तौर पर कुछ जगहों पर इनकम एश्योरेंस स्कीम की बात सोची थी, जो पूरी तरह ठीक नहीं लगी। अब आप आ गये हैं, आप समस्या को समझते हैं। इसके बारे में पूरे तौर पर विचार करके देखिए। हमने जो अध्ययन करवाया था, आज हम जितनी सबसिडी दे रहे हैं, उससे ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। इसका लाभ देश भर के किसानों को मिलेगा। इनकम सपोर्ट स्कीम के अन्तर्गत इस बात को देखना चाहिए।

अब हम दूसरी समस्या का उल्लेख करना चाहते हैं। आत्महत्या और भूख से मौत की बात सामने आई है। किसान किस जलालत से जीता है। किसान कर्ज लेता है। कर्ज अदा नहीं कर पाता तो उसके खिलाफ सर्टिफिकेट जारी होता है, वारंट इश्यू होता है फिर उसकी गिरफ्तारी होती है। उसे गिरफ्तार करके जेल में डाला जाता है। जेल में जो उसके ऊपर खर्च होता है, उसकी वसूली भी किसान से की जाती है। मैंने कृषि मंत्री के रूप में सारे राज्य के मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखा था कि आपका 1902, 1903 और 1904 का जो कानून है, उसे रिपील कीजिए। यह बहुत गलत कानून है। बड़े–बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स पैसा लेकर बैठे हुए हैं। आप

[श्री नीतीश कुमार]

संसद को भी नहीं बताते कि कितने लोग ऐसे हैं जो पैसा लेकर पचाये हुए हैं। लाखों करोड़ों लोग पैसा पचा कर बैठे हुए हैं लेकिन हमारा किसान जो पांच हजार, दस हजार रुपये कर्जा लेता है, उससे आप वसूली करते हैं। वसूली करने के बाद उसे जेल में डालते हैं। जेल में उसके ऊपर जो खर्च आता है, उसे भी उसके मूलधन में जोड़ देते हैं। यह जो काला कानून है ...*(व्यवधान)* हर चीज का पैसा है। किसान क्या है, इसकी परिभाषा बदलना चाहिए। सन् 2000 में मैंने कृषि मंत्री के नाते समस्त मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखा था, लेकिन उसका कोई जवाब हमारे कृषि मंत्री रहते नहीं आया। सरकारें तो निरन्तरता की चीजें हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब तो झा साहब भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं।

श्री नीतीश कुमार : हमें सब सपोर्ट करेंगे। यह पार्टी वाइज़ डिवीजन थोड़े ही है। हमने ऐसी कोई बात नहीं कही है जिससे हाउस डिवाइड हो। कुछ ऐसी बातें हैं जो किसानों के हक में है। बाकी बातें लोग विस्तृत रूप से करते रहे, चर्चाएं होती रही हैं, लेकिन मैं इन बिन्दुओं पर खास तौर से इशारा करना चाहता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है, आपने घंटी बजा दी, जबकि हमने आपसे विशेष अनुमति मांगी थी।

अपराह्न 4.00 बजे

मैं आपके निर्देश का उल्लंघन नहीं करूंगा, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि श्री शरद पवार जी के कुशल नेतृत्व में किसानों की हालत इस देश में बेहतर होगी। इसी उम्मीद को मन में रखे हुए मैंने इस चर्चा में हिस्सा लिया है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आप चाहें तो दो-चार मिनट और बोल सकते हैं।

श्री नीतीश कुमार : नहीं, ठीक है।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे पास जो लिस्ट बनी हुई है, उसके हिसाब से अभी 52 से ज्यादा सदस्यों ने और बोलना है। इसलिए मेरी रिक्वैस्ट है कि अगर सब लोग थोड़ा-थोड़ा बोलें तो अच्छा होगा।

[अनुवाद]

डा. चिन्ता मोहन (तिरुपति) : महोदय, इस देश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हरित क्रान्ति ले कर आई। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं और बाबू जगजीवन राम कृषि मंत्री तब उन्होंने इस देश में हरित क्रांति की शुरूआत की। इससे पहले, हम अनाजों का आयात किया करते थे। अब, हमारे पास अनाजों का अतिरिक्त भण्डार है और इसका पूरा श्रेय कृषकों, कांग्रेस तथा उन लोगों को जाता है जो किसानों की प्रगति के लिए कार्य कर रहे हैं।

वास्तविक रूप में, आज करीब दस करोड़ परिवार कृषक हैं या कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं। हमारे यहाँ करीब 20 करोड़ एकड़ शुष्क भूमि और दस करोड़ एकड़ नम भूमि उपलब्ध है। प्रमुखतः किसान कौन है? मेरी राय के अनुसार, किसान दिल्ली या महाबलीपुरम या बंगलौर या हैदराबाद के फार्महाउसों में बैठा व्यक्ति नहीं है। हमारे देश में भी ऐसे किसान हैं जिनके पास 1500 एकड़ भूमि है। मेरी दृष्टि में वह सही रूप में किसान नहीं हैं। टाटा की असम में और ऊटी के कोडाईकनाल में हजारों एकड़ जमीन है। वे किसान नहीं है। किसान कौन है? किसान तो वह है जो भूमि जोत रहा है, अपनी भूमि के पास बैठा है और कृषि कार्य में लगा हुआ है। वह वास्तविक किसान है।

यहाँ कितने किसान हैं? पच्यासी प्रतिशत किसान छोटे और सीमान्त किसान हैं। उनके पास दो एकड़ भूमि या पाँच एकड़ जमीन या 10 एकड़ से कम जमीन है। प्रमुखतः, आज भारत में बँटाईदार किसान हैं। वास्तविक तौर पर उनका जमीन पर कोई कानूनी अधिकार नहीं होता परन्तु ये ही वे लोग हैं जो गेहूं, धान और कई अन्य चीजें हमारे लिए उत्पादित कर रहे हैं।

उनकी वास्तविक समस्याएँ क्या हैं? वे कई तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मेरी दृष्टि में, वे छह-सात महत्वपूर्ण समस्याओं का सामना कर रहे हैं। एक है, गेहूँ, धान, आदि उत्पादित करने के लिए फसल ऋण। एक किसान को कुछ वित्तीय मदद की आवश्यकता है। वह बैंक में जाता है। बँटाईदार किसान होने के नाते उसका जमीन पर कानूनी अधिकार नहीं है। अतः, वह बैंक से ऋण नहीं ले सकता है, कारण, वह मात्र जमीन पर बँटाईदार है। अतः, वह महाजन के पास जाता है। वह पैसा काफी ज्यादा ब्याज पर लेता है और इसके कारण उसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वह 3000 रुपये या 4000 रुपये प्रति वर्ष आय अर्जित कर पाने में सक्षम नहीं है। नम भूमि से, वह मात्र 10,000 रुपए प्रति वर्ष प्राप्त करने में सक्षम है। एक भारतीय किसान की औसत आय यही है जो वह एक वर्ष में अर्जित कर पाने में सक्षम है।

हमारे देश के किसानों की मदद करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वाले परिवारों को मदद करने के लिए हमारे यहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानें हैं। इसी तरह, हमें उन

सभी किसानों के लिए जो वास्तविक रूप में अनाजों का उत्पादन कर रहे हैं, किसान कार्ड जारी करने चाहिए। हमें बैंकों को यह निर्देश जारी करना चाहिए कि वे उन्हें कृषि कार्यों में मदद करने के लिए न्यूनतम 50,000 रुपए का ऋण प्रति वर्ष प्रदान करें। मैं सोचता हूं कि यदि हम उन्हें किसान कार्डों के जरिए बैंकों से वित्तीय मदद देते हैं तो हम उनका बेहतर कल्याण कर पाएंगे।

अगली समस्या कृषि बीमा की है। तीन वर्षों में एक बार, देश को सूखे या बाढ़ की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार, एक किसान इस समस्या का सामना तीन वर्षों में एक बार कर रहा है। उन्हें बीमा प्रदान किये जाने की जरूरत है। यहाँ निजी बीमा कंपनियां और सरकारी बीमा कंपनियां हैं। हमें यह देखना है कि गाँव को एक इकाई के रूप में लिया जाए न कि एक व्यक्ति के तौर पर। एक व्यक्ति जिसके पास 5 एकड़ जमीन है वह बीमा कंपनी के पास नहीं जा सकता और वह बीमा कंपनियों से मदद भी नहीं प्राप्त कर सकता है। इस देश में छह लाख गाँव हैं। वे क्रमबद्ध रूप में नहीं हैं। इन गाँवों का बीमा किया जाना चाहिए और एक गाँव को एक इकाई मानकर इन किसानों को मदद करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। यही एक तरीका है जिसके द्वारा तीन वर्षों में एक बार पड़ने वाले सूखे और आने वाली बाढ़ से उन्हें बचाया जा सकता है।

अपराह्न 4.06 बजे

(डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए*)

अब, मैं राजसहायता पर आता हूं। राजसहायता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा शुरू की गई थी। जब मैं खाद मंत्री था तब मुझे एक फाइल देखने का मौका मिला जिसमें किसानों को राजसहायता प्रदान करने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने हस्ताक्षर किया था। खाद राजसहायता इंदिरा जी द्वारा तब शुरू की गई थी जब वह प्रधानमंत्री थी। हम खाद के लिए 16,000 करोड़ रुपये की राजसहायता दे रहे हैं। हम राज्य सरकारों से राजसहायता प्राप्त बिजली के रूप में 30,000 करोड़ रुपये दे रहे हैं। कुल मिलाकर, किसानों को, कृषि को दी जाने वाली राजसहायता तकरीबन 50,000 करोड़ रुपये है। इस धनराशि को विनियमित करने की आवश्यकता है। यहाँ 10 करोड़ किसान परिवार हैं। कृषि और कृषकों को 50,000 करोड़ रुपये दिये जा रहे हैं। यदि आप इस धनराशि को विभाजित करें तो प्रत्येक परिवार को कम से कम 5,000 रुपये मिलेंगे। परन्तु, सही मायने में, यह राशि उन किसानों तक नहीं पहुंच रही है जो वास्तविक रूप में जमीन को जोत रहे हैं, यह राशि कहीं और चली जा रही है। हमारी व्यवस्था में बहुत सारे छिद्र हैं। इन छिद्रों को बंद करके धनराशि सीधे किसानों तक पहुँचनी चाहिए। सरकार को यह अवश्य देखना चाहिए कि वह धनराशि जिसे कृषि और कृषकों पर खर्च किया जा रहा है सीधे कृषक परिवारों तक पहुंचे। किसान कार्डों या ऐसी चीजों को जारी किया जाना चाहिए। सारे लाभ 10 करोड़ परिवारों तक पहुंचने चाहिए, न कि बिचौलियों या उन लोगों तक जो कि आज इससे पूरा फायदा उठा रहे हैं।

एक प्रमुख समस्या जिसका सामना किसान कर रहा है वह है उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की अनुपलब्धता। जमीन को जोतने के बाद जब उसे बीज की आवश्यकता पड़ती है तब वह उच्च गुणवत्ता वाले बीजों को पाने में सक्षम नहीं है। उत्पादन का तकरीबन 60 प्रतिशत किसान द्वारा चुने गए बीजों की गुणवत्ता पर निर्भर करताहै। चीन जैसे अन्य देशों की तुलना में एक भारतीय किसान 100 बोरे उत्पादित करने में ही सक्षम है जबकि चीन में एक किसान 300 बोरे उत्पादित करने में सक्षम है। इसमें एकमात्र समस्या बीजों की है। यदि उसे उच्च गुणवत्ता वाले संकर बीज दिये जाते हैं तो उसका उत्पादन दुगुना हो सकता है। देश में सभी जगहों पर कृषि अनुसंधान केन्द्र हैं। हमें अपने वैज्ञानिकों से कहा जाना चाहिए कि वे उच्च गुणवत्ता वाले संकर बीजों का उत्पादन करें और इन बीजों को किसानों को उपलब्ध कराया जाए ताकि वे अपने उत्पादन को दुगुना कर सकें।

दूसरी चीज है नस्ल। किसान मवेशी, दुधारु पशुओं से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। वह उन्हें घास आदि खिलाता है। हमें उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले संकर किस्मों के पशु उपलब्ध कराने चाहिए। आज, हरियाणा में, एक छोटे दुधारु पशु से किसान 10 से 15 लीटर दूध प्राप्त कर पाता है जबकि उड़ीसा में एक किसान 5 लीटर दूध भी प्राप्त नहीं कर पाता। आज, जब इतनी वैज्ञानिक तरक्की हो चुकी है, यदि हम उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले, संकर किस्म के पशु उपलब्ध कराते हैं तब वे अपनी आय बढ़ा सकते हैं और अपनी आय दुगुनी कर सकते हैं और वे खुशीपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। सरकार को यही करना चाहिए। हमें उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले संकर किस्म के बीजों को प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले मवेशी दिए जाने चाहिए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) भी यहाँ है। वैज्ञानिकों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। यह उन्हें अवश्य दिया जाना चाहिए।

दूसरी महत्वपूर्ण चीज है मशीनीकरण। खेतों को जोतने के पुराने तरीके से उन्हें कोई मदद नहीं मिल सकती है। उन्हें ट्रैक्टर दिये जाने चाहिए। हमारे देश में तकरीबन छह लाख गाँव हैं। एक गाँव में, तकरीबन तीन से चार ट्रैक्टर उपलब्ध हैं। जैसे ही बारिश

[डा. चिन्ता मोहन]

थमती है एक किसान को तत्काल खेत जोतना पड़ता है। उसे जमीन को एक सप्ताह के भीतर जोतना पड़ता है। यदि वह एक सप्ताह के भीतर ऐसा नहीं करता है तब उसे अच्छा उत्पाद प्राप्त नहीं होगा और जमीन के भीतर की नमी चली जाएगी।

उसे खेत को जोतना ही है। एक गाँव में, वहाँ मात्र तीन से चार ट्रैक्टर हैं। औसतन वहाँ 500 एकड़ भूमि है। 500 एकड़ भूमि जोतने के लिए तीन-से-चार ट्रैक्टर पर्याप्त नहीं है। प्रत्येक ट्रैक्टर की कीमत 4 लाख रुपए है। ऊर्जा के रूप में राजसहायता देने के बजाए ट्रैक्टर पर राजसहायता दी जा सकती है। ट्रैक्टर को 4 लाख रुपए में बेचने के बजाए किसी स्नातकोत्तर या स्नातक या वास्तविक किसान को चुना जा सकता है जो छोटा या सीमान्त किसान है और उसे एक ट्रैक्टर 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए में दे सकते हैं। ऐसा करने से उसके सम्मान में बढ़ोत्तरी होगी। किसान का अपना सम्मान होगा। वह सोचेगा कि सरकार ने सीधे उसे ट्रैक्टर दिया है और यह गाँव के लिए मददगार होगा। किसानों को फायदा मिलेगा। अतः, सरकार द्वारा उन्हें सीधे ट्रैक्टर देकर गाँवों का मशीनीकरण करने के बारे में अवश्य सोचा जाना चाहिए। हम 50,000 करोड़ रुपए की राजसहायता दे रहे हैं। यदि आप कम से कम इसका एक भाग अलग करके इसे ट्रैक्टर के रूप में गाँवों में किसानों को दे देते हैं तब यह भविष्य के लिए लाभकारी साबित होगा।

कुछ लोगों ने आंध्र प्रदेश में आत्महत्याओं के बारे में कहा। मैं आंध्र प्रदेश से हूं। मुझे इन मौतों के बारे में जानकारी है। सही मायने में, वहां समस्याएं हैं। समस्याएं मात्र आंध्र प्रदेश में नहीं है बल्कि अन्य राज्यों में भी है। महोदय, मध्य प्रदेश में आपके अपने संसदीय क्षेत्र में भी समस्याएं हैं। प्रत्येक किसान कुछ समस्याओं का सामना कर रहा है। उसे निश्चित तौर पर मदद की आवश्यकता है। वास्तव में इन कारणों को बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है। कुछ लोग बीमार और मृत्यु के नजदीक व्यक्तियों के होठों पर जहर लगा देते हैं और डाक्टरों के सहयोग से इसे आत्महत्या करार दे रहे हैं। इसी तरह से आँकड़े आज इतने ज्यादा हैं। ...*(व्यवधान)* महोदय, मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : डा. चिन्ता मोहन द्वारा कही गई बात के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

डा. चिन्ता मोहन : महोदय, वास्तव में किसानों की स्थिति अच्छी है। मेरे मित्र माननीय मुख्यमंत्री डा. चन्द्रशेखर रेड्डी किसानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। किसानों की समस्याओं पर ध्यान दिया जा रहा है और वे उनकी सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पूरी सहायता की है। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस सरकार विशेषरूप से मुख्यमंत्री किसानों के बेहतर कल्याण की कोशिश कर रहे हैं।

भारतीय खाद्य निगम के संबंध में मुझे यह कहना है कि हमारे भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में 135 लाख टन चावल तथा 185 लाख टन गेहूं पड़ा है। भारतीय खाद्य निगम को सीधे किसानों के पास जाना चाहिए तथा उन्हें बिचौलियों की बजाय किसानों से सीधे खरीद करनी चाहिए। इसका फायदा किसानों को मिलना चाहिए। इस तरह हम किसानों की सहायता कर सकते हैं।

इन सुझावों के साथ मैं, डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार से किसानों की समस्याओं को हल करने का अनुरोध करता हूं। हमारी नेता, श्रीमती सोनिया गांधी हमेशा किसानों की समस्याओं पर ध्यान दे रही हैं। मुझे विश्वास है कि इस देश में किसानों की समस्याओं का निश्चित रूप से समाधान हो जाएगा तथा हमारी कृषि अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : अब श्री रामजीलाल सुमन

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। यह सही नहीं है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइये। मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है। यह बहुत गलत बात है। यह नियम और प्रक्रियाओं के विरुद्ध है। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह ठीक नहीं है। कृपया बैठ जाइए। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री मधुसूदन मिस्त्री, आप अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कार्यवाही–वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : कुछ भी रिकार्ड में नहीं जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप सदन का समय बर्बाद मत कीजिए। अखबारों का प्रदर्शन नियमों के विपरीत है। आप उसे ले जाइए। अपनी सीट पर बैठिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री मधुसूदन मिस्त्री, आप अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। कार्यवाही–वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं होगा। श्री मधुसूदन मिस्त्री यह बहुत गलत बात है। कृपया पहले अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : सभापति महोदय, मैं आपकी इजाजत से एक बात कहना चाहूंगा। यह ऐसा मसला है जिसे हमें ऐसे ही राइट ऑफ नहीं कर देना चाहिए, ऐसा न हो कि वह रिकॉर्ड में न आए। ऐसी बात जब कभी बीच में उठती है तो ..*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मुझे पता है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप पैनल ऑफ चेयरमैन में हैं। नियमों को जानते हैं।

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : सभापति महोदय, अभी किसानों की समस्याओं पर चर्चा हो रही है। माननीय सदस्य इस समय दूसरा विषय कैसे उठा सकते हैं? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप पैनल ऑफ चेयरमैन में हैं। सदन के नियमों को जानते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे सदन के नियमों के अनुसार व्यवहार करने दीजिए। मैंने उन्हें परमिट नहीं किया।

....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : जी नहीं, मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दूंगा। उन्हें परेशान मत कीजिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री पवन कुमार बंसल, आप बहुत वरिष्ठ और अनुभवी सदस्य हैं। आपका नाम सभापति तालिका में भी है।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : आप नियमानुसार बोलिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यदि मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं देता हूं, यदि सभापति आपको बोलने की अनुमति नहीं देता है, तो आपको बैठ जाना चाहिए। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोज़ाबाद) : सभापति जी, देश में किसानों के सम्मुख जो समस्याएं उपस्थित हैं, उस पर यह सदन चर्चा कर रहा है। अभी हमारे मित्र श्री शिवराज सिंह चौहान और श्री चिन्ता मोहन का भाषण हुआ। श्री नीतीश कुमार बोलकर चले गए। श्री चिन्ता मोहन ने कहा कि आन्ध्र प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश और दूसरे प्रान्तों में भी किसान आत्महत्या कर रहे है। मैं बहुत दुखी ह्रदय से कहना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान के किसी कोने में अगर एक भी किसान मरता है तो वह देश और सरकार के लिए लज्जा ही विषय है। किसानों की आत्महत्या नहीं होनी चाहिए।

अभी श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उच्चाधिकार प्राप्त समिति जांच करे कि किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? बहुत साफ बात है कि आज खेती अलाभकारी हो गई है घाटे का सौदा हो गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसान जो कर्जा लेते हैं, खेती अलाभकारी होने की वजह से उनकी कर्जा उतारने की क्षमता ही खत्म हो गई है।

यही असली बात है जिससे हिन्दुस्तान का किसान आत्महत्या करने को बाध्य हो रहा है। इसके लिए यह आवश्यक है कि जो खेती अलाभकारी है और किसान खुदकुशी न करे, सरकार को खेती को लाभकारी बनाने के लिए प्रयास करना चाहिये। हमारे देश की 70–75 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर है। मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूं कि हिन्दुस्तान में सब से ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र कृषि है और ज्यादा रोजगार देने की संभावना भी इस क्षेत्र में हो सकती है। इसलिए इस क्षेत्र को संरक्षण और संवर्द्धन देने की आवश्यकता है। 1950–51 में सकल घरेलू उत्पाद में खेती की भागीदारी 58 प्रतिशत थी जो 2004 में घटकर 22 प्रतिशत रह गई है। इसका मतलब यह है कि शुरु से लेकर आज तक कृषि की उपेक्षा की गई है। जो सरकारी इमदाद और संरक्षण कृषि क्षेत्र को मिलना चाहिए था, वह उसे नहीं मिल पा रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश के किसानों में कोई कमी है या वह मेहनत नहीं करता है या उसमें कोई कमजोरी रही है। मैं समझता हूं कि किसानों को जो राजकीय सहायता मिलनी चाहिए थी, उसमें कमी रही है, कहीं न कहीं कृषि क्षेत्र को मदद देने में कंजूसी बरती गई है। सरकार को निश्चित रूप से इस तरफ ध्यान देना चाहिए। वर्ष 1995–96 के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारतीय कृषि में अमरीका से कोई कम पैदावार नहीं होती। भारत में गेहूं की औसतन उपज दर प्रति हैक्टेयर 2483 किलोग्राम, अमरीका में 2424 किलोग्राम, आस्ट्रेलिया में 2091 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर है। इसके बावजूद हमारा किसान मेहनत करके जो फसल पैदा करता है, उसे उसका वाजिब मूल्य नहीं मिलता है। इसलिए हम अंतर्राष्ट्रीय स्पर्द्धा में कहीं टिक नहीं पाते। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज किसानों को संरक्षण मिलना चाहिए जो सरकार नहीं देती। मैं इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि अमरीका में किसानों को सब्सिडी के नाम पर प्रतिवर्ष 58296 मिलियन डालर, यूरोपियन देशों में 111460 मिलियन डालर और जापान में 54913 मिलियन डालर की सब्सिडी मिलती है। हमारे देश में किसानों को मिलने वाली सब्सिडी मात्र 8406 मिलियन डालर है। जब सरकार इतनी कम सब्सिडी देती है तो हम किसानों से कैसे उपेक्षा करें कि वे दुनिया के दूसरे देशों के किसानों की स्पर्द्धा में कहीं टिक जायें? मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल अव्यवहारिक है, यह संभव नहीं है।

सभापति महोदय, मैं आपके संज्ञान में एक बात और लाना चाहूंगा कि हमारे देश में सिंचाई की स्थिति बदतर है। हमारे देश में सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने में जो शिथिलता बरती है, वह स्वागत योग्य बिल्कुल नहीं है। हमारे देश में 60 प्रतिशत खेती असिंचित है। हम केवल इन्द्र की कृपा पर निर्भर करते हैं। खेती भगवान भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। हमारे देश की पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति ज्यों की त्यों है। उसमें कोई ज्यादा इज़ाफा नहीं हुआ है। विकास के लिए सरकार द्वारा आधारभूत ढांचा तैयार हुआ है। मेरा सरकार से आग्रह है कि जब तक सिंचाई को विकास के मूलभूत ढांचे में शामिल नहीं करेंगे, तब तक समस्या का निदान नहीं हो सकता है। इस देश में जो पानी की कमी है, मैं नहीं समझता कि निश्चित रूप से उस पर काबू पाया जा सकता है।

सरकार का जो लक्ष्य है, सरकार की अभी भी जो परिकल्पना है, वह यह है कि आगामी 15 वर्षों में मात्र 20 मिलियन हैक्टेयर जमीन को ही सिंचित क्षेत्र में लाया जा सकता है। कृषि राज्य मंत्री जी यहां बैठे हैं, मैं आपकी मार्फत उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की कुछ ऐसी नीयत बन गई है कि सरकार नई परियोजनाएं तो प्रारम्भ कर देती है, लेकिन जो पुरानी परियोजनाएं उसने पहले प्रारम्भ की हैं, उनका काम किस हद तक हुआ है, उनका काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, उनकी समीक्षा करने का काम सरकार नहीं करती है। उसका परिणाम क्या है, इस पर मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। मंत्री जी, सिंचाई परियोजनाओं की हालत

यह है कि मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर परियोजना पर 1998 में काम शुरू हुआ था और खर्च की निर्धारित राशि उस समय 1993 करोड़ रुपये थी, लेकिन आज वह बढ़कर 5150 करोड़ हो गई है। लागत बढ़ती गई, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। अगर यह परियोजना जल्दी पूरी हो जाती तो किसान उससे लाभान्वित होते। इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर वर्ष 1972 में काम शुरू हुआ था। इसकी निर्धारित खर्च राशि 89 करोड़ रुपये थी, लेकिन वर्तमान में उसकी लागत 399 करोड़ रुपये हो गई है। इस तरह से लागत आसमान को छू रही है, लेकिन परियोजना पूरी नहीं हुई। सरदार सरोवर परियोजना पर गुजरात में 1980 के दशक में काम शुरू हुआ था। इसकी अनुमानित लागत 4655 करोड़ रुपये थी। लेकिन आज वह लागत बढ़कर 30823 करोड़ रुपये हो गई है।

सभापति महोदय, हमने सिंचाई की उपेक्षा की है और उसका परिणाम यह हुआ है कि जो परियोजनाएं पहली पंचवर्षीय योजना में सिंचाई के नाम पर शुरू की गई थीं, वे परियोजनाएं आज तक पूरी नहीं हुई हैं। अगर हमारे देश में सिंचाई की व्यवस्था नहीं होगी और हम केवल प्रकृति के भरोसे रहेंगे तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हम हिन्दुस्तान की हालत को बदल नहीं सकते। खेती के लिए पानी आवश्यक है और उसके लिए जो समुचित प्रयास होना चाहिए, वह प्रयास हमारे देश में नहीं हुआ है।

सभापति महोदय, अभी हिन्दुस्तान के 40 किसान संगठनों ने एक बैठक की और उस बैठक के बाद जो ज्ञापन तैयार किया गया और उस ज्ञापन में जो प्रमुख बातें किसानों ने उठाई हैं, उनके बारे में मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। किसानों ने कहा कि जिस तरह से रेलवे के लिए अलग बजट बनता है, ठीक उसी तरह से कृषि के लिए भी अलग से बजट की व्यवस्था होनी चाहिए। खेती को केन्द्रीय सरकार की सूची में शामिल करना चाहिए। खेती को सरकारी दबाव से मुक्त करना चाहिए। खेती से संबंधित सभी मंत्रालयों के बारे में अभी माननीय सदस्य श्री नीतीश कुमार जी ने जिक्र किया। महोदय, मैं वर्ष 1977 में लोक सभा का सदस्य था। मैं भी मंत्री रहा हूं। मैं जिस विभाग का मंत्री था, श्री नरसिंहराव जी की सरकार में उस विभाग के छः मंत्री थे। मुझे नहीं मालूम वे मंत्री क्या काम करते थे। आज कृषि मंत्रालय को इतने विभागों में बांट दिया गया है कि अगर किसान उन विभागों के चक्कर लगाये तो मैं समझता हूं कि एक दिन वह उनके चक्कर नहीं लगा सकता। एक छतरी के नीचे किसानों का जिन विभागों से संबंध है, उन सब विभागों को मिलाकर कृषि मंत्रालय के अधीन बना देना चाहिए, जिससे किसानों को तकलीफ न हो।

मैं आपकी मार्फत कहना चाहता हूं कि गंगा-यमुना का जो बेसिन है, उस बेसिन का एक-तिहाई से ज्यादा भाग कृषि क्षेत्र में फैला हुआ है और खेती के लिए इसमें पर्याप्त जल उपलब्ध है। शोधकर्ताओं ने कहा है कि इन क्षेत्रों में गेहूं और चावल का अधिकतम उत्पादन किया जा सकता है। यहां गेहूं छः से आठ टन प्रति हैक्टेयर और चावल आठ से दस टन प्रति हैक्टेयर तक इन इलाकों में पैदा किया जा सकता है। लेकिन उपज को बढ़ाने के लिए हमने कोई कोशिश नहीं की। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि के क्षेत्र में तमाम शोध हुए हैं, लेकिन बेहद तकलीफ के साथ कहना पड़ता है कि इन शोधों को केवल प्रयोगशालाओं तक ही सीमित रखा गया। जब तक इन शोधों के बारे में आम आदमी नहीं जानेगा, किसान नहीं जानेगा तो वह अपनी उपज को किस तरह से बढ़ायेगा। इसलिए भूरिया जी, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिये, आज कृषि के क्षेत्र में जो प्रयोग हो रहे हैं, कृषि के लिए आज जो प्रयोगशालाएं हैं, ये प्रयोगशालाएं दिल्ली, लखनऊ और कलकत्ता में चलती हैं। मेहरबानी करके इन प्रयोगशालाओं के जो निष्कर्ष निकलते हैं, वे अगर गांवों के गरीब लोगों, किसानों और खेतों तक नहीं पहुंचे, आम आदमी तक नहीं पहुंचे तो इन प्रयोगों का कोई मतलब नहीं है। इसके साथ ही खेती पर जो पूंजी निवेश है, उस पूंजी निवेश के बारे में हम लोगों को समीक्षा करनी चाहिए।

यहां से फरमान जारी हो जाता है कि वित्तीय संस्थाओं के लिए कि वित्तीय संस्थाएं 18 प्रतिशत ऋण किसानों को देंगी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है। किसानों के सवाल पर वित्तीय संस्थाएं भी नीरस रहती हैं और निर्देशों के बावजूद भी किसानों को जितना ऋण मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता। यह देखने की आवश्यकता है। ...*(व्यवधान)* वह दोषपूर्ण प्रणाली है। किसान की जो दुर्गति होती है उसे आप खुद भली-भांति समझते हैं। मैं आपके द्वारा यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों को कर्जा देने के लिए जो हुक्मनामा जारी होता है, वित्तीय संस्थाएं उसको अमली जामा पहना रही हैं या नहीं, इसको भी देखने की आवश्यकता है।

चीन का कृषि योग्य क्षेत्रफल भारत के कृषि योग्य क्षेत्रफल से आधा है मगर कृषि उत्पादन हमसे ज्यादा है और उसका एक कारण यह भी है कि चीन हमारी तरह रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं कर रहा है। वह अब ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग ज्यादा कर रहा है। यह सब देखने की आवश्यकता है। यह बात सही है कि रासायनिक खाद खेतों को बंजर बनाती है। मैं आपके द्वारा सरकार से कहना चाहता हूं कि आज बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है और खास बात यह है कि यह जो रबी की फसल है इस फसल के समय चारों तरफ त्राहि-त्राहि मची है कि किसान को खाद नहीं मिल रही है। इस पर सरकार को तवज्जो देनी चाहिए और भूरिया

[श्री रामजीलाल सुमन]

जी से मैं जरूर कहना चाहूंगा कि यह जो सूखा और बाढ़ है, इसके समय जिन राज्यों में संकट होता है, उस संकट के समय भारत सरकार उदार भाव से लोगों को मदद नहीं करती, इमदाद नहीं करती। पिछली बार हमारे उत्तर प्रदेश में सूखा पड़ा था। 70 में से पांच जिलों को छोड़कर 65 जिलों में सूखे का प्रकोप हुआ। राज्य सरकारों की आर्थिक मर्यादाएं होती हैं। उनके पास सीमित आर्थिक संसाधन होते हैं। हमने 54 लाख रुपये खर्च किये और 50 लाख रुपये हर जिले को दिये। भारत सरकार ने खुद अपने लोगों को मौके पर भेजा और जांच की कि कितना नुकसान हुआ है। लगभग 2937 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ पाया गया लेकिन 192 करोड़ रुपये भारत सरकार की ओर से दिये गये। उत्तर प्रदेश की सरकार ने फरियाद की कि आपका जो कर्जा हमारे ऊपर है, क्योंकि यह राजस्व की वसूली नहीं कर रहे हैं इसलिए मेहरबानी करके इस कर्जे का ब्याज अगले वर्ष के लिए ले जाइए, लेकिन वह कृपा भी नहीं की गई। यह जो सरकार का रवैया है, वह अत्यन्त निन्दनीय है।

अंत में मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस बहस के बाद किसानों के हालात को सुधारने के लिए, किसानों की तकलीफों को समझने के लिए इस बात पर गंभीरतापूर्वक चर्चा होनी चाहिए कि अब तक जो आत्महत्याएं किसानों ने कीं, लेकिन भविष्य में कोई किसान बेबसी और लाचारी की वजह से न मरे, इसकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए।

सभापति महोदय : श्री पी. मोहन —अनुपस्थित। श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : सभापति महोदय, आज इतने महत्वपूर्ण विषय पर सदन चर्चा कर रहा है, इसके लिए मैं बसुदेव आचार्य जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस चर्चा को सदन में उठाया। आज ऐसी कम्युनिटी पर चर्चा हो रही है जो अकेला और तनहा है। किसान ऐसा संवर्ग है जो अपने टार्गेट को पूरा करता है। चाहे राष्ट्रीय उत्पादन का नेशनल टार्गेट हो, आज यदि हम किसी एक कौम पर गर्व कर सकते हैं तो वह किसान है। आज किसान की वजह से ही अनाज के भंडार भरे हैं। कोई दूसरा महकमा या दूसरा कोई विभाग बताया जाए जो देश का सिर उठाने की सामर्थ्य रखता हो। यदि कहीं किसी कौम पर हमें गर्व है तो वे किसान ही हैं। लेकिन किसान की हालत यह है कि उसकी खेती आज घाटे का व्यवसाय बन गई है। यह सबसे घाटे का व्यवसाय इसलिए बन गई है कि डिसट्रैस सेल पर उसको अपना माल बेचना पड़ता है। मैं इस बहस को दलों की सीमाओं से ऊपर उठकर करना चाहता हूं और इस देश के करोड़ों किसानों के साथ तभी न्याय होगा।

सभापति महोदय, श्री शरद पवार आज यहां कृषि मंत्री हैं। वे बहुत अनुभवी हैं। उन्हें इस विषय की काफी जानकारी है। वे इस बारे में तफसील से जानते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से उनके ध्यान में दो–तीन बातें लाना चाहता हूं। पहली यह कि किसानों की खेती घाटे का व्यवसाय हो गयी है। वह घाटे का व्यवसाय न हो और उन्हें उनकी पैदावार के लाभदायक मूल्य मिलें, इसके लिए क्या तरीका हो सकता है, इस पर सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

महोदय, मैं समझता हूं कि इस बहस को दलों से ऊपर उठकर करना चाहिए क्योंकि आज किसानों की स्थिति ऐसी हो गई है कि उन्हें लाभदायक मूल्य नहीं मिल रहे हैं। किसान सबसे ईमानदार कौम है। किसान ऐसी कौम है जो यदि बेईमानी करना भी चाहे, तो भी नहीं कर सकता। यदि पांच कट्ठे जमीन में बीज बोया गया, पानी दिया गया, कीटनाशक डाले जाएं और लेबर सुपरवीजन किया जाए, तो पांच कट्ठे में पैदावार होगी। यदि पांच में से चार कट्ठों में बीज, पानी, कीटनाशी और लेबर सुपरवीजन करें, तो फसल चार कट्ठे में ही होगी, पांच कट्ठों में नहीं हो सकती है। इसलिए किसान से ज्यादा ईमानदार कौम इस देश में दूसरी नहीं है। दूसरी ओर अन्य वर्गों की तुलना करें जैसे बड़े–बड़े कारखाने खड़े करने वाले लोग हैं; इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने वाले लोग हैं या कोई और इसी प्रकार का काम करने वाले लोग हैं। उनके कामों में बेईमानी की पूरी गुंजाइश रहती है। मान लीजिए पांच किलोमीटर सड़क बननी है, तो साढ़े चार किलोमीटर सड़क बनाकर ही उसका उद्घाटन कर दिया जाता है। किसी गांव में यदि वह रैवेन्यू गांव है, तो एक टोले में या एक मोहल्ले में बिजली दे दी जाती है, तो उस गांव को विद्युतीकरण मान लिया जाता है। इस प्रकार से हर जगह बेईमानी की गुंजाइश है। अकेली किसान ऐसी कौम है जो ईमानदार है और यदि बेईमानी करना चाहे, तो भी नहीं कर सकती है। वह ही ऐसी कौम है जो इस देश के हर वर्ग को भोजन खिला रही है फिर चाहे वह सीमा पर लड़ने वाला, दफ्तर में काम करने वाला अथवा खेत में काम करने वाला, कोई भी हो।

महोदय, आज किसान की हालत यह है कि वह दूसरों को भोजन देता है, लेकिन खुद भूखा रह जाता है। उसे अपने परिवार के लिए, अपने बेटे के लिए रोजमर्रा का सामाम खरीदने के लिए अपना माल बहुत कम कीमत पर बेचना पड़ता है। उसे अपना घर चलाने के लिए अपने सामान को डिस्ट्रैस कीमत पर बेचना पड़ता है। कपड़े खरीदने, बच्चे की किताबें खरीदने या विवाह शादी के अवसर पर अन्य सामान खरीदने के लिए जब उसे पैसे की जरूरत होती है, तो वह अपने द्वारा उत्पादित फसल को डिस्ट्रैस कीमत पर बेचने को मजबूर हो जाता है। उसे अपना सामान, समर्थन मूल्य के अभाव में बेचना पड़ता है।

महोदय, जहां तक किसान को समर्थन मूल्य देने का सवाल है, किसान की इस मामले में पहले भी उपेक्षा होती रही है। हालांकि यू.पी.ए. सरकार ने उसके लिए कुछ व्यवस्था की है, लेकिन वह अभी तक कागजों पर ही नजर आ रही है, पता नहीं वह कब धरती पर उतरेगी। हमें आशंका है कि किसान के साथ इस मामले में भी अन्याय होगा। इसलिए इस हेतु दृढ़–संकल्प की जरूरत है।

महोदय, डिस्ट्रैस मूल्य पर किसान को अपनी फसल बेचने की चर्चा यहां पर मैं इसलिए कर रहा हूं कि समर्थन मूल्य इस देश में केवल तीन–चार राज्यों में ही मिलता है। यह अच्छी बात है कि किसानों को समर्थन मूल्य मिले, लेकिन हम चाहते हैं कि पूरे देश के सभी राज्यों में यह सुविधा किसानों को मिले। अभी हमारे श्री रघुनाथ झा बता रहे थे कि गोपालगंज में जिला मुख्यालय क्रय केन्द्र खुल रहा है। किसान जो धान या गेहूं पैदा करेगा वह अपने गांव से 70 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय पर अपनी फसल को बेचने जाएगा, तो उसे ट्रांसपोर्ट कास्ट इतनी पड़ेगी। इससे उसे समर्थन मूल्य मिलने के बाद भी घाटा होगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि समर्थन मूल्य पर फसल खरीदने का केन्द्र जिला स्तर की बजाए ब्लॉक स्तर पर खुले। हर ब्लाक मुख्यालय पर ऐसे केन्द्र स्थापित किए जाएं।

सभापति महोदय, मैं इसके साथ–साथ सुझाव भी देना चाहता हूं, हालांकि जो व्यावहारिक होगा, मंत्री जी वही करेंगे। मैं चाहता हूं कि प्रखंड स्तर पर भी क्रय केन्द्र खोले जाएं, जिससे उन्हें डिस्ट्रेस मूल्य पर अपनी चीजों को बेचने पर विवश नहीं होना पड़े। उन्हें समर्थन मूल्य मिल सके, जिससे उन्हें कुछ फायदा हो सके। दूसरे नंबर मैं यह कहना चाहता हूं कि किसानों को ऋण देने की जो व्यवस्था है, वह बैंकिंग पालिसी के अन्तर्गत आती है। पता नहीं माननीय मंत्री जी इसको कितना करा पाएंगे। जो बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, लम्बी कार खरीदने के लिए, अपने गृह निर्माण करने के लिए छः प्रतिशत से लेकर साढ़े सात प्रतिशत तक ब्याज पर उन्हें लोन खाली इन्कम टैक्स क्लियरेंस का सर्टिफिकेट दिखाते ही स्वीकृत हो जाता है।

अभी एक माननीय सदस्य ठीक कह रहे थे कि बहस उस पर होनी चाहिए, जिस पर 75–80 प्रतिशत आबादी निर्भर करती है, खेती पर निर्भर करती है। बंगले वाले किसान नहीं, हल जोतने वाले, खेती में काम करने वाले जो खेतिहर मजदूर और किसान हैं, छोटे, मझौले सीमांत किसानों को 12 प्रतिशत से 14 प्रतिशत दर पर ऋण मिलता है। विभिन्न बैंकों में अलग–अलग रेट हैं, आरबीआई की अलग गाईडलाइन्स है। आरबीआई वाले कहते हैं कि जिस राज्य में निवेश होगा, उसका 30 प्रतिशत एग्रीकल्चर सैक्टर में खर्च होगा। क्या आरबीआई की गाईडलाइन्स का अनुपालन हो रहा है। छः प्रतिशत से आठ प्रतिशत तक बड़े अमीर लोगों को ऋण मिलता है। वे कितना पैसा चुकाते हैं। एनपीए को देखा जाए, आज एक लाख करोड़ रुपया नॉन परफौर्मिंग असेट्स में बाकी है। उनकी लिस्ट डिस्पले होनी चाहिए।

महोदय, मैं उम्मीद करता हूं कि जो बैंकिंग विभाग इसे देखते हैं, वे उस लिस्ट को डिस्पले करें, कि कौन कार्पोरेट हाउस, बिग हाउस और केपिटिलिस्ट उसमें है। हमारी गाढ़ी कमाई का जो पैसा है, किसान, मजदूर और गरीब का पैसा बैंक में जमा है, वे उसे कम ब्याज पर, छः से आठ प्रतिशत पर ले लेते है। फिर चाहे वे घर बनाएं या लम्बी कार खरीदें। अगर कोई गरीब किसान किसी कार्य के लिए लोन लेगा तो उससे 12 से 14 प्रतिशत लेंगे। अब बैंक की यह पालिसी बनी है, अब किसानों का रेट ऑफ इंटरेस्ट घट गया, क्योंकि एनपीए एक लाख करोड़ रुपए तक बढ़ गया और दूसरी तरफ गरीब लोगों का रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा दिया। आप गरीब के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएं। आप किसानों को क्यों मार रहे हैं, जो निवेश उसमें जमा किया है, उसका इंटरेस्ट क्यों घटा दिया?

महोदय, आम नागरिक पांच–दस हजार रुपया बैंक में जमा करते हैं, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा दिया गया। गरीबों को दोहरी मार कर रहे हैं, उनसे एक तरफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लेंगे और दूसरी तरफ बैंक से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देंगे। किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। मैंने इसलिए इसकी चर्चा की। ग्रामीण भारत की दृष्टि अलग है और शहरी भारत की अलग है। इंडिया और भारत में फर्क न हो, ऐसा संकल्प इस सरकार का हो, इस दिशा में काम किया जाए, अन्यथा किसानों का देश अलग और असली भारत अलग रहेगा और इंडिया अलग रहेगा। इंडिया में 15–20 प्रतिशत लम्बी कार खरीदने वाले लोगों को सस्ती दर पर मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फाइनैंशियल इंस्टीट्यूशन है, यह जिस इंस्टीट्यूशन को स्पोंसर्ड करता है, उस पर ध्यान दिया जाए। उसने जो पैसा दिया है, वह वसूल क्यों नहीं होता? उनका नाम क्या है, उसे डिस्पले किया जाए। मैं शिवराज सिंह जी और सुमन जी की बात सुन रहा था। गांवों में ऋण लेकर बैल, मवेशी लिए जाते हैं। उसे सर्टिफिकेट जारी होता है और लैंड का मॉडगेज कर दिया जाता है। हमने जिसके लिए ऋण लिया है, हमारी लैंड भी कुर्क हो जाएगी, उन लोगों ने इनकम का सर्टिफिकेट दे दिया और उन्हें लोन मिल गया। उनके लिए कितना सस्ता तरीका है और किसानों के लिए कितना जटिल तरीका है।

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

सभापति महोदय, मैं आपके सामने दो बिन्दु रखूंगा। बेरोजगारी इसलिए है, क्योंकि देश में गरीबी है, गरीबी के कारण बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी के कारण गरीबी है। सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करने वाला किसान, जो सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र में रोजगार पैदा करता है, उस किसान का बेटा सबसे ज्यादा बेरोजगार है। इसलिए गरीबी का कारण बेरोजगारी है। जब तक बेरोजगारी खत्म नहीं होगी तब तक गरीबी दूर नहीं होगी। हम चाहे जो भी नारा लगाएं, पावर्टी एलिविएशन का जो भी नारा दें, लेकिन आज किसानों की क्रयशक्ति नहीं बढ़ रही है, घट रही है। जब तक किसानों की जेब में पैसा नहीं होगा तो खेती का क्या होगा। नया–नया रूरल मार्केटिंग, उदारीकरण और भूमंडलीकरण है, नयी–नयी चीजें निकल रही हैं।

विश्व में नई–नई चीजें निकाली जा रही हैं। कह रहे हैं कि अब रूरल मार्केटिंग होगी। रूरल मार्केटिंग में विदेशी सामान बिकेगा। कहां से सामान आयेगा। डब्ल्यू.टी.ओ. कहता है कि भारत का जो एम.एस.पी. है, इसे कम करो, यह कंडीशन है। यह ठीक है कि भारत सरकार इसमें काफी मजबूती से, दृढ़ता से अविकसित देशों के लिए, गरीब देशों के लिए और तीसरी दुनिया के देशों के लिए पहल कर रही है, लेकिन जो विकसित देश हैं, उनक एजेण्डा है किसानों के लिए कि एम.एस.पी. घटाओ, तब हम सब्सिडी पर विचार करेंगे। जो 200 और 300 परसेंट सब्सिडी किसानों को यू.एस.ए. और दूसरे देशों में दी जाती है, उनसे हम कैसे कम्पीट करेंगे। डब्ल्यू.टी.ओ. का मतलब है, जब से मात्रात्मक प्रतिबन्ध हट गया है, क्वाण्टिटेटिव रेस्ट्रिक्शन जब से हटी है, तब से फ्री फॉर ऑल हो गया। अब मार्केट में विदेशों के कृषि उत्पाद धड़ल्ले से आएगे, उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। उनके 200, 300 परसेंट सब्सिडी वाले उत्पाद आएंगे और हमारी घाटे वाली कृषि है तो हम कैसे कम्पीट करेंगे? क्या भारत विदेशी कृषि उपज का डम्पिंग ग्राउण्ड नहीं बन जायेगा? मैं इसलिए चाहता हूं कि भारत को विदेशी अनाज का डम्पिंग ग्राउण्ड नहीं बनने दिया जाये। इसके लिए मेरा सुझाव है कि काउण्टर वेलिंग ड्यूटी जो भी लगानी हो, वह लगानी चाहिए ताकि हम अपने किसानों को संरक्षित कर सकें, अपने कृषि पेशे को बचा सकें। ...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज सिंह चौहान : सभापति महोदय, यहां हम कृषि की समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वरिष्ठ मंत्री माननीय रेड्डी जी निद्रा में निमग्न है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अनन्त कुमार (बंगलौर दक्षिण) : मंत्री महोदय आंध्र प्रदेश में किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं से चिंतित हैं और वह स्वयं को मजबूर महसूस कर रहे हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : *मैं वक्ता, श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव की बात सुन रहा हूं।*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मैं डब्ल्यू.टी.ओ. के बारे में कह रहा था। मैंने इसीलिए बसुदेव आचार्य जी को धन्यवाद दिया था कि डब्ल्यू.टी.ओ., भूमण्डलीकरण और रूरल मार्केटिंग की जो अवधारणा है, इसके साथ एक और अवधारणा खुले बाजार, ओपन मार्केट की है। और न जाने कितनी अवधारणाएं चल रही हैं। इसीलिए मैंने कहा कि प्रेक्टिकल यह है कि काउण्टर वेलिंग ड्यूटी लगनी चाहिए, बाहर के कृषि अनाज पर रोक लगनी चाहिए। अपनी कृषि और अपने किसानों के हित को, अपने राष्ट्रीय हित को जब तक हम संरक्षित न कर लें, तब तक हमें डब्ल्यू.टी.ओ. की कंडीशंस को रेजिस्ट करना चाहिए। हम अपने स्टेंड को मजबूती से ले रहे हैं, जो दुनिया भर का मंच बना हुआ है। कितने ही समझौते हुए हैं, समझौते बराबर चल रहे हैं, लेकिन समझौते के फैसले नहीं हो पा रहे हैं। अच्छी बात है कि हम अपना स्टेंड मजबूती से ले रहे हैं। ..*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त करें।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मैं लास्ट पाइंट रखूंगा। जो देश पानी का सही उपयोग नहीं करेगा, वह देश कभी समुन्नत नहीं हो सकता। वाटर मैनेजमेंट में जब तक 40 परसेंट से ज्यादा सिंचाई का उपयोग नहीं होगा, हम समझते हैं कि पानी का जब तक सही प्रबंधन नहीं होगा, तब तक बाढ़ सुखाड़ से हम नहीं बच सकते हैं। हमारे देश में प्रतिवर्ष 10 हजार करोड़ रुपया डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम पर, रिलीफ के नाम पर भारत सरकार खर्च करती है। पांच हजार करोड़ रुपये नकद खर्च करती है, जो पानी में डूब जाता है और पांच हजार करोड़ रुपया बाढ़ और सुखाड़ के कारण खर्च हो जाता है। फूड फॉर वर्क में अनाज के नाम पर खर्च हो जाता है। दस हजार करोड़ रुपया प्रतिवर्ष खर्च हो जाता है, यह व्यर्थ चला जाता है, यह मेरा कहना है। यह ठीक है कि उस समय इसकी जरूरत होती है, लोगों को राहत देनी पड़ती है, उसकी मांग होती है। हमारे यहां डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लेकिन कोई योजना बनाकर इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने के बाद भारत सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। उत्तरी बिहार में, खासकर नेपाल से आने वाली जो नदियां हैं, वे 5–7 राज्यों में तूफान मचाती हैं, वे न केवल बिहार में, बल्कि असम में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश के कुछ भाग में, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों में जो पानी तूफान मचा रहा है, इससे करोड़ रुपये की फसल हर

साल बर्बाद हो जाती है, इसके लिए यह तय हुआ था कि सात जोइंट एप्रोच कार्यालय नेपाल में खुलेंगे, लेकिन अभी तक मात्र दो कार्यालय ही खुल पाये हैं। अभी तक डी.डीआर. नहीं बना है। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपने बहुत अधिक समय ले लिया है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : बाढ़ और सुखाड़ के स्थायी समाधान की दिशा में सरकार को पहल करनी चाहिए। मैं यही अन्तिम बात कहकर जो आत्महत्या आजादी के 56–57 वर्ष के बाद भी हो रही हैं, यह किसी दल की बात नहीं है, यह ग्लानि की बात है, यह शर्मनाक है, चाहे कहीं भी हो, राजस्थान में हो, आन्ध्र प्रदेश में हो, महाराष्ट्र में हो, मध्य प्रदेश में हो, खासकर जहां कैश क्राप पैदा होती है, वहां उसका उचित मूल्य नहीं मिलता। कैश क्राप में आप गन्ना किसान की हालत देखिये। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यादव जी, अब आप समाप्त करिये।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : कपास की खेती में और कैश क्राप की खेती में किसान की हालत खराब है। इनकी हालत बहुत ही गम्भीर है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 56–57 वर्ष की आजादी के बाद भी हम सब लोगों का सिर इन आत्महत्याओं के कारण शर्म से झुक जाता है। जो किसान देश का गौरव है, जिस पर हमें फख्र है, जो हमें अनाज का भंडार देता है, उसके लिए आज आत्महत्या करने की नौबत आ गई है, इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

मैंने सरकार को स्थायी समाधान के बारे में जो सुझाव दिए हैं, काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाने के ...*(व्यवधान)* किसान कम दाम पर अनाज नहीं बेचे, उसे लाभकारी मूल्य मिल सके, इसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप बार–बार एक ही बात कह रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री महबूब ज़ाहेदी (कटवा) : सभापति जी, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। यह चर्चा इतने कम समय में नहीं होनी चाहिए, इसके लिए ज्यादा समय की जरूरत है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा लेकिन दो बातों की ओर प्रधान मंत्री जी और आदरणीय कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप देखें हरियाणा, गुजरात, पंजाब और राजस्थान में क्या हालत है। कपास की कृषि की ओर देखें। अखबारों में भी यह खबर आई थी। ...*(व्यवधान)* सरकारी रिपोर्ट भी मिली है। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 4.51 बजे

(श्री अर्जुन सेठी *पीठासीन हुए)*

मैं पहले हरियाणा के बारे में कहना चाहूंगा। हरियाणा में जो कपास पैदा होता था, उसका दाम प्रति क्विंटल 2,000 रुपये से कम नहीं था। लेकिन अब हालत यह हो गई है कि वह 1,700 रुपये पर क्विंटल में बिक रहा है। मैं मंत्री जी से अर्ज करना चाहूंगा, अगर आप हिसाब करें कि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, पैदावार खर्च कितनी है। आप देखेंगे कि छः क्विंटल कपास का मूल्य 12,000 रुपये है, लेकिन वह 1,700 रुपये प्रति क्विंटल पर बिक रहा है, मतलब साढ़े दस हजार के हिसाब से किसान को कपास बेचनी पड़ती है। यह सोचना चाहिए कि इसके बारे में क्या होगा। पिछले दस सालों में कपास का दाम 12,000 रुपये से नहीं घटा, लेकिन इस बार घट गया। किसान की हालत दिन–प्रतिदिन खराब होती जा रही है। राजस्थान में किसानों को नहर के पानी के बारे में कुर्बानी देनी पड़ी। वहां 40 लाख बेल्स कॉटन पैदा होती थी, लेकिन अब वह दस हजार बेल्स पर आ गई है। उत्पादन एकदम घट गया है। मेरे बहुत से मित्र कह रहे थे कि फाइनैंशियल कैपिटलाइजेशन कम हो रहा है। किसान सबसे ज्यादा पैदावार करता है। वह हमारे एक्सचेकर में महत्वपूर्ण योगदान देता है लेकिन बजट की ज्यादातर चीजें किसानों से संबंधित नहीं होती हैं। बजट का खर्च दूसरे मदों में ऊंचा हो जाता है। हम काफी समय से कह रहे हैं कि किसान की पैदावार को बेचने के लिए कोई स्थायी बाजार होना चाहिए।

हम पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। वहां आलू ज्यादा पैदा होता है। इस बार भांग सबसे ज्यादा पैदा हुई है। लेकिन आलू की हालत यह है कि कोल्ड स्टोरेज में रखने की जगह नहीं है। 60 प्रतिशत आलू सस्ते में ही गिर जाता है।

मैं एक और बात कहकर समाप्त करूंगा। मैं कृषि मंत्री जी को बहुत मानता हूं। हमने साथ–साथ बहुत काम किया है। मैं उनसे तीन चीजों का ख्याल रखने के लिए कहना चाहता हूं। उत्पादन ज्यादा हो, बाजार ज्यादा हो। हम पहले दिन से इस बात के लिए

[श्री महबूब ज़ाहेदी]

लड़ रहे हैं कि क्वान्टिटेटिव रिस्ट्रिक्शन्स न लगाएं और इसे कृषि के ऊपर लागू न करें।

हमने एक चीज और कही थी कि हम जो चीजें पैदा करते हैं, उन चीजों को हम बाहर से नहीं आने देंगे। हम जो बीज बनाएंगे, उसे हम मोन्सांटो और करगिल जैसी मल्टी नेशनल कम्पनीज को डम्पिंग नहीं करने देंगे। हमने यह भी कहा था कि बीज बनाने वाली जो जमीन है, उसके लिए हिन्दुस्तान की जमीन आप इस्तेमाल मत करो। हम लोगों के जो साइंटिस्ट हैं, वे उसे देखेंगे और अपनी जमीन, अपना पानी, और अन्य चीजों से उसे लागू करें। मैं यह बोलकर अपनी बात खत्म करूंगा कि जब से मैं पार्लियामेंट में आया हूं तब से मैं एग्रीकल्चर की कंसल्टेटिव और स्टैंडिंग कमेटी का मैम्बर रहा हूं। इसके अलावा मैं किसी दूसरी कमेटी का सदस्य नहीं हूं। हमें क्या तकलीफ है, वह सब हम सरकार के सामने बोलेंगे। मगर एक बात यह है कि यह खाली कृषि की बात नहीं है। कृषि से जुड़े हुए और भी विभाग हैं।

[अनुवाद]

सिंचाई विभाग, उर्वरक विभाग आदि जैसे अन्य विभाग हैं जो कृषि से संबद्ध हैं। मैं नहीं जानता कि कृषि की बात पर एकीकृत रूप में चर्चा क्यों नहीं की जा सकती है

[हिन्दी]

वे सब एक साथ बैठकर क्यों नहीं डिस्कस करते क्योंकि एग्रीकल्चर तो एक ही है। पानी दूसरे डिपार्टमेंट में है, खाद दूसरा डिपार्टमेंट है आदि। हमने उन्हें कहा था कि आप आपस में कोआर्डिनेशन कीजिए। एनडीए सरकार का वायदा था कि हम दस साल में कृषि को दो गुना कर देंगे। अगर हम आपस में कोआर्डिनेशन करके ऐसा करें तो कृषि को हम भी दस साल के भीतर दो गुना कर सकते हैं। यही कहकर मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार : माननीय सभापति, मुझे प्रसन्नता है कि एक वरिष्ठ और अनुभवी राजनीतिज्ञ, श्री शरद पवार कृषि मंत्री हैं। वह एक महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञ भी हैं जिनका महाराष्ट्र तथा समूचे भारत में राजनैतिक दबदबा है और यदि वह चाहें तो इस प्रभाव से लाखों किसानों के जीवन और कृषि में परिवर्तन ला सकते हैं।

जब मैं किसानों द्वारा की गई आत्महत्याओं के आंकड़े देखता हूं तो मुझे बहुत दुःख होता है। हर वक्ता ने इसके बारे में विस्तार से कहा है। मैं विशेष उदाहरणों के बारे में नहीं बता रहा हूं। केरल के वायनाड जिले में 48 किसानों ने आत्महत्या की है। महाराष्ट्र में वर्ष 2004 के जून, जुलाई और अगस्त माह में, 45 किसानों ने आत्महत्या की है। आंध्र प्रदेश में 18 मई से 29 मई तक 80 किसानों ने आत्महत्या की। कर्नाटक में, आज तक एक हजार से अधिक किसानों ने आत्महत्या की हैं। मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य डा. चिन्ता मोहन ने इस बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया। 14 मई, 2004 से 30 नवम्बर, 2004 तक आंध्र प्रदेश में ही 1,876 किसानों ने आत्महत्या की। मैं तारीख 14 मई, 2004 को दोहराता हूं। भुखमरी से 192 मौतें हुईं।

मेरा माननीय कृषि मंत्री से मूल प्रश्न यह है कि इतने किसान आत्महत्या कर रहे हैं, ऐसे में संप्रग सरकार की कार्य योजना क्या है? क्या इन आत्महत्याओं को रोकने हेतु केन्द्र सरकार की कोई कार्य योजना है? संबंधित राज्य सरकारें क्या कर रही हैं?

अपराह्न 5.00 बजे

वे उन किसानों के परिवारों को मुआवजे की राशि दे रहे हैं जो आत्महत्या कर चुके हैं। मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं। क्या किसानों द्वारा की जाने वाली आत्महत्याओं को रोकने के लिए कोई कार्य योजना है? मुझे आशा है कि उत्तर देते समय कृषि मंत्री स्थिति रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेंगे। केन्द्र सरकार का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्र तथा संसद को किसानों द्वारा की जाने वाली आत्महत्याओं की स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करें। विभिन्न राज्यों में कितने किसानों ने आत्महत्या की है? इसके क्या कारण है। केन्द्र सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकारों ने क्या निवारक उपाय किए हैं और इनका क्या प्रभाव पड़ा है? मुझे आशा है कि ऐसी स्थिति रिपोर्ट संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

दूसरा, मैं यह भी जानना चाह रहा था कि किन कारणों से किसान आत्महत्या कर रहे हैं? किस आयु में वे आत्महत्या करते हैं? किसान 18 से 20 वर्ष की आयु में खेती शुरू कर देते हैं। औसतन, देशभर में 35 से 45 वर्ष की आयु में किसानों ने आत्महत्या की है। इसके क्या कारण हैं? इसके अनेक कारण हैं। उन्हें कोई ऋण नहीं मिल रहा है। उन्हें गुणवत्ता आदान नहीं मिल रहे हैं। उन्हें विस्तार सेवाएं नहीं मिल रही है। फसल बीमा ढोंग बन गया है क्योंकि तहसील एक इकाई बन गई है तथा प्रीमियम दर फसल की चार प्रतिशत है। यद्यपि उन्होंने अपने मंगलसूत्र, मूल्यवान गहने बेचकर अपना प्रीमियम दिया है, फिर भी उन्हें एक, डेढ़ अथवा दो वर्षों के बाद भी मुआवजा नहीं मिल रहा है। अनेक राज्यों और जिलों में वर्ष 2003-2004 का मुआवजा आज तक नहीं दिया गया है। प्रशासन बुरी तरह से विफल हुआ है। पंचायतों अथवा समुदायों से उन्हें कोई संस्थागत सहायता नहीं दी गई है। बैंक ऋण तथा

निजी ऋण पर ब्याज से ऋण बढ़ता ही जा रहा है। उन्होंने अपना सारा सोना बेच दिया है। उन्होंने अपनी जमीन को गिरवी रख दिया है। अंततः, 35, 40 और 45 वर्ष की आयु में जब उनके बच्चे बड़े हो गए, जब उनके विवाह की बात आती है तो उन्हें लगता है कि अब उनके लिए कोई आशा नहीं बची है। आज सभी समझ सकते हैं कि स्वयं को मारना कितना कठिन होता है। वे 35–40 वर्ष की आयु में आत्महत्या करते हैं। यह त्रासदी है।

जब भारतीय कृषि समृद्ध हो रही है, तब किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हम 2110 लाख टन से अधिक खाद्यान्न उत्पादन स्तर तक पहुंच गए हैं। हमारा देश अतिरिक्त खाद्यान्न वाला देश बन गया लेकिन हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हमारे कृषि मंत्री इस तथ्य से सहमत होंगे कि हमारे देश में गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय महत्वपूर्ण विभाग हैं लेकिन कृषि मंत्रालय नहीं है। इसे उचित राजनैतिक महत्व नहीं दिया गया है। मैं माननीय मंत्री की उपेक्षा करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। वह एक वरिष्ठ और अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं। लेकिन योजना में कृषि, ग्रामीण विकास तथा जल संसाधन के विभागों को केन्द्र और राज्य स्तर पर इतना महत्व नहीं दिया गया है। सभापति महोदय, आप स्वयं जल संसाधन मंत्री थे। मैं सरकार या उस सरकार की बात नहीं कर रहा हूं। मैं सभी सरकारों की बात कर रहा हूं। कृषि मंत्रालय को उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना कि गृह मंत्रालय अथवा वित्त मंत्रालय या विभिन्न दूसरे मंत्रालयों को दिया जाता है। कृषकों की स्थिति भी यही है। उन्हें कोई भी सामाजिक हैसियत प्राप्त नहीं है। न ही कृषक को समाज में कोई सम्मान प्राप्त है।

एक इंजीनियर को सम्मान प्राप्त है, एक चिकित्सक को सम्मान प्राप्त है, राजनीतिज्ञ को सम्मान प्राप्त है, एक व्यापारी को सम्मान प्राप्त है, लेकिन कृषक को हेय दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए, अपने दसवीं पंचवर्षीय योजना प्रपत्र के अनुसार जब हम कहते हैं कि हमारे सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 24.2 प्रतिशत है, कुल आबादी की 66 प्रतिशत लोगों की रोजी–रोटी कृषि क्षेत्र से जुड़ी है, हमारे रोजगारों का 57 प्रतिशत रोजगार कृषि से आता है और कुल निर्यात का 14 प्रतिशत निर्यात कृषि क्षेत्र से होता है, तब क्या हम उस कृषक की स्थिति के बारे में सोचते हैं जो इस कृषि क्षेत्र में प्रगति का संचालक है। मूलभूत प्रश्न यही है।

मैं इसी बात को माननीय कृषि मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं। मैं उन्हें कृषकों की समस्याओं से अवगत कराना चाहता हूं। कृषक की व्यक्तिगत समस्याओं के साथ–साथ सरकार से संबंधित समस्याएं और व्यापार से संबंधित समस्याएं भी हैं। उसकी व्यक्तिगत समस्याएं ये हैं कि उसे समाज में सम्मान प्राप्त नहीं होता, उसकी कोई निश्चित या पर्याप्त आय नहीं होती और उसके पास कोई पूर्णकालिक काम नहीं होता। उसे बेरोजगारी और अर्ध–बेरोजगारी का सामना तो करना ही पड़ता है, साथ ही कभी अकाल के कारण, कभी सूखे के कारण और कभी बाढ़ के कारण इधर–उधर भागना पड़ता है।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात संक्षेप में कहें।

श्री अनंत कुमार : उनके लिए विकास का कोई अर्थ नहीं होता। न तो वह कोई जमीन खरीद पाता है, न ही नया ट्रैक्टर ले पाता है या नया घर बना पाता है। यहां तक कि वह एक नयी साइकिल, पंखा या टेलीविजन तक खरीद पाने की स्थिति में नहीं होता। उसे जल और विद्युत की नियमित आपूर्ति नहीं मिल पाती। उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मशीनीकरण का उसे कोई लाभ नहीं मिल पाता। बाजार सूचना तक उसकी पहुंच नहीं हो पाती। उसे स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पातीं।

महोदय, अब हम देखेंगे कि सरकार से संबंधित समस्याएं क्या हैं? ये समस्याएं हैं : राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार द्वारा घोषित कृषि नीति में विसंगतियां होना, कृषि क्षेत्र के लिए कम बजट आबंटित होना, राजनीतिक अनिश्चितता, शक्ति का विकेन्द्रीकरण न होना, पिछड़े तथा अगड़े क्षेत्रों के बीच समुचित तालमेल न होना, अवसंरचनात्मक अभाव, फसल बीमा योजना का न होना तथा मानसून पर निर्भरता आदि।

व्यापार से संबंधित समस्याएं हैं: मिलावटी नकली बीज और कीटनाशक, मापतौल में धोखाधड़ी, एजेंटों और बिचौलियों द्वारा शोषण, निजी ऋण पर बहुत अधिक ब्याज का होना तथा व्यापार कार्यकलापों में एकाधिकार।

मैं माननीय कृषि मंत्री जी से यह भी कहना चाहता हूं कि कृषि को संविधान की समवर्ती सूची में लाया जाना चाहिए। मैं नहीं जानता कि कृषि को समवर्ती सूची के अंतर्गत क्यों नहीं रखा गया है। हम इस सारे कार्यकलाप को देख रहे हैं कि भारत सरकार के अंतर्गत किस तरह माननीय कृषि मंत्री और उनके 14 सहयोगी उर्वरकों के मूल्यों, आयात–निर्यात नीति, सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क, अनुसंधान, कृषि सब्सिडी, प्राकृतिक आपदाओं पर सहायता, नाबार्ड तथा भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से ऋण, अवसंरचना, न्यूनतम समर्थक मूल्य का निर्धारण, भारतीय खाद्य निगम सी सी आई तथा नेफेड के माध्यम से खरीद तथा फसल बीमा से संबंधित कार्य करते हैं। माननीय मंत्री जी सारे कार्य आपके और आपके 14 सहयोगियों के नियंत्रणाधीन हैं। जबकि राज्य सरकारों को विद्युत,

[श्री अनंत कुमार]

कृषि, शिक्षा, सिंचाई, कृषकों को प्रशिक्षण, राजस्व, विपणन, सहकारी संस्थाओं, विस्तार तथा पशुपालन के क्षेत्र में सुधार करना होगा। लेकिन इन सबमें तालमेल कहां बैठ पा रहा है। इन सारी गतिविधियों में समन्वय कौन बिठायेगा? यह एक दूसरे से किस तरह जुड़ी हुई हैं।

मुझे बीज मिल गया तो मुझे उर्वरक के लिए संघर्ष करना है, मुझे खाद के लिए संघर्ष करना है, मुझे कीटनाशकों के लिए संघर्ष करना है। फिर, हमने बीज बो दिये। तो अब हमें मानसून पर निर्भर होना होगा। उपज के बाद हमें पता नहीं कि हमें कहां जाना है, किस मंडी में जाना है। मुझे पता नहीं कि वाणिज्य मंत्रालय की नीति क्या है इसकी आयात-निर्यात नीति क्या है, कितना खाद्यान्न आयात हो रहा है और किस दर पर हो रहा है और इससे मेरी उपज पर मेरी फसल पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

एकता के अभाव में कृषक समुदाय की ज़िन्दगी पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। इसलिए मैं इस बारे में तीन महत्वपूर्ण मांगें सरकार के सामने रखता हूं। यदि हम रेल के लिए एक अलग बजट पेश कर सकते हैं तो माननीय कृषि मंत्री कृषि के लिए एक अलग बजट पेश क्यों नहीं करते जिनमें इन सभी समस्याओं का समाधान हो। इससे न केवल पिछड़े और अगड़े क्षेत्र को आपस में जोड़ा जा सकेगा अपितु एक समेकित दृष्टिकोण भी पैदा होगा। इससे कृषि कर्मियों तथा कृषकों को पता चलेगा कि कृषि मंत्री जी कब चेतते हैं और कृषि क्षेत्र का अलग से बजट पेश करते हैं। यह सब आयात-निर्यात नीति से लेकर न्यूनतम समर्थन मूल्य तक उन पर ही निर्भर करता है। पिछले कई वर्षों से मैं यह बात नहीं समझ पाया हूं कि कृषि क्षेत्र के लिए केन्द्र सरकार अलग से बजट पेश क्यों नहीं करती।

श्री सी. के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर) : महोदय, इस विषय में क्या मुझे एक स्पष्टीकरण की अनुमति मिल सकेगी?

श्री अनंत कुमार : मैं आप की शंकाओं का समाधान भी करूंगा। मै मैदान छोड़कर जा नहीं रहा हूं।

मैं इस बात को भी अनुभव करता हूं कि कृषि के समवर्ती सूची में शामिल किये जाने की आवश्यकता है। राज्य सरकार के पास धन की कमी है। मेरे प्रिय सहयोगी, माननीय सदस्य और भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री सुरेश प्रभु जिन्होंने नदियों को जोड़ने हेतु कार्यबल का नेतृत्व किया है, ने मुझे बताया है कि सिंचाई के लिए पैसा ही नहीं है। मुझे पता नहीं है, हो सकता है आप के पास इस बारे में आंकड़े उपलब्ध हों। गत 50 वर्षों से 400 सिंचाई परियोजनाएं लंबित हैं। इन परियोजनाओं को शुरू करने में कितनी धनराशि खर्च होगी।

सभापति महोदय : ये परियोजनाएं लम्बित नहीं हैं, अपितु निर्माणाधीन हैं।

श्री अनंत कुमार : हां, ये परियोजनाएं विकास के विभिन्न चरणों पर निर्माणाधीन हैं। कर्नाटक के बीदर जिला में एक तरन्जा परियोजना है जिसकी आधारशिला श्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा रखी गयी थी और आज 40 वर्षों के बाद भी यह पूरी नहीं हुई है। ऐसी 400 सिंचाई परियोजनाएं हैं जिनमें लगभग 40,000 करोड़ रुपयों के निवेश की आवश्यकता है। इसके लिए पैसा कहां से आयेगा? यह पैसा कौन देगा?

अंत में, मैं यह भी महसूस करता हूं कि गत 50 वर्षों में केन्द्र में विभिन्न कांग्रेस सरकारों ने नदियों को आपस में जोड़ने की दिशा में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया ...*(व्यवधान)*

श्री एस. के. खारवेंतथन (पलानी) : आप कांग्रेस सरकार को दोष क्यों दे रहे हैं? आप भी तो सत्ता में थे। आप ने क्यों नहीं दिया?

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें।

श्री अनंत कुमार : महोदय, यह इसका उत्तर दे सकते हैं। क्या यह माननीय मंत्री हैं? जब इन्हें बोलने का अवसर मिलेगा तो यह निश्चित रूप से इसका उत्तर दे सकते हैं।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री अनंत कुमार : मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

मैं उन्हें इस बात से अवगत कराना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से हमने ऐसे 1,86,000 गांवों को जोड़ा जो पूरी तरह से असंपृक्त थे और जिन्हें ये गत 50 वर्षों में भी नहीं कर पाये। दूसरी बात यह कि हमने 'किसान क्रेडिट कार्ड' की शुरूआत की। हमने किसानों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 3.5 करोड़ क्रेडिट कार्ड वितरित किये।

अंत में, महोदय हमारी सरकार द्वारा नदियों को आपस में जोड़ने हेतु एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की गयी। महोदय आप तो जानते ही हैं कि कावेरी नदी सदैव कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद का कारण रही है। ...*(व्यवधान)* मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। कृपया मुझे दो-तीन मिनट और दें।

कावेरी में हमारे पास 880 टीएमसी फीट पानी है। मानसून की अनिश्चितता के कारण हम दोनों राज्यों के लिए कावेरी से पर्याप्त पानी प्राप्त नहीं कर पाते। कृष्णा बेसिन में लगभग 2500

टीएमसी फीट पानी है, गंगा में लगभग 10,000 टीएमसी फीट पानी है और ब्रह्मपुत्र में लगभग 33000 टीएमसी फीट पानी है। इसलिए श्री जवाहरलाल नेहरू, डा. अम्बेडकर, विश्वेश्वरैया, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री के.एल. राव, श्री राजीव गांधी, हमारे वर्तमान राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम तथा श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा नदियों को आपस में जोड़ने की एक महत्वाकांक्षी परियोजना की परिकल्पना की गयी। इसके लिए एक कार्यबल का भी गठन किया गया। आपके माध्यम से मैं माननीय कृषि मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बहुतायत जल वाले नदी बेसिनों से कम जल वाले नदी बेसिनों में अतिरिक्त जल हस्तांतरित करने वाली उस परियोजना का क्या हुआ?

महोदय, आप जानते हैं कि पूरा उत्तर भारत–उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड और संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र, यहां तक कि उडीसा और बंगाल हमेशा बाढग्रस्त रहते है। पश्चिमी भारत और दक्षिणी भारत – मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ सहित महाराष्ट्र और कर्नाटक हमेशा सूखाग्रस्त रहते हैं। भारत को आजाद हुए 58 वर्ष से अधिक हो गये हैं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नदियों को आपस में जोड़ने की एक परिकल्पना पर कार्य शुरू किया। उन्होंने एक कार्यबल का गठन किया लेकिन वह कार्य बल अधर में लटका है। संप्रग सरकार की मध्यावधि समीक्षा में, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की कोई चर्चा नहीं की गयी है। मुझे पता नहीं कि सरकार ने इस योजना का परित्याग कर दिया है या चला रही है। जहां तक कृषकों की आत्महत्या का प्रश्न है, इसका सरकार द्वारा कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है, न ही कोई समाधान सुझाया जा रहा है, न ही इसकी रोकथाम अथवा उपचार के लिए कार्यवाही की जा रही है।

इसलिए, अपनी बात समाप्त करने के पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि यद्यपि कृषि क्षेत्र समृद्ध हो रहा है, पर किसान दिवालिया होते जा रहे हैं और आत्महत्या कर रहे हैं। हमें इस बारे में एक दीर्घकालिक नीति बनानी चाहिए तथा कृषि बजट की तरह एक मूलभूत संस्थागत तंत्र विकसित करना चाहिए। साथ ही कृषि को समवर्ती सूची में रखना चाहिए। इसके विकास के लिए नदियों को आपस में जोड़ने जैसे कुछ बड़ी परियोजनाएं चलानी चाहिए। ऐसा होने पर ही कृषि क्षेत्र पूरी तरह विकसित हो सकेगा और कृषि मंत्री एक महत्वपूर्ण मंत्री बन पायेंगे। महोदय, हमारे यहां युवा कार्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, उपभोक्ता मंत्रालय तो हैं, लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद है कि यहां कोई कृषक मंत्रालय नहीं है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप इन सब बातों को बोल चुके हैं। अब कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री अनंत कुमार : केन्द्र सरकार में किसानों के हितों की देखभाल के लिए कोई मंत्रालय नहीं है। इसलिए, मेरा अनुरोध है कि एक समेकित कृषि और कृषक मंत्रालय होना चाहिए जो किसानों के कल्याण के लिए भी कार्य करेगा।

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्यों के ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं अभी 52 और सदस्यों को भी बोलना है। मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वह स्वयं हेतु निर्धारित समय सीमा में ही बोलें ताकि हम इस चर्चा को समय पर समाप्त कर सकें।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : महोदय, एक घंटा पहले माननीय अध्यक्षपीठ ने घोषणा की थी कि 52 सदस्य बोलने वाले हैं और एक घंटा बाद भी 52 सदस्य ही बोलने के लिए तैयार हैं ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : हम निश्चित रूप से सभी सदस्यों को समय देने की कोशिश करेंगे।

[हिन्दी]

श्री सचिन पायलट (दौसा) : सभापति महोदय, आज इस देश की सब से बड़ी पंचायत में एक बहुत ही गम्भीर विषय पर चर्चा हो रही है। मेरी नज़र में यदि किसी ऐसे वर्ग को सरकार और समाज की सहायता और संरक्षण की जरूरत है तो वह किसान वर्ग है। अगर हमें किसी वर्ग का सशक्तिकरण करना है तो वह किसान है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। इस देश की दो–तिहाई जनता कृषि पर आधारित है। मुझ से पहले कई माननीय सदस्यों ने इस प्रश्न को उठाया कि किसान को उसकी उपज का सही मूल्य नहीं मिलता। किसान जो अन्न पैदा करता है, उसका माल खेत से मंडी तक, मंडी से बाजार तक और बाजार से उपभोक्ता तक पहुंचता है लेकिन उसका मूल्य 8–10–15 गुना अधिक हो जाता है। उपभोक्ता उस माल को जो मूल्य चुकाता है, उसका बहुत कम पैसा किसान की जेब तक पहुंचता है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार को जमाखोरों, बिचौलियों और जो काला बाजारी करते हैं, एनकी गतिविधियों पर नियंत्रण करना होगा और इस समस्या का निराकरण करना होगा। आज जरूरत इस बात की है कि किसान की उपज बाजार में सही समय पर पहुंचे। आज किसान दोनों हाथों से मेहनत करके ट्रैक्टर और हल चलाकर इस धरती का पेट चीर कर अनाज पैदा करता है। सारे देश का पेट पालता है, उसकी भलाई करना हम सब का कर्तव्य है। उसके उत्पादन का उसे सही मूल्य उन्हें दिलवाना है।

[श्री सचिन पायलट]

वर्ष 2003–2004 के आंकड़ों के आधार पर हिंदुस्तान में 211 मिलियन टन अनाज पैदा हुआ। पिछले साल की तुलना में इसमें लगभग 9.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और क्षेत्रफल के आधार पर भी कृषि में वृद्धि हुई है। लेकिन आज भी किसानों के पास न तो आर्थिक साधन हैं और न कोई उपयुक्त बीमा योजना है, जिससे वे अपना संरक्षण खुद कर सकें। सभी माननीय सांसद इससे पहले बोले हैं और यह विधि की विडम्बना है कि इस देश में जो बड़े–बड़े उद्योगपति हैं, कारखानों के मालिक हैं, यदि उन्हें ऋण की आवश्यकता होती है, लाखों–करोड़ों रुपये के ऋण की आवश्यकता होती है तो उन्हें सिर्फ एक फोन करना होता है और बैंक के मालिक चैक लेकर उनके घर पहुंच जाते हैं। लेकिन किसी गरीब इंसान को, किसान को एक गाय या भैंस खरीदने के लिए दस हजार रुपये की जरूरत होती हैं तो उस दस हजार रुपये को प्राप्त करने के लिए उसे बैंक के दर्जनों चक्कर लगाने पड़ते हैं। नाना प्रकार की औपचारिकताएँ पूरी करनी पड़ती हैं। तहसीलदार, प्रधान, सरपंच और बैंक मैनेजर से नो ऑब्जैक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। लेकिन जब उसे पैसा मिलता है तो उसमें से भी पांच सौ रुपये कोई न कोई दलाल बीच में खा लेता है। मैं आदरणीय कृषि मंत्री जी से इस व्यवस्था को सुधारने के लिए निवेदन करता हूं कि इस व्यवस्था में शीघ्र सुधार लाया जाए और वह सुधार तब होगा जब हम अपने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को विकसित करेंगे।

सभापति महोदय, सरकार का एक महत्वपूर्ण सहकारिता अभियान है। हम चाहते हैं कि सरकार इसे एक आंदोलन का रूप दे, तब किसानों तक ऋण पहुंच सकेगा। पिछले साल के अनुमानित आंकड़ों के आधार पर लगभग 80 हजार करोड़ रुपये ऋण के माध्यम से दिये गये। वर्ष 1991 में बैंकों को यह आदेश दिया गया कि वे अपना चालीस प्रतिशत ऋण प्रायोरिटी सैक्टर में दें। प्रायोरिटी सैक्टर की जो परिभाषा है, उसमें निरंतर बदलाव आता गया है। प्रायोरिटी सैक्टर में मूलतः यह कहा गया था कि कृषि में लगे हुए जो किसान हैं, उन्हें डायरेक्ट ऋण दें। लेकिन बैंकों में पिछले अरसे में इस परिभाषा में परिवर्तन हुए। इसमें कॉटेज स्केल इंडस्ट्रीज, छोटे व्यापारी, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, रूरल आर्टिजन्स और वीकर सैक्शंस को भी सम्मिलित किया गया है। वर्ष 1991 में जब सभी बैंकों ने प्रायोरिटी सैक्टर में 40.9 प्रतिशत ऋण दिया, उसमें से केवल 16.4 प्रतिशत कृषि को डायरेक्ट मिला। वर्ष 2002 में प्रायोरिटी सैक्टर में दिया गया ऋण 43 प्रतिशत था। लेकिन जो ऋण किसान और कृषि को मिलना था, उसमें एक प्रतिशत की गिरावट आई है। इस स्थिति में सुधार करने के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा।

सभापति महोदय, अब मैं सिंचाई की बात पर आता हूं। सिंचाई कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज देश में सिर्फ 57 मिलियन हैक्टेअर कृषि भूमि सिंचित हैं और ज्यादातर किसान आज भी इंद्र भगवान पर निर्भर करते हैं। हिंदुस्तान के राज्यों में आज जो सिंचाई के साधन हैं, उनमें भी कहीं न कहीं असंतुलन है। मिसाल के तौर पर पंजाब में 91 प्रतिशत कृषि भूमि सिंचित है। जबकि राजस्थान में सिर्फ 36 प्रतिशत कृषि भूमि सिंचित है। इसमें बदलाव तब आयेगा, जब हम सब लोग, राज्य सरकारें और केन्द्र सरकार मिलकर काम करें। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, इसका जिक्र मुझसे पहले भी यहां किया गया है कि राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर परियोजना भाग–2 की लागत वर्ष 1972 में 90 करोड़ रुपये थी। यह परियोजना मेरे पैदा होने से पांच साल पहले से चालू है। आज इसकी लागत बढ़कर 10 से 15 गुनी हो गई है। मैं इस तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। देश में आज सिंचाई का विस्तार कैसे होगा – जब हम नई तकनीक, आर्टिफिशियल कैनाल, लिफ्ट इरीगेशन परियोजना और पानी के संरक्षण की जो परियोजनाएं हैं, उन्हें सरकार और समाज मिलकर एक अच्छा रूप दें। मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने अपनी बजट स्पीच में कहा था कि दस लाख ऐसे जल संसाधन है, जिन्हें आने वाले साल में हम विकसित करेंगे। इससे जल स्तर में वृद्धि होगी, पशुपालन में जो पानी की कमी रहती है तथा किसानों की पानी की समस्या है, उसमें सुधार हो पायेगा।

सभापति महोदय, कीटनाशक दवाएं, खाद, यूरिया, बीज आदि भी किसानों को सही समय पर और सही दाम में उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इसके लिए सामूहिक रूप से केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर प्रयास करना होगा तथा राज्यों में पंचायत राज संस्थान हैं, पंचायतें हैं, ग्राम परिषद हैं तथा नगरपालिकाएं हैं, ये सब तथा हम सब मिलकर कलैक्टिव प्रयास करें। मैं कृषि मंत्री जी को प्वाइंटेड सुझाव देना चाहता हूं कि जिस प्रकार एफ.सी.आई. के पास गोदामों में जगह नहीं होती, लेकिन वह माल खरीदती रहती है और ज्यादातर हमारा माल खराब होता है, मेरा सुझाव है कि हर तहसील मुख्यालय में एक प्राइवेट पार्टनरशिप कायम की जाए। उसमें थोड़ा पैसा सरकार दे, थोड़ा पैसा गांव वाले लगाएं और एक ऐसा वेयरहाउस बनाया जाए जहां किसान की उपज को रखा जा सके और जब तक उसे उचित मूल्य नहीं मिलता, वह इस बात के लिए विवश न हो कि उसको सेठ–सलाहकारों को आधे–पौने दामों पर फसल बेचनी पड़े।

मैं बहुत संक्षेप में आदरणीय डा. मनमोहन सिंह जी के एक बयान का उल्लेख सदन में करना चाहूंगा। जब जून, 2004 में हमारी सरकार बनी थी, तब इसे देश के गरीब और किसान, काश्तकार और मजदूर, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों ने संकल्प

किया कि पिछले छः सालों में जिस सरकार ने राज किया, वह किसानों की हितैषी नहीं थी और इस व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए देश की जनता ने कांग्रेस के संरक्षण में, आदरणीय डा. मनमोहन सिंह जी के संरक्षण में सरकार बनाई। उस समय आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने जो कहा, मैं उसे क्वोट करना चाहूंगा :–

"संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का न्यूनतम साझा कार्यक्रम पाँच साल के लिए है, लेकिन हम किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता देंगे।"

यह इस बात को दर्शाता है कि यूपीए सरकार और हमारी कांग्रेस पार्टी इस देश के गरीब किसानों की हितैषी है और किसान तथा उनके परिजनों की जो समस्याएं हैं, उनके प्रति संवदेनशील है और उनके जीवनस्तर को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। मुझे पूरी आशा और उम्मीद है कि आने वाले समय में कृषि मंत्री महोदय और सरकार के सभी लोग मिलकर इस पर अमल करेंगे। बहुत से माननीय सदस्यों ने इस तरह का मत दिया कि यह ऐसी समस्या है जिस पर हमें अपनी पार्टी की सीमाओं से ऊपर उठकर कॉमन एप्रोच एडॉप्ट करनी होगी। मैं इस बात का पुरजोर समर्थन करता हूँ। मेरा आपके माध्यम से यह भी निवेदन है कि देश में हमें कृषि को उद्योग का दर्जा देना होगा। आज इस देश में अगर कोई छोटा कारखाना लगता है, वहां अगर कोई जूता बनाता है, तो उसमें वह रबर लगाता है, चमड़ा लगाता है, धागा लगाता है और मेहनत लगाता है। उसकी कुल लागत 80 रुपये आती है। उद्योगपति उस पर 20 रुपये का मुनाफा जोड़कर बाज़ार में उसे 100 रुपये में बेचता है। लेकिन किसान की जो कीमत आती है – खाद की, पानी की, बिजली की, मेहनत की, उसके बावजूद भी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसे मिलता है उसमें किसान की कॉस्ट भी नहीं निकल पाती। मेरा नम्र अनुरोध है कि कृषि को उद्योग का दर्जा मिले, इसके लिए हम सब लोग मिलकर एक दूसरे का साथ दें और मुझे पहले से मालूम है कि सरकार भी इसके प्रति संवदेनशील है। मेरा आपसे पुनः निवदेन है कि इस देश के जो गरीब काश्तकार हैं, उनके लिए ऐसी योजना बने ताकि सब लोगों को सुविधा हो। खासकर जो बीमा योजना है, उसमें बहुत खामियां हैं। जब तक एक जिले या तहसील को बाढ़ग्रस्त या सूखाग्रस्त घोषित नहीं करते, तब तक उस किसान को अपना क्लेम नहीं मिल सकता, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की गाड़ी चोरी हो जाती है तो उस गाड़ी का इंश्योरेन्स क्लेम मिल जाता है। मेरा निवेदन है कि इन खामियों को दूर किया जाए और अगर एक–दो किसानों के खेत में कोई बीमारी लग जाती है या ओले पड़ जाते हैं, वे इंश्योरेन्स क्लेम करने लायक नहीं रहते हैं, जब तक कि वह पूरा इलाका ही पीड़ित घोषित नहीं कर दिया जाता। मेरा निवेदन है कि इस पर गंभीरता से विचार किया जाए और इस कमी को पूरा किया जाए ताकि किसान जो मेहनत करता है उसे अपनी फसल का पूरा लाभ मिल सके।

सभापति जी, इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे जो समय दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आचार्य जी तो मुझसे उम्र में तीन गुना बड़े हैं लेकिन आपने एक तिहाई समय भी मुझे नहीं दिया। फिर भी पहली बार आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपके प्रथम भाषण के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक (उन्नाव) : माननीय सभापति महोदय, आज किसानों की समस्याओं को लेकर हम यहां विचार कर रहे हैं और बड़ी गंभीरता से चर्चा चल रही है। आज किसान हिन्दुस्तान में अनेक समस्याओं से जूझ रहा है, चाहे बिहार का किसान हो या झारखंड का किसान हो, उत्तर प्रदेश का किसान हो या महाराष्ट्र का किसान हो, राजस्थान का किसान हो या कर्नाटक का किसान हो, सबकी समस्याएं एक जैसी हैं। पूरे हिन्दुस्तान का किसान इससे संबंधित है। किसी से यह तथ्य छिपा नहीं है, लेकिन इन तथ्यों के तहत हमें विचार करना पड़ेगा और गंभीरता से किसानों के बारे में विचार करना पड़ेगा। किसानों के संबंध में जितनी भी नीतियां बनाई जाती हैं, उन पर विचार किया जाता है, मगर उनको पंच सितारा नदियों से अलग रखना पड़ेगा। किसानों के बारे में जो भी नीतियाँ बनती हैं, उन पर फाइव स्टार लोग हावी हो जाते हैं और किसानों की आवाज़ को दबाया जाता है, कुचला जाता है। बड़े दुख का विषय है कि आज हिन्दुस्तान जिस किसान के नाम पर चलता है, हिन्दुस्तान में 75 प्रतिशत लोग खेती से जुड़े हुए हैं।

सभापति महोदय, बड़े कष्ट का विषय है कि जो 75 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं, जो एग्रीकल्चर से संबंधित हैं, जो किसानों से जुड़े हुए लोग हैं, जो किसान हैं, उन्हें आगे न बढ़ाकर, आज उद्योगपतियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। हिन्दुस्तान में आज किसी से यह तथ्य छिपा नहीं है कि जो उद्योगपति 1950 के बाद, आजादी के बाद स्थापित हुए, वे बहुत फल–फूल रहे हैं। उसमें किसी न किसी सरकार का परोक्ष रूप से योगदान रहा है। यदि वह योगदान किसान को मिला होता, तो आज हम किसानों को लेकर घड़ियाली आंसू बहाने का काम नहीं कर रहे होते।

[श्री ब्रजेश पाठक]

महोदय, बड़े दुख का विषय है कि उद्योगपति, बिजली के नाम पर, हमारे गरीबों के धन पर, शेयर्स के नाम पर, गरीबों का पैसा लूटकर खजाने भरने का काम करते हैं, बड़ी-बड़ी गाड़ियों में चलने का काम करते हैं। मेरे मित्रो, मेरे साथियों यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है। बड़े शर्म का विषय है कि आज किसान जो सामान उत्पादित करता है, चाहे गेहूं, चावल, गन्ना या कपास हो, जितनी भी चीजें पैदा की जाती हैं, उन सभी का उत्पादित मूल्य इतना अधिक है और बिकता बहुत कम दाम पर है। बिचौलिये उसे बीच में कैच कर लेते हैं। बहुत सी बातें यहां कही गईं। जो मैं कहना चाहता हूं कि वह बहुत महत्वपूर्ण है। अब यह हो रहा है कि किसान जब खेत में अपनी फसल काट रहा होता है, तभी बिचौलिए वहां पहुंच कर, उसे एडवांस देकर उससे खाद्यान्न खरीद लेते हैं। यह वही व्यवसायी वर्ग है, जो हिन्दुस्तान को घुन की तरह खाने का काम करता है, वह किसान को भी खाए जा रहा है। किसान के बारे में हमें दिल की आत्मा से सोचना पड़ेगा, तभी हम किसानों को मजबूत कर पाएंगे।

महोदय, चाहे बिजली का मुद्दा हो या कोई और मुद्दा हो, हर मामले में किसान को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किसानों को बिजली नहीं मिलती, लेकिन कोल्ड स्टोरेज वालों को, उद्योगपतियों को, उनके कारखानों को सीधे बिजली हाउस से बिजली सप्लाई की जाती है। यह बड़े दुख का विषय है। हमारे बड़े भाई श्री शिवराज सिंह चौहान, अभी चले गए, उन्होंने ठीक कहा था और बड़ा मार्मिक सवाल उठाया था कि किसान के एक बेटे का हाथ स्टार्टर पर होता है, दूसरा बेटा पाइप की तरफ होता है और बाप उसकी नाली ठीक कर रहा होता है कि पानी आएगा, लेकिन जब स्टार्टर की तरफ आता है, तब तक बिजली जा चुकी होती है। इन तथ्यों की तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा कि उद्योगपतियों को कैसे बिजली मिलती है और हिन्दुस्तान के गरीब किसानों को बिजली नहीं देने वाले लोग कौन हैं। उनके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों के बारे में इस सदन के माध्यम से प्रस्ताव पास कर के दंडित किया जाए, जो लोग किसानों को बिजली न देकर, उद्योगपतियों को सीधे सप्लाई देने का काम करते हैं। हम इसमें किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहते हैं, लेकिन चाहे इधर के लोग हों और चाहे उधर के लोग हों, सब लोग दोषी हैं। दोषी मैं भी हो सकता हूं।

महोदय, मैं ये बाते इसलिए कह रहा हूं कि जब हमारे दल को, बहुजन समाज पार्टी को अभी तक सरकार बनाने का मौका नहीं मिला, जिस दिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार हिन्दुस्तान में आएगी, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उस दिन उद्योगपतियों के बजाय बिजली किसानों की ओर जाएगी, जहां असली हिन्दुस्तान बसता है।

महोदय, और भी अनेक बातें हैं। आज किसानों को खाद नहीं मिल रही है। खाद के नाम पर नमक पीस कर बेचा जा रहा है। खाद उद्योगपति और व्यवसायी तस्करी कर रहे हैं। खाद के नाम पर उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में जाइए, डी.ए.पी. नहीं है। कोई खाद नहीं है। चारों तरफ, पूरे उत्तर प्रदेश का यही आलम है, गोंडा में यही आलम है कि खाद नहीं है, बिजली नहीं है और पानी नहीं है। यदि राजस्थान का किसान पानी मांगता है, तो उसे गोली खानी पड़ती है, यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है।

महोदय, हमारे बड़े भाई मोहन सिंह जी सुबह बैठे थे। उन्होंने बताया कि किसान ने यदि गन्ने का दाम मांगा, अपनी उत्पादित की हुई वस्तु की लागत मांगी, कीमत मांगी, तो उसे गोलियां खानी पड़ीं, यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है। कैसी भाग्य की विडम्बना है कि जिन लोगों के नाम पर हम सत्ता में आए, जिन्होंने हमें चुनकर भेजा, जितने लोग सदन में बैठते हैं, सभी लोग किसानों से ही चुनकर आते हैं, शहरों से बहुत कम लोग चुनकर आते हैं। उनके बारे में सोचने का समय नहीं, उन्हें सुनने का मौका नहीं, हर जगह जुगाड़ की पालिटिक्स की जाती है। बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है कि यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है। किसानों के बारे में अन्तर-आत्मा से सोचना पड़ेगा। उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना पड़ेगा।

महोदय, हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि यह सरकार जो आज सत्ता में है, यह उन लोगों की सरकार है जिन लोगों ने हिन्दुस्तान की आजादी के बाद 'जय जवान और जय किसान' का नारा दिया था। हम बड़े खुश होंगे, यदि यह सरकार अपने पूर्ववर्ती प्रधान मंत्री के इस नारे को सफल करे। इस काम में हम बहुजन समाज पार्टी के लोग और हमारे सहयोगी सदस्य, किसानों के मुद्दे पर पूरी तरह से सरकार के साथ हैं, सरकार की नीतियों के साथ होंगे। अगर किसान खुशहाल होगा, तो हिन्दुस्तान खुशहाल होगा।

महोदय, बड़े फख्र का विषय है कि हमारे बड़े भाई, हमारे सीनियर लीडर, इसी चेयर से, श्री बसुदेव आचार्य ने किसानों की समस्याओं की चर्चा की। हमारे एक मित्र ने कहा था कि अच्छा हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी किसानों के बारे में सोचने लगे। यह वही कम्युनिस्ट पार्टी है, जो हिन्दुस्तान में नारा दिया करती थी कि 'धन-धरती बंटकर रहेगी, भूखी जनता अब न रहेगी' लेकिन मेरे मित्रो, बड़े दुख का विषय है कि आज वह धन-धरती बंटने की बातें कहां गईं?

अपराह्न 5.35 बजे

(श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन हुए*)

बड़े दुख का विषय है कि जो धन धरती बांटने की बातें कहीं

कही गईं, वे तथ्य किसी से छिपे नहीं हैं, न धन बंटा और न ही धरती बंटी। जो बड़े लोग थे, वे और बड़े होते गए, उनकी अट्टालिकाएं बनती गईं। चौहान साहब ने कहा था कि जो किसान कपास पैदा करता है, वह भयंकर ठिठुरती हुई सर्दी में आग जला कर बैठता है। उसके पास रजाई भी नहीं है। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो हम एक पाठ में पढ़ा करते थे। उसमें लिखा था कि एक किसान जाड़े में अपने लिए कम्बल भी नहीं खरीद सकता था। उनका पूरा परिवार रात को आग जला कर बैठा रहता था। आज हमें दलों की सीमाओं से ऊपर उठ कर, दिल की आवाज से किसानों के बारे में एक प्रस्ताव पास करा देना चाहिए, कि उद्योगपति दूसरी पंक्ति में जाएंगे, आगे एक किसान खड़ा होगा, जिसके नाम पर हिन्दुस्तान जाना जाता है। हमारे बड़े भाई नायडु जी यहां बैठे हैं। वे जानते हैं कि आंध्र प्रदेश का किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। उसके बारे में एक किताब छापी जाती है, अखबारों में निकलता है, हम लोग पार्लियामेंट में चिल्लाते हैं, लेकिन हमारी आवाज पर कोई ध्यान नहीं देता है। इस आवाज पर कभी कोई डिसीजन नही लिया जाता है और हम यहां जो चर्चा कर रहे हैं, इस पर कभी कोई डिसीजन नहीं आएगा।

महोदय, किसानों के बारे में सोचने की किसी को फुरसत नहीं है। आज हम चेत गए हैं। अगर उन्हें आगे लाने का काम किया तो यह मान कर चलिए, हिन्दुस्तान, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, पूरी तरह इसकी इज्जत और प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने में सफल होंगे।

महोदय, मैं अपील करना चाहता हूं कि किसानों को सस्ता खाद, पानी, बिजली और डीजल देना पड़ेगा। इसके लिए कानून बनाना चाहिए, अगर किसान ऋण ले तो उसे सस्ती दर पर ऋण मिलना चाहिए। किसान क्रेडिट कार्ड को ले लीजिए। हिन्दुस्तान की पूर्ववर्ती सरकार ने बहुत ढिंढोरा पीटा, कि क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को लोन दिया जाएगा। 50 हजार रुपए मिलने वाले थे, किसी से कोई तथ्य छिपा नहीं है, क्रेडिट कार्ड के नाम पर पांच हजार रुपए की घूस ली जाती है। मैं उसका गवाह हूं। हमने रिकोमेंड किया है, कोई बैंक वाला क्रेडिट कार्ड नहीं बनाता। किसानों को धक्का खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। किसानों को मुख्य धारा में लाने के लिए हमें उन्हें सस्ता पानी, बिजली, सस्ता ऋण और इज्जत, प्रतिष्ठा देनी पड़ेगी। अगर आपके दरवाजे उद्योगपति आए तो कहेंगे कि आप चाय पीजिए और अगर किसान आए तो वह सर्वेंट क्वार्टर में जाए। आपकी ये योजनाएं, हिन्दुस्तान की जनता उखाड़ फेंकने में देर नहीं लगाएगी। ये लड़ाई चलती रहेगी, हम लोग रहें या न रहें, लेकिन लोगों को यह तो पता लगेगा, कि एक नौजवान ने चिल्ला-चिल्ला कर कहा कि किसान की उपेक्षा करने वाले लोग ज्यादा दिन तक अब सत्ता में नहीं रह पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि किसानों की समस्याओं के लिए बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा मजबूती के साथ संघर्ष किया है और आगे भी तन-मन-धन से करती रहेगी।

[अनुवाद]

***श्री ए. के. एस. विजयन** (नागापट्टिनम) : माननीय सभापति महोदय, नियम 193 के अधीन इस चर्चा के दौरान किसानों की दयनीय दशा और उनके समक्ष उपस्थित सदस्यों की ओर इस सम्मानित सभा का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। महोदय, यह पहली बार नहीं है जबकि हमने इस प्रश्न को उठाया है। यह हमेशा की दुःखभरी दास्तान है। पूर्ववर्ती तेरहवीं लोक सभा के एक सदस्य के रूप में इन दुःखभरी दास्तानों का मैं साक्षी रहा हूं। ये घटनाएं एक के बाद एक घटित हो रही हैं। चौदहवीं लोक सभा के सदस्य के रूप में तमिलनाडु, खासकर कावेरी डेल्टा क्षेत्र में, किसान समुदाय द्वारा उठायी जा रही कठिनाइयों को प्रकाश में लाने के लिए मुझे पुनः अवसर मिला है। मेरी पृष्ठभूमि कृषि है। मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां लोग पूरी तरह कृषि पर निर्भर हैं। वहां उद्योग बहुत कम हैं और पूरे क्षेत्र में कृषि ही मुख्य पेशा है।

मैं आपका ध्यान कावेरी बेसिन में पिछले 3 वर्षों से लगातार मानसून की असफलता और इसके कावेरी बेसिन में पड़ने वाले तीन जिलों – तंजावूर, तिरुवरुर और नागापट्टिनम में सूखे की स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे पूर्व वक्ता माननीय सदस्यों ने अन्य राज्यों में किसानों द्वारा आत्महत्या के बारे में बताया है। इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया कि राजस्थान में 6, पंजाब में 15 और आंध्र प्रदेश में 641 किसानों की मौत हो गई है। लेकिन यह जानकर और दुःख होता है कि उनमें से किसी ने भी तमिलनाडु की चर्चा नहीं की और उनकी सूची में तमिलनाडु में किसानों द्वारा की गई आत्महत्याओं का उल्लेख नहीं था। वहां की राज्य सरकार द्वारा की जानी चाहिए थी। इस प्रकार तथ्यों को छुपाने का कारण आप स्वयं समझ सकते हैं।

कावेरी डेल्टा क्षेत्र में तंजावूर सभा चुनाव क्षेत्र तथा मयिलादुतुरई लोक सभा क्षेत्र तथा नागापट्टिनम लोक सभा चुनाव क्षेत्र, जो पूर्व तंजावूर जिले में शामिल थे, में कृषि के प्रत्येक क्षेत्र में असफलता के कारण 22 किसानों ने आत्महत्या की। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिकारिक सूची में आत्महत्या संबंधी मौतों की यही संख्या बतायी गई है जबकि ऐसे कितने ही मौतों की अनदेखी कर दी गई है जो सौ से भी अधिक हो सकती है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मन्नारगुडी तालुका में पलाया कोट्टाई मामक गांव में अरुमुगन नाम

*मूलतः तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रुपान्तर।

[श्री ए. के. एस. विजयन]

का एक 55 वर्षीय वृद्ध किसान ने फसल के लगातार विफल होने तथा कर्ज में डूब जाने के कारण आत्महत्या की। लेकिन तमिलनाडु राज्य प्रशासन की आधिकारिक सूची में यह नाम सम्मिलित नहीं है। अपनी मृत्यु से पूर्व उसने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता तथा जिला कलेक्टर को पत्र लिखा था जिसमें बताया था कि लगातार तीन वर्ष से अपने ऊपर बढ़ रहे कर्ज के बोझ ने उसे अपनी जाने लेने जैसे कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया है। उसने अपने पत्र में यह भी लिखा है कि उसने थाली अर्थात अपनी पत्नी के मंगलसूत्र को गिरवी रखकर भी कृषि कार्य को जारी रखने की कोशिश की। चूंकि मानसून के असफल होने तथा फसल की विफलता के कारण वह बुरी तरह असफल रहा तथा आभूषण वापस नहीं ले सका। चूंकि वह अपनी पत्नी के शादी के समय के आभूषण के बिना अपनी पत्नी को देखना बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने अपनी जान दे देने का फैसला किया क्योंकि उसके मृत्यु के बाद भी इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं था। यह कई दयनीय दास्तानों कावेरी डेल्टा क्षेत्र की, में से एक है।

पारंपरिक तौर पर चोल मंडलम में कावेरी डेल्टा क्षेत्र दक्षिण का चावल भंडार रहा है। एक कहावत है कि धान की भारी बढ़त को ध्यान में रखते हुए सांड या बैलों से धान की खेती करने के बजाए हाथियों से यह कार्य किया जाता था। लेकिन पिछले तीन वर्षों में कावेरी डेल्टा क्षेत्र में कृषि बुरी तरह प्रभावित हुई है। जब देश का परम्परागत रूप से यह धान उत्पादक क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है तो विशेषकर राज्य सरकार का प्रशासनिक तंत्र इस स्थिति से नहीं निपट सका, जमीनी हकीकत को नहीं जान पाया तथा कावेरी डेल्टा क्षेत्र के किसानों को संकट से उबारने के लिए आगे नहीं आया। सुश्री जयललिता के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने इस पारंपरिक रूप से चावल के कटोरा के रूप में विख्यात इस क्षेत्र में भयानक सूखे से उत्पन्न विनाशकारी स्थिति की उपेक्षा की। जब कुछ विधायको द्वारा भुखमरी से हुई मौतों को प्रकाश में लाया गया तो उदासीन मुख्यमंत्री जयललिता ने उन माननीय सदस्यों के जाति का उल्लेख करते हुए उनका मजाक तक उड़ाया। तमिलनाडु में जमीनी हकीकत का इस प्रकार से नजर अंदाज करने का दुःसाहस हो रहा है। इसके प्रति उदासीनता केवल वहीं नहीं है। यह यहां भी है। क्योंकि किसी भी सदस्य ने तमिलनाडु में भूख से हुई 22 मौतों की चर्चा नहीं की जिसकी संख्या वास्तव में इससे अधिक भी हो सकती है। मेरे साथी इसका उल्लेख करने में असफल रहे हैं।

जब हम सिंचाई जल तथा कावेरी में पानी की उपलब्धता की बात करते हैं तो हम अपनी गंभीर चिन्ताओं को व्यक्त कर रहे होते हैं। माननीय श्री अनंत कुमार ने भी इसका उल्लेख किया था। इसका दीर्घकालिक समाधान किया जाना चाहिए। नदियों को आपस में जोड़ा जाना भी इस स्थिति से निपटने में मदद कर सकता है। सन् 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री वी.पी. सिंह द्वारा कावेरी नदी जल अधिकरण की स्थापना की गई थी। इस अधिकरण की ओर से अंतरिम अधिनियम भी आया था। लेकिन उस अंतरिम अधिनिर्णय को भी लागू नहीं किया गया है। इस देश के सर्वोच्च न्यायिक मंच से इस संबंध में एक दिशानिर्देश जारी किया गया था। लेकिन उसकी भी पिछले तीन वर्षों में अनदेखी की गई जबकि देश के इस भाग में मानसून भी असफल रहा। ऐसी उम्मीद की जाती है कि केन्द्र इसमें अवश्य हस्तक्षेप करेगा। कर्नाटक के आयाकर में वृद्धि के कारण यह कमी बढ़ी है। कावेरी डेल्टा क्षेत्र के किसान उन लोगों की उदासीनता तथा दुराग्रह के कारण जो अधिकरण के अधिनिर्णय को लागू करना था, बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। यही कारण है कि कावेरी घाटी में ऐसी दर्दनाक घटनाएं घट रही हैं।

हमारे नेता डा. कलाईगनर करूणानिधि जब सत्ता में थे तब उन्होंने इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाए थे और वे तमिलनाडु को अभी भी देश के धान उगाने वाला अग्रणी राज्य बना सकते हैं। यह उनके शासन काल में, खासकर 1996 और 1999 के बीच प्राप्त किया गया था। दक्षिण भारत की नदियों को आपस में जोड़कर कावेरी नदी जल बंटवारे की समस्या का समाधान किया जा सकता है। ...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार : महोदय, उन्होंने मेरे नाम का उल्लेख किया है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री विजयन, क्या आप उन्हें बोलने का अवसर देने के लिए तैयार हैं।

श्री ए. के. एस. विजयन : नहीं, मैं उन्हें बोलने का अवसर देने के लिए तैयार नहीं हूं।

श्री अनंत कुमार : यह बोलने का अवसर देने की बात नहीं है। उन्होंने एक बड़े ही संवेदनशील मुद्दे पर मेरा नाम लिया है। मुझे उत्तर देने का अधिकार है।

सभापति महोदय : आप उनके भाषण के बाद ऐसा कर सकते हैं।

श्री अनंत कुमार : मैं सिर्फ एक मिनट का समय लूंगा।

मेरे भाषण के दौरान मैंने कहा कि कावेरी बेसिन में केवल 880 टी.एम.सी. फुट पानी है। कावेरी नदी का उद्‌गम स्रोत कर्नाटक है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अनंत कुमार जी, आप सीनियर मैम्बर हैं।

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार : यह कर्नाटक का अभिन्न अंग है। कर्नाटक के लोगों को कावेरी का जल पाने का हर प्रकार से अधिकार है ..*(व्यवधान)*। इसलिए कर्नाटक को भी कावेरी अधिकरण से न्याय दिलाए जाने की आवश्यकता है। केवल तमिलनाडु को ही नहीं अपितु कर्नाटक को भी जल पाने का पूरा अधिकार है।

श्री ए. के. एस. विजयन : महोदय, मैंने नदियों के अंत संयोजन की आवश्यकता पर प्रकाश डालने के संबंध में उनके नाम का उल्लेख किया था ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री विजयन के भाषण के अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : श्री अनंत कुमार, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

श्री ए. के. एस. विजयन : महोदय, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में अपने तीसरे शासन काल में डा. कलाइगनर करूणानिधि ने कृषक समुदाय की परेशानियों को कम करने के लिए अनेक कदम उठाए थे। उन्होंने दुःखी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देकर उन्हें बचाया। उन्होंने कई सामाजिक सुरक्षा उपाय किए थे जिससे किसानों को खासकर कृषि श्रमिकों को मदद मिलेगी।

कुछ माननीय सदस्यों ने अपने भाषण के दौरान किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्हें इस संबंध में संरक्षण मिलना चाहिए। अपने उत्पादों के मूल्य निर्धारण में किसानों की भूमिका नहीं होती है। एक बुनकर जो माल तैयार करता है वह उसका मूल्य निर्धारित कर सकता है। उदाहरण के लिए वह विक्रयमूल्य 40 रुपये प्रतिमीटर तय कर सकता है आदि, आदि। औद्योगिक इकाइयां अपने उत्पादों की कीमतें तय करती हैं। यहां तक की लुहार जैसा अकुशल कारीगर भी अपने श्रम का मूल्य तय कर सकता है। बड़ी कम्पनियों ने भी छोटे-छोटे कृषि उपकरण जैसे हंसिया और फावड़ा बेचना शुरु कर दिया है। वे ऊंची कीमत तय करते हैं और कृषि उपकरणों पर भी बड़ा मुनाफा कमाते हैं। लेकिन किसान अपने उत्पादों की कीमत तय करने की स्थिति में नहीं है। किसानों की कीमत पर बिचौलिए लाभ कमाते हैं और बाजार की प्रवृत्ति मूल्य तय करती है और पहले से ही दुःखी किसानों का भविष्य तय करती हैं। कृषक समुदाय खासकर गरीब किसानों को बचाने में मदद करने के लिए प्रभावी मूल्य निर्धारण तंत्र अवश्य होना चाहिए। धान बहुत कम मूल्य पर खरीदा जाता है। लेकिन धान से बनी हुई चावल की कीमत बहुत अधिक हो जाती है। निजी व्यापारी जो किसानों का खून चूस रहे हैं, की बात छोड़ दो यहां तक सरकारी एजेंसी भी इससे मुक्त नहीं है।

महोदय, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जयललिता के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार के वर्तमान शासनकाल में कृषि क्षेत्र तथा इसकी जरूरतों की उपेक्षा कर रहा है। कृषक समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिए समय पर मदद नहीं मिल रही है। तमिलनाडु सरकार की एक मात्र उपलब्धि अपने ही पूर्व के अति कठोर उपायों को वापस लेना रही है। इसलिए आवश्यक है कि केन्द्र देश के एक पुराने धान उत्पादक क्षेत्र कावेरी डेल्टा क्षेत्र की सहायता करने के लिए सीधा हस्तक्षेप करे। कर्नाटक में आयाकर में वृद्धि के कारण थंजई मंडलम में फसल उत्पादन पैटर्न में काफी बदलाव आ गया है। इसलिए कावेरी डेल्टा क्षेत्र में कृषक समुदाय की जीवन दशा में सुधार के लिए कृषि विस्तार सेवाओं को बढ़ाना होगा।

जहां तक धान की खरीद की बात है जब डा. कलाइगनर करूणानिधि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने वर्तमान में मौजूदा क्रयकेन्द्रों के अतिरिक्त अन्य बहुत से क्रय केन्द्र खोले थे। उन्होंने कृषि क्षेत्र से भंडारण गोदाम तक धान की ढुलाई के लिए कृषकों को परिवहन सुविधा भी उपलब्ध कराई थी। उन्होंने तब किसानों का ध्यान रखा था। जब कि वर्तमान सरकार ने उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया है। हमारे नेता डा. करूणानिधि ने केन्द्र द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य से भी अधिक क्रय मूल्य किसानों को दिया था।

थंजई मंडलम विशेष रूप से कावेरी डेल्टा में चोल कालीन जल प्रणाली का नवीकरण किया गया है। हमारे नेता डा. करुणानिधि के काल में नहरों से गाद निकालने का कार्य बड़े पैमाने पर किया गया। उन्होंने किसानों तथा उपभोक्ताओं दोनों को लाभ पहुंचाने के लिए उझावर सनथाई नामक 100 किसानों द्वारा संचालित प्रत्यक्ष विपणन केन्द्रों की स्थापना की इससे कृषि उत्पादों को किसानों से सीधे आम लोगों तक पहुंचाना संभव हो गया था।

किन्तु हाल ही में नष्ट हुई फसलों और मानसून के कारण उत्पन्न भयंकर गरीबी से चन्द्र शेखर नामक एक खेतिहर मजदूर के सात वर्षिय पुत्र प्रगसम की मृत्यु हो गई। इस प्रकार की अफसोस

*कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री ए. के. एस. विजयनं]

भरी मौतें कावेरी डेल्टा के किसानों के जीवन की एक अविच्छिन्न विशिष्टता बन गई है। तमिलनाडु में सुश्री जयललिता के शासन के दौरान भुखमरी की ऐसी घटनाओं में वृद्धि हो रही है। मैं इसे इस सम्माननीय सभा में दर्ज कराना चाहूंगा। ये मौतें अब भी हो रही हैं।

जब हम कृषि आदानों आदि की उपलब्धता पर नजर डालते हैं तो पाते हैं कि स्थिति काफी बदतर है। उदाहरण के लिए, डी.ए. पी., जिसकी कीमत 650 रु. है और यूरिया, जिसकी कीमत 350 रु. है, आदि उर्वरक अपेक्षित मात्रा में उपलब्ध नहीं है। ऐसी आवश्यक वस्तुओं के अभाव से किसानों की खेती प्रभावित होती है। इनकी आपूर्ति में कमी नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में आवश्यक उपाय अवश्य किए जाने चाहिए।

गत वर्ष, केन्द्र सरकार के एक दल ने हमारे कावेरी डेल्टा क्षेत्र का निरीक्षण किया था। यह कावेरी डेल्टा क्षेत्र में सूखे से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करने वाला एक तथ्यान्वेषी दल था। इस दल की रिपोर्टें और सिफारिशें अभी भी केन्द्र सरकार के विचाराधीन है। पिछले सप्ताह, कावेरी डेल्टा क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के कारण आई बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने केन्द्र सरकार का एक और दल आया था। पानी के बंटवारे से संबंधित विवाद और कावेरी डेल्टा के किसानों को आवश्यक पानी दिए जाने से इन्कार के कारण उनकी समस्याएं कई गुणा बढ़ गई हैं। अतः, मैं केन्द्र सरकार से कावेरी डेल्टा के किसानों के प्रति उदार रहने का आग्रह करता हूं। यहा तक कि आप इस क्षेत्र के किसानों के ऋण भी माफ कर सकते हो।

केन्द्र सरकार की अनेक योजनाएं जरूरतमंद गरीबों तक नहीं पहुंच रही हैं। इन योजनाओं से लक्षित समुदाय को फायदा पहुंचने हेतु एक रास्ता अवश्य निकालना चाहिए। केन्द्र सरकार की अंत्योदय योजना को तमिलनाडु में उचित तरीके से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है और जहाँ तक मुझे जानकारी है लाभ प्राप्त करने वालों से 250 रु. वसूल किए जा रहे हैं। तमिलनाडु में ऐसी स्थिति है तथा यहाँ किसानों और ग्रामीण गरीबों की बुरी हालत की उपेक्षा की जा रही है और उन्हें उपेक्षित एवं बदकिस्मत जनसमूह की तरह छोड़ दिया गया है।

प्राकृतिक आपदाएं, कीट या फसलों की बीमारियां ही किसानों की शत्रु नहीं हैं बल्कि सरकार द्वारा की जाने वाली उपेक्षा भी उनकी शत्रु है। मैं केन्द्र सरकार से कावेरी डेल्टा के किसानों की जरूरतों को पूरा करने और उन्हें बचाने के लिए विशेष उपाय करने का आग्रह करता हूं।

श्री अनंत कुमार : महोदय, आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे अपनी स्थिति स्पष्ट करने का मौका देंगे।

माननीय सदस्य ने कावेरी नदी घाटी के संबंध में मेरे नाम का उल्लेख किया है। मैं बताना चाहता हूं कि कावेरी कर्नाटक की जीवन रेखा है। कावेरी कर्नाटक से शुरू होती है। कर्नाटक के लोगों का कावेरी पर पूरा अधिकार है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपने अपनी बात रख दी है। कृपया अब अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार : महोदय, इसके साथ ही मैं अपने भाषण में बता रहा था कि कावेरी नदी विवाद का एकमात्र समाधान है राष्ट्रीय नदी जल नीति है। मैं माननीय कृषि मंत्री से अनुरोध करता हूं कि जैसा कि कहा गया है एक राष्ट्रीय नदी जल नीति बनाई जानी चाहिए। इस पर बातचीत होनी चाहिए ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अनंत कुमार जी, आपकी बात पूरी हो गई है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मैंने बोलने के लिए श्री अनंत गुढ़े का नाम पुकारा है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री अनंत गुढ़े के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अनंत गुढ़े जी, आप बोलना चाहते हैं या नहीं?

श्री अनंत गुढ़े : जी, हां।

श्री अनंत गुढ़े (अमरावती) : माननीय सभापति जी, इस सदन में किसानों की समस्याओं पर कई बार चर्चा हुई है। हर सत्र में

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

किसानों की समस्याओं पर सदन में चर्चा होती है लेकिन किसानों की समस्याएं हल नहीं हो पाती और न ही किसानों की समस्याओं के लिए कोई खास कदम उठाये जाते हैं।

सभापति जी, हर साल बजट आता है लेकिन उस बजट में किसानों के लिए कोई खास प्रोविजन नहीं होता। भारत सरकार का कृषि मंत्रालय बहुत बड़ा है। हर राज्य में कृषि मंत्रालय है। हर जिले में, हर गांव में कृषि विभाग से संबंधित अधिकारी काम करते हैं, लेकिन इन सब चीजों को देखा जाये तो आज कृषि में एक जेनरेशन खत्म हो कर दूसरी जेनरेशन आ रही है। आज दूसरी जेनरेशन खेती का काम कर रही है। लेकिन हम 50 सालों से यही रोना रोते आ रहे हैं कि पानी नहीं है, बिजली नहीं है। नई जेनरेशन आ रही है, हमें नया सोचने की जरूरत है। मैं यहां पर रौने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। आज दुनिया में फूड प्रोसैसिंग बड़े पैमाने पर हो रहा है। फलों की और सब्जियों की प्रोसैसिंग दुनिया में कई देशों में हो रही है और वहां प्रोसेस किया हुआ फूड इस्तेमाल हो रहा है। अगर देखा जाए तो हम इसमें कहां हैं तो मालूम पड़ेगा कि दुनिया में हमारा फूड प्रोसेसिंग में हिस्सा मुश्किल से दो प्रतिशत भी नहीं है।

कृषि रोजगार देने का सबसे बड़ा केन्द्र है। आज जो कृषि में दूसरी जेनरेशन आ रही है, वह चाहती है कि हल चलाना खेती नहीं है, क्योंकि इसमें भी टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है। इसलिए वह जेनरेशन खेती में नए-नए प्रयोग करने की कोशिश में है। लेकिन दुर्भाग्य है कि उन्हें जो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, जो पैसे की मदद मिलनी चाहिए, लोन मिलना चाहिए, ये चीजें किसान के लड़कों को नहीं मिल रही हैं। इसलिए आज वे एग्रीकल्चर में बी.एस.सी., एम. एस.सी. और विश्वविद्यालय से डिग्रियां लेकर नौकरियां ढूंढ रहे हैं। लेकिन हम कोशिश नहीं करते कि किसान खेती के बिजनेस में उतरे ताकि एक अच्छा काम और बड़े पैमाने पर फूड प्रोसैसिंग का काम हमारे देश में हो सके।

कई आयुर्वेदिक औषधियां ऐसी हैं, जो हमारे देश में पैदा होती हैं। इनकी दुनिया के सभी हिस्सों में मांग है। जैसे आप तुलसी को ही लीजिए। तुलसी का उपयोग हर घर में होता है। अगर तुलसी को खेती के रूप में लिया जाए तो इसका काफी उत्पादन हो सकता है। आज तुलसी की खेती नहीं होती। अगर इसकी खेती की जाए तो तुलसी का जो बीज निकलता है, उसे बड़ी मात्रा में दुनिया के देशों में निर्यात किया जा सकता है, क्योंकि उसकी काफी मांग है। तुलसी कम बरसात या ज्यादा बरसात में भी होती है और यह अच्छी-हल्की जमीन में पैदा की जा सकती है। लेकिन हमने इसको बढ़ावा नहीं दिया। इसी तरह से हल्दी है। इसका इस्तेमाल दिमाग की बीमारी और कैंसर जैसे रोग के लिए किया जाता है। इसमें से टरमैरिक निकलता है, उसका यूज दवा में होता है। हमारे देश में बड़ी मात्रा में हल्दी होती है। अगर इसकी प्रासैसिंग की जाए और इसमें से टरमैरिक निकाला जाए तो दुनिया में हमें उसके दाम 20,000 रुपए, 25,000 रुपए और 40,000 रुपए प्रति किलो तक मिल सकते हैं। और कहां तक नाम गिनाऊं। जामुन भी इसी श्रेणी में आती है। जामुन आंख की दवा में काम आती है। इसी तरह सफेद मूसली है, जो सैक्सोलॉजी के लिए काम में आती है।

हिन्दुस्तान का आम दुनिया के सभी देशों में जाता है, लेकिन जब आम हमारे यहां पक जाता है तो फिर वह सड़ने लगता है। सड़े हुए आम को बचाने के लिए कोई कोशिश नहीं की जाती। इससे किसानों को भारी मात्रा में नुकसान होता है। इस्राइल में आम के पकने की प्रक्रिया को धीमा करने के लिए एक कैमिकल बनाया गया है, ताकि वह धीरे-धीरे पके और सड़ने की बजाय दूसरे देशों में आसानी से पहुंचाया जा सके। अगर इस तरह के केमिकल के कोई शोध हम अपने देश में भी करें और उसे विकसित करें तो बड़ी मात्रा में हम आम पैदा कर सकते हैं। इससे किसानों को बड़ी मात्रा में फायदा हो सकता है।

कपास के बारे में कई माननीय सदस्यों ने यहां अपनी बात कही। मैं विदर्भ से आता हूं। वहां कपास को व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता था। वहां पर बड़ी मात्रा में कपास होती थी। शरद पवार जी महाराष्ट्र के दो-तीन बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं और अब भारत सरकार में कृषि मंत्री हैं।

सायं 6.00 बजे

उन्हें महाराष्ट्र के कोने-कोने की जानकारी है।

सभापति महोदय : गूढ़े जी, आप थोड़ी देर के लिए स्थान ग्रहण कीजिए।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : सभापति जी, आपसे अनुरोध है कि एक घंटे का समय बढ़ा दीजिए और इस बहस को कल तक ले जाइये, क्योंकि अभी बहुत सदस्य बोलने वाले बचे हैं।

[अनुवाद]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : महोदय, सभा की बैठक सायं सात बजे तक बढ़ाने के लिए माननीय सदस्य प्रो. मल्होत्रा जो कह रहे हैं, वह ठीक है। किन्तु कल इस विषय पर राज्य सभा में चर्चा होनी है। मंत्री महोदय यहीं पर कल ही जवाब दे पाएँगे।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : विषय बहुत महत्वपूर्ण है। सदन की सहमति से एक घंटे का समय बढ़ाया जाता है।

सायं 6.01 बजे

(**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

श्री अनंत गुढ़े : सभापति जी, हमारे माननीय कृषि मंत्री जी तीन बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। माननीय शंकरराव मोहिते जी जब महाराष्ट्र के मंत्री थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि जहां कपास का उत्पादन होता है वहीं पर कपड़ा मिलें भी खुलवाई जाएं। इस बात को 30–35 साल हो गये हैं लेकिन कपास की हालत क्या है? कपास का जो दाम 2700–2800 रुपये भाव मिल रहा था वह आज 1700–1800 रुपये हो गया है। मैं माननीय कृषि मंत्री जी से विनती करता हूं कि आपकी सरकार राज्य और केन्द्र में है, आप कोशिश कीजिए कि 2700 रुपया कपास का दाम किसान को मिले, जिससे उन्हें कुछ न कुछ राहत मिल सके। कपास में भी प्रोसेसिंग करने की जरूरत है। अगर विदर्भ में प्लांट लगे तो किसानों की दिक्कत कम हो सकती है। वहां पानी की समस्या है सरकार ने किसानों की मदद के लिए जो कृषि–बीमा योजना निकाली, उससे किसान को क्या फायदा हुआ? उसमें जब पंचायत का, जिले का कोई दखल नहीं है तो उस कृषि–बीमा योजना का क्या फायदा? जब तक आप गांव के किसान को सामने रखकर बीमे की पॉलिसी नहीं बनाएंगे, तब तक किसान को फायदा होने वाला नहीं है। आज कृषि–बीमा का फायदा बीमा कंपनियों को होता है, किसान को फायदा नहीं मिलता। इसलिए हर गांव और हर किसान को सामने रखकर कृषि–बीमा की पॉलिसी बनाने की जरूरत है।

सभापति जी, इस साल विदर्भ में बहुत अकाल पड़ा है। माननीय शिवनकर जी और गीते जी ने, इस बारे में, यहां पिछले सत्र में, जब यहां पर मुद्दा उठाया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जवाब में कहा, तो केन्द्रीय कृषि–सचिव राधा सिंह जी दिल्ली से वहां आये और अपने दौरे में चार स्थानों भातकुली, माना, कुरूम और आसरा में घूम करके चले गये। वहां पर 35–36 करोड़ रुपये की मदद हुई, लेकिन वह भी अभी तक पहुंची नहीं है। इसलिए विदर्भ में आत्महत्याएं हो रही हैं, सारे देश में आत्महत्याओं की बात हो रही हैं। मेरा सुझाव है कि यदि हम नयी जनरेशन जो खेती में काम करती है, उन्हें रोजगार देना चाहते हैं तो हमारा ध्यान फूड–प्रौसेसिंग पर जाना चाहिए। हमे टारगेट सुनिश्चित करना चाहिए कि अगले साल इतने रुपए की फूड प्रोसैसिंग करेंगे। हमारा डब्ल्यूटीओ से करार हुआ। जो कपास आयात होता है, उस पर 5 परसैंट इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है। इसके कारण किसानों को बड़ी दिक्कत होती है। मेरी कृषि मंत्री जी से रिक्वैस्ट है कि जो कृषि उत्पाद आयात होता है, उस पर भारी मात्रा में आयात शुल्क लगाया जाए। बाहर से आने वाले कपास पर 40 से 50 परसैंट इम्पोर्ट ड्यूटी लगानी चाहिए ताकि किसानों को देसी कपास के अच्छे दाम मिल सकें।

इसके साथ–साथ इरिगेशन प्रोजैक्ट्स के लिए बड़ी मात्रा में पैसा आबंटित करके उन्हें पूरा किया जाए। बिजली की समस्या को हल करना चाहिए। बिजली न होने की वजह से किसान सिंचाई नहीं कर पाते। अगर इरिगेशन प्रोजैक्ट्स पूरे होंगे तो हम किसानों तक पानी पहुंचाने का काम करेंगे। अपर वर्धा, पूर्णा और चारगढ़ प्रोजैक्ट्स जल्दी से जल्दी पूरे करने का प्रयत्न करें।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे पास 14–15 स्पीकरों के नाम हैं और चर्चा सात बजे तक खत्म करनी है। कृपया अपनी बात बहुत संक्षेप में कहिए।

[अनुवाद]

श्री सी. के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर) : महोदय, मुझे खुशी है कि आज यह सभा हमारे कृषकवर्ग की समस्याओं और हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की समस्याओं पर चर्चा कर रही है। मेरे विचार से इस चर्चा में हमारी कृषि–अर्थव्यवस्था के महत्व के संबंध में आम सहमति है।

यह एक तथ्य है कि कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था खाद्य सुरक्षा प्रदान करती है। यह जीविकोपार्जन और रोजगार के 60 प्रतिशत साधन उपलब्ध कराती है। यह सकल घरेलू उत्पाद का 30 प्रतिशत है। यह हमारे निर्यात में 40 प्रतिशत का योगदान देती है। यह औद्योगिक कच्चा माल प्रदान करती है। इस क्षेत्र के महत्व को दर्शाने के लिए इतना ही पर्याप्त है किन्तु इतना महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हुए भी यह क्षेत्र अत्यंत गंभीर संकट का सामना कर रहा है। कृषि क्षेत्र का यह संकट आज किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं से पूर्णतः परिलक्षित होता है। यह क्षेत्र गरीबी से ग्रसित है। लोग भूख से त्रस्त हैं तथा उस क्षेत्र में बेरोजगारी सबसे अधिक है। इस संदर्भ में ही कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की जानी चाहिए।

हमारे राष्ट्रीय आंदोलन ने कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का महत्व समझा था। बहुत पहले, 1936 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची सम्मेलन में आमूलचूल भूमि सुधार का संकल्प लिया गया था। आज भी भूमि सुधार बहुत दूर की बात है। जिन राज्यों में

वामदल सत्ता में आए वहां भूमि सुधारों को उचित तरीके से लागू किया गया है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि वामदलों ने कृषकों के लिए क्या किया है। हम गर्व से कह सकते हैं कि जिन राज्यों में वाम दल सत्ता में आए, सिर्फ उन्हीं राज्यों में आमूलचूल भूमि सुधार लागू किए गए तथा किसानों और खेतिहर मजदूरों को एक नई जिन्दगी, एक नया भविष्य प्रदान किया गया है।

महोदय, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का उदाहरण लीजिए। यह महात्मा गांधी जी ही थे जिन्होंने चम्पराण में किसानों को संगठित किया, जहाँ से हमारे ग्रामीण विकास मंत्री हैं चम्पारण के आंदोलन से ही भारतीय किसानों को अपने इस महत्व का पता चला कि वे जिस फसल को अपने खेतों में उगाना चाहते हैं, उसे उगाने के लिए वे अंग्रेजों से लड़ सकते हैं। इस लड़ाई में वे सफल हुए थे।

नील की खेती की बजाए उन्होंने खाद्यान्नों की खेती शुरू की।

आज, हम पुनः भूमि सुधारों की ही नहीं बल्कि लाभकारी दरों की भी इस समस्या पर भी चर्चा कर रहे हैं। लाभकारी दरें प्रदान किए जाने की कोई गारंटी नहीं है। संभवतः, लाभकारी दरें नहीं मिलने के कारण किसान लोग आत्महत्या कर रहे हैं। वे ऋण के बोझ तले दबे हुए हैं। उन्हें लाभकारी दरें नहीं मिल रही हैं। कोई अर्थपूर्ण फसल बीमा नहीं है। सस्ती और सुविधाजनक उधार–सुविधाएं मौजूद नहीं हैं। उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध नहीं हैं। यहां बेहतर सिंचाई सुविधाएं नहीं हैं। किसानों को उचित राज–सहायता भी नहीं दी जाती है, जिस रूप में कृषक वर्ग, की सहायता दी जानी थी, उसके लिए कोई सहकारी–आंदोलन भी नहीं है। जब तक हम इनमें से कुछ समस्याओं का समाधान ढूंढ नहीं लेते हैं, हम लोग भारतीय कृषक समाज की समस्याओं का समाधान ढूंढ नहीं पायेंगे। अतः, हम किसानों को और अधिक राजसहायता दिए जाने की मांग करते हैं।

यहां राजसहायता का विरोध करने वाले लोग भी हैं। जब हमने विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता ग्रहण की, तब अमरीकियों, ब्रितानियों, यूरोपीय समुदाय, जापानियों और अन्य सभी ने हमें यह सलाह दी थी कि भारतीय किसानों को कोई राजसहायता नहीं दी जानी चाहिए। उन सलाहों के आधार पर, तत्कालीन सरकार ने एक–एक करके राजसहायता देना बंद करना शुरू कर दिया। अब, विश्व व्यापार संगठन के अनुबन्धों तथा विश्व जनमत की उपेक्षा करते हुए स्वयं अमरीकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने ही अपना कृषि विधान प्रस्तुत किया है तथा अमरीका में किसानों को 900 बिलियन डॉलर की राजसहायता दी गई है। मैं ब्योरे नहीं देना चाहता हूं। अमेरिका में कृषि राजसहायता के नाम पर रॉकफेलर जैसे और अन्य विश्व विख्यात उद्यमियों को राजसहायता मिल रही है और यहां, उनकी सलाह के आधार पर हमने एक–एक करके सभी राजसहायता देना बंद कर दिया है। मैं चाहता हूं कि विद्युत पर राजसहायता दी जानी चाहिए, पानी पर राजसहायता दी जानी चाहिए तथा खादों और कीटनाशकों पर भी और अधिक राजसहायता दी जानी चाहिए। इसके पश्चात ही हम आशा कर सकते हैं कि किसानों को यह सांत्वना होगी कि उन्हें उस तरीके से सहायता दी गई है जिसके वे हकदार हैं।

सरकार यह पूछ सकती है कि इसके लिए धन कहां है? कल, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री ने एक विधेयक प्रस्तुत किया था जिसके अंतर्गत सौ दिनों की रोजगार गारंटी की प्रदान करने की एक योजना का प्रावधान था। यदि आप उस योजना को प्रति वर्ष 150 जिलों तक ही सीमित न रखकर वास्तव में पूरे देश में क्रियान्वित करना चाहते हैं तो इस के लिए कम से कम 40,000 करोड़ रुपये की राशि की आवश्यकता होगी। सरकार यह महसूस करती है कि वह इस राशि का प्रबंध कर लेगी क्योंकि उसके पास इसे करने की राजनैतिक इच्छाशक्ति है। हम रक्षा पर 60,000 करोड़ रुपये का व्यय करते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि हमारा देश उतना संपन्न है बल्कि यह एक आवश्यकता है कि हमें देश की रक्षा करनी है। इसलिए, हम उस राशि का प्रबन्ध कर लेते हैं। यदि हमें किसानों को राजसहायता प्रदान करनी है, यदि हमें उन्हें सस्ती दर पर ऋण प्रदान करना है, यदि हमें ऐसी सुविधाएं देनी है जिससे कि हमारा कृषि क्षेत्र सुदृढ़ बन सके, तो हमें 40,000 करोड़ रुपये से 50,000 करोड़ रुपये तक की राशि का प्रबंध करना पड़ सकता है। यदि राजनीतिक इच्छाशक्ति होगी, तो मैं समझता हूं हम उस राशि का प्रबन्ध कर लेंगे।

एक लाख करोड़ रुपये तक की गैर–निष्पादनकारी आस्तियां हैं। 'गैर–निष्पादनकारी आस्ति' का यह नाम उस राशि को दिया गया है जो राशि बड़े–बड़े उद्योगपतियों द्वारा ली जाती है तथा बैंकों को लौटाई नहीं जाती है। यदि बैंक और ज्यादा सख्त हो जाते हैं तथा हम उस राशि को 'गैर–निष्पादनकारी आस्ति' के अंतर्गत प्राप्त कर लेते हैं, तो इससे हमें अपने किसानों को राहत पहुंचाने में मदद मिलेगी। हमारी 70,000 करोड़ रुपये तक की राशि आयकर के रूप में भी बकाया है तथा उसे वसूल करने की प्रक्रिया इतनी धीमी है कि हमें एक वर्ष में मात्र 3,000 करोड़ रुपये ही प्राप्त हो पाते हैं। यदि हम कर अपवंचन की बात करें तो हम पाते हैं कि हमारा देश कर अपवंचन के मामले में संभवतः विश्व में सबसे आगे है। यदि इस संबंध में सरकार दृढ़ता से कार्यवाही करे तो संभवतः हम उस राशि का प्रबंध करने में सफल रहेंगे जिससे हमारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी।

[श्री सी. के. चन्द्रप्पन]

अतः, हम चाहते हैं कि आप उस दिशा में भी सोचें।

अंत में, मैं अपने राज्य के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। मैं माननीय कृषि मंत्री श्री शरद पवार का आभारी हूं कि वह केरल का दौरा कर रहे हैं। जब आप केरल आएं, तो कृपया केरल में वाणिज्यिक फसलों की दुर्दशा के बारे में चर्चा करने के लिए सांसदों और अन्य प्रतिनिधियों को इस पर चर्चा के लिए बुलाएं। केरल में वाणिज्यिक फसलों पर ऐसा संकट आया हुआ है कि वहां किसान आत्महत्या कर रहे हैं।

मैं श्री शरद जोशी द्वारा लिखा एक लेख पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने मराठी कवियों के बारे में उल्लेख किया है। मैं मराठी कवियों के बारे में नहीं जानता। मैं उनके लेख से मात्र कुछ पंक्तियां पढ़ूंगा। मैं उद्धृत करता हूं :

विदर्भ के कवि सम्राट भर्तृहरि की एक ह्रदय विदारक कविता है जिसका अनुवाद इस प्रकार है:

एक गरीब व्यक्ति एक शमशान घाट पर जाता है और वहाँ पड़ी एक लाश की शांति को देखकर ईर्ष्या से उस लाश से अनुरोध करता है कि कुछ पल के लिए वह अपनी जगह उसको लेने दे, लेकिन वह चालाक लाश अच्छी तरह यह जानते हुए कि मृत्यु गरीबी से अच्छी है, ऐसा करने के लिए टस से मस नहीं होती।''

यह भतृहरि द्वारा लिखी गई कविता है जो विदर्भ के कवि सम्राट है। मैं समझता हूं कि किसानों की स्थिति ऐसी ही है कि वे खेती करने के बजाए मरना पसंद करते हैं। संप्रग सरकार को इस स्थिति को समझना चाहिए और ऐसे कदम उठाने चाहिए कि स्थिति बेहतर बने जिसमें किसान सम्मान से सिर उठा कर जी सके और इस देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए काम करें।

***श्रीमती अर्चना नायक (केन्द्रपाड़ा) :** माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात उड़िया में रखूंगी।

आज सभा में बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है जो कृषि और कृषकों की समस्याओं से संबंधित है। देश के समक्ष एक गंभीर स्थिति है और कृषक समुदाय इससे बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इसलिए यह स्वमाविक ही है कि हम लोग इस गंभीर समस्या पर चर्चा करें। किसानों की समस्याओं के संबंध में माननीय सदस्यों ने पहले ही अपने मूल्यवान विचार रखे हैं। मैं भी वही करूंगी।

महोदय, किसानों की समस्या ऐसी नहीं है जो केवल राजग या संप्रग या किसी दल विशेष से संबंधित है। यह ऐसी समस्या है जो हम सभी से संबंधित है, और दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर हम सभी इसके प्रति चिन्तित हैं। यह ऐसा मामला है जो आम आदमी और पूरे देश से संबंधित है। भारत जिसकी 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर आश्रित है, वह समुदाय जो लाखो लोगों को भोजन उपलब्ध कराता है उसका इस दयनीय स्थिति में होना सचमुच शर्म और दुःख की बात है। यह भाग्य की विडम्बना है कि स्वतंत्र भारत में आज कृषक समुदाय इतनी दयनीय स्थिति में है कि यहां किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। महोदय हमें शर्म आनी चाहिए कि हम इस सदन में सुख सुविधाओं के बीच बैठे हैं जबकि हमको चुनकर भेजने वाले लोग गरीबी और दरिद्रता में जी रहे हैं। निश्चित तौर पर रचनात्मक सोच का अभाव है। हमें इस बात का पता लगाना चाहिए कि हमारी कृषि नीति में कौन सी खामियां हैं। हम किस ओर जा रहे हैं। हमें एक स्वस्थ प्रजातांत्रिक दिशा के साथ किसानों के हित पर समुचित गौर देते हुए एक नई कृषि नीति बनानी चाहिए। भारत तभी उम्मीदों के साथ आगे की ओर बढ़ सकता है।

हम थोड़े समय के लिए आत्म निरीक्षण करें। एक ओर तो हम कहते हैं कि भारत में खाद्यान्न का उत्पादन पर्याप्त है और भारत आत्म निर्भर है। दूसरी ओर किसानों को मजबूरी में विक्रय करना पड़ता है। समुचित विपणन सुविधा का अभाव है जिसके कारण किसानों को अपनी कठिन मेहनत से पैदा किए गए उत्पादों को बहुत ही कम मूल्य पर बेचना पड़ता है। चाहे ऋण सुविधा या विपणन या किसान क्रेडिट कार्ड की बात हो गरीब किसान को शायद ही कोई लाभ मिलता है। कई बड़ी–बड़ी योजनाएं, कार्यक्रम और योजनाएं केवल कागजों पर सिमट कर रह गयी हैं और निचले स्तर तक नहीं पहुंच पाती।

आजादी के 50 सालों के बाद भी सूचनाओं तक किसानों की पहुंच नहीं है। सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। या तो यह सरकार के नियंत्रण से बाहर है या हो सकता है कि बैंकिंग नेटवर्क पर औद्योगिक घरानों का नियंत्रण हो गया है। बेचारे किसान को ऋण नहीं मिल पाता। वह परेशान और निराश है।

महोदय, मैं खासकर अपने क्षेत्र के बारे में बोलना चाहती हूं। मैं एक कृषक बहुल क्षेत्र से आती हूं। वहां के लोगों के समक्ष एक गंभीर समस्या है। पारादीप के नजदीक स्थित ओसवाल उर्वरक संयंत्र से जहरीली गैस निकल रही है जो केन्द्रपाड़ा के लोगों को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। और यह क्षेत्र कृषि के लिए अनुपयुक्त हो गया है। इस संकट को खत्म करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। चूंकि इस समूह की पहुंच

*मूलतः उड़ीया में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

प्रभावशाली लोगों तक है, यह अपने कारोबार का विस्तार करता जा रहा है जबकि गरीब लोगों की जिंदगी नरक बनती जा रही है। मैंने इस सभा तथा संबंधित मंत्री के समक्ष इस समस्या को बार-बार रखा है लेकिन अभी तक मुझे कोई उत्तर नहीं मिला है। अब किसानों की बेहतरी के लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगी...*

महोदय, मैं कुछ सुझाव देना चाहती हूं। एक नई कृषि नीति बनाई जानी चाहिए और इस बजट प्रावधान में कृषि के लिए अधिक आबंटन किया जाना चाहिए। किसानों की जीवन सुरक्षा और दुर्घटना बीमा योजना शुरू की जानी चाहिए। प्रत्येक राज्य में किसान कल्याण आयोग बनाया जाना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि जिला स्तर पर कृषि परामर्श केन्द्र की स्थापना की जानी चाहिए तथा पर्याप्त संख्या में शीत भंडार और विपणन नेटवर्क की सुविधा होनी चाहिए।

सरकार को उन किसानों को पेंशन देनी चाहिए जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर है। सरकार द्वारा फसलों के विविधिकरण पर जोर दिया जाना चाहिए। कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ाया जाना चाहिए। बैंकिंग क्षेत्र के लिए किसानों को न्यूनतम ब्याज दर पर अधिक ऋण देने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। फसल बीमा के संबंध में ब्लॉक के बदले गांव को एक इकाई के रूप में लिया जाना चाहिए। सरकार को चाहिए कि वह पी.डी.एस. की जरूरतों के लिए सारी खरीद की व्यवस्था राज्य के अंदर ही करें। सरकार को कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की संख्या को बढ़ाना चाहिए। कृषि क्षेत्र में डिप्लोमा देने के लिए सरकार द्वारा और विद्यालय खोले जाने चाहिए। जल संरक्षण के लिए प्रावधान किए जाने चाहिए।

यदि आप ये सारे कदम उठाते हैं तो मैं समझती हूं कि हम अपनी कृषि सुविधाओं को बढ़ा सकेंगे और अपने राज्य में किसानों की कुछ समस्याओं का समाधान ढूंढ पाएंगे।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बृजभूषण शरण सिंह। आप पांच मिनट में अपनी बात खत्म करें।

श्री बृजभूषण शरण सिंह : आप कहें तो दो मिनट में ही अपनी बात कह दूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको कहना मेरा फर्ज़ है।

श्री बृजभूषण शरण सिंह (बलरामपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, हमें ऐसे देश की धरती पर जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जिसे प्रकृति ने ऐसे अनेकों उपहार दिए हैं जिसके लिए दुनिया के अधिकांश राष्ट्र तरसते हैं। दुनिया भर में मिट्टी की कुल 60 किस्में हैं उनमें से 46 किस्में हमारे देश में पाई जाती हैं और शायद इसी को देखते हुए किसानों के ऊपर मैंने बचपन में एक कविता पढ़ी थी, उसमें लिखा था 'उत्तम खेती मध्यम बान, निखद चाकरी, भीख निदान' किसान को, जो सम्मान इस देश के अंदर प्राप्त था, उसका कोई सानी नहीं था। यहां तक कि ऋषि और मुनियों ने भी किसानों को सम्मान देने का काम किया है, लेकिन आज स्थिति एकदम उल्टी है और इतनी उल्टी हो गई है कि कबीर दास ने कहा कि 'कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कंबल, भीजें पानी' ठीक वही स्थिति आज किसानों की है।

महोदय, हमें आजादी मिली। आजादी के बाद देश ने हर क्षेत्र में तरक्की की। खेती के क्षेत्र में भी तरक्की की, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे परिवार में पहला ट्रैक्टर खरीद कर आया। मैंने अपने बाप-दादाओं से सुना था कि उसकी उस समय, 1947-48 के आसपास 4000 रुपए कीमत थी। उस समय 4000 रुपए, 50-60 क्विंटल गेहूं बेचने के बाद आ जाते थे। उससे टैक्टर खरीद लिया जाता था। आज 800 क्विंटल से भी ज्यादा अन्न बेचना पड़ता है, तब ट्रैक्टर खरीदा जा सकता है और 800 क्विंटल खाद्यान्न की आज कीमत आजकल 4 से 4.5 लाख रुपए है और आज ट्रैक्टर की कीमत भी 4.5 लाख रुपए है।

महोदय, मैंने बहुत धैर्यपूर्वक सभी सदस्यों का भाषण सुनने का काम किया है। मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं, लेकिन गांव से आता हूं और अपना अनुभव बताना चाहता हूं। सन् 1947 और 48 के आसपास 4000 रुपए में टैक्ट्रर मिलता था आज वही टैक्ट्रर 4 लाख और 4.5 लाख में मिलता है और उसके बाद भी हम कल्पना करें कि हमारे देश का किसान खुश है और खुशहाली का जीवन जी रहा है, तो ऐसी आशा करना व्यर्थ है। हम कोई आरोप और प्रत्यारोप नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मैंने तुलना करने के लिए यह विषय माननीय कृषि मंत्री के ध्यान में लाया है।

महोदय, जब मैं बच्चा था, तो उस समय कांग्रेस का चुनाव निशान दो बैलों की जोड़ी होती थी। उस समय शायद स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्ष हुआ करती थीं। उसके बाद मैंने देखा कि कांग्रेस का चुनाव चिह्न गाय और बछड़े हो गया। कांग्रेस पार्टी का चुनाव निशान कभी गाय-बछड़ा हुआ करता था और यह बहुत लोकप्रिय भी रहा था। कृषि मंत्री जी, आज गांव के अंदर गाय और बछड़ों की क्या हालत है। आज बैलों की क्या हालत है। हमारे माननीय सांसद मित्रसेन जी सामने बैठे हुए हैं, इनसे पूछिए कि

[श्री बृजभूषण शरण सिंह]

हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों ने बैलों को पालना बन्द कर दिया। अगर गाय बछड़ा देती है, तो उसे सड़कों पर घूमने के लिए छोड़ देते हैं और किसानों की जो दो बैलों की जोड़ी थी, जिनको लेकर तमाम पिक्चर भी बनीं, आज वे सड़क पर आवारा पशु की तरह घूमते हैं। अगर वे किसी काम में आते हैं, तो कटने के काम में आते हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि हमें उन बैलों की चिन्ता करनी चाहिए। इसके लिए बैलों पर आधारित यंत्र विकसित करने चाहिए, बैल-टैक्ट्रर विकसित करने चाहिए और उसके लिए सरकार को विशेष सहायता देने का काम करना चाहिए। पिछली लोक सभा के अंदर, इसी हाउस के अंदर, जब दूध का थोड़ा सा दाम बढ़ा, तो लगता था कि पार्लियामेंट जल जाएगी। आज दूध की कीमत 10 रुपए लीटर है और पानी की कीमत 12 रुपए लीटर है।

महोदय, हमें इसकी चिन्ता करनी चाहिए। आज गाय कौन पालता है, किसान पालता है। बैल कौन पालता है, किसान पालता है। इसलिए मैं कोई राजनीतिक भाषण न देकर आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि दूध का मूल्य कम से कम 25 रुपए प्रति लीटर होना चाहिए। आज 12 रुपए लीटर में पानी बिकता है और 10 रुपए लीटर में दूध बिकता है। बैलों को कौन पालेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे एक मित्र ने चीन की बात की, चीन हमारे बाद आजाद हुआ। उसने अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाई और हमने भी अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाई। चीन का क्षेत्रफल हम से ज्यादा है, लेकिन उसके पास कृषि योग्य भूमि हमसे कम है, फिर भी उसने कई गुना ज्यादा उत्पादकता बढ़ाने का काम किया है और शायद यही कारण है कि उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होने की ओर अग्रसर हैं। उसने जैविक खाद पर ध्यान दिया, लेकिन हम पश्चिमी देशों को देख कर, एकदम अंधे होकर रसायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं।

महोदय, मैं कृषि मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि हमें जैविक खादों पर भी ध्यान देने और इसे बढ़ावा देने की जरूरत है, अन्यथा हमारी धरती बहुत दिनों तक हमारा साथ देने वाली नहीं है। कृषि की प्रमुख समस्या सिंचाई है और इस पर सरकार ने बहुत कम बजट रखा है। हमारी सरकार ने नदियों का जोड़ने की जो योजना शुरू की थी, उसके बारे में कई वक्ताओं ने कहा है। उस पर हम भी जोर देते हैं। भारत में छोटे किसान हैं और इन छोटे किसानों पर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं जो विषय रखना चाहता हूं, वे विषय लगभग आ चुके हैं, इसलिए मैं उन पर ज्यादा नहीं बोलूंगा। आज डब्ल्यूटीओ भी हमारे ऊपर डंडा लेकर खड़ा है। अमेरिका कृषि में कार्य करने वालों को 70 प्रतिशत राज सहायता देने का काम करता है और हमारे ऊपर डंडा लेकर खड़ा है, जब कि हमारे देश में कृषि पर आधारित 70 प्रतिशत जनता को केवल तीन प्रतिशत राज सहायता उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में हम कैसे चीन और अमेरिका से मुकाबला करेंगे, यह बात सोचने के लिए हमें विवश करती है।

महोदय, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सरकार द्वारा कृषि को उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए, इस बारे में कई सांसदों ने कहा। हमारा सुझाव है कि सरकार कृषि को उद्योग का दर्जा दे तथा किसानों को अपने उत्पादों का मूल्य निर्धारित करने एवं नियंत्रित करने की छूट होनी चाहिए। प्राकृतिक आपदा की समस्या का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय आपदा कोष की राशि में तीन गुना बढ़ोत्तरी की जानी चाहिए। जैविक उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी संभावनाएं हैं, इसलिए भारत में जैविक खेती को विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। गांव के स्तर पर बीज उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाए तथा मिलावटी और गुणवत्ता-विहीन बीजों की आपूर्ति करने वाली सरकारी एजेंसियों को बंद कर देना चाहिए। लम्बित सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किया जाए। कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि ऋण वितरण के नियमों को लचीला बनाया जाए, जिससे छोटे किसान भी कर्ज ले सकें। कृषि बीमा योजना पूरे देश में और सभी प्रकार की फसलों पर लागू की जाए तथा उसके दायरे में बैंक ऋण नहीं लेने वाले किसानों को भी सम्मिलित किया जाए।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे सामने बहुत गंभीर विषय विचाराधीन है। ...व्यवधान

उपाध्यक्ष महोदय : आप पंजाब और हरियाणा दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : महोदय आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

यह पूरे हिन्दुस्तान का विषय है और बहुत गंभीर है। अभी बहुत सारे साथियों ने अपनी-अपनी स्टेट की बात की, किसी ने आंध्र प्रदेश की और किसी ने केरल की चर्चा की। उन्होंने बताया कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं।

महोदय, देश डिफरेंट कल्चर्स का है, लेकिन कॉमन कल्चर एक ही है और वह एग्रीकल्चर है, जो सारे प्रदेशों में एक ही है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक कृषि है और 75 प्रतिशत लोग कृषि पर या इससे संबंधित धंधों पर आश्रित हैं।

कई राज्यों में किसानों द्वारा आत्महत्याएं हो रही हैं। किसान पर आजादी के पहले भी कई दफा संकट आये, उस समय इस समय से भी बदतर हालत हो गई थी। खास तौर पर पंजाब और हरियाणा की आपने बात की। उस समय पंजाब और हरियाण एक था और आज का वेस्ट पाकिस्तान को मिलाकर सब लोग कर्जे में डूबे हुए थे। तब चौधरी छोटू राम एक नीति लेकर आये थे और सब को उस कर्जे से छुड़ाया। आज की खेती मर्जी की खेती नहीं रही, मजबूरी की खेती रह गई। जैसा भाई कह रहे थे कि खेती को हमारे वेदों में उत्तम माना है, लेकिन आज मजबूरी में किसान लोग खेती कर रहे हैं और हालत यहां तक पहुंच गये कि वे आत्महत्याएं कर रहे हैं।

बीच के समय में भी ऐसे हालात पहुंच थे कि जब श्रीमती इन्दिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और किसानों के लिए बैंकों के दरवाजे खोले, तब ग्रीन रिवोल्यूशन आया, हमें कुछ हौसला मिला। लेकिन आज देश में जो परिस्थिति है, यह बहुत गम्भीर है। आज इस छोटे से डिस्कशन से समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। एक फैसला नई सरकार ने लिया कि रूरल क्रेडिट को हम डबल कर देगें, यह कोई अकेला समाधान नहीं है। यह बहुत ही गम्भीर समस्या है और इसके बहुत सारे कारण हैं। कर्जा एक कारण है, दूसरा कारण पानी की उपलब्धि है, सिंचाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, इन्फ्रास्ट्रक्चर है। ये सारे कारण मिलाकर एक हैं। शिक्षा भी एक बहुत बड़ा कारण है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक किसान मेरे पास आया, यह कई साल पहले की बात है, जब मैं पिछली बार सांसद था। उसने कहा कि मेरे बेटे ने बी.ए. कर ली, इसकी कोई नौकरी लगवा दो। नौकरी नहीं मिली तो थोड़े दिन के बाद वह आया कि नौकरी तो नहीं मिली, मेरे बेटे का एक काम कर दो कि इसके दिमाग से बी.ए. निकाल दो तो कम से कम खेती तो कर लेगा। शिक्षा का यह जो तरीका है, अब तक मैकाले सिस्टम जो चल रहा है, इसे बदलना होगा। गांवों तक तकनीकी शिक्षा ले जानी होगी, जो रोजगार दे सके।

आज रोजगार के नाम पर बेरोजगारी बढ़ी है। आज सुई से लेकर हवाईजहाज तक टाटा बनाता है। पहले हमारे गांव में जो लोहार भाई लोहे का काम करते थे, आज वे बेरोजगार हो गये। जो भाई हमारे गांव में जूते बनाने का काम करते थे, बाटा को कई हजार करोड़ रुपए कर्जा मिलता है, इस नाम से कि वह एक हजार आदमियों को रोजगार देगा, लेकिन एक हजार आदमियों को रोजगार देने के नाम पर गांवों में एक लाख लोग बेरोजगार हो गये। एक को टाटा खा गया, एक को बाटा खा गया। जो गांव में कपड़े का काम करते थे, उनको मफतलाल खा गया और बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ी और आज इस स्थिति में पहुंच गई कि वे आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गये।

कृषि पर सारी बातें हमारे साथियों ने बताईं कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट में कमी हो रही है, आपके केपीटल फार्मेशन में कमी हो रही है, जी.डी.पी. में कमी हो रही है। जब देश आजाद हुआ था तो एक्सपोर्ट में हमारी कृषि का जो हिस्सा था, उस एक्सपोर्ट में कमी हो रही है। डब्लू.टी.ओ. में हम जो ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते थे, वह हमने नहीं किये, उस वजह से हम मार खा रहे हैं।

हमारे साथी ने पैट्रोल डीजल की बात कही। जब आप डोमेस्टिक मार्केट को इण्टरनेशनल मार्केट के साथ जोड़ोगे, मैं कोई दलगत राजनीति की बात नहीं करता, लेकिन यह देश के किसानों के लिए सबसे गलत फैसला था, जो हमारी पुरानी सरकार का था। अब डबल कर दिया, लेकिन अगर पिछले कुछ सालों का हिसाब लोगे, जैसे कॉटन की चर्चा हुई, पहले तीन हजार रुपये प्रति क्विंटल किसान को मिलता था, धान का हिसाब लगाओ, काली मिर्च का जो 27 हजार रुपये प्रति क्विंटल भाव था, आज किसान को सात हजार रुपये प्रति क्विंटल मिल रहा है। काफी जो 1997 में 11 हजार रुपये प्रति क्विंटल थी, आज उसका भाव 2800 रुपये रह गया। चाय का भाव 1996–97 में 1800 रुपये था, आज उसका भाव 400 रुपये है। इस प्रकार से अगर हिसाब लगायें तो हर साल किसान और गरीब हो रहा है। इस देश के किसान की 1.162 लाख करोड़ रुपये की आमदनी प्राइस क्रैश की वजह से घट रही है। जब किसानों के एक लाख 16 हजार करोड़ रुपये घट रहे हैं तो आप कितना कर्ज बढ़ा सकते हैं। आज यहां पंजाब और हरियाणा की चर्चा की गई। अगर हिसाब लगाएं तो एट ऐन ऐवरेज पंजाब के किसानों पर 12 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है। पंजाब के किसान पर प्रति एकड़ 10 हजार रुपये के करीब कर्ज है। इसी प्रकार हरियाणा की बात है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। मेरे साथी श्री सचिन पॉयलट ने कहा कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और प्रॉयरिटी सैक्टर फिक्स किया गया। मैं एक बैंक का डायरैक्टर था। आप उनका हिसाब लें, प्राइवेट सैक्टर किनको दिया? पोल्ट्री फार्म, जिसने 5 करोड़ रुपये दिए, उसे आपने प्रॉयरिटी सैक्टर में डाल दिया। पिछले कुछ सालों में 34 हजार करोड़ रुपये किसानों को न देकर नैशनेलाइज्ड बैंक में आरआईडीएफ में डाल दिए गए। यह जो हालत हो रही है, इस बारे में हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा। आज एक सुझाव देने से

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

काम नहीं चलेगा। मेरा निवेदन है कि हमें आमूल–चूल परिवर्तन लाना चाहिए। वह एक दिन की डिस्कशन से नहीं, दस दिन की डिस्कशन से भी नहीं, एक बार में नहीं होगा, अगर शुरू करना है तो कुछ फैसले आज से ही लेने पड़ेगें। पहला फैसला यह लेना है कि किसान को कर्ज मुक्त करना है। जैसा बहुत से साथियों ने कहा कि कर्ज एक कारण है, यह बात सही है। लेकिन कर्ज और लोग भी लेते हैं। बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट्स कर्ज लेते हैं। सौ–सौ करोड़ रुपये की इनकम टैक्स की रिकवरी भी होती है। मैंने यह कभी नहीं सुना कि इंडस्ट्रियलिस्ट ने आत्महत्या की। किसान 10–15 हजार रुपये कर्ज लेता है तो चुका न पाने के कारण उसे आत्महत्या करनी पड़ती है। किसान जिन संस्कारों में पला है, मैं भी एक किसान का बेटा हूं, वह जिस संस्कृति में पला है, जिस हालात में पला है, उसने सदियों से एक ही सीख ली है – लेकर देना और कमाकर खाना। आप पंजाब हरियाणा से हैं। अगर हमारा दादा कोई कर्ज लेकर मर जाता है तो उसका पोता वह कर्ज उतारता है। यदि कोई दादे का कत्ल करता है तो उसका बदला पोता लेता है। इसलिए जब उससे दस हजार रुपये का कर्ज भी बर्दाश्त नहीं होता तो वह आत्महत्या कर लेता है। यदि कोई कम्पनी फेल हो जाती है तो उसे डिस्बैंड कर दिया जाता है। आज बैंकों ने 40 हजार करोड़ रुपया राइट ऑफ कर दिया है।...*(व्यवधान)* मैं ज्यादा लम्बी बात नहीं करूंगा, नहीं तो यह ऐसा सब्जैक्ट है जिस पर मैं आज से लेकर सुबह तक बोल सकता हूं। एक लाख 60 हजार करोड़ रुपया, आज अगर हम किसानों का 40 हजार करोड़ रुपए में से कर्ज मुक्त कर दें तो एक नया काम होगा।

मेरा कृषि मंत्री जी से एक ही सुझाव है कि वर्ष 2005 को कृषक वर्ष घोषित किया जाये। पूरे देश की नीति बदली जाये। यहां चर्चा हुई, कावेरी का झगड़ा हुआ, पंजाब का एलवाईएल का झगड़ा काफी समय से लंबित है। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि जल का हर बूंद राष्ट्रीय सम्पत्ति होनी चाहिए, नहीं तो इस देश का कल्याण नहीं हो सकता। यहां सारी नदियों को मिलाने के बारे में चर्चा हुई। डा. के.एल.राव ने आज से बहुत साल पहले, आप उनकी किताब पढ़ें, पूरी गारलैंडिंग की थी। हमारे पास बहुत अच्छे इंजीनियर्स हैं, बहुत अच्छे साधन हैं। लेकिन हमारे देश की जो प्रॉयरिटीज हैं, उन्हें रीफिक्स करना पड़ेगा। आज बहुत जोर–शोर से बात हो रही है कि हम 40 हजार करोड़ रुपये ऐरोड्रम्स के लिए देंगे, लेकिन जब तक किसान की खुशहाली नहीं होगी, री–प्रायरिटी फिक्स नहीं होंगी, तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा।

मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी को हार्दिक बधाई देता हूं कि वे सबसे पहली नेता थीं जो आज से चार साल पहले हरियाणा में उन किसानों के घर गयी थीं जिन्होंने आत्महत्या की थी। अब चर्चा शुरू हुई है तो इसका समाधान भी निकलना चाहिए। जैसा मैंने कहा, 2005 को कृषक वर्ष मनाया जाये, मेरा सरकार से निवेदन है कि एक सलाहकार समिति बने हैडेड बाय श्रीमती सोनिया गांधी जो सबकी सलाह लेकर एक नयी नीति, फिक्सिग ऑफ प्रॉयरिटी हमारे देश में होनी चाहिए।

यदि कर्ज केवल एक बार छोड़ दिया, कम कर दिया या ब्याज कम कर दिया तो उससे समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। जब तक हम किसान को मजबूत नहीं करेंगे तब तक हमारा देश मजबूत नहीं हो सकता।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रो. रामदास बोलेंगे।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, यदि सभा 7.00 बजे शाम को स्थगित होती है तो, मैं समझता हूं, कि मंत्री जी अगले सत्र मे ही इसका उत्तर दे पाएगे। किसानों की समस्या हमेशा एक ज्वलंत समस्या होगी...*(व्यवधान)*

श्री एन. एस. वी. चित्तन (डिंडीगुल) : मैं उनके विचारों का समर्थन करता हूं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : उसे बाद में देखेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री जय प्रकाश (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है इसलिए इस पर बहस होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)* हम लोग किसान के घर पैदा हुए हैं। ...*(व्यवधान)* आप इस पर थोड़ा–थोड़ा टाइम सबको दे दीजिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह डिसकशन तो कंटीन्यू रहेगी। अब टाइम मिलता है या नहीं, यह मैं कुछ नहीं कह सकता।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी) : उपाध्यक्ष महोदय, किसान जो कि इस देश की रीढ़ तथा भारत के सामाजिक रथ के पहिए है, की समस्याओं के बारे में काफी कुछ कहा जा चुका है। मै सिर्फ यह कहते हुए कि भारतीय किसान कर्ज मे जन्म लेते हैं, कर्ज में जीते हैं और कर्ज में ही मर जाते हैं, मैं भारतीय किसानो की समस्याओं का वर्णन करूंगा। भारतीय किसान के बारे में 100 पूर्व यह बात

कही गई थी और 1951 से भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के शुरूआत से अभी तक इस प्रकार की सोच खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 53 वर्षों के दौरान सरकारे आयी और गई लेकिन भारतीय किसान की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं।

आज भारत में करीब 58 प्रतिशत किसान सीमांत किसान हैं जिनकी समस्याएं बहुत ही गंभीर हैं। जब हम किसानों की समस्याओं की बात करते हैं तो हमें उन्हें उनके भूमि–स्वामित्व के क्षेत्र के अनुसार श्रेणियों में रखना चाहिए। हमारे यहाँ बड़े किसान, मझोले किसान, छोटे किसान और सीमांत किसान की श्रेणियां हैं। इन विभिन्न श्रेणियों के किसानों की समस्याओं में भी विभिन्नता है। आज हम पाते हैं कि अधिकांश समस्याएं उन्ही किसानों की है जिनके पास एक हेक्टेयर से कम भूमि है। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, न्यून बेरोजगारी, छद्म बेरोजगारी, गरीबी तथा दरिद्रता के रूप में ये समस्याएं परिलक्षित हो रही हैं। ये सब किसानों की समस्याओं के प्रतीक है। ये समस्याएं प्रकृति द्वारा, मानव निर्मित तथा सरकार की नीतियों के कारण पैदा हुई हैं। जब हम मानव निर्मित समस्याओं की बात करते हैं तो बहुत से बिचौलियो को पाते है जो इस देश के अभागे और निरीह किसानों का शोषण कर रहे हैं। जब हम नीतिगत मुद्दों की बात करते हैं तो पता चलता है कि भारतीय किसानों की समस्याओ पर ध्यान 1991 के बाद ही दिया जाने लगा है जब इस देश में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया की शुरूआत हुई थी। यह सत्य है कि ये समस्याएं पहले ही वहाँ विद्यमान थी लेकिन 1991 के बाद उनको महत्त्व दिया जाने लगा क्योंकि हमने कृषि में सार्वजनिक निवेश को कम करने की योजना बन गयी।

अब जहाँ तक प्रकृति का सम्बंध है प्रकृति तो कृपण रही है। जब हमें जरूरत नही होती है तो वर्षा से बाढ़ आ जाती है या जब हमें जरूरत होती है तो सूखा हो जाता है। इसलिए, प्रकृति भी कृपण रही है। हमें यह करना है कि हम किसानों के लिए जरूरी सभी प्रकार के प्रोत्साहन उपलब्ध कराएं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

प्रो. एम. रामदास : मैं अभी दो मिनट भी नहीं बोला हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने पांच मिनट का समय लिया है।

प्रो. एम. रामदास : व्यवधान में ही तीन मिनट का समय चला गया है। मेरा भाषण केवल दो मिनट का है।

मेरा एक मात्र सुझाव है कि जहाँ तक मानसून का संबंध है, हमें सूखा–बाढ़–अच्छा मौसम जैसा कोड विकसित करना चाहिए और उसका क्रियान्वयन करना चाहिए जैसा कि डा. एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा सुझाया गया था जोकि अनियमित मानसून व्यवहार के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने तथा अच्छे मानसून से अधिकतम लाभ उठाने के लिए हमारी क्षमता को बढ़ाने के लिए बनाया गया था।

हमें वर्षा की अधिकता, कमी और असमान वितरण की समस्या से निपटने के लिए पंचायतों की क्षमता को बढ़ाना चाहिए। उन्हें मानसून के प्रबंधन का कार्य दिया जाना चाहिए। एक सामुदायिक खाद्य सुरक्षा प्रणाली जिसमें बीज, अनाज और जलभंडार हो, की स्थापना से इस समस्या से अच्छे ढंग से निपटा जा सकता है।

दूसरा प्रमुख कदम जो हमें उठाना चाहिए वह है इस वर्ष से योजना खर्च की राशि को बढ़ाना। हमें यह पता होना चाहिए कि दसवीं पंचवर्षीय योजना में मात्र 58,937 करोड़ रुपये दिए गए हैं जो प्रतिवर्ष के हिसाब से 12,000 करोड़ रुपये होता है और यह पर्याप्त नहीं है। इसलिए, कम से कम दसवीं पचंवर्षीय योजना के शेष दो वर्षों में हमें योजना व्यय को बढ़ाकर 20,000 करोड़ रुपये कर देना चाहिए जिससे कि हम कृषि, अनुसंधान और विस्तार, ग्रामीण ढांचागत संरचना, सिंचाई पर पर्याप्त निवेश कर सके तथा पिछड़े और गरीब क्षेत्रों को बेहतर सुविधा उपलब्ध करा सकें।

अब जहाँ तक कृषि ऋण का सम्बंध है, यह सत्य है कि माननीय वित्त मंत्री ने अनेक बार कहा है कि वे कृषि ऋण को दुगना करने जा रहे हैं और इस वर्ष वे 1,05,000 करोड़ रुपये देने वाले हैं। यह सराहनीय कदम है। लेकिन निचले स्तर पर सीमांत किसानों को बैंकों तथा अन्य संस्थानों द्वारा सामान्य महत्व भी नहीं दिया जा रहा है। अब सहकारिताएं कुल संस्थागत ऋण का 42 प्रतिशत देती हैं। परन्तु इसे 50 प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिए।

महोदय, मैं महसूस करता हूं कि हमारे पास देश में शीर्ष संस्था के रूप में एक राष्ट्रीय सहकारी बैंक होना चाहिए ताकि सहकारिता प्रणाली की समस्याओं पर भी विचार किया जा सके।

लाभकारी मूल्यों के संबंध में सरकार द्वारा अनेक प्रयोग किए गए। परन्तु मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि किसानों के लिए विक्रय बाजार बनाने के संबंध में विचार करे। इन विक्रय बाजारों को देश के विभिन्न भागों में स्थापित किया जाए।

गन्ना किसानों के संबंध में महाराष्ट्र एक अच्छा नमूना पेश कर रहा है और वह नमूना देश में सभी राज्य सरकारों को सुझाया जाना चाहिए और हमें इस समस्या से बचने में किसानों की सहायता करने में सक्षम होना चाहिए।

[प्रो. एम. रामदास]

वे सभी राजसहायताएं, जिनका माननीय सदस्यों ने जिक्र किया है, भी उन्हें दी जानी चाहिए। यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा घट रहा है फिर भी भारतीय समाज का लगभग 60 से 65 प्रतिशत हिस्सा कृषि पर निर्भर है। इसलिए, जब तक कृषि का सुधार नहीं होता और किसानों को आवश्यक सुविधाएं नहीं दी जातीं तब तक भारत का भविष्य दांव पर लगा रहेगा। यह केवल भारतीय अर्थव्यवस्था नहीं है बल्कि कुछ हद वैश्विक अर्थव्यवस्था भी है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वैश्वीकरण और उदारीकरण के द्वारा हम इन भारतीय किसानों को ऊपर उठा सकते हैं। कृषि खाद्य, रोजगार और उत्पादकता के लिए मुख्य आधार बनी रहेगी। हमें किसानों को सभी संभव मदद देनी चाहिए ताकि वे खुश रहें और भारतीय समाज खुश हो, भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी हो और प्रत्येक व्यक्ति खुश हो।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अगर हाउस देर रात तक भी बैठे तो क्या ऐतराज है, क्योंकि यह किसानों का मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। बाद में देखेंगे।

[अनुवाद]

डा. एम. जगन्नाथ (नगर कुरनूल) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सच है कि 80 प्रतिशत लोग ग्रामीण भारत में रहते हैं। यह कृषक समुदाय का आधार है। महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि 'यह शक्तिशाली ग्रामीण भारत ही है जो शक्तिशाली शहरी भारत बनाना है।'

वे कौन से कारक हैं जो कृषक समुदाय को प्रभावित करते हैं। वे मुख्यतः हैं सिंचाई, पानी, अच्छे बीज, अच्छे कीटनाशक और उर्वरक, बैंकों से ऋण, गैर-सरकारी फसल बीमा और लाभकारी मूल्य। ये सभी कारक स्वस्थ ग्रामीण भारत का निर्माण करते हैं।

परन्तु वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय किसानों की स्थिति क्या है? उनके पास समुचित सिंचाई सुविधाएं और पानी नहीं है। नकली दवाएं और नकली कीटनाशक तथा उर्वरकों की बाजार में भरमार है और उन्हें बेरोकटोक बेचा जा रहा है।

जहां तक फसल बीमा का संबंध है तो इसे आरम्भ नहीं किया गया है। इसके कारण किसानों को परेशानी हो रही है।

जहाँ तक ऋण सहायता का संबंध है तो चाहे ये वाणिज्यिक बैंक हों, चाहे सहकारी बैंक हों अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हों वे अपेक्षित कार्य नहीं कर रहे हैं। ये जिला सहकारी बैंक ऋण वसूली न होने के कारण दिवालिया हो गए हैं और वे और अधिक ऋण देने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिए, वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों की ओर से लघु और मझोले किसानों पर इतने सारे प्रतिबंधों के कारण किसानों को ऋण नहीं मिल पा रहा है।

यहां, सरकार का क्या कर्त्तव्य है? मूल रूप से उन्हें सिंचाई, पानी, अच्छे बीज, अच्छे कीटनाशक और अच्छे उर्वरक प्रदान करने पड़ेंगे। किंतु इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में कृषक समुदाय की स्थिति निराशाजनक है। वे इतने डरे हुए और मानसिक रूप से इतने परेशान हैं कि एक या दो राज्यों में नहीं बल्कि सम्पूर्ण देश में आत्महत्या का विकल्प अपना रहे हैं।

इसे राज्य के मुद्दे के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। इसका राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। समय-समय पर इसी सभा में उत्तरवर्ती सरकारों द्वारा इस मुद्दे पर चर्चा की गई है परन्तु किसानों को लाभकारी मूल्य देकर उनकी सहायता करने के लिए कोई ठोस परिणाम नहीं निकला।

यदि सरकार कृषकों को अच्छी सुविधाएं देना चाहती है तो इसे बड़ी सिंचाई परियोजनाएं चलानी चाहिएं। बड़ी सिंचाई परियोजनाओं पर हजारों करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं। जैसा श्री अनंत कुमार ने कहा है कि 440 बड़ी सिंचाई परियोजनाएं पिछले 40 वर्षों से चल रही हैं। मेरा कहना है कि इन परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि डूब गई है क्योंकि इसके अच्छे परिणाम नहीं निकले। ऐसे मामले में हमें छोटी परियोजनाओं को लागू करने के बारे मे सोचना चाहिए जो तुरंत परिणाम दे सकें और जिनसे किसानों को अधिकतम लाभ हो।

किसानों की आत्महत्या के मुद्दे पर आएं, तो यह सम्पूर्ण देश में हो रही हैं। हाल ही में कुछ राज्य यथा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, किसानों की आत्महत्या के संबंध में बहुत चर्चा में रहे हैं। महोदय, हमारे कांग्रेसी मित्र चुनाव से पहले प्रचार कर रहे थे कि 3000 किसानों ने आत्महत्या की हैं। जैसा श्री मोहन ने कहा है कि यदि हम इस पुस्तिका में दिए गए तथ्यों का अवलोकन करें या समाचार पत्रों में प्रतिदिन होने वाली सामग्री पर विश्वास करें तो दिए गए आंकड़े बढ़ाये गए प्रकट होते हैं। केंद्र में संप्रग सरकार कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में कार्यरत है और प्रभावित राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी का शासन है। इसलिए, यह इसके बारे में जांच कर सकती है और वास्तविक तस्वीर देश के सामने रख सकती है। क्या यह वास्तव में बढ़ाये गए आंकड़े हैं? क्या यह गलत रूप से प्रकट नहीं किया गया था कि तेलूगू देसम के शासन के दौरान 3000 किसानों ने आत्महत्या की थी?

मैं सभा को बता सकता हूं कि उस अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश ने लगातार चार वर्षों तक सूखे का सामना किया था। तत्कालीन राजग सरकार ने हमारी धन और खाद्यान्न दोनों तरह से काफी सहायता की थी। कृषक समुदाय और श्रमिकों को संकट में सहायता प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश को लगभग 45–50 लाख मी.टन चावल दिए गए थे। उन्हें रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराये गए थे।

अब परियोजनाओं पर आएं तो लगभग 10,000 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न परियोजनाएं चलाई गई थीं। 30 वर्ष पूर्व कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू की गई परियोजनाओं को भी पूरा किया गया। लगभग 10 लाख एकड़ भूमि को खेती के योग्य बनाया गया था। कांग्रेस ने क्या किया? उनके कार्यकाल में 2,400 करोड़ रुपए खर्च करके केवल 2 लाख एकड़ भूमि को खेती के योग्य बनाया गया। मैं सभा से पूछ सकता हूं कि कौन सी सरकार किसानों की समर्थक है, तेलुगू देसम या कांग्रेस। किसानों द्वारा आत्महत्याएं करने के बाद वर्ष 2002 में श्रीमती सोनिया गांधी ने आंध्र प्रदेश राज्य की यात्रा की थी। यह एक अच्छा सद्भावना–प्रदर्शन था और हमने राज्य में उनका स्वागत किया। मेरा प्रश्न यह है कि केंद्र तथा राज्य दोनों में सत्ता में होते हुए जब 200 दिनों की अवधि के भीतर 200 से अधिक किसानों और 150–200 बुनकरों ने आत्महत्या की तो उन्होंने राज्य की यात्रा क्यों नहीं की। क्या ऐसा है कि उन्होंने झूठे वायदे करने के लिए चुनाव से पहले ही क्षेत्रों की यात्रा केवल इसलिए की ताकि निर्वाचित हो सकें।

श्री एस. के. खारवेनथन : प्रधान मंत्री श्री मनमोहन सिंह की राज्य की यात्रा का क्या तात्पर्य है? ...*(व्यवधान)*

डा. एम. जगन्नाथ : मैं इस पर आ रहा हूं, महोदय। प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह ने दो बार आंध्र प्रदेश की यात्रा की। आंध्र प्रदेश सरकार ने किसानों को उस स्थिति से उबरने में मदद करने के लिए राज्य निधि से एक लाख पचास हजार रुपए की घोषणा की और प्रधान मंत्री ने इसके लिए केंद्र सरकार की निधि से केवल 50,000 रुपए की पेशकश की। इससे कितने किसानों को लाभ हुआ? मेरा कहना है कि केवल मुट्ठीभर लोगों को उससे लाभ मिला। इसके विपरीत उनका आरोप है कि तेलुगू देसम शासन के दौरान 3000 किसानों की मौत हुई। केवल 600 किसानों को लाभ दिया गया। क्या यह सफेद झूठ नहीं है? लोगों को वास्तविकता का पता चलना चाहिए। श्रीमती सोनिया गांधी राज्य की यात्रा क्यों नहीं कर रही हैं? मुझे उनके विरूद्ध कुछ नहीं कहना है।

कुल मिलाकर 82 किसान मरे थे। कांग्रेस प्रमुख होने के नाते जब वह वहां गई थी तो कांग्रेस पार्टी के विश्लेषण और समाचार पत्रों की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने केवल 32 लोगों को राहत दी ..*(व्यवधान)*

श्री विजय हान्डिक : यह बिल्कुल असंगत है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपने जवाब में स्पष्टीकरण दे सकते हैं।

..*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

डा. एम. जगन्नाथ : वह अब वहां क्यों नहीं जा रही हैं? ..*(व्यवधान)* देश को उसका पता चलना चाहिए। ...*(व्यवधान)* यह राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया गया था ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है और हम सब बहुत चिंतित हैं। इसलिए, यह चर्चा जारी रहेगी। आप कल इसे जारी रख सकते हैं।

अब सभा कल 23 दिसम्बर, 2004 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 7.00 बजे

तत्पश्चात लोक सभा गुरुवार, 23 दिसम्बर, 2004/2 पौष, 1926 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	श्री हरिकेवल प्रसाद श्री सुनिल कुमार महतो	303
2.	श्री कीर्ति वर्धन सिंह श्रीमती निवेदिता माने	304
3.	श्री सनत कुमार मंडल श्री प्रबोध पाण्डा	305
4.	श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी श्री तूफानी सरोज	306
5	श्री इकबाल अहमद सरडगी श्री चन्द्र भूषण सिंह	307
6.	श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख	308
7.	श्री इलियास आजमी श्री सुशील कुमार मोदी	309
8.	श्री बीर सिंह महतो	310
9.	श्री बाला साहिब विखे पाटील	311
10.	श्री जसुभाई दानाभाई बारड़	312
11.	श्री सूरज सिंह श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव	313
12.	श्री रामदास आठवले	314
13.	श्री देविदास पिंगले प्रो. महादेवराव शिवनकर	315
14.	श्री पवन कुमार बंसल	316
15.	डा. एम. जगन्नाथ	317
16.	श्री सुरेश चन्देल श्री सीताराम सिंह	318
17.	श्री गुरूदास दासगुप्त श्री चेंगरा सुरेन्द्रन	319
18.	श्रीमती मेनका गांधी	320
19.	श्री अतीक अहमद	321
20.	मो. मुकीम	322

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आचार्य, श्री बसुदेव	3493, 3603, 3628
2.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	3463, 3557, 3601, 3627, 3645
3.	अहमद, श्री अतीक	3498
4.	अजय कुमार, श्री एस.	3483, 3555
5.	अंगड़ि, श्री सुरेश	3469
6.	अंसारी, श्री फुरकान	3494
7.	अप्पादुरई, श्री एम.	3541
8.	आठवले, श्री रामदास	3552, 3598, 3625, 3642
9.	बंसल, श्री पवन कुमार	3539, 3592
10.	बारड़, श्री जसुभाई दानाभाई	3537, 3597, 3624, 3641
11.	बर्मन, श्री हितेन	3432, 3440
12.	बर्मन, श्री रनेन	3432
13.	बखला, श्री जोवाकिम	3432, 3433
14.	भक्त, श्री मनोरंजन	3489, 3574, 3614
15.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	3442
16.	बरकटकी, श्री नारायण चन्द्र	3592
17.	बोस, श्री सुब्रत	3432
18.	चक्रवर्ती, श्री अजय	3494, 3498
19.	चालिहा, श्री किरिप	3445, 3529, 3587, 3619, 3639
20.	चन्देल, श्री सुरेश	3534
21.	चन्द्र कुमार, प्रो.	3560
22.	चन्द्रप्पन, श्री सी. के.	3468, 3564, 3605, 3629, 3648
23.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	3472, 3498
24.	चित्तन, श्री एन. एस. वी.	3486
25.	चौधरी, श्रीमती अनुराधा	3472
26.	चौधरी, श्री निखिल कुमार	3460, 3569
27.	चौधरी, श्री शिवराज सिंह	3471
28.	चौधरी, श्री पंकज	3477

1	2	3
29.	चौधरी, श्री अधीर	3424, 3498
30.	चौधरी, श्री विकास	3494
31.	देव, श्री बिक्रम केशरी	3488
32.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	3498, 3518, 3548
33.	फर्नान्डीज, श्री जार्ज	3466
34.	गढ़वी, श्री पी. एस.	3487, 3571
35.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	3472
36.	गांधी, श्रीमती मेनका	3565, 3607, 3635, 3651
37.	गंगवार, श्री संतोष	3644
38.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	3518
39.	गोहेन, श्री राजेन	3469
40.	गोयल, श्री सुरेन्द्र प्रकाश	3455
41.	हमजा, श्री टी. के.	3436, 3536
42.	हर्ष कुमार, श्री जी. वी.	3516, 3581, 3615, 3633
43.	जगन्नाथ, डा. एम.	3540, 3599, 3626, 3643
44.	जेना, श्री मोहन	3541
45.	झा, श्री रघुनाथ	3481, 3554, 3600, 3634, 3650
46.	जोगी, श्री अजीत	3511
47.	कामत, श्री गुरूदास	3472
48.	करूणाकरन, श्री पी.	3497
49.	खैरे, श्री चंद्रकांत	3503
50.	खां, श्री सुनील	3494
51.	खंडूडी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द	3586
52.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	3446, 3641
53.	कोया, डा. पी. पी.	3514
54.	कृष्ण, श्री विजय	3520, 3585, 3600
55.	कुरूप, श्री सुरेश	3560
56.	कुशवाहा, श्री नरेन्द्र कुमार	3467, 3533, 3584, 3617, 3638
57.	कुसमरिया, डा. रामकृष्ण	3478
58.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	3517
59.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	3454
60.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	3457
61.	महाजन, श्री वाई. जी.	3498
62.	महतो, श्री बीर सिंह	3530, 3590, 3623, 3640
63.	महतो, श्री सुनिल कुमार	3484, 3498, 3640, 3623
64.	महताब, श्री भर्तृहरि	3462, 3570, 3612, 3632
65.	माझी, श्री परसुराम	3515, 3541
66.	मंडल, श्री सनत कुमार	3544, 3594, 3620, 3649
67.	मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा	3464, 3582
68.	मांझी, श्री राजेश कुमार	3447
69.	मरन्डी, श्री सुदाम	3515
70.	मनोज कुमार, श्री	3498, 3500
71.	मेघवाल, श्री कैलाश	3449, 3532, 3591, 3636, 3652
72.	मेहता, श्री आलोक कुमार	3499
73.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	3498
74.	मिश्रा, डा. राजेश	3455
75.	मिस्त्री, श्री मधुसूदन	3455
76.	मोदी, श्री सुशील कुमार	3535, 3608, 3630
77.	मोघे, श्री कृष्णा मुरारी	3509, 3600
78.	मुकीम, मो.	3505, 3573
79.	मोहिते, श्री सुबोध	3431, 3567
80.	मूर्ति, श्री ए. के.	3435, 3480, 3525
81.	मुन्शी राम, श्री	3467, 3472
82.	मुर्मू, श्री हेमलाल	3441, 3567
83.	मुर्मू, श्री रूपचन्द	3510, 3579
84.	मम्बाडन, श्री लोनाप्पन	3490, 3561
85.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	3502
86.	नायक, श्री अनन्त	3443
87.	निखिल कुमार, श्री	3461
88.	निषाद, श्री महेन्द्र प्रसाद	3498

1	2	3
89.	नीतीश कुमार, श्री	3517
90.	ओराम, श्री जुएल	3488, 3575
91.	ओसमानी, श्री ए. एफ. जी.	3451
92	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	3448
93.	पलनिसामी, श्री के. सी.	3424, 3453
94.	पाण्डा, श्री प्रबोध	3549, 3596, 3622
95.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	3474, 3545
96.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	3425, 3527
97.	पासवान, श्री सुकदेव	3479
98.	पाठक, श्री बजेश	3459, 3538, 3566, 3609, 3631
99.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	3476, 3550
100.	पाटिल, श्री डी. बी.	3519
101.	पाटिल, श्री प्रकाशबापू वी.	3522, 3586
102.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	3464
103	प्रसाद, श्री हरिकेवल	3498, 3530, 3543, 3593
104.	पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.	3465, 3563
105.	राजगोपाल, श्री एल.	3512
106.	राजेन्द्र कुमार, श्री	3450, 3531, 3589, 3618
107.	रामदास, प्रो. एम.	3444, 3588
108.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	3498
109.	राणा, श्री काशीराम	3576, 3593
110	राव, श्री के. एस.	3424, 3521
111.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	3428, 3524, 3562, 3602, 3637
112	राठौड़, श्री हरिभाऊ	3498, 3504, 3551
113.	रावत, श्री कमला प्रसाद	3476
114.	रावत, प्रो. रासा सिंह	3434, 3559
115.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	3513, 3580
116.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	3429
117.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	3495
118.	रेड्डी, श्री एस. पी. वाई.	3430, 3498, 3558
119.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	3644
120.	साई प्रताप, श्री ए.	3429
121.	सज्जन कुमार, श्री	3475
122.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	3547, 3595, 3621, 3647
123.	शर्मा, डा. अरूण कुमार	3452, 3551, 3568, 3610
124.	सरोज, श्री तूफानी	3604
125.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराज	3472, 3556
126.	सेन, श्रीमती मिनाती	3485
127.	सेनथिल डा. आर.	3427, 3528, 3606
128.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	3492
129.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	3438
130.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	3518, 3557, 3582, 3613, 3653
131.	शिवन्ना, श्री एम.	3508, 3578
132.	शुक्ला, श्रीमती करूणा	3474
133.	सिद्दीश्वर, श्री जी. एम.	3491
134.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	3556
135.	सिंह, श्री दुष्यंत	3506, 3572
136.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	3520
137.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	3498, 3501 3583, 3616
138.	सिंह, श्री उदय	3470, 3498
139.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	3551
140.	सुब्बारायण, श्री के.	3456
141.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	3560
142.	स्वाई, श्री हरिहर	3439
143.	थामस, श्री पी. सी.	3458
144.	ठुम्मर, श्री वी. के.	3455, 3482, 3571, 3611
145.	तीरथ, श्रीमती कृष्णा	3479
146.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	3545

1	2	3
147.	त्रिपाठी, श्री ब्रज किशोर	3429, 3464, 3546, 3582
148.	वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास	3472, 3551
149.	विनोद कुमार, श्री बी.	3553
150.	वीरेन्द्र कुमार, श्री	3496, 3577
151.	यादव, श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु	3464, 3582, 3600,
152.	यादव, श्री बालेश्वर	3437, 3526, 3636, 3646
153.	यादव, श्री गिरिधारी	3484, 3498, 3576
154.	यादव, श्री पारसनाथ	3523
155.	यादव, श्री सीता राम	3507
156.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	3464, 3473, 3542
157.	जाहेदी, श्री महबूब	3426

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका

प्रधानमंत्री	:
कृषि और ग्रामीण उद्योग	309
परमाणु ऊर्जा	318
कोयला	
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	304, 307, 316
विदेश	
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	306, 308, 310, 313, 314, 317, 319, 320, 321, 322
खान	303
महासागर विकास	
विदेशी भारतीय कार्य	
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन योजना	311
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	312
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग	305
लघु उद्योग	
अन्तरिक्ष	315
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका

प्रधानमंत्री	
कृषि और ग्रामीण उद्योग	3453, 3497, 3504, 3522, 3569, 3579, 3587, 3612, 3645
परमाणु ऊर्जा	3434, 3578
कोयला	3426, 3484, 3494, 3498, 3532, 3537, 3538, 3553, 3562, 3600, 3640
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	3437, 3438, 3439, 3440, 3447, 3457, 3460, 3464, 3474, 3478, 3486, 3487, 3500, 3503, 3507, 3510, 3514, 3519, 3520, 3525, 3534, 3543, 3544, 3545, 3546, 3548, 3552, 3557, 3560, 3563, 3566, 3568, 3574, 3580, 3595, 3609, 3611, 3621, 3622, 3624, 3629, 3630, 3631, 3632, 3552

विदेश	3424, 3431, 3472, 3477, 3516, 3523, 3623, 3625, 3633, 3647
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	3425, 3428, 3430, 3432, 3441, 3442, 3443, 3449, 3450, 3451, 3454, 3455, 3456, 3458, 3459, 3462, 3469, 3476, 3480, 3481, 3483, 3489, 3490, 3499, 3501, 3502, 3505, 3506, 3508, 3512, 3518, 3521, 3524, 3527, 3533, 3540, 3542, 3547, 3549, 3550, 3554, 3556, 3558, 3559, 3561, 3564, 3565, 3567, 3571, 3573, 3576, 3581, 3582, 3583, 3584, 3586, 3589, 3594, 3597, 3599, 3601, 3606, 3607, 3615, 3616, 3618, 3626, 3627, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638, 3641, 3643, 3650, 3651
खान	3473, 3488, 3511, 3575, 3617, 3619
महासागर विकास	–
विदेशी भारतीय कार्य	3429, 3592
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	3444, 3452, 3466, 3479, 3515, 3530, 3531, 3536, 3539, 3541, 3570, 3590, 3591, 3593, 3598, 3604, 3649

पी.एल.एस. – 48/6/16/ 2004 (एन.)
251

© 2004 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रक
और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली – 110006 द्वारा मुद्रित।